सोमवार, 18 अक्टूबर 1982

26 आश्विन, 1904 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

दसवाँ सत्र



[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 12, सोमवार, 18 अक्टूबर, 1982/26 आश्विन, 1904 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1-17
*तारांकित प्रश्न संख्या : 208, 210 से 212 और 215	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	17-250
तारांकित प्रश्न संख्या : 209, 213, 214 और 216 से 228	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2203 से 2274, 2276 से 2311, 2313 से 2348, 2350 से 2391 और 2393 से 2437	
पटल पर रखे गए पत्र	251-253
सभा से संदेश	253-253
की बैठकों के सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति दसवां प्रतिवेदन	254
संबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	254-265
देश के विभिन्न भागों में बिजली की अपर्याप्त और अनियमित सप्लाई का समाचार	254
श्री मोहम्मद असरार अहमद	254
श्री पी० शिवशंकर	256
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	262
यम 377 के अधीन मामले	265-270
(एक) पठानकोट से कांडला बरास्ता बीकानेर, जैसलमेर तथा बाड़मेर एक नई रेल लाइन बिछाने की आवश्यकता	265
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	

*किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी ने पूछा था ।

विषय पृष्ठ

(दो) पीलीभीत, उत्तरप्रदेश को जाने वाली सड़क के रेलवे फाटक पर एक उपरि पुल बनाने की आवश्यकता 266

श्री हरीश कुमार गंगवार

(तीन) अनिवार्य तथा निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की नीति को लागू करना 266

श्री भीखा भाई

(चार) लौह अयस्क की ढुलाई की लागत कम करने के लिए जखपुरा-बांसपानी रेल लाइन का शीघ्र निर्माण करने की आवश्यकता 267

श्री अनादि चरण दास

(पांच) दालों का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता 268

श्री बी० डी० सिंह

(छः) कोटा स्थित ताप विद्युत संयंत्र के कार्यक्रम की जांच करने की मांग 269

श्री कृष्ण कुमार गोयल

(सात) तमिलनाडु में एल० पी० जी० के वितरण हेतु एजेन्सी का आवंटन 269

श्री ए० सेनापति गौंडार

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क विधि (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 1982 (1982 का अध्यादेश संख्या 1) के निरनुमोदन सम्बन्धी सांविधिक संकल्प 270-299

तथा

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क विधि (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक विचार करने का प्रस्ताव

श्री भोगेन्द्र झा 270

श्री पट्टाभिराम राव 274

श्री अमल दत्त 277

श्री गिरधारीलाल व्यास 280

विषय	पृष्ठ
श्री हरीश कुमार गंगवार	282
श्री राम विलास पासवान	283
श्री चन्द्रपाल सिंह	285
श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा	286
खण्ड 2.3 और 1 पास करने का प्रस्ताव	
श्री पट्टाभिरामा राव	292
श्री टी० आर० शमन्ना	292
श्री रामावतार शास्त्री	293
श्री अमल दत्त	295
श्री सतीश अग्रवाल	296
आवश्यक सेवा (असम) अधिनियम के अंतर्गत जारी की गयी अधिसूचना के अनुमोदन सम्बन्धी सांविधिक संकल्प तथा अनुदानों की अनुपूरक मांगें (असम, 1982-83)	300-329
श्री पी० वेंकटसुब्बय्या	300
श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती	301
श्री गिरधारी लाल व्यास	307
श्री बी० डी० सिंह	308
श्री रवीन्द्र वर्मा	311
श्री रामावतार शास्त्री	317
श्री हरीश कुमार गंगवार	319
प्रो० अजित कुमार मेहता	321
श्री पट्टाभिरामा राव	326
असम विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1982—पुर:स्थापित विचार करने का प्रस्ताव	329-330
श्री पट्टाभिरामा राव	329

विषय	पृष्ठ
खंड 2, 3 और 1 पास करने का प्रस्ताव	330
श्री पट्टाभिरामा राव	330
आधे घंटे की चर्चा	
भारतीय खाद्य निगम को हुई भारी हानि	330-351
श्री रशीद मसूद	330
राव वीरेन्द्र सिंह	335
श्री हरीश कुमार गंगवार	340
श्री हरिकेश बहादुर	344
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	345

लोक-सभा

सोमवार, 18 अक्टूबर, 1982/26 आश्विन, 1904 (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री हरिकेश बहादुर : क्या माननीय अध्यक्ष महोदय को डेंगू बुखार हो गया है?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कुम्भा राम आर्य

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पंचायती राज संस्थाओं के सम्बन्ध में आदर्श कानून

*208. **श्री कुम्भाराम आर्य :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंचायती राज संस्थाओं के सम्बन्ध में आदर्श कानून का प्रारूप तैयार करने के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है, और

(ख) यह कानून कब लाया जाएगा?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) व (ख) आदर्श विधेयक का एक प्रारूप तैयार किया गया था। विधेयक के कुछेक महत्त्वपूर्ण पहलुओं पर एक बैठक में विचार-विमर्श किया गया था जिसमें कुछ राज्यों के पंचायत सचिवों को भी आमंत्रित किया गया था। इन विचार-विमर्शों को दृष्टिगत रखते हुए आदर्श विधेयक के प्रारूप की फिर से जांच की जा रही है।

श्री कुम्भाराम आर्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आदर्श विधेयक जो बनाया जा रहा है, यह पंचायत राज्य को तीसरे राज्य का दर्जा देने के लिए बनाया जा रहा है या केवल सरकारी एजेंसी रखने के लिए बनाया जा रहा है?

श्री बालेश्वर राम : हमारा उद्देश्य तो यह है कि पंचायत संस्थाओं को ज्यादा मजबूत करें, उसमें सरकारी अफसरान कम से कम हों और जन प्रतिनिधि ज्यादा से ज्यादा हों। हम यह चाहते हैं और यही हमारा उद्देश्य है।

श्री कुम्भाराम आर्य : आपके उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती। जब तक आप संविधान के अन्तर्गत तीसरा दर्जा पंचायत राज्य को नहीं देंगे और नौकरों के जरिए से कहेंगे कि काम किए जाएं, एक नौकर भी बहुत है सारी पंचायत को बिगाड़ने के लिए, इसलिए संवैधानिक दर्जा देने के लिए तैयार हैं या नहीं, इसके लिए सरकार क्या करना चाहती है?

श्री बालेश्वर राम : संवैधानिक दर्जा उपाध्यक्ष जी जानते हैं कि पंचायतों के लिए जो एक्ट बनते हैं, पंचायत समितियों के लिए, जिला परिषदों के लिए, राज्य सरकार के मातहत यह विषय आता है। यह संविधान के अन्तर्गत भी है और कई राज्यों में पंचायत समितियों को अधिक से अधिक अधिकार दिए गए हैं। कई जगह पंचायत समितियां, जिला परिषदें अच्छा काम कर रही हैं। कई जगहों पर जितनी हम अपेक्षा करते हैं, उतना काम पंचायत समितयों के माध्यम से नहीं हो पा रहा है। हमारी चेष्टा यही रहती है कि राज्य सरकारों को हम यहां से दिशा निर्देश देते हैं कि वे अधिक से अधिक अधिकार पंचायतों को दें और इसीलिए हमने कहा कि एक माडल बिल पर भी केन्द्रीय सरकार विचार कर रही है, जिसके आधार पर जहां जरूरत समझे, वे अपने यहां संशोधन करें और पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दें।

श्री कुम्भाराम आर्य : मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस तरह से प्रदेशीय सरकारें काम कर रही हैं, उसी तरह से पंचायत राज को तीसरे दर्जे की सरकार बनाने के लिए तैयार हैं या नहीं ?

श्री बालेश्वर राम : तीसरे दर्जे की सरकार का सवाल कहां पैदा होता है ? पंचायत समितियों को जितने अधिकार दिये जा सकते हैं, इसके लिए जितनी भी संस्थाओं ने इन्क्वायरी की है, उन्होंने जो अपनी सिफारिशें पेश की हैं, उसी के आधार पर हम पंचायतों को अधिक से अधिक अधिकार देना चाहते हैं।

श्री शिव प्रसाद साहू : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने बहुत ही अच्छा बयान दिया है कि आदर्श कानून विचाराधीन है। समय-समय पर हमारे जितने भी बड़े-बड़े नेता हुए, गांधी जी और जवाहर लाल नेहरू, सभी लोग इस बात को चाहते थे कि पंचायत के माध्यम से कानून बने और वहां के जो चुने हुए नुमाइन्दे हैं, अपने गांव की देखभाल करें, अपने शहर की देखभाल करें। आज देखने को यह मिल रहा है कि आप कानून बनाते हैं लेकिन जो हमारे अधिकारीगण हैं, वे चलने नहीं देते हैं। मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यथाशीघ्र क्या इस तरह का कानून बनाने जा रहे हैं ताकि पन्चायत समिति के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनको समुचित पावर आप देंगे ताकि और वे ठीक ढंग से कार्य करें, उसको लागू कर सकें और गांव के उत्थान में आगे बढ़ सकें, क्या आपका ऐसा विचार है ?

श्री बालेश्वर राम : उपाध्यक्ष जी, हमारे माननीय सदस्य श्री शिव प्रसाद जी जिस प्रदेश से आते हैं, मैं भी उसी प्रदेश से आता हूं। ऐसी बात नहीं है कि जो वहां जन-प्रतिनिधि हैं, जिला परिषदें हैं, असेम्बली में मेम्बरान हैं या पार्लियामेंट के सदस्य हैं, वे सभी उसके सदस्य हुआ करते हैं। जो जिला परिषद का अध्यक्ष भी होता है, वह भी नॉन-आफिशियल व्यक्ति होता है। ब्लाक स्तर पर जो हमारी समिति है उसमें भी कोई गैर-सरकारी आदमी ही इसका अध्यक्ष होता है, प्रधान होता है, इसलिए हमारी कोशिश यह है कि ज्यादा से ज्यादा अधिकार इनको हो। जिला स्तर पर, प्रखण्ड स्तर पर भी सरकारी अधिकारी हुआ करते हैं। सरकारी अधिकारी को निकाल देने के लिए कहें तो पैसे का हिसाब-किताब कौन रखेगा। लेकिन अधिक से अधिक गैर-सरकारी लोग उसमें हों, उनको अधिकार हो, इसके लिए दिशा निर्देश भी देते हैं। महाराष्ट्र से हमारे योजना मन्त्री आते हैं, वहां पन्चायत समिति महत्वपूर्ण कार्य कर रही है।

श्री सुधीर गिरि : वे कौन-कौन से राज्य हैं जिन्होंने पंचायती राज्य व्यवस्था के माध्यम से शक्ति का विकेन्द्रीकरण किया है ? समाचार-पत्रों में यह छपा है कि केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को यह प्रस्ताव भेजा है कि सहायता का वितरण और ग्राम विकास कार्य जिला प्रशासन अर्थात जिला मजिस्ट्रेटों तथा अन्य अधिकारियों के माध्यम से किया जाए। क्या इस प्रस्ताव का पन्चायती राज्य के माध्यम से विकेन्द्रीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

श्री बालेश्वर राम : जहां तक मेरी जानकारी है, मेघालय और नागालैंड राज्यों तथा लक्ष्यद्वीप और मिजोरम संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़कर करीब-करीब सभी प्रमुख राज्यों ने पंचायती राज्य व्यवस्था लागू कर दी है।

जहां तक प्रश्न के भाग (ख) का सम्बन्ध है, सभी राज्यों ने आई० आर० डी० पी० परियोजना तथा एन० आई० डी० पी० के लिए डी० आर० डी० ए० का गठन किया है। इसी के अनुसार पश्चिम बंगाल सरकार को भी राष्ट्रीय मार्ग दर्शी सिद्धांत जारी किए गए होंगे।

श्री अनन्त रामुलु मल्लु : मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार देश भर में जिला परिषद और जिला समिति जैसे स्थानीय विकासों में आरक्षण करने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है जैसा कि आंध्र प्रदेश में किया गया है ? कुछ समय पहले सरकार ने श्री अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज विधेयक समिति का गठन किया था। उस समिति की सिफारिशों का क्या हुआ ? या सरकार अभी तक भी श्री बलवन्त राय मेहता की अध्यक्षता वाली इससे पहले वाली समिति की सिफारिशों का समर्थन करती है ?

श्री बालेश्वर राम : जहां तक प्रश्न के प्रथम भाग का संबंध है, उस पर विचार किया जा रहा है।

जहां तक भाग (ख) का सम्बंध है, अशोक मेहता की अध्यक्षता वाली समिति तथा अन्य समितियों द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर हम एक प्रारूप विधेयक तैयार कर रहे हैं जैसा कि मैंने अभी बताया ही है।

सरकारी फ्लैटों को आगे किराये पर देना

*210 **श्री आनन्द सिंह** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि सरकारी कर्मचारियों को आबंटित सरकारी फ्लैटों को बड़ी संख्या में आगे किराए पर दिया गया है;

(ख) दिल्ली में लगभग ऐसे कितने सरकारी फ्लैट हैं; और

(ग) सरकार का विचार इस सम्बंध में क्या कार्यवाही करने का है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) निर्माण और आवास मन्त्रालय में सम्पदा निदेशालय द्वारा सरकारी क्वार्टरों की कथित उप-किराएदारी की शिकायतें समय-समय पर प्राप्त की जाती हैं। सम्पदा निदेशालय के

अधिकारियों द्वारा आकस्मिक आवधिक सर्वेक्षण के माध्यम से संदिग्ध उप-किरायेदारी के मामले भी सूचित किए जाते हैं।

(ख) जनवरी, 1982 से सितम्बर, 1982 के दौरान 1733 शिकायतें/आकस्मिक उप-किराएदारी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी।

(ग) सरकारी क्वार्टरों की उप-किराएदारी या दुरुपयोग का पता लगाने के लिए एक प्रणाली पहले ही विद्यमान है जिसके अन्तर्गत सम्पदा निदेशालय के अधिकारियों द्वारा सरकारी कालोनियों की आकस्मिक आवधिक सर्वेक्षण किया जाता है। सम्बन्धित आबन्टन नियमों के अन्तर्गत सरकारी क्वार्टरों की उप किराएदारी तथा दुरुपयोग के लिए दण्ड का प्रावधान है।

श्री आनन्द सिंह : उप-किरायेदारी की समस्या बड़ी पुरानी समस्या है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या यह समस्या कानून की किसी कमज़ोरी की वजह से है या कानून के लागू करने में कोई कमजोरी है ? या इसका कोई और ही कारण है ?

श्री एच० के० एल० भगत : इसके लिए कानून हैं और अनेकों प्रकार के दण्ड भी दिए जाते हैं। व्यक्ति से मकान खाली करा लिया जाता है। उसे लाइसेंस फीस की चार गुनी राशि अदा करने के लिए कहा जा सकता है, जो अधिकतम है। उसे भविष्य में मकान नहीं दिया जा सकता। मेरे ख्याल से उपबन्ध तो पर्याप्त ही है। परन्तु यह एक ऐसा प्रश्न है जिसमें व्यावहारिक रूप में कुछ न कुछ मानवता सम्बन्धी बातें आ जाती हैं। आवास की कमी की भी समस्या है। कानून में मकान को शेयर करने की अनुमति है। कभी-कभी लोग इसका दुरुपयोग कर लेते हैं। इसे रोकने के हर सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं।

श्री आनन्द सिंह : मंत्री महोदय ने बता दिया है कि कानून क्या है, क्या कार्यवाही की जा सकती है और क्या सजा दी जा सकती है। उन्होंने कहा है कि पिछले वर्ष 1733 शिकायतें आई थीं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इनमें से कितने लोगों को दण्ड दिया गया है; कितनों से मकान खाली कराए गए हैं और उन्हें क्या अन्य सजाएं दी गई हैं।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि जुलाई 1982 तक उप-किराएदारी और गैर-उप-किराएदारी दोनों के ही 451 मामलों में लोगों से मकान खाली कराए जा चुके थे। यदि 1981-82 के वर्षवार आंकड़े और उन मामलों की संख्या जिनमें कार्यवाही की जा चुकी है के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे इसके लिए समय चाहिए। इसी प्रकार यदि वह विभिन्न प्रकार की सजाओं के बारे में जानना चाहते हैं जो इन मामलों में दी गई है और कितने मामलों में ये सजाएं दी गई हैं अभी तो इस समय मैं इनका ब्यौरा नहीं दे सकूंगा।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री—उपाध्यक्ष जी, क्वार्टरों वाला मामला दिल्ली के लिए खास-तौर से बड़ा महत्वपूर्ण है। मंत्री जी ने यह बताया कि 1537 क्वार्टरों के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे दिल्ली में कितने लोग हैं जो वर्तमान समय में संसद सदस्य नहीं है, या सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, और उनको दिल्ली में क्वार्टर अलाट किये गये हैं मात्र एक रु० के टोकन पर। ऐसे कितने लोग हैं।

दूसरा प्रश्न यह है कि कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो सेवा से रिटायर हो गये हैं और कोई भी उनका स्थान कहीं नहीं है, उनको पेंशन मिल रही है और सरकार ने उनको आदेश दिया है कि क्वार्टर खाली कर दें लेकिन अभी तक उन्होंने क्वार्टर नहीं खाली किया है और वह पड़े हुए हैं। ऐसे दोनों केसेज का विवरण मंत्री जी बतायें।

श्री एच० के० एल० भगत—जहां तक उन सरकारी कर्मचारियों का सम्बन्ध है जो सेवा निवृत्त हो चुके हैं, नियमों के अनुसार वे दो माह तक मकान में रह सकते हैं। उनके पश्चात् कुछ तर्क संगत कारणों से वे अगले छः माह और रहने की मांग कर सकते हैं। मैं इस समय उनकी संख्या नहीं बता पाऊंगा।

जहां तक एक रुपये के टोकिन के रूप में किराये पर आवंटन का सम्बन्ध है इस समय मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री— मंत्री जी ने सवाल का जवाब नहीं दिया कि ऐसे कितने लोग हैं ? अगर नहीं हैं तो हमको बता दें।

श्री एच० के० एल० भगत—जितनी मेरी योग्यता है उसीके अनुरूप मैं प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं और जो भी जानकारी मेरे पास उपलब्ध है वह मैं आपको दे रहा हूं जहां तक एक रुपया—किराये पर आवंटन का सम्बन्ध है मैंने बताया है कि इस समय मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। मुझे इसके लिए समय चाहिए। मैं माननीय सदस्य महोदय की जानकारी के लिए यह जानकारी और दे सकता हूं कि 1-10-82 की स्थिति के अनुसार अनधिकृत कब्जे के मामलों की संख्या 1300 है। अनधिकृत कब्जे का आशय उन लोगों से है जिन्हें उन मकानों में रहने का कोई अधिकार नहीं है। परन्तु इसका एक रुपया किराये पर आवंटन से कोई सम्बन्ध नहीं है।

भूमि के संकरे हिस्से से गंगा और पद्मा नदियों को पृथक करना

*211 **श्री भीमसिंह :**

श्री बापू साहिब परुलेकर :

क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान के निष्कर्षों से यह पता लगता है कि यदि गंगा और पद्मा को भूमि के एक संकरे हिस्से से अलग कर दिया जाए तो इससे सम्पूर्ण निचले-पश्चिम बंगाल-बेसिन तथा फरक्का बांध को क्षति पहुंचेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने इन निष्कर्षों पर गंभीरता से विचार किया है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग की ऐसी कोई विशिष्ट रिपोर्ट सिंचाई मंत्रालय के ध्यान में नहीं आई है।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री भीमसिंह : मैं जानना चाहता हूं कि रिपोर्ट तो मंत्री महोदय के पास नहीं पहुंची होगी, लेकिन क्या वह रिपोर्ट एगजिस्ट करती है या नहीं, ऐसी रिपोर्ट है या नहीं ; अगर है, तो क्या गंगा और पद्मा के बीच की जमीन इरोजन से कट जाने से फरक्का बांध और लोअर वैस्ट बंगाल बेसिन को खतरा है या नहीं। मंत्री महोदय को इसकी जानकारी हो या नहीं, जियोलाजिकल सरवे आफ इण्डिया की ऐसी रिपोर्ट है या नहीं ?

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : जैसा कि मैंने अपने जवाब में अर्ज किया है, स्पेसिफिक्ली इस सिलसिले में जियोलाफिकल सरवे आफ इण्डिया की कोई रिपोर्ट नहीं है। लेकिन यह सही है कि जियोलाजिक्ल सरवे आफ इण्डिया ने एक प्रिलिमिनरी स्टडी की थी कि गंगा नदी अपना कोर्स चेंज करती है, और जाहिर है कि जब नदी कोर्स चेंज करती है, तो सायल इरोजन होता है। वह हमारे इल्म में है। मैंने स्पेसिफिकली इस बात का जवाब दिया है कि जियोलाजिक्ल सरवे आफ इण्डिया ने इस किस्म की कोई रिपोर्ट हमको नहीं दी है कि गंगा और पद्मा नदियों के बीच में जमीन के नैरो हो जाने से कोई खतरा है। जहां तक फरक्का बैराज और जंगीपुर बैराज के प्रोटेक्शन का सवाल है, उनके प्रोटेक्शन और प्रापर वर्किंग के लिए जो भी इकदामात किए जाने चाहिए, वे गवर्नमेंट आफ इण्डिया का इरिगेशन डिपार्टमेंट पूरे तौर पर कर रहा है। ये दोनों बैराज फरक्का बैराज प्राजेक्ट की एथारिटी के तहत हैं, जो गवर्नमेंट आफ इण्डिया की रेसिपांसिबिलिटी है।

श्री बापू साहिब परुलेकर : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य प्रश्न में न तो किसी रिपोर्ट का संदर्भ है और ने ही इसका कोई उल्लेख है। इसमें भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था के निष्कर्षों का उल्लेख है और मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में अभी-अभी यह बताया है कि भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण ने अपनी प्रारम्भिक रिपोर्ट दे दी है। महोदय जो उन्होंने बताया है वह निस्सन्देह सत्य है कि इसे सरकार के नोटिस में नहीं लाया गया है, परन्तु मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि प्रश्न को 21 दिन पूर्व दिए जाने के बाद भी मंत्रालय द्वारा इस बात का कोई प्रयास नहीं किया गया कि यह रिपोर्ट क्या है ? अब यह रिपोर्ट समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुकी है और मैं आपका ध्यान भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण की विस्तृत रिपोर्ट और इसके द्वारा दिए गए सुझावों की ओर आकर्षित करता हूं। जैसा कि कलकत्ता के द टैलीग्राफ नामक समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है। मैंने आपसे यह स्पष्ट प्रश्न पूछा है कि क्या यह सच है या नहीं कि प्रारम्भिक रिपोर्ट में इन निष्कर्षों में यह सुझाव दिया गया है कि पद्मा और भागीरथी के बीच का क्षेत्र तेजी से डूब रहा है और यदि दोनों नदियां इकट्ठी हो जाती हैं तो यह विनाशकारी साबित हो सकता है। इस स्थिति से निपटने के लिए क्या यह सच नहीं है कि उन्होंने बांध बनाने के बजाय एक कट-आफ डायाफार के निर्माण का सुझाव दिया है और तीसरा सुझाव जो उन्होंने दिया है, वह यह है कि राज्य सरकार के इरिगेशन तथा वाटरवेज विभाग के परिचालन सम्बन्धी तदर्थ दल में भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण के विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाये और यदि यह सच है तो सरकार इन सुझावों के कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाने का विचार कर रही है और यदि नहीं तो सरकार इन सुझावों को कार्यान्वित क्यों नहीं कर रही है ?

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : महोदय, जहां तक प्रश्न के भाग (क) का सम्बन्ध है, मैंने यह साफ-साफ बता दिया है कि भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण द्वारा गंगा नदी के रास्ते में परिवर्तन के प्रारम्भिक सर्वेक्षण के बारे में एक अध्ययन किया गया है और यही जानकारी हमारे पास मौजूद

है। यह सच है कि उक्त संस्था द्वारा एक प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया गया है और वे सारे इलाके का और नदी के रास्ते में परिवर्तन के प्रभावों का एक व्यापक सर्वेक्षण करना चाहते हैं। लेकिन यह एक सच्चाई है कि जंगीपुर बांध में गंगा नदी की धारा दायें किनारे की ओर हट रही है और जंगीपुर बांध की सुरक्षा करने वाले ऊंचे बंध तथा पद्मा नदी के किनारे के बीच की जगह को और भी संकरा बना रही है। भारत सरकार इस बात से न केवल चिन्तित है बल्कि उसने यह देखने के लिए सभी प्रभावी उपाय भी किये हैं कि ऊंचे बंध को या जंगीपुर बांध की परियोजना को किसी किस्म का खतरा न होने पाये। ऊंचा बंध वहां बना हुआ है। जंगीपुर बांध और ऊंचे बंध की सुरक्षा के लिए ही वहां ठोकरें (स्पर्स) भी बनी हुई है।

श्री बापू साहिब परुलेकर : मैंने एक स्पष्ट प्रश्न पूछा है कि क्या भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण द्वारा दिये गये दो सुझाव सरकार द्वारा स्वीकार किए जा रहे हैं या नहीं ?

प्रो० एन० जी० रंगा : वह रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

श्री बापू साहिब परुलेकर : मैंने यह प्रश्न मंत्री महोदय से किया है।

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पांडे) : यह विषय उस समिति की अन्तिम रिपोर्ट का अंग है। इसके लिए व्यापक सर्वेक्षण की आवश्यकता है। इसलिए हमने कोई निर्णय नहीं किया है। परन्तु जहां तक जंगीपुर बांध और फरक्का बांध का सम्बन्ध है, दोनों बांधों के बीच बीस मील का अन्तर है। हम इसके बारे में पूरी तरह सतर्क हैं। हम इसकी जांच करा रहे हैं। परन्तु हम उस समिति की अन्तिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

डा० कृपासिंधु भोई : यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सिंचाई विभाग के पास इसके बारे में कोई अन्तिम रिपोर्ट नहीं आई है, बल्कि सिर्फ भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण की प्रारम्भिक रिपोर्ट ही है। पिछले वर्ष 'योजना' में भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण और स्थानीय सिंचाई विशेषज्ञ द्वारा यह प्रकाशित कराया गया था कि नदी के रास्ते में इस परिवर्तन के कारण लाई गई ठोकरें और बहाव को कम करने वाले उपाय सहायक नहीं होंगे। क्या सिंचाई विभाग भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण में व्यापक एयरोमैगनेटिक सर्वेक्षण करने के लिए और एन० एस० आर० ए० से व्यापक जानकारी प्राप्त करने के लिए भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण और एन० एस० आर० ए० को कोई विशिष्ट राशि देगा ताकि देश के विशेषज्ञों की सहायता से दीर्घ कालीन योजना तैयार की जा सके। साथ ही साथ उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि वे उन अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की सलाह एवं सहायता भी प्राप्त करना चाहते हैं जो पश्चिमी देशों सोवियत रूस और चीन में संरक्षण कार्य कर रहे हैं। सिंचाई विभाग द्वारा किया जाने वाला वर्तमान कार्य पर्याप्त नहीं है। यह तो सिर्फ बहाव को कम करने वाला एक उपाय भर है।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : बहाव को कम करने वाले किसी उपाय का कोई प्रश्न नहीं है। भारत सरकार वहां की स्थिति से पूरी तरह समर्थ है और सरकार जंगीपुर बांध तथा फरक्का बांध को बचाने का हर मुमकिन कोशिश कर रही है। जहां तक भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण की प्रारम्भिक रिपोर्ट का सम्बन्ध है, उन्होंने स्वयं ही यह बताया है कि यह समस्या वहां कोंदा सीटों और प्रारम्भिक आध्ययन के आधार पर पता लगी है। उन्होंने स्वयं ही यह कहा है कि "वे मार्च

1981 में सारे इलाके के और नदी की दैनिक स्थिति के बारे में एक व्यापक सर्वेक्षण करना चाहते हैं और वे वहां की समस्याओं के बारे में पूरी तरह जागरूक हैं।" जंगीपुर बांध तथा फरक्का बांध को बचाने की जिम्मेदारी भारत सरकार की और फरक्का बांध परियोजना प्राधिकरण की है।

श्री त्रिदिव चौधरी : मैं उस जिले का रहने वाला हूं। यह दिखाई देता है कि माननीय राज्य मंत्री महोदय वहां की नदियों की भौगोलिक परिस्थिति और उनके रास्तों से पूरी तरह परिचित नहीं हैं। वास्तव में समस्या की शुरूआत, फरक्का के बहाव के नीचे (डाउन स्ट्रीम) दायें किनारे और विशेष रूप से भागीरथी के उतराव (आफ-टेक) के स्थान से लालगोला साइड तक तेजी से मिट्टी के कटाव से होती है, जिसके परिणामस्वरूप पद्मा नदी की मुख्य धारा को भागीरथी की मुख्य धारा से अलग करने वाली जमीन की पट्टी संकरी हो गई है।

फरक्का बांध अथवा जंगीपुर बांध को इतना अधिक खतरा नहीं है लेकिन यदि भूमि की यह संकरी पट्टी पानी से कट जाती है, जिसकी अगले दो-तीन वर्षों में स्पष्ट सम्भावना है, तो पद्मा नदी की मुख्य धारा भागीरथी की धारा में मिल जायेगी तथा यही सबसे ज्यादा खतरा है।

जहां तक मेरी जानकारी है, पश्चिम बंगाल सरकार ने कई वर्ष पूर्व केन्द्रीय सरकार को 198 करोड़ रु०की लागत वाली एक योजना प्रस्तुत की थी। उसे अब तक स्वीकार नहीं किया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें पश्चिम बंगाल सरकार से इस बारे में, विशेष रूप से इस समस्या के सम्बन्ध में कोई नया प्रस्ताव प्राप्त हुआ है?

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : महोदय, यह सच है कि भागीरथी के तट—नूरपुर से शेखलीपुर तक पद्मा नदी के मार्ग में एक परिवर्तन है। इस स्थान पर पद्मा नदी के तेज बहाव से भूमि का कटाव होता है तथा पद्मा नदी तथा 'एफ्लक्स बांध' के बीच की संकरी जमीन की पट्टी और अधिक संकरी होती जा रही है। इसीलिए हम 'एफ्लक्स' बांध' को मजबूत करने के स्थायी उपाय कर रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : महोदय, प्रश्नकर्ता तथा मंत्री महोदय, दोनों को समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए तत्स्थानिक अध्ययन दौरा करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : उनके साथ आपको भी मध्यस्थ के रूप में जाना चाहिए।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : पद्मा नदी का पानी इस जंगीपुर बांध की मार्फत भागीरथी नदी में प्रवेश करता है। प्रमुख प्रश्न यह है कि क्या पद्मा का पानी भागीरथी में प्रवेश करके फरक्का तथा जंगीपुर की समस्त परियोजना को बेकार कर देगा तथा बहुत बड़ी समस्या प्रस्तुत करेगा? अतः हम उचित उपाय कर रहे हैं।

श्री केदार पांडे : महोदय, मैं इसे और स्पष्ट करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इन्होंने इसे पहले ही स्पष्ट कर दिया है; आपका उत्तर इसे और अधिक स्पष्ट कर देगा।

श्री केदार पांडे : पद्मा तथा भागीरथी नदियों में केवल एक मील की दूरी है। अतः इसमें सन्देह नहीं है कि इस सम्बन्ध में कतिपय आशंकाएं हैं। इसलिए माननीय सदस्य की आशंका काफी हद तक सही है। इस आशंका को दूर करने के लिए हमने कुछ उपाय किए हैं।

फरक्का बांध की प्रतिकूल धारा के बायें तटबन्ध तथा 3 से 7 के 'स्परों' को मजबूत करने का कार्य काफी हद तक पूराकिया जाचुका है। जून, 1984 तक समस्त कार्य के पूरा हो जाने की सम्भावना है। इस आशंका को दूर करने के लिए हमने उपर्युक्त उपाय किये हैं। मार्च, 1982 तक 5 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है तथा 1982-83 और 1983-84 के दौरान क्रमशः 2.53 तथा 1.8 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय का प्रस्ताव है।

इसके अतिरिक्त, जंगीपुर बांध के समीपवर्ती क्षेत्र में 2.7 करोड़ रु० की अनुमानित लागत वाली एक परियोजना स्वीकृत की गई है। इस परियोजना के भी जून, 1984 तक पूरा हो जाने की आशा है।

हमने उपर्युक्त दो उपाय किए हैं। इन दोनों नदियों को मिलने न देने की जिम्मेदारी फरक्का बांध प्राधिकारियों की है तथा इन नदियों को भिलने नहीं दिया जायेगा।

डा० कर्णसिंह : महोदय, यह एक आश्वासन है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब अगला प्रश्न किया जाएगा। श्री अनन्त रामुलु मल्लु।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : उपाध्यक्ष महोदय,.....

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने अगला प्रश्न लेने की घोषणा कर दी है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : सबसे पहले इन्होंने कहा था कि 'प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।' अपने उत्तर में इन्होंने कहा था कि 'यह उपस्थित नहीं होता।' इस सामान्य सिद्धांत को नोट किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर और आगे सामान्य चर्चा नहीं होगी।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मंत्री महोदय ने हमारी बात पर गौर नहीं किया है। कृपया समझने की चेष्टा करें। जानकारी प्राप्त करने के लिए ही ये प्रश्न पूछे जाते हैं। परन्तु इनका उत्तर क्या था? इन्होंने उत्तर दिया था कि 'ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है।' पहले तो यह कहते हैं कि प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। अब बाद में कहते हैं कि इस बारे में जाकरूक हैं तथा सदस्यों द्वारा और प्रश्न पूछे जाने पर वे कहते हैं कि इसकी आशंका है। इससे स्पष्ट है कि मंत्रीगण किस प्रकार उत्तर दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

हरिजनों के लिए पानी के कुएं

*212. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** :

श्री अर्जुन सेठी : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य-वार ऐसे ग्रामों की संख्या क्या है जहां हरिजनों के लिए पीने के पानी के कुएं नहीं हैं; और

(ख) उन्हें कब तक यह सुविधा प्रदान कर दी जाएगी ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) तथा (ख)-पेय जल पूर्ति राज्य का विषय है और राज्य सरकारों द्वारा योजनाएं तैयार की जाती हैं और उनका निष्पादन करती हैं। कार्यक्रम के लिए धन का नियतन राज्यों के बजट में किया जाता है। तथापि केन्द्रीय सरकार त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकारों के प्रयासों में अनुदान देकर सहायता करती है।

छठी योजना अवधि के प्रारम्भ में अर्थात 1-4-1980 को पता लगाए गए 2·31 लाख समस्याग्रस्त गांव थे। ऐसे गांवों का पता उपलब्ध पानी की गहराई एवं उसकी गुणवत्ता के संदर्भ में उनकी समस्यात्मक प्रकृति के आधार पर लगाया गया था। तथापि, निर्माण और आवास मंत्री ने राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रियों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को यह अनुरोध करते हुए लिखा है कि कार्यक्रम को कार्यान्वित करते समय कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों/जनजातियों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाय। निर्माण और आवास मन्त्रालय ने राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ 1982 में दिल्ली में एक अधिकारी स्तर पर और दूसरा मन्त्रियों के स्तर पर दो सम्मेलनों का आयोजन किया था। इस सम्मेलन में यह सहमति हुई थी कि अनुसूचित जातियों/जनजातियों की आवश्यकताओं पर उच्च प्राथमिकता दी जाए।

इस मन्त्रालय के पास उन गांवों की संख्या के बारे में सूचना नहीं है जहां हरिजनों के लिए पीने के पानी के कुएं नहीं हैं, परन्तु यह मन्त्रालय इसका प्रबोधन कर रहा है तथा इस कार्यक्रम में शामिल किए गए अनुसूचित जातियों/जनजातियों की जनसंख्या के बारे में राज्य सरकारों से साव-धिक सूचना प्राप्त कर रहा है।

यह विचार किया गया है कि पता लगाए गए सभी समस्याग्रस्त गांवों को छठी योजना अवधि के दौरान पेय जल का कम से कम एक स्रोत जिसमें साल भर जल उपलब्ध हो, मुहैया करा कर लाभान्वित किया जाय।

श्री अनन्त रामुलु मल्लु : महोदय, मेरा प्रश्न अत्यन्त स्पष्ट है। मैंने यह पूछा है कि उन हरिजन ग्रामों, बस्तियों की संख्या कितनी है जिनमें पीने के पानी के कुएं नहीं हैं। परन्तु माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में ऐसे गांवों की संख्या बताई है। मैंने यह प्रश्न नहीं पूछा था।

इसके अतिरिक्त, मुझे खुशी है कि माननीय मन्त्री जी ने सदन को आश्वासन दिया है कि वे कार्यक्रम की निगरानी कर रहे हैं। परन्तु ब्यौरे के अभाव में विभाग इस पर किस प्रकार निग-रानी रखेगा तथा सरकार इसकी समीक्षा किस प्रकार करेगी ? प्रधानमंत्री द्वारा अनेक अवसरों पर दिए गए इस स्पष्ट आश्वासन को देखते हुए कि पेय जल कार्यक्रमों के अन्तर्गत जल आपूर्ति को विशेष रूप से हरिजन बस्तियों में की जाने वाली सप्लाई के कार्यक्रमों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी, मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वे अब सभी ब्यौर की जानकारी एकत्र करवाएंगे तथा अगले सत्र तक वे इस जानकारी को प्रस्तुत करेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या केवल आंध्र प्रदेश के सम्बन्ध में अथवा सम्पूर्ण भारतवर्ष के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्य : सम्पूर्ण भारत के सम्बन्ध में ।

श्री बृज मोहन महन्ती : जहां तक पेय जल कार्यक्रमों का सम्बन्ध है, उन्हें राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है । वस्तुतः छठी पंचवर्षीय योजना में तथा मंत्री महोदय द्वारा सभी मुख्य मंत्रियों को भेजे गए पत्र से इसकी प्राथमिकता का पता चलता है । इसके अतिरिक्त सम्मेलन में स्वीकार किए गए संकल्पों पर मंत्री स्तर पर कार्यवाही की जाती है । हमने इस बात पर जोर दिया है तथा दिशानिर्देश दिए हैं कि अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोगों के रहने वाले क्षेत्रों में इसे अवश्य ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए परन्तु इसके साथ-साथ आपको यह भी याद रखना चाहिए कि हम इसके आधार पर कार्यक्रमों को क्रियान्वित नहीं करते कि अमुक स्थान के निवासी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के हैं अपितु हम इनके अन्तर्गत लाए गए क्षेत्र-फल के आधार पर इसे क्रियान्वित करते हैं । हमने 2·31 लाख गांवों में इसे लागू किया है । यदि माननीय सदस्य की इच्छा है तो मैं उन्हें इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाई गई अनुसूचित जाति तथा जनजाति की कुल जनसंख्या की जानकारी दे सकता हूं ।

मैं संकल्प को पढ़कर सुना देता हूं जिससे आपको इसकी स्पष्ट जानकारी हो सकेगी तथा इसे समझने में मदद मिलेगी । मन्त्री स्तर पर 1982 में पारित किए गए संकल्प के अनुसार यह निर्णय लिया गया था कि जहां पर संभार तन्त्र तथा तकनीकी रूप से ऐसा करना असम्भव नहीं है, वहां पर अनुसूचित जाति की बस्तियों वाले गांवों में समस्त समुदायों के लिए पेय जल के प्रत्येक नये स्रोत का पता लगाया जाए । इससे प्रवृत्तियों में स्वतः परिवर्तन होगा । इससे पहले गैर अनुसूचित जाति वाले क्षेलों में इनका पता लगाया जाता था । अब इस नीति को बदल दिया गया है तथा अब इन्हें हरिजन बस्तियों में बनाया जाएगा तथा अन्य समुदायों के लोगों द्वारा प्रयुक्त किया जा सकेगा । परन्तु इस कार्य को राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा ।

श्री अनन्त रामुलु मल्लु : माननीय मंत्री जी ने कुछ लाभप्रद जानकारी दी है । मैं इस बात को तो समझ सकता हूं कि उनके पास राज्यों से सम्बन्धित जानकारी न हो परन्तु उनके पास दिल्ली, पांडिचेरी तथा चण्डीगढ़ जैसे संघशासित क्षेत्रों के सम्बन्ध में जानकारी अवश्य उपलब्ध होनी चाहिए ।

पेय जल आपूर्ति कार्यक्रम को 20 सूत्री कार्यक्रम में भी सम्मिलित किया गया है । क्या हमारे पास इन क्षेत्रों का ब्यौरा नहीं है ?

श्री बृज मोहन महन्ती : समस्या यह है कि हम इस कार्यक्रम को क्षेत्रफल के आधार पर क्रियान्वित कर रहे हैं, न कि अनुसूचित जाति, अनु० जनजाति या अन्य गांवों के आधार पर । हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है । मुझे इस बात का भी सन्देह है कि शायद राज्य सरकारों के पास भी गांवों के बारे में ऐसी कोई सूचना या अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं ।

परन्तु उनके पास उन लोगों की सूचना अवश्य है जिन्हें इसके अंतर्गत लाया गया है । वह सूचना हमारे पास उपलब्ध है । मैं वह सूचना इस समय भी दे सकता हूं ।

हम गांवों के आधार पर सूचना एकत्र नहीं करते । हम क्षेत्रफल-वार ब्यौरा एकत्र करते हैं ।

श्री अनन्त रामुलु मल्लु : मेरे प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उनसे पृथक में मिलें। वे आपको उचित उत्तर देंगे।

श्री अर्जुन सेठी : माननीय मंत्रीजी ने कहा है कि 2·31 लाख समस्या पीड़ित गांवों में इसे लागू किया गया है। मेरा विचार है कि सम्बंधित राज्य सरकारों द्वारा इसे लागू किया गया है तथा केन्द्रीय मंत्रालय को इसकी जानकारी दी गई है। अतः इस आधार पर मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे इन संबंधित राज्य सरकारों से यह पता लगाने को कह सकते हैं कि उन गांवों की संख्या कितनी है जहां अनुसूचित जाति तथा अनु० जनजाति के लोगों की बहुलता है तथा उनमें से कितने गांवों को पेय जल आपूर्ति योजना के अन्तर्गत लाया जा चुका है ?

दूसरी बात यह है कि चक्रवात, बाढ़ तथा सूखे के कारण उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्रों के अनेक ट्यूब-वैलों में पानी के खारेपन में वृद्धि के परिणामस्वरूप वे उपयोग किये जाने योग्य नहीं रह गए हैं।

अतएव इन ट्यूबवैलों की मरम्मत अथवा पुनः खुदाई (बोरिंग) या वहां रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा इनका उपयोग किए जाने के लिए सरकार द्वारा क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं तथा राज्य सरकारों से क्या जानकारी एकत्र की गई है ?

निर्माण तथा आवास मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए यह बताना चाहता हूं कि उनकी यह धारणा, कि यह जानकारी नहीं···

उपाध्यक्ष महोदय : जब आप वहां बैठते थे, तब आपकी आवाज ठीक थी। 'अब आवाज कम हो गई है।' अब यह कम क्यों हो गई है ?

श्री एच० के० एल० भगत : मैंने वहां अपनी भूमिका अदा की थी तथा अब मुझे यहां कार्य करना है। (व्यवधान)

श्री एच० के० एल० भगत : माननीय सदस्य महोदय की जानकारी के लिए मैं यह बताना चाहता हूं कि यह बात नहीं है कि हमारे पास सूचना उपलब्ध नहीं है। उपमंत्री जी के द्वारा कुछ जानकारी पहले ही दी जा चुकी है। मैं इसे और भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान सभी राज्यों में जितने गांवों में इसे लागू किया गया था, उसकी जानकारी हमारे पास उपलब्ध है। हम वह जानकारी दे सकते हैं। जहां तक इन वर्षों के दौरान इसके अन्तर्गत लाए गए गांवों की संख्या तथा लाभान्वित होने वाली अनुसूचित जाति की जनसंख्या का सम्बंध है, हमारे पास वह जानकारी उपलब्ध है तथा हम वह जानकारी दे सकते हैं।

परन्तु मेरे माननीय साथी ने गांवों के नाम जानने चाहे हैं। यदि आप किसी गांव-विशेष के नाम जानना चाहते हैं तो मैं इस समय वह जानकारी नहीं दे सकता हूं।

माननीय मंत्री जी ने इन समस्याओं के बारे में राज्यों को एक पत्र लिखा था। जहां पर पानी खारा है, वहां उचित कार्यवाही की जाएगी। जहां स्रोत उपलब्ध नहीं है, वहां एक स्रोत उपलब्ध कराया जाएगा।

श्री अर्जुन सेठी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह उत्तर ठीक है ।

श्री राम विलास पासवान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को कांस्टीट्यूशनली प्रोटेक्ट किया गया है और यह फण्डामेंटल राइट्स में है । उनके वेलफेयर और प्रोटेक्शन से भारत सरकार मात्र यह कह करके कि राज्य सरकार इस काम को कर रही है, उसकी जवाब देही है, अपनी जवाब देही से मुकर नहीं सकती है । यह हमारे लिए और आपके लिए शर्म की बात है कि आजादी के 36 वर्ष बाद भी हरिजन-आदिवासी गदे नाले का पानी पी रहे हैं और मर रहे हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन की रिपोर्ट आती है, इनके वेलफेयर के लिए पार्लियामेंट की कमेटी बनी हुई है जो प्रतिवर्ष आपको रिपोर्ट देती है कि कितने गांव हैं और कितने गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई है । उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब विलेज अलग होते हैं, गांव के बाहर । सरकार जो इस बात को कह रही है कि हमारे पास सिर्फ प्राब्लम-विलेजेज की सूची है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स की गांवों की सूची नहीं है, इसका मतलब है कि आपने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कमीशन की रिपोर्ट नहीं पढ़ी है । मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के कितने गांव हैं और उनमें से कितने गांवों में अभी तक पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की गई है और कब तक आप यह व्यवस्था करने जा रहे हैं ?

श्री बृज मोहन महन्ती : हमारी कार्यपद्धति अलग है । हमारी कार्यपद्धति यह है कि प्रत्येक ऐसा गांव, जहां यह समस्या मौजूद है, उसमें इसे लागू किया जाये, चाहे वहां के निवासी किसी भी जाति के हों, न कि अनुसूचित जाति अथवा अनु० जनजाति के लोगों को प्रत्येक गांव में आवश्यक रूप से बसाया जाए···।

श्री राम विलास पासवान : मेरा प्रश्न अनुसूचित जाति तथा अनु० जनजाति से संबंधित है । महोदय, आपको हमारे अधिकारों की सुरक्षा करनी चाहिए । इन्होंने मेरे प्रश्न को समझा नहीं है । इन्हें उचित उत्तर देना चाहिए । इन्हें सदन को गुमराह करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए ।

संसदीय कार्य और निर्माण तथा आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने हिन्दी में प्रश्न किया है, इसलिए हिन्दी में जवाब दे रहा हूं । पासवान जी, आप जानते हैं कि सभी प्राब्लम विलेजेज को पीने का पानी उपलब्ध कराने की हमारी नीति है और छठी पंचवर्षीय योजना में बड़े पैमाने पर इस कार्य को करने के लिए लगभग 20 अरब रुपये की व्यवस्था की गई है । जहां शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स की पापूलेशन है, उन गांवों को प्राथमिकता तो दी ही जाएगी ।

श्री राम विलास पासवान : अभी तक कुछ किया गया है या नहीं या कब तक करने जा रहे हैं ?

श्री भीष्म नारायण सिंह : जवाब तो सुनिए । यह जो आंकड़े बताए गए हैं कि देश में 2 लाख 31 हजार प्राब्लम विलेजेज हैं, ये राज्य सरकारों की राय से आइडिएंटीफाई किए गए हैं । इसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के गांव भी शामिल हैं ।

श्री राम विलास पासवान : मेरा प्रश्न अनुसूचित जातियों तथा अनु० जनजातियों से संबंधित है । वे हमें उन गांवों के बारे में क्यों बता रहे हैं जहां यह समस्या है ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह उत्तर दे रहे हैं ।

श्री भीष्म नारायण सिंह : आप मेरा जवाब तो सुनिए । इसमें शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स विलेजेज भी शामिल हैं और आपको यह जानकर खुशी होगी कि इसके अलावा जितने भी प्राब्लम विलेजेज आईडिएंटीफाई किए गए हैं, 2 लाख 31 हजार पूरे देश में, उनके लिए लगभग 20 अरब रुपया छठी योजना में रखा गया है और सभी प्राब्लम विलेजेज में पीने का पानी उपलब्ध कराने का हमारा लक्ष्य है । यह इतना ज्यादा चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए सरकार वचनबद्ध है, छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ही कोशिश है ।

श्री रामविलास पासवान : सरकार तो चौथी पंचवर्षीय योजना में भी यही कहती थी और पांचवीं पंचवर्षीय योजना में भी यही कहती थी ।

श्री भीष्म नारायण सिंह : मैं छठी योजना के बारे में उत्तर दे रहा हूं और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि उसकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है । हम लोग वचनबद्ध हैं छठी पंचवर्षीय योजना के अन्दर जितने भी आइडिएंटीफाइड प्राब्लम विलेजेज हैं उनमें यह कोशिश होगी कि पूरे के पूरे प्राब्लम विलेजेज में पीने का पानी मुहैय्या कराया जाए ।

श्री वसुदेव आचार्य : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कतिपय राज्यों में हरिजनों को सार्वजनिक कुओं से पानी नहीं लेने दिया जाता है । समाचारपत्रों में इस सम्बन्ध में खबरें प्रकाशित हुई हैं । मैं इस सम्बन्ध में सरकार की प्रक्रिया तथा उसके द्वारा उठाए गए उपायों के बारे में जानना चाहता हूं ।

श्री बृजमोहन महन्ती : हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है । इस मामले में राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जानी हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न—कुमारी पुष्पा देवी सिंह—अनुपस्थित । अगला प्रश्न—श्री आर० एन० राकेश—अनुपस्थित । श्री राजेश कुमार सिंह ।

मानसून न आने के कारण राज्यों में सिंचाई प्रभार न लिया जाना

*215 **श्री राजेश कुमार सिंह** :

श्री रामविलास पासवान :

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश तथा देश के कुछ अन्य भागों में सिंचाई प्रभार बहुत अधिक है;

(ख) क्या मानसून न आने के कारण हरियाणा, राजस्थान जैसे कुछ राज्यों में विद्यमान सूखा की स्थिति को देखते हुए, केन्द्र सरकार का विचार राज्य सरकारों को अनुदेश देने का है कि किसानों से सिंचाई प्रभार न लिया जाये; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) धान के लिए सिंचाई की जल दरें असम, गुजरात, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश, में अपेक्षाकृत अधिक हैं। ये दरें आन्ध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल में अपेक्षाकृत कम हैं। हरियाणा में ये जल दरें इन दोनों के बीच की हैं। गेहूं के लिए दरें हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और पंजाब में कम हैं और गुजरात तथा उत्तर प्रदेश में अधिक हैं। हरियाणा में ये दरें दोनों के बीच की हैं।

(ख) और (ग) जल दरों का वसूल करना तथा माफ करना राज्यों के अपने अधिकार क्षेत्र में है। कृषकों से सिंचाई प्रभारों की वसूली न करने के लिए राज्य सरकारों को अनुदेश देने का केन्द्रीय सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री राजेशकुमार सिंह :माननीय मंत्री जी से जो रिजन पूछा है उसके बारे में कुछ नहीं बताया। मान्यवर, प्रश्न यह है कि देश में वाटर के रेट्स फिक्स करने के बारे एक नीति निर्धारित नहीं है। असेसमेंट जो होता है, वह क्रॉप और बाल्यूम मेथड से होता है ? क्रॉप मेथड में ड्राबैक्स हैं जिससे कि एनाटामी आफ करप्शन बना हुआ है। इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं।

कृष्णा-गोदावरी सिस्टम में जहां से केनाल चलता है, करीबन दो सौ किलो मीटर जाता है और एक-एक एकड़ पर तीन रुपया लोग भ्रष्टाचार के लिए लेते हैं जो पानी किसान को देते हैं।

किसान से तीन-तीन रुपया बेकार लिया जाता है और इसलिए एक असिस्टेंट इंजीनियर के हाथ से सालाना 75 हजार रुपये जाते हैं और उन्होंने बताया है कि एक साल में 10 लाख रुपये का एक डिवीजन पर भ्रष्टाचार इस तरह का होता है तो उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में कितना भ्रष्टाचार होता होगा, इसका अन्दाजा नहीं है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि एक नीति निर्धारित करेंगे जिसके अन्तर्गत रेट्स की बात आए। मिट्रीक प्रणाली हरियाणा में एडाप्ट की है, उसको कहीं एडाप्ट करने जा रहे हैं इसलिए कि सारा भ्रष्टाचार फैला हुआ है। ब्रिटिश के जमाने से जो मैथड है जो पैमाना है, इसको तबदील करने के बारे में क्या सरकार विचार करेगी, जिससे भ्रष्टाचार कम हो सके।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : जनाबेआला, इरीगेशन के रेट्स का फिक्स करना, इरीगेशन प्रोजेक्ट्स का बनाना और वॉटर रेट्स का तय करना, यह स्टेट सबजेक्ट है और स्टेट का काम है। सारी स्टेट्स में एक तरीका हो नहीं सकता क्योंकि अलग-अलग स्टेट्स में प्रोजेक्ट्स की कास्ट अलग आती है। पानी देने के सिलसिले में भी अलग-अलग क्राप्स में अलग-अलग उसका खर्चा आता है, उसकी मेन्टीनेंस के खर्चे अलग-अलग हैं। यह सवाल कि एक यूनिफार्म रेट्स तय किए जाएं, यह मसला इरीगेशन मिनिस्टर्स कान्फ्रेंस बैंगलौर में उठा था और उस वक्त एक एजीटेशन भी हो रहा था कि इरीगेशन के रेट्स कम किए जाएं। लेकिन उस वक्त यह तय हुआ कि इनको स्टेट के इरीगेशन डिपार्टमेंट पर ही छोड़ दिया जाये, उसमें कोई इन्टरफियरेंस न किया जाए। जहां तक करप्शन का सवाल है, मैं करप्शन का जवाब देने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। मैं तो सिर्फ इरीगेशन

रेट्स जो डिफरेंट स्टेट्स में अलग-अलग हैं उनकी क्या वजह है और जो फैक्चुअल इन्फार्मेशन है, मैंने आपको बता दी है। स्टेट इरीगेशन के चार्जेस को तय करना यह स्टेट का काम है।

श्री राजेश कुमार सिंह : जो प्रश्न मैंने पूछा है उसका जवाब नहीं आया है। पूरे उत्तर प्रदेश की स्थिति यह है कि मुजफ्फरनगर, मेरठ, आगरा, मथुरा, बुलन्दशहर, अलीगढ़ वगैरह में बारिश नहीं हुई है। और भी बहुत से प्रांतों में किसानों के सामने भूखों मरने की नौबत आ गई है। वहां अकाल पड़ रहा है, सूखा पड़ रहा है। स्टेट सबजैक्ट कह कर केन्द्रीय सरकार अपनी जिम्मेदारी से हट नहीं सकती है।

नेशनल वाटर डिवैलेपमेंट एजेंसी की जो अभी मीटिंग हुई थी उसमें बहुत सी स्कीमों की बात हुई थी। आज 1440 मिलियन एकड़ फीट पानी हमारे यहां अवेलेबल है और दो सौ मिलियन एकड़ फीट पानी का ही इस्तेमाल हम कर रहे हैं। इरिगैशन केवल 61·8 मिलियन एकड़ में हो रहा है। क्या आपने इस सबके लिए कोई निश्चित योजना बनाई है। चार-चार और पांच-पांच साल से इन इलाकों में अकाल की स्थिति है, फैमिन कंडिशंज वहां प्रेवेलेट है। सिंचाई उपलब्ध करने की आपकी जो जिम्मेदारी है उसका निर्वाह आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने कहा है कि नई परिषद बनने जा रही हैं जिसकी हैड प्रधान मंत्री होंगी। उससे क्या होगा? क्या सिर्फ परिषदें और काउन्सिलें ही बनती रहेंगी और असली काम कुछ नहीं होगा?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पांडे) : माननीय सदस्य ने ठीक कहा है कि 1440 मिलियन एकड़ फीट पानी, सरफेस वाटर है हिन्दुस्तान में और अभी तक 220 मिलियन एकड़ फीट पानी का इस्तेमाल हमने किया है। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, जो भी वहां नदियां हैं उन पर डैम बनाना हम चाहें, गंगा, राप्ती, पंचेश्वर पर डैम बनाना चाहें तो नेपाल की टैरिटरी में ही साइट है जहां डैम बन सकते हैं और जब तक नेपाल से हमारा एग्रीमेंट नहीं हो जाता है, समझौता नहीं हो जाता है तब तक हम उत्तर प्रदेश और बिहार की नदियों पर डैम नहीं बना सकते हैं। मैंने इसका पहले भी जवाब दिया है। हम इस मामले को परसू कर रहे हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : देर बहुत हो रही है।

श्री केदार पांडे : जितने आप एंक्शस हैं उससे ज्यादा मैं हूं। आप भी बिहार के रहने वाले हैं, मैं भी हूं और उत्तर प्रदेश हमारे बगल में है। एंगजाइटी सबसे ज्यादा हमको है। हम कोशिश कर रहे हैं कि नेपाल के साथ एग्रीमेंट हो जाए ताकि हम उत्तर प्रदेश और बिहार की नदियों पर डैम बना सकें। मैं समय तो नहीं बता सकता हूं लेकिन समझता हूं कि वह समय कोई ज्यादा दूर नहीं है। हम लोगों के सम्बन्ध नेपाल के साथ मोस्ट कोर्डियल हैं।

संविधान के अनुसार वाटर स्टेट सबजैक्ट है। आपका कहना ठीक है कि काउन्सिल की मीटिंग हुई थी जिसकी प्रेजीडेंट प्रधान मन्त्री जी हैं उसमें यह तय हुआ कि वाटर कनकरेंट सबजैक्ट न बनाया जाए और स्टेट सबजेक्ट रहते हुए भी जितने चीफ मिनिस्टर्ज हैं उनको कांफिडैंस में लेकर बात की जाए और मामले तय किए जाएं।

जहां तक वाटर रेट का सम्बन्ध है या कुरप्शन की बात है। मैं मानता हूं कुरप्शन है। दो-चार इन्स्टैंसिस हमें आप दें और मैं स्टेट गवर्नमेंट को कहूंगा कि माननीय सदस्य ने इस तरह की

शिकायत की है और आप बाजाब्ता जांच करवायें। आप स्पेसेफिक केसिस दें और मैं जरूर उनको उत्तर प्रदेश की सरकार को भेजूंगा।

श्री रामविलास पासवान : आज पूरा देश अकाल से जल रहा है। क्या केन्द्रीय टीम बिहार उत्तर प्रदेश और राजस्थान गई थी या नहीं ? क्या उसने अपनी रिपोर्ट दी थी या नहीं ? उसके आधार पर आपने राज्य सरकारों को सिंचाई के लिए दिए जाने वाले पानी को मुफ्त देने के बारे में कहा है ?

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

वन नीति की पुनरीक्षा

209. **श्री चित्त महाटा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश की वर्तमान वन नीति की पुनरीक्षा करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार द्वारा पुनरीक्षण को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। वन नीति प्रारूप की एक प्रति जिस पर केन्द्रीय वानिकी बोर्ड ने अगस्त, 1982 में विचार किया था, सभा पटल पर रख दी गई है। **[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 5518/82]**

शुष्क भूमि पर खेती को बढ़ावा देने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा अनुसंधान कार्यक्रम का नवीकरण

*213. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने शुष्क भूमि पर खेती तथा दाल और तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अपने अनुसंधान कार्यक्रम का नवीकरण किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या नये 20-सूत्री कार्यक्रम के अनुसार वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि वर्तमान प्रौद्योगिकी से भी शुष्क भूमि पर उत्पादन बढ़ाया जा सकता है ; और

(ग) यदि हां, तो परिषद् ने दाल तथा तिलहन का उत्पादन बढ़ाने और उन्नत किस्म के बीजों के उत्पादन के लिए एक कार्यक्रम चलाने हेतु क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्यमन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (ग) इस सम्बन्ध में सभा के पटल पर एक विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है ।

विवरण

(क) जी हां, महोदया । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने बारानी कृषि, दलहनों और तिलहनों के उत्पादन के क्षेत्रों में अपने अनुसंधान कार्यक्रमों को निम्न प्रकार से पुनर्नवीकृत किया है :—

(I) वर्तमान अनुसंधान केन्द्रों को इनके संरचना आधार और इनमें अधिक वैज्ञानिकों को नियुक्त करके तथा नए अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना करके मजबूत करना ;

(II) छठी योजना में पांचवीं योजना के वास्तविक खर्च से अधिक कुल योजना लागत में महत्वपूर्ण वृद्धि करना ;

(III) अनुसंधान के नए कार्यक्रमों को उपलब्ध प्रौद्योगिकी में संशोधन करके और नई नीतियों का विकास करके बढ़ाया जाना; और

(IV) घरेलू फार्मों पर 'प्रयोगशाला से खेत तक' कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यावहारिक अनुसंधान प्रायोजनाओं, तकनीकी प्रकाशनों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ाकर तथा दलहनों, तिलहनों और बारानी खेती के प्रदर्शनों को बढ़ाकर प्रौद्योगिकी को किसानों तक पहुंचाने के कार्य में सुधार लाना ।

(ख) जी हां, महोदया । मौजूदा प्रौद्योगिकी की सहायता से बहुत से बारानी क्षेत्रों में उपज 50 से 100% तक बढ़ाई जा सकती है, यद्यपि उपलब्ध प्रौद्योगिकी की उत्पादन क्षमता बहुत अधिक है ।

(ग) मद (क) के अन्तर्गत दिए गए उपायों के अतिरिक्त भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में उगाए जाने वाले मौसम के लिए उपयुक्त बारानी क्षेत्रों में प्रमुख दलहनी और तिलहनी फसलों की सुधरी किस्में उगाने के लिए रिलीज की गई । इससे प्रजनक बीज उत्पादन में वृद्धि हुई । इस प्रकार परिषद् कृषि और ग्रामीण विकास विभाग के कार्यक्रमों को आवश्यक तकनीकी समर्थन दे रही है ।

नेपाल को चावल का निर्यात

*214. श्री आर० एन० राकेश : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नेपाल के खाद्यान्न संकट को ध्यान में रखते हुए उसे 10 हजार टन चावल देने का है ;

(ख) यदि हां, तो यह चावल किस दर पर दिया जाएगा ;

(ग) क्या सरकार अपने देश में चावल की कमी को देखते हुए इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करेगी ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (घ) नेपाल सरकार ने भारत सरकार से उस देश में खाद्यान्नों की अस्थायी कमी को पूरा करने के लिए चावल सप्लाई करने के लिए अनुरोध किया था । दोनों देशों के बीच स्थित निकट तथा मैत्री-पूर्ण सम्बन्धों को ध्यान में रखते हुए और सद्भावना के रूप में भारत सरकार ने जिस ऋण के आधार पर 10,000 मीटरी टन चावल सप्लाई करने के लिए 21-9-1982 को नेपाल सरकार के साथ एक करार किया था । इस मात्रा का परिदान अक्तूबर-नवम्बर, 1982 तक की अवधि के दौरान किया जाना है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

चीनी का उत्पादन

*216. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जुलाई, 1982 के बाद चीनी के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या सरकार का विचार चीनी का उत्पादन और बढ़ाने का है ; और

(ग) यदि हां, तो चीनी का कितना उत्पादन और बढ़ाने का विचार है और यह उत्पादन किस प्रकार बढ़ाने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) चीनी मौसम की गणना अक्तूबर से सितम्बर तक की जाती है और उत्पादन का अधिकांश भाग गन्ना पेरने की मुख्य अवधि अक्तूबर, अप्रैल, मई में प्राप्त होता है । अगस्त और सितम्बर में तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की कुछेक विशेष मौसम वाली फैक्ट्रियां कार्य करती हैं और मौसम के इन पिछले दो महीनों में चीनी का उत्पादन 1981-82 मौसम में 88,000 मीटनी टन हुआ था जबकि 1980-81 मौसम में 80,000 मीटरी टन उत्पादन हुआ था । अतः उत्पादन में 8000 मीटरी टन वृद्धि हुई थी ।

(ख) और (ग) : किसी मौसम के दौरान चीनी का उत्पादन गन्ने की पैदावार और गुड़ तथा खंडसारी निर्माताओं के साथ प्रतियोगिता में चीनी फैक्ट्रियों को गन्ने की उपलब्धता पर निर्भर करता है । चीनी फैक्ट्रियों द्वारा गन्ने का आकर्षक मूल्य देने और सरकार द्वारा किए गए अन्य उपायों के परिणामस्वरूप 1981-82 मौसम में चीनी का उत्पादन 84·34 लाख मीटरी टन के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया है । यह उत्पादन आंतरिक खपत और निर्यात सम्बन्धी सम्पूर्ण आवश्यकता की अपेक्षा काफी अधिक है जिससे चीनी वर्ष 1981-82 के अन्त में लगभग 33 लाख मीटरी टन का बहुत बड़ा स्टाक शेष बच गया है । अतः चीनी का उत्पादन और बढ़ाने की बजाय

उसे उपयुक्त स्तर पर स्थिर करना वांछनीय समझा जाता है । स्टाक का यह उपयुक्त स्तर घरेलू खपत, निर्यात और मौसम के अन्त में उचित मात्रा में स्टाक बचाकर रखने की जरूरतों के अनुरूप होना चाहिए ।

अयोध्या शुगर मिल मजदूर सभा, राजा का सहसपुर, मुरादाबाद से प्राप्त अभ्यावेदन

*217. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें अयोध्या शुगर मिल मजदूर सभा, राजा का सहसपुर, मुरादाबाद से दिनांक 12 जुलाई, 1982 का कोई ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें अयोध्या शुगर मिल्स की यथा-स्थिति का उल्लेख किया गया है तथा स्थिति में सुधार लाने के विभिन्न उपाय सुझाए गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसमें कौन-कौन से मुख्य मुद्दे उठाए गए हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) अयोध्या शुगर मिल मजदूर सभा के तारीख 12 जुलाई, 1982 के अभ्यावेदन की एक प्रति, जोकि मिल के अभिरक्षक को सम्बोधित की गई है, प्राप्त हुई है । इस अभ्यावेदन में कुछ शिकायतें और मांगें हैं ।

(ख) और (ग) इस अभ्यावेदन की मुख्य-मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(1) मिल की मशीनरी की उपेक्षा की जाती है ;

(2) मिल में होने वाली दुर्घटनाओं और चोरियों की जांच की जानी चाहिए ;

(3) मृत और सेवा-निवृत्त कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी दी जानी चाहिए और खाली जगहें नियमित रूप से भरी जानी चाहिए ;

(4) भविष्य निधि की बकाया राशि भविष्य निधि कार्यालय में जमा की जानी चाहिए ;

(5) किए गए करारों को कार्यान्वित किया जाना चाहिए ।

मिल के अभिरक्षक ने सूचित किया है कि मांगों, साथ में कुछ बाद की मांगों पर 6 सितम्बर, 1982 को मजदूर यूनियन और प्रबन्ध के बीच सौहार्दपूर्ण ढंग से चर्चा हुई थी और उनका निपटारा किया गया था ।

पशु पालन अनुसंधान के लिए अप्रयुक्त उपकर निधि

*218. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1978-79 से 1980-81 के दौरान कृषि उत्पाद उपकर निधि के अन्तर्गत बहुत-सी पशुपालन अनुसंधान योजनायें मन्जूर की गई थीं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि पशुपालन अनुसंधान के लिए स्वीकृत धन राशि अप्रयुक्त रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकार ने अनुसंधान योजनाओं में सुधार के लिए क्या कार्यवाही की है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) वर्ष 1978-79 से 1980-81 के दौरान कृषि उत्पाद निधि के अन्तर्गत कोई नई पशु प्रजनन अनुसंधान योजना स्वीकृत नहीं की गई है । फिर भी, परिषद् ने पशु प्रजनन के क्षेत्र में चलाई जा रही 8 योजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की है जिन्हें 1978-79 से पहले स्वीकृत किया जा चुका था ।

(ख) और (ग) यह कहना सही नहीं है कि पशु प्रजनन अनुसंधान के लिए स्वीकृत निधि का उपयोग नहीं किया गया क्योंकि पशु प्रजनन अनुसंधान जैसे विषयों के लिए परिषद् के बजट में उपकर निधि का अलग से आबंटन नहीं किया जाता है ।

(घ) उपर्युक्त भाग (ख) और (ग) के उत्तर को दृष्टि में रखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता । फिर भी, अगस्त, 1981 से पशु प्रजनन के क्षेत्र में कुल 19 अनुसंधान योजनाओं को पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है । अनुसंधान योजनाओं के प्रबोधन कार्य को भी बढ़ाया गया है ।

विभिन्न फसलों के लिए सिंचाई प्रभार

*219. **श्री के० मालन्ना** : क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न फसलों के लिए सिंचाई प्रभार पूरे देश में एक समान हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें ये प्रभार तुलनात्मक दृष्टि से बहुत कम और/अथवा बहुत अधिक हैं ;

(ग) उसके कारण क्या हैं ;

(घ) क्या सिंचाई प्रभार बहुत अधिक हैं और समय पर प्रभार न चुकाने वालों से आम दरों से तिगुने प्रभार वसूल किए जाते हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबन्ध में किसानों की कठिनाइयों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पांडे) (क) जी, नहीं ।

(ख) से (ङ) राज्य सरकारों द्वारा सिंचाई के लिए इस समय वसूल की जा रही जल दरों से प्रचालन तथा अनुरक्षण की लागत भी पूर्ण रूप से पूरी नहीं होती है । अतः कृषकों से इस समय वसूल की जा रही जल दरें ऊंची नहीं कही जा सकतीं । फसलों के लिए जल की दरें अलग-अलग

राज्यों में भिन्न-भिन्न हैं। धान के लिए दरें जम्मू तथा काश्मीर, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश में सबसे कम हैं, जबकि गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश तथा असम में ये अपेक्षाकृत बहुत अधिक हैं। अपने विभिन्न भागों में विद्यमान स्थिति को दृष्टि में रखकर, राज्य जल की दरों के बारे में निर्णय करते हैं। विभिन्न राज्य भुगतान न करने वालों से साधारण जल दरों के 1·5 गुना से लेकर 3 गुना तक दण्ड वसूल करते हैं।

प्याज के मूल्यों में वृद्धि

220. **श्री कमल नाथ** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्याज के मूल्य तेजी से बढ़ने शुरू हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) गत कुछ महीनों के दौरान महत्त्वपूर्ण सीमांत मण्डियों में प्याज के थोक मूल्य निम्नलिखित थे—

(मूल्य रुपये प्रति क्विंटल)

माह	दिल्ली	बम्बई	कलकत्ता	मद्रास
अप्रैल, 1982	90	40	80	160
मई, 1982	60	40	85	230
जून, 1982	90	93	175	330
जुलाई, 1982	140	103	140	260
अगस्त, 1982	140	125	150	180
सितम्बर, 1982	155	110	170	180

(17-9-82)

जुलाई से अक्टूबर की अवधि के दौरान, जो कि प्याज का मौसम नहीं होता है, प्याज के मूल्यों में मौसमी उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति पायी जाती है।

(ख) सरकार मूल्य स्तर पर निगरानी रख रही है। अन्य बातों के साथ-साथ महत्त्वपूर्ण कृषि जिन्सों की मूल्य स्थिति पर निगरानी रखने तथा इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करने/कदम उठाने के बारे में विचार करने के लिए एक निगरानी दल गठित किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि० (नेफेड) भी खरीद, वितरण तथा बफर स्टाक को बनाये रखने के माध्यम से प्याज के मूल्यों में स्थिरता लाने में भूमिका निभाता है।

दिल्ली में इस सम्बंध में व्यवस्था की गई है जिसके अन्तर्गत आपूर्ति तथा वितरण को बनाए रखने के लिए उपलब्ध सहकारी विपणन और उपभोक्ता सहकारी संरचना का भी उपयोग किया जायेगा। खुदरा केन्द्रों को पुनः तेज करने/वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

महाराष्ट्र में संतरा अनुसन्धान केन्द्र की स्थापना

*221. श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी :
श्री बाला साहिब विखे पाटिल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में सन्तरा अनुसन्धान केन्द्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस केन्द्र की स्थापना के लिए किस स्थान का चयन किया गया है; और

(ग) इस मामले में भारत सरकार द्वारा क्या सहायता दी जाएगी ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) महाराष्ट्र में निम्बू वर्गीय फलों के परीक्षण केन्द्र की स्थापना का एक प्रस्ताव भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के विचाराधीन है ।

(ख) अभी तक स्थान का चयन नहीं किया गया है ।

(ग) वित्तीय सहायता के प्रतिमान और प्रमात्रा का अभी निर्णय करना है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के सीमेंट की चोरी और कालाबाजारी

*222. श्री डूमरलाल बैठा : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ ऐसे व्यक्तियों को गिरपतार किया गया है जिनका दिल्ली विकास प्राधिकरण के सीमेंट की चोरी और कालाबाजारी में हाथ था; यदि हां, तो उन व्यक्तियों के ब्यौरे क्या हैं और क्या उसमें से कोई व्यक्ति दिल्ली विकास प्राधिकरण का कर्मचारी है ;

(ख) कितना सीमेंट बरामद किया गया है ;

(ग) क्या इस बात का पता लगाने के लिए आगे जांच की गई है कि यह घोटाला कब से चल रहा था और इस प्रकार कुल कितना सीमेंट बेचा जा चुका है और क्या यह काम दिल्ली विकास प्राधिकरण के सीमेंट प्राप्त करने वाले, भण्डारण तथा उपयोग करने वाले अधिकारियों की सांठ-गांठ से किया गया ; और

(च) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सीमेंट की प्राप्ति भण्डारण तथा डिलीवरी की प्रक्रिया क्या है और उसकी कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जाने हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) तथा (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि इस सम्बन्ध में दिल्ली विकास प्राधिकरण के चार कनिष्ठ इंजीनियरों को गिरफ्तार किया गया था और सीमेंट के 2166 बोरे बरामद कर लिए गए थे । फिर भी, इस सूचना का सत्यापन पुलिस विभाग से किया जा रहा है ।

(ग) जैसा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है, इन मामलों की पुलिस विभाग

द्वारा जांच की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया है कि कुछ मामलों में दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों की सांठ-गांठ सम्भाव्यता से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि ठेकेदार या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को इंडेन्ट किया गया सीमेंट जारी करने के पश्चात, सीमेंट ट्रक को स्टोर से कार्यस्थल तक पहुंचाने के लिए सम्बन्धित जूनियर इंजीनियर/मेट का साथ जाना अपेक्षित है। कार्य-स्थल पर सीमेंट को सीमेंट गोदाम में दोहरे तालों में रखा जाता है जिसमें एक ताला विभाग का और दूसरा ताला ठेकेदार का होता है। भण्डार में शेष सीमेंट की सहायक इंजीनियर और कार्यपालक इंजीनियर द्वारा क्रमबद्ध ढंग से जांच की जाती है। सतर्कता विभाग द्वारा भी सावधिक जांच-पड़ताल की जाती है।

एशियाई खेलों के लिये संवाददाताओं को प्रत्यायन प्रदान करना

*223. **श्रीमती किशोरी सिन्हा :**

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :

क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई खेलों के समाचार देने के प्रयोजन से पहले से ही प्रत्ययित कुछेक संवाददाताओं को विशेष प्रत्यायन प्रदान किया गया है तथा उनमें से अधिकांश संवाददाताओं को इन्कार कर दिया गया है ;

(ख) क्या एशियाई खेलों के समाचार देने के लिए गैर-प्रत्यायित संवाददाताओं को भी प्रत्यायन प्रदान किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) समिति द्वारा पहले से प्रत्यायित संवाददाताओं को प्रत्यायन प्रदान न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या उन (भारतीय) संवाददाताओं से सम्बन्धित विवरण को सभा पटल पर रखा जाएगा जिन्हें एशियाई खेलों के समाचार देने के लिए प्रत्यायन प्रदान किया गया है ?

पूर्ति मंत्रालय के तथा खेल विभाग के राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) एशियाड, 1982 के लिए इण्डियन मीडिया का प्रत्यायन भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा किया जा रहा है। एशियाई खेल एक अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता है और इस खेल के लिए प्रेस के विशिष्ट प्रत्यायन का, भारत सरकार अथवा राज्य सरकारों द्वारा प्रदान किए गए सामान्य प्रत्यायन से कोई सम्बन्ध नहीं है। एशियाड, 82 के लिए प्रत्यायन हेतु अनुपालन किया गया मान-दण्ड यह है कि सम्बन्धित प्रेस अलग से अथवा बड़े पैमाने पर खेलों के लिए होना चाहिए,...जैसा कि नियमित खेल पेज अथवा कवरेज द्वारा सुस्पष्ट है। व्यापक प्रसार वाले कुछ समाचार पत्रों और नियमित रूप से खेल के बारे में प्रकाशन करने वालों को भी प्रत्यायन किया गया है।

(ङ) भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा एशियाड 82 के लिए अब तक स्वीकृत किए गए प्रत्यायन से सम्बन्धित भारतीय समाचार पत्र संगठनों को दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं०-एल० टी० 5519/82]

रूस को चावल का निर्यात

*224. श्री के० टी० कोसलराम : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस को चावल के निर्यात का करार पूरा करने के लिए भारतीय खाद्य निगम आवश्यक मात्रा में चावल खरीदने में असमर्थ हैं क्योंकि आन्ध्र प्रदेश के किसान चावल के वर्तमान मूल्य पर चावल बेचना नहीं चाहते ; और

(ख) यदि हां, तो रूस को चावल निर्यात करने का करार पूरा करने के लिए चावल खरीदने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) जी नहीं। सोवियत रूस को 1982-83 के दौरान निर्यात के लिए गैर-बासमती चावल की वचनबद्ध लगभग 3.46 लाख मीटरी टन मात्रा के प्रति, भारतीय खाद्य निगम ने 2.96 लाख मीटरी टन मात्रा को जहाजों से पहले ही भेज दिया है। चावल की लगभग 50,000 मीटरी टन की शेष मात्रा भी परिदान की ठेकाबद्ध अवधि के अन्दर सप्लाई कर दी जाएगी, यह मात्रा अंशतः मौजूदा स्टाक और अंशतः नई धान की फसल से होगी।

दिल्ली का योजनाबद्ध विकास

*225. श्री भीकूराम जैन : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 2001 में भारत की राजधानी की जनसंख्या क्या होगी ; यदि इस बारे में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कोई अनुमान लगाया गया है; तो क्या है ;

(ख) क्या प्रति वर्ष इसकी जनसंख्या में हो रही असाधारण वृद्धि को ध्यान में रखते हुए महानगर का विकास नियमित और योजनाबद्ध बनाने के लिए कोई विशेष कदम उठाने का विचार है ;

(ग) क्या दिल्ली में भूमि विकास के प्रश्न तथा अन्य सम्बद्ध पहलुओं पर विचार करने के लिए कोई उच्चस्तरीय समिति गठित करने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जनगणना महापंजीकार द्वारा किए गए प्रक्षेपणों के अनुसार, सन् 2001 में शहरी दिल्ली की जनसंख्या 122 लाख से 146 लाख के बीच होने की आशा है। पानी, बिजली और परिवहन की कमियों से उत्पन्न गंभीर प्रतिबन्धों के कारण दिल्ली विकास प्राधिकरण 122 लाख की जनसंख्या के लिए 1981-2001 की दिल्ली की भावी विकास योजना तैयार कर रहा है।

(ख) जी, हां। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एकीकृत विकास करके ताकि नगरीकरण की समद्धि एवं भार को क्षेत्र में विभाजित किया जा सके तथा सन्तुलित विकास किया जा सके।

(ग) तथा (घ) : उपराज्यपाल ने दिल्ली प्रशासन के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 2-4-1982 को एक समिति गठित की है जो वाणिज्यिक तथा रिहायशी प्रयोजनों और अन्य सम्बन्धित पहलुओं के लिए भूमि के अर्जन, उसके विकास एवं विक्रय के बारे में नीतियों और प्रक्रिया के प्रश्नों की समीक्षा करेगी।

निजी पार्टियों द्वारा भारतीय खाद्य निगम के गोदामों का खाली किया जाना

*226. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :**
श्री डी० एन० पुत्ते गोडा :

क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम के पास देश में (राज्य-वार) कितने गोदाम हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम ने देश में अपने बहुत से गोदाम निजी पार्टियों को दे रखे हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या भारतीय खाद्य निगम ने हाल ही में अपने गोदाम निजी पार्टियों से खाली कराने का निर्णय किया है ;

(ङ) यदि हां, तो यदि भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपने निर्णय पर पुनर्विचार न किया गया, तो क्या 6 करोड़ रु० का निवेश घाटे में बदल जाएगा ; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (च) प्रश्न ही नहीं उठते।

विवरण

देश में (राज्यवार) भारतीय खाद्य निगम के पास गोदाम की संख्या
(अपने और किराये के)

क्रम संख्या	राज्य का नाम		जोड़
1	2		3
1.	असम	...	66
2.	आन्ध्र प्रदेश	...	137

1	2		3
3.	बिहार	...	76
4.	दिल्ली	...	5
5.	गुजरात	...	25
6.	हिमाचल प्रदेश	...	13
7.	हरियाणा	...	129
8.	जम्मू और काशमीर	...	8
9.	केरल	...	40
10.	कर्नाटक	...	43
11.	मध्य प्रदेश	...	246
12.	महाराष्ट्र	...	27
13.	उड़ीसा	...	33
14.	पंजाब	...	385
15.	राजस्थान	...	90
16.	तमिलनाडु	...	80
17.	उत्तर प्रदेश	...	212
18.	पश्चिमी बंगाल	...	243
19.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र	...	21
			जोड़, 1,879

फालतू कृषि भूमि का वितरण

*227. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के पास कृषि भूमि का कुल क्षेत्र कितना है और भूमिहीन लोगों में वितरण के लिए उपलब्ध फालतू कृषि भूमि का क्षेत्र कितना है ;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान भूमिहीन व्यक्तियों में वितरित की गई कृषि भूमि का राज्य-वार क्षेत्र कितना है और फालतू भूमि का कितना क्षेत्र अब भी वितरण के लिए उपलब्ध है ;

(ग) क्या अल्पवयस्क बच्चों के संयुक्त परिवारों के एक से अधिक सदस्यों को और भूमि रखने वाले व्यक्तियों को भूमि आवंटित करने की कोई व्यवस्था की गई है ; और यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या इस प्रकार अब तक वितरित की गई भूमि के विकास के लिए तत्काल सहायता प्रदान करने की कोई योजना सरकार के पास है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) संशोधित अधिकतम भूमि सीमा कानूनों के अन्तर्गत लगभग 27.50 लाख एकड़ क्षेत्र कब्जे में लिया गया है जिसमें से अभी तक 19.22 लाख एकड़ भूमि को भूमिहीन व्यक्तियों में वितरित किया गया है; इस प्रकार लगभग 8.28 लाख एकड़ भूमि शेष बची हुई है भूमिहीन व्यक्तियों को वितरित करने के लिए उपलब्ध है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) इस विषय में राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, फालतू भूमि को वितरित करते समय प्राथमिकता भूमिहीन कृषि श्रमिकों विशेषकर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के भूमिहीन श्रमिकों के लिए दी जानी चाहिए। अल्पवयस्क बच्चों को भूमि आवंटित करने का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि कुछेक राज्यों में फालतू भूमि को ऐसे व्यक्ति को आवंटित करने का प्रावधान है जिसके पास अलाभकर भूमि है। फालतू भूमि को विभिन्न राज्यों द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार पात्र व्यक्तियों की श्रेणियों को वितरित किया जाता है।

(घ) जी हां। अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के आवंटियों को उत्पादी काश्तकारी शुरू करने हेतु सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों को अभी तक 16.42 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता वंटित की गई है।

विवरण

गत दो वर्षों के दौरान संशोधित अधिकतम भूमि की सीमा सम्बन्धी कानूनों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति

(क्षेत्र एकड़ में)

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	फालतू घोषित क्षेत्र	कब्जे में लिया गया क्षेत्र	वितरित क्षेत्र	लाभ भोगियों की संख्या
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	—	65,304	58,127	40,796
असम	10,570	6,459	9,816	3,446
बिहार	—	16,643	10,867	18,503
गुजरात	102,245	62,714	8,623	2,096
हरियाणा	8,115	5,662	10,549	2,749
हिमाचल प्रदेश	236	1,585	—	—
जम्मू तथा काश्मीर	—	—	—	—

1	2	3	4	5
कर्नाटक	1,50,408	85,317	45,988	11,885
केरल	6,606	7,578	5,013	10,531
मध्य प्रदेश	2,729	3,435	6,565	2,814
महाराष्ट्र	5,281	2,271	2,271	540
मणिपुर	677	36	—	—
उड़ीसा	7,951	7,552	5,965	5,414
पंजाब	—	3,256	1,719	346
राजस्थान	15,806	15,068	9,596	2,583
तमिलनाडु	14,493	14,753	16,756	16,863
त्रिपुरा	—	164	321	345
उत्तर प्रदेश	5,471	9,716	13,947	11,462
पश्चिम बंगाल	29,170	21,100	21,184	78,976
दादरा तथा नागर हवेली	—	100	193	74
दिल्ली	—	169	374*	—
पाण्डिचेरी	364	105	103	98
योग	3,60,122	3,28,987	2,27,950	2,09,521

किसानों की आर्थिक स्थिति

228. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :**
श्री एन० के० शैजवलकर :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यदि किसानों द्वारा खेती कार्य पर किए गए श्रम और अन्य खर्चों को शामिल किया जाए तो कृषि कार्य एक अलाभकारी व्यवसाय सिद्ध होता है ;

(ख) यदि हां, तो किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) गरीबी की रेखा से नीचे के किसानों की प्रतिशतता क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्यमंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) कृषि मूल्य आयोग जिन्सों के न्यूनतम समर्थन / अधिप्राप्ति मूल्यों की सिफारिश करते समय अन्य

* संस्थाओं/सोसाइटियों को वितरित क्षेत्र

बातों के साथ-साथ कृषि फसलों के उत्पादन की लागत के बारे में भी विचार करता है। किसानों को लाभ-प्रद मूल्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए समर्थन। अधिप्राप्ति मूल्यों को इस ढंग से निर्धारित किया जाता है ताकि उत्पादन-लागत पर समुचित मार्जिन सुलभ हो सके। प्रमुख फसलों की उत्पादन-लागत का अनुमान लगाने सम्बन्धी विस्तृत योजना के अन्तर्गत फसलों की उत्पादन लागत में सभी प्रकार के नकद तथा अन्य रूप से होने वाले खर्चों, जिसमें आदानों, जैसे भाड़े के मजदूर तथा पारिवारिक श्रम का आंकलित मूल्य, निजी पूंजी निवेश पर ब्याज और निजी भूमि के किराये का आंकलित मूल्य भी शामिल है, को हिसाब में लिया जाता है।

सरकार किसानों की आर्थिक दशा में सुधार लाने के लिए फार्म उत्पादन और उत्पादकता दोनों में वृद्धि करने और आदान संसाधनों के इष्टतम आवंटन के माध्यम से उत्पादन-लागत को कम करने के लिए सतत कदम उठा रही है। उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं—सिंचित क्षेत्र का विस्तार करना, रासायनिक उर्वरकों का अपेक्षाकृत ज्यादा इस्तेमाल करना, अधिक पैदावार देने वाली किस्मों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र का विस्तार करना, वनस्पति रक्षण के उपाय करना, पैकेज प्रणालियों को अपनाना, मिनीकिटों की सप्लाई करना, सामुदायिक नर्सरियां लगाना, दलहनों में रिजोवियम-कल्चर का इस्तेमाल करना, बारानी खेती के लिए प्रौद्योगिकी और आदानों का विकास और प्रसार करना और ठीक समय पर पर्याप्त बिजली और डीजल की सप्लाई करना। किसानों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए विपणन और मूल्य सम्बन्धी समर्थन सुलभ कराया जाता है।

(ग) निर्धनता की रेखा से नीचे रहने वाले किसानों के सम्बन्ध में कोई पृथक रूप से सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

भारतीय खाद्य निगम में दुकानें तथा प्रतिष्ठान अधिनियम को कार्यान्वित न किया जाना

2203. **श्री भीखा भाई :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपने कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते की अदायगी के प्रयोजन के लिए दुकानें तथा प्रतिष्ठान अधिनियम का पालन नहीं किया जा रहा है और भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी संघ/कांग्रेस द्वारा पिछले पांच वर्षों से इस अधिनियम के कार्यान्वयन की मांग की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो विधि को कार्यान्वित न करने के कारण क्या हैं और इस सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति क्या है ;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम के प्रबन्धकों द्वारा 18 जून, 1982 को घोषित की गई नई स्थानान्तरण नीति को कार्यान्वित किये जाने पर 7 करोड़ का व्यय होगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस स्थानान्तरण नीति से (एक) जिलों के भीतर, (दो) प्रदेशों के भीतर, (तीन) जोन के भीतर कितने कर्मचारी प्रभावित होंगे और इस पर कितने वार्षिक व्यय का अनुमान है और अन्य सम्बद्ध विस्तृत जानकारी क्या हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी): (क) और (ख) इस समय भारतीय खाद्य निगम के नियमित कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू शर्तों के अनुसार समयोपरि भत्ते की अदायगी की जाती है लेकिन महाराष्ट्र क्षेत्र में बम्बई दुकान तथा स्थापना अधिनियम, 19 ।8 के उपबन्धों के अनुसार समयोपरि भत्ता दिया जा रहा है। निगम की कुछेक स्टाफ यूनियनें सम्बन्धित राज्यों के दुकान और स्थापन अधिनियम के उपबन्धों के अधीन समयोपरि भत्ते की अदायगी की मांग करती रही हैं और निगम का प्रबन्ध इस मामले की जांच कर रहा है।

(ग) और (घ) नई स्थानान्तरण नीति प्रशासनिक मार्गदर्शी सिद्धान्तों के स्वरूप की है जिसमें एक साथ किसी एक समय में भारी संख्या में कर्मचारियों के स्थानान्तरण की व्यवस्था नहीं है। अतः इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के परिणामस्वरूप कोई बहुत बड़ा खर्चा होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

इन्टरनेशनल मदर स्कूल, अरविन्द आश्रम हौजखास दिल्ली को भूमि का आबंटन

2204. **श्री निहाल सिंह**: क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्टरनेशनल मदर स्कूल, अरविन्द आश्रम, हौज खास, दिल्ली को कितने एकड़ भूमि आबंटित की गई है तथा किस दर पर की गई है और किस तारीख को की गई है ; और

(ख) क्या यह सच है कि इस आश्रम के प्रबन्धक-मण्डल ने आबंटित भूमि से अधिक भूमि पर कब्जा कर लिया है तथा स्कूल के लिए उस भूमि का उपयोग करने की बजाय वे वहां मकान आदि बनाकर और उन्हें किराए पर देकर उसका प्रयोग अपने लिए कर रहे हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जवाहरलाल स्टेडियम में विदेशी तकनीशियन

2205. **श्री ईरा अनबारासु** : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जवाहरलाल स्टेडियम में काम के लिए ठेके के आधार पर लगे विदेशी तकनीशियन बिना सूचना दिए काम को बीच में ही छोड़कर देश छोड़कर चले गए ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन कामों को पूरा करने के लिए वैकल्पिक उपाय किए गए हैं ; और

(ग) इन विदेशी तकनीशनों के विरुद्ध ठेके की देयताओं का उल्लंघन करने के लिए क्य कार्यवाही की गई है ?

पूर्ति मंत्रालय के तथा खेल विभाग के राज्य मंत्री (श्री बूटासिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

चोड़ीवाड़ी से अगरतला तक खाद्यान्न ले जाते समय उनकी मात्रा कम हो जाना

2206. **श्री अजय विश्वास** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चोड़ी बाड़ी से अगरतला तथा अगरतला में गोदामों में खाद्यान्न ले जाते समय अनाज की कितनी मात्रा कम हुई है ; और

(ख) खाद्यान्न की मात्रा कम हो जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) अगरतला जिले में भारतीय खाद्य निगम के डिपों में चोडीबाड़ी और धर्मनगर रेल छोरों से खाद्यान्न सड़क मार्ग से पहुंचाया जाता है । पिछले तीन वर्षों के दौरान, उक्त रेल छोरों से भारतीय खाद्य निगम के डिपों को खाद्यान्नों के पहुंचाने में मार्गस्थ कमी और अगरतला जिले में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में भण्डारण कमी का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :

(आंकड़े मीटरी टन में)

वर्ष	मार्गस्थ कमी	भण्डारण कमी
1979-80	90	549
1980-81	67	94
1981-82	49	409

(ख) अगरतला जिले में रेल छोरों से गोदामों में ट्रकों द्वारा खाद्यान्न पहुंचाने में हुई कमी और गोदामों में हुई भण्डारण कमी के कारण इस प्रकार हैं : हैंडलिंग और परिवहन के दौरान अनाज का बिखर जाना, बोरियों का फट जाना, तौल के विभिन्न तरीके, भण्डारण के दौरान अनाज का सूख जाना और गोदामों में हैण्डलिंग के दौरान अनाज का बिखर जाना और उसकी बर्बादी ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का ट्रांस्फर आफ टेक्नोलोजी प्रोग्राम

2207. **श्री नवीन रवाणी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के प्रौद्योगिकी का अन्तरण कार्यक्रम के अन्तर्गत जुलाई, 1982 तक लाभान्वित हुए किसानों की संख्या कितनी है ; और

(ख) किसानों के लाभ के लिए इस योजना को और अधिक सफल बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रयोगशाला से खेत तक के प्रौद्योगिकी कार्यक्रम से जुलाई, 82 तक कृषि श्रमिकों सहित 49,344 छोटे और सीमान्त कृषकों को लाभ पहुंचा है ।

(ख) प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम के प्रथम चरण से प्राप्त अनुभवों को इस कार्यक्रम के दूसरे चरण में सुधार लाने में पूर्णरूप से उपयोग में लाया जा रहा है । भारतीय कृषि अनुसंधान

परिषद ने प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम के प्रथम चरण का गहराई से अध्ययन करने और इसके सफल कार्यान्वयन के लिए उसमें और अधिक सुधार लाने के उपाय का सुझाव देने के लिए एक मूल्यांकन दल का गठन किया है। प्रथम चरण में 86 प्रौद्योगिकी के अन्तरण केन्द्रों के बदले में कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए अब 141 प्रौद्योगिकी के अन्तरण केन्द्र कार्य कर रहे हैं। प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम पर मई, 1982 में एक राष्ट्रीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन सभी क्षेत्रीय समन्वयकों; विस्तार निदेशकों और संस्थान/विश्वविद्यालय स्तर के समन्वयकों के दिशा निश्चित करने के लिये किया गया था जिससे कि इस कार्यक्रम में और अधिक तेजी लायी जाए और इसका कारगर ढंग से कार्यान्वयन और निगरानी किया जा सके। विभिन्न क्षेत्रों में स्थित 8 क्षेत्रीय समन्वयक एककों के सहयोग से मुख्यालय से इस कार्यक्रम की प्रगति का जायजा लिया जा रहा है। क्षेत्रीय समन्वयक तीन महीने में क्षेत्रीय सलाहकार समिति की बैठक बुलाते हैं। जिसमें सभी सम्बद्ध अभिकरण शामिल होते हैं जो प्रगति का मूल्यांकन करते हैं और जहां-कहीं जरूरी हुआ उसमें सुधार लाते हैं।

राज्यों को अंग्रेजी में भेजे गये मूल पत्रों की संख्या

2208. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1982 की प्रथम छमाही के दौरान उसके मंत्रालय ने "क" और "ख" क्षेत्र के प्रत्येक राज्य को कितने मूल पत्र भेजे और अंग्रेजी तथा हिन्दी में भेजे गये पत्रों के आंकड़े क्या हैं ;

(ख) क्या राजभाषा अधिनियम, 1963 में इन राज्यों को सभी मूल पत्र हिन्दी में भेजने का प्रावधान है और ऐसा न करना इस अधिनियम के उपबन्धों का खुला उल्लंघन है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इन राज्यों को पत्र मूल अंग्रेजी में जारी किये गये हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं कि भविष्य में इन राज्यों को मूल पत्र हिन्दी में जारी किये जायें ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) राजभाषा अधिनियम, 1963 के अधीन बनाए गए राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम 1976 के नियम 3 में यह निर्धारित किया गया है कि केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से क्षेत्र "क" व "ख" में स्थित राज्यों को सभी पत्र असाधारण दशाओं को छोड़कर, सामान्यतः हिन्दी में भेजे जायेंगे।

(ग) जी, हां। ग्रामीण विकास मंत्रालय को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देने की योजना (ट्राइसेम), भूमि सुधार, कृषि विपणन आदि जैसे कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है जो कि तकनीकी स्वरूप के हैं। ये कार्यक्रम/योजनाएं सम्पूर्ण देश में कार्यान्वित की जा रही

हैं। सभी राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को बहुधा सामान्य परिपत्र/मार्गदर्शी सिद्धांत भेजने होते हैं। चूंकि परिपत्रों/मार्गदर्शी सिद्धांतों में दिए गए अनुदेश सभी राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के लिए एक जैसे होते हैं और ये पत्र लम्बे तथा तात्कालिक स्वरूप के होते हैं अतः उन्हें अनुवाद आदि में होने वाले विलम्ब से बचने के लिए प्रायः अंग्रेजी में ही भेजना पड़ता है।

(घ) सभी संबंधित अधिकारियों/अनुभागों को ये अनुदेश जारी किए गए हैं कि "क" तथा "ख" क्षेत्र के राज्यों को हिन्दी में मूल पत्र भेजने के लिए सभी सम्भव प्रयास किये जाने चाहिए। सभी अनुभागों से प्रगति रिपोर्टें एकत्र की जाती हैं और समय-समय पर उनका संकलन तथा विश्लेषण किया जाता है। इस विषय में हुई प्रगति के बारे में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में भी विभिन्न प्रभागों के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया जाता है। मंत्रालय के सभी अधिकारियों तथा अनुभागों को हिन्दी में काम करने के लिए तकनीकी शब्दावली तथा संदर्भ साहित्य वितरित किया गया है। हिन्दी जानने वाले अधिकारियों को हिन्दी आशुलिपि संबंधी सहायता भी उपलब्ध की गई है। टिप्पण तथा आलेखन में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए। फरवरी, 1980 से एक नकद पुरस्कार योजना भी चलाई जा रही है। हिन्दी जानने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों को हिन्दी में टिप्पण तथा आलेखन का प्रशिक्षण देने तथा हिन्दी में काम करने में उनकी झिझक को दूर करने के उद्देश्य से मंत्रालय में समय-समय पर हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन भी किया जाता है।

विवरण

मंत्रालय द्वारा "क" व "ख" क्षेत्र के प्रत्येक राज्य को भेजे गये मूल पत्रों (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(1-1-82 से 30-6-82 तक)

राज्य का नाम	भेजे गए मूल पत्रों की संख्या	हिन्दी में भेजे गए मूल पत्रों की संख्या	अंग्रेजी में भेजे गए मूल पत्रों की संख्या
1	2	3	4
"क" क्षेत्र			
1. बिहार	546	60	486
2. हरियाणा	684	73	611
3. राजस्थान	533	55	478
4. मध्य प्रदेश	675	44	631
5. उत्तर प्रदेश	1246	162	1084
6. हिमाचल प्रदेश	545	16	529

1	2	8	4
7. दिल्ली	1040	189	851
"ख" क्षेत्र			
1. महाराष्ट्र	656	17	639
2. गुजरात	339	7	332
3. पंजाब	318	5	313
4. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	98	...	98
5. चण्डीगढ़	234	2	232
	6914	630	6284

पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मुहय्या करने सम्बन्धी उपलब्धियां

2209. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या चालू योजना के दौरान निम्नलिखित केन्द्रीय कार्यक्रमों के अन्तर्गत पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार मुहय्या करने सम्बन्धी उपलब्धियों का तथा लक्षित वर्ग के चुने हुए परिवारों को अपनी आय गरीबी की रेखा से पर्याप्त स्तर तक ले जाने के लिए सहायता का कोई मूल्यांकन किया गया है और यदि हां तो उसके क्या निष्कर्ष रहे ;

(एक) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ;

(दो) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ; और

(तीन) स्वनियोजन के लिए ग्रामीण युवकों के प्रशिक्षण सम्बन्धी राष्ट्रीय योजना (टी० आर० वाई० एस० ई० एम०) ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण युवकों के स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देने की राष्ट्रीय योजना (ट्राइसेम) के अन्तर्गत पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार सुलभ करने हेतु उपलब्धियों का अभी तक कोई मूल्यांकन अध्ययन नहीं किया गया है। योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने हाल ही में पंजाब तथा अन्य राज्यों में भी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के मूल्यांकन हेतु कार्यवाही शुरू की है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पंजाब सहित सभी राज्य सरकारों से मूल्यांकन अध्ययन करने के लिए अनुरोध किया गया है।

विश्व बैंक की समिति और भावनगर नगर निगम के बीच चर्चा

2210. **श्री उत्तमभाई एच० पटेल** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक की सात सदस्यीय एक समिति ने भावनगर (गुजरात) का दौरा किया था और भावनगर नगर निगम तथा अन्य निकायों से भवनों, मकान, स्थानों, सड़कों, कुओं आदि जैसी विकास परियोजनाओं पर चर्चा की थी ;

(ख) यदि हां, तो चर्चाओं का ब्यौरा क्या है तथा उनमें भाग लेने वाले व्यक्तियों/निकायों के नाम क्या हैं ;

(ग) चर्चाओं का परिणाम क्या है और विश्व बैंक ने क्या आश्वासन दिए ;

(घ) आश्वासनों को कार्यान्वित करने के लिए विश्व बैंक ने क्या कार्यवाही की है ;

(ङ) तत्सम्बन्धी योजनाएं, परियोजनाएं तथा व्यय अनुमान क्या हैं ; और

(च) उन परियोजनाओं के कब शुरू होने और पूरा होने की संभावना है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

कसारा जल पूर्ति योजना

2211. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने कसारा (ठाणे जिला) जलपूर्ति योजना अनुमोदन के लिए उनके मंत्रालय को भेजी है ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं और वह योजना उनके मंत्रालय को कब प्राप्त हुई थी ;

(ग) क्या इस बीच इस बारे में कोई निर्णय ले लिया गया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सबन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके विशेष कारण क्या हैं और उस योजना पर कब विचार किये जाने की संभावना है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) इस योजना में एक स्थानीय नाला, मौजूदा रेलवे बांध (डैम) के अनुप्रवाह पर एक एर्थन डैम बनाने के बारे में विचार किया गया है । यह प्रस्ताव है कि वर्षा ऋतु के समय इस बांध में पानी जमा किया जाए और उसे शोधन कार्यों के लिए निथारने वाले टैंक में पम्प से पानी डाला जाए । निथरे हुए पानी को रोगाणुओं से मुक्त करके और गांव मौखावने, केसरा रेलवे स्टेशन और गांव की अन्य वाडियों के वितरणार्थ 2,85,000 लीटर क्षमता के ग्राउण्ड सर्विस जलाशय में जमा करने का प्रस्ताव है । यह योजना 13,600 प्राणियों की प्रक्षेपित जनसंख्या के लिए बनाई गई है ।

यह योजना इस मंत्रालय में 20-6-1981 को प्राप्त हुई थी ।

(ग) से (ङ) त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के प्रारम्भ होने से लेकर उस समय तक जब प्रश्नगत योजना की स्वीकृति विचारार्थ आई थी, भारत सरकार ने पहले ही दो बार से अधिक योजनाओं का अनुमोदन किया था, त्वरित ग्रामीण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य को निधियां उपलब्ध किए जाने की सम्भावना है। अतः राज्य सरकार को सलाह दी गई थी कि वह सम्बन्धित योजनाओं को स्वयं अपने बजट में शामिल करने के बारे में विचार करे।

इस मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, योजना का प्रशासनिक अनुमोदन राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 7-10-82 को कर दिया गया है। निधियों की उपलब्धता एवं गांव पंचायतों से 2 प्रतिशत जनता का अंशदान प्राप्त होने के अनुसार योजना को निष्पादनार्थ आरम्भ किया जाएगा।

शहरी भूमि सीमा अधिनियम का संशोधन

2212. **श्री सनत कुमार मण्डल :**
श्री मूलचन्द डागा :

क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शहरी भूमि सीमा अधिनियम का संशोधन इस समय किस चरण में है और सदन में इसे पेश करने में कितना समय लगेगा ;

(ख) विद्यमान अधिनियम के अन्तर्गत राजधानी में अब तक अवरुद्ध/अधिग्रहीत की गई भूमि का क्षेत्र कितना है ;

(ग) क्या यह भूमि समाज के कमजोर वर्गों को आबंटित की जायेगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसका उपयोग किस तरह किया जायेगा ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 में संशोधन करने का प्रस्ताव अभी भी प्रक्रिया में है और ज्योंही अपेक्षित औपचारिकताएं पूर्ण हो जायेंगी तो संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम के अन्तर्गत किसी भूखण्ड का अभी तक अन्तिम कब्जा नहीं लिया है।

(ग) तथा (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

एशियाई खेल ग्राम में पानी की कमी की समस्या

2213. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई खेलों सम्बन्धी विभिन्न स्थलों पर अब भी आयोजन सम्बन्धी कुछ बड़ी-बड़ी समस्यायें विद्यमान हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि समाचार पत्रों के अनुसार एशियन खेल ग्राम में, जहां परीक्षण

खेलों में 2500 से अधिक खिलाड़ी और कर्मचारी भाग ले रहे हैं, पानी की कमी की गम्भीर समस्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि ऐसा बताया गया है कि अधिकांश समस्यायें विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की कमी के कारण दिखाई पड़ती है तथा इसके कारण कुछ खिलाड़ियों को नुकसान उठाना पड़ा है ;

(घ) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में सरकार ने दिनांक 15 सितम्बर, 1982 के "इण्डियन एक्सप्रैस" में प्रकाशित प्रेस रिपोर्ट को देखा है ; और

(ङ) यदि हां, तो उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाले तथा उन पर क्या कार्यवाही की है ?

पूर्ति मंत्रालय के तथा खेल विभाग के राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जब गांव को परीक्षण खेलों के लिए खोला गया तो उसमें पानी की नियमित सप्लाई थी ।

(ग) जी, नहीं । परीक्षण खेलों के दौरान गांव में सुचारू रूप से प्रबन्ध किये गये थे । किसी भी खिलाड़ी/ऐथलीट ने कोई असन्तोष अथवा दुख प्रकट नहीं किया था ।

(घ) और (ङ) जी, हां । परीक्षण खेलों के दौरान 4000 से भी अधिक आवासियों के लिए भोजन-कक्ष के केवल आधे भाग का उपयोग किया गया था अत: पंक्ति में खड़े होने को रोका नहीं जा सकता था । भारतीय पर्यटन विकास निगम से यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने के वास्ते कहा गया है कि एशियाई खेलों के दौरान प्रतीक्षा का समय पांच मिनट से अधिक न हो ।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में वैज्ञानिकों में गतिरोध

2214. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के कुछ वैज्ञानिक अपने वर्तमान पद पर पिछले 17 वर्षों से बिना पदोन्नति के कार्य कर रहे हैं और उन्हें पदोन्नति की पंचवर्षीय मूल्यांकन योजना का लाभ नहीं दिया गया है जब कि यह योजना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान सहित सभी वैज्ञानिक विभागों के सभी वैज्ञानिकों पर लागू होती है और उनका अधिक्रमण करते हुए इनके जूनियर वैज्ञानिकों को 1 जुलाई, 1976 से पदोन्नत कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन्हें सबके समान बनाने हेतु उनके हितों की सुरक्षा के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के कुछ वैज्ञानिक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में वैचारिक बाह्य सेवा पर हैं और वे अपने वर्तमान पद पर पिछले 17 वर्षों से कार्य कर रहे हैं । ऐसे वैज्ञानिकों की नियुक्ति भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में उस समय

की गई थी जब यह संस्थान कृषि विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में था। संस्थान का प्रशासनिक नियंत्रण भारत सरकार से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को हस्तांतरित करने के बाद जोकि सोसायटी अधिनियम के पंजीकरण के अन्तर्गत एक पंजीकृत सोसायटी है, उसके हस्तांतरण की तिथि से संस्थान में कार्य करने वाले सभी (बाह्य सेवा की शर्तों पर) कर्मचारियों को यह विकल्प (वरणाधिकार) दिया गया कि वे परिषद की सेवा स्वीकार कर लें। फिर भी, उपर्युक्त वैज्ञानिकों ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की सेवा स्वीकार नहीं की और सरकारी कर्मचारी बने रहना पसंद किया। कृषि अनुसंधान सेवा जो एक अक्तूबर, 1975 से शुरू की गई है वह केवल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कर्मचारियों पर लागू होती है और इसमें पात्र वैज्ञानिकों को योग्यता के आधार पर पदोन्नति/अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकृत करने का प्रावधान है। इन प्रावधानों के अनुसार भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली सहित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनेकों वैज्ञानिकों को 1-7-1976 से पदोन्नत किया गया है। चूंकि उपर्युक्त वैज्ञानिक सरकारी कर्मचारी बने रहे और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की सेवा स्वीकार नहीं की। वे कृषि अनुसंधान सेवा में नियुक्ति के पात्र नहीं हैं और इस तरह वे कृषि अनुसंधान सेवा में परिकल्पित योग्यता के आधार पर पदोन्नति/अग्रिम वेतनवृद्धि के लाभ के हकदार नहीं हैं। फिर भी यह कहा जा सकता है कि ऐसे वैज्ञानिक भी जिन्होंने कृषि अनुसंधान सेवा को स्वीकार नहीं किया है; यद्यपि कि वे कृषि अनुसंधान सेवा के अन्तर्गत अनुज्ञेय कुछ सेवा लाभों के पात्र नहीं है—वे खुली प्रतिस्पर्धा के द्वारा प्रत्यक्ष भर्ती के आधार पर भरे जाने वाले पदों की प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं और अपने चयन के फल-स्वरूप पदोन्नत किए जा सकते हैं। नम्य (लचीला) सम्पूरक/मूल्यांकन के आधार पर पदोन्नति की योजना भारत सरकार के अनेक वैज्ञानिक विभागों तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जिसमें आई० ए० आर० आई० नई दिल्ली भी शामिल है, में लागू है जैसा कि ऊपर बताया गया है। ऊपर उल्लिखित श्रेणियों के वैज्ञानिकों के मामले में यदि कोई असंगति हुई है तो इसका कारण वह संबंधित वैज्ञानिक ही है जो अपने आप सरकारी कर्मचारी के रूप में रहा और कृषि अनुसंधान सेवा की मुख्यधारा में सम्मिलित नहीं हो सका। चूंकि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की सेवा और कृषि अनुसंधान सेवा से अपने को अलग रखकर पंचवर्षीय मूल्यांकन के लाभ से वंचित रहने का उत्तरदायित्व संबंधित वैज्ञानिक का है, इसलिए सरकार ऐसी स्थिति में उनकी सहायता नहीं कर सकती, क्योंकि यह स्पष्ट है कि मूल्यांकन योजना किसी व्यक्ति विशेष के लाभ के लिए तैयार नहीं की जा सकती।

केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान (सी० पी० आर० आई०) में प्रशासनिक सेवा में रिक्त पद

2215. **श्री समर मुखर्जी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की प्रशासनिक सेवाओं में विभागीय पदोन्नतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों की संख्या कितनी है; और

(ख) इन पदों को किन कारणों से नहीं भरा जा रहा है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) चार ।

(ख) उपरोक्त भाग (क) में निर्दिष्ट चार पद विभिन्न श्रेणियों के हैं । कुछ प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण उन्हें पहले नहीं भरा जा सका ।

तुगलकाबाद एक्सटेंशन कालोनी को नियमित करना

2216. **श्री जैनुल बशर** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** तुगलकाबाद एक्सटेंशन कालोनी को नियमित करने के लिए अभ्यावेदन के बारे में 12 जुलाई, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 451 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कालोनी का वास्तविक/सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण करने के बाद मामले की अब स्थिति क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि कालोनी का वास्तविक रेखा चित्रण किसी आधार पर किया जाना है, जिसके लिए कार्य चालू है ।

गन्दी बस्तियों में रहने वालों की संख्या में वृद्धि

2217. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी अनुमानों के अनुसार गंदी बस्तियों में रहने वालों की संख्या बढ़कर इस शताब्दी के अन्त तक 5 करोड़ तक हो जाने की संभावना है ; और

(ख) यदि हां, तो इस वृद्धि पर सरकार ने क्या निष्कर्ष निकाला है और इस दिशा में क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) इस शताब्दी के अंत तक मलिन बस्ती निवासियों की संख्या के सम्बन्ध में कोई सरकारी अनुमान उपलब्ध नहीं हैं । तथापि, छठी योजना दस्तावेजों के अनुसार 1985 तक मलिन बस्ती जनसंख्या का लगभग 3 करोड़ 31 लाख होने का अनुमान लगाया गया है ।

(ख) राज्य क्षेत्र में 151·45 करोड़ रुपये के व्यय का प्रस्ताव है ताकि मार्च, 1985 तक 1 करोड़ मलिन बस्ती निवासियों को प्राथमिक सुविधायें मुहैया कराई जा सके । प्रधान मन्त्री द्वारा घोषित नये 20-सूत्री कार्यक्रम में मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम को शामिल किया गया है ।

विन्डसर प्लेस में होटल के लिए लाइसेंस फीस का भुगतान

2218. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में एक सुविख्यात पेयजल के निर्माता की ओर जिसे नई दिल्ली नगर

पालिका ने विन्डसर प्लेस में होटल का निर्माण करने के लिए एक भूखंड आवंटित किया था वार्षिक लाइसेंस शुल्क की धनराशि बकाया है ;

(ख) क्या नई दिल्ली नगर पालिका के भूतपूर्व प्रशासक ने उसे इसके भुगतान में कोई रियायत दी थी ; यदि हां, तो क्यों तथा क्या वह इसके लिए सक्षम था ;

(ग) क्या यह सच है कि इस होटल मालिक की ओर चालू वर्ष के लाइसेंस फीस की लगभग 1·8 करोड़ रुपये की धनराशि बकाया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस बकाया लाइसेंस फीस की वसूली के लिए, जिसका वह किसी न किसी बहाने से भुगतान नहीं कर रहा है, उसके विरुद्ध क्या दाण्डिक कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) मैसर्स प्योर ड्रिंक्स (नई दिल्ली) लि० जिसे अब मैसर्स सी० जे० इन्टरनेशनल होटल्स लि० के नाम से जाना जाता है) जिन्हें नई दिल्ली नगर पालिका के विण्डसर प्लेस तथा रायसीना रोड के चौराहे पर एक होटल के निर्माण तथा इसे चलाने के लिए एक होटल स्थल को लाइसेंस पर दिया था, ने नई दिल्ली नगर पालिका के साथ लाइसेंस करार के निष्पादन के समय 90 लाख रुपये का भुगतान किया था । 178 लाख की शेष राशि का भुगतान उस समय किया जाना था जब नई दिल्ली नगर पालिका पार्टी को भूमि का कब्जा देती । नई दिल्ली नगर पालिका ने पार्टी को भूमि पर प्रवेश की अनुमति दे दी थी और लाइसेंसधारी से शेष राशि देय हो गई है । शेष राशि में से 15 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया है और 163 लाख रुपये शेष रह गए ।

(ख) नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा मैसर्स प्योर ड्रिंक्स (नई दिल्ली) लि० (सी० जे० इण्टरनेशनल होटल्स लि०) के साथ किए गए करार के अनुसार लाइसेंस शुल्क के भुगतान के लिए दो वर्षों अर्थात 1982 और 1983 के लिए ऋणस्थगन मन्जूर किया गया है ।

(ग) और (घ) नई दिल्ली नगर पालिका ने बताया है कि लाइसेन्सधारी से 1.63 करोड़ रुपये बकाया है और उन्होंने बताया है कि शेष राशि का भुगतान शीघ्र ही कर दिया जाएगा । यह कम्पनी विलम्ब से भुगतान के लिए 15 प्रतिशत की दर से ब्याज देगी ।

हिमालय में ट्रेकिंग को लोकप्रिय बनाना

2219. **श्रीमति माधुरी सिंह** : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन संस्थाओं और संघों की संख्या तथा नाम क्या हैं जो हिमालय में ट्रेकिंग को लोकप्रिय बना रहे हैं, देश के युवकों में साहस की भावना पैदा कर रहे हैं ;

(ख) गत वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इन संघों द्वारा कितने अभियान और कार्यक्रम शुरू किए गए ; और

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान भारत सरकार द्वारा इन संघों को कितनी वित्तीय सहायता दी गई ?

पूर्ति मंत्रालय के तथा खेल विभाग के राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) वर्ष 1981-82 के

दौरान ऐसी संस्थाएं तथा संघ जिन्होंने सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त की है, उनकी संख्या 37 थी। 1982-83 के लिए अब तक यह संख्या 38 है। उपरोक्त संस्थाओं तथा संघों के नामों को दर्शानेवाले विवरण I (1981-82) तथा II (1982-83) संलग्न हैं।

(ख) वर्ष 1981-82 में इन संगठनों द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों तथा अभियानों की संख्या 61 थी तथा 1982-83 में अब तक यह संख्या 39 है।

(ग) इन संघों को वर्ष 1981-82 के दौरान स्वीकृत की गई वित्तीय सहायता की राशि 6·89 लाख रुपये थी और 1982-83 के दौरान अब तक स्वीकृत राशि 6·73 लाख रुपये है।

विवरण-1

क्रम संख्या	संस्थान/संघ का नाम
1	2
1.	हिमालय बेकन हुगली (पश्चिम बंगाल)
2.	कलाइम्बर्स एण्ड एक्सप्लोरर्स क्लब, नई दिल्ली।
3.	गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, वनासकन्था (गुजरात)
4.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली
5.	सेन्ट स्टिफन कालेज, दिल्ली।
6.	भारत आउट वर्ड बाउण्ड, पाइथीयर्स, पूना
7.	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
8.	एस० पी० ए० आर० के०, बंगलौर
9.	आयोजना और वास्तुकला स्कूल, नई दिल्ली
10.	हंसराज कालेज, दिल्ली
11.	हिन्दू कालेज, दिल्ली।
12.	भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली।
13.	पंजाब कृषि विद्यालय, लुधियाना।
14.	भारत स्काउट्स एण्ड गाइड्स, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता।
15.	भारतीय प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान संस्थान, पिलानी।
16.	सरदार पटेल विश्वविद्यालय, गुजरात।
17.	नेहरू युवक केन्द्र, सोलन।
18.	हुगली एडवेन्चर लवर्स, हुगली।

1	2
19.	जोहर कल्ब, लखनऊ।
20.	एस० टी० सी० हिकिंग कल्ब, नई दिल्ली ।
21.	भारतीय युवक सांस्कृतिक संगठन, मेरठ ।
22.	नेहरू युवक केन्द्र, अल्मोड़ा ।
23.	लोरेटो कालेज, कलकत्ता
24.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ।
25.	जिला टेबल टैनिस संघ, सुल्तानपुर ।
26.	वाई० एम० सी० ए० इन्जीनियरी संस्थान, फरीदाबाद ।
27.	नेहरू युवक केन्द्र, पिथोरागढ़ ।
28.	हिमालयन ट्रैक्र्स, हावड़ा ।
29.	कंचन चंगा फाउण्डेशन, कलकत्ता ।
30.	आई० आई० टी०, दिल्ली ।
31.	आयकर ट्रैकर्स तथा माउन्टेयरिंग कल्ब, नई दिल्ली ।
32.	श्री अरविन्द आश्रम, नई दिल्ली ।
33.	विश्वविद्यालय आयुर्विज्ञान कालेज, नई दिल्ली ।
34.	मदर इन्टरनेशनल स्कूल, नई दिल्ली ।
35.	भद्रकाली पदातिक, हुगली ।
36.	महाराष्ट्र मानवशास्त्रीय विज्ञान संघ, पूना ।
37.	भारतीय माउण्टेयरिंग फाउण्डेशन, नई दिल्ली।

विवरण 2

क्रम सं०	संस्थान/संघ का नाम
1	2
1.	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली ।
2.	हिन्दू कालेज, दिल्ली ।
3.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली ।
4.	आई० आई० टी० पुवाई, बम्बई ।

1	2
5.	हन्सराज कालेज, दिल्ली ।
6.	एस० पी० ए० आर० के०, बंगलौर ।
7.	ई० आई० एल० ट्रैक्स एण्डएक्सप्लोरर्स कलब, नई दिल्ली ।
8.	वाई० एम० एक्सप्लोरर्स कलब, हुगली (पश्चिम बंगाल) ।
9.	श्रीराम वाणिज्य कालेज, नई दिल्ली ।
10.	बी० जे० एस० रामपुरिया जैन कालेज, बीकानेर ।
11.	दिल्ली मलायली संघ, नई दिल्ली ।
12.	नेहरू युवक केन्द्र, चम्बा ।
13.	भारत स्काउट एण्ड गाइड, कलकत्ता ।
14.	खैबर एडवेन्यर कलब, दिल्ली ।
15.	क्लाइम्यई एण्ड एक्सप्लोरर्स क्लब, नई दिल्ली ।
16.	राजकीय कालेज, शिमला ।
17.	सैनिक स्कूल, हमीरपुर ।
18.	जादवपुर विश्वविद्यालय, कलकत्ता ।
19.	मदर्स इण्टर नेशनल स्कूल, नई दिल्ली ।
20.	नेहरू युवक केन्द्र, सोलन ।
21.	कंचनचंगा फाउण्डेशन, कलकत्ता ।
22.	आरो मित्रा, कोटा कुप्पम (तमिलनाडु)
23.	हिमालयन वेकन, हुगली ।
24.	हिमालयन ट्रैक्स, हावड़ा ।
25.	पाईनीयर्स एडवेंचर सोसायटी, बीकानेर ।
26.	दिल्ली पब्लिक स्कूल, नई दिल्ली ।
27.	प्रसिडेन्सी कालेज, कलकत्ता ।
28.	अलीपुर दोयर कालेज, जलपाईगुड़ी ।
29.	नेहरू युवक केन्द्र अलीपुर, दिल्ली ।
30.	जिला टेबुल टैनिस संघ, सुल्तानपुर ।
31.	नेहरू युवक केन्द्र, पिथौरागढ़ ।
32.	नेहरू युवक केन्द्र, पौड़ी गढ़वाल ।
33.	गिरीदूत, हुगली ।
34.	चन्दन नगर माउन्टेनियरिंग संघ, हुगली ।
35.	नेहरू युवक केन्द्र, धर्मशाला ।
36.	नेहरू युवक केन्द्र, अलमोड़ा ।
37.	भारतीय माउन्टेनियरिंग फाउण्डेशन, नई दिल्ली ।
38.	फ्रैण्ड्स माउन्टेनियरिंग एण्ड ट्रेकिंग कलब, नई दिल्ली ।

"पाडी" द्वारा "अवार्ड" को दिया गया धन

2220. श्री रेशमा मोतीराम भोये : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "पाडी" (पीपल्स एक्शन फार डेवलपमेंट इन इण्डिया) ग्रामीण विकास की स्वैच्छिक एजेन्सियों की एसोसिएशन (एसोसिएशन आफ वालंटरी एजेंसी फार रूरल डेवलपमेंट) को धन देती रही है ;

(ख) यदि हां, तो 1977-78 से 1979-80 की अवधि में कितना धन दिया गया है ;

(ग) क्या उपरोक्त अवधि के दौरान धन के दुरुपयोग की अनेक लेखा आपत्तियां की गई हैं ; और

(घ) क्या सरकार द्वारा इस बीच लेखा आपत्तियों पर कोई कार्यवाही की गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) ग्रामीण विकास की स्वैच्छिक एजेंसियों की एसोसिएशन (एसोसिएशन आफ वालंटरी एजेंसी फार रूरल डेवलपमेंट) सहित कुछेक संगठनों की गतिविधियों आदि की जांच करने हेतु सरकार द्वारा गठित कुदाल जांच आयोग के सम्बन्ध में सम्बन्धित रिकार्ड मांगा गया है । जांच आयोग, अन्य बातों के साथ-साथ, ग्रामीण विकास की स्वैच्छिक एजेन्सियों की एशोसिएशन द्वारा किए गये निधियों के उपयोग की भी जांच करेगा ।

नुन्थर के बागमती नदी पर बांध

2221. श्री भोगेन्द्र झा : क्या सिंचाई मंत्री नुन्थुर में बागमती नदी पर बांध के बारे में 19 जुलाई, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1531 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रस्तावित बागमती बृहद् योजना की अनुमानित लागत कितनी है ; उसके पूरा होने का चरण-वार निर्धारित समय क्या है और उससे क्या लाभ होंगे ;

(ख) क्या नेपाल सरकार भी बागमती के उपरि मुहानों पर बैरेज एवं नहरों का निर्माण करने पर विचार कर रही है जिससे भारतीय बृहद् योजना बेकार हो जायेगी जैसाकि नेपाल की समस्याओं को पूरी तौर से हल किये बिना कमला नदी के मामले पर किया गया है, यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या किसी संसद सदस्य ने बागमती नदी पर भारतीय और नेपाली दोनों परियोजनाओं को तुरन्त स्थगित करने और दोनों देशों की बाढ़ और सूखे की समस्या के समुचित हल के लिए नुन्थर में बहु उद्देश्यीय बांध तैयार करने का सुझाव दिया है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) बागमत

नदी, नेपाल से भारत में बहने वाली एक अन्तर्राष्ट्रीय नदी है। भारत सरकार दोनों देशों के बीच, बागमती नदी सहित, साझी नदियों के जल संसाधन विकास के सम्बन्ध में, नेपाल की महामहिम सरकार के साथ बातचीत कर रही है। जब तक बागमती नदी के जल का दोनों देशों के बीच कोई सम्मत बटवारा नहीं हो जाता, तब तक कोई बृहद् योजना तैयार नहीं की जा सकती।

तथापि, बागमती नदी के जल के उपयोग के लिए भारत सरकार और नेपाल, दोनों ने अलग-अलग स्कीमें तैयार की हैं। भारतीय स्कीम में, 1.212 लाख हैक्टेयर की वार्षिक सिंचाई क्षमता वाला एक बराज रामनगर में निर्मित करने की परिकल्पना की गई है। बिहार सरकार द्वारा यथाप्रस्तुत स्कीम पर 185·70 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है और उसे 1989-90 तक पूर्ण करने का प्रस्ताव है।

नेपाल की महामहिम सरकार की प्रस्तावित स्कीम में करमैया के निकट पूर्व-पश्चिम राजमार्ग के प्रतिप्रवाह में 2 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुप्रयोजनी जल-संचयन तथा सिंचाई हेतु नहरों के साथ, अनुप्रवाह में बराज के निर्माण की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना का निर्माण सोपानों में किए जाने का प्रस्ताव है, प्रथम सोपान में व्यपवर्तन संरचना तथा नहरों का निर्माण शामिल हैं। इसके परिणामस्वरूप भारत में, नदी के अनुप्रवाह में जल की कमी हो सकती है। इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार, नेपाल की महामहिम सरकार के साथ सरकारी स्तर पर बातचीत कर रही है। सरकारी-स्तर की दो बैठकें अगस्त, 1980 तथा फरवरी, 1982 में पहले ही की जा चुकी हैं, जिनमें इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया गया है। इस सम्बन्ध में आगे वार्ता जारी रहेगी।

(ग) जी, नहीं। किसी भी संसद सदस्य ने नेपाली और भारतीय, दोनों की स्कीमों को स्थगित करने का कोई सुझाव नहीं दिया है। तथापि, नुंथर में बागमती पर बहुप्रयोजनी बांध का कार्य हाथ में लेने के लिए श्री भोगेन्द्र झा, संसद सदस्य से अक्तूबर, 1981 में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

ग्रामीण विकास के लिये पी० ए० डी० आई० को दी गई धनराशि

2222. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विकास हेतु बलरामपुर-गोंडा स्वयंसेवी परियोजनाओं के लिए "पीपल्स एक्शन फार डेवलपमेंट आफ इण्डिया आरगनाईजेशन" को भारी धनराशि का भुगतान किया गया है और यदि हां, तो 1977-78 से 1979-80 की अवधि के दौरान पी० ए० डी० आई० को दी गई राशि कितनी थी ;

(ख) क्या यह सच है कि इन परियोजनाओं के लिए बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों को भर्ती किया गया था और उन्हें मासिक वेतन दिया गया था ; और

(ग) भर्ती किये गये स्वयं सेवकों के नाम और पते क्या हैं तथा उन्हें कितने समय तक के लिए रोजगार दिया गया था ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) से (ग)

भारतीय विकास लोक कार्यक्रम (पाडी) ने उत्तर प्रदेश के गोण्डा जिले में सिंचाई सम्भाव्यता के विकास से सम्बन्धित एक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए दीन दयाल अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली को 14.20 लाख रुपये की धनराशि बंटित की थी। संस्थान ने लगभग 9.51 लाख रुपये की धननाशि उपयोग में लाई थी और 4 69 लाख रुपये की धनराशि भारतीय विकास लोक कार्यक्रम (पाडी) को वापिस कर दी थी। दीनदयाल अनुसंधान संस्थान द्वारा अक्तूबर, 1978 से लेकर जून, 1981 तक की परियोजना अवधि के दौरान भर्ती किए गए सामाजिक संयोजकों की एक सूची, जो भारतीय विकास लोक कार्यक्रम (पाडी) द्वारा भेजी गई है, विवरण में दी गई है।

विवरण

सामाजिक संयोजकों की सूची

"गोंडा जिला, उत्तर प्रदेश में सिंचाई संभाव्यता का विकास" परियोजना के अन्तर्गत दीन दयाल उपाध्याय संस्थान द्वारा भर्ती किए गये सामाजिक संयोजकों की सूची

क्रम संख्या	संयोजक का नाम
1	2
1.	श्री गणेश पाठक
2.	श्री देवव्रत पाठक
3.	श्री नरेन्द्र बहादुर पाठक
4.	श्री रमेश गुना
5.	श्री मानसिंह माथुर
6.	श्री कृष्ण कुमार
7.	श्री पदमाकर मालवीय
8.	श्री त्रियुगी नारायण त्रिपाठी
9.	श्री सत्य देव सिंह
10.	श्री शिव कुमार गुप्ता
11.	श्री फौजदारी प्रसाद मिश्रा
12.	श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव
13.	श्री प्रताप नारायण गुप्ता
14.	श्री अब्दुल अनीज खां
15.	श्री अशोक कुमार जायसवाल

1	2
16.	श्री सांवल प्रसाद शुक्ला
17.	श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा
18.	श्री चन्द्र प्रकाश उपाध्याय
19.	श्री चन्द्र प्रताप सिंह
20.	श्री राजेन्द्र कुमार
21.	श्री ओम प्रकाश मिश्रा
22.	श्री आशुतोष पाठक
23.	श्री राम नरेश मौर्य
24.	श्री उमा कान्त तिवारी
25.	श्री गुरदीप सिंह खुराना
26.	श्री शाहजिया अहमद
27.	श्री अब्दुल अजीज खान
28.	श्री दयानन्द पाण्डे
29.	श्री सुनील कुमार
30.	श्री राघवराम पाण्डे
31.	श्री कृष्ण चन्दर श्रीवास्तव
32.	श्री सुरेश कुमार सिंह
33.	श्री दिनेश कुमार वर्मा
34.	श्री पारसनाथ चतुर्वेदी
35.	श्री देवेन्द्र कुमार सिंह
36.	श्री देवता दीन सिंह
37.	श्री मुरलीधर मिश्रा
38.	श्री हरीशंकर मिश्रा
39.	श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी
40.	श्री रवीन्द्र प्रसाद सिंह
41.	श्री राम अच्छावर तिवारी
42.	श्री ओम प्रकाश सिंह
43.	श्री जनार्धन प्रसाद दुबे

1	2
44.	श्री आहतेशम हुसैन
45.	श्री आलोक कुमार चक्रवर्ती
46.	श्री गजेन्द्र कुमार सिंह
47.	श्री लालन प्रसाद वर्मा
48.	श्री राम देव त्रिपाठी
49.	श्री भालेन्दु कुमार सिंह
50.	श्री ओम प्रकाश मिश्रा
51.	श्री लक्ष्मी नारायण तिवारी
52.	श्री राम राज यादव
53.	श्री ओंकार नाथ दीक्षित
54.	श्री माधुरी सरण पाण्डे
55.	श्रीमती सुशीला त्रिपाठी
56.	श्री वासुदेव लाल श्रीवास्तव
57.	श्री गिरीश चन्द शुक्ला
58.	श्री गोमती प्रसाद वर्मा
59.	श्री राम प्रसाद श्रीवास्तव
60.	श्री रमेश चन्द्र शर्मा
61.	श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव
62.	श्री कमला कान्त मिश्र
63.	श्री राम प्रकाश गुप्ता
64.	श्री सैज नाथ श्रीवास्तव
65.	श्री राम लोटन उपाध्याय
66.	श्री लक्ष्मी कान्त पाठक
67.	श्री कुंवर सचादुर यादव
68.	श्री अशोक कुमार त्यागी
69.	श्री मंजूर अलीखां लोदी
70.	श्री उमानाथ त्रिपाठी
71.	श्री सन्त राम

1	2
72.	श्री बिवेक कुमार सिंह
73.	श्री बाई नारायण सिंह
74.	श्री शागवती प्रसाद गुप्ता
75.	श्री राम शंकर द्विवेदी
76.	श्री राम प्रसाद द्विवेदी
77.	श्री चन्दर प्रकाश मिश्रा
78.	श्री राम कुमार शर्मा
79.	श्रीमती नीलम देश पाण्डे
80.	श्री सुरेश देश पांडे
81.	श्री विद्याराम त्रिपाठी
82.	श्री शिव भारती नाथ त्रिपाठी
83.	श्री गोमती प्रसाद त्रिपाठी
84.	श्री नरेन्द्र बहादुर पाठक
85.	श्री गोमती प्रसाद तिवारी
86.	श्री सुभाष चन्द्र त्रिपाठी
87.	श्री नरेन्द्र कुमार
88.	श्री मुक्तिदा हुसैन खां
89.	श्री रामप्रकाश गुप्ता
90.	श्री लाल जी शुक्ला
91.	श्री लक्ष्मीनारायण तिवारी
92.	श्री सन्तोष सरन
93.	श्री उमेश कुमार
94.	श्री हरी ओम
95.	श्री अजय कुमार
96.	श्री गिरिवर प्रसाद वर्मा
97.	श्री राम भुजारत मिश्रा
98.	श्री वीरेद्र कुमार सिंह
99.	श्री राम कुमार सिंह

1	2
100.	श्री अवधेष कुमार मिश्रा
101.	श्री चन्द्र प्रकाश सिंह
102.	श्री जगदम्बा प्रसाद मुक्ला
103.	श्री विजय प्रकाश धर द्विवेदी
104.	श्री रामपाल सिंह
105.	श्री हरिहर दत्त शुक्ला
106.	श्री बच्चा राम मिश्रा
107.	श्री जय नारायण शुक्ला
108.	श्री राज कुमार सिंह
209.	श्री भगवती प्रसाद शुक्ला
110.	श्री चन्द्र शंकर सिंह
111.	श्री शिव शर्मा
112.	श्री अशोक कुमार त्रिपाठी
113.	श्री घनश्याम मिश्रा
114.	श्री लक्ष्मी कान्त उपाध्याय
115.	श्री शिव कुमार मिश्रा
116.	श्री शिव नारायण
117.	श्री राधा मोहन पांडे
118.	श्री रघुविन्दर मिश्रा
119.	श्रीमती शील कुमारी
120.	श्री घनश्याम मिश्रा
121.	कुमारी वीना रानी
122.	श्री मृतंजय प्रसाद
123.	श्री राम उजागर त्रिपाठी
124.	श्री सुरेश चन्द
125.	श्री राम स्वरूप यादव
126.	श्री इन्द्र सेन
127.	श्रीमती शान्ता देवी

1	2
128.	श्री वीरेन्द्र सिंह
129.	श्री रमेश सिंह तिवारी
130.	श्री गया प्रसाद मिश्र
131.	श्री ओम प्रकाश
132.	श्री किशन देव सिंह
133.	श्री अशोक कुमार अवस्थी
134.	श्री माहेश्वरी प्रसाद
135.	श्री देवेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी
136.	श्री मोहम्मद याकूब खां
137.	श्री विक्रम प्रसाद देव पाण्डे
138.	श्री हुकम सिंह
139.	श्री राम निवास तिवारी
140.	श्री रामराज्य मिश्रा
141.	श्री जनार्दन प्रसाद मिश्रा
142.	श्री चन्द्र शेखर शुक्ला
143.	श्री राजेन्द्र कुमार मिश्रा
144.	श्री शिव किशोर दीक्षित
145.	श्री सोमपाल सिंह
146.	श्री नारायण पाठक
147.	श्री शैलेन्द्र कुमारसिंह
148.	श्री कपिल देव तिवारी
149.	एक सामाजिक कार्यकर्ता जिसके लिए संस्थान द्वारा दावा किया गया था।

वैस्टर्न कोर्ट में कमरे किराये पर देना

2223. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेस्टर्न कोर्ट में कमरे, संसद सदस्यों के अलावा अन्य लोगों को स्थाई कब्जे के लिए किराए पर दिए जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो कमरे किन पार्टियों को दिए गए हैं ;

(ग) क्या कोई पार्टी किराए का भुगतान करने में असफल रही है ; और

(घ) यदि हां, तो किराया वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) 1. एल० आर० नाइक, सदस्य अल्प संख्यक वर्ग, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के लिए उच्च अधिकार प्राप्त पैनल ।

2. आई० टी० डी० सी० ।

(ग) जी, हां ।

(घ) लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत उनके विरुद्ध किराया वसूल करने की कार्यवाही पहले ही आरम्भ की गई है ।

नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा नये बिजली/पानी के कनेक्शन

2224. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका को नीति के अन्तर्गत बिजली/पानी के नए कनेक्शन केवल जोरबाग, गोल्फ लिंक्स आदि रिहायशी क्षेत्रों में वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए ही दिये जा सकते हैं, और क्या जनवरी, 1976 से इस नीति में कोई परिवर्तन किया गया है ;

(ख) क्या नई दिल्ली नगर पालिका का कोई ऐसा संकल्प/निर्णय है कि बिजली/पावर/पानी के सम्पूर्ण खपत का प्रभार घरेलू मीटर के अनुसार लिया जाए चाहे उस मीटर से एक भी यूनिट वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए ही प्रयोग क्यों न किया गया हो और यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी ;

(ग) यदि कोई व्यवसायी अपने निवास का कभी-कभी व्यावसायिक कार्यों के लिए उपयोग कर लेता हो तो क्या नई दिल्ली नगर पालिका ऐसे निवास के घरेलू मीटर पर बिजली/पानी की खपत की वाणिज्यिक दर वसूल करता है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या नई दिल्ली नगर पालिका के संबंधित संकल्प की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

आई० वी० आर० आई० में पशुओं की मृत्यु दर

2225. **श्री राम किंकर** : क्या कृषि मंत्री आई० वी० आर० आई० राष्ट्रीय संस्थान पशु-प्रजनन के छीजने तथा अई० वी० आर० आई० में पशुओं की मृत्यु दर के बारे में क्रमशः 12

जुलाई, 1982 और 9 अगस्त, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 593 और 4659 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यदि मृत्यु दर 13·4% वार्षिक से अधिक नहीं है, जैसा कि 9 अगस्त, 1982 के प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में बताया गया था, तो जीवन-दर केवल 80% कैसे हो सकती है, जैसा 12 जुलाई, 1982 को सूचित किया गया था ;

(ख) इस सम्बन्ध में सही और पूरा ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या अनेक मामलों में प्रति वर्ष मौत के कारणों को टाला जा सकता था ;

(घ) लिंग और आयु-वार प्रतिवर्ष ऐसे कितने पशुओं की मौतें हुई, जिन्हें बचाया जा सकता था ;

(ङ) क्या इसका उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(च) परियोजना को बी० सी० के० वी० वी० से राज्य सरकार को अन्तरित करने संबंधी शर्तें क्या थीं, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(छ) आई० सी० ए० आर० के ऐसे कार्यकरण के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीम विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) प्रश्न संख्या 593 का 12 जुलाई, 1982 को जो उत्तर दिया गया, उसमें यह बताया गया था कि 80% से अधिक पशु जीवित थे न कि 80%। प्रश्न सं० 4659 का जो उत्तर 9 अगस्त को दिया गया उसमें यह भी बताया गया था कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में 1968-69 से 1978-79 के दौरान फ्रीजियन, ब्राउन स्विस और हरियाणा नस्ल के साथ संकरण करके विकसित नस्ल जर्सी हाफ ब्रीड में मृत्यु दर क्रमश: 1·4 से 9·7, 0·8 से 13·4 और 1·8 से 10·1 थी। इस तरह तथ्यों में कोई विरोध नहीं हैं।

(ग) मृत्यु के प्रमुख कारण जठर आंत्रशोथ निमोनिया थे और इनसे 0·6 महीने के आयु वर्ग, के नर और मादा बच्चे अधिक प्रभावित थे।

(घ) वर्ष में लिंग और आयु के आधार पर टाले जा सकने वाले कारणों से मरने वाले पशुओं से सम्बन्धित सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) उत्तरदायित्व निश्चित करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि मृत्यु किसी व्यक्ति विशेष की उपेक्षा से नहीं हुई।

(च) 9 अगस्त, 1982 को प्रश्न सं० 4659 के उत्तर में यह बताया जा चुका है कि

हरिनघाटा यूनिट का स्थानान्तरण विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय से पश्चिमी बंगाल राज्य सरकार को कर दिया गया है जिसे राज्य पशुपालन विभाग ने स्वीकार कर लिया है। स्थानान्तरण की शर्तें इस प्रकार थीं :—

(1) राज्य सरकार को उचित समय, स्थानान्तरण के तीन महीने के अन्दर पूर्ण व्यावसायिक कर्मचारी सम्पूरक उपलब्ध कराना होगा।

(2) राज्य सरकार को इस योजना के अन्तर्गत पशुधन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फार्म और चारा उत्पादन का उचित प्रबन्ध व विकास सुनिश्चित करना होगा।

(3) श्रमशक्ति को युक्ति संगत बनाना।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा नियुक्त एक समिति में, जिसमें डा० पी० एन० भट्ट, प्रा० स० (ए० बी०) और निदेशक, केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान विशेषज्ञ डा० बी० एस० राज्या, संयुक्त निदेशक, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान थे, ने 13-14 मई, 1982 को यूनिट का दौरा किया और यह देखा कि कुल 350 एकड़ भूमि विश्वविद्यालय से वापस प्रायोजना को हस्तांतरित कर दी गई है। समिति का यह भी विचार था कि पर्यवेक्षी स्टाफ की कमी को शीघ्र ही सुधारने की आवश्यकता है और कम से कम प्रबन्ध और स्वास्थ्य के तकनीकी अधिकारियों की नियुक्ति तुरन्त करनी चाहिए।

(छ) भा० कृ० अ० प० पशु प्रायोजना के कार्यकलाप में सुधार लाने के लिए जहां भी जरूरी होता है सभी सम्भव कार्यवाही कर रही है। परिषद ने प्रायोजना के कार्यों का पुनरीक्षण करने और प्रायोजना के कार्यों में आवश्यक सुधार लाने के लिए सुझाव देने के लिए, भी आवश्यक समझा जाए, उच्च स्तर के वैज्ञानिकों की एक मध्यावधि मूल्यांकन समिति का गठन किया। भा० कृ० अ० प० ने विशेषज्ञों की एक समिति का भी गठन किया जैसा कि भाग (च) के उत्तर में बताया गया है। इसने देखा कि पश्चिमी बंगाल राज्य सरकार को स्थानान्तरण के बाद से हरिनघाटा यूनिट के कार्यों में पर्याप्त सुधार हुआ है।

राजस्थान को एशियाड, 1982 के टिकट

2226. **श्री जय नारायण रौत** : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान राज्य को एशियाड, 1982 के कितने टिकट प्रत्येक मूल्य वर्ग के लिए आबंटित किए गए और राज्य को कितने टिकटों की मांग है ?

पूर्ति मंत्रालय के तथा खेल विभाग के राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : विवरण संलग्न है। जिसमें विशेष नवम् एशियाई आयोजन समिति द्वारा राजस्थान में बिक्री के लिए भेजे गए प्रत्येक मूल्य के एशियाड टिकटों की संख्या दर्शायी गई है। किसी भी राज्य से आम जनता को बेचने के लिए टिकटों की अपनी मांग भेजने के लिए नहीं कहा गया था।

विवरण

राजस्थान में बिक्री के लिए भेजे गए एशियाई खेलों के टिकटों की संख्या

खेल/प्रतियोगिता	श्रेणी	वर्ग मूल्य (रु०)	आबंटित टिकटें
1	2	3	4
1. उद्घाटन समारोह	I	100	50
	II	30	425
	III	10	825
	छात्र	5	450
2. ऐथलेटिक	I	15	525
	II	5	4550
	III	3	5775
	छात्र	2	3150
3. बेडमिंटन	I (क)	15	250
	(ख)	30	200
	II (क)	5	625
	(ख)	10	500
	III (क)	3	375
	(ख)	5	300
	छात्र (क)	2	375
	(ख)	3	300
4. बास्केटबाल	I (क)	15	525
	(ख)	25	525
	II (क)	5	700
	(ख)	10	700
	III (क)	3	175
	(ख)	5	175
	छात्र (क)	2	175
	(ख)	3	175

1	2	3	4
5. मुक्केबाजी	I (क)	5	200
	(ख)	10	150
	छात्र (क)	3	100
	(ख)	7	75
6. साईकल दौड़	I	3	100
7. घुड़सवारी	I	15	750
	II	5	1000
	छात्र	3	375
8. फुटबाल	I (क)	25	675
जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम	(ख)	50	300
	II (क)	15	7650
	(ख)	30	3400
	III (क)	5	5850
	(ख)	10	2600
	छात्र (क)	3	4050
	(ख)	7	1800
9. फुटबाल	I	25	300
अम्बेडकर स्टेडियम	II	15	1500
	III	5	750
	छात्र	3	300
10. फुटबाल	I	15	300
माडल टाउन स्टेडियम	II	5	900
	III	3	450
	छात्र	2	450
11. व्यायाम	I	15	200
	II	5	400
	III	3	400
	छात्र	2	200

1	2	3	4
12. हाकी (पुरुष)	I (क)	15	675
	(ख)	30	225
	II (क)	5	1125
	(ख)	10	375
	III (क)	3	3150
	(ख)	5	1050
	छात्र (क)	2	900
	(ख)	3	300
13. हाकी (महिला)	I (क)	15	150
	(ख)	30	25
	II (क)	5	150
	(ख)	10	25
	III (क)	3	300
	(ख)	5	50
	छात्र (क)	2	150
	(ख)	3	25
14. नौका बिहार	I (क)	5	4125
	(ख)	10	2750
	छात्र (क)	3	1875
	(ख)	7	1250
15. निशानेबाजी	I	3	250
16. तैराकी	I	25	250
	II	15	250
	III	5	250
	छात्र	3	250
17. टेबल टेनिस	I (क)	5	125
	(ख)	15	50

1	2	3	4
	II (क)	3	250
	(ख)	5	100
	छात्र (क)	2	125
	(ख)	3	50
संध्याकालीन सत्र टेबिल टेनिस	I (क)	15	100
	(ख)	30	50
	II (क)	5	200
	(ख)	10	100
	छात्र (क)	3	100
	(ख)	7	50
18. टेनिस (लान)	I (क)	25	175
	(ख)	50	125
	II (क)	15	175
	(ख)	30	125
19. बालीबाल	I (क)	15	300
	(ख)	25	350
	II (क)	5	750
	(ख)	10	875
	III (क)	3	600
	(ख)	5	700
	छात्र (क)	2	300
	(ख)	3	350
20. कुश्ती	I (क)	15	150
	(ख)	30	100
	II (क)	5	750
	(ख)	10	500
	III (क)	3	450
	(ख)	5	300
	छात्र (क)	2	150
	(ख)	3	100
21. समापन समारोह	I	100	50
	II	30	425
	III	10	825
	छात्र	5	450

(क) :— प्रारंभिक/लीग मैच

(ख) :— सेमी फाइनल/फाइनल/सुपर लीग मैच

तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे कार्मिक

2227. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंचाई मंत्रालय और केन्द्रीय जल आयोग में अनुसंधान सहायक/व्यवसायिक सहायक और वरिष्ठ कम्प्यूटर पदों पर अनेक नियुक्तियां 1974 अथवा इससे भी पहले से तदर्थ आधार पर चल रही हैं, यद्यपि नवम्बर, 1978 में ऐसे अराजपत्रित संवर्गों का विलय कर दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इतने लम्बे समय से इन नियुक्तियों को तदर्थ आधार पर जारी रखने के क्या कारण हैं ;

(ग) इन नियुक्तियों को नियमित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) किस तारीख तक इन सभी नियुक्तियों को नियमित किये जाने की संभावना है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) जी, हां। क्योंकि इसमें अनेक प्रशासनिक समस्याएं अन्तर्ग्रस्त थीं, अत: सिंचाई विभाग और गंगा बेसिन जल संसाधन संगठन के अराजपत्रित तकनीकी संवर्गों का केन्द्रीय जल आयोग के सदृश संवर्गों के साथ विलय करने से संबंधित मामला, नवम्बर, 1978 में इस सम्बन्ध में औपचारिक आदेश जारी किए जाने से पूर्व, काफी समय तक विचाराधीन रहा था। इस विषय पर विचार करने की अवधि के दौरान, नियमित आधार पर पदों को भरने से सम्बन्धित मामलों पर विचार नहीं किया जा सका था। उसके बाद, अनुसंधान सहायक/व्यावसायिक सहायक, वरिष्ठ संगणक, इत्यादि के ग्रेडों के अधिकारियों की एकीकृत सूचियां तैयार की गई थीं और वे सभी सम्बन्धितों को परिचालित की गई थीं ताकि यदि कोई आपत्तियां हों, तो वे सूचित कर दी जाएं। बहुत बड़ी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें और आगे विस्तृत जांच की अपेक्षित थी।

(ग) और (ख) एकीकृत वरिष्ठता सूचियों को अब अन्तिम रूप दिया जा रहा है। उसके बाद, पदोन्नति कोटा की उपलब्ध रिक्तिाओं के प्रति, वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर नियुक्तियों को नियमित करने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की एक बैठक बहुत शीघ्र आयोजित की जाएगी। तथापि, वह तारीख सूचित करना संभव नहीं होगा जिस तक यह संपूर्ण प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

एशियाड के लिए चुने गये खिलाड़ी और ऐथलीटों का चयन

2228. **श्री नारायण चन्द्र पराशर** : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाड के विभिन्न आयोजनों के लिये चुने गये खिलाड़ियों और ऐथलीटों के क्या नाम हैं और वे किन राज्यों/संस्थानों/सेवाओं के हैं ;

(ख) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रयत्न किया गया है और कोई तंत्र बनाया

गया है कि देश के सभी भागों के सर्वोत्तम खिलाड़ी तथा प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति को खेल में भाग लेने का अवसर मिल सके ;

(ग) यदि हां, तो एशियाड में चयन के लिये किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पूर्ति मंत्रालय के तथा खेल विभाग के राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) भारतीय ओलम्पिक संघ और सम्बन्धित राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा एशियाड 1982 की विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के लिए भारतीय खिलाड़ियों और प्रतियोगियों के नामों के शीघ्र ही अन्तिम रूप दिये जाने की संभावना है।

(ख), (ग) और (घ) खिलाड़ियों/प्रतियोगियों का चयन सम्भाव्य खिलाड़ियों के हाल के निष्पादन की कोटि के आधार पर इस प्रयोजनार्थ नियुक्ति की गई उनकी चयन समितियों के जरिए सम्बन्धित राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा किया जाएगा। खेल संघों द्वारा यह प्रक्रिया अपनाई जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल उत्कृष्ट प्रतियोगी ही एशियाड, 1982 में देश का प्रतिनिधित्व करने हेतु चुने जा सकें, चाहे उनका मूल स्थान कोई भी हो।

हुडको योजना, 1979 के अन्तर्गत बनाए गए दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों की कीमतों में वृद्धि

2229. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यू पैटर्न स्कीम 1979 के अन्तर्गत विकास पुरी, दिल्ली में बनाए गए मध्यम आय वर्ग, निम्न आय वर्ग और जनता फ्लैटों की लागत 50 प्रतिशत बढ़ा दी गई है ;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने विकास पुरी के फ्लैटों में रहने वालों के लिए पीने के पानी की सप्लाई करने हेतु लोहे की पाइप लाइनों की बजाय प्लास्टिक की पाइप लाइनें डाली हैं ;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने विकास पुरी के मध्यम आय वर्ग के फ्लैटों में न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं अर्थात वाशवेसिन फ्लैश सिस्टम, बाल ग्लास, पीतल की टूटियों आदि की व्यवस्था नहीं की है;

(घ) क्या विकास पुरी की केजी-II और केजी-I पाकिटों में मध्यम आय वर्ग और जनता फ्लैटों में अभी तक बिजली और पानी के कनेक्शन नहीं दिए हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं तथा सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि जलपूर्ति के लिए रिजिड पी० वी० सी० पाइपों का उपयोग किया गया है और ये पाइप विशिष्टियों के अनुसार है।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विश्वविद्यालयों में समन्वित परियोजनाओं की अनुसंधान यूनिटों का असन्तोषजनक कार्यकरण

2230. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक ने कृषि विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों की दिसम्बर, 1981 में हुई एक बैठक में कहा था कि इन विश्वविद्यालयों की समन्वित परियोजनाओं की अनुसंधान यूनिटों का कार्यकरण संतोषजनक नहीं है और उनकी जांच की जानी चाहिएं ;

(ख) विश्वविद्यालयों में केन्द्रों की परियोजना-वार सूची क्या है और उनमें से कौन-सी और कब से संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रही है ;

(ग) ये केन्द्र कब से कार्य कर रहे हैं और शुरू से अब तक इन पर कितनी धनराशि खर्च हुई है ;

(घ) असन्तोषजनक कार्यकरण वाले प्रत्येक केन्द्र के बारे में शासी निकाय को कब बताया गया और प्रत्येक मामले में क्या निर्णय किया गया है ; और

(ङ) सरकार का विचार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) समन्वित अनुसंधान प्रायोजनाओं की कार्यप्रणाली के पुनरावलोकन के समय अध्यक्ष ने महसूस किया कि कृषि विश्वविद्यालयों में चल रही समन्वित प्रायोजनाओं की ऐसी इकाइयां जो भली प्रकार कार्य नहीं कर रही थी उन्हें छांटा जाय और उनमें से अक्षम प्रायोजनाओं को बंद कर दिया जाय।

(ख) प्रत्येक समन्वित प्रायोजना की कार्य प्रणाली को विस्तृत रूप में जांचने के लिए पुनरावलोकन दल नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। इससे उन केन्द्रों का पता भी लगाया जाएगा जो संतोषजनक कार्य नहीं कर रहे हैं। कृषि विश्वविद्यालयों में चल रही वर्तमान समन्वित प्रायोजनाओं की एक सूची संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5520/82]

(ग) इस समय प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जैसे ही मूल्यांकन का कार्य पूरा होगा, शासी निकाय को स्थिति से अवगत करा दिया जाएगा।

(ङ) पुनरावलोकन दलों की सिफारिशों के प्राप्त होने के बाद ही इस पर कार्यवाही के लिए विचार किया जाएगा।

मलाई उतरा दुग्ध चूर्ण और बटर आयल की पुर्नसंरचना द्वारा दूध की खरीद

2231. **श्री बी० डी० सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई, मद्रास, दिल्ली और कलकत्ता में 1970-71, 1980-81 और 1981-82 में मलाई उतरा दुग्ध चूर्ण और बटर आयल की पुर्नसंरचना द्वारा दूध की औसतन कितने प्रतिशत मात्रा में खरीदा गया ;

(ख) 1981-82 में दिल्ली में दिल्ली दुग्ध योजना और मदर डेयरी के लिये अलग-अलग औसतन प्रतिदिन खरीदा गया दूध किन-किन स्रोतों से खरीदा गया और प्रत्येक से कितनी-कितनी मात्रा में दूध प्राप्त हुआ और दिल्ली दुग्ध योजना और मदर डेयरी का प्रतिदिन अनुरूप औसत कितना था ;

(ग) किन कारणों से राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन में 50 प्रतिशत वृद्धि के बावजूद दिल्ली के लिये प्रतिदिन खरीदे गये दूध में औसतन 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई ;

(घ) किन कारणों की वजह से कलकत्ता के लिये खरीदे दूध में 1970-71 के स्तर की तुलना में गिरावट आयी और बम्बई के लिये दुगने से अधिक खरीद हुई ; और

(ङ) आपरेशन फ्लड 1 प्रारम्भ होने से 1981-82 तक वार्षिक रूप से उपहारस्वरूप मिले मलाई उतरे दुग्ध चूर्ण सहित आयात किये गये मलाई उतरे दुग्ध चूर्ण की मात्रा कितने मूल्य की है ; भारी मात्रा में इसका आयात किये जाने के क्या कारण हैं और इसका मूल्य कितना है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी ।

केरल में लघु तथा मध्यम श्रेणी के शहरों की समन्वित विकास योजना के अन्तर्गत शहरों का विकास

2232. **श्री बी० के० नायर** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केरल की बहुत सघन आबादी को देखते हुए एक लाख की आबादी की सीमा को बढ़ाया जायेगा ताकि कुछ उन बड़े शहरों को भी जिनके विकास की आवश्यकता है लघु तथा मध्यम श्रेणी के शहरों की समन्वित विकास योजना के अन्तर्गत लाया जा सके ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

भारत सप्लाई सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति

2233. **श्री केशवराव पारधी** : क्या **पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सप्लाई सेवा के अधिकारियों को वर्ष 1977 में पहली पदोन्नति भी 9 वर्षों से अधिक सेवा के पश्चात मिलती थी ;

(ख) यदि हां ,तो "वैच वार" उनकी पहली तथा दूसरी पदोन्नति की सम्भावनाएं क्या हैं; और

(ग) विभाग द्वारा 1973 के पश्चात से कितनी बार संवर्ग पुनरीक्षण किया गया है और यदि कोई पुनरीक्षण नहीं किया गया है तो उसके क्या कारण हैं ?

पूर्ति मंत्रालय के तथा खेल विभाग के राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) जो अधिकारी मई/जून 1974 में नियुक्त हुए थे, उनमें से केवल तीन अधिकारियों

को छोड़कर शेष सभी को अब उपनिदेशक (सप्लाई) के रूप में पहली पदोन्नति मिल गई है। कुछ अधिकारी जो वर्ष 1968 में नियुक्त हुए थे, उन्हें वर्ष 1981 में दूसरी पदोन्नति भी मिल चुकी है और कुछ अधिकारियों को वर्ष 1982 में पदोन्नत करने के बारे में विचार किया जा रहा है।

(ग) मार्च, 1976 में सीमित संवर्ग पुनरीक्षण किया गया था, जब कुछ सीमा तक गतिरोध को कम करने के लिए प्रवरण ग्रेड निदेशकों के दो पदों का सृजन किया गया था, उस समय संवर्ग का व्यापक पुनरीक्षण नहीं किया जा सका क्योंकि मार्गकर्ता विभागों को बढ़ाई गई हस्तान्तरण शक्तियों को ध्यान में रखते हुए, भारतीय सप्लाई सेवा के कुल आवश्यक अधिकारियों की संख्या का पुन-निर्धारण आवश्यक हो गया था और पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के कार्यों की जांच करने के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति को भी नियुक्त किया गया था। अतः यह निर्णय लिया गया कि आन्तरिक कार्य अध्ययन एकक और उच्च अधिकार समिति की रिपोर्ट आ जाने के बाद ही संवर्ग का पुनरीक्षण किया जाए। इस समय भारतीय सप्लाई सेवा के व्यापक संवर्ग पुनरीक्षण का प्रस्ताव सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

ईस्ट आफ कैलाश में डी० डी० ए० के एम० आई० जी० फ्लैटों के विलेखों का पंजीकरण

2234. **श्री उत्तम राव पाटिल** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975 और 1976 में नकद भुगतान के आधार पर आबंटित डी० डी० ए० के एम० आई० जी० फ्लैटों के विलेखों के पंजीकरण के मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) आबंटितियों के नाम के पंजीकरण में डी० डी० ए० को कितना समय और लग जायेगा ; और

(ग) डी० डी० ए० द्वारा इन विलेखों का पिछले छः वर्षों में पंजीकरण न करने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि अधिकांश मामलों में अन्तरण पत्र न तो पंजीकृत किये गये और न ही उन्हें क्लेक्टर स्टाम्प के कार्यालय से स्टाम्प लगाने हेतु उन्हें आबंटियों को भेजा गया है। शेष मामलों में आबंटियों को विलम्ब भुगतान पर ब्याज देय तिथि पर देयताओं का भुगतान न करने के लिए जुर्माना, भूमि-किराया इत्यादि जैसे बकायों का भुगतान करने के लिए कहा जा रहा है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि आबंटी के नाम पर अन्तरण पत्र पंजीकृत करने में लगने वाला समय किसी आबंटी द्वारा औपचारिकताओं के पूर्ण करने में लिए गये समय पर निर्भर करेगा।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :

(I) अनेक अनुस्मारकों के बावजूद भी आबंटियों द्वारा ब्याज प्रभारों, भूमि किराया इत्यादि बकायों का भुगतान न करना।

(II) फ्लैट का स्थान, चाहरदीवारी तथा फ्लैट का वास को दिखाते हुए फ्लैट का नक्शा बनाने के लिए पलैटों का निरीक्षण, और

(III) आबंटियों द्वारा अनधिकृत परिवर्धन एवं परिवर्तन ।

पीतमपुरा गांव के लिये पेय जल के कनेक्शन

2235. **श्री बी० आर० नहाटा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पीतमपुरा गांव दिल्ली में गन्दे पानी के विकास की व्यवस्था से बिना पेय जल के कनेक्शन दिये गए थे ;

(ख) क्या यह सच है कि गांव का गन्दा पानी सरकारी स्कूल के भवन से लगे सरस्वती बिहार के बरसाती पानी के नाले पर छोड़ा जा रहा है जो कि स्वास्थ्य के लिये अहितकर है ; और

(ग) डी० डी० ए० का विचार इस गांव के गन्दे पानी का उचित रूप से निष्कासन करने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : जी, हां ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि यह सच नहीं है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इस गांव के के मल जल को बाहरी निकास नाले में तभी डाला जायेगा जब इस गांव केलिये मल निर्यास योजना तैयार की जायेगी ।

शान्ति निकेतन कालोनी में गलियों को पक्का किया जाना

2236. **श्री मनफूल सिंह चौधरी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री शान्ति निकेतन कालोनी में गलियों को पक्का किये जाने के बारे में 12 जुलाई, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 535 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शान्ति निकेतन कालोनी में गली नम्बर 2 की पिछली गली/सामने की गली को जो कई वर्षों से छूट गई थी पक्का करने के बारे में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या इन हिस्सों में जिन्हें अभी पक्का किया जाना है, कटीली झाड़ियां, मलवा, कूड़ा, करकट, जानवरों और आदमियों का पाखाना भरा रहता है ; और

(ग) यदि हां, तो बहुत समय से पड़ी गन्दगी और उपर्युक्त कालोनी के इस भाग में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकर गन्दगी को हटाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि गली नं० 2 शान्ति निकेतन के पीछे पश्च्य गलियों/उप-गलियों पर तारकोल बिछाने के लिए निविदायें पहले मंगाई गई हैं और ये प्रक्रियाधीन हैं ।

(ख) निगम ने बताया कि जून, 1982 के दौरान गली नं० 2 के पश्च्य गलियों/उप-गलियों से झाड़ियों, मलवा, कूड़ा करकट इत्यादि को हटा दिया गया था। जब भी आवश्यकता होती है गलियों और उप-गलियों से घास-फूस हटाने की कार्यवाही की जाती है।

(ग) जैसा कि उपर्युक्त भाग (क) तथा (ख) में बताया गया है।

जनकपुरी में सीवर लाइन का बदला जाना

2237. **श्री धर्मदास शास्त्री** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि घौली प्याऊ, ए-ब्लाक, जनकपुरी नई दिल्ली तक जनकपुरी के इस भाग के सीवर लाइन के काम में सुधार के काम को पूरा करने और यहां के निवासियों को राहत पहुंचाने के लिए नए बदले गए सीवर लाइन को नजफगढ़ रोड की मुख्य लाइन से 900 से० मी० चौड़ी लाइन से जोड़ने की जरूरत है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा लगभग 25 लाख रुपये की डिफिसेंसी चार्जेज के भुगतान के मामले में किए गए विलम्ब के कारण उपर्युक्त काम शुरू नहीं किया है ;

(ग) जनकपुरी के निवासियों की बहुत समय से चली आ रही कठिनाई को दूर करने और सीवर लाइन में सुधार करने के इस काम को पूरा करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

परीक्षण खेलों के लिए "क्लेपिजन" का आयात

2238. **श्री दया राम शाक्य** : क्या **खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एशियाड शूटिंग परीक्षण प्रतियोगिता के लिए सितम्बर, 1982 में टोक्यो से क्लेपिजन का आयात किया गया है और यदि हां, तो इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई है ; और

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि आगरा में मिट्टी से सुन्दर कबूतर, अन्य पक्षी और खिलौने बनाए जाते हैं और ये वहां बड़ी मात्रा में सदैव उपलब्ध रहते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो टोक्यो से क्लेपिजन आयात करने के क्या कारण हैं ?

पूर्ति मंत्रालय के तथा खेल विभाग के राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) सितम्बर, 1982 के दौरान शूटिंग के लिए वायुयान द्वारा क्लेपिजन के आयात पर किया गया व्यय 10,125.00 रुपये था।

(ख) और (ग) यद्यपि सरकार को यह जानकारी है कि देश में आगरा तथा बहुत से अन्य स्थानों पर अच्छे खिलौने बनाए जाते हैं, फिर भी एशियाड, 82 के भाग के रूप में होने वाली

अन्तर्राष्ट्रीय शूटिंग जैसी प्रतियोगिताओं के लिए अपेक्षित क्लेपिजन स्वदेश में नहीं बनते हैं। अतः शूटिंग के लिए क्लेपिजन, जो वास्तव में क्लेप्लेट्स हैं तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, विदेश से आयात किए गए हैं।

पशुचारा संयंत्रों की अधिष्ठापित क्षमता

2239. **श्री हरीश कुमार गंगवार :** क्या कृषि मंत्री पशु चारा उत्पादन के बारे में दिनांक 4 अक्तूबर, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 159 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा स्थापित वर्तमान पशुचारा संयंत्रों का बिलकुल भी उपयोग नहीं हो रहा है और यदि हां, तो उनमें और पूंजीनिवेश किए जाने के क्या कारण हैं ; और

(ख) देश में पशुचारा संयंत्रों की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रतिवर्ष, कितनी क्षमता का वास्तविक उपयोग किया गया ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) आपरेशन फ्लड कार्यक्रम के अन्तर्गत लगाए गए पशु चारा संयंत्रों में से 8 को वर्ष 1981 और 1982 में चालू कर दिया गया था। मार्च, 1982 में इन संयंत्रों की 54 प्रतिशत औसतन क्षमता का उपयोग किया जा रहा था।

मानसून मौसम के आने से जब काफी मात्रा में घास पैदा हो जाती है, संतुलित पशु चारे की मांग आमतौर से कम हो जाती है। चूंकि आगामी वर्षों में इन संयंत्रों की क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग किए जाने की आशा है, अतः पशु चारा संयंत्रों पर किए जाने वाले पूंजी निवेश को भविष्य में बंद करना आवश्यक नहीं समझा जाता।

(ख) देश में लगाए गए अनेकों चारा विनिर्माण संयंत्रों के वास्तविक उत्पादन और उनकी अधिष्ठापित क्षमता के बारे में कोई प्रमाणित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

दालों की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता बढ़ाना

2240. **श्री कृष्ण कुमार गोयल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति दालों की उपलब्धता क्या रही है ; और

(ख) दालों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए कौन से कदम उठाए जाने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रति दिन दालों की प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धि नीचे दी गई है :—

वर्ष	दालों की प्रतिव्यक्ति निवल उपलब्धि (प्रति दिन ग्रामों में)
1979	44.7
1980	30.9
1981	39.2 (अ)

अ-अनंतिम

(ख) दलहनों की उपज और उत्पादन में वृद्धि करने के लिए भारत सरकार केन्द्रीय तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम लागू कर रही है, ताकि राज्य सरकारों के समान कार्यक्रमों में सहायता पहुंचाई जा सके। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत सम्भावित क्षेत्रों में प्रयास सकेन्द्रित किए जा रहे हैं तथा अन्य बातों के साथ-साथ प्रदर्शनों, उत्तम बीजों के उत्पादन और वितरण, समेकित कीट प्रबंध आदि को शुरू करने के लिए राज्य सरकारों को उदार पैमाने पर केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त, दलहनों की उपज और उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा उत्पादकता वर्ष, 1982 तथा नए बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष उपाय भी किए गए हैं। अन्य बातों के साथ-साथ इन उपायों में फास्फेट युक्त उर्वरक का उपयोग करना, बीच की फसल के रूप में अल्पावधि किस्मों के अंतर्गत क्षेत्र का विस्तार करना तथा सिंचित और असिंचित दोनों परिस्थितियों में अर्न्तवर्ती फसल पैदा करना भी शामिल है।

उपर्युक्त उपायों के अतिरिक्त, मूल्य समर्थन कार्यकलापों के माध्यम से दलहनों के मूल्यों में गिरावट आने की रोकथाम करने के उपाय भी किए जा रहे हैं।

सूखा प्रवण क्षेत्रों की राज्य वार सूची

2241. **श्री उत्तम राठौर** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने देश भर के सूखा प्रवण क्षेत्रों की राज्य-वार सूची तैयार की है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जिला उस्मानाबाद तथा जिला औरंगाबाद की कुछ तहसीलों जैसे क्षेत्रों को, जो कि सबसे अधिक सूखा प्रवण क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र राज्य को सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार सूची का पुनरीक्षण करेगी और जिला उस्मानाबाद को सूखा प्रवण क्षेत्रों की सूची में सम्मिलित करेगी ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी, हां। सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अधीन लिए गए जिलों की संख्या के बारे में राज्य-वार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) महाराष्ट्र सरकार ने सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत उस्मानाबाद जिले के छह खण्डों और औरंगाबाद जिले के सात खंडों को शामिल करने का सुझाव दिया था। इन इलाकों में से कार्यदल जिसने देश में इस कार्यक्रम के कार्यक्षेत्र की पुनरीक्षा की थी, द्वारा इस कार्यक्रम के अंतर्गत नए क्षेत्रों को शामिल करने के लिए निर्धारित मानदण्डों को औरंगाबाद जिले के केवल 5 खंडों अर्थात् आम्बद गंगापुर, बैजापुर, कन्नड़ तथा पैथान ने ही पूरा किया था। इन पांच खंडों को सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल कर लिया गया है।

(ग) राज्य सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत लिए गए क्षेत्र

राज्य	कार्यक्रम के अन्तर्गत लिए गए जिलों की संख्या	कार्यक्रम के अन्तर्गत लिए खंडों की संख्या
1.	2.	3.
1. आंध्रप्रदेश	7	66
2. बिहार	2	31
3. गुजरात	8	42
4. हरियाणा	1	9
5. जम्मू और काश्मीर	2	12
6. कर्नाटक	10	70
7. मध्य प्रदेश	6	48
8. महाराष्ट्र	9	53
9. उड़ीसा	4	39
10. राजस्थान	4	18
11. तमिलनाडु	3	30
12. उत्तर प्रदेश	10	63
13. पश्चिम बंगाल	3	29
योग	69	510

ग्रीन फील्ड्स पब्लिक स्कूल का डी० डी० ए० की जमीन पर अवैध कब्जा करना

2242. **श्री एस० एन० प्रसन्न कुमार** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "डी" ब्लाक विवेक बिहार, दिल्ली "झिलमिल" ताहिरपुर आवासीय योजना में ग्रीन फील्ड पब्लिक स्कूल ने डी० डी० ए० की जमीन पर अवैध कब्जा किया है और इस प्रकार अवैध कब्जा को हथियाने के लिए 7 फुट की दीवार बना दी है ;

(ख) क्या डी० डी० ए० के कुछ अधिकारियों की जानकारी में और उनसे साठ गांठ करके ऐसा किया गया है ;

(ग) क्या स्कूल के अधिकारियों ने भवन नक्शों और उपनियमों का उल्लंघन करते हुए बाउंडरी दीवार के बहुत बड़े भाग के साथ शेड बनाया है जिसका केन्टीन के रूप में उपयोग किया जाता है जहां से अवैध रूप से बनी केंटीन के सामने के निवासियों को वहां से निकलने वाले धुएं के कारण होने वाले प्रदूषण का शिकार होना पड़ रहा है ; और

(घ) क्या सरकार अवैध कब्जे और अनियमितताओं के बारे में पूरी जांच करवा कर उसे तुरन्त हटायेगी और डी० डी० ए० के दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

उत्तर प्रदेश के भूमिहीन ग्रामीण हरिजनों को भूमि का वितरण

2243. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के भूमिहीन ग्रामीण हरिजनों को खेती के लिए जमीन दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के गांवों के भूमिहीन ग्रामीण हरिजनों को जमीन देने का कोई विचार है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी, हां ।

(ख) व (ग) भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी संशोधित कानूनों के अन्तर्गत उपलब्ध सूचना के अनुसार 1,38,644 एकड़ क्षेत्र को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के 1,41,847 लाभभोगियों में वितरित किया गया है । अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के राज्यवार वितरण तथा लाभभोगियों की संख्या से सम्बन्धित आंकड़े एकत्र नहीं किए जाते हैं । फालतू भूमि के वितरण के बारे में राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धांतों जो कि पूरे देश के लिए लागू हैं, के अनुसार भूमिहीन कृषि श्रमिकों विशेष रूप से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के श्रमिकों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में कदाचार

2244. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 अगस्त, 1982 के नवभारत टाइम्स में उचित दर की दुकानों के मालिक परेशान, खाद्य निगम के गोदामों में धांधली शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम में भ्रष्टाचार और कदाचार प्रचंड रूप में है और कम तौलने, उन डिपोओं को जो अपनी आवाज उठाते हैं, गलत रूप से काली सूची में शामिल करने आदि की शिकायतें हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) भारतीय खाद्य निगम का प्रमुख कार्य खाद्यान्नों की खरीदारी, संचयन, संचलन और वितरण करना है। निगम के कर्मचारियों को अपने दैनिक कार्य-कलापों में पब्लिक के साथ बहुत अधिक काम पड़ता है। विभिन्न कार्यों में अनियमितताओं और कदाचारों को रोकने के लिए विभिन्न स्तरों पर कड़ी सतर्कता बरती जाती है। तथापि, जब कभी निगम के प्रबन्ध के ध्यान में ऐसी शिकायतें आती हैं तब उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाती है। निगम का संतर्कता तन्त्र भ्रष्टाचार और कदाचारों के सभी मामलों को दूर करने के लिए कार्यरत रहता है। निगम द्वारा उपर्युक्त समाचार में उल्लिखित कम तौलने के दो विशिष्ट मामलों की जांच की गई थी और उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाही की गई थी। अतः यह कहना सच नहीं होगा कि भारतीय खाद्य निगम में कदाचार और भ्रष्टाचार प्रचंड रूप में है।

देश में और अधिक चीनी मिलें लगाना

2245. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ राज्यों को अपने यहां चीनी मिल लगाने की अनुमति दी है ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां चीनी मिलें लगाने का प्रस्ताव है ;

(ग) क्या यह चीनी मिलें चालू वित्त वर्ष में लगाई जा रही हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में 36 नई चीनी फैक्ट्रियां लगाने के लिए लाइसेंस/आशय पत्र जारी किए हैं। जारी किए गए लाइसेंसों/आशय पत्रों की राज्यवार अलग-अलग संख्या नीचे दी जाती है :—

राज्य	जारी किए गए आशय पत्रों/लाइसेंसों की संख्या
1	2
महाराष्ट्र	13
उ० प्र०	7
हरियाणा	3
पंजाब	3
मध्य प्रदेश	2

1	2
उड़ीसा	2
तमिलनाडु	2
कर्नाटक	1
गुजरात	1
दादर तथा नागर हवेली	1
मणिपुर	1
कुल अखिल भारत	36

(ग) और (घ) यह परिकल्पना की जाती है कि जिस चीनी परियोजना के लिए आशय पत्र/लाइसेंस जारी किया गया है वह पूरी तरह कार्य शुरू करने के लिए 39 महीनों तक का समय ले सकती है। अतः अब तक जिन मिलों के लिए लाइसेंस दिए गए हैं उनमें से अधिकांश मिलों के 31-3-83 तक पूरी तरह कार्य शुरू करने की सम्भावना कम है।

करनाल बंट/कोकोनट बिल्ट बीमारियां

2246. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान निकाली गई "वार्षिक अनुसंधान उल्लेखनीय बातों" अथवा मंत्रिमंडल को भेजी गई उनकी पाक्षिक रिपोर्टों में "करनाल बंट" अथवा कोकोनट बिल्ट बीमारियों के सम्बन्ध में अनुसंधान निष्कर्षों का उल्लेख किया गया है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार भारतीय कृषि अनुसंधान के उच्च प्रबंध अधिकारियों की उचित पर्यावरण के अभाव के कारण पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुसंधान और विकास कार्यों में नितान्त असफलता के लिए सुधारात्मक कार्यवाही करेगी ; और

(ग) क्या सरकार वर्तमान खराब हालत को सुधारने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को प्रधानमंत्री के प्रभाराधीन स्थानान्तरित करेगी ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां, श्रीमान। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रकाशित वार्षिक "रिसर्च हाईलाइट्स" (हिन्दी में अनुसंधान के बढ़ते चरण) में और पिछले पांच सालों के दौरान मंत्रिमंडल को भेजी गई भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की पाक्षिक रिपोर्टों में करनाल बन्ट और नारियल की उकठा बीमारियों पर किए गए अनुसंधान के परिणामों को दिया गया है। संलग्न विवरण में इसका विस्तृत ब्यौरा दिया गया है।

(ख) उपरोक्त (क) भाग में बताई गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारतीय कृषि अनु-

संधान परिषद के शीर्ष प्रबन्ध के खिलाफ कदम उठाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि परिषद के प्राप्ति और प्रेषण कार्य में कोई कमी नहीं है।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक की देख-रेख में सुचारू रूप से कार्य कर रही है और इन सबके ऊपर अध्यक्ष, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अर्थात कृषि मंत्री पूरा दिशा निदेश देते हैं। इसलिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सीधे तौर पर प्रधान मंत्री के अन्तर्गत रखने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

करनाल बन्ट : भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् द्वारा प्रकाशित वर्ष 1979 और 1980 के "रिसर्च हाईलाइट्स" में करनाल बन्ट रोग पर किये गये अनुसन्धान के परिणामों को दिया गया है। इसी तरह से, भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् की दिनांक 18 जुलाई, 1978 ; 21 मई, 1979 ; 21 मई, 1980; और 6 अगस्त, 1980 को मन्त्रिमंडल को भेजी गई पाक्षिक रिपोर्टों में अनुसन्धान परिणामों को दिया गया है।

उपरोक्त रिपोर्टों में दिये गये अनुसन्धान परिणामों से पता चला है कि रोग मुक्त और रासायनिक दवा से उपचारित बीजों का प्रयोग किया जाय, उगाने के लिए कम से कम रोगग्राही किस्मों का प्रयोग किया जाये। पंजाब के स्थानिक ग्रस्त क्षेत्रों में गेहूं की इस रोग से प्रभावित होने वाली "डब्ल्यू एल 711" किस्म को न उगाने की चेतावनी दी गयी है और रोग के प्रतिरोधी गेहूं की किस्मों की छंटाई के लिए विकसित तरीकों के बारे ने बताया गया है। मौजूदा किस्मों में से रोग को सहन करने वाली किस्मों का पता लगाने के लिए विशेष जोर दिया गया है और स्थानिक ग्रस्त क्षेत्रों में विविधता के लिए नयी रोग रोधी किस्में भी विकसित की जा रही हैं।

नारियल का उकठा रोग :

नारियल उकठा रोग के अनुसन्धान परिणाम 1977, 1978, 1980 और 1981 में प्रकाशित भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् "रिसर्च हाईलाइट्स" में शामिल कर लिये गये थे।

इस रोग के अनुसन्धान परिणाम भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् की पाक्षिक रिपोर्ट में भी शामिल कर लिये गये, जो 20 अप्रैल, 1982 को मन्त्रिमण्डल को भेजी गई।

उपर्युक्त रिपोर्टों में ये अनुसन्धान परिणाम शामिल थे : रोग-रोधिता के लिए सम्वर्धों और संकरों को छांटना, नारियल की बेस्ट कोस्ट टॉल किस्म, जो कि उकठा रोग से प्रभावित हो जाती है, की अपेक्षा राष्ट्रीय बौनी किस्मों की श्रेष्ठ उत्पादन क्षमता का पता लगाना, पोटाशियम, मैंगनिशियम और कैलशियम के रोगी वृक्षों पर प्रभाव की जांच करना, उर्वरक और सूक्ष्म तत्व के साथ-साथ पलवार से रोग की रोक-थाम और दक्षिणी सीमा, जिसमें समूचा त्रिचूर जिला आता है, में रोगमुक्त क्षेत्र तैयार करना और रोगी पेड़ों की जगह स्वस्थ पौध लगाना। एक अन्य प्रमुख कदम है, नये बागानों में रोग मुक्त क्षेत्रों से लायी पौद को उपयोग करना।

सभी मौसम में चालू रहने वाली सड़कों के साथ गांवों का जोड़ा जाना

2247. **श्री सूरजभान :**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों तथा संघ क्षेत्रों में अब भी ऐसे कितने गांव हैं जो सभी मौसम में चालू रहने वाली सड़कों से नहीं जुड़े हैं ;

(ख) इस सम्बन्ध में क्या योजना है और प्रत्येक गांव सड़क से कब तक जोड़ दिया जाएगा; और

(ग) पहाड़ी क्षेत्रों के लिए क्या विशेष योजनाएं विचाराधीन हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के प्रलेख में यह परिकल्पना की गई हैं कि 1500 से ऊपर की जनसंख्या वाले सभी गांबों और 1000-1500 के बीच की जनसंख्या वाले 50% गांवों को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के भाग के रूप में 1990 तक सभी मौसमों में खुली रहने वाली सड़कों से जोड़ दिया जाएगा और इस कार्यक्रम के लगभग 50% वास्तविक लक्ष्य को 1985 तक पूरा कर लिया जाएगा।

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के प्रलेख में यह परिकल्पना की गई है कि पहाड़ी, आदिवासी, रेगिस्तानी तथा तटवर्ती इलाकों जहां जनसंख्या बिखरी हुई है, के मामलों में सामूहिक गांवों के दृष्टिकोण को अपनाया जाएगा।

विवरण

उन गांवों की संख्या जिन्हें अभी सभी मौसमों में खुली रहने वाली सड़कों से जोड़ा जाना है (अनन्तिम)

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र		सभी मौसमों में खुली रहने वाली सड़कों से अभी जोड़े जाने वाले गांवों की संख्या (अनन्तिम)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	16459
2.	असम	10846
3.	बिहार	47872
4.	गुजरात	9034
5.	हरियाणा	178
6.	हिमाचल प्रदेश	14791
7.	जम्मू व कश्मीर	3017
8.	कर्नाटक	19323
9.	केरल	—
10.	मध्य प्रदेश	56711
11.	महाराष्ट्र	25479
12.	मणिपुर	1600
13.	मेघालय	2383
14.	नागालैंड	332
15.	उड़ीसा	53684
16.	पंजाब	191
17.	राजस्थान	27900
18.	सिक्किम	258
19.	तमिलनाडु	11245
20.	त्रिपुरा	3660

1	2	3
21.	उत्तर प्रदेश	103227
22.	पश्चिम बंगाल	21179
23.	अरुणाचल प्रदेश	3263
24.	अंडेमान व निकोबार द्वीपसमूह	145
25.	चंडीगढ़	—
26.	दादरा एवं नगर हवेली	16
27.	दिल्ली	—
28.	गोवा, दमण व दिव	33
29.	लक्षद्वीप	अप्राप्य
30.	पांडिचेरी	39
31.	मिजोरम	187
	योग	433252

चीनी पर चुंगी में असमानता

2248. **श्री जगपाल सिंह :**

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव :

श्री रसीद मसूद :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई और मद्रास जैसे शहरों की तुलना में दिल्ली में चीनी पर चुंगी अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में चुंगी की तुलनात्मक दरें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार चुंगी की दरों में व्यापक असमानता दूर करने के प्रश्न पर विचार करेगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) संघ शासित प्रदेश दिल्ली में मंगवाई जाने वाली चीनी पर सीमाकर/चुंगी शुल्क 11 रुपये प्रति क्विंटल है। बम्बई में मूल्यानुसार 1/2 प्रतिशत की दर पर वसूल किया जाता है। मद्रास और कलकत्ता में चीनी पर लिये जाने वाले चुंगी शुल्क की दरों के बारे में सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) चुंगी शुल्क को स्थानीय निकायों अर्थात् नगर निगम आदि द्वारा लगाया जाता है। इसलिए विभिन्न जिन्सों पर लिये जाने वाले चुंगी शुल्क की दरों का निर्धारण करने का कार्य मुख्यतया स्थानीय निकाय और राज्य सरकारें करती हैं।

राजस्थान को चीनी और गेहूं की सप्लाई

2249. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वहां वितरण के लिये दिया जा रहा गेहूं और चीनी का कोटा राज्य की वर्तमान आबादी के अनुरूप नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली से राजस्थान को सप्लाई किया गया गेहूं बहुत घटिया किस्म का है ; और

(घ) क्या ग्रामीण लोगों को चार अथवा पांच अकालों के कारण कष्ट उठाना पड़ा है और उन्हें शहर के निवासियों के समान आबंटित कोटा नहीं मिलता है ; और

(ङ) यदि हां, तो यह भेदभाव क्यों है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) राजस्थान समेत विभिन्न राज्यों को खाद्यान्नों का आबंटन केन्द्रीय पूल में स्टाक की समूची उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं, बाजार उपलब्धता और अन्य सम्बद्ध तथ्यों को ध्यान में रखकर मासिक आधार पर किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जैसी उसकी इस समय स्थिति है, से राज्य की समूची खपत सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यवहार्यतः आशा नहीं की जा सकती है। जनसंख्या की जरूरतें खुले बाजार की प्रक्रिया से पूरी की जाती है और उसमें कमी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से पूरा किया जाता है।

जहां तक चीनी का सम्बन्ध है, लेवी चीनी के राज्यवार मासिक कोटों में अप्रैल, 1982 से संशोधन किया गया था ताकि 1-3-1981 को जनसंख्या के आधार पर प्रति व्यक्ति 425 ग्राम चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। तदनुसार राजस्थान सरकार को प्रतिमास 14,494 मीटरी टन चीनी का कोटा मिल रहा है। प्रत्येक राज्य में मौजूदा जनसंख्या अपेक्षाकृत कुछ अधिक है जिससे विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति उपलब्धता में आनुपातिक कटौती हुई है।

(ग) जी, नहीं। राज्य सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से बांटने के लिए उचित औसत किस्म सम्बन्धी मानकों के अनुरूप स्टाक ही दिया गया है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय पूल से राज्य सरकारों को खाद्यान्नों का आबंटन किया जाता है और राज्य के अन्दर वितरण की निगरानी सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

सुपारी का उत्पादन

2250. **श्री एम० रामन्ना राय** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितनी सुपारी का उत्पादन हुआ है (राज्यवार) और सुपारी उत्पादक राज्यों के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या देश में उत्पादित सुपारी देश की आवश्यकता पूर्ति के लिए पर्याप्त है ; और

(ग) क्या सरकार ने सुपारी के निर्यात के लिए कोई लाइसेंस जारी किया है या कोई लाइसेंस जारी करने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन): (क) वर्ष 1980-81 के दौरान सुपारी के राज्यवार उत्पादन को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) देश में उत्पादित सुपारी की मात्रा घरेलू खपत के लिए पर्याप्त है।

(ग) उपभोक्ता मद के रूप में सुपारी के आयात पर प्रतिबन्ध है। अतः सामान्यतः विशेष रूप से इस मद के आयात के लिए कोई आयात लाइसेंस नहीं दिया जाता है। तथापि, मुख्य आयात तथा निर्यात नियंत्रक द्वारा जारी किए गए आयात लाइसेंसों का विस्तृत विवरण संसद के ग्रन्थागार में उपलब्ध है। सरकार का विचार निर्धारित नीति का अनुसरण करते रहने का है।

विवरण

सुपारी का उत्पादन

1980-81

(हजार मीटरी टन)

1	2
आंध्र प्रदेश	0.2
असम	49.8
कर्नाटक	79.2
केरल	53.2
महाराष्ट्र	2.5
मेघालय	0.9
तमिलनाडु	3.0
त्रिपुरा	0.4

1	2
पश्चिम बंगाल	0.8
गोवा, दमन और दीव	1.3
मिजोरम	0.1
अखिल भारत	191.4

नोट : उत्पादन से सम्बन्धित आंकड़े सूखी गिरी से सम्बन्धित हैं जिसमें छिलका शामिल नहीं है (परिसंस्कृत गिरी)।

जल संसाधनों का उपयोग

2251. **श्री आर० पी० गायकवाड़ :**

श्री सुभाषचन्द्र बोस अल्लूरी :

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार जल की हानि कम करने, अधिक क्षेत्रों में सिंचाई करने, सिंचाई की नालियों की लाइनिंग के लिये आधुनिक तकनीक का पता लगाने, जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने और वर्तमान जल भंडारों की कुशल संचालन बढ़ाने के लिये क्या उपाय कर रही है ; और

(ख) उक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये प्रस्तावित योजनाएं तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जल की हानियों को कम करने तथा अतिरिक्त क्षेत्रों तक सिंचाई का विस्तार करने की दृष्टि से, वारबंदी की शुरूआत, रात्रि को सिंचाई. नियंत्रण संरचनाओं के निर्माण तथा नहर प्रणालियों में भापक-साधनों जैसे विभिन्न उपाय, और जहां आवश्यक हो, नहरों को पक्का करने की विभिन्न पद्धतियां लागू करने के लिए राज्यों को कहा गया है।

(ख) अब तक राज्य सरकारों द्वारा 36 आधुनिकीकरण स्कीमें तैयार की गई हैं और केन्द्रीय जल आयोग को भेजी गई हैं। इन स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

आधुनिकीकरण स्कीमों का ब्यौरा

क्रम सं०	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	लागत लाख रुपये में	लाभ हजार हैक्टेयर में
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	कृष्णाडेल्वन प्रणाली का आधुनिकीकरण	29171.00	18.00
2.	बिहार	कर्मतासा सिंचाई स्कीम का आधुनिकीकरण	704.00	12.55

1	2	3	4	5
3.	तदेव	दुर्गावती नहर की आधुनिकीकरण स्कीम	1246.00	17.57
4.	तदेव	कांची सिंचाई स्कीम का आधुनिकीकरण	485.57	16.19
5.	तदेव	सोन नहर आधुनिकीकरण स्कीम	33918.40	433.82
6.	तदेव	कमला सिंचाई स्कीम का आधुनिकीकरण	1149.00	25.95
7.	तदेव	खुदिया जलाशय स्कीम	296.14	0.60
8.	गुजरात	खारीकट नहर प्रणाली (अहमदाबाद) का आधुनिकीकरण	5474.23	1.80
6.	तदेव	शकुजी (पोलो थाना) (भावनगर) का आधुनिकीकरण	1343.70	0.20 (नगण्य)
10.	तदेव	फतेवाड़ी नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण (अहमदाबाद)	1350.65	9.70
11.	तदेव	मच्छु-I (राजकोट) का आधुनिकीकरण	580.04	2.60
12.	गुजरात	उकई ककरापार (सूरत) का आधुनिकीकरण	7125.48	52.857
13.	तदेव	दन्तीवाड़ा जलाशय परियोजना (बनासकाठा और मेहसाना) का आधुनिकीकरण	1952.91	4.90
14.	तदेव	भादर परियोजना (राजकोट) का आधुनिकीकरण	1015.00	4.62
15.	हरियाणा	वर्तमान चैनलों-सोपान-I का आधुनिकीकरण	7711.00	96.377
16.	तदेव	वर्तमान चैनलों सोपान-II का आधुनिकीकरण	8978.00	116.140
17.	कर्नाटक	तुंगभद्रा परियोजना (बेलेरी) की वर्तमान सिंचाई प्रणाली का आधुनिकीकरण	1877.35	6.00

1	2	3	4	5
18.	तदेव	तुंगभद्रा बोर्ड की (कर्नाटक में बेलेरी जिला और आंध्र प्रदेश में अनन्तपुर) की तुंगभद्रा परियोजना की दक्षिण तट की उच्च स्तरीय नहर का सुधार	158.57	6.475
19.	कर्नाटक	तुंगभद्रा बोर्ड (कर्नाटक) कर्नाटक में बेलेरी और आंध्र प्रदेश में करनूल जिले) की तुंगभद्रा परियोजना की दक्षिण तट की विद्युत नहर और उच्च स्तरीय नहर का सुधार	415.65	8.498
20.	पंजाब	पंजाब सिंचाई परियोजना सोपान-II (चैनलों आदि का पक्का करना)	364.48	493.550
21.	तदेव	चैनलों, वितरणियों और माइनरों को पक्का करने के लिए पंजाब सिंचाई परियोजना सोपान-I	152·03	236.437
22.	तदेव	शाह नगर नहर प्रणाली का विस्तार और सुधार	1062.79	641.87
23.	तदेव	फरीदकोट वितरण प्रणाली को पक्का करना	80.72	1.462
24.	राजस्थान	मालवा सिंचाई का आधुनिकीकरण	258.84	0.641
25.	तदेव	गुडहा सिंचाई का आधुनिकीकरण	225.50	4.488
26.	तदेव	पारवती नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण	124.04	6.995
27.	तदेव	मोरेल सिंचाई का आधुनिकीकरण	1000.00	11.230

"हुडको" और केन्द्र सरकार को गुजरात से प्राप्त योजना

2252. **श्री रामजी भाई मावणि :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात हाउसिंग बोर्ड और गुजरात सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, निर्धन लोगों, साधारण लोगों, सरकारी कर्मचारियों और समाज के कमजोर वर्गों को भूमि, प्लाट, आवासीय स्थल और सरकारी और अर्ध सरकारी क्वार्टर तथा मकान आबंटित करने के लिए 1-1-1981 से 31-12-1981 के दौरान और

1-1-1982 से 30-9-82 के दौरान "हुडको" और केन्द्र सरकार को बड़ी संख्या से योजनायें प्रस्तुत की थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) उन पर "हुडको" और केन्द्र सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(घ) उक्त अवधि में "हुडको" और केन्द्र सरकार द्वारा कितनी सहायता और सुविधा दी गई, स्वीकृत की गई और प्रस्ताव किया गया ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) गुजरात में आवास योजनाएं राज्य सरकार द्वारा अपने वार्षिक योजना प्रावधानों में से बनाई जाती है और कार्यान्वित की जाती है। तथापि, हुडको जो एक सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है, अपने मानदण्डों के अनुसार जब कभी योजनायें प्राप्त होती हैं विभिन्न आवास अभिकरणों को वित्तीय सहायता देता है।

गुजरात आवास बोर्ड तथा गुजरात में अन्य अभिकरण से हुडको को प्राप्त हुई योजनाओं के ब्यौरे तथा 1-1-1981 से 30-9-1982 तक स्वीकृत योजनायें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

1-1-1981 से 30-9-82 के दौरान हुडको द्वारा प्राप्त योजनायें तथा स्वीकृत योजनाओं के ब्योरे

अवधि	गुजरात आवास बोर्ड			गुजरात के अन्य अभिकरण		
	योजनाओं की सं०		ऋण स्वीकृत (करोड़ रुपयों में)	योजनाओं की सं०		स्वीकृत ऋण (करोड़ रुपयों में)
	प्राप्त	स्वीकृत		प्राप्त	स्वीकृत	
1-1-1981 से 31-12-1981 तक	17	8	6.86	45	35	13.35
1-1-82 से 30-9-82 तक	26	5	3.26	58	33	11.06

परमाणु ऊर्जा का कृषि में उपयोग

2253. **श्री सुभाषचन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परमाणु ऊर्जा का कृषि में उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) परमाणु ऊर्जा के प्रयोग से क्या किस्में (स्ट्रैन्स) तैयार की गई हैं ;

(ग) अधिक खाद्य उत्पादन प्राप्त करने के सम्बन्ध में उनका क्या कार्य निष्पादन है ; और

(घ) परमाणु ऊर्जा के उपयोग से खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए भविष्य में क्या कार्यक्रम है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) नाभिकीय तकनीकों वाली अनुसन्धान भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान में 1955 में आरम्भ किया गया था और इसके लिए मृदा विज्ञान और कृषि रसायन विज्ञान प्रभाग में एक रेडियो-ट्रेसर लैबोरेटरी की स्थापना की गई थी। इसके बाद, संस्थान के अन्य प्रभागों में रेडियो-आइसोटोप सम्बन्धी अनुसन्धान की भी व्यवस्था की गई—इसमें वनस्पति विज्ञान प्रभाग के अन्तर्गत एक गामा सेल और एक गामा गार्डेन को चालू किया जाना भी शामिल है। फिर, 1968 में यू० एन० डी० पी० प्रायोजना के शुरू होने पर रेडियो आइसोटोप के क्षेत्र में बुनियादी और व्यावहारिक अनुसंधान को और अधिक गहन बनाना सम्भव हो सका—जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय कृषि अनुसंधान शाला में एक नाभिकीय अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की गई और अन्य केन्द्रों जैसे—भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर (यू० पी०), राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल (हरियाणा) और भाभा अणु अनुसंधान केन्द्र, बम्बई में अनुसंधान के लिए नाभिकीय ऊर्जा के प्रयोग की सुविधा को सुदृढ़ किया गया। यू० एन० डी० पी० प्रायोजना का लक्ष्य अन्तःशाखीय और अन्तः संस्थानीय सहयोग में वृद्धि करना था जिससे कि पशु पालन सहित भारतीय कृषि से सम्बन्धित समस्याओं को हल करने में परमाणु ऊर्जा के इस बहुमूल्य साधन का कारगर ढंग से उपयोग किया जा सकेगा।

(ख) नाभिकीय विकिरण का प्रयोग करके नये सस्य प्रतिमानों के लिए उपयुक्त प्लान्ट टाइप की पुर्नसंरचना, विस्तृत रूप में परिवर्तनशीलता पैदा करना, कुछ विशिष्ट त्रुटियों का संशोधन, रोग-प्रतिरोधिता का समावेश, पोषक क्वालिटी में परिवर्तन लाने आदि में प्रगति लाई गई है। इन तकनीकों का प्रयोग करके निम्नलिखित किस्मों का विकास किया गया :

फसल	किस्मों का नाम
गेहूं	एन० आई० 5643, सफेद लरमा, सरबती, सोनोरा आई० एल० 20-9, एन० पी० 836.
जौ	आई० एल० 25-3, आर० डी० बी०-1, आर० डी० 103.
चावल	एच० बी० एम० टी० यू० 95, सी० एन० एम०-6, सी० एन० एम०-20, सी० एन० एम०-25, सी० एन० एम०-31, जगन्नाथ, बी० जी० 24, सी० आर० एम० 13, कल्चर नं० 1
ब्रेसिका	आर० एल० एम०-198.
जूट	टी० जे०-40
मूंगफली	टी० जी-1, सी० सी०-3, टी० सी०-17
अरंडी	अरुणा
बाजरा	एन० एच० बी०-3, एन० एच० बी-4, एन० एच० बी०-5.
फ्रेंचबीन	पूसा पार्वती

इनमें से कुछ किस्मों ने मात्रा और गुण दोनों दृष्टियों से बेहतर पैदावार दी है और कृषकों में लोकप्रिय हो चुकी हैं।

(ग) और (घ) अन्य देशों की तरह भारत में भी फसल के पौधों की उन्नत फार्म किस्मों को विकसित करने और रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों जैसे विभिन्न कृषि निवेशों के उपयोग कों अधिक कारगर बनाने में विकिरण तकनीक के प्रयोग के लिए व्यापक क्षेत्र हैं। इस तरह के कार्यों के आधार पर हमारे देश में पहले ही मूंगफली और कास्टरबीन और अनेक दूसरी फसलों की उन्नत किस्में वितरित की गई हैं। भारत सरकार ने इस क्षेत्र में अनुसंधान कार्य को प्राथमिकता देना जारी रखा है और इस क्षेत्र में देश के अनेक अनुसंधान केन्द्र अनुसंधान कार्यक्रमों को जारी रखेंगे।

फलों और सब्जियों के उत्पादन में वृद्धि करने और फलोद्यानों को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक की सहायता

2254. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां फलों और सब्जियों के उत्पादन में वृद्धि करने और फलोद्यानों को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक द्वारा परियोजनाएं चलाई जा रही हैं ;

(ख) ऐसी प्रत्येक परियोजना की मुख्य विशेषताएं तथा निर्धारित लक्ष्य क्या हैं और अब तक कितने लक्ष्य की प्राप्ति हुई है ;

(ग) फल विपणन को लाभप्रद बनाने और किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य देने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं ; और

(घ) उन फलों के नाम क्या हैं जिनकी खरीद सरकार ने 'नाफेड' जैसे सरकारी क्षेत्र की एजेन्सी को सौंप कर प्रोत्साहन दिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) बागानी फसलों, जैसे काजू, नारियल, काली मिर्च, आदि के विकास के लिए विश्व बैंक की सहायता से निम्नलिखित परियोजनाएं चलाई जा रही हैं जिनका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है :

परियोजनाएं	जिन राज्यों में ये परियोजनाएं चलाई जा रही हैं
बहु-राज्य काजू परियोजना,	केरल, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश तथा उड़ीसा
केरल कृषि विकास परियोजना	केरल

(ख) उक्त परियोजनाओं की प्रमुख विशेषताएं नीचे दी गई हैं :

1. बहु-राज्य काजू परियोजना :

परियोजना में वर्ष 1980 से 5 वर्ष की अवधि में 38.36 करोड़ रुपये की कुल लागत से काजू के तहत और अधिक क्षेत्र लाने तथा केरल, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में काजू के मौजूदा फलोद्यानों में सुधार लाने की व्यवस्था है। सम्पूर्ण अवधि के लक्ष्य तथा अभी तक प्राप्त अनुमानित उपलब्धियां निम्न प्रकार हैं :

मद	5 वर्षीय परियोजना अवधि के लक्ष्य (हैक्टार)	अभी तक प्राप्त उपलब्धियां
1. नए बागान	53,775	12,646
2. काजू फलोद्यानों का सुधार	7,500	4,322

2. केरल कृषि विकास परियोजना :

परियोजना में केरल राज्य में अवसंरचना को सुदृढ़ करके नारियल, काली मिर्च, काजू तथा अन्य फसलों का सघन उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है । 7 वर्ष की अवधि में परियोजना की कुल लागत 61.90 करोड़ रुपये होगी । परियोजना अवधि के वास्तविक लक्ष्य तथा अभी तक प्राप्त उपलब्धियों का विवरण नीचे दिया गया है :

मद	7 वर्ष की अवधि का लक्ष्य (हैक्टार)	अभी तक प्राप्त उपलब्धियां
1. नारियल के तहत लाया गया नया क्षेत्र	6,000	3,818
2. मौजूदा नारियल का सुधार	30,000	9,841
3. काली मिर्च का सुधार	10,000	8,786
4. नारियल, काजू, कोकी तथा मसालों के लिए बीज-बागानें लगाना	435	307
5. काजू के तहत लाया गया नया क्षेत्र	1,470	1,245
6. काजू का सुधार	2,280	2,280
7. नारियल के क्षेत्र में अन्तवर्ती फसल लगाना	26,500	3,791

(ग) तथा (घ) : इस दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं :

1. नई मण्डियों का विकास ।

2. अनेक राज्यों में बागवानी विभागों का पृथक से सृजन करना ।

3. कुछ राज्यों में विपणन सम्बन्धी अवस्थापनात्मक सुविधाओं का सृजन करना ।

4. सहकारी समितियों द्वारा विपणन ऋण ।

5. सार्वजनिक, सहकारी तथा निजी क्षेत्र में परिसंस्करण कारखानों की स्थापना करना ।

6. मण्डी आसूचना तथा बाजार की परिस्थितियों के अध्ययन की व्यवस्था करना ।

7. सब के लिए जम्मू व कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बागानी उत्पाद विपणन तथा परिसंस्करण निगमों की स्थापना करना ।

8. सेव तथा अखरोट हेतु विपणन तथा परिसंस्करण सम्बन्धी प्रभावी अवसंरचना के सृजन के लिए जम्मू व कश्मीर में 24.22 करोड़ रुपये तथा हिमाचल प्रदेश में 16.31 करोड़ रुपये के कुल निवेश से विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाओं को स्वीकृति देना।

9. राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नाफेड), हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन तथा परिसंस्करण निगम (एच० पी०-एच० पी० एम० सी०), जम्मू व कश्मीर बागवानी उत्पाद विपणन और परिसंस्करण निगम (जे० एण्ड के०-एच० पी० एम० सी०) तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र और सहकारी संगठनों द्वारा सेवों के विपणन का कार्य किया जाता है।

10. विपणन अवधि बढ़ाने के लिए शीतागारों की स्थापना करना।

11. निकृष्ट श्रेणी के फलों का उपयोग करना।

12. नाफेड तथा अन्य संगठन बहुत सी बागवानी जिन्सों जैसे सेव, अंगूर, सन्तरा, प्याज, आलू, आम, अन्नानास, आदि के विपणन सम्बन्धी कारोबार में लगे हैं।

भूमि सुधार के लिये केन्द्र के मार्गनिदेश

2255. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा शुरू किये गये भूमि सुधारों के लिये केन्द्री मार्गनिदेश तैयार करने पर विचार करेगी ; और

(ख) क्या वह भूमि सुधार कानूनों को अनावश्यक कानूनी उलझनों से बचाने के लिये इन्हें संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करेगी ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी संशोधित कानूनों के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय मार्गनिर्देश पहले से ही मौजूद हैं।

(ख) भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी सभी प्रमुख कानूनों को नवीं अनुसूची में पहले ही शामिल किया जा चुका है। कुछेक राज्य सरकारों ने कुछ नये संशोधन कानूनों जिनके बारे में न्यायालयों में चुनौतियां दिए जाने की सम्भावना है, को शामिल करने का सुझाव दिया है। इस पर कानूनी तथा अन्य पहलुओं की जांच किये जाने के पश्चात निर्णय लिया जायेगा।

डब्ल्यू-5 ग्रेड के कच्चे जूट का खरीद मूल्य

2256. **श्री अजीत कुमार साहा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने आगामी मौसम के लिए डब्ल्यू-5 ग्रेड के कच्चे जूट का मूल्य वर्तमान मूल्य 175 रु० प्रति क्विंटल के स्थान पर 275 रु० प्रति क्विंटल करने का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) सरकार ने 1982-83 के मौसम के लिए असम में डब्ल्यू-5 ग्रेड की कच्ची पटसन का सांविधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य जुलाई, 1982 में घोषित किया था।

आगामी वर्ष के लिए कृषि मूल्य आयोग कच्चे पटसन के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट यथा समय प्रस्तुत कर देगा और कृषि मूल्य आयोग पश्चिम बंगाल सरकार के विचारों पर पहले की तरह ही विचार करेगा।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्न वसूली के लक्ष्य प्राप्त करना

2257. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा विभिन्न राज्यों से कुल कितने खाद्यान्न और खाद्य वस्तुओं की वसूली की गई और उनके राज्य वार ब्यौरे क्या हैं ;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों के लिए निर्धारित वसूली लक्ष्य प्राप्त कर लिए गये हैं और उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सकें और तत्संबन्धी ब्यौरे क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार को भारतीय खाद्य निगम के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) सरकार ने खाद्यान्नों की वसूली के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। तथापि, 1981-82 की फसल से भारतीय खाद्य निगम द्वारा सीधे 67.70 लाख मीटरी टन और अन्य एजेंसियों द्वारा 84·22 लाख मीटरी टन खाद्यान्न की वसूली की गई है। 1982-83 खरीफ फसल से वसूली का कार्य पहली अक्तूबर से शुरू हुआ है और 15 अक्तूबर, 1982 तक भारतीय खाद्य निगम द्वारा 22 हजार मीटरी टन चावल और अन्य एजेंसियों द्वारा 34 हजार मीटरी टन मात्रा की वसूली की गई है।

राज्यवार वसूली के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) सरकार को जो शिकायतें प्राप्त हुई थीं उन पर तुरन्त कार्यवाही की गई थीं और भारतीय खाद्य निगम तथा अन्य एजेंसियों द्वारा सुधारात्मक उपाय किए गए थे।

विवरण

1981-82 और 1982-83 की फसलों से खाद्यान्नों की वसूली बताने वाला विवरण

(हजार मी० टन में)

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	1981-82 फसल		1982-83 फसल	
	भा० खा० नि० द्वारा सीधे ही	अन्य एजेंसियों द्वारा	भा० खा० नि० द्वारा सीधे ही	अन्य एजेंसियों द्वारा
1. आन्ध्र प्रदेश	1049	44	—	—
2. असम	2	42	—	—
3. बिहार	2	62	—	—
4. गुजरात	—	19	—	—
5. हरियाणा	1168	975	2	—
6. हिमाचल प्रदेश	नग०	1	—	—
7. जम्मू और कश्मीर	—	73	—	—
8. कर्नाटक	—	162	—	—
9. केरल	—	नग०	—	—
10. मध्य प्रदेश	289	225	—	—
11. महाराष्ट्र	—	157	—	—
12. उड़ीसा	नग०	115	—	—
13. पंजाब	3870	4046	20	9
14. राजस्थान	169	—	—	—
15. तमिल नाडु	8	565	—	25
16. उत्तर प्रदेश	153	1935	—	—
17. पश्चिम बंगाल	45	—	—	—
18. अरुणाचल प्रदेश	3	1	—	—
19. चण्डीगढ़	नग०	नग०	—	—
20. दिल्ली	7	—	—	—
21. पाण्डिचेरी	5	—	—	—
जोड़	6770	8422	22	34

(नग०—500 मी० टन से कम)

केरल मछली पालन विभाग द्वारा मछली पकड़ने वाले विदेशी ट्रालरों को चार्टर करने के लिए मांगी गई अनुमति

2258. **श्री बी० एस० विजयराघवन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार के मछली पालन विभाग ने मछली पकड़ने वाले विदेशी ट्रालर चार्टर करने के लिए अनुमति मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो किस कम्पनी के साथ चार्टर करार पर हस्ताक्षर किये गए हैं और चार्टर करार की शर्तें क्या हैं ; और

(ग) क्या केन्द्र ने इस सम्बन्ध में अनुमति दे दी है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, नहीं । तथापि, केरल मात्स्यकी निगम लि० को, जो कि राज्य सरकार का एक प्रतिष्ठान है, सिंगापुर से विदेशी मत्स्यन ट्रालरों के पांच जोड़ों को चार्टर करने के लिए आशय पत्र जारी किया गया है ।

(ख) मैसर्स ट्रापी फौना प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर से चार्टर के समझौते पर हस्ताक्षर किए गये हैं । चार्टर समझौते की मुख्य शर्तें इस प्रकार हैं :—

1. समझौते की अवधि तीन वर्ष के लिए होगी, जिसका दो वर्ष के लिए और नवीकरण कराया जा सकता है ;

2. प्रचालन आधार के रूप में प्रचालन का क्षेत्र कोचीन के समुद्री क्षेत्र से बाहर होगा ;

3. विदेशी कम्पनी पकड़ी गई मछली को खरीदेगी तथा भारतीय कम्पनी के पक्ष में आवर्ती ऋण पत्र प्रभारित करेगी ;

4. कुल कर्मीदल में कम से कम बीस प्रतिशत भारतीय होंगे, जिसमें विदेशी स्किपरों, इंजीनियरों आदि का अध्ययन भी शामिल है ।

(ग) आशय पत्र को अनुमति पत्र में बदला जाना आशय पत्र में उल्लिखित प्रचालन पूर्व शर्तों को पूरा करने पर निर्भर करता है । चूंकि निगम ने अभी तक शर्तों को पूरा नहीं किया है, अतः इसे अनुमति नहीं दी गई है ।

दिल्ली नगर निगम के स्लम विभाग द्वारा किया गया काम

2259. **श्री त्रिलोक चन्द** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 1 अप्रैल, 1981 से 1 अक्तूबर, 1982 तक की अवधि के दौरान दिल्ली नगर निगम के स्लम विभाग द्वारा 100 विभिन्न सर्किलों में किये गए कार्यों पर क्षेत्र वार कितनी धनराशि खर्च की गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ क्षेत्रों में अधिक धनराशि खर्च की गई है, जबकि उनकी तुलना में कुछ अन्य क्षेत्रों में कम धनराशि खर्च की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिए कौन कौन से प्राधिकारी जिम्मेदार हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जैसा दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है निगम के परिमण्डल VII द्वारा (I) मलिन क्षेत्रों के निजी कटरों के पर्यावरणीय सुधार (II) मलिन क्षेत्रों ने निजी कटरों की मरम्मत तथा अनुरक्षण (III) दिल्ली नगर निगम के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नियमित अनधिकृत कालोनियों में विकास कार्य के लिए चुनाव क्षेत्र वार किया गया व्यय क्रमश: विवरण "क", "ख" तथा "ग" में दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) चुनाव क्षेत्रों में व्यय में भिन्नता के कारण जैसे निगम ने बताए हैं कि अगस्त-सितम्बर 1980 में दिल्ली नगर निगम के मलिन क्षेत्रों में निजी कटरों के पर्यावरणीय सुधार के लिए दिल्ली नगर निगम को 100 लाख रुपये की एक राशि दी गई थी और इसी प्रकार दिल्ली नगर निगम के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नियमित अनधिकृत कालोनियों के विकास के लिए 100 लाख रुपये की एक अन्य राशि दिल्ली नगर निगम को दी गई थी। निधियों पर नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए स्थल की आवश्यकताओं के अनुसार ये कार्य दिल्ली नगर निगम द्वारा आरम्भ किये गए थे और जब कभी दिल्ली नगर निगम द्वारा बताई गई योजनाओं के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त हुए उससे चुनाव क्षेत्रों के व्यय में भिन्नता हुई। व्यय में भिन्नता का एक अन्य कारण यह है कि कतिपय चुनाव क्षेत्रों में अन्य चुनाव क्षेत्रों की तुलना में अधिक निजी मलिन कटरे या नियमित अनधिकृत कालोनियां हैं।

विवरण-क

लेखा शीर्ष (XI) (I) के अन्तर्गत चुनाव क्षेत्र वार व्यय—1-4-1981 से 1-10-1982 तक मलिन क्षेत्रों में पर्यावरणीय सुधार कार्य

चुनाव क्षेत्र संख्या	राशि लाख रुपयों में व्यय
1	2
वार्ड नं० 4	1.88 रुपये
वार्ड नं० 59	2·78 रुपये
वार्ड नं० 60	1.09 रु०
वार्ड नं० 64	2.22 रु०
वार्ड नं० 65	1.06 रु०
,, 66	0.37 रु०
,, 67	0.49 रु०
,, 68	0·41 रु०

1	2
वार्ड नं० 69	0.22 रु०
,, 70 (सी० नं० 70)	—
वार्ड नं० 71	0.36 रु०
वार्ड नं० 72	1.40 रु०
वार्ड नं० 73	0.52 रु०
,, 74	0.64 रु०
,, 75	4.04 रु०
,, 76	— रु०
,, 77	— रु०
,, 78	2.77 रु०
,, 79	2.52 रु०
,, 80	0.09 रु०
,, 81	0.85 रु०
,, 82	1.75 रु०
,, 83	1.22 रु०
,, 84	— रु०
,, 85	8.23 रु०
,, 86	— रु०
,, 90	—
,, 91	2.62 रु०
,, 92	—
	कुल 37.53 रु०

विवरण-ख

लेखा शीर्ष xvi—जे—IV—ओ के अन्तर्गत 1-4-81 से 1-10-82 तक दिल्ली नगर निगम के मलिन क्षेत्र में निजी कटरों की मरम्मत तथा अनुरक्षण के लिए चुनाव क्षेत्र वार व्यय

चुनाव क्षेत्र	राशि लाख रुपयों में व्यय
वार्ड नं० 44	0.32 रुपये
,, 59	1.26 रु०
,, 60	1.16 रु०
,, 65	0.12 रु०
,, 67	0.13 रु०
,, 71	0.06 रु०
,, 72	0.25 रु०
,, 73	0.10 रु०
,, 74	0.13 रु०
,, 75	0.28 रु०
,, 76	0.14 रु०
,, 77	0.12 रु०
,, 78	0.02 रु०
,, 79	0.05 रु०
,, 80	0.04 रु०
,, 81	0.08 रु०
,, 82	0.01 रु०
,, 83	0.17 रु०
,, 84	0.42 रु०
,, 85	0.43 रु०
,, 86	0.05 रु०
,, 90	0.04 रु०
,, 91	0.86 रु०
कुल	6.195 रुपये

विवरण-ग

दिल्ली नगर निगम के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नियमित अनधिकृत कालोनियों के विकास के लिए 1-4-81 से 1-10-82 तक लेखा शीर्ष (XIII) (III) के अन्तर्गत चुनाव क्षेत्र वार व्यय

चुनाव	व्यय (लाखों में) रुपये
20	1.31
27	4.53
30	3.93
32	0.47
34	7.42
39	3.50
40	7.11
42	1.56
49	5.55
50	3.13
51	2.65
52	15.31
54	8.63
56	0.42
57	0.50
58	2.00
64	0.89
100	3.87
कुल	80.78

एशियाई खेल गांव के लिए शापिंग सेंटर

2260. **श्री इन्द्रजीत गुप्ता** : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाई खेल गांव, नई दिल्ली में अभ्यास खेलों आदि में भाग लेने वाले कितने खिलाड़ियों की व्यवस्था की गई थी ;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि वहां पर ऐसे शापिंग सेंटर की व्यवस्था नहीं थी जहां से वे लोग अपनी जरूरत का सामान खरीद सकते हैं ;

(ग) क्या वहां पर नाश्ते, दोपहर के भोजन और रात्रि में भोजन आदि की उचित व्यवस्था नहीं थी और उनकी आकश्यकताओं को पूरा करने के लिए वहां पर काम चलाऊ व्यवस्था की गई है ; और

(घ) एशियाई खेलों के लिए की गई अंतिम व्यवस्था का ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति मंत्रालय के तथा खेल विभाग के राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) सितम्बर, 1982 में आयोजित परीक्षण खेलों के दौरान एशियाई खेल गांव में 4000 से अधिक भाग लेने वालों को ठहराया गया था ।

(ख) परीक्षण खेलों के लिए एशियाई खेल ग्राम के स्वागत केन्द्र में सुपर बाजार का एक एकक खोला गया था । गांव में चाय, नाश्ते, समाचार पत्र और पत्रिकाओं की बिक्री के लिए भी प्रबन्ध किए गए थे ।

(ग) राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला द्वारा निर्धारित व्यंजन सूची के अनुसार भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 5000 कैलोरी तक की न्यूनतम कैलोरिफिट मात्रा वाला पौष्टिक और स्वास्थ्यप्रद भोजन दिया गया था ।

(घ) इन प्रबन्धों में खान-पान, परिवह न, सुरक्षा, चिकित्सा तथा अन्य सामान्य प्रबन्धों सहित एशियाई खेल गांव में भाग लेने वालों के लिए आवास प्रबंध शामिल है ।

पोलावरम परियोजना, आं ध्र प्रदेश

2261. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने पोलावरम परियोजना के निर्माण हेतु सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है ; औ र

(ख) यदि हां, तो इस सम्बंध में क्या निर्णय लिया गया तथा परियोजना की अनुमानित लागत क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) गोदावरी जल-विवाद न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्णयों की रोशनी में, पोलावरम परियोजना की संशोधित रिपोर्ट की आंध्र प्रदेश सरकार से प्रतीक्षा की जा रही है । तथापि, आंध्र प्रदेश सरकार ने

सूचित किया है कि परियोजना की कुल लागत 900 करोड़ रुपये होगी, जिसमें विद्युत घटक की 200 करोड़ रुपये की लागत सम्मिलित है।

अपरकृष्णा परियोजना का चालू होना

2262. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अपर कृष्णा परियोजना का 500 करोड़ रुपये का प्रथम चरण 23 सितम्बर, 1982 को चालू किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो आरम्भ में कितना पानी प्राप्त होगा और इस वर्ष के अंत तक उससे कितने हैक्टेयर भूमि में सिंचाई होगी ;

(ग) क्या प्रथम चरण में चार लाख हैक्टेयर भूमि की सिंचाई का अनुमान लगाया गया है ; और

(घ) यह परियोजना कब तक पूरी हो जाएगी और उसके पूरा होने के बाद कितने हैक्टेयर भूमि में सिंचाई हो सकेगी ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) इस परियोजना के सोपान-एक का एक भाग, जिसमें नारायणपुर बांध तथा नारायणपुर बांध तट नहर का लगभग 20 कि० मी० का प्रारंभिक भाग शामिल है, 23 सितम्बर, 1982 को चालू कर दिया गया था।

(ख) इस परियोजना के सोपान-एक के एक भाग को चालू कर दिए जाने से, 9300 हैक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित कर ली गई है। 14200 हैक्टेयर की और क्षमता 1982-83 के अंत तक अर्थात जून, 1983 तक सृजित कर लिए जाने का कार्यक्रम बनाया गया है।

(ग) अपर कृष्णा परियोजना चरण-एक के सोपान-एक में 1.12 लाख हैक्टेयर के सिंचाई लाभ होने की परिकल्पना की गई है।

(घ) जबकि इस परियोजना के चरण-एक के सोपान-एक को जून, 1985 तक पूर्ण करने का कार्यक्रम बनाया गया है, जिससे 1.12 लाख हैक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित की जा सकेगी, परियोजना के सम्पूर्ण चरण-एक को, जिसकी क्षमता 4.25 लाख हैक्टेयर है, सातवीं योजना के अंत तक पूर्ण कर लिए जाने की आशा है।

कम लागत की सफाई परियोजना संबंधी सम्मेलन

2263. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष सितम्बर, में उदयपुर में कम लागत की सफाई परियोजना के बारे में एक क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन की सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) राज्यों में कम लागत के फ्लश-शौचालय संबंधी कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है तथा राजस्थान के सभी नगरों में यह परियोजना कब तक लागू हो जायेगी ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) सम्मेलन की मुख्य सिफारिशें अनुलग्नक "1" में दी गई हैं ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए सं० एल० टी० 5521/82]

(ग) स्वच्छता राज्य का विषय है और उसके लिए नियतन राज्य बजट में किया जाता है। इस मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार छठी योजना अवधि में कम लागत के स्वच्छता कार्यक्रम के लिए राजस्थान के लिए 2 करोड़ रुपये का प्रावधान है । जिस समय अवधि के भीतर राजस्थान के सभी शहरों को लाभान्वित किया जाएगा उसका निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जाना है ।

भूमिहीन व्यक्तियों में फालतू भूमि का वितरण

2264. **श्री मन मोहन टुडु** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमिहीन व्यक्तियों को फालतू भूमि वितरित करने का कार्यक्रम देश भर में शुरू किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार का कार्यक्रम कब से शुरू किया गया है ; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में कुल कितने एकड़ फालतू भूमि वितरित की गई है ; और

(घ) उपरोक्त मामले में उड़ीसा के विभिन्न जिलों में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) व (ख) फालतू भूमि के वितरण के कार्यक्रम को पहली बार पांचवे तथा छठे दशकों के दौरान बनाए गए पूर्व-संशोधित अधिकतम भूमि सीमा कानूनों के अन्तर्गत शुरू किया गया था । 1972 में तैयार किए गए राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर संशोधित अधिकतम भूमि सीमा कानूनों के अंतर्गत भूमिहीन व्यक्तियों को अधिकतम सीमा से फालतू भूमि का वितरण कार्य नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम के उत्तर-पूर्वी राज्यों जहां भूमि सामान्यतया सामुदायिक आधार पर रखी गई है, और अण्डेमान तथा निकोबार द्वीप समूह तथा गोवा, दमन व दीव को छोड़कर देश भर में कार्यान्वित किया जा रहा है । कार्यक्रम को अलग-अलग राज्यों में संशोधित अधिकतम भूमि सीमा कानूनों के लागू किए जाने के पश्चात कार्यान्वित किया जा रहा है ।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में अधिकतम सीमा से फालतू 7531 एकड़ भूमि को 7319 लाभभोगियों में वितरित किया गया था ।

(घ) प्रगति का जिलावार ब्यौरा एकत्र नहीं किया जाता है ।

असम में वन भूमि में बड़ी संख्या में परिवारों की बेदखली

2265. **श्री चित्त बसु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में आसाम में वन भूमि से बड़ी संख्या में परिवारों को बेदखल कर दिया गया है जिससे वे गृहविहीन हो गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उनके पुनर्वास के लिए सरकार का उन्हें वैकल्पिक भूमि प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनायन) : (क) से (घ) जानकारी असम सरकार से मांगी जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

दुग्ध डेरियों के लिए राष्ट्रीय ग्रिड का गठन

2266. **श्री जगदीश टाइटलर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में सभी दुग्ध डेरियों के लिए एक राष्ट्रीय ग्रिड बनाने पर विचार कर रही है ताकि श्वेत क्रांति को सफल बनाया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनायन) : (क) तथा (ख) दूध के उत्पादन एवं उसकी सप्लाई में क्षेत्रीय एवं मौसमी असंतुलन को दूर करने के लिए राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड आपरेशन फ्लड कार्यक्रम के एक भाग के रूप में कार्य कर रहा है। अब तक 58.30 लाख लीटर की कुल क्षमता वाले कुल 509 रोड-मिल्क टैंकरों तथा 26.02 लाख लीटर की कुल क्षमता वाले 75 रेल-दुग्ध टैंकरों को कार्य पर लगाया गया है। ग्रिड आपरेशन के भाग के रूप में अब दूध उत्पादन-केन्द्र से विशेष रूप से फेब्रीकेटिड टैंकरों से 2500 किलोमीटर की दूरी तक ले जाया जाता है। रेल दुग्ध टैंकरों से दूध आनन्द, जलगांव तथा धुलिया से बम्बई, आनन्द, विजयवाड़ा तथा गुन्टूर से कलकत्ता, आनन्द, पालनपुर, अजमेर, जोधपुर तथा बीकानेर से दिल्ली और ऐरोड से मद्रास भेजा जा रहा है। भारतीय डेरी निगम ने 70.45 लाख लीटर की कुल क्षमता वाले 616 अतिरिक्त रोड मिल्क टैंकरों तथा 4.5 लाख लीटर की कुल क्षमता वाले 16 रेल दुग्ध टैंकरों के आर्डर दिए हैं। 5300 मीटर टन स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण तथा 1200 मीटरी टन बटर आयल के भण्डारण की सुविधाएं सृजित की गई हैं तथा 3000 मीटरी टन स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण के लिए अतिरिक्त सुविधाओं तथा 1000 मीटरी टन मक्खन के भण्डार के लिए गहन हिमित सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है।

नदियों के किनारों के संरक्षण के लिए अध्ययन

2267. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना, मुंगेर और भागलपुर जैसे महत्वतूर्ण नगरों के नदी किनारे के संरक्षण के लिए सरकार किसी आदर्श अध्ययन को आवश्यक समझती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान केन्द्र पूना को उक्त आदर्श अध्ययन करने का काम सौंपने का है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) गंगाबाढ़ नियंत्रण आयोग ने सितम्बर, 1980 में बिहार सरकार को कटाव समस्या के मूल्यांकन के लिए माडल अध्ययन करने हेतु कतिपय जलारेख संबंधी सर्वेक्षण आरंभ करने का सुझाव दिया था। जुलाई, 1982 में, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग ने राज्य सरकार को पुनः सुझाव दिया है कि वे विचाराधीन तटबंध स्कीमों पर, और साथ ही, विभिन्न कटाव-रोधी निर्माण-कार्यों का, जो राज्य सरकार द्वारा गंगा नदी पर आरंभ किए जा रहे हैं, संभावित प्रभाव का अध्ययन करने के लिए केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधानशाला, पुणे के साथ माडल अध्ययन करें। गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के इन सुझावों पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

भारतीय किसानों से आयातित गेहूं के मूल्य के समान दर पर ही गेहूं की खरीद

2268. **श्री राम लाल राही** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के किसानों की वचनवद्धता को दृष्टि में रखते हुए सरकार का विचार उनसे उन्हीं दरों पर गेहूं खरीदने का है ; जिस दर पर अमेरिका और और आस्ट्रेलिया से गेहूं खरीदा गया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) भारत सरकार गेहूं का वसूली मूल्य कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों और राज्य सरकारों के साथ किए गए परामर्श के आधार पर निर्धारित करती है। कृषि मूल्य आयोग इस संबंध में अपनी सिफारिशें करते समय विभिन्न पहलुओं जैसे कि देश में उत्पादन की लागत आदि और किसानों के लिए लाभ को भी ध्यान में रखता है। वसूली मूल्य को अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है क्योंकि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय तथ्यों के कारण उसमें निरन्तर उतार-चढ़ाव आता रहता है।

राष्ट्रीय डेयरी विकास निगम द्वारा कर्नाटक डेयरी विकास निगम को दी गई वित्तीय सहायता

2269. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास निगम ने मद्दूर ताल्लुक जिला मण्डया के गेज्जल ग्रीव में एकक की स्थापना के लिए कर्नाटक डेयरी विकास निगम को कुछ वित्तीय सहायता दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो उक्त एकक को किस प्रकार की वित्तीय सहायता दी गई हैं और उसकी कितनी राशि है ;

(ग) यह एकक कब तक चालू हो जाएगा ; और

(घ) प्रदत्त राशि का सदुपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने मण्डया जिले में मद्दूर ताल्लुक के गेज्जल ग्रीव में डेरी एकक की स्थापना करने के लिए कर्नाटक डेरी विकास निगम को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी है। यह एकक राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा टर्न-की परामर्शदायी आधार पर स्थापित किया जा रहा है और कर्नाटक डेरी विकास परियोजना के तहत, अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी (विश्व बैंक) के ऋण के अंतर्गत इसकी वित्तीय सहायता की जा रही है।

(ग) 1982 के अन्त तक इस एकक के चालू हो जाने की संभावना है।

(घ) कर्नाटक डेरी विकास निगम ने विश्व बैंक की धनराशि का उचित उपयोग करने के लिए राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के साथ एक करार किया है।

परीक्षण खेलों के दौरान इनडोर स्टेडियम में एयर कंडीशनिंग का कार्यकरण

2270. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि परीक्षण खेलों के दौरान इन-डोर स्टेडियम में एयर कंडीशनिंग फेल हो जाने या उसमें खराबी के कारण और दूरदर्शन हेतु प्रकाश व्यवस्था के कारण इन खेलों में भाग लेने वालों को तेज गर्मी का सामना करना पड़ा ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति मंत्रालय के तथा खेल विभाग के राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह बताया है कि सितम्बर, 1982 में हुए परीक्षण खेलों के दौरान इनडोर स्टेडियम में एयर कंडीशनिंग को पूरी तरह से चालू रखा गया था। दिल्ली विकास प्राधिकरण को स्टेडियम में एयर कंडीशनिंग के कार्य के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी। जहां तक प्रकाश व्यवस्था का सम्बन्ध है, बैडमिंटन संघ से चकाचौंध तथा रंगीन दूरदर्शन प्रसारण के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी।

केन्द्रीय सरकार मत्स्य विभाग के कर्मचारियों की सेवायें समाप्त किया जाना

2271. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान विभिन्न मत्स्य गन्वेषणा परियोजनाओं और केन्द्रीय तथा नौचालन और इन्जीनियरी प्रशिक्षण संस्थान के लगभग 160 केन्द्रीय सरकारी मत्स्य कर्मचारियों की मन-माने ढंग से सेवा समाप्त किए जाने की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) समन्वेषी मात्स्यिकी परियोजना और केन्द्रीय मात्स्यिकी नौचालन तथा इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान के 12 तदर्थ/अस्थायी कर्मचारियों की सेवाएं, रोजगार की शर्तों के तहत सक्षम प्राधिकारियों के आदेशों की अवज्ञा करने, कार्य बन्द करने, कर्त्तव्यों की लापरवाही आदि के कारण समाप्त की गई थी।

नाहरकटिया नगर (असम) में बुरीदीहिंग नदी के बांध में दरार पड़ जाना

2272. **श्री सुनील मैत्रा** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें नाहरकटिया नगर (असम) के निवासियों की एक संयुक्त अपील प्राप्त हुई है जो नाहरकटिया नगर के बीचोंबीच बहने वाली बुरीदीहिंग नदी के दक्षिणी किनारे के बांध में गहरी दरार पड़ जाने के कारण उत्पन्न हुई गम्भीर स्थिति के बारे में है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गए हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां।

(ख) ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़-नियंत्रण सम्बन्धी निर्माण-कार्य असम सरकार द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि नाहरकटिया नगर को सुरक्षित करने के लिए कटाव-रोधी निर्माण-कार्यों के सम्बन्ध में प्रस्ताव, राज्य बाढ़-नियंत्रण तकनीकी सलाहकार समिति के विचार के लिए, उनकी अगली बैठक के सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है।

अरावली पर्वत माला के लिये जल प्रवाह वाटर शेड प्रबन्ध योजना

2273. **श्री गुलाम मोहम्मद खान** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरावली पर्वतमाला के लिए एक बृहद् जल प्रवाह प्रबन्ध योजना सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) इय योजना की रूपरेखा क्या है ; और

(ग) उस पर अनुमानित कितना व्यय होगा ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) मृदा संरक्षण सम्बन्धी कार्यों को करने के लिए पनधारा प्रबन्ध कार्यक्रमों को स्रवण क्षेत्र के आधार पर क्रियान्वित किया जा रहा है। इन स्रवण क्षेत्रों में विभिन्न भू-भागों के क्षेत्र शामिल हैं। अरावली पर्वतमाला एवं सम्बद्ध पादगिरि तथा मैदानी भागों का मुख्यतया साहिबी, दण्डीवाड़ा

तथा माही नदियों के स्रवण क्षेत्रों के माध्यम से अपवहन किया जा रहा है, जोकि राजस्थान, गुजरात, हरियाणा राज्यों तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में आते हैं। इन स्रवण क्षेत्रों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित दो योजनाएं, अर्थात् (1) नदी घाटी परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण, तथा (2) बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों में समेकित पनधारा प्रबन्ध, क्रियान्वित की जा रही हैं। यह कार्यक्रम अभिज्ञात पनधारा के आधार पर तैयार किया जाता है और समेकित प्रबन्ध प्लानों से सम्बद्ध किया जाता है। इन कार्यों के प्रमुख अवयवों में ये शामिल हैं, वनरोपण, कृषि भूमि का टैरेसिंग, गाद भरने को कम करने के लिए इंजीनियरिंग संरचनाओं का निर्माण, वर्षा के पानी का उपयोग करना तथा बेहतर उत्पादन योजनाओं का संवर्धन करना।

(ग) इन स्रवण क्षेत्रों के सम्बन्ध में 1981-82 तक उपचार किया गया क्षेत्र तथा किया गया व्यय निम्नलिखित है :

क्रम संख्या	स्रवण क्षेत्र	1981-82 तक प्रगति	
		उपचार किया गया क्षेत्र	व्यय (लाख रुपये)
1.	साहिबी	2,340	55.34
2.	दण्डीवाडा	56,870	340.65
3.	माही	37,690	325.58
	योग :	96,900	721.57

मध्य प्रदेश में समय से पीछे चलने वाली सिंचाई परियोजनाएं

2274. **श्री सुभाष यादव** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश राज्य में निर्माणाधीन अनेक सिंचाई परियोजनाएं समय से पीछे चल रही हैं ;

(ख) राज्य में प्रत्येक परियोजना के पूरा हो जाने पर कितनी क्षमता पैदा होगी ; और

(ग) प्रत्येक परियोजना पर कितने व्यय का अनुमान है।

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही बृहद सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा देने वाला विवरण संलग्न है। इसके अतिरिक्त, 64 छठी योजना-पूर्व तथा 15 नई मध्यम स्कीमें भी निर्माणाधीन हैं। वित्तीय साधनों की तंगी और एक ही समय में कई परियोजनाओं को हाथ में लेने से परियोजनाओं के निर्माण के कार्यक्रम पर स्वभावत: प्रभाव पड़ा है।

विवरण

मध्य प्रदेश में समय से पीछे चलने वाली सिंचाई परियोजना

(करोड़ रुपये/हजार हैक्टेयर)

क्रम सं०	स्कीम का काम	अद्यतन अनुमानित लागत	अन्ततः सृजनीय क्षमता
1	2	3	4
	(क) निर्माणाधीन स्कीमें		
	एक-बृहद		
1.	चम्बल	86.60	273.0
2.	राजघाट यूनिट-एक	61.61	97.1
	यूनिट-दो	46.15	
3.	बारगीसागर यूनिट-एक	63.80	248.8
	यूनिट-दो	47.40	
4.	बारगी यूनिट-एक	123.00	245.0
	यूनिट-दो	166.00	
5.	महानदी जलाशय सोपान-एक	415.48	340.8
6.	महानदी जलाशय सोपान-दो		
7.	हसदेव बंगो	352.96	255.0
8.	कोलार	43.12	25.7
9.	तवा	96.08	333.0
10.	बारना	15.27	60.7
11.	सुकला	10.70	18.6
12.	बरियामपुर वामतट नहर	18.40	13.9
13.	उर्मिल	6.41	7.7
14.	रंगवान उच्च स्तरीय नहर	4.40	17.1
15.	हसदेव दक्षिण तट नहर	14.33	42.0
16.	अपर वेनगंगा	50.66	81.0
17.	सिन्ध सोपान एक	16.00	37.2
18.	भंडेर नहर	2.26	44.5
19.	हलाली	12.96	37.2

1 2	3	4
20. पैरी	13.66	72.9
21. कोढार	14.00	18.2
22. जोंक	8.30	14.6
23. थनवार	11.60	11.0
दो-मध्यम (64 संख्या)		
(ख) नई स्कीमें*		
एक-बृहद		
1. महानदी जलाशय सोपान-तीन	84.98(*)	91(*)
2. सिन्ध सोपान-तीन	59.00	91.4
3. नर्मदा सागर, यूनिट-एक	57.21	
यूनिट-दो	112.78	123
4. बावनथाडी**	11.82	18.8
5. अपर तापी सोपान दो**	38.80	46.7
6. अरपा	102.44	72.4
7. बारगी व्यपवर्तन	149.38	196.00
8. धोबातोरिया	27.28	19.4
9. मान	33.95	16.1
10. जोबट	16.40	13.6
11. छोटा तवा	29.37	32.4
12. अपर नर्मदा	24.29	18.6
13. माही	27.10	23.00
14. पंचम नगर	27.10	45.00
15. चम्बल लिफ्ट (कनेरा)	3.98	12.00
16. कुटपाली	49.75	46
17. मरवाही	18.55	53
18. बामराहा	86.00	40
दो-मध्यम (संख्या 15)	407.38	उपलब्ध नहीं

*लागत और क्षमता सम्बन्धी लाभ मध्य प्रदेश की 1982-83 की वार्षिक योजना के प्रारूप से लिए गए हैं।

(*) जैसा कि केन्द्रीय जल आयोग में उपलब्ध है।

**चूंकि ये अन्तर्राज्यिक परियोजनाएं हैं इसलिए लागत और लाभ केवल मध्य प्रदेश के हिस्से के दिए गए हैं।

डीजल चालित ट्रैक्टरों को बदलना

2276. **श्री स्वामी इन्द्रवेश** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की डीजल चालित ट्रैक्टरों को बदलने के लिए बैल द्वारा चालित किसी मशीन का विकास करने की योजना है ;

(ख) यदि हां, तो यह मशीन कब तक बाजार में उपलब्ध हो जाएगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं, श्रीमान । ऐसी कोई योजना नहीं है जिसमें ट्रैक्टर के स्थान पर बैलों से खींची जाने वाली मशीन का इस्तेमाल किया जायेगा । फिर भी, बैलों द्वारा खींचे जाने वाले बहुउद्देशीय पहिये वाले औजार वाहक के सम्बन्ध में अनुसन्धान और विकास कार्य किया जा रहा है । यह एक उपकरण के पीछे चलने की शारीरिक थकान को दूर करने में मदद करेगा । इस वाहक में चालक के स्थान से ही परिचालन की गहराई को भी नियमित किया जा सकता है । इससे प्रति इकाई समय में एक ही बैल की जोड़ी से अधिक क्षेत्र में कार्य हो सकता है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) देश में जो बोझा ढोने वाले पशु उपलब्ध हैं वे सघन खेती में ट्रैक्टर शक्ति की मांग को पूरा नहीं कर सकते । समय और पूरी रफ्तार से कृषि कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए और जो कार्य बैल की जोड़ी द्वारा न किये जा सके उनके लिए ट्रैक्टर आवश्यक हैं और भारतीय कृषि में इनका उपयुक्त स्थान है । औसतन क्षेत्र परिचालन के लिए ट्रैक्टरों की वर्तमान क्षमता प्रति ट्रैक्टर 300 हैक्टर है, जो कि बहुत ही कम है ।

तूफान और सूखे के मामले में दिया जाने वाला अनुदान

2277. **श्री अमल दत्त** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तूफानों के कारण उत्पन्न आपदाओं के मामले में 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है ; जब कि सूखे के मामले में केवल 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस असमानता के क्या कारण हैं ?

कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) तथा (ख) भारत सरकार द्वारा स्वीकार की गई सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राहत सम्बन्धी व्यय की वित्तीय व्यवस्था करने की योजना के अनुसार राज्य सरकारों को समुद्री तूफान तथा बाढ़ों आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में सीमांत धनराशि के अलावा वास्तविक खर्च के 75 प्रतिशत तक गैर-योजना अनुदान दिया जाता है । सूखे के मामले में अग्रिम योजना सहायता के रूप में सीमांत धनराशि के अलावा राहत सम्बन्धी व्यय मंजूर किया जाता है जो सम्बन्धित राज्य के वार्षिक योजना परिव्यय के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होता । यदि योजना

परिव्यय में 5 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करने के बाद भी केन्दीय दल और राहत सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार व्यय की आवश्यकता, किसी विशेष मामले में पूरी नहीं की जा सकती, तो यह अतिरिक्त व्यय अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से पूरा करना होता है जो राज्य की योजना के लिए केन्द्रीय सहायता के सामान्य नियतन में समायोजित नहीं किया जा सकता। यह सहायता आधी अनुदान तथा आधी ऋण के रूप में दी जाती है।

सारण जिले (बिहार) में बाढ़ के कारण हुई क्षति

2278. **श्री सत्यदेव सिंह**

श्री ई० बालानन्दन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा और सरयू नदियों में आई बाढ़ के कारण बिहार के सारण जिले में कितने व्यक्ति मरे और कितनी वित्तीय हानि हुई ;

(ख) राहत कार्यों पर कितनी धनराशि खर्च की गई और क्या यह पर्याप्त है ;

(ग) क्या इस जिले के लोगों को समय पर सहायता नहीं मिल सकी ;

(घ) सारण जिले के उन प्रखण्डों के नाम क्या हैं, जिन्हें बाढ़ के कारण भारी हानि हुई और प्रत्येक प्रखण्ड के राहत के रूप में कितनी धनराशि की सहायता दी गई, ये सहायता किन-किन तारीखों को दी गई ;

(ङ) क्या इस जिले के कुछ प्रखण्डों में दो महीनों के बाद भी बाढ़ का पानी भरा रहता है ;

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा उन प्रखण्डों को क्या सहायता दी जाएगी ; और

(छ) बाढ़ प्रभावित प्रखण्डों में किसानों को उर्वरक और बीज तथा मवेशियों के लिए चारे की व्यवस्था करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रबन्ध किए जा रहे हैं और वहां ये प्रबन्ध कब तक किए जाने की संभावना है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) बिहार सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार सारण जिले में बाढ़ों के कारण 17 लोगों की मृत्यु हुई है। इस जिले में 17.38 करोड़ रु० की सम्पत्ति क्षतिग्रस्त होने का अनुमान है।

(ख) राज्य सरकार ने सारण जिले में बाढ़-राहत के लिए 12.45 लाख रुपये आवंटित किए हैं। चूंकि राहत कार्य अभी जारी है, अतः धनराशि के पर्याप्त अथवा अपर्याप्त होने के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।

(ग) कोई शिकायत नहीं मिली है।

(घ) सदर, रेवलगंज, गरखा, डीघवाड़ा, सोनपुर, जलालपुर, दरियापुर, मांझी, अमनौर, परसा, मरोर्रा और एकमा खण्ड बाढ़ों से प्रभावित हुए हैं। प्रत्येक खण्ड को सुलभ कराई गई राहत को धनराशि के रूप में बताना कठिन है। राहत कार्य बाढ़ से घिरे लोगों को निकालने, नए

राहत शिविर खोलने, जहाज से खाद्य सामग्री गिराने, चिकित्सा सुविधा पहुंचाने आदि से सम्बन्धित थे, जो जिलावार आधार पर किए गए, अत: खण्डवार धनराशि बताना सम्भव नहीं है।

(ङ), (च) और (छ) सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभापटल पर रख दी जाएगी।

शौचालयों का आधुनिकीकरण

2279. **श्री एन० ई० होरो** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र देश भर में शहरी क्षेत्रों में शौचालयों के आधुनिकीकरण का अभियान चला रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अनेक राज्यों के काफी शहरों को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है और मानव मल के निपटान तथा गन्दगी हटाये जाने सम्बन्धी समस्याओं का उचित हल ढूंढ़ लिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो राज्यों को इस सम्बन्ध में यदि कोई अनुदेश भेजे गए हैं, तो उनके ब्यौरे क्या हैं ; और

(घ) उन राज्यों तथा नगरों के नाम क्या हैं जिनको इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जनता के स्वास्थ्य में सुधार करने तथा मानवीय मल को मानव द्वारा ढ़ोने की प्रथा को समाप्त करने के लिए शहरी क्षेत्रों में कम लागत वाले जल वाही शौचालयों पर व्यवहारिक अध्ययन तैयार करने के लिए केन्द्र ने यू० एन० डी० पी० की सहायता प्राप्त की है।

(ख) परियोजना के प्रथम चरण में सात राज्यों में 110 शहरों के लिए व्यवहारिक अध्ययन पूरे किये गए हैं। 14 अन्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में 100 शहरों के लिए व्यवहारिक अध्ययन तैयार किये जा रहे हैं।

(ग) यह परियोजना राज्यों के पूर्ण सहयोग से प्रारम्भ की गयी हैं जिन्हें जहां भी आवश्यक हो इस मंत्रालय व यू० एन० डी० पी० द्वारा तकनीकी सलाह दी जाती है।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5522/82]

आपरेशन फ्लड कार्यक्रम के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता

2280 : **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय आयोग ने, आपरेशन फ्लड कार्यक्रम हेतु सहायता में वृद्धि करने हेतु

भारत के अनुरोध की यूरोपीय आर्थिक समुदाय परिषद् को सिफारिश करने से इंकार कर दिया है और यदि हां, तो तत्संम्बन्धी कारण क्या हैं ;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत 1985 तक मलाई उतरे दुग्ध चूर्ण और मक्खन के आयात के सम्भावित लक्ष्य क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय परिषद् से आपरेशन फ्लड कार्यक्रम हेतु और अधिक सहायता देने का अनुरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस अनुरोध पर यूरोपीय आर्थिक समुदाय परिषद की प्रतिक्रिया क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यूरोपीय आर्थिक समुदाय आपरेशन फ्लड-2 परियोजना के लिए 1,86,000 मीटरी टन स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण तथा 76,200 मीटरी टन बटर आयल सप्लाई करने के लिए सहमत हो गया है । यह सप्लाई प्रति वर्ष क्रमश: 31,000 मीटरी टन स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण और 12,700 मीटरी टन बटर आयल की दर से छह वर्ष की अवधि में पूरी की जाएगी ।

(ग) जी, हां ।

(घ) यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने इस प्रस्ताव पर अभी अपनी प्रतिक्रिया नहीं बताई है ।

अगरवुड पेड़ों का अन्धाधुंध विनाश

2281. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन आयल रिफाइनरी गोहाटी केन्द्रीय मंत्रियों को पश्चिम एशिया की यात्रा के समय अरब क्षेत्रों को प्रसन्न करने के लिए अगरवुड ले जाने हेतु अवैध रूप से अगरवुड खरीद कर उन्हें भेज रहा है और हाल ही में असम पुलिस के आर्थिक अपराध ब्यूरों ने 5 लाख रुपये मूल्य का अगरवुड तेल जब्त किया है ;

(ख) क्या अगरवुड के पेड़ों के अन्धाधुंध विनाश को देखते हुए असम सरकार ने 1978 से अगरवुड के जंगल पट्टे पर देना बन्द कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो अब तक की गयी अवैध खरीद, उसके निपटान का ब्योरा क्या है और इन दुर्लभ पेड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभापटल पर रख दी जाएगी ।

खाद्य पदार्थों से फफूंद समाप्त करने के लिए उठाये गए कदम

2282. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य पदार्थों में फफूंद फैल रही हैं इसका पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसे रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में परामर्श दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) से (घ) खाद्यान्नों में फफूंद की समस्या की ओर बहुत से संगठनों जैसे कि राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान, हैदराबाद और केन्द्रीय खाद्य औद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर द्वारा ध्यान दिया जा रहा है। खाद्यान्नों में अधिक नमी अंश फफूंद के विकास को बढ़ावा देता है जिससे क्षति होती है। खाद्यान्नों में नमी अंश की अधिकतम सीमा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम और नियमों के अधीन नियत की जाती है और खाद्यान्नों की खरीदारी करने के लिए विनिर्दिष्टियां निर्धारित की जाती हैं। इन सुरक्षित सीमाओं के अन्दर नमी अंश वाले खाद्यान्नों की फफूंद से क्षति नहीं होती है। ये विनिर्दिष्टियां भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों तथा उनकी एजेंसियों को भेजी जाती हैं और वे राज्य और केन्द्रीय स्टाक के लिए खाद्यान्नों की खरीदारी करने में उनको अपनाती हैं।

देशभर में अन्न सुरक्षा अभियान के 17 कार्यालयों द्वारा चलाए जा रहे विस्तार कार्यक्रमों में नमी और फफूंद के कारण होने वाली हानि के रोकने के लिए खाद्यान्नों को सुखाने की महत्ता पर बल दिया जाता है।

काहनूपुर सिंचाई परियोजना (उड़ीसा) का निष्पादन

2283. **श्री हरिहर सोरन** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास उड़ीसा में क्योंझर जिले की काहनूपुर मध्यम सिंचाई परियोजना को चालू वित्तीय वर्ष में पूरा करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त सिंचाई परियोजना के कार्य निष्पादन में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) माननीय सदस्य संभवतः उड़ीसा की कानुपुर बृहद सिंचाई परियोजना का उल्लेख कर रहे हैं। इस परियोजना की इस समय केन्द्रीय जल आयोग में राज्य सरकार की सलाह से जांच की जा रही है तथा इसे योजना आयोग द्वारा अभी अनुमोदित किया जाना है। इस परियोजना को उड़ीसा सरकार द्वारा अपनी छठी योजना में शामिल नहीं किया गया है।

जैतून और पिस्ते के उत्पादन के लिए खाद्य और कृषि संगठन से सहायता

2284. **श्री सुधीर कुमार गिरि** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में जैतून और पिस्तों के उत्पादन में सहायता के लिए खाद्य और कृषि संगठन के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि की सहायता के लिए सहमति हुई है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनायन) : (क) जी, हां ।

(ख) 47,000 अमरीकी डालर ।

आसाम में हुडको द्वारा वित्त पोषित योजनाएं

2285. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में पिछले तीन वर्षों के दौरान हुडको द्वारा कितनी योजनाओं के लिये वित्त दिया गया ;

(ख) ऋण के रूप में कितना धन दिया गया है और उसकी ब्याज दर कितनी है ;

(ग) अन्य राज्यों की तुलना में आसाम में हुडको द्वारा कम पूंजी निवेश करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) आसाम में हुडको के पूंजी निवेश को बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) 1978-82 की अवधि के दौरान, आवास तथा नगर विकास निगम ने असम में 2.85 करोड़ रुपये की ऋण बचन-बद्धता वाली पांच योजनाओं की मंजूरी दी है । आवास तथा नगर विकास निगम की ब्याज दर भिन्न-भिन्न टाइप की योजनाओं के लिए भिन्न-भिन्न है ।

(ग) तथा (घ) जब कभी विभिन्न अभिकरणों की आवास योजनायें प्राप्त होती हैं, आवास तथा नगर विकास निगम अपने मापदण्डों के अनुसार ऋण सहायता मंजूर करता है । आवास तथा नगर विकास निगम की सहायतार्थ असम से आने वाली योजनाओं में वृद्धि करने के लिए, आवास तथा नगर विकास निगम राज्य सरकार से पत्र-व्यवहार करके, राज्य सरकार के साथ विचार विमर्श करने के लिए अपने कर्मचारियों को भेजकर, योजनायें तैयार करने के लिए आवास अभिकरणों की सहायतार्थ भ्रमण दल भेजकर, राज्य स्तर पर सम्मेलनों का आयोजन करके, पूर्वी क्षेत्र में क्षेत्रीय कार्यालय खोलकर और राज्य सरकार के साथ उच्च स्तर पर विचार-विमर्श हेतु निदेशकों की हुडको के बार्ड की उप-समिति गठित करके सतत प्रयास कर रहा है ।

सेवा निवृत्त सैनिकों के लिए आवासीय योजना

2286. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक सेवा निवृत्त सैनिकों की सेवा-निवृत्ति के बाद रहने के लिए मकान की व्यवस्था करने में कठिनाईयां महसूस हो रही हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार सेवा-निवृत्त सैनिकों की इस कठिनाई को दूर करने हेतु डी० डी० ए० से उनके लिए आवासीय योजना तैयार करने और उसे कार्यान्वित करने के लिए आदेश देने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली में आवास की कमी है और इस सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों पर सेवा निवृत्त कर्मचारियों सहित सभी वर्गों द्वारा कठिनाई का सामना किया जाता है ।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । तथापि, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है चौथी तथा पांचवीं स्ववित्त पोषित योजनाओं को छोड़कर उसकी विभिन्न आवास पंजीकरण योजनाओं के अन्तर्गत रिलीज किये गए फ्लैटों का 1 प्रतिशत फ्लैट भूतपूर्व सैनिकों को आबंटन के लिए आरक्षित हैं । दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सेवा निवृत्त होने वाले/सेवा निवृत सरकारी कर्मचारियों के लिए एक योजना भी आरम्भ की है जिससे सेवा निवृत्त होने वाले/सेवा निवृत्त रक्षा कार्मिकों को भी लाभ होगा ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

डी० डी० ए० द्वारा किसानों को रोजगार दिया जाना

2287. **श्री तारिक अनवर** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण उन किसानों को रोजगार देने में असफल रहा है जिनकी जमीनें डी० डी० ए० द्वारा अधिगृहीत की गई हैं ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इससे प्रभावित किसान बहुत उत्तेजित हैं और उन्होंने इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन भी दिया है ; और

(ग) क्या सरकार ने उन किसानों को रोजगार देने का आश्वासन दिया है जिनकी जमीन अधिगृहीत की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों को आवास सुविधायें

2288. **श्री के० लकप्पा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों को क्या आवास सुविधाएं दी हैं ;

(ख) क्या वे सेवानिवृत्ति के पश्चात आवास पूलों का ध्यान किये बिना सरकारी आवासों के आबंटियों के साथ सरकारी आवास में भागीदार बन कर रह सकते हैं, क्योंकि वे निजी (प्राइवेट) आवासहेतु अधिक किराये नहीं दे सकते ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वे, आवास और उसके साथ ही राशनकार्ड दोनों से भी वंचित हो जाते हैं ;

(घ) यदि हां, तो सरकार का उनके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था करने का विचार है ; और

(ङ) आवास पूलों का ध्यान किए बिना सरकारी कर्मचारियों द्वारा सरकारी आवास में भागीदार होने से सम्बन्धित नियम क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) कतिपय शर्तों को पूर्ण करने पर सेवा निवृत सरकारी कर्मचारियों के पुत्र अविवाहित पुत्री तथा पति पत्नी को सामान्य पूल वास के तदर्थ आबंटन की रियायत उपलब्ध है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) तथा (घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ङ) सेवा निवृत सरकारी कर्मचारी, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी को आबंटित सामान्यपूल वास में सहभागी के रूप में रह सकता है ।

सरकारी आवास के आबंटन के लिए अन्तरपूल व्यवस्था

2289. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** सरकारी आवास के आबंटन के लिए अन्तर-पूल व्यवस्था के बारे में 26 जुलाई 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2490 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मामले पर अब सरकार ने पूर्ण ध्यान दिया है ;

(ख) यदि हां, तो सेवा निवृत सरकारी कर्मचारियों के उन बच्चों को जो आवास के किसी भिन्न पूल से सम्बन्धित है, तदर्थ आधार पर क्वार्टर आबंटित करने के लिए सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले के शीघ्र निपटान के लिए सरकार द्वारा आगे क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) विभिन्न सम्बन्धित मंत्रालयों तथा विभागों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर इस मामले पर विचार किया गया है । इन विभागों में से अधिकांश विभाग सेवा निवृत सरकारी कर्मचारियों के पात्र आश्रितों को तदर्थ आबंटन की रियायत में अन्तर पूल के समायोजनों पर सहमत नहीं हुए ।

पश्चिम बंगाल के सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल से कलकत्ता और हल्दिया बन्दरगाहों के लिए पानी की मांग करने संबंधी अभ्यावेदन

2290. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के एक सर्वदलीय प्रतिनिधि-मंडल ने कलकत्ता और हल्दिया बन्दरगाहों के लाभ के लिए पूरे वर्ष हुगली नदी में 40 हजार क्यूसेक पानी की मांग करने सम्बन्धी एक अभ्यावेदन केन्द्रीय सरकार को दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इन मांगों का ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है/क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल विधान सभा का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि मंडल ने, हाल में केन्द्रीय सरकार को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है । ज्ञापन में, अन्य बातों के साथ निम्नलिखित मांगें की गई हैं :—

(1) गंगा नदी से पूरे वर्ष के दौरान (जनवरी से मई तक के शुष्क मौसम सहित) फरक्का से कलकत्ता पत्तन के लिए 40,000 क्यूसेक जल का निस्सरण होना चाहिए ;

(2) फरक्का में गंगा जल के बंटवारे के सम्बन्ध में बंगलादेश के साथ वर्तमान करार (जो 4 नवम्बर, 1982 को समाप्त होता है) की अवधि बढ़ाई नहीं जानी चाहिए क्योंकि यह भारत के हित के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ है ;

(3) कलकत्ता पत्तन की 40,000 क्यूसेक की आवश्यकता के अतिरिक्त, पश्चिम बंगाल के गंगा बेसिन में सिंचाई के दृढ़ीकरण के लिए फरक्का में गंगा नदी से पश्चिम बंगाल को 15,000 क्यूसेक पानी और मिलना चाहिए ; और

(4) फरक्का में गंगा नदी के शुष्क मौसम के प्रवाहों तथा तीरता नदी के प्रवाह में वृद्धि करने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में जल संसाधनों का उपयोग किया जाना चाहिए । इस सम्बन्ध में भारत द्वारा प्रस्तावित ब्रह्मपुत्र-गंगा लिंक नहर परियोजना, भारत और बंगलादेश, दोनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक स्वागत-योग्य प्रस्ताव है । इस लिंक नहर परियोजना के बारे में सहमत होने और इसके शीघ्र कार्यान्वयन के लिए बंगलादेश सरकार पर बल दिया जाना चाहिए ।

शुष्क मौसम के दौरान फरक्का में गंगा का प्राकृतिक प्रवाह भारत की आवश्यकताओं और नीचे की ओर बंगलादेश में उचित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है । इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार फरक्का में प्रवाह में वृद्धि करने हेतु प्रयास करती रही है और भारत ने ब्रह्मपुत्र-गंगा लिंक परियोजना का प्रस्ताव किया है ।

बंगलादेश सरकार की मंत्रिपरिषद् के अध्यक्ष, लैफ्टिनेन्ट जनरल एच० एम० इरशाद की 6 तथा 7 अक्तूबर, 1982 की यात्रा और प्रधान मंत्री के साथ हुई उनकी बैठकों के अनुसरण में, भारत-बंगलादेश के एक समझौता ज्ञापन पर भारत तथा बंगलादेश के विदेश मंत्रियों द्वारा 7 अक्तूबर, 1982 को हस्ताक्षर किए गए थे । इसके अनुसार, दोनों नेताओं ने इस बात को स्वीकार

किया कि फरक्का में उपलब्ध गंगा के अपर्याप्त जल-प्रवाह की मूलभूत समस्या के समाधान के लिए दोनों देशों की ओर से कुछ त्याग किया जाना अपेक्षित है और कि फरक्का में उपलब्ध जल के एक उचित बंटवारे के बारे में समझौता करना आवश्यक है। वे इस बात पर भी सहमत हुए कि इसका दीर्घकालिक समाधान फरक्का में उपलब्ध प्रवाह में वृद्धि करने से हो सकता है और इस उद्देश्य के लिए, उन्होंने उन स्कीमों, जिन्हें इष्टतम समाधान तय करने के उद्देश्य से तत्काल कार्यान्वयन के लिए किसी भी पक्ष द्वारा प्रस्तावित किया गया था, की आर्थिक तथा तकनीकी व्यवहार्यता के अध्ययन शीघ्रता पूर्वक करने के लिए अपने-अपने सम्बन्धित विशेषज्ञों को निदेश दिए। यह निर्णय किया गया कि संयुक्त नदी आयोग पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन पूरा करेगा और 18 महीनों के अन्दर इष्टतम समाधान के बारे में निर्णय लेगा, जिसके अन्त में दोनों सरकारें संयुक्त नदी आयोग द्वारा सम्मत आवधन प्रस्ताव को तुरन्त क्रियान्वित करेंगी। इस बीच, दोनों नेता आगामी दो शुष्क ऋतुओं के लिए फरक्का में उपलब्ध प्रवाह के बंटवारे के लिए जल छोड़े जाने, और इस प्रयोजन के लिए संयुक्त निरीक्षण तथा मानीटरिंग के प्रबन्ध करने के लिए सहमत हो गए थे। इस बारे में भी सहमति हुई थी कि आगामी दो शुष्क ऋतुओं में से किसी एक ऋतु के दौरान असाधारणरूप से कम प्रवाह होने के मामले में दोनों सरकारें तत्काल परामर्श करेंगी और यह निर्णय करेंगी कि दोनों में से किसी भी देश पर पड़ने वाले भार को किस प्रकार न्यूनतम किया जाए।

इस बात पर भी सहमति हुई थी कि आवर्धन के लिए इष्टतम समाधान पर निर्णय को दृष्टि में रखकर, जिसे पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन के पश्चात् क्रियान्वित किया जाएगा, आवर्धन संबंधी पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन के पूर्ण हो जाने के तुरन्त बाद, जल के बंटवारे के बारे में एक और तथा अन्तिम करार किया जाएगा।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आई० ए० आर० आई०) द्वारा पिछड़े क्षेत्रों में केन्द्रों की स्थापना

2291. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का विचार 50 केन्द्र विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों के किसानों के लाभ के लिए स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश में इस प्रकार के कितने केन्द्र स्थापित किए जाएंगे और किन-किन स्थानों पर तथा उनके कार्य के विषय क्या होंगे ; और

(ग) ये केन्द्र कब से कार्य करना प्रारम्भ कर देंगे ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आई० ए० आर० आई०) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई० सी० ए० आर०) के अनेक संस्थानों में से केवल एक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने न कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 50 कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। इन कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना खासतौर पर राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों में कृषकों, कृषि महिलाओं और स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों और क्षेत्र स्तर पर

कार्य करने वाले विस्तार कार्यकर्त्ताओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने के लिए की जा रही है।

(ख) आंध्र प्रदेश में हैदराबाद नामक स्थान में एक कृषि विज्ञान केन्द्र 1976 से ही कार्य कर रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस राज्य में एक नया कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने के लिए उपयुक्त स्थान के चुनाव के लिए एक निरीक्षक दल की स्थापना की थी। इस दल ने हाल ही में राज्य का दौरा किया है और उसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। जैसे ही रिपोर्ट परिषद को प्राप्त हो जाएगी, आंध्र प्रदेश राज्य में एक नया कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने के विषय में निर्णय लेने के लिए मामले की जांच की जाएगी।

कृषि विज्ञान केन्द्रों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम स्थानीय जरूरतों के अनुसार निम्नलिखित विषयों पर आधारित होते हैं :—(क) फसल उत्पादन, (ख) मछली पालन के साथ पशु उत्पादन, (ग) बागवानी-फल और शाक-सब्जी उत्पादन दोनों, (घ) फार्म मशीनरी और उपकरण, (ङ) गृह विज्ञान और गृह प्रबन्ध, (च) मृदा और जल संरक्षण आदि।

(ग) आशा है कि नये कृषि विज्ञान केन्द्र शीघ्र ही कार्य करना शुरू कर देंगे।

खुली बिक्री की चीनी की भारी मात्रा जारी करना और उसका चीनी के मूल्यों पर प्रभाव

2292. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि चीनी के रिकार्ड उत्पादन के बावजूद खुले बाजार में चीनी के मूल्य पिछले वर्ष की तुलना में कम से कम 20 प्रतिशत बढ़े हैं ;

(ख) पिछले वर्ष के महीनों की तुलना में इस वर्ष बाजार के लिए महीनेवार कितनी चीनी जारी की गई ;

(ग) इसकी कितनी मात्रा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से और कितनी मात्रा व्यापार के माध्यम से जारी की गई (व्यक्तियों के आंकड़े और प्रतिशत) ;

(घ) क्या सरकार ने 65% सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से और 35% निजी व्यापार के माध्यम से चीनी जारी करने की अपनी अधिकृत रूप से घोषित नीति को बदल दिया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं और इससे चीनी उद्योग को कितना अतिरिक्त लाभ हुआ ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) पिछले वर्ष चल रहे मूल्यों की तुलना में इस वर्ष चीनी के मूल्यों में काफी गिरावट आई है जैसाकि नीचे दिए गए विवरण से विदित होता है :—

तारीख	प्रमुख मंडियों में चीनी के थोक मूल्यों का रेंज (रु० प्रति क्विंटल)	
	1981	1982
31 जनवरी	695 से 740	572 से 612
30 जून	663 से 747	508 से 560
30 सितम्बर	555 से 625	410 से 505

(ख) और (ग) एक वितरण संलग्न है जिसमें क्रमशः चीनी वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए और खुले बाजार में बिक्री के लिए लेवी और मुक्त बिक्री की चीनी की मास वार निर्मूक्तियों का ब्योरा दिया गया है।

(घ) प्रत्येक मास निर्मुक्त की गई लेवी चीनी और मुक्त बिक्री की चीनी का अनुपात 65:35 नहीं है क्योंकि राज्य सरकारों को आबंटित करने के लिए लेवी चीनी का मासिक कोटा निर्धारित मात्रा के रूप में होता है जबकि मुक्त बिक्री का कोटा उपलब्धता, मांग, चल रहे मूल्यों आदि पर निर्भर करते हुए प्रत्येक मास भिन्न-भिन्न होता है। तथापि, वर्तमान नीति को दृष्टि में रखते हुए, मौसम के दौरान फैक्ट्रियों के कुल उत्पादन के संदर्भ में लेवी और मुक्त बिक्री की चीनी को अन्ततः 65:35 के अनुपात में लेना सुनिश्चित करना है।

(ङ) ऊपर की दृष्टि में, प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

1980-81 और 1981-82 चीनी वर्षों के दौरान लेवी और खुली बिक्री की चीनी की मासवार निर्मुक्तियां

क्र० सं०	मास 1980-81	निर्मुक्ति (लाख मी० टन) लेवी	खुली बिक्री की	जोड़	प्रतिशत लेवी	खुली बिक्री की
1	2	3	4	5	6	7
1.	अक्तूबर	2.71	1.65	4.36	62.16	37.84
2.	नवम्बर	2.71	1.65	4.36	62.16	37.84
3.	दिसम्बर	2.71	1.40	4.11	65.94	34.06
4.	जनवरी	2.71	1.00	3.71	73.05	26.95
5.	फरवरी	2.71	1.00	3.71	73.05	26.95
6.	मार्च	2.71	1.10	3.81	71.13	28.87

1	2	3	4	5	6	7
7.	अप्रैल	2.71	1.25	3.96	68.43	31.57
8.	मई	2.71	2.00	4.71	57.54	42:46
9.	जून	2.71	1.80	4.51	60.09	39.91
10.	जुलाई	2.71	1.80	4.51	60.09	39.91
11.	अगस्त	2.71	1.70	4.41	61.45	38.55
12.	सितम्बर	2.71	2.25	4.96	54.64	45.36
1981-82						
1.	अक्तूबर	2.71	2.90	5.61	48.31	51.69
2.	नवम्बर	2.71	2.00	4.71	57.54	42.46
3.	दिसम्बर	2.71	1.70	4.41	61.45	38.55
4.	जनवरी	2.71	1.40	4.11	65.94	34.06
5.	फरवरी	2.71	1.40	4.11	65.94	34.06
6.	मार्च	2.71	1.50	4.21	64.37	35.63
7.	अप्रैल	2.94	1.40	4.34	67.74	32.26
8.	मई	2.94	1.50	4.44	66.22	33.78
9.	जून	2.94	2.00	4.94	59.51	40.49
10.	जुलाई	2.94	2.00	4.94	59.51	40.49
11.	अगस्त	2.94	3.00	5.94	49.49	50.51
12	सितम्बर	2.94	3.30	6.24	47.12	52.88

नर्मदा परियोजना के लिए राज्यों द्वारा अंशदान

2293. **श्री भेरावदन के० गधावी** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात और राजस्थान में बारह महीने सूखे की स्थति को देखते हुए नर्मदा परियोजना अत्यन्त महत्वपूर्ण है ;

(ख) क्या सरकार कोई तंत्र स्थापित करेगी जो भागीदार राज्यों को इस बात को सुनिश्चित करने के लिए राजी करे कि इस परियोजना का कार्य समय पर पूरा किया जाए ;

(ग) क्या सरकार को शिकायतें मिली हैं कि इनमें से कुछ राज्य अपने अंशदान शीघ्रता से और समय पर नहीं दे रहे हैं और क्या यह सच है कि इस कारण ऐसी संभावना है कि यह

परियोजना निर्धारित समय में पूरी न हो पाए और यदि हां, तो इस समस्या को सरकार का कैसे सुलझाने का विचार है ;

(घ) सरदार सरोवर सहित सम्पूर्ण नर्मदा परियोजना की अनुमानित लागत क्या है ;

(ङ) इस परियोजना के लिए छठी योजना में केन्द्र और राज्य सरकारों ने कितने योजना परिव्यय का प्रावधान किया है ; और

(च) क्या इस परियोजना को पूरा करने के लिए यह योजना परिव्यय पर्याप्त होगा ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) माननीय सदस्य संभवतः सरदार सरोवर परियोजना का उल्लेख कर रहे हैं जो गुजरात और राजस्थान राज्यों के सिंचाई विकास के लिए महत्वपूर्ण है ।

(ख) इस परियोजना को समय पर पूर्ण करने को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यूनिट-एक (बांध और सम्बद्ध कार्यों) तथा यूनिट-तीन (नहरों) के लिए सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति, और यूनिट-दो (जल-विद्युत) के लिए नर्मदा नियन्त्रण प्राधिकरण की पहले ही स्थापना की जा चुकी है ।

(ग) गुजरात सरकार, जो इस परियोजना को क्रियान्वित कर रही है, केन्द्र से यह शिकायत करती रही है कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के अन्य लाभ भोगी राज्य व्यय के अपने हिस्से की लागत का अंशदान नहीं कर रहे हैं और इससे परियोजना को समय पर पूर्ण करने पर प्रभाव पड़ने की संभावना है ।

इस मामले पर विचार-विमर्श करने के लिए सिंचाई के प्रभारी केन्द्रीय मंत्री द्वारा राज्यों के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक दिसम्बर, 1981 में बुलाई गई थी । इसके पश्चात्, सम्बद्ध राज्यों की 1982-83 की वार्षिक योजना में उनकी बकाया राशियों को पूरा करने के लिए और 1982-83 में आवश्यक प्रावधान रखने के लिए धनराशि की पर्याप्त व्यवस्था करने हेतु, इस मामले को योजना आयोग के साथ उठाया गया था । महाराष्ट्र सरकार ने अपनी बकाया राशि के एक भाग के रूप में 3 करोड़ रुपये की राशि का पहले ही भुगतान कर दिया है । राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रियों से भी अपनी-अपनी बकाया राशियों का गुजरात सरकार को शीघ्र भुगतान कर देने का अनुरोध किया गया है । अतः, राज्य सरकारों को अपने हिस्से की लागतों की समय पर अदायगी करने के लिए राजी करने हेतु सभी उपाय किए जा रहे हैं ।

(घ) सरदार सरोवर परियोजना पर, जिसमें बांध, बिजली घर और नहरें सम्मिलित हैं, इस समय 2424 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है ।

(ङ) इस परियोजना के लिए केन्द्रीय सरकार किसी धनराशि की व्यवस्था नहीं कर रही है । छठी योजना में लाभभोगी राज्यों द्वारा सिंचाई और विद्युत सेक्टरों के अन्तर्गत इस परियोजना के लिए प्रस्तावित परिव्यय निम्न प्रकार हैं :—

गुजरात	330 करोड़ रुपये
मध्य प्रदेश	75 करोड़ रुपये
महाराष्ट्र	43.23 करोड़ रुपये
राजस्थान	8.00 करोड़ रुपये
	जोड़ : 456.23 करोड़ रुपये

(च) गुजरात सरकार ने इस परियोजना को 12 वर्ष की अवधि में पूरा करने का प्रस्ताव किया है। तथापि, इस परियोजना के पूर्ण होने का कार्यक्रम लाभभोगी राज्यों द्वारा उपलब्ध की जाने वाली धनराशियों पर निर्भर करेगा। छठी योजना में इस परियोजना के लिए कुल प्रस्तावित परिव्यय, इस परियोजना को आयोजित अनुसूची के अनुसार पूर्ण करने के लिए वैकल्पिक आवश्यकताओं से कम है।

बिहार में कमजोर वर्ग के बेघर परिवारों की संख्या

2294. **श्री कुंवर राम** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कमजोर वर्ग के बेघर परिवारों की संख्या क्या है ;

(ख) अब तक उनके लिए कितनी आवास इकाइयों का निर्माण हो चुका है और उनका आबंटन किया जा चुका है ; और

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कितनी आवास इकाइयों का निर्माण होने तथा आबंटित किए जाने की संभावना है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) आवास योजनाएं, राज्य सरकार द्वारा बनाई और कार्यान्वित की जाती हैं। तथापि, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण आवास स्थल व निर्माण सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत बिहार सरकार ने 2.91 लाख पात्र ग्रामीण भूमिहीन परिवारों का अनुमान लगाया है। 30-6-1982 तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 40,000 परिवारों को आवास स्थल तथा 41,000 परिवारों को निर्माण सहायता दी गई है। छठी योजना में 1985 तक सभी ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को लाभान्वित करने तथा उनमें से 25% को निर्माण सहायता देने पर विचार किया गया है। 31-8-1982 तक हुडको, जो एक सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है, ने भी बिहार में कई आवास परियोजनाओं के लिए ऋण सहायता दी है जिनके परिणामस्वरूप आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए 32447 रिहायशी एककों का निर्माण किया जाएगा।

राजस्थान में बाढ़ से हुई हानि

2295. **श्री चतुर्भुज** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1982 में आई बाढ़ के कारण राजस्थान में सार्वजनिक सम्पत्तियों यथा सड़कों, बांधों, तालाबों और नहरों को हुई क्षति के सम्बन्ध में कुल मूल्यांकन किया गया है ;

(ख) उस हानि की कुल धनराशि कितनी है जिसके बार में राजस्थान सरकार ने एक मूल्यांकन रिपोर्ट केन्द्र सरकार के पास भेजी है और इस प्रयोजन के लिए केन्द्र से कुल कितनी धन-राशि की सहायता मांगी गई है ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) राज्य सरकार ने राज्य में बाढ़ के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट नहीं दी है।

(ख) राजस्थान सरकार से केन्द्रीय सहायता मांगने के लिए कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

गोआ के तटवर्ती क्षेत्रों का भूमि कटाव

2296. **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ के एक तटवर्ती क्षेत्र से भारी मात्रा में रेत निकाले जाने के कारण हुए गंभीर भूमि कटाव की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ; और

(ख) इस प्रकार रेत निकालने से पैदा हुई इस भयंकर स्थिति को रोकने के लिये सरकार द्वारा कौन से उपचारी कदम उठाये गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) रेत का उत्खनन समुद्र-तट के साथ-साथ अनेक स्थानों पर किया जाता है। इस मंत्रालय द्वारा गठित समुद्र-तट कटाव बोर्ड को गोवा में कटाव की कोई विशिष्ट गंभीर समस्या निर्दिष्ट नहीं की गई है।

खिलाड़ियों के प्रशिक्षण

2297. **श्री आर० आर० भोले** : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई खेल की विशेष आयोजन समिति ने यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए हैं कि भारतीय खिलाड़ियों को ट्रैक और फील्ड खेलों में प्रशंसनीय खेल दिखाने के लिए उचित प्रशिक्षण दिया जाए और उनका खेल अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का हो ; और

(ख) क्या भारतीय खिलाड़ियों के हाल ही के परीक्षण खेलों और कोचिंग में भारत को पिछले अन्तर्राष्ट्रीय खेलों की तुलना में कांसे, स्वर्ण और रजत के अधिक पदक प्राप्त हुए हैं ?

पूर्ति मंत्रालय के तथा खेल विभाग के राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) सरकार ने राष्ट्रीय खेल संघों तथा भारतीय ओलम्पिक संघ को एशियाड 82 में भाग लेने के लिए भारतीय खिलाड़ियों तथा एथलीटों को तैयार करने, शिक्षण तथा प्रशिक्षण प्रदान करने में सहायता करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें प्रशिक्षण परिसरों के संचालन के लिए धन की व्यवस्था करना,

परिसरों के लिए राष्ट्रीय खेल संस्थान के प्रशिक्षक उपलब्ध कराना, जहां आवश्यक हो वहां विशेषज्ञ विदेशी प्रशिक्षकों की सेवाएं प्राप्त करना, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण उपकरण प्राप्त करना तथा संभाव्य खिलाड़ियों के लिए उठाए गए कदम शामिल हैं। विशेष नवम् एशियाई खेल आयोजन समिति का, एशियाड 82 के लिए भारतीय टीमों को तैयार करने से कोई सम्बन्ध नहीं है।

(ख) आशा है कि उनके शिक्षण तथा प्रशिक्षण के लिए किए गए विशेष उपायों के परिणाम स्वरूप एशियाड 82 में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ी अच्छे सिद्ध होंगे।

सरकार द्वारा अधिग्रहीत चीनी कारखानों द्वारा अर्जित लाभ

2298. **श्री बाल कृष्ण वासनिक** : क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी उपक्रम (प्रबंध अधिग्रहण) अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा अभिग्रहीत प्रत्येक कारखाने ने वर्ष 1978-79, 1979-80, 1980-81 में कितना लाभ अर्जित किया और 1981-82 में कितना अर्जित करने की संभावना है।

(ख) क्या कम्पनी के प्रबंधकों द्वारा ऐसे कारखानों में से किसी के भी किसी भी वर्ष के लिए वित्तीय लेखे और तुलन-पत्र प्रकाशित किए गये थे ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ; और

(घ) उन कारखानों में नियुक्त प्रत्येक अभिरक्षक का कार्यकाल क्या रहा और तीन वर्ष के अधिक कार्यकाल के बाद स्थानान्तरित न किए जाने के कारण क्या हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) चीनी मिलों को अधिकार में लिए जाने के बाद उनके कार्यचालन के वित्तीय परिणाम संलग्न विवरण "क" में दिए गए हैं। वर्ष 1981-82 की अनुमानित लाभ/हानि सम्बन्धी सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) जीजा माता और बैतालपुर चीनी फैक्ट्रियों के वर्ष 1978-79 और 1979-80 के वित्तीय लेखों की लेखा परीक्षा हो गयी है। वर्ष 1980-81 के लेखों की लेखा परीक्षा का कार्य प्रगति पर है। अन्य फैक्ट्रियों के बारे में उल्लखित तीन वर्षों की लेखा परीक्षा का कार्य भी प्रगति पर है।

अब तक लेखा परीक्षित लेखे मिलों के मालिकों को आगे की आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजे जा रहे हैं।

(घ) प्रत्येक अभिरक्षक की कार्य अवधि संलग्न विवरण "ख" में दी जाती है।

चीनी प्रतिष्ठान (प्रबन्ध ग्रहणन) अधिनियम में यह व्यवस्था है कि अभिरक्षक केन्द्रीय सरकार की सहमति से अपने पद पर बने रहेंगे।

विवरण "क"

अधिग्रहण करने के बाद चीनी मिलों के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों को बताने वाला विवरण

क्र.सं.	फैक्ट्री का नाम	निम्न वर्षों के दौरान हुआ लाभ (+) / हानि (—) (रुपये/लाख)		
		1980-81	1979-80	1978-79
1.	अजुध्या शुगर मिल्स, जिला मुरादाबाद	(—) 48.97	(—) 34.11	(—) 85.80
2.	रेनज शुगर मिल्स लि०, जिला सहारनपुर	(—) 61.93	(—) 52.30	(—) 107.31
3.	देवरिया शुगर मिल्स लि०, देवरिया जिला देवरिया	(+) 8.03	(+) 18.27	(—) 30.20
4.	श्री सीताराम शुगर कं० लि०, बैंतालपुर, जिला देवरिया	(+) 10.78	(+) 2.86	(—) 6.70
5.	सेकसरिया शुगर मिल्स लि०, जिला गोंडा	(—) 32.40	(—) 79.99	(—) 104.75
6.	श्री केशोरायपाटन एस० एस० मिल्स लि०, बूंदी	(—) 41.62	(—) 62.97	(—) 83.24
7.	जीजामाता एस० एस० के० लि०, जिला बुलडाना	(—) 85.44	(—) 132.00	(—) 31.34
8.	कावेरी शुगर्ज एण्ड केमिकल्ज लि०, जिला त्रिची	(+) 49.49	(+) 25.99 (15 महीने)	(—) 35.69
	जोड़	(—) 192.06	(—) 314.25	(—) 485.03

नोट : जीजामाता और बैंतालपुर चीनी मिलों के वर्ष 1978-79 और 1979-80 के के आंकड़े लेखापरीक्षित किए गए हैं।

विवरण "ख"

प्रत्येक अभिरक्षक की कार्य अवधि को बताने वाला विवरण

क्रम सं०	चीनी मिल का नाम	अभिरक्षक का नाम	कार्य अवधि से	कैफियत तक
1	2	3	4	5
1.	कावेरी शुगर एण्ड केमिकल्ज लि०, पेट्टैवयतलाई	1. श्री ई० वेंकटाचलम	7.2.79	6.2.83 अथवा उस तारीख तक जिस तारीख से वे कार्यमुक्त किए जाते हैं, इनमें से जो भी पहले हो।
2.	केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल्स लि०, केशोरायपाटन	1. श्री ओ०पी० वाली	26.12.78	17.11.79
		2. श्री एस०पी० गुप्ता	18.11.79	10.1.81
		3. श्री वी०पी० धाका	11.1.81	16.6.82
		4. श्री के०एच० राव	17.6.82	16.6.84
3.	अजुध्या शुगर मिल्स, राजा का साहसपुर	1. श्री एन०के० जैन	2.12.78	25.5.79
		2. श्री एन०सी० जैन	25.5.79	24.5.83 अथवा (अपराह्न) उस तारीख तक जिस तारीख से वे कार्यमुक्त किए जाते हैं, इनमें से जो भी पहले हो।
4.	आर० वी० एन० सिंह शुगर मिल्स, लक्सर	1. श्री ए०के० वित	2.2.79	25.6.79
		2. श्री के०के० लाल	26.6.79	20.7.79
		3. श्री ए०के० वित	21.7.79	3.9.79
		4. श्री एस०वी० चौहान	4.9.79	17.11.79
		5. श्री जे०एस० मेहता	18.11.79	12.5.80
		6. श्री के०के० गुप्ता	13.5.80	20.6.82
		7. श्री वी० के० सिंह	7.8.82	1.2.85
5.	जीजामाता सहकारी चीनी मिल्स लि०,	1. श्री जी०वी० जगताप	26.12.78	14.11.80
		2. श्री एम०एन० ठाकरे	6.12.80	8.2.81

1	2	3	4	5
	शंकरनगर	3. श्री डी० एन० थुथे	9.2.81	— जब तक कि क्या अभिरक्षक उन्हें कार्यमुक्त करता है।
6.	सेकसरिया शुगर मिल्स लि०, वभनान	1. श्री जगदीश सिंह	13.3.79	18.12.79
		2. श्री रघुवीर सिंह	19.12.79	— जब तक कि नया अभिरक्षक उन्हें कार्यमुक्त करता है।
7 और 8.	देवरिया एण्ड सीताराम शुगर मिल्स	1. श्री पी०आर० त्रिपाठी	27.12.78	29.11.79
		2. श्री एच०एल० श्रीवास्तव	30.11.79	26.12.84—उन्हें सीताराम शुगर मिल्स के कार्यभार से तब कार्यमुक्त किया जाएगा जब अभिरक्षक नियुक्ति को ग्रहण करेंगे।

ट्रैक्टरों तथा अन्य कृषि उपकरणों की बिक्री

2299. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने प्रकार के ट्रैक्टरों का निर्माण होता है और उन ट्रैक्टरों तथा अन्य उपकरणों की कीमत क्या है ;

(ख) क्या किसानों के लिए "कल्टीवेटर्स", "प्लो पुली" तथा "ट्राली" आदि जैसे अन्य उपकरण उसी कम्पनी से खरीदना अनिवार्य होता है जबकि उस कम्पनी के उपकरणों की कीमतें स्थानीय लघु उद्योगों द्वारा निर्मित उपकरणों की कीमतों से कई गुना अधिक होती हैं, और

(ग) क्या गुजरात में "फर्गुसन" कम्पनी के ट्रैक्टरों के मुख्य एजेंट को गुजरात के बहुत से नगरों में अलग-अलग नामों पर एजेंसियां आबंटित की गयी हैं और प्रत्येक एजेंसी द्वारा ये उपकरण किसानों को अनिवार्यता से बेचे जाते हैं और यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में जांच की जाएगी और बाध्य करके किसानों को बेचे गए उपकरण वापस लिए जाएंगे अथवा उनको कीमत में रियायत दिलाई जाएगी ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) देश में 6 से 12 अश्व शक्ति के दो पहियों वाले ट्रैक्टरों, 15 से 100 अश्व शक्ति के चार पहिए वाले ट्रैक्टरों तथा 90 से 410 अश्व शक्ति के रेंगने वाले (क्रालर) ट्रैक्टरों का विनिर्माण किया जाता है। संगठित क्षेत्र में विनिर्मित किए जाने वाले पावर टिलरों तथा ट्रैक्टरों के मूल्य विवरण "क" तथा "ख" में दिए गए हैं।

कृषि उपकरणों, जिनका विनिर्माण लघु स्तर क्षेत्र में किया जाता है, के मूल्य अलग-अलग हैं, जो कि एक विनिर्माता से दूसरे विनिर्माता पर निर्भर करते हैं।

(ख) किसानों के लिए एक ही कम्पनी के उपकरण खरीदना जरूरी नहीं है। सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं है, जिससे कि इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके कि ट्रैक्टर विनिर्माताओं द्वारा विनिर्मित कृषि उपकरणों की दरें स्थानीय लघु उद्योगों द्वारा विनिर्मित कृषि उपकरणों की दरों की तुलना में कई गुना अधिक हैं।

(ग) ट्रैक्टरों के लिए प्राइवेट डीलरों की नियुक्ति करने का कार्य देशी ट्रैक्टर विनिर्माताओं से सम्बन्धित है। सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिससे इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके कि गुजरात राज्य में डीलर किसानों को जबर्दस्ती उपकरण बेच रहे हैं।

विवरण-क

क्रम सं०	विनिर्माता का नाम	मेक/माडल	मूल्य (रुपये)
1	2	3	4
1.	मैसर्स कृषि इंजिन प्राइवेट लि० सनतनगर, हैदराबाद	कृषि	उपलब्ध नहीं
2.	मैसर्स वी० एस० टी० टिलर्स एण्ड ट्रैक्टर लिमिटेड, नं०—1, दयावासन्दरा, बंगलौर	मितशुविशी (सीटी-85)	24,500 (शक्ति माडल)
3.	मैसर्स जे० के० सातो एग्रीकल्चरल मशीन्स लि०, कानपुर	जे० के० सातो	23,000
4.	मेसर्स केरल एग्रो मशीनरी कार्पोरेशन लि०, अथानी, केरल	कुबोटा	29,000
5.	मैसर्स स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि०, पटना	कुबोटा	30,160

विवरण-ख

क्रम सं०	विनिर्माता का नाम	माडल हार्स पावर	1-2-1982 को मूल्य (एफ० ओ० आर०) रुपयों में
1	2	3	3
1.	मैसर्स एस्कार्ट्स लिमिटेड, फरीदाबाद	ई-355 (ए० डी० डी० सी०) 35 एच० पी०	63,099
		ई-335 (एम० डी० सी०) 35 एच० पी०	58,510
		ई-345/45 एच० पी०	64,035

1	2	3	4	
2.	मैसर्स एस्कार्ट्स ट्रैक्टर लि० फरीदाबाद	फोर्ड-3600/46 एच० पी०	86,398	
3.	आईशर गुडअर्थ लि०, फरीदाबाद	आईशर/26.5 एच० पी०	45,170	
4.	महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लि०, बम्बई	वी०-275/35 एच०पी०	65,050	
		444/45 एच० पी०	69,624	
5.	एच० एम० टी० लिमिटेड, बंगलौर	झीटर-2511/25 एच० पी०	52,630	
		झीटर-3511/35 एच० पी०	63,815	
		झीटर-5911/55 एच० पी०	85,245	
6.	पंजाब ट्रैक्टर लिमिटेड, रोपड़	स्वराज-735/35 एच० पी०	61,415	
		स्वराज-सरताज/18 एच०पी०	38,700	
7.	ट्रैक्टर एण्ड फार्म इक्विपमेंट लि०, मद्रास	एम० एफ०-1035/35 एच० पी०	63,324	उत्पादन कर को
		एम० एफ०-1035 (डीलक्स)	69,485	छोड़
		एम० एफ०-245/45 एच० पी०	87,125	कर
8.	गुजराज ट्रैक्टर कार्पोरेशन लि०, बड़ोदरा	एच० डब्ल्यू डी०-50/50 एच० पी०	82,532	एक्स वर्क्स
		जी-453/45 एच० पी०	80,539	
9.	हर्षा ट्रैक्टर लिमिटेड, गाजियाबाद	टी०-25/25 एच० पी०	61,315	एक्स वर्क्स
10.	किर्लोस्कर ट्रैक्टर लिमिटेड, नासिक	डी०-4006 के/43 एच० पी०	81,455	
		डी०-4006 के/75 एच० पी०	2,12,405	
11.	यूनाइटेड आटो ट्रैक्टर लि०, नई दिल्ली	यू-445/45 एच० पी०	78,882	
12.	पिट्टी ट्रैक्टर लिमिटेड, पूना	पिट्टी-4000/37 एच० पी०		उपलब्ध
		पिट्टी-4500/39 एच० पी०		नहीं

1	2	3	4	
13.	वी० एस० ए० आई० डी० सी० पटना	झीटर-2511/25 एच० पी०	59,866	
14.	आटो ट्रैक्टर लिमिटेड, प्रतापगढ़	प्रताप—284/28 एच० पी०	36,355	एक्स वर्क्स
15.	आईशर फार्म मशीनरी लि०, चंडीगढ़	24 एच० पी०	44,870	एक्स वर्क्स

दिल्ली की वृहत्त योजना में संशोधन

2300. **श्री जगन्नाथ राव** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली के लिए तैयार की गई वृहत्त योजना में हाल में संशोधन किया गया था अथवा संशोधन करने का विचार है ;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश के नौएडा से लगी चिल्ला दालूपुर गांव की जमीन अधिग्रहण के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1854 की धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचित की गई है, यदि हां, तो अधिसूचना का ब्यौरा क्या है और वह किस तारीख को अधिसूचित की गई थी ;

(ग) क्या उपर्युक्त धारा 4 के अन्तर्गत इस प्रकार अधिसूचित सारी जमीन अथवा उसके लिए हिस्से के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत एक घोषणा की अधिसूचना जारी की गई है, यदि हां, तो इस प्रकार की घोषणा किस तारीख को गई थी, उसका सार्वजनिक उद्देश्य क्या था जमीन की सीमायें क्या थी ;

(घ) क्या सार्वजनिक स्थानों पर अथवा अधिग्रहण की जाने वाली जमीन के नजदीक सार्वजनिक सूचना दी गई थी और इस जमीन के इच्छुक लोगों को सूचना दी गई थी ; और

(ङ) क्या इस जमीन के बारे में आयुक्त ने मुआवजा देने की प्रकिया शुरू कर दी है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

बकरा अनुसंधान संस्थान

2301. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में कितने अनुसंधान संस्थान बकरियों पर अनुसंधान का काम कर रहे हैं ;

(ख) इस प्रकार के अनुसंधान संस्थान स्थापित करने के मुख्य कारण क्या हैं ;

(ग) क्या उड़ीसा में ऐसा कोई संस्थान नहीं है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार के पास उड़ीसा में ऐसा संस्थान खोलने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ङ) यह प्रस्ताव कब तक लागू होगा ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्) : (क) और (ख) जुलाई, 1979 में मखदूम, मथुरा (उत्तर प्रदेश) में केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य बकरियों के मांस, दूध और रेशे की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए अध्ययन करना था।

(ग) उड़ीसा में बकरियों के अनुसंधान के लिए कोई संस्थान कार्य नहीं कर रहा है।

(घ) जी नहीं, श्रीमान्।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

अन्तर्देशीय मत्स्य पालन संसाधनों का विकास

2302. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अन्तर्देशीय मत्स्य पालन संसाधनों के लिए किए गए और किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : तालाब और पोखर मत्स्य पालन के मुख्य अन्तर्देशीय संसाधन हैं और इनका पहले ही गहन विकास किया जा रहा है। लगभग सभी राज्यों के 108 जिलों में मार्गदर्शी परियोजनाओं के रूप में स्थापित की गई मत्स्यपालक विकास एजेंसियों में एक निश्चित दृष्टिकोण बताया गया है जिसमें सरकारी और संस्थागत वित्तीय सुविधाओं से मत्स्य पालन के उपयुक्त बनाने हेतु तालाबों और पोखरों का सुधार करना भी शामिल है। डिम्पौना, जो कि मछली पालन का अनिवार्य आधारभूत आदान है, का उत्पादन (1) विश्व बैंक की सहायताप्राप्त अन्तर्देशीय मात्स्यकी परियोजना, (2) मत्स्य पालक विकास एजेंसियों के मछली फार्मों और (3) वाणिज्यिक पैमाने पर राष्ट्रीय डिम्पौना कार्यक्रम के अन्तर्गत करने का प्रस्ताव है। इन कार्यक्रमों के अलावा, केन्द्रीय प्रायोजित क्षेत्र के अन्तर्गत राज्य सरकारें भी अपनी योजना स्कीमों के तहत मत्स्य पालकों को दोनों के लिए अर्थात तालाब और पोखरों का विकास करने और डिम्पौना की सप्लाई करने में सहायता कर रही हैं।

गहन अन्तर्देशीय मात्स्यकी के महत्व को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने छठी योजना में विभिन्न कार्यक्रमों में राज्य सरकारों को सहायता करने के लिए 18.90 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया है।

सूखे तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपों की स्थिति के कारण बिहार को खाद्यान्न का कोटा बढ़ाया जाना

2303. **डूमर लाल बैठा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने राज्य में गंभीर सूखे के कारण खाद्यान्नों के अत्यधिक अभाव की स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्नों के आबंटन के लिए अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो की गई मांग का ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन महीनों के दौरान

केन्द्रीय सरकार द्वारा खाद्यान्नों का कितना आबंटन किया गया है और अगले तीन महीनों में खाद्यान्नों का आबंटन किए जाने की संभावना है ;

(ग) क्या यह सच है कि उचित दर की दुकानों को विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, खाद्यान्नों का कोई आबंटन नहीं मिलता और शहरी क्षेत्रों में भी खाद्यान्न की सप्लाई बहुत कम है ; और

(घ) क्या सरकार, बिहार राज्य में अभूतपूर्व सूखे की स्थिति से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों पर काबू पाने के लिए बिहार राज्य का खाद्यान्न का कोटा बढ़ाने की वांछनीयता पर विचार करेगी, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) जी हां । बिहार सरकार ने अनुरोध किया है कि राज्य में सूखे से उत्पन्न स्थिति के कारण उनकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बढ़ी हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें केन्द्रीय पूल से प्रति मास 1 लाख मीटरी टन गेहूं और 50,000 मीटरी टन चावल का आबंटन किया जाए । पिछले तीन महीनों में केन्द्रीय पूल से राज्य सरकार को आबंटित मात्रा का ब्यौरा इस प्रकार है :

(हजार मीटरी टन में)

मास	चावल	गेहूं	
		सा० वि० प्र०	रो० फ्लो० मिल०
अगस्त, 82	20.0	22.0	15.77
सितम्बर, 82	20.0	24.0 10.0*	16.77**
अक्तूबर, 82	20.0	25.0	15.77

* बाढ़ राहत के लिए

** त्यौहारों के लिए 1.0 हजार मीटरी टन की मात्रा शामिल है ।

सा० वि० प्र० — सार्वजनिक वितरण प्रणाली

रो० फ्लो० मि० — रोलर फ्लोर मिलें

बिहार समेत विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों का आबंटन केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की समूची उपलब्धता विभिन्न राज्यों की सापेक्ष जरूरतों, बाजार उपलब्धता और अन्य सम्बद्ध तथ्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है । बिहार समेत विभिन्न राज्यों की जरूरतों की समीक्षा प्रत्येक मास की जाती है और आबंटन में वृद्धि/कमी की जाती है । अगले तीन महीनों में बिहार को आबंटन उपर्युक्त कसौटी को ध्यान में रखकर किया जाएगा ।

(ग) केन्द्रीय पूल से राज्य सरकारों को खाद्यान्नों का मासिक आबंटन किया जाता है । राज्य के अन्दर वितरण की देखभाल सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा की जाती है ।

(घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए राज्य का गेहूं का मासिक कोटा जुलाई, 1982 के 20,000 मीटरी टन से बढ़ाकर अगस्त, 82 में 22,000 मीटरी टन, सितम्बर में 24,000 मीटरी टन और अक्तूबर, 1982 में 25,000 मीटरी टन कर दिया गया है। इसके अलावा, सितम्बर, 1982 के दौरान 10,000, मीटरी टन गेहूं का विशेष आवंटन किया गया है ताकि राज्य सरकार सूखे-बाढ़ से उत्पन्न स्थिति का मुकाबला कर सके।

विभिन्न स्टेडियमों पर की गई व्यवस्था

2304. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एशियाई खेलों से पूर्व हाल के अभ्यास खेलों के दौरान विभिन्न स्टेडियमों में किये गए प्रबन्ध की जानकारी ली है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों के प्रदर्शन से सन्तुष्ट है ; और

(ग) खेल विशेषज्ञों के अनुसार किन-किन खेलों में फाइनल के समय पुरस्कार पाने के लि ए और कड़ी मेहनत की आवश्यकता है ?

पूर्ति मंत्रालय के तथा खेल विभाग के राज्य मंत्री (श्री बूटासिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) परीक्षण खेल आयोजित करने का उद्देश्य, एशियाई खेल, 1982 के आयोजन के लिए अपनी भौतिक सुविधाओं तथा संगठनात्मक प्रबन्धों की जांच करना था। सरकार ने एशियाड, 1982 में भाग लेने के लिए भारतीय खिलाड़ियों तथा एथलीटों को तैयार तथा प्रशिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय खेल फेडरेशनों और भारतीय ओलम्पिक संघ की सहायता करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इन उपायों में प्रशिक्षण शिविरों के संचालन के लिए वित्त प्रबन्ध करना, शिविरों के लिए राष्ट्रीय खेल संस्थान के प्रशिक्षक उपलब्ध करना, जहां कहीं आवश्यक हो विशेषज्ञ विदेशी प्रशिक्षकों की सेवायें प्राप्त करना, अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों के प्रशिक्षण उपस्कर प्राप्त करना तथा संभाव्य खिलाड़ियों के लिए भोजन के वास्ते पर्याप्त धन की व्यवस्था करना शामिल है। यह आशा है कि प्रशिक्षण के लिए किए गए विशेष उपायों के परिणाम स्वरूप एशियाड, 1982 में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ी अच्छे सिद्ध होंगे।

नई बस्ती किशनगंज को नियमित किया जाना

2305. **श्री छोटे सिंह यादव** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम ने सिफारिश की थी कि नई बस्ती, किशनगंज दिल्ली-7 को ज्यों का त्यों विनियमित कर दिया जाए ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाई की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) मलिन क्षेत्र (सुधार तथा उन्मूलन) अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत नई बस्ती एक अधिसूचित मलिन क्षेत्र है और इसका विकास उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार स्लम विभाग द्वारा किया जाना है जो अब दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधीन है। इस कालोनी के नियमितीकरण का प्रश्न इस कालोनी की पुर्नविकास योजना के बनने तथा अनुमोदन के बाद ही उठेगा।

इन्द्रप्रस्थ एक्सटेंशन II की कालोनियों के लिए पेयजल

2306. **श्री मनीराम बागड़ी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्द्रप्रस्थ एक्सटेंशन II की कालोनियों को, जिनका तेजी से विकास हो रहा है, पेयजल देने के लिए कोई व्यवस्था की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इन कालोनियों को स्वच्छ पेयजल देने में कितना समय लगेगा ; और

(ग) क्या इस क्षेत्र को गंगा का जल दिए जाने की सम्भावना है अथवा नहीं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) दिल्ली जल सप्लाई तथा मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि यमुना पार की कालोनियों को पेय जल की सप्लाई शाहदरा जल शोधन संयंत्र से की जाएगी, जब यह 1983 में चालू किया जाएगा।

सूखे रेत में पौधे उगाने सम्बन्धी आस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों द्वारा किया गया आविष्कार

2307. **श्री निहाल सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने सूखे रेत में पौधे उगाने की विधि का आविष्कार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राजस्थान आदि के रेगिस्तानी क्षेत्रों में इस विधि को अपनाने की योजना पर विचार करने का है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को इस विषय में कोई जानकारी नहीं है कि किसी आस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक ने रेतीली जमीन में पौधे उगाने का दावा किया है। पौधे शरीर रचना वैज्ञानिकों ने अनुसंधान द्वारा यह पता लगाया है कि बिना पानी या पोषक पदार्थों के कोई पौधा नहीं उग सकता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी जोधपुर स्थित केन्द्रीय मरू क्षेत्र अनुसंधान संस्थान ने रेतीली मिट्टियों में पौधे उगाने और मिट्टी के डहों के स्थिरीकरण के लिए प्रौद्योगिकी का

विकास किया है। रेतीली जमीन में कुछ पौध प्रजातियों जैसे : अकेसिया टोरटिलिस, प्रोसोपिस ज्यूली फ्लोरा, क्रेन्क्रस सिलिएरिस, क्रेन्क्रस सेटीगेरस, एल्बीजीया लेब्बक से काफी लाभप्रद परिणाम मिले हैं।

इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय बारानी कृषि समन्वित अनुसन्धान प्रायोजना के अन्तर्गत जिसके 23 सहयोगी केन्द्र हैं और जो देश के भिन्न-भिन्न कृषि जलवायवीय क्षेत्रों में स्थित हैं बारानी कृषि वाले और मरू क्षेत्रों में कृषि उत्पादन बढ़ाने और इसे स्थिर करने के लिए कृषि-उत्पादन तकनीकों का विकास किया जा रहा है। इस तकनीक के प्रमुख अंग हैं—लाभप्रद फसल पद्धतियां, स्वस्थानिक नमी संरक्षण विधियां, उचित मात्रा में उर्वरक उपयोग, सीमांत और छोटे किसानों के लिए कम लागत वाले बहु-उद्देश्यीय उपकरण और सुधरी मिट्टी और फसल प्रबन्ध विधियां। इनसे किसानों के खेतों पर 50 से 100 प्रतिशत तक उपज बढ़ने की आशा की जा सकती है।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले पोतों का मछली पत्तनों पर ठहराना

2308. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र दक्षिण कन्नाडा जिले में स्थित मछली पत्तनों पर गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले दो पोत रखने और कर्नाटक मत्स्य विकास निगम माल्पे से मछलियां पकड़ने के लिए गहरे समुद्र के ट्रना पोतो को किराए पर लेने की योजना बना रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सबम्धी ब्यौरा क्या है और मछली पकड़ने का यह कार्य कब तक शुरू किए जाने की सम्भावना है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) कर्नाटक सरकार केन्द्रद्वारा प्रायोजित योजना के तहत दक्षिण कन्नाडा जिले के माल्पे में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के पत्तन का निर्माण कर रही है। यह एकमात्र ऐसा मत्स्यन बन्दरगाह होगा, जहां पर इस प्रकार के मत्स्यन जलयानों का परिचालन होगा। माल्पे स्थित समन्वेषी मात्स्यकी परियोजना का वेस स्थापित करने का प्रस्ताव है, जहां पर इस प्रकार के ट्रालर भी कार्य करेंगे।

माल्पे से कार्य करने के लिए गहन समुद्र को ट्रनापोतों चार्टर करने के सम्बन्ध में कर्नाटक मात्स्यकी विकास निगम से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

रामपुरा के समीप स्थित गोल्डन पार्क को नियमित किया जाना

2309. **श्री हीरालाल आर० परमार** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामपुरा दिल्ली-35 के समीप स्थित गोल्डन पार्क को सरकार ने अब तक नियमित नहीं किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं, क्योंकि इस कालोनी को बसे 30 वर्ष से भी अधिक समय हो चुका है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि रोहतक रोड पर रामपुर गांव के समीप स्थित गोल्डन पार्क कालोनी नियमितीकरण के लिए चुनी गई उन 612 अनधिकृत कालोनियों की सूची में शामिल नहीं है। तथापि, अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के सम्बन्ध में दिल्ली के उप-राज्यपाल द्वारा नि क्त तकनीकी समिति सरकार द्वारा बनाई गई नीति के अनुसार इस सूचि की जांच कर रही है।

राज्यों को अंग्रेजी और हिन्दी में भेजे गये मूल पत्रों की संख्या

2310. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय 1 विभाग द्वारा 1982 के पूर्वार्द्ध में "क" और "ख" श्रेणियों में प्रत्येक राज्य को भेजे गए मूल पत्रों की संख्या कितनी है और उनमें कितने पत्र अंग्रेजी में हैं और कितने पत्र हिन्दी में ;

(ख) क्या राजभाषा अधिनियम 1963 में इन सभी राज्यों को मूल पत्र हिन्दी में जारी करने की व्यवस्था है और ऐसा न करना इस अधिनियम के प्रावधानों का खुला उल्लंघन है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इन राज्यों को मूल पत्र अंग्रेजी में जारी किए गए हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) भविष्य में इन राज्यों को मूल पत्र हिन्दी में जारी किया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पूर्ति मंत्रालय के तथा खेल विभाग के राज्य मंत्री (श्री बूटासिंह) : (क) यहां का अधिकांश पत्र व्यवहार, पूर्तिकर्ताओं के साथ, ठेकों द्वारा खरीद के बारे में होता है। अन्य पत्र व्यवहार सामान्यतया केन्द्रीय सरकार के विभागों से होता है। 'क' तथा 'ख' क्षेत्र के प्रत्येक राज्य को मूल रूप से भेजे गए पत्रों की अलग-अलग संख्या उपलब्ध नहीं है।

(ख) जी, हां।

(ग) जैसा कि उपर्युक्त (क) में बता दिया गया है।

(घ) इस मंत्रालय के सभी कार्यालयों तथा अधिकारियों को पहले ही हिदायतें जारी की जा चुकी हैं कि राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबन्धों के अनुसार हिन्दी भाषी राज्यों को पत्र हिन्दी में ही लिखे जाएं।

राज्यों की हिन्दी और अंग्रेजी में भेजे गये पत्रों की संख्या

2311. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय/विभाग द्वारा 1982 की प्रथम छमाही में "क" और "ख" क्षेत्रों के प्रत्येक राज्य को मूल रूप से कुल कितने मूल पत्रादि भेजे गये हैं और अंग्रेजी और हिन्दी के पत्रों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या राज्य भाषा अधिनियम, 1963 में इन सभी राज्यों को पत्रादि मूल रूप से हिन्दी में जारी करने का उपबन्ध है और ऐसा न करना इस अधिनियम के उपबन्धों का स्पष्ट उल्लंघन है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इन राज्यों को पत्रादि मूल रूप से अंग्रेजी में भेजे गए थे और यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ; और

(घ) भविष्य में इन राज्यों को पत्रादि मूल रूप से हिन्दी में भेजना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

दालों की उन्नत किस्म का विकास

2313. **रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में दालों की उन्नत किस्मों के विकास और उत्पादन बढ़ाने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है विशेषकर उत्तरी क्षेत्र में; और

(ख) कितने अतिरिक्त क्षेत्र पर दालों की खेती की जा रही है और चालू वर्ष में क्या लक्ष्य निर्धारित किया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) दलहन की अधिक उपज देने वाली किस्मों के विकास के लिए कृषि विश्व-विद्यालयों तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों के सहयोग से अखिल भारतीत समन्वित दलहन सुधार परियोजना के अंतर्गत अनुसंधान संबंधी प्रयास किए जा रहे हैं। देश में, जिसमें उत्तरी क्षेत्र भी शामिल है, निम्नलिखित दोहरी अनुसंधान नीति अपनाई गई है; (1) शीघ्र तैयार होने वाली उन किस्मों का सुधार जो बहु फसली पद्धति में उपयुक्त हो सकें, तथा (2) दलहन उगाने वाले परम्परागत क्षेत्रों में शुरू करने के लिए बेहतर उपज देने वाली किस्मों का विकास। किसानों को सप्लाई करने के लिए अधिक उपज देने वाली तथा शीघ्र तैयार हो जाने वाली किस्मों का विकास करने तथा पर्याप्त मात्रा में इन किस्मों के संवर्धन के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

(ख) वर्ष 1979-80 से लेकर 1980-81 तक दलहन उत्पादन के अंतर्गत लाया गया अतिरिक्त क्षेत्र निम्नलिखित है :

(क्षेत्र दस लाख हैक्टार में)

वर्ष	कुल क्षेत्र	अतिरिक्त वृद्धि
1979-80	22.26	—
1980-81	22.46	0.20
1981-82	23.87	1.41

चालू वर्ष के दौरान दलहन उत्पादन के लिए 135 लाख मीटरी टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

आयातित गेहूं की ढुलाई

2314. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :**
श्री निहाल सिंह :

क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक आयातित गेहूं की कितनी मात्रा आ चुकी है तथा क्या इसे विभिन्न राज्यों को आवंटित करने के लिए केन्द्रीय रक्षित भंडार में रखा जाएगा ;

(ख) यदि हां, तो इसमें से राज्यवार कितनी मात्रा आवंटित की गई है ;

(ग) शेष मात्रा के कब तक पहुंचने की आशा है ; और

(घ) क्या इस गेहूं की ढुलाई भारतीय जहाजों से की जा रही है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात के लिए हाल ही में ठेका की गई गेहूं का कोई जहाज अभी तक भारत में नहीं पहुंचा है। भारत में पहुंचने पर आयातित गेंहूं केन्द्रीय पूल के स्टाक का अंग होगा जिसका आवश्यकता पड़ने पर उपयोग किया जाना है।

(ख) उपर्युक्त (क) में दिए गए उत्तर की दृष्टि में प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) परिदान अनुसूची के अनुसार आयात किए जा रहे गेहूं को सितम्बर, 1982 से मार्च, 1983 के दौरान अमरीकी बन्दरगाहों से जहाजों पर भेजा जाना है।

(घ) सरकार की नीति के अनुसार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका से खरीदे गए गेहूं को यथा सम्भव अधिक से अधिक भारतीय जहाजों से लाया जाए। जब उपयुक्त भारतीय जहाज अपेक्षित स्थिति में उपलब्ध नहीं होंगे तब विदेशी जहाजों को किराये पर लिया जाएगा।

सिन्धु आयोग की रिपोर्ट

2315. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थाई सिन्धु आयोग ने 31 मार्च 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट इस बीच प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वर्ष के दौरान आयोग के क्रियाकलापों के बारे में यह एक सामान्य वार्षिक रिपोर्ट है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान, आयोग ने दो बैठकें आयोजित कीं और सिन्धु बेसिन की नदियों पर कुछ निर्माण-कार्यों और भागों के निरीक्षण का पांचवां सामान्य दौरा तीन बार किया।

एशियाई खेलों के आयोजन के लिए उपकरणों की खरीद के लिए इंडेंट-पत्र

2316. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के पास एशियाई खेल, 1982 के लिए भोजन, स्टेडियम की प्रकाश व्यवस्था दूरदर्शन के लिए इलैक्ट्रोनिक समाचार एकक करने वाले उपकरणों जैसे विभिन्न किस्म की मदों की खरीद के लिए कुल कितने और कितनी धनराशि की मूल्य के इंडैन्ट पेश किए गए हैं ;

(ख) एक करोड़ और उससे अधिक मूल्य के इन्डैन्टों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) विदेशों को "क्रासमेंन्डैन्ट" किए गए इन्डैन्टों का ब्यौरा क्या है और वे कितने मूल्य के हैं ;

(घ) एक करोड़ से अधिक मूल्य के इन्डैन्टों को किस प्रकार दिया गया, और

(ङ) क्या सभी मामलों में निर्धारित ढंग से निर्धारित समय पर सप्लाई हुई है ?

पूर्ति मंत्रालय के तथा खेल विभाग के राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) विभिन्न उपकरणों की अधिप्राप्ति के लिए पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय को 13.8 करोड़ रु० मूल्य के 84 इंडैंट, प्राप्त हुए थे। पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय खाद्य संबंधी मदों की खरीद नहीं करता है।

(ख) ब्यौरा विवरण "क" में दे दिया गया है।

(ग) ब्यौरा विवरण "ख" में दे दिया गया है।

(घ) एक करोड़ रु० से अधिक मूल्य के केवल तीन आदेश दिए गए थे, उनका तरीका विवरण "ग" में दे दिया गया है।

(ङ) मांगकर्ताओं द्वारा स्वीकृत विशिष्टियों या आशोधनों के अनुसार और ठेकों में निश्चित किये गये नियत समय के भीतर, या मांगकर्ताओं की सहमति से बढ़ाए गए नियत समम के अन्दर ही, सप्लाई पूरी कर ली गई है।

केवल पांच ठेकों के लिए आंशिक सप्लाई बकाया है, और उनकी भी बढ़ाई गई निर्धारित डिलीवरी अवधि के अन्दर ही सप्लाई पूरी हो जाने की सम्भावना है।

विवरण क

एक करोड़ रु० और उससे अधिक मूल्य के इंडैट

	इन्डैंट संख्या	मांगकर्ता	भंडार	अनुमानित मूल्य
1.	210/096//29-9-81/87	महानिदेशक, दूरदर्शन, नई दिल्ली	इलैक्ट्रोनिक न्यूज गैदरिंग उपकरण	1,03,59,000 रु०
2.	210/081/ 19-8-81/87	—वही—	ओ० बी० वैन्स	4,40,00,000 रु०
3.	201/423/ 12-9-80/81	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग नई दिल्ली	मुख्य स्टेडियम के लिए फ्लड लाइटिंग उपकरण	2,24,68,000 रु०

विवरण-ख

वर्ष 1981-82 में एशियाई खेलों के लिए भारत पूर्ति मिशन, वाशिंगटन को हस्तांतरित—इन्डैंट

क्रम स०	इन्डैन्ट संख्या और मांगकर्ता	मूल्य (अनुमानित)	भंडार	हस्तांतरित संख्या और तारीख
1	2	3	4	5
1.	उप मुख्य निर्माता, फिल्म प्रभाग, 4, टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली से दिनांक 7-4-81 का इन्डैंट सं० डी०/21013/37/80-एस	13,750 रुपये	सिड० सिनक्रोनीअर एस० आरसी साउड रीडर यू-आरसी—एम्पलीफायर 36155, मैगनेटिक हैड	पी० डी० 11/4 (50)/220/018/81/यू०एस०ए०/82 दिनांक 15-4-81

1	2	3	4	5
2.	डी-21014/81-एस० दिनांक 9-6-81	2.10 लाख रुपये	चलचित्र के कैमरा के लिए फाइलरस	पी० डी० 11/4 (4×106) 220/198/81/ यू० एस० ए०/81 दिनांक 21-9-81

भारत पूर्ति मिशन लंदन को हस्तांतरित

—शून्य—

विवरण-ग

अधिक मूल्य के आदेश जिस तरीके से दिए गए

(1) रंगीन टेलीविजन ओ० बी० बैन्स

इस मामले में, विश्व टैण्डर आमन्त्रित किए गये थे। मैसर्स इलैक्ट्रोनिक ट्रेड एण्ड टैक्नोलिजी (केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का उपक्रम) का टेंडर स्वीकार किया गया था और बातचीत के पश्चात उन्हें आदेश दे दिया गया।

(2) न्यूज गैदरिंग उपकरण

30 फर्मों की सीमित टेंडर पूछताछ, रजिस्टर्ड और ज्ञात सप्लाई कर्ताओं को जारी की गई थी। मैसर्स फोटो फोन लिमिटेड, बम्बई को फार-ए-इन्टरनेशनल जापान से सबसे कम मूल्यों के आधार पर आयातित उपकरणों के लिए आदेश दिया गया।

(3) मुख्य स्टेडियम के लिए फ्लड लाईटिंग उपकरण

विश्व टेंडर पूछताछ को जारी किया गया और मैसर्स पी० ई०/ सी० ओ० इलैक्ट्रोनिक्स एण्ड इलैक्ट्रिकक्स लिमिटेड, बम्बई को पर्याप्त तकनीकी निर्धारण और मूल्यों पर बातचीत विशिष्टियों आदि के पश्चात आदेश दिया गया।

किसानों को विकसित किस्म के बीजों की सप्लाई

2317. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या **कृषि मन्त्री** किसानों को विकसित किस्म के बीजों की सप्लाई के बारे में 2 अगस्त, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3797 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की उपलब्धियों का निष्कर्ष निकालने का आधार क्या है क्योंकि यह समग्र कृषि उत्पादन में एक महत्वपूर्ण-भूमिका निभाता है ; और

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किस्म की फसलों के बीजों की कुल मात्रा कितनी है, जो किसानों को राष्ट्रीय बीज निगम और अन्य एजेंसियों द्वारा सप्लाई की गई है ताकि पता लग सके कि क्या वे किसानों में लोकप्रिय हो गए हैं और उन्होंने देश में समग्र उत्पादन बढ़ाने में योगदान दिया है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) देश में कुल उत्पादन और खाद्यान्नों की उत्पादकता को बढ़ाने में कई कारक काम करते हैं पर अधिक पैदावार देने वाली किस्मों और उत्पादनपरक प्रौद्योगिकी ने इसमें जो योगदान दिया है वह बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय अधिक पैदावार देने वाली किस्मों के कार्यक्रम के अन्तर्गत 4 करोड़ 67 लाख हैक्टर भूमि में प्रमुख खाद्यान्न फसलें जैसे धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा और मक्का उगायी जाती है। ये किस्में केवल भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित की गयी ही नहीं हैं बल्कि कृषि विश्वविद्यालयों और संस्थानों द्वारा विकसित की गई किस्मों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हालांकि यह निर्धारित करना सम्भव नहीं है कि अधिक पैदावार देने वाली किस्मों के कार्यक्रम में भा० कृ० अ० सं० का कितना योगदान है, पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और इसके अनुसंधान केन्द्रों द्वारा विकसित की गयी किस्में देश में काफी लोकप्रिय हुई हैं। कुछ प्रमुख किस्में जो कि बड़े पैमाने पर अपनायी जा रही हैं, इस प्रकार हैं :—

गेहूं : सोनालिका, कल्याण सोना, अर्जुन, एच० डी० 2204, एच० डी० 2009, एच० डी० 2281, एच० डी० 2189, एच० डी० 2285, एच० पी० 1102, एच० पी० 1209, एच० डी० 2135, एच० डब्ल्यू० 711, गिरिजा, एच० डी० 1981

धान : पूसा 2·21, पूसा-33.

ज्वार : सी० एस० एच०—1, सी० एस० एच०—5, सी० एस० एच०—6

बाजरा : बी० जे० 104, बी० के० 560

मक्का : दि्आरा कम्पोजिट

मूंग : पूसा बैशाखी, पी० एस० 16, एस-8

अरहर : पूसा अगेती, पूसा 74

केवल एक गेहूं का उदाहरण ही लीजिए, 1 करोड़ 76 लाख 60 हजार हैक्टर भूमि में अधिक पैदावार देने वाली किस्में उगाई जाती हैं जिसमें से अधिकतर क्षेत्र में कल्याण सोना, सोनालिका, अर्जुन और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की दूसरी किस्में उगायी जा रही हैं, फिर भी, हम यह नहीं चाहते कृषि उत्पादन की वृद्धि का श्रेय केवल भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान

के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गयी किस्मों व तकनीकों को ही दिया जाय। अन्य कृषि विश्व-विद्यालयों एवं संस्थानों के योगदान को भी मान्यता दी जानी चाहिए।

(ख) संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गयी किस्मों के प्रजनक बीजों का उत्पादन करना संस्थान का उत्तरदायित्व है। यह सीधे तौर पर किसानों को बीज नहीं देता। प्रजनक बीज, राष्ट्रीय बीज निगम और दूसरी एजेन्सियों, जिसमें राज्य बीज निगम और राज्य सरकारें भी शामिल हैं को दिया जाता है जो उससे प्रमाणित बीज का संवर्धन और उत्पादन करते हैं। 1981-82 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा संगठित विभिन्न संस्थानों द्वारा विकसित की गयी किस्मों के बीजों की मात्रा संक्षेप में नीचे दी जा रही है :—

1981-82 के दौरान राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा दिये जाने वाले

प्रमाणित बीजों की मात्रा

(क्विंटल में)

फसल	कुल मात्रा	भा० कृ० अ० सं० की किस्में	अन्य किस्में
गेहूं	3,67,000	3,04,000	63,000
ज्वार	41,200	40,200	1,000
बाजरा	33,025	32,325	700
धान	1,49,500	18,400	1,31,100
मूंग	16,300	12,300	4,000
उड़द	8,000	500	7,500
लोबिया	4,200	4,200	शून्य
	6,19,225	4,11,925	2,07,300

मिन्टो रोड क्षेत्र के सरकारी क्वार्टरों की मरम्मत

2318. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मिन्टो रोड क्षेत्र, नई दिल्ली के पुराने टाइप के एक मंजिला सरकारी क्वार्टरों की विस्तृत मरम्मत का कार्य शुरू करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय कब तक लागू किये जाने की संभावना है और क्या सरकार का विचार उस क्षेत्र के प्रभावित होने वाले आबंटियों को उसी क्षेत्र में वैकल्पिक आवास देने के क्रम में मरम्मत का कार्य अलग-अलग खंडों में शुरू करने का है ;

(ग) क्या आबंटियों को अपने पूर्व आबंटित क्वार्टर में पुनः जाने का अधिकार होगा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) सरकार का विचार उन क्वार्टरों को पानी और बिजली कनेक्शन आदि सम्बन्धी समस्याओं का समाधान किस प्रकार करने का है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) फिलहाल नई दिल्ली के टैगोर रोड, मिन्टो रोड, थाम्सन रोड और बैरन रोड के 91 स्टाफ क्वार्टरों की मरम्मत का कार्य मंजूर किया गया है। नवीकृत क्वार्टरों के आवंटन के बारे में सामान्य नीति यह है कि उपलब्धता की शर्त पर उन क्वार्टरों के भूतपूर्व आबंटियों को वापिस उसी क्वार्टर में आने का विकल्प दिया जाता है।

(घ) बिजली और पानी की सेवाएं पहले ही विद्यमान हैं। सामान्य पद्धति के अनुसार आबंटी दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान/दिल्ली नगर निगम से कनेक्शन प्राप्त करेंगे।

ग्रामीण विकास के लिए गुजरात की विभिन्न एजेंसियों से मिली योजनाओं की संख्या

2319. **श्री उत्तम भाई एच० पटेल** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार को 1 फरवरी, 1980 से 30 अगस्त, 1982 तक के दौरान बलसाड, सूरत, बडोदरा, अहमदाबाद और दक्षिण गुजरात के जिलों में विभिन्न स्थानों के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए गुजरात की विभिन्न गैर सरकारी, सरकारी, सामाजिक, अर्द्ध-सरकारी और सरकारी एजेंसियों से अनेक योजनाएं मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) उनमें से प्रत्येक पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) सरकार द्वारा 1 फरवरी, 1980 से 31 अगस्त, 1982 तक के दौरान सामान और नकद राशि के रूप में किस प्रकार की सहायता दी गई और 31 दिसम्बर, 1982 से 31 दिसम्बर, 1983 तक कितनी सहायता दिये जाने की संभावना है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) से (घ) इस मंत्रालय के मुख्य कार्यक्रमों अर्थात समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम/मरुभूमि विकास कार्यक्रम आदि के संबंध में गुजरात सरकार से प्राप्त प्रस्तावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुमोदित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार कार्यवाही की गई है। वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम/मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत गुजरात सरकार को बंटित केन्द्रीय सहायता क्रमशः 466.87 लाख रुपये तथा 508·79 लाख रुपये, 714.90 लाख रुपये तथा 560.00 लाख रुपये और 260·22 लाख रुपये तथा

305.18 लाख रुपये थी । इन योजनाओं के लिए वर्तमान अनुदेशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा 50 प्रतिशत निधियां दी जाती हैं और शेष 50 प्रतिशत निधियां राज्य सरकारों द्वारा अपने अंशदान के रूप में दी जाती हैं । केन्द्रीय सरकार गांव, खंड तथा जिला स्तर पर विभिन्न स्थानों के विकास की योजनाओं से सम्बन्धित ब्यौरे नहीं रखती है ।

कोल्हापुर सहकारी मजूर और हमाल संथाल लिमिटेड, कोल्हापुर का ज्ञापन

2320. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भाण्डागार निगम बम्बई और दिल्ली को कोल्हापुर सहकारी मजूर और हमाल संथाल लिमिटेड कोल्हापुर का सितम्बर, 1981 का ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त ज्ञापन में दी गई मांगें क्या हैं ;

(ग) सरकार ने प्रत्येक मांग पर क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा कार्यवाही न करने के क्या विशेष कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी हां ।

(घ) कोल्हापुर सहकारी मजूर और हमाल संस्था लिमिटेड कोल्हापुर के तारीख 7-9-1981 के पत्र में उल्लिखित कठिनाइयों कोल्हापुर रेलवे यार्ड पर सुलभ अपर्याप्त सुविधाओं के बारे में है जैसे कि माल की आमद के अनुरूप प्लेटफार्मों की अपर्याप्तता, पर्याप्त मात्रा में तिरपालें न होना, निर्धारित समय सीमा के अन्दर जम्बो रैकों से माल उतारने की अनिवार्यता और इसके परिणाम-स्वरूप संस्था को डेमरेज/घाट-शुल्क की अदायगी करना ।

(ग) और (घ) यह मामला सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन और भारतीय खाद्य निगम ने उपयुक्त रेलवे प्राधिकारियों के साथ उठाया है ।

एशियाड अधिकारियों की विदेश यात्रा

2321. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें पहले ऐसा अध्ययन करने लिए विदेशों को भेजा गया था और उनकी इन यात्राओं में भारत और विदेशों में कुल कितना खर्च हुआ ?

पूर्ति मंत्रालय के तथा खेल विभाग के राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

विभिन्न सरकारी विभागों के लिए जूतों की खरीद

2322. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा सेवाओं सहित, विभिन्न सरकारी विभागों के लिए बाटा जैसे संगठित क्षेत्र से जूतों की खरीद करने की प्रक्रिया क्या है ;

(ख) 1981-82 के दौरान, संगठित क्षेत्र से, कम्पनीवार, कुल कितनी धनराशि के जूते खरीदे गए और चालू वर्ष के दौरान इस पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने का अनुमान है ; और

(ग) क्या सरकार द्वारा लघु क्षेत्र से कोई खरीद की जाती है अथवा लघु क्षेत्र के उत्पादों को बड़े निर्माता एकत्र कर लेते हैं और अन्ततः उन उत्पादों को अपने ब्रांड नाम से आगे बेच देते हैं ?

पूर्ति मंत्रालय के तथा खेल विभाग के राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) विभिन्न सरकारी विभागों के लिए जूतों/बूटों की खरीद, खुले टैन्डरों द्वारा की जाती है, जिनमें लघु-उद्योग एकक और संगठित क्षेत्र, दोनों ही भाग लेते हैं। असैनिक आवश्यकताओं के लिए चमड़े के बूटों की खरीद केवल लघु-उद्योग एककों से ही की जाती है।

(ख) 1981-82 के दौरान, बड़े क्षेत्र के एककों (संगठित क्षेत्र) से की गई कुल खरीद का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

	बाटा इण्डिया	नेशनल इंजीनियर
कैन्वस जूते	2,70,10,492. 00 रु०	——
जंगल बूट	28,39,461. 00 रु०	50,47,000 रु०
	2,98,49,953. 00 रु०	50,47,000 रु०

चालू वित्तीय वर्ष 1982-83 के दौरान संगठित क्षेत्र से की जाने वाली अनुमानित खरीद का अन्दाज इस समय नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि प्रतियोगिता में, संगठित क्षेत्र और लघु-उद्योग एकक—दोनों अपने-अपने दर भेजते हैं।

(ग) असैनिक आवश्यकताओं के लिए चमड़े के बूटों की खरीद केवल लघु-उद्योग क्षेत्र से ही की जाती है। कैन्वस जूतों और जंगल बूटों की खरीद भी लघु-उद्योग क्षेत्र से की जाती है, जो कि खुले टैन्डरों पर संगठित क्षेत्र के एककों के मुकाबले में अपनी दरें भेजते हैं। विभाग को ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि बड़े निर्माताओं द्वारा अपने ब्रांड नाम से बेचने के लिए, लघु-क्षेत्र एककों के उत्पादों को एकत्र कर लिया जाता है।

सिंचाई हेतु जल ले जाने के लिए प्लास्टिक पाइपों का उपयोग

2323. **श्री बी० वी० देसाई :**
श्री जगदीश टाईटलर :

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) *क्या यह सच है कि* नहर प्रणाली के माध्यम से जल प्रबन्धों की तकनीक में, दुरस्थ

स्थानों के लिए सिंचाई का पानी ले जाने के लिए प्लास्टिक के पाइपों का उपयोग करके क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जा सकता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्लास्टिक पाइपों को खासतौर पर ऐसे क्षेत्रों में उपयोग में लाया जा सकता है जहां पानी अधिक रिसने से भारी नुकसान होता है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सिंचित कृषि में जलवाहक प्रणाली में लाईनिंग के लिए प्लास्टिक पाइपों के उपयोग पर नई दिल्ली में 20 सितम्बर, को हुए सेमिनार में कृषि में प्लास्टिक के उपयोग का सुझाव दिया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में हुए इस सेमिनार के दौरान क्या-क्या सुझाव दिए गए थे और सरकार इन सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए कहां तक सहमत हुई है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) जल-प्रबन्ध में प्लास्टिक का प्रयोग इस देश में प्रयोग की प्रारम्भिक अवस्थाओं में है। तथापि, ऐसे प्रयोगों के सम्बन्ध में मितव्ययिता पर निर्भर करते हुए, सिंचाई सम्बन्धी निर्माण-कार्यों में प्लास्टिक के उपयोग के लिए बहुत अधिक गुन्जाइश है।

(ग) और (घ) प्लास्टिक के उपयोग के संबंध में 20 सितम्बर, 1982 को नई दिल्ली में हुई विचार-गोष्ठी में, सिंचाई जल वाहक प्रणाली में एल० डी० पी० ई० फिल्मों के उपयोग की विभिन्न संभावनाओं पर विचार किया गया था। विचार-गोष्ठी में हुए विचार-विमर्श की रिपोर्ट अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है।

नारियल के पेड़ लगाने के लिए धनराशि

2324. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नारियल उत्पादक राज्यों को नारियल के पेड़ लगाने के लिए ऋण और अनुदान के रूप में धनराशि स्वीकृत की है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्ष में केन्द्र द्वारा उन राज्यों को राज्य-वार कितनी धनराशि दी गई है ; और

(ग) उस अवधि में कितने नारियल उत्पादकों को लाभ मिला ?

कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी, हां।

(ख) (1) सरकार द्वारा केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के तहत सहायक अनुदान के रूप में मंजूर की गई धनराशि नीचे दी गई है। तथापि, केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण के रूप में कोई धन-राशि मंजूर नहीं की गई है।

राज्य	1980-81	1981-82
		(लाख रुपये)
आंध्र प्रदेश	0.824	0.842
असम	—	0.041
केरल	18.200	30.021
कर्नाटक	4.638	5.654
उड़ीसा	1.414	0.520
तमिलनाडु	2.910	3.014
महाराष्ट्र	—	0.041
पश्चिम बंगाल	—	0.041
गोवा	0.226	0.320
	कुल 28.212	40.494

(2) नारियल विकास बोर्ड स्थापना के लिए वास्तविक व्यय 0.380 6.010

(3) राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक ने भी धनराशि की मंजूरी दी है, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(30-6-1982 को)

क्र० सं०	राज्य	स्वीकृत पुनर्वित्त		संवितरित पुनर्वित्त
		योजनाओं की संख्या	राशि	
				(लाख रुपयों में)
1		2	3	4
1.	त्रिपुरा	3	10	—
2.	उड़ीसा	10	199	54
3.	पश्चिम बंगाल	2	17	3
4.	गोवा	1	19	—
5.	गुजरात	1	16	16

1	2	3	4	5
6.	महाराष्ट्र	2	3	—
7.	आंध्र प्रदेश	18	230	98
8.	कर्नाटक	63	1016	719
9.	केरल	236	3630	1355
10.	तमिलनाडु	27	370	109
11.	पांडिचेरी	1	22	1
		कुल 364	5532	2355

(ग) जहां तक राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक का सम्बन्ध है 29135 लोगों को लाभ पहुंचा है। अन्यों के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है।

ग्रामीण सड़क बनाने के लिए निधियों का नियतन

2325. **श्री के० मालन्ना** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण सड़कें बनाने के लिए कुछ वित्तीय सहायता नियतन किए जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकारी योजना का ब्यौरा क्या है तथा यदि कोई राशि स्वीकृत की गई है, तो उसका ब्यौरा क्या है और चालू वित्त वर्ष के दौरान कर्नाटक में अब तक व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी नहीं। ग्रामीण सड़क कार्यक्रम न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का एक भाग है जिसके लिए राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों की योजनाओं में परिव्यय सुलभ किए जाते हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी जिन्हें आरोप-पत्र जारी किए गए हैं

2326. **श्री भोखा भाई** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम के 30 प्रतिशत से भी अधिक कर्मचारियों को आरोप-पत्र जारी किए गए है ;

(ख) यदि हां, तो 31-8-1982 की स्थिति के अनुसार श्रेणीवार, कितने कर्मचारियों को बड़े दण्ड और साधारण दण्ड के लिए आरोप-पत्र जारी किए गए हैं ; और

(ग) पंजाब प्रदेश में 1-1-1982 से, वर्गवार, कितने कर्मचारियों को बड़े और साधारण दण्ड के लिए आरोप-पत्र जारी किए गए और कितने मामलों का निपटान किया जा चुका है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी नहीं।

(ख) 31-8-82 को लम्बित अनुशासनिक मामलों, जिनमें भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी अर्न्तग्रस्त थे, की संख्या इस प्रकार थी :—

	बड़े दण्ड	साधारण दण्ड
श्रेण I	17	1
श्रेणी II	111	99
श्रेणी III	319	212
श्रेणी IV	126	46
	573	358

(ग) पंजाब रीजन में विभिन्न श्रेणियों के भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक मामलों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

बड़े दण्ड

क्र० सं०	कर्मचारियों की श्रेणी	31-12 81 को लम्बित मामले	1-1-82 से शुरू किए गए मामले	जोड़	1-1-82 से निपटाए गए मामले
1	2	3	4	5	6
1.	श्रेणी II	32	32	64	12
2.	श्रेणी III	88	40	128	34
3.	श्रेणी IV	20	11	31	21

साधारण दण्ड

क्र० सं०	कर्मचारियों की श्रेणी	31-12-81 को लम्बित मामले	1-1-82 से शुरू किए गए मामले	जोड़	1-1-81 से निपटाए गए मामले
1.	श्रेणी II	50	69	119	39
2.	श्रेणी III	51	138	189	84
3.	श्रेणीIV	3	13	16	11

पदोन्नति नीति को बदलना

2327. **श्री भीखा भाई :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम के प्रबन्धकों ने 1977 में पदोन्नति के प्रयोजन से 3 वर्ष से 5 वर्ष तक के अवर स्नातकों की निर्वाच्यता अवधि में परिवर्तन की अधिसूचना दी थी और नियमों में यह संशोधन 1 मई, 1974 से लागू माना गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इसे पुरानी तारीख से लागू करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी यूनियन और कर्मचारियों की कांग्रेस ने इस संशोधन को, संशोधन की अधिसूचना के समय विद्यमान अवर-स्नातकों पर लागू करने के बजाय केवल पदोन्नति अथवा भर्ती हुए कर्मचारियों अथवा संशोधन की अधिसूचना की तारीख पश्चात् इसको लागू करने की मांग की है ; और

(घ) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और साथ ही जोनवार उन अवर-स्नातकों की संख्या कितनी है जिनके कनिष्ठ कर्मचारियों को नियमों में इस संशोधन के कारण उनसे पहले पदोन्नत कर दिया गया है और वरिष्ठ कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) बेहतर योग्यता प्राप्त स्टाफ को कुछ तरजीह देने की दृष्टि से भारतीय खाद्य निगम (स्टाफ) विनियमों में 1977 में संशोधन किया गया था, जिसमें गोदाम संवर्ग में सहायक ग्रेड II में पदोन्नति करने के लिए स्नातक कर्मचारियों के लिए तीन वर्ष का अनुभव और गैर स्नातक कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष का अनुभ रखा गया था। प्रशासनिक कारणों से इस संशोधन को पहली मई, 1974 से पूर्व प्रभावी रूप दिया गया था।

(ग) 1977 में गोदाम संवर्ग से सम्बन्धित किए गए संशोधन के विरुद्ध यूनियनों से कोई विशिष्ट मांग/विरोध पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) क्योंकि भारतीय खाद्य निगम (स्टाफ) विनियमों में पहली मई, 1974 से संशोधन किया गया था, इसलिए स्नातकों के मुकाबले गैर स्नातकों की वरीयता की सुरक्षा करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

रेल अधिकारियों द्वारा भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्नों के बारे में क्लीयर रेलवे रसीद जारी न करना

2328. **श्री भीखाभाई :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम, विभिन्न स्टेशनों को अपने द्वारा भेजे गये खाद्यान्न भंडारों के संबंध में रेलवे से स्पष्ट आर० आर० (रेलवे रसीद) प्राप्त करने में असफल

रहा है और कि रेलवे स्पष्ट आर० आर० के अभाव में, खाद्यान्न की कथित कमी के लिए अपनी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता ;

(ख) यदि हां, तो भारतीय खाद्य निगम को स्पष्ट आर० आर० जारी न करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कारण बताए गए हैं और रेलवे से स्पष्ट आर० आर० प्राप्त करने के लिए ताकि वह अपने भंडारों की सुरक्षण सुनिश्चित कर सके, भारतीय खाद्य निगम द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) जिन रेल स्थानों को खाद्यान्न भेजा गया, वहां से, कम खाद्यान्न प्राप्त होने के बारे में 1 जनवरी, 1981 से 31 अगस्त, 1982 तक मिली शिकायतों का ब्यौरा क्या है और कितने दावे रेलवे द्वारा स्वीकार किये गये और कितने अस्वीकार कर दिए गए तथा तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) यह सच है कि रेलवे भारतीय खाद्य निगम द्वारा भेजे गए खाद्यान्नों के बारे में स्पष्ट रेलवे रसीद जारी नहीं करता है । रेलवे तब तक कमी के बारे में जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है जब तक के मूल प्रेषण स्टेशन की सील टूटी हुई न पाई गयी हो ।

(ख) रेलवे ने इस सम्बन्ध में ये कारण बताये हैं कि लागू नियमों के अनुसार रेलवे स्पष्ट रसीद जारी करने और ऐसे प्रेषणों, जिनमें भेजने वाले द्वारा लादी गई वस्तुओं की संख्या बहुत अधिक होती है और जिनकी रेलवे कर्मचारियों द्वारा तुरन्त गिनती नहीं की जा सकती है, के मामले में रेलवे रसीद में वस्तुओं को संख्या देने के लिए बाध्य नहीं है । अतः ऐसे मामलों में, जब विशेष-कर ब्लाक रैकों में खाद्यान्नों/उर्वरकों का लदान किया जाता है तब "उल्लिखित मात्रा" वाली रेलवे रसीद जारी की जाती है । यदि यह सिद्ध किया जा सकता है कि मार्ग में वैगनों के साथ छेड़-छाड़ करने के कारण पूरी बोरियों की हानि हुई है तो रेलवे प्रशासन सभी अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर भारतीय खाद्य निगम द्वारा बताई गई हानि की देयता को स्वीकार करता है यद्यपि रेलवे रसीद उल्लिखित मात्रा वाली होती है । इन परिस्थितियों में भारतीय खाद्य निगम ने लदान और उतरान केन्द्रों पर अपनी निगरानी को और कड़ा करने के उपाय किए हैं ।

(ग) कमी से सम्बन्धित शिकायतों और रेलवे द्वारा पहली जनवरी, 1981 से 31 अगस्त, 1982 तक की अवधि के निराकृत दावों के ब्यौरे भारतीय खाद्य निगम के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध नहीं है । तथापि, निगम के रेलवे के विरुद्ध किए गए दावे, भुगतान द्वारा निपटाए गये और 1-1-81 से 31-8-82 की अवधि के दौरान रेलवे द्वारा निराकृत दावों की राशि क्रमशः 15.59 करोड़ रुपये, 0.35 करोड़ रुपये और 3.60 करोड़ रुपये थी ।

शांति निकेतन कालोनी में स्कूल भवन के लिए भूखण्ड

2329. **श्री जैनुल बशर** : क्या निर्माण और आवास मंत्री शांति निकेतन, कालोनी, नई दिल्ली में स्कूल भवन के लिए आरक्षित भूखण्ड का शौचालय आदि के स्थान के रूप में लगातार उपयोग

के बारे में 12 जुलाई, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 536 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच आवश्यक जानकारी एकत्रित कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वे जानकारी को सभा पटल पर रखेंगे, और

(ग) इन मामलों में अन्तिम परिणाम क्या रहा है क्योंकि इस भूखण्ड का शौचालय आदि के रूप में लगातार उपयोग दस वर्षों से भी अधिक समय से स्वास्थ्य को खतरा और पर्यावरण सम्बन्धी प्रदूषण पैदा कर रहा है और इससे मच्छर तथा अन्य ऐसे कीट पनप रहे हैं जिनसे आस-पास के क्षेत्र में वर्तमान संक्रामक बीमारियां फैल रही हैं ;

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि इस स्थल पर पहले निगम का एक प्राथमिक पाठशाला खोलने का प्रस्ताव था। लेकिन, शान्ति निकेतन निवासियों की इस कालोनी में पालिका प्राथमिक पाठशाला खोलने की कोई मांग नहीं थी। दिल्ली प्रशासन ने इस स्थल को एक निजी संस्थान को स्कूल चलाने हेतु आबंटित करने का निर्णय लिया है।

भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की पदोन्नति न होना

2330. **श्री भीखाभाई** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम के विभिन्न पदों/संवर्गों में पदोन्नतियां बिल्कुल बन्द की हुई हैं और कर्मचारी संघ एक विशिष्ट ग्रेड में 6 वर्ष की निरन्तर सेवा पर आधारित पदोन्नति की नीति के संशोधन की मांग कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) क्या यह सच है कि 1977 में लेखा संवर्ग के सृजन के कारण बड़ी संख्या में सामान्य संवर्ग के कर्मचारी फालतू हो गए और लेखा संवर्ग को समाप्त करने संबंधी केरल उच्च न्यायालय के निर्णय के बावजूद इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो ग्रेडवार/पदवार/मंडलवार अतिरिक्त कर्मचारियों की ठीक-ठीक संख्या क्या है और केरल उच्च न्यायालय के निर्णय को अब तक क्रियान्वित न किए जाने के कारण क्या हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) सामान्यतया भारतीय खाद्य निगम में पदोन्नतियां बिल्कुल बन्द नहीं की गई हैं। कर्मचारियों की कुछ यूनियनें वर्तमान पदोन्नति नीति की समीक्षा करने की मांग करती रही हैं। निगम का प्रबंध समय-समय पर पदोन्नति के अवसरों के बारे में विचार करता रहा है और उपयुक्त उपाय करता रहा है। श्रेणी 4 के कर्मचारियों के लिए सैलेक्शन ग्रेड और श्रेणी 2 के कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त वेतन वृद्धि की मंजूरी जैसी योजनाएं पहले से ही अस्तित्व में हैं।

(ख) और (ग) 1977 में लेखा संवर्ग के सृजत के फलस्वरूप कुछ क्षेत्रों में सामान्य संवर्ग में कुछ कर्मचारी फालतू हो गये थे और उन्हें लेखा संवर्ग की खाली जगहों के प्रति समायोजित कर लिया गया है। निगम ने केरल उच्च न्यायालय, जिसने यह निर्णय दिया है कि निगम लेखा संवर्ग का उस समय तक संचालन नहीं करेगा जब तक कि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 9 (क) के अधीन नोटिस जारी नहीं किया जाता है, के निर्णय के विरुद्ध अपील करने का निर्णय किया है।

नेहरू प्लेस के पास की झुग्गियों को हटाना

2331. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 7 सितम्बर 1982 को नेहरू प्लेस के नजदीक की झुग्गियों को गिरा दिया गया था यदि हां, तो कितनी झुग्गियों को गिराया गया ;

(ख) क्या उनको पुनः बसाने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

इसेक्स फार्म, हौज खास, नई दिल्ली को भूमि का आवंटन

2332. **श्री निहाल सिंह** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इसेक्स फार्म प्राइवेट लिमिटेड 4, अविन्दो आश्रम रोड, हौज खास नई दिल्ली को कितनी भूमि आवंटित की गई है, उसका मूल्य कितना है, यह किस तारीख को आवंटित की गई थी और उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्हें यह आवंटित की गई है ; और

(ख) क्या उक्त व्यक्तियों ने अन्य स्थानों पर भी मंत्रालय द्वारा अपने नाम भूमि आवंटित कराई है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

गुजरांवाला टाउन कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी की कालोनियों में खाली प्लाट

2333. **श्री जैनुल बशर** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरांवाला टाउन को—आपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी को गुजरांवाला पार्ट I और II कालोनियों में पिछले दो से अधिक वर्षों से कितने ऐसे खाली प्लाट पड़े हैं जिन पर मकान नहीं बनाए गए हैं और डी० डी० ए० ने ऐसा न करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) क्या वे मामले की जांच करवायेंगे और उन सभी प्लाटों को सार्वजनिक रूप से नीलाम करके बेईमान लोगों द्वारा की जा रही धोखाधड़ी समाप्त करेंगे ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि गुजरांवाला सहकारी आवास निर्माण समिति की कालोनी के हाल ही में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार इस कालोनी के पार्ट I और II में 61 प्लाट खाली पड़े हैं। इनमें वे 16 प्लाट भी शामिल हैं जो आवंटित पड़े हैं क्योंकि मामला न्यायाधीन है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह भी सूचित किया है कि उन उप-पट्टाकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही आरम्भ की जा रही है जिन्होंने निर्धारित समय के अन्दर निर्माण पूरा न करते हुए उप-पट्टा विलेख का उलन्धन किया है।

(ख) समिति में अनियमितताओं को देखते हुये सहकारी समितियों के पंजीकार ने समिति की प्रबन्ध समिति को भंग कर एक प्रशासक नियुक्त किया है। सहकारी समितियों के पंजीकार ने सूचित किया है कि धोखाधड़ी की कोई शिकायत उन्हें प्राप्त नहीं हुई है।

डी० डी० ए० के कार्यकरण की जांच

2334. **श्री राम विलास पासवान** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 सितम्बर, 1982 के हिन्दी दैनिक नवभारत टाइम्स (दिल्ली) में "डी० डी० ए० में घोटाला" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या सरकार ने मामले की जांच की है यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा यह सूचित किया गया है कि मामला जांच के लिए उनके सतर्कता विभाग को भेज दिया गया है।

एन० डी० डी० वी० और आई० डी० सी० को बी० ए० आई० एफ० को सौंपना

2335. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान बी० ए० आई० एफ० द्वारा अरलीकंचन आदि में ग्रामीण विकास परियोजनाओं का 6 करोड़ रुपये की सीमित राशि से सफलता पूर्वक क्रियान्वयन करने की ओर दिलाया गया है ; (इण्डिया टुडे, 21 अगस्त, 1982)

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि इसके विपरीत एन० डी० डी० बी० और आनन्द

ने दुग्ध उत्पादन, तिलहन आदि के क्षेत्र में, पैर और मुंह के वैकसीन संयंत्रों सहित 600 करोड़ रुपये खर्च किये हैं, परन्तु परिणाम शून्य हैं ; और

(ग) क्या सरकार तुलनात्मक अध्ययन करेगी और डेरी बोर्ड और कारपोरेशन को बी० ए० आई० एफ० को सौंपेगी ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां।

(ख) अरलीकंचन में बी० ए० आई० एफ० पशु प्रजनन तथा चारा विकास के कार्य तक ही सकेन्द्रित है, जो कि समग्र डेरी उद्योग का केवल एक भाग है, जबकि भारतीय डेरी निगम द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा आपरेशन फलड कार्यक्रम एक समेकित डेरी विकास कार्यक्रम है, जिसके अन्तर्गत दूध की अधिप्राप्ति, परिवहन, परिसंस्करण, विपणन, अनुसंधान तथा विकास, मानवशक्ति का विकास, किसानों की सहकारी समितियों का संगठन, दुग्ध उत्पादन वृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रम आदि जैसे डेरी विकास के सभी पहलू आते हैं। आपरेशन फलड कार्यक्रम के तहत 27 दुग्ध स्रवण क्षेत्रों में डेरी विकास के लिए आवश्यक अवस्थापना का निर्माण किया गया है। आपरेशन फलड कार्यक्रम की प्रमुख उपलब्धियां नीचे दी गई हैं :

1. संगठित ग्राम सहकारी समितियां	15,799
2. अन्तर्गत लिए गए किसानों के परिवार	18.81 लाख
3. सर्जित की गई परिसंस्करण की क्षमता	41.37 लाख लीटर प्रतिदिन
4. डेरी उद्योगों में कच्चे दूध का उत्पादन	34.26 लाख लीटर प्रतिदिन
5. दुग्ध विपणन के अन्तर्गत लिए गए नगर	126
6. निष्पादित कृत्रिम गर्भाधान	28.25 लाख
7. उत्पन्न संकर प्रजनित/उन्नत बछड़ियों की संख्या	2.87 लाख
8. पशु पालन कार्यक्रम के तहत लिए गए ग्राम	10,284
9. चारे की फसलों के तहत लिया गया क्षेत्र	3,900 हैक्टार
10. डेरी प्रदर्शन के फार्म	709
11. बेचे गए मिनीकिट	60,988
खुरपका तथा मुंह पका रोग के टीके के संयंत्र	1983 के आरम्भ में कार्य शुरू होने की आशा है।

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा चलाई जा रही खाद्य तेल तथा तिलहन उत्पादन एवं विपणन सम्बन्धी परियोजना ने गुजरात, मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में अपने क्रियान्वयन के 3 वर्षों के दौरान सराहनीय प्रगति की है।

(ग) इस प्रकार के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

"मैन्स ब्रेवरी अनरिवार्डिड" शीर्षक से समाचार

2336. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 1982 के "स्टेट्समैन" में "डी० डी० ए० मैन्स ब्रेवरी अनरिवार्डिड" शीर्षक के रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है जिसमें डी० डी० ए० के कर्मचारी ने जीवन को खतरे में डालने और घायल होने और सशस्त्र बदमाशों से सरकार की 26,000 रुपये की धनराशि बचाने के बारे में उल्लेख किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस मामले में कोई कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया गया है कि कर्मचारी को उसकी वीरता के कार्य तथा संकट काल में उसने जो अदम्य साहस दिखाया है उसके लिए उसके वेतनमान में उसे तीन अग्रिम वृद्धियां दी जायेंगी। दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्रशासन ने उसके उपचार पर व्यय हुए 3500/- रुपये की राशि भी अदा करने का निर्णय लिया है।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन

2337. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जहां तक इसका सम्बन्ध कमजोर वर्गों से है, असफल रहा है तथा अनेक सरकारी एजेन्सियों ने यह बात स्वीकार की है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) व (ख) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को 1978-79 में चुने खण्डों में शुरू किया गया था। 1980-81 में ही कार्यक्रम का विस्तार देश के सभी खण्डों में कर दिया गया था। अखिल भारत आधार पर अभी तक कार्यक्रम का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है लेकिन गुजरात तथा राजस्थान में किए गए कुछेक अध्ययनों से पता चलता है कि कार्यक्रम में अभीष्ट आधार पर प्रगति हो रही है।

रबी की फसल के उत्पादन पर वर्षा का प्रभाव

2338. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल और मई, 1982 में हुई वर्षा से रबी की खड़ी फसल और खाद्यान्न को हुई क्षति के कारण कृषि उत्पादकों को नुकसान पहुंचा था तथा अगस्त और सितम्बर के महीनों में हुई वर्षा ने इस स्थिति को और बिगाड़ दिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : अप्रैल के आखिर में और मई, 1982 के पहले पखवाड़े में हुई बेमौसमी वर्षा से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में रबी की खड़ी और काटी हुई फसलें कुछ हद तक प्रभावित हुई थी। इसके बावजूद, 1981-82 में खाद्यान्नों का उत्पादन पहले की अपेक्षा अधिक हुआ।

अगस्त और सितम्बर, 1982 के महीनों में हुई वर्षा फसलों के लिए लाभदायक रही। तथापि, कुछ क्षेत्रों में, मुख्यतः उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश में बाढ़ें आई जिससे खड़ी फसलें प्रभावित हुई।

धान के वसूली मूल्य में वृद्धि के कारण मुद्रा स्फीति

2339. **श्रीमती किशोरी सिन्हा :**
श्री बापू साहिब परुलेकर :
श्रीमती प्रमिला दण्डवते :
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धान के वसूली मूल्य में हुई वृद्धि के परिणाम स्वरूप देश में बढ़ी लागत से मुद्रा-स्फीति हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो धान के मूल्य को 122 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ाने के क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, नहीं। सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि होने का कोई प्रमाण नहीं है।

(ख) धान की प्रति क्विंटल अधिक उत्पादन लागत को ध्यान में रखते हुए तथा उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने तथा बफर स्टाक को पुनः भरने के लिए खरीद को अधिकतम करने की दृष्टि से धान का खरीद मूल्य 1981-82 मौसम के लिए प्रति क्विंटल 115 रुपये से बढ़ाकर 1982-83 के लिए 122 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है।

डा० मुखर्जी नगर में भूमि

2340. **श्री आनन्द सिंह** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डा० मुखर्जी नगर में भूमि के स्वामित्व को दिल्ली नगर निगम से दिल्ली विकास प्राधिकरण को देने के मामलों में क्या प्रगति हुई ; और

(ख) क्या जिन लाभ प्राप्तकर्त्ताओं को डा० मुखर्जी नगर में भूमि दी गई है उनसे किंग्जवे कैम्प की खाली भूमि का कब्जा लेने के लिए सरकार ने एक समय सीमा निर्धारित की है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) डा० मुखर्जी नगर के विकास के सहयोजन में किंग्जवे कैम्प की हडसन तथा औटरम लाइनों के पुनर्विकास कार्य को दिल्ली नगर निगम से दिल्ली विकास प्राधिकरण को स्थानान्तरित करने का सरकार का प्रशासनिक अनुमोदन 4 सितम्बर, 1682 को जारी कर दिया गया है।

(ख) यद्यपि कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है फिर भी सरकार को इस मामले की जानकारी है।

डा० मुखर्जी नगर में दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर अनधिकृत कब्जे

2341. **श्री आनन्द सिंह** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डा० मुखर्जी नगर में रिहायशी मकानों में अनेक अनधिकृत दुकानें खोली गई हैं और एक रिहायशी मकान के किनारे दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर एक ओपन एयर रेस्तरां खोला गया है ;

(ख) डा० मुखर्जी नगर में कितने स्थानों पर अनधिकृत कब्जे किए गए हैं ; और

(ग) इन अनधिकृत कब्जों को हटाने के लिए सरकार का कब और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि डा० मुकर्जी नगर, रिहायशी प्लाटों में 47 दुकानें एवं एक ओपन एयर रेसतरां चल रहा है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि भूमि का मालिकाना हक्क दिल्ली विकास प्राधिकरण को हाल ही में अन्तरित किया गया है और पट्टे की शर्तों के अन्तर्गत दुरुपयोग रोकने के लिये कार्यवाही करने का प्रस्ताव है।

टिड्डी दल

2342. **श्री भीम सिंह :**
श्री राजेश कुमार सिंह :
श्री राम विलास पासवान :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान की ओर से राजस्थान में टिड्डी दल फैल रहा है और उत्तर की ओर बढ़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो राजस्थान तथा अन्य भागों में खड़ी फसलों को बचाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

आवासीय परिसरों का वाणिज्यिक प्रयोग

2343. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** आवासीय परिसरों के वाणिज्यिक प्रयोग के बारे में 5 अप्रैल, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6799 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की कौन-सी धारा और प्रावधान के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण मकान मालिक के पट्टे को रद्द करता है और उसे दण्डित करता है विशेषतौर पर जब दिल्ली विकास अधिनियम 1957 की धारा-14 दिल्ली की पहली वृहद योजना लागू होने से पूर्व हुए सभी दुरुपयोगों को वैध घोषित करता है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कालकाजी एक्स्टेंशन में दिल्ली विकास प्राधिकरण के मध्यम आय वर्ग के फ्लैटों को आबंटन के लिए मांग पत्रों का जारी किया जाना

2344. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कालकाजी एक्स्टेंशन में बनाए गए मध्यम आय वर्ग के 306 फ्लैटों का 30 मार्च, 1982 को आबंटन किया गया था ;

(ख) क्या अलाटियों को अभी तक मांग-पत्र जारी नहीं किये गए हैं ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या इससे सरकारी खजाने को भारी हानि हुई है क्योंकि उक्त आबंटित फ्लैट मात्र बिजली न दी जा सकने के कारण अलाटियों को नहीं दिए जा सके हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इस कमी को कब तक दूर किया जाएगा और अलाटियों को मांग पत्र जारी किए जाएंगे, ताकि वे अपने फ्लैटों का कब्जा प्राप्त कर सकें ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि कालकाजी एक्स्टेंशन में मध्यम आय वर्ग के 292 फ्लैटों का आबंटन 29.3.1982 को लाटरी निकाल कर किया गया था।

(ख) मांग पत्र जारी नहीं किए गए हैं।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि क्योंकि इन फ्लैटों के पूर्ण होने में जिनमें बिजली और पानी की व्यवस्था भी शामिल है, आशा से अधिक समय लगा है, इसलिए मांग पत्रों को जारी करने में विलम्ब हुआ है।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण से सूचित किया है कि क्योंकि फ्लैट पूर्ण नहीं हुए हैं, इसलिए हानि का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि मांग पत्र तथा दखल पत्र फ्लैटों के पूर्ण हो जाने पर ही जारी किए जाएंगे ।

भारतीय खाद्य निगम की कुछ महिला कर्मचारियों के वेतन निर्धारण न करना

2345. **श्री आर० एन० राकेश :**
श्री जगपाल सिंह :
श्री जयपाल सिंह कश्यप :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम, कानपुर के एजी-I एजी-II (एम) की कुछ महिला कर्मचारियों के वेतन तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार निर्धारित करने के मामले पिछले 10 वर्ष से लम्बित पड़े हैं ;

(ख) महिला कर्मचारियों के वेतन निर्धारित न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) भारतीय खाद्य निगम इनके वेतन निर्धारण में कितना समय और लगाएगा ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी नहीं। भारतीय खाद्य निगम में संशोधित वेतनमान 1976 में अधिसूचित किये गए थे और भारतीय खाद्य निगम, कानपुर में कार्य कर रहे कर्मचारियों लेकिन महिला कर्मचारियों के दो मामलों को छोड़कर, के बारे में वेतन निर्धारण का कार्य पूरा कर लिया गया है ।

(ख) और (ग) इन दो कर्मचारियों का वेतन निर्धारित न करने का कारण यह है कि उन्होंने अपने अनुरोध पर डिपो से मंत्रालयीय में अपना संवर्ग बदल लिया था और उनका वेतन निर्धारित करने में कुछेक औपचारिकताओं को पूरा किया जाना है । इन दोनों मामलों को बहुत जल्द अन्तिम रूप दिए जाने की सम्भावना है ।

"नाफेड" के बोर्ड निदेशकों द्वारा विश्व का दौरा

2346. **श्री राजेश कुमार सिंह :**
श्री बी० डी० सिंह :
श्री रशीद मसूद :
श्री विजयकुमार यादव :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "नाफेड" ने हाल ही में कुछ निदेशकों को विश्व के दौरे पर भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो दौरे पर भेजे गए निदेशकों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस दौरे पर कितनी धनराशि खर्च होगी ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नाफेड) ने भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा आयोजित विदेश में कुछ विकसित सहकारी आन्दोलनों का उच्च स्तरीय अवलोकन तथा अध्ययन दौरे में भाग लेने के लिए अपने सात निदेशकों के नाम प्रायोजित किए हैं।

(ख) निदेशकों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

1. श्री एस० सी० साहु,
   उड़ीसा राज्य सहकारी विपणन समिति लिमिटेड,
   भुवनेश्वर।
2. अली अहमद,
   पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड,
   कलकत्ता।
3. श्री करणसिंह,
   दिल्ली राज्य सहकारी विपणन तथा आपूर्ति संघ लिमिटेड,
   दिल्ली।
4. श्री नेहर सिंह,
   हिमाचल प्रदेश सहकारी विपणन तथा विकास संघ,
   शिमला।
5. श्री बी० पी० मिश्र,
   देवी श्री अहिल्या सहकारी विपणन संस्था लिमिटेड,
   इन्दौर।
6. श्री आर० एस० मिश्र,
   जिला सहकारी विपणन संघ लिमिटेड,
   फरुखाबाद।
7. श्री एच० एस० हेरो,
   पंजाब राज्य सहकारी आपूर्ति तथा विपणन संघ लि०,
   चंडीगढ़।

(ग) खर्च होने वाली कुल धनराशि लगभग 2.28 लाख रुपये है।

वर्क्स एण्ड हाउसिंग एण्ड सप्लाई कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी को आवंटित भूमि पर दुकानों का अवैध निर्माण

2347. श्री कमल नाथ : क्या निर्माण और आवास मंत्री वर्क्स एण्ड हाउसिंग एण्ड सप्लाई

कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी को आवंटित भूमि का कब्जा दिये जाने के बारे में 30 नवम्बर, 1981 के अतरांकित प्रश्न संख्या 1345 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार की जानकारी में आई है कि उस भूमि पर अनेक मकान अब भी बनाए जा रहे हैं ; और

(ख) इन अवैध निर्माणों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

विकास मार्ग पर सीवेज पम्पिंग स्टेशन को स्थान

2348. **श्री कमल नाथ** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकास मार्ग पर प्रीत नगर सीवेज पम्पिग स्टेशन उस भूमि पर स्थापित किया गया है जिसे दिल्ली प्रशासन द्वारा निर्माण और आवास मन्त्रालय तथा सप्लाई कोओपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी देते समय अनुमोदित नक्शे में डिस्ट्रिक्ट पार्क दिखाया गया है ;

(ख) यदि हां, क्या यह अनुमोदित योजना का अतिक्रमण है ; और

(ग) क्या इस पम्पिग स्टेशन में और पम्प लगाने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

वृक्षारोपण की प्रगति का सर्वेक्षण

2350. **श्रीमती किशोरी सिन्हा :**
डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :
श्री फूल चन्द्र वर्मा :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों में वृक्षारोपण के कार्य में हुई प्रगति का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण दल भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट की मुख्य-मुख्य बातें क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) मंत्रालय के अधिकारियों ने आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों और अरुणाचल प्रदेश व गोआ संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा कर कुछ वृक्षारोपण का नरीक्षण किया ।

(ख) निरीक्षण अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गयी रिपोर्टों में निम्नलिखित मुख्य बातें कही गई हैं :—

1. वर्ष के दौरान लगाई गई पौदों की विद्यमानता संतोषजनक थी जो सामान्यत: 75 प्रतिशत से अधिक थी।

2. पिछले वर्ष तथा चालू वर्ष में लगाए गए पौधों में से जो पौधे मुर्झा गए थे उन्हें बदल दिया गया है।

3. पौदों, विशेषकर सड़कों के किनारे लगाए गए पौदों को पशुओं द्वारा क्षति पहुंचना पाया गया। इस सम्बन्ध में पौदों की सुरक्षा करने तथा ऊंचे और बड़े आकार के पौदों को लगाने का सुझाव दिया गया।

4. क्षेत्र के अनुसार उपयुक्त प्रजाती वाले पौद लगाने पर बल दिया गया है।

5. नर्सरियों में पौद तैयार करने का कार्य सामान्य तौर पर संतोषजनक पाया गया।

6. उन सभी राज्यों, जिनका निरीक्षण किया गया था, में वन रोपण कार्यक्रमों के सम्बन्ध में जागरूकता पायी गयी तथा इस कार्यक्रम में स्थानीय व्यक्तियों और स्कूली बच्चों को शामिल करने का प्रयास किया गया।

7. निरीक्षण अधिकारियों ने वनरोपण तथा सामाजिक वानिकी, जिसमें फार्म वानिकी जो कि नए 20-सूत्री कार्यक्रम की 12 वीं मद है, शामिल है की भी जांच की। इस सम्बन्ध में हुई अध्यतन प्रगति सलंगन विवरण में दी गयी है।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वन रोपण (पौद की संख्या) लाख पौध		सामाजिक वानिकी (हैक्टार क्षेत्र)		फार्म वानिकी (पौद की संख्या) लाख पौद	
	ल	उ	ल	उ	ल	उ
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	1410.00	993.06	29000	12630	600.00	590.48
असम	260.00	306.00	3600	4200	30.00	16.50
बिहार	900.00	866.97	18000	18000	200.00	200.00
गुजरात	2330.00	2152.50	24680	24850	1500.00	1350.00
जम्मू व कश्मीर	200.00	उ० न०	4000	उ० न०	40.00	उ० न०
कर्नाटक	1975.00	1292.11	4365	20728	1075.00	682.44

1	2	3	4	5	6	7
मध्य प्रदेश	2500.00	2761.70	38000	49231	1000.00	1000.16
महाराष्ट्र	1200.00	1165.29	26000	19592	150.00	152.58
				1032.30 (कतार-किलोमीटर)		
उड़ीसा	950.00	109.62	20000	3889	89.00	22.83
पंजाब	650.00	392.47	10050	9756	450.00	252.31
राजस्थान	400.00	347.49	12300	11000	104.00	112.31
सिक्किम	80.00	45.60	उ० न०	1520	शून्य	3.60
उत्तर प्रदेश	2100.00	1458.14	41000	29669	1138.00	852.44
पश्चिम बंगाल	650.00	556.00	20000	14000	270.00	260.00
अरुणाचल प्रदेश	110.00	14.57	830	245	1.60	0.75
गोआ, दमन व दीव	20.00	26.40	शून्य	220	शून्य	9.22

ल—लक्ष्य

उ—अध्यतन उपलब्धियां

समाज के कमजोर वर्गों को भूमि, मकानों और प्लाटों का वितरण

2351. **श्री रामजी भाई मावणि :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नए 20 सूत्री कार्यक्रम के अधीन 30 सितम्बर, 1982 तक गुजरात में समाज के कमजोर वर्गों को भूमि, मकानों और प्लाटों के वितरण के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) राजकोट, भावनगर और अमरेली जिलों तथा शहरों के विभिन्न स्थानों में कमजोर वर्गों के प्रत्येक वर्ग को उपर्युक्त तारीख तक कितनी भूमि, मकान और प्लाट वितरित किए गए ;

(ग) 31 दिसम्बर, 1982 और 31 मार्च, 1983 तक कितने वितरित किए जाने की सम्भावना है ;

(घ) केन्द्रीय सरकार और गुजरात सरकार के उन विभिन्न विभागों तथा एजेन्सियों के नाम क्या हैं जिन्हें ये कार्य सौंपे गए हैं और प्रत्येक विभाग तथा एजेन्सी द्वारा क्या प्रगति की गई है ; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसमें तेजी से प्रगति हो, क्या कार्यवाही की जा रही है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) 1 अप्रैल से 30 सितम्बर, 1882 तक की अवधि के दौरान हुई प्रगति इस प्रकार है :

मद संख्या 9

(I) आबंटित आवास स्थल	46,281 स्थल
(II) निर्माण सहायता/उपलब्ध कराये गये मकान	21,798 परिवार

मद संख्या 10

आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग को मुहैया कराये गये मकान	1571 परिवार

(ख) सूचना राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) 1982-83 के लिए लक्ष्य निम्न प्रकार हैं :

(I) आबंटित किए जाने वाले आवास स्थल	75,000 स्थल
(II) निर्माण सहायता/उपलब्ध कराये जाने वाले मकान	39,000 परिवार
(III) आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए मकान	17,546 परिवार

(घ) राज्य योजना के भाग का कार्यक्रम और निम्नलिखित राज्य विभाग/अभिकरण गुजरात में कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहे हैं :

(I) पंचायतें तथा सामुदायिक विकास विभाग

(II) आवास तथा नगर विकास विभाग

(III) गुजरात आवास बोर्ड

(IV) ग्रामीण आवास बोर्ड

(V) मलिन बस्ती उन्मूलन बोर्ड

(VI) मुख्य नगर निगम

उपर्युक्त अभिकरणों की प्रगति का अलग से ब्यौरा उपलब्ध नहीं हैं।

केन्द्रीय सरकार द्वारा कार्यान्वित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) राज्य सरकार ने कार्यक्षेत्र, जिला, राज्य स्तर पर जांच समितियां स्थापित की हैं। केन्द्रीय सरकार मासिक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त कर रही है तथा वरिष्ठ अधिकारी समय-समय पर राज्य तथा जिला अधिकारियों से विचार विमर्श करते हैं।

गुजरात में सरकारी क्वार्टरों और भवनों का निर्माण

2352. **श्री रामजी भाई मावणि :**
श्री उत्तम भाई एच० पटेल :

क्या निर्माण और आवास मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को क्वार्टर तथा भवन आबंटित किए जाने हेतु गुजरात के राजकोट, अमरेली, भावनगर तथा अन्य जिलों और शहरों में 1-2-1980 से 30-9-1982 के दौरान गुजरात में सरकारी क्वार्टरों और भवनों आदि का निर्माण किया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान किए गए इस निर्माण का ब्यौरा क्या है ;

(ग) प्रत्येक जिले में निर्माणाधीन कार्य का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उपर्युक्त प्रत्येक जिले और शहर में प्रथम, दूसरी, तीसरी तथा चौथी श्रेणी के कर्मचारियों और राजपत्रित अधिकारियों को, श्रेणीवार, कितने क्वार्टर और मकान आबंटित किए गए हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए गुजरात में 1-2-80 से 30-9-82 के दौरान किसी "सामान्य पूल" वास का निर्माण नहीं किया है ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम का निर्माण

2353. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :**

श्री के० कलप्पा :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्नों की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखकर भारतीय खाद्य निगम का विचार पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में नए गोदाम बनाने का है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित गोदाम कहां-कहां बनाए जाने की सम्भावना है ;

(ग) इन गोदामों की कुल क्षमता कितनी होगी ; और

(घ) पहाड़ी क्षेत्रों के दूर-दराज के स्थानों पर रहने वाले लोगों की आवश्यकता पूरी करने के लिए ये गोदाम कहां तक लाभदायक होंगे ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) से (ग) भारतीय खाद्य निगम का हाफलांग, कुमारनगर, मोकुकचुंग, तेनसांग, पासीघाट, लुंगलई और लांगतलई में कुल 20,000 मीट्री टन क्षमता के गोदाम बनाने का विचार है ।

(घ) गोदामों के निर्माण से खाद्यान्नों का काफी स्टाक इनमें रखा जा सकेगा और इससे इस क्षेत्र में खाद्यान्नों की उपलब्धता में वृद्धि होने में मदद मिलेगी ।

फार्म भूमि के उपयोग सम्बन्धी कृतक बल की सिफारिशें

2354. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :**

श्री गुफरान आजम :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फार्म भूमि का अधिकतम उपयोग करने के लिए उपाय सुझाने हेतु उनके मंत्रालय द्वारा लगभग तीन वर्ष पूर्व गठित किए गए कृतक बल ने, फार्म वनविद्या में अनुसन्धान विकास और प्रशिक्षण के लिए नए संस्थान स्थापित करने और वर्तमान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कृतक बल की इस सिफारिश को अनुमोदित कर दिया है ;

(ग) क्या सरकार ने सभी राज्यों को कृतक बल की सिफारिशों को तीव्रता से कार्यान्वित करने के लिए कहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्रत्येक राज्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) किसानों की भूमि में वानिकी को प्रोत्साहित करने सम्बन्धी प्रश्न की जांच करने के लिए दिसम्बर, 1979 में एक कृतक बल गठित किया गया था, जिसमें वाणिज्यिक बैंकों तथा उद्योगों को भी शामिल किया गया। इस कृतक बल ने एक सिफारिश में विस्तार तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए समर्थन देने के लिए फार्म वानिकी में अनुसन्धान करने की सिफारिश की थी।

(ख) से (घ) सरकार ने इस कृतक बल की सिफारिशें मान ली हैं। कृतक बल की सिफारिशों का कार्यान्वयन करने के लिए राज्यों से अनुरोध किया गया है। राज्यों से कोई कार्यान्वयन रिपोर्ट नहीं मांगी गई थी।

असिंचित भूमि में खेती को बढ़ावा देने की योजना

2355. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असिंचित भूमि में खेती को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) उन क्षेत्रों और राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां अब तक बारानी खेती की विधियां शुरू की गई हैं ;

(घ) उसके क्या परिणाम निकले ; और

(ङ) यदि यह सफल रही है तो कृषि उत्पादों को बढ़ाने के लिए इस विधि को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) देश में कुल बोये जाने वाले लगभग 1430 लाख हैक्टार क्षेत्र में से लगभग 1050 लाख हैक्टार क्षेत्र (बोए गए कुल क्षेत्र का 73.4 प्रतिशत) वर्षा सिंचित है। प्रधान मंत्री

के नए 20-सूत्री कार्यक्रम की घोषणा किए जाने से पूर्व कृषि विकास कार्य प्रायः निश्चित तथा शीघ्र परिणाम देने वाले सिंचित क्षेत्रों में केन्द्रित था। नए 20-सूत्री कार्यक्रम में बारानी खेती विकास को शामिल किए जाने से वर्षा सिंचित / बारानी क्षेत्रों में उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करने तथा उन्हें स्थिर बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से भरसक और संयुक्त प्रयास किए जा रहे हैं। शुरू की गई / शुरू की जाने वाली योजनाएं/कार्यक्रम नीचे दिए गए हैं:

1. अभिज्ञात किए गए प्रत्येक खण्ड में सूक्ष्म-जल विभाजक का सघन विकास।

2. आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में विश्व बैंक की सहायता से क्रियान्वित की जाने वाली वर्षा सिंचित खेती विकास परियोजनाएं।

3. वाणिज्यिक बैंकों की प्रत्येक ग्रामीण शाखा द्वारा गांवों को उनके समेकित विकास के लिए अपनाना।

4. कृषि पुनर्वित और विकास निगम की सहायता से भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् की बारानी भूमि अनुसन्धान केन्द्रों के निकट 23 आदर्श परियोजनाएं शुरू करना।

5. कृषि विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय निधि की सहायता से खरीफ और रबी की परती भूमि का प्रभावी उपयोग करने के लिए दलहनों और तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु मध्य प्रदेश में बारानी भूमि विकास परियोजना पर विचार करना।

6. आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु चुनींदा जिलों में समेकित बारानी भूमि कृषि विकास कार्यक्रम चला रहे हैं।

7. भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् अपने 23 बारानी भूमि अनुसंधान केन्द्रों में अनुसंधान कार्य तेज कर रहा है। इसके अतिरिक्त हैदराबाद, बंगलौर (हैबल) लुधियाना (होशियारपुर) और रांची स्थित चार चालू अनुसंधान परियोजनाएं प्रगति पर हैं। हिसार, शोलापुर, रीवा/अनन्तपुर/राजकोट में चालू योजना में चार और परिचालन अनुसंधान योजनाओं को शुरू करने का प्रस्ताव है।

8. हैदराबाद स्थित अर्ध उष्ण कटिबन्धीय क्षेत्र सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान ने बारानी सस्य पद्धति तैयार की है जिसे अपनाने के लिए आन्ध्र प्रदेश, मध्यप्रदेश, कर्नाटक आदि जैसे राज्य परीक्षण कर रहे हैं।

9. विश्व बैंक की सहायता से पंजाब में काण्डी जल विभाजक और क्षेत्र विकास परियोजना शुरू की गई हैं।

10. वर्षा सिंचित क्षेत्रों में जल संरक्षण/संचयन प्रौद्योगिकी का प्रसार करना।

11. बारानी खेती वाले क्षेत्रों के लिए बीज तथा उर्वरक ड्रिल, उन्नत किस्म के बीज जैसे आदानों का प्रावधान तथा पौध संरक्षण उपाय।

इसके अतिरिक्त, बारानी खेती वाले क्षेत्रों में कृषि विकास के सम्वर्धन के लिए निम्नलिखित योजनायें भी शुरू की गई हैं:

1. कृषि विस्तार और प्रशिक्षण कार्यक्रम

2. दलहनों सहित तिलहनों और खाद्यान्नों के लिए मिनीकिट कार्यक्रम, गहन कपास विकास कार्यक्रम, गहन पटसन विकास कार्यक्रम, गहन तिलहन विकास कार्यक्रम आदि सहित फसलोन्मुखी कार्यक्रम।

3. बीज, उर्वरकों कृमिनाशियों, कृषि मशीनरी और ऋण सहित आदानों की आपूर्ति।

4. नदी घाटी परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्रों में मृद्धा संरक्षण, सिन्धु गंगा मैदान की बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों में समेकित जल विभाजक प्रबन्ध सम्बन्धी योजनाओं सहित भूमि और जल संसाधन विकास कार्यक्रम।

5. पशु धन और चारा विकास कार्यक्रम।

6. सामाजिक वानिकी।

7. आशाजनक वर्षा सिंचित जिलों में गहन उर्वरक सम्वर्धन अभियान।

ग्रामीण विकास मन्त्रालय, उन क्षेत्रों में जहां बारानी खेती का विकास एक महत्वपूर्ण घटक है, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम चला रहा है।

(घ) अभी तक परिचालन मार्गदर्शी अनुसंधान परियोजनाओं के माध्यम से किसानों के खेतों में बारानी खेती प्रौद्योगिकी का परीक्षण करने, परिशोधन करने और अपनाने के प्रयास किए गए हैं। कृषि-जलवायु की विभिन्न स्थितियों की व्यवस्था करने के लिए 24 स्थानों पर क्रियान्वित की गई समेकित बारानी कृषि विकास परियोजनाओं के परिणामों से पता चलता है कि कृषकों के खेतों में आसानी से 50 से 100 प्रतिशत तक अधिक पैदावार प्राप्त की जा सकती है। परिचालन अनुसंधान परियोजनाओं और अन्य अनुसंधान संगठनों की परियोजनाओं में परीक्षित और परिशोधित प्रौद्योगिकी का नए 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों के अधिकांश क्षेत्रों में विस्तार किया जा रहा है।

(ङ) सभी राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे अभिज्ञात प्रत्येक खण्ड के एक चुनींदा सूक्ष्म जलविभाजक में गहन बारानी खेती विकास कार्यक्रम चलाएं तथा बारानी खेती सम्बन्धी प्रौद्योगिकी में राज्य के अधिकारियों के लिए पुनश्चर्या कार्यशालाओं को आयोजित करें। सभी प्रशिक्षण और दौरा राज्यों में बारानी खेती प्रौद्योगिकी ग्राम सेवकों के निर्धारित दौरों के माध्यम से किसानों तक पहुंचाई जाती है। प्रधान मंत्री के नए 20-सूत्री कार्यक्रम के अनुसार राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से भी अनुरोध किया गया है कि वे सस्य और सस्य पद्धति, आकस्मिक सस्य योजनाओं, बीज तथा उर्वरक ड्रिल का उपयोग, कृमि प्रबन्ध आदान प्रबन्ध, ऋण प्रबन्ध समन्वय और प्रशिक्षण आदि के विशेष सन्दर्भ में बारानी भूमि विकास प्रौद्योगिकी को अपनाने पर बल दें।

शारदा सहायक सिंचाई परियोजना (उत्तर प्रदेश)

2356. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश की शारदा सहायक परियोजना के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि अनुमानित लागत अपर्याप्त है और यह बढ़ सकती है ; और

(ग) यदि हां, तो कुल कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है और शारदा सहायक परियोजना कब तक पूरी हो जाएगी ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) शारदा सहायक परियोजना (1976) की अनुमोदित/अनुमानित लागत 199.87 करोड़ रुपये थी। तथापि, राज्य सरकार द्वारा अब सूचना दी गई है कि अद्यतन अनुमानित लागत 378 करोड़ रुपये है। मार्च, 1980 के अन्त तक, 303.52 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका था। 74.48 करोड़ रुपये की आगे लाई गई लागत के प्रति, छठी योजना के दौरान राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित परिव्यय केवल 43.35 करोड़ रुपये है। छठी योजना के दौरान किया गया वास्तविक व्यय निम्न प्रकार है :—

1980-81	25.46 करोड़ रुपये
1981-82	18.20 करोड़ रुपये
1982-83	25.00 करोड़ रुपये

यद्यपि इस परियोजना के अन्तर्गत अधिकांश सिंचाई क्षमता सृजित कर ली गई है, फिर भी यह परियोजना पूर्ण रूप से केवल सातवीं योजना-अवधि में ही पूरी होगी।

किराया नियन्त्रण कानून में संशोधन

2357. **श्री पी० एम० सईद :**

श्री उत्तम भाई एच० पटेल :

क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या विभिन्न राज्यों के किराया नियंत्रण कानूनों में प्रस्तावित परिवर्तनों की श्रृंखला को वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल एक समान करने के लिए और देश में भवन निर्माण को प्रोत्साहन देने हेतु आर्थिक प्रशासनिक सुधार आयोग या किसी अन्य आयोग का प्रस्ताव रखा गया था ;

(ख) यदि हां, तो आयोग के सदस्यों के नाम और उनका दर्जा क्या है ;

(ग) क्या इन किराया नियंत्रण कानूनों के बारे में आयोग अनेक सिफारिशें पेश कर चुका है ; और

(घ) आयोग द्वारा पेश की गई अन्य सिफारिशें क्या हैं और सरकार ने उनमें से कितनी सिफारिशों की जांच कर ली है और कितनों को स्वीकार किया है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां। आर्थिक प्रशासनिक सुधार आयोग ने इस सम्बन्ध में कतिपय सिफारिशें की हैं।

(ख) योजना आयोग के उपाध्यक्ष के स्तर के अध्यक्ष श्री एल० के० झा / सदस्यगण, सर्वश्री आर० तिरुमले और आर० जे० छैलिया योजना आयोग के सदस्यों के स्तर के हैं।

(ग) इस आयोग ने हाल ही में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें किराया नियंत्रण नियमों के सम्बन्ध में सिफारिशें हैं।

(घ) सरकार इस आयोग की सिफारिशों पर विचार कर रही है।

राज्यों द्वारा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले मत्स्य पोतों का आयात

2358. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कौन-कौन से राज्य हैं, जो गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले मत्स्य पोतों का आयात करने के बारे में विचार कर रहे हैं तथा वे ऐसे कितने-कितने मत्स्य-पोत आयात करने का विचार कर रहे हैं ;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए उन्होंने केन्द्रीय ऋण का अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी मांगों को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) आंध्र प्रदेश मात्स्यकी विकास निगम से दो फैक्टरी ट्रालरों का आयात करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के माध्यम से एक आवेदन प्राप्त हुआ है। उड़ीसा मेरीटाईम तथा चिल्का क्षेत्र विकास निगम ने भी दो श्रिम्प ट्रालरों का आयात करने के लिए आवेदन किया है। तमिलनाडु सरकार ने 4 श्रिम्प ट्रालरों का आयात करने के सम्बन्ध में आशय पत्र जारी करने हेतु अनुरोध किया है।

(ख) उपरोक्त किसी भी निगम/राज्य सरकारों ने ऋण के लिए आवेदन पत्र नहीं भेजा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी केरल की सिंचाई परियोजनाओं की लागत

2359. **श्री बी० एस० विजयराघवन** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल से प्राप्त उस प्रत्येक सिंचाई परियोजना की लागत कितनी है जो केन्द्र के पास स्वीकृति के लिए पड़ी है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(लाख रुपये)

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत
बृहद स्कीमें		
1.	केरल भवानी	805.00
2.	कक्काडावु	1335.50
3.	मुक्लुपुझा	4808.15
4.	कुट्टियाडी आवर्धन बहुप्रयोजनी स्कीम (सिंचाई भाग)	500.00
5.	इदमलायार	1785.48
6.	चिमोनी	2343.00
7.	करपारा कुरियार कुट्टी बहुप्रयोजनी स्कीम (सिंचाई भाग)	2685.60
मध्यम स्कीमें		
1.	अट्टापाडी	842.00
2.	वामनपुरम	3722.00

केरल की पजस्सी परियोजना

2360. **श्री एम० रामन्ना राय** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल की पजस्सी परियोजना की लागत के मूल अनुमान क्या थे ;

(ख) इस परियोजना के निष्पादन में अब तक कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है ;

(ग) क्या इस परियोजना का काम छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में पूरा हो जाएगा तथा तब तक इसकी कुल लागत क्या होगी ; और

(घ) शुरू में इस परियोजना से कितनी भूमि को लाभ होने का अनुमान लगाया गया था तथा अन्ततः इससे कितनी भूमि को लाभ पहुंचेगा ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) पजस्सी परियोजना 4.42 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर योजना आयोग द्वारा अप्रैल, 1964 में अनुमोदित की गई थी ।

(ख) मार्च, 1982 तक इस परियोजना पर 34.15 करोड़ रुपये की राशि खर्च होने की प्रत्याशा है ।

(ग) इस परियोजना के 42 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर, छठी योजना अवधि के दौरान पूर्ण हो जाने की आशा है।

(घ) अन्ततः प्राप्य सिंचाई लाभ वही 32.374 हैक्टेयर ही रहेंगे, जैसा कि योजना आयोग द्वारा अनुमोदित की गई परियोजना रिपोर्ट में मूलतः व्यवस्था की गई थी।

पयास्वीनी परियोजना, केरल

2361. **श्री एम० रामन्ना राय** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में कन्नानेर जिले की पयास्वीनी परियोजना की सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ; और

(ख) योजना को कार्यान्वित करने के लिए निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

काकादवी सिंचाई परियोजना, केरल

2362. **श्री एम० रामन्ना राय** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल के कन्नानेर जिले में काकादवी सिंचाई परियोजना को स्वीकृति देने में इतना अधिक विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : माननीय सदस्य संभवतः केरल की कक्काडावु बृहद सिंचाई परियोजना का उल्लेख कर रहे हैं। इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले संभावित लोगों से प्राप्त अभ्यावेदनों को देखते हुए, केरल सरकार ने वित्तीय, आर्थिक तथा सामाजिक लाभों का अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित की है, जिसके परिणामों की प्रतीक्षा की जा रही है।

छात्रों को खेलों का प्रशिक्षण देने के लिए स्कूलों और कालेजों में अपने निजी खेल-मैदानों की सुविधा

2363. **श्री एम० रामन्ना राय** : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में अधिकांश स्कूलों और कालेजों के पास अपने निजी खेल-मैदान नहीं हैं और इसलिए छात्रों को खेलों में, विशेष रूप से हाकी, फुटबाल और क्रिकेट जैसे महत्वपूर्ण खेलों में, अच्छा प्रशिक्षण नहीं मिल पाता ;

(ख) क्या इस कारण भारतीय हाकी, फुटबाल और क्रिकेट को भारी नुकसान पहुंचा है तथा इनका स्तर गिरता जा रहा है ; और

(ग) क्या सरकार का कम से कम उपरोक्त खेलों के लिए सभी स्कूलों और कालेजों में खेलों की सुविधा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है ?

पूर्ति मंत्रालय के तथा खेल विभाग के राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) सरकार को यह पता है कि देश में अनेक स्कूलों और कालेजों में खेल के मैदानों की पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। यह मान्य है कि प्रत्येक स्कूल और कालेज में ऐसी सुविधाएं होना जरूरी है। तथापि, इस सुझाव को मानना कठिन है कि भारतीय हाकी, फुटबाल और क्रिकेट के स्तर गिर रहे हैं, फिर भी यह स्पष्ट है कि स्तर वर्तमान स्तरों से भी ऊंचे हो सकते हैं।

(ग) अखिल भारतीय खेल परिषद द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय खेल नीति के प्रारूप को राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के परामर्श से अन्तिम रूप दिया जा रहा है। इस नीति के प्रारूप में अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की गई है कि स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों में खेल के लिए न्यूनतम सुविधाओं की व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। राष्ट्रीय खेल नीति के प्रारूप को अन्तिम रूप दिये जाने पर, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि खेल एक राज्य-विषय है, राज्य सरकारों की सहमति से ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए ठोस कदम उठाना संभव हो सकेगा।

अगरवुड का अवैध निर्यात

2364. **श्री अटल बिहारी बाजपेयी :**
श्री सूरजभान :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अरुणाचल प्रदेश के वनों तथा पास पड़ोस के क्षेत्रों से कीमती अगरवुड को अवैध रूप से काटा और खाड़ी के देशों को भेजा जा रहा है जिससे बंगला देश से आए प्रवासी भारी कमाई कर रहे हैं तथा खासी हिल्स आदि के कीमती और व्यापक अगरवुड के वनों को नष्ट किया जा रहा है ;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या उपाय किये जा रहे हैं ; और

(ग) देश से अगरवुड की तस्करी होने तथा अगरवुड वनों को नष्ट किये जाने के कारण अनुमानित कितनी हानि हुई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कृषि शास्त्रियों के प्रतिनिधिमण्डल की चीन यात्रा

2365. **श्री बापू साहिब परुलेकर :**
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री मोती भाई आर० चौधरी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगस्त, 1982 में कृषि शास्त्रियों का एक प्रतिनिधिमण्डल चीन की यात्रा पर गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस यात्रा का उद्देश्य क्या था और प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या चीन से वापस आने के बाद इस प्रतिनिधिमंडल ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

(घ) यदि हां, तो इस रिपोर्ट के मुख्य मुद्दे क्या हैं ; और

(ङ) यात्रा की उपलब्धियां क्या हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) भारतीय कृषि वैज्ञानिकों का एक मिला-जुला प्रतिनिधिमंडल अगस्त, 1982 के दौरान चीन भेजा गया था।

(ख) हाल के वर्षों में चीन में कृषि के क्षेत्र में हुए विकास की सामान्य जानकारी हासिल करने के उद्देश्य से प्रतिनिधिमंडल भेजा गया था।

प्रतिनिधिमंडल में निम्नलिखित सदस्य थे :

(i) डा० ओ० पी० गौतम,
महानिदेशक,
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् और
सचिव, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग

(ii) श्री एन० जे० जोशी, (कृषि वानिकी)
उप-महानिरीक्षक, वन,
कृषि और सहकारिता विभाग

(iii) डा० एम० वी० राव, (फसल विज्ञान)
उप-महानिदेशक (सी० एस०)
भा० कृ० अ० प०

(iv) डा० एस० एन० द्विवेदी, (मत्स्य पालन)
निदेशक,
केन्द्रीय मत्स्य पालन शिक्षा
संस्थान, बम्बई

(v) श्री आर० वी० सूर्यनारायण, (सिंचाई)
निदेशक,
केन्द्रीय जल आयोग,
सिंचाई मंत्रालय,

(vi) डा० एन० एन० गोस्वामी,
अध्यक्ष, (मृदा और जैव गैस)
मृदा विज्ञान प्रभाग,
भा० कृ० अ० सं०, नई दिल्ली

(ग) रिपोर्ट तैयार की जा रही है ।

(घ) उपरोक्त के कारण, प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ङ) कृषि अनुसंधान, विशेष रूप से संकर चावल का उपयोग और विकास, मूंगफली, शकरकन्दी, मक्का, सोयाबीन और मोटे अनाज जैसी फसलों की उत्पादन प्रौद्योगिकी के संदर्भ में वर्तमान स्थिति का अध्ययन करने के लिए प्रतिनिधिमंडल ने चीन जनवादी गणराज्य का दौरा किया । प्रतिनिधिमंडल ने समेकित कीट और बीमारी प्रबन्ध पद्धति, जैव गैस प्रौद्योगिकी, फार्म और पशु छीजन का पुनः उपयोग, अजोला का उपयोग, कृषि वानिकी, धान रोपण यंत्र, जल प्रबन्ध और जल निकास तथा समुद्री मछली पालन के क्षेत्र में हुई प्रगति से सम्बन्धित सूचना भी एकत्र की । चीन में अब संकर चावल का उपयोग व्यापारिक स्तर पर किया जा रहा है और लगभग 70 लाख हैक्टर भूमि में इसकी खेती की जा रही है। यह पाया गया कि, संकर चावल की उपज, जनक किस्मों की अपेक्षा 10-12 प्रतिशत अधिक होती है । विभिन्न फसलों और वन वृक्षों की कुछ किस्में और जर्मप्लाज्म हमारे देश के लिए उपयोगी होंगे । कुछ चुनींदा कीटों, जैसे कपास के डोंडे के कीट के मामले में समेकित कीट प्रबन्ध पद्धति को काम में लाया जाता है । चावल और सब्जी दोनों की कृषि में, नाइट्रोजन के पूरक स्रोत के रूप में अजोला का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है । जैव-गैस उत्पादन, सूअर पालन और मछली पालन के लिए फार्म, मनुष्य और पशुछीजन का उपयोग, जैविक सामग्री के पुनर्चक्रण की पद्धति अपनाकर विशेष प्रगति की गयी है । इसी तरह से कृषि-वानिकी, अन्तः फसल पद्धति और बहु-फसल पद्धति, वनविकास, जल प्रबन्ध तथा जल निकास के क्षेत्र में अच्छी प्रगति की गई है । कम्यून पद्धति (जिसमें उत्पादन ब्रिगेड और उत्पादन दल शामिल हैं) के द्वारा प्रौद्योगिकी को अनुसंधान प्रयोगशाला से किसानों तक बहुत तेजी से पहुंचाया जाता है ।

प्रतिनिधिमंडल चीन जनवादी गणराज्य में 10 दिनों तक ठहरा । चीन में ठहरने के दौरान, प्रतिनिधिमंडल ने कृषि अनुसंधान का ढांचा, फसल उगाने की पद्धतियां, मृदा और जलवायु की परिस्थितियों, फसलें उगाने, पशुओं, मछली और रेशम के कीड़े पालने में अपनायी जाने वाली विधियों, समेकित कीट प्रबन्ध विधियों, जैविक छीजन का उपयोग, मछली पालन, कृषि वानिकी, जल प्रबन्ध और कृषि से सम्बन्धित अन्य क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त की । इस भ्रमण से चीनी कृषि, फसलों, पशुओं (जिसमें मछली आदि शामिल हैं) के उपयोग से सम्बन्धित विधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का मौका मिला । भ्रमण से भारत और चीन जनवादी गणराज्य के बीच सामग्री, जर्मप्लाज्म और विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए रास्ता खुला ।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान में गरीबी की रेखा से ऊपर लाए गए परिवारों की ब्लाक-वार संख्या

2366. **मूल चन्द डागा** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान में ब्लाक-वार, कितने परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया गया है, और

(ख) उनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों की संख्या क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान राजस्थान में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहाय्यित परिवारों की संख्या क्रमशः 82,683 तथा 1,20,205 है। इनमें से उन परिवारों जो गरीबी की रेखा पार कर चुके हैं, की संख्या के बारे में सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के बारे में खण्डवार आंकड़े इस मंत्रालय में एकत्र नहीं किये जाते हैं।

(ख) वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान राजस्थान में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायित अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की संख्या क्रमशः 43,207 और 67,000 है।

बेयर्ड रोड में सरकारी भूमि पर निर्मित आवासों का कथित दुरुपयोग

2367. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परिषद के गवर्नर जनरल ने भारत सरकार के सचिव की ओर बेयर्ड रोड (वर्तमान गुरुद्वारा बंगला साहिब मार्ग) और हुमायूं रोड आदि के नई दिल्ली के पुराने भाग की सरकारी भूमि को स्थायी पट्टे पर दिया था ;

(ख) क्या ऐसी भूमि पर निर्मित आवासों के कथित दुरुपयोग के लिए अतिरिक्त भूमितल किराया या दण्ड अथवा आर्थिक जुर्माना लगाने का प्रावधान इन पट्टों की किसी धारा में किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उन स्थायी पट्टों की ऐसी धारा का ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) जिस प्रयोजन के लिए पट्टे पर लिये गए परिसरों का उपयोग किया जा सकता है प्रत्येक पट्टे के सम्बन्ध पट्टाकर्त्ता तथा पट्टाधारी के मध्य किये गए चिरस्थाई पट्टाविलेख में विनिर्दिष्ट है। पट्टाकर्त्ता के साथ निष्पादित किये गए पट्टाविलेख की सुविधा के अनुसार वह परिसर का उपयोग केवल पट्टे मे विनिर्दिष्ट निर्धारित प्रयोजन के लिये कर सकता है। यदि वह पट्टे पर लिए गये परिसर का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये करता है, तो इस तरह वह

पट्टे की शर्तों का उल्लंघन करता है और पट्टाकर्त्ता को परिसर पर पुनः कब्जा करने का अधिकार है। पट्टाधारी के आवेदन पर उल्लंघन के नियमितीकरण के लिए शर्तों के रूप में दुरुपयोग प्रभारों की पेशकश की जाती है।

कृषि कार्यों के लिए फालतू भूमि के अधिन्यासियों को वित्तीय सहायता

2368. **श्री बी० वी० देसाई :**
श्री पी० एम० सईद :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि-कार्यों के लिए फालतू भूमि के अधिन्यासी के 1000/- रुपये प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता का उपयोग करने के मामले में राज्य बुरी तरह से विफल रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 1975-76 से वर्ष 1981-82 तक 19 राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों को 16 करोड़ रुपये की धनराशि के कुल आबंटन में से वर्ष 1978-79 तक केवल 8 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की गई थी ;

(ग) क्या वर्ष 1979-80 और 1980-81 के दौरान 15 परसेंट के केन्द्रीय अंश में से केवल 2 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की गई थी ;

(घ) क्या वर्ष 1981-82 से यह योजना पूरे देश में लागू कर दी गई है, लेकिन यह जनवरी, 1975 तक बांटी गई भूमि तक ही सीमित है, और

(ङ) क्या फरवरी, 1982 में केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को यह सलाह दी थी कि वे ऐसे अधिन्यासियों को वित्तीय सहायता देने हेतु जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों का उपयोग करें, यदि हां, तो फरवरी, 1982 के बाद इसका कितने लोगों को लाभ मिला तथा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं कि राज्य सरकारें इस धनराशि का उचित उपयोग करें ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) व (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, राज्य सरकारों द्वारा 8.48 करोड़ रुपये की धनराशि उपयोग में लाई गई थी। 1975-76 से लेकर 1981-82 तक की अवधि के दौरान केन्द्र द्वारा 16.42 करोड़ रुपये की धनराशि के बंटन किए गए थे।

(ग) प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा 1979-80 तथा 1980-81 के दौरान 50 प्रतिशत केन्द्रीय अंश के मुकाबले में अभी तक लगभग 2.0 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) इस प्रकार के अनुदेश जारी किए गए हैं। लाभभोगियों की संख्या के बारे में सूचना एकत्र नहीं की जा रही है। राज्य सरकारों को निधियों का उचित उपयोग करने के बारे में समय-समय पर सलाह दी जाती है।

गन्नों की बकाया धनराशि—बाजार में खुली बिक्री की चीनी के भारी आवक का परिणाम

2369. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के 100 करोड़ रुपये के गन्ने के बकायों को आगामी मौसम, जो 1 अक्टूबर, 1982 से शूरू होगा, में ले जाया जाएगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या सितम्बर के महीने में सरकार द्वारा चीनी की अधिक मात्रा रिलीज करने का यह प्रत्यक्ष परिणाम है, जिससे चीनी उद्योग में भारी कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं ;

(ग) क्या सरकार द्वारा अधिक मात्रा में चीनी रिलीज करने से बाजार में इसके भाव कम हो गए हैं तथा इसके परिणामस्वरूप कारखानों को गत कई सप्ताहों से अपने उत्पादन की कम वसूली हो रही है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने चीनी की इस अतिरिक्त रिलीज से चीनी उद्योग को हुई कठिनाइयों की जांच कर ली हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो राज्य सरकारों द्वारा उन्हें क्या क्षतिपूर्ति की गई ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1981-82 मौसम के दौरान खरीदे गये गन्ने के बारे में चीनी फैक्ट्रियों द्वारा गन्ना उत्पादकों को देय बकाया राशि 15-9-1982 तक 83.33 करोड़ रुपये थी। गन्ने की बकाया राशि का यथाशीघ्र भुगतान करने में सहायता करने के लिये फैक्ट्रियों को अधिक बैंक ऋण सुलभ की गई थी ।

(ख) बहुत बड़ी मात्रा में गन्ने की पिराई की गई थी और वर्ष 1981-82 के दौरान चीनी का रिकार्ड उत्पादन हुआ था । खुली बिक्री की चीनी की निर्मुक्ति, उपलब्धता तथा प्रत्याशित मांग के आधार पर और मूल्यों की निकट से निगरानी रखने के बाद की जाती है । त्योहार मौसम के दौरान अधिक मांग को पूरा करने और मूल्यों को उचित स्तर पर रखने के लिए सितम्बर, 1982 के लिए 3.30 लाख मीटरी टन खुली बिक्री की चीनी की निर्मुक्ति की गई थी ।

(ग) और (घ) अगस्त, 1982 तक खुली बिक्री की चीनी की बिक्री से औसत निकासी / प्राप्ति चीनी उद्योग की समता को बनाये रखने की दृष्टि से सन्तोषजनक स्तर पर रही थी यद्यपि पिछले कुछ सप्ताहों में विशेषकर दक्षिणी क्षेत्र और महाराष्ट्र में खुली बिक्री की चीनी के मूल्य कुछ हद तक कम रहे हैं फिर भी दशहरा और दीवाली के त्योहार की अधिक मांग की दृष्टि में और इस तथ्य की दृष्टि में भी कि अक्टूबर का खुली बिक्री की चीनी का कोटा 10,000 मीटरी टन तक कम कर दिया गया है और उत्तरी क्षेत्र में फैक्ट्रियों से उस क्षेत्र में खपत के लिए 20,000 मीटरी टन का अतिरिक्त कोटा निर्मुक्त किया गया है, मूल्यों के उचित स्तर पर धीरे-धीरे स्थिर होने की आशा की जाती है ।

(ग) खुली बिक्री की चीनी की बिक्री से फैक्ट्रियों की अधिक अथवा कम प्राप्ति, सप्लाई और मांग की बाजार शक्तियों द्वारा निश्चित की जाती है और यह किसी वाणिज्यिक कारोबार

के उतार-चढ़ाव का अंग है। इसकी और उपर्युक्त (ग) और (घ) की दृष्टि में फैक्ट्रियों को क्षति-पूर्ति करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् की भेड़ परियोजनाओं में भेड़ों के बच्चे

2370. **श्री बी० डी० सिंह** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की भेड़ परियोजनाओं में 1 अप्रैल, 1981 को, केन्द्रवार, कितनी प्रौढ़ मादा भेड़ें और कितने भेड़ों के बच्चे उपलब्ध थे तथा 1981-82 के दौरान कितने और पैदा हुए/खरीदकर जोड़े गए ;

(ख) 1981-82 में इनमें से कितने मर गए और निकाल दिए गए ;

(ग) इस प्रकार, 1981-82 के दौरान केन्द्रवार कितनी प्रतिशत मादा भेड़ें घट गईं तथा ऐसी हानियों के लिए प्रौढ़ तथा युवा भेड़ों के झुंडों के संबंध में अनुमेय वार्षिक मानदण्ड क्या है ;

(घ) वर्ग 1981-82 के दौरान, केन्द्रवार कुल कितना खर्च किया गया, केवल चारे पर कितना खर्च हुआ और प्रत्याशित राजस्व प्राप्तियां कितनी थी और उसकी तुलना में वास्तव में कितना राजस्व प्राप्त हुआ ; और

(ङ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा इन केन्द्रों के कार्यनिष्पादन पर आवधिक निगरानी किस प्रकार रखी जाती है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की भेड़ प्रजनन पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना (अ० भा० स० अ० प्रा०) के सभी आठ केन्द्रों का 1981-82 वर्ष के दौरान दिनांक 1-4-1981 को वयस्क भेड़ और इनसे उत्पन्न मादा बच्चों की केन्द्रवार संख्या संलग्न विवरण 1 में दी गई है।

(ख) भेड़ प्रजनन पर अ० भा० स० अ० प्रा० के सभी आठ केन्द्रों में वर्ष 1981-82 के दौरान वयस्क भेड़ और इनके मादा बच्चों की मृत्यु या इनकी की गई छंटनी की केन्द्रवार संख्या के बारे में ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

(ग) भेड़ प्रजनन पर अ० भा० स० अ० प्रा० के सभी आठ केन्द्रों में वर्ष 1981-82 में वयस्क भेड़ और इनके मादा बच्चों की मृत्यु तथा इनकी की गई छंटनी का प्रतिशत केन्द्रवार विवरण-3 (संलग्न) में दिया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा 'भेड़ प्रजजनन नीति' पर हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार में नवम्बर, 1978 में एक सभा की गई, जिसमें देशी भेड़ों की मृत्यु दर के मानदण्ड तय किये गये, जो निम्नलिखित हैं :

आयु समूह	प्रतिशत मृत्यु दर
जन्म से 12 माह तक	28
वयस्क	10

(घ) प्रायोजना के पांच केन्द्रों, जिनसे सूचनाएं उपलब्ध की गईं, में कुल खर्च के साथ-साथ पशुओं के आहार तथा उनके रख-रखाव पर हुए खर्च और राजस्व प्राप्तियों का विवरण-4 में दिया गया है। अन्य केन्द्रों से सम्बन्धित सूचनाएं एकत्र की जा रही हैं। सूचनाएं उपलब्ध होने पर इन्हें सभा के पटल पर रख दिया जायेगा। तीन केन्द्रों उदाहरणार्थ केन्द्रीय भेड़ और ऊन अनुसन्धान संस्थान, अविकानगर (2 इकाइयां) और केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान (एक इकाई), जिन्हें विवरण-1 में शामिल नहीं किया गया है। चूंकि इन संस्थानों की नियमित अनुसन्धान क्रियाएं इन केन्द्रों में की जाती हैं, इसलिए इन प्रायोजनाओं में इनका अलग से खर्च और प्राप्तियों का हिसाब-किताब नहीं रखा जाता है।

(ङ) भेड़ प्रजनन पर अ० भा० स० अ० प्रा० के केन्द्रों की कार्यक्षमता का निरीक्षण प्रायोजना समन्वयकर्ता (भेड़ प्रजनन) और भा० कृ० अ० प० के मुख्यालय में कार्यरत वैज्ञानिक सामयिक प्रगति और कार्यशाला की रिपोर्टों की जांच द्वारा करते हैं। कार्यशाला में प्रायोजना की उपलब्धियों और लेखा-परीक्षा तथा प्रत्येक प्रायोजना इकाई की प्रगति और इन सभी इकाइयों की समस्याओं की आलोचनात्मक जांच की जाती है। कार्यशालाओं में भविष्य के लिए प्रायोजना के तकनीकी कार्यक्रम भी निश्चित किए जाते हैं। प्रायोजना समन्वयकर्ता नियमित रूप से प्रत्येक इकाई का प्रति वर्ष दौरा भी करते हैं।

विवरण-1

वर्ष 1981-82 के दौरान दिनांक 1-4-81 को वयस्क भेड़ और इससे उत्पन्न मादा बच्चों (मेमनों) की संख्या का केन्द्रवार विवरण

इकाई का नाम	1-4-81 को मादा भेड़ों की संख्या		1981-82 वर्ष में पैदा हुई मादा मेमनें	कुल	
	वयस्क	मेमने		वयस्क	मेमनें
1	2	3	4	5	6
1- केन्द्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर (बारीक ऊन) (राजस्थान)	854	224	307	854	531

1	2	3	4	5	6
2. पशुधन अनुसंधान केन्द्र, दांतीवाडा (गुजरात)	703	192	201	703	393
3. भेड़ प्रजनन अनुसंधान केन्द्र सैण्डीनाला (तमिलनाडु)	861	253	261	861	514
4. पशुधन अनुसंधान संस्थान, एम० पी० के० वी०, राहुरी (महाराष्ट्र)	802	139	188	802	327
5. पशुधन अनुसंधान केन्द्र, पालमनेर, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)	1210	373	319	1210	692
6. भेड़ प्रजनन पर अ०भा०स० अ०प्रा०(बारीक ऊन) सिक्किम (गंगटोक)	75	13	26	75	39
7. केन्द्रीय बकरी पालन अनुसंधान संस्थान, मखदूम (उत्तर प्रदेश)	332	108	118	332	226
8. केन्द्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर (मांस) (राजस्थान)	813	147	197	813	344

विवरण-2

वर्ष 1981-82 के दौरान वयस्क भेड़ और इनके मादा बच्चों (मेमनों) की मृत्यु और इनकी की गई छंटनी की संख्या का केन्द्रवार विवरण

इकाई का नाम	मरने वाली मादा भेड़ों की संख्या		छंटनी की गई मादा भेड़ों की संख्या	
	वयस्क	मेमनें	वयस्क	मेमनें
1	2	3	4	5
1. केन्द्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान (बारीक ऊन), अविकानगर (राजस्थान)	67	45	72	21

1	2	3	4	5
2. पशुधन अनुसंधान केन्द्र, दांतीवाडा (गुजरात)	29	20	45	12
3. भेड़ प्रजनन अनुसंधान केन्द्र सैन्डीनाला (तमिलनाडु)	1	14	208	23
4. पशुधन अनुसंधान संस्थान एम० पी० के० वी०, राहुरी (महाराष्ट्र)	45	18	79	12
5. पशुधन अनुसंधान केन्द्र पालमनेर, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)	355	70	349	—
6. भेड़ प्रजनन पर अ० भा० स० अ० प्रा० (बारीक ऊन), सिक्कम (गंगटोक)	23	4	—	—
7. केन्द्रीय बकरी पालन अनुसंधान संस्थान, मखदूम (उत्तर प्रदेश)	36	21	21	31
8. केन्द्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर (मांस) (राजस्थान)	128	44	114	10

विवरण-3

1981-82 वर्ष के दौरान भेड़ और इनके मादा बच्चों (मेमनों) की मृत्यु तथा तथा इनकी की गई छंटनी का केन्द्रवार विवरण

इकाई का नाम	1981-82 वर्ष के दौरान भेड़ों की मृत्यु दर (प्रतिशत)		1981-82 वर्ष के दौरान की गईभेड़ों की छंटनी (प्रतिशत)	
	वयस्क	मेमने	वयस्क	मेमने
1	2	3	4	5
1. केन्द्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान (बारीक ऊन), अविकानगर (राजस्थान)	7.85	8.47	8.43	3.95

1	2	3	4	5
2. पशुधन अनुसंधान केन्द्र, दांतिवाडा (गुजरात)	4.13	5.09	6.40	3.05
3. भेड़ प्रजनन अनुसंधान केन्द्र, सैन्डीनाला (तमिलनाडु)	0.12	2.72	24.16***	4.47
4. पशुधन अनुसंधान संस्थान, एम० पी० के० वी०, राहुरी (महाराष्ट्र)	5.61	5.50	9.85	3.67
5. पशुधन अनुसंधान केन्द्र, पालमनेर, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)	29.34**	10.12	28.84***	0.00
6. भेड़ प्रजनन पर अ० भा० स० अ० प्रा० (बारीक ऊन), सिक्किम (गंगटोक)	30.67****	10.26	0.00	0.00
7. केन्द्रीय बकरी पालन अनुसंधान संस्थान, मखदूम (उत्तर प्रदेश)	10.84	9·29	6.33	13.72
8. केन्द्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर (मांस) राजस्थान)	15.74*	12.79	14.02	2.91

* 1981-82 वर्ष के दौरान भेड़ की चेचक का प्रकोप था ।

** 1981-82 वर्ष के दौरान रिन्डरपेस्ट बीमारी का प्रकोप था ।

*** पांचवीं कार्यशाला के दौरान जैसा कि निश्चित किया गया कि अधिकतर देशी भेड़ों, उदाहरणार्थ नीलगिरि, मांडया और नेल्लौर, की छंटनी कर दी जाय क्योंकि तकनीकी कार्यक्रम में इन भेड़ों की कोई आवश्यकता नहीं होती ।

**** मृत्यु का मुख्य कारण घास-विषाक्तता थी ।

विवरण-4

वर्ष 1981-82 के दौरान हुए वास्तविक कुल खर्च और पशु आहार और उनके रख-रखाव पर हुए खर्च का इकाईवार विवरण

इकाई का नाम	1981-82 वर्ष के दौरान हुआ कुल खर्च	पशु आहार और उनके रख-रखाव पर हुआ खर्च	1981-82 वर्ष के दौरान हुई राजस्व प्राप्तियां
1. पशुधन अनुसंधान केन्द्र पालमनेर, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)	6,96,490	1,55,000	98,534
2. पशुधन अनुसंधान केन्द्र, एम० पी० के० वी०, राहुरी (महाराष्ट्र)	5,65,308	--	46,642
3. भेड़ प्रजनन अनुसंधान केन्द्र, सैन्डीनाला (तमिलनाडु)	6,96,290	2,37,620	—
4. पशुधन अनुसंधान केन्द्र, दांतीवाडा (गुजरात)	5,82,608	11,346	—
5. भेड़ प्रजनन पर अ० भा० स० अ० प्रा० (बारीक ऊन), सिक्किम (गंगटोक)	2,68,230	शून्य	—

चीनी का उत्पादन

2371. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष चीनी का उत्पादन 85 लाख टन की सबसे अधिक ऊंचाई तक पहुंच गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि वर्तमान संकेत के अनुसार चीनी के निर्यात की तत्काल कोई संभावना नहीं है ; और

(ग) देशी बाजार के बढ़ावे के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) 1981-82 मौसम में चीनी का उत्पादन 84.34 लाख मी० टन के रिकार्ड स्तर तक पहुंच गया है।

(ख) अन्तरराष्ट्रीय चीनी करार, 1977 के अन्तर्गत भारत के निर्यात करने के कोटे की हकदारी की सीमा के अन्दर चीनी का निर्यात किया जाना है।

(ग) राज्य सरकारों को आबंटित करने के लिए लेवी चीनी के मासिक कोटे को अतीत के 2.71 लाख मी० टन के स्तर से बढ़ाकर अप्रैल, 1982 से 2.94 लाख मी० टन कर दिया गया है। मुक्त बिक्री की चीनी की खपत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खुले बाजार में चीनी के मूल्यों को उपयुक्त स्तर पर बनाए रखने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। अतः देश में चीनी वर्ष 1981-82 में चीनी की खपत 1980-81 की 49.89 लाख मी० टन और 1979-80 की 52.03 लाख मी० टन की तुलना में बढ़कर लगभग 57 लाख मी० टन हो गई है।

नागपुर के संतरा उत्पादकों की समस्याएं

2372. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नागपुर के संतरा उत्पादकों की तरह इस बात से परेशान है कि न केवल उत्पादन कम होता जा रहा है अपितु किस्म पर भी प्रभाव पड़ने का खतरा है ;

(ख) क्या यह सच है कि अब केन्द्र ने इस समस्या की विस्तृत जांच करने के लिए कोई कार्यदल भेजा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस कार्यदल ने क्या निष्कर्ष निकाले हैं और इस कठिनाई पर काबू पाने के लिए क्या सुझाव दिए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) कृतक बल का निष्कर्ष आमतौर पर यह रहा है कि फलोद्यानों की स्थिति में ह्रास हुआ है। यह ह्रास सामान्यतया अनेक घटकों के फलस्वरूप हुआ है जैसे अनुपयुक्त मिट्टी का होना, अवरोध का अभाव, मृदा निकाषी की कमी और अत्यधिक उत्पादन करना, इसके साथ-साथ अपर्याप्त उर्वरकों का प्रयोग तथा कीट नियंत्रण की कमी का होना भी है। कृतक दल की सिफारिशों को तीन भागों में विभाजित किया गया है। मुख्य सिफारिशें संक्षेप में नीचे दी गई हैं :—

1. तत्काल उपचारात्मक उपाय

यह सिफारिश की गई थी कि पंजाबराव कृषि विद्यापीठ, अकोला, का कृषि महाविद्यालय, अकोला, नागपुर और फल अनुसंधान केन्द्र कतौल में किए गए कार्य के आधार पर संतरा उत्पादकों द्वारा अपनाई जाने वाली पैकेज प्रणालियां तैयार करनी चाहिए। निम्नलिखित पहलुओं की सिफारिश की गई जिन पर पैकेज प्रणालियों के अन्तर्गत ध्यान रखना होगा :—

1. पैदावार के अनुसार उर्वरक की मात्रा का उपयोग।
2. वायु अवरोध की व्यवस्था।

3. उपयुक्त सिंचाई तथा निकासी कार्यक्रम ।
4. इंदरबेला वेधक, फाइटोफ्थोरा जड़ गलन, विमिटोड, सिर्टस सिल्ला, सफेद तथा काली मक्खियों के नियंत्रण सम्बन्धी उपाय ।
5. आवश्यकतानुसार फलों का विरलन करना ।
6. 'बहार' उपचार के लिए मिट्टी की खुदाई को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए और ग्रीष्म के महीनों में पानी की तंगी दूर करने के लिए 'अम्बीय बहार' लेने के लिए उत्पादकों को सलाह देनी चाहिए ।
7. फलौद्यान की गहरी जोताई नहीं की जानी चाहिए । केवल हल्की जुताई के साथ रसायनिक खरपतवार नाशियों का प्रयोग किया जाना चाहिए ।
8. ऐसा देखा गया है कि जहां फलौद्यान में वृक्ष सघनता से रोपित किए जाते हैं वहां सफेद मक्खी, साइट्रस सिल्ला, तथा अन्य कृमियों के अधिक प्रकोप दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार के फलौद्यानों में वृक्षों की बाडाबंदी करने का सुझाव दिया गया है ताकि वृक्षों को स्वस्थ रखने के लिए उन्हें रोशनी और हवा मिल सके ।

2. दीर्घावधि उपाय

1. किसानों को कहा जाय कि वे अनुपयुक्त मृदा में उपयुक्त सिंचाई सुविधाओं के बिना नारंगी के वृक्षों का रोपण न करें ।
2. इस समय मूल स्टाक के रूप में 'रंगपुर लाइम' का प्रयोग करने को कहा जाय ।
3. उत्पादकों को अधिक विश्वसनीय वृक्ष मोह्या कराने के लिए सरकारी तथा विश्वविद्यालयों की पौधशालाओं का विस्तार किया जाना चाहिए । राज्य सरकार को नर्सरी अधिनियम को सख्ती से लागू करना चाहिए ।
4. इस क्षेत्र के लिए वैकल्पिक फल फसलों को अभिज्ञात करने की आवश्यकता है ।
4. कृषि विभाग के तहत सामुदायिक छिड़काव कार्यक्रम विकसित किया जाना चाहिए ।
6. कृमिनाशी औषधियों के लिए स्रोत पर राजसहायता दी जाय ।
7. एक स्थानिक भारी योजना होनी चाहिए जिसमें किसानों के हित के लिए कृमिनाशी औषधियों की लागत पर कम से कम 50% की राज सहायता दी जानी चाहिए ।
8. बागवानी के लिए एक पृथक विस्तार सेवा का विकास किया जाना चाहिए ।

3. अनुसंधान का सुदृढ़िकरण

निम्न बातों का सुझाव दिया गया :

1. क्षारीय मृदा के लिए फाइटोफ्थोरा और वाइरस रोग प्रतिरोधी के लिए मूल स्टाक की अब भी आवश्यकता है ।
2. बड़ी संख्या में सुखने वाले वृक्षों की सूची तैयार करना ।

3. स्वास्थ्य तथा कमजोर वृक्षों के पोषक तत्वों का स्तर।

4. पानी की आवश्यकता विशेष कर दो सिंचाइयों के अंतराल पर अध्ययन करना।

5. एक ही फसल के लिए बहार उपचार सम्बन्धी अध्ययन करना।

6. सिर्टस वृक्षों पर आंशिक छाप का अध्ययन करना।

7. फल विरलन सम्बन्धी अध्ययन करना।

8. संकर संरक्षण सम्बन्धी अध्ययन करना।

नारियल का उत्पादन बढ़ाना

2373. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नारियल का वर्तमान वार्षिक उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ;

(ख) क्या सरकार ने नारियल विकास वित्त के लिए बैंकों से सहायता देने का अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रयत्न के परिणाम का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं, नारियल विकास बोर्ड की परियोजनाओं, तथा विश्व बैंक से सहायता प्राप्त केरल कृषि विकास परियोजना, जिसमें नारियल का प्रमुख शेयर है, के तहत नारियल का वार्षिक उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाएं मंजूर की हैं। जनवरी, 1981 में नारियल विकास बोर्ड की स्थापना करना भी इस दिशा में एक उपाय है।

(ख) तथा (ग) सरकार राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक तथा अन्य बैंकों के माध्यम से संस्थागत ऋण के महत्व पर बल दे रही है। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक से मिली रिपोर्ट के अनुसार नारियल विकास के लिए 31-3-1982 तक निम्नलिखित योजनायें मंजूर की गई हैं :—

राज्य	वित्तीय सहायता	पुनर्वित्त विकास निगम की वचनबद्धता	संवितरण
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	272	207	73
गोवा	24	19	—
गुजरात	21	16	16
कर्नाटक	1285	966	705

1	2	3	4
केरल*	4601	3618	1143
महाराष्ट्र	5	4	—
उड़ीसा	167	145	51
पांडिचेरी	29	22	1
तमिलनाडु	486	366	105
त्रिपुरा	10	10	—
पश्चिम बंगाल	21	17	3
	योग 6921	5390	2097

*इसमें कोको, काली मिर्च तथा काफी की योजनायें भी शामिल हैं।

सरकार ने छठी योजना अवधि के दौरान नारियल विकास बोर्ड के तहत नारियल के क्षेत्र का विस्तार करने के लिए संस्थागत वित्त के माध्यम से 599.390 लाख रुपये की व्यवस्था की है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अधीन गुजरात की सहायता

2374. **श्री नवीन रवाणी** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अधीन गुजरात को नकद राशि और सामान के रूप में दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ;

(ख) किये गये कार्य का ब्यौरा क्या है ;

(ग) चालू वर्ष के दौरान की जाने वाली सम्भावित सहायता का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) वर्ष के दौरान ग्रामीण विकास के लिये कार्यान्वित किये जाने वाले कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) वर्ष 1981-82 के दौरान राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए गुजरात सरकार को 560 लाख रुपये की धनराशि दी गई थी। राज्य सरकार द्वारा अपने बराबर के अंशदान के रूप में इतनी ही धनराशि जुटाई जानी थी। कार्यक्रम के अन्तर्गत 9200 मीटरी टन खाद्यान्नों की मात्रा भी राज्य सरकार को दी गई थी जिसका मूल्य नकद सहायता में शामिल कर दिया गया था। राज्य सरकार के पास खाद्यान्नों के मूल्य सहित वर्ष 1980-81 के उपयोग में न लाये गए 109.00 लाख रुपये भी शेष बचे हुए थे।

(ख) गुजरात में वर्ष 1981-82 के दौरान कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों को दर्शाने वाला एक विवरण-1 संलग्न है।

(ग) चालू वर्ष की प्रथम दो तिमाहियों के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के कार्यान्वियन के लिए राज्य को 280 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता पहले ही बंटित कर दी गई है। शेष दो तिमाहियों के लिए राज्य को लगभग 310 लाख रुपये की सहायता दिये जाने की सम्भावना है। राज्य सरकार से उनके अपने बजट में से इतने ही अंशदान को जुटाये जाने की अपेक्षा की गई है।

(घ) वर्ष 1982-83 के दौरान राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए क्षेत्रवार कार्यक्रम नीचे रखे गए विवरण-2 में दिया गया है।

विवरण-1

1981-82 के दौरान गुजरात राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजत वास्तविक लाभ को दर्शाने वाला विवरण

कार्य की श्रेणी	उपलब्धियां
1. वनरोपण, सामाजिक वानिकी आदि के अन्तर्गत लिया गया क्षेत्र (हेक्टयर में)	2376
2. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए पेयजल कुएं आदि (संख्या)	5474
3. ग्रामीण तालाबों का निर्माण (संख्या)	34
4. लघु सिंचाई कार्य, बाढ़ बचाव कार्य आदि के माध्यम से लाभान्वित क्षेत्र (हैक्टेयर)	2885
5. भूमि तथा जल संरक्षण और भूमि समतलीकरण आदि के माध्यम से लाभान्वित क्षेत्र (हैक्टेयर)	3271
6. निर्मित ग्रामीण सड़कें (किलोमीटर)	533
7. स्कूल तथा बालवाड़ी भवन/पंचायत घर (संख्या)	31
8. अन्य निर्माण कार्य (संख्या)	40

विवरण-2

1982-83 के दौरान गुजरात में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के कार्यान्वयन के क्षेत्रवार कार्यक्रम को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	क्षेत्र का नाम	प्रस्तावित व्यय (लाख रुपये में)	प्रस्तावित रोजगार सृजन (लाख श्रम दिनों में)	कुल का प्रतिशत
1.	वनरोपण, सामाजिक वानिकी	159.21	17.99	13.5
2.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जातियों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाने वाले निर्माण कार्य	134.49	15.37	11.4
3.	ग्रामीण तालाबों का निर्माण	105.33	11.53	8.9
4.	लघु सिंचाई (इसमें बाढ़ सुरक्षा, निकासी, जल लग्नता निवारक कार्य आदि भी शामिल हैं)	141.46	16.08	12.1
5.	भूमि तथा जल संरक्षण और भूमि समतलीकरण	128.45	15.07	10.9
6.	ग्रामीण सड़कें	44.52	47.52	37.7
7.	स्कूल तथा बालवाड़ी भवन, पंचायत घर आदि	63.94	6.44	5.5
		1177.50	130.00	100.00

केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसन्धान केन्द्र पूना के कार्य कलापों में वृद्धि

2375. **श्री डी० पी० यादव :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पूना के कार्य-कलापों में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या परियोजना के क्षेत्रीय अध्ययन के लिए परिसर में भूमि की बहुत कमी है ; और

(ग) यदि हां, तो वहां अपेक्षित भूमि के अधिग्रहण के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां ।

(ख) भूमि की सामान्यतः कमी है ।

(ग) अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण के लिग महाराष्ट्र सरकार के साथ मामले को उठाया गया है ।

केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसन्धान केन्द्र, पूना के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर

2376. **श्री डी० पी० यादव** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसन्धान केन्द्र, पुणे में कुल कितने तकनीकी और गैर-तकनीकी कर्मचारी हैं ;

(ख) क्या इन कर्मचारियों के लिए स्टाफ क्वार्टरों की बहुत कमी है ;

(ग) यदि हां, तो, क्या कर्मचारी ऐसोसिएशन ने स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण की मांग की है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) केन्द्रीय जल और विद्युत् अनुसंधानशाला के तकनीकी और गैर-तकनीकी कर्मचारियों की कुल संख्या 1902 है।

(ख) इनकी सामान्यतः कमी है ।

(ग) जी हां ।

(घ) अनुसंधानशाला में 204 अतिरिक्त स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए प्रस्ताव पहले ही सरकार के विचाराधीन है ।

एशियाड के लिए तैयार किए गए फ्लैटों का उपयोग

2377. **श्री डी० पी० यादव :**

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :

क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी एशियाई खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के ठहरने के लिए कितने आवासीय फ्लैटों का निर्माण किया गया है और किस मूल्य पर ;

(ख) एशियाई खेलों के पूरा हो जाने के बाद उन फ्लैटों का उपयोग किस प्रकार किया जायेगा ; और

(ग) क्या सरकार एशियाई खेलों के पूरा हो जाने के बाद उपर्युक्त फ्लैटों को बेच देगी ; यदि हां, तो किस मूल्य पर और किन्हें ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि एशियाई खेल गांव परिसर में खिलाड़ियों को ठहराने के लिए 853 मकान बनाये गए हैं और उनकी निर्माण लागत 15.64 करोड़ रुपये हैं।

(ख) तथा (ग) एशियाई खेल परिसर में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाये गए मकानों को बेचने की पद्धति पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

छठी योजना के दौरान राजस्थान नहर का पूरा होना

2 78. **श्री जय नारायण रौत** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान सरकार को छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में राजस्थान नहर पूरी करने की सलाह दी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और केन्द्रीय सरकार द्वारा राजस्थान नहर के लिए अब तक कितनी राशि स्वीकृति की गई तथा कितनी दी गई ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) राजस्थान नहर परियोजना राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही है और उसके अपने योजना आबंटनों से वित्त-पोषित की जा रही है। परियोजनाओं को शीघ्रता से पूर्ण करने के उद्देश्य से, भारत सरकार राजस्थान सरकार को सुझाव देती रही है कि वे राजस्थान नहर परियोजना को भी शीघ्र पूरा करने के बारे में विचार करें।

केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित ग्रामीण जल सप्लाई योजना का आरम्भ किया जाना

2379. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित ग्रामीण जल सप्लाई योजना विभिन्न राज्यों में कब आरम्भ की गई थी ;

(ख) उपरोक्त योजना के अधीन (वर्षवार) अब तक उनमें से प्रत्येक राज्य में कितने नल कूप लगाए जा चुके हैं ;

(ग) क्या सरकार को सूचना मिली है कि उड़ीसा में लगाए गए अधिकांश नल-कूप कार्य नहीं कर रहे हैं ;

(घ) उड़ीसा के विभिन्न जिलों में कुल कितने नल-कूप लगाए गए और कार्य न कर रहे नल-कूपों की मरम्मत के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम पहले 1972-73 में आरम्भ किया गया था और दो वर्ष वर्ष तक चलाया

गया । ग्रामीण जल पूर्ति को पांचवीं योजना में राज्य क्षेत्र न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में शामिल करने के कारण, केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया था । तथापि, पता लगाए गए समस्याग्रस्त ग्रामों को तेजी से लाभान्वित करने के उद्देश्य से इसे 1977-78 में पुन: आरम्भ किया गया ।

(ख) पता लगाए गए लाभान्वित समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या के आधार पर प्रबोधन किया जाता है और 1977-78 से उपलब्धि निम्न प्रकार है :

1977-78	5534	
1978-79	7054	
1979-80	7640	पता लगाए गए समस्याग्रस्त गांव
1980-81	5757	
1981-82	8728	

राज्य वार सूचना विवरण-1 में दी गई है ।

(ग) पेय जल पूर्ति राज्य का विषय है और कार्यक्रम बनाने, उसका कार्यान्वयन करने और योजना के अनुरक्षण के लिए राज्य सरकार उत्तरदायी है । उड़ीसा के भिन्न-भिन्न जिलों में नलकूपों के बड़े पैमाने पर कार्य न करने की इस मंत्रालय को जानकारी नहीं है ।

(घ) तथा (ङ) उड़ीसा के विभिन्न जिलों में लगाए गए नलकूपों की संख्या विवरण-2 में दी गई है ।

अस्थाई रूप से खराब पड़े नलकूपों के बारे में सरकार द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार, राज्य लोक स्वास्थ्य इंजीनियर संगठन इन्हें पुन: कार्य करने की स्थिति में लाने के उद्देश्य से तत्काल मरमम्मत का कार्य करता है ।

विवरण-1

1977-82 के दौरान केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्याग्रस्त ग्रामों का कवरेज

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82
1	2	3	4	5	6
1. आन्ध्र प्रदेश	218	232	962	297	198*
2. असम	54	34	11	10	59
3. बिहार	1399	1486	876	926	450
4. गुजरात	192	73	129	51	199*
5. हरियाणा	55	55	65	82	82
6. हिमाचल प्रदेश	308	192	575	617	531

1	2	3	4	5	6
7. जम्मू व कश्मीर	23	90	33	101	85
8. कर्नाटक	343	132	449	482	1455**
9. केरल	6	12	13	25	31*
10. मध्य प्रदेश	50	170	1324	563*	950*
11. महाराष्ट्र	261	162	465	98	174
12. मणिपुर	3	11	15	16	53
13. मेघालय	शून्य	11	56	21	20
14. नागालैण्ड	3	39	37	41	49
15. उड़ीसा	898	1867*	1639	858	1502
16. पंजाब	143	115	58	23	10
17. राजस्थान	150	155	122	41	995
18. सिक्किम	शून्य	15	41	6	8*
19. तमिलनाडु	224	878**	82	250	273
20. त्रिपुरा	184	शून्य	63	104	30
21. उत्तर प्रदेश	52	146	398	221	110
22. पश्चिम बंगाल	965	418	216	852	1116
23. अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	2	2	9	6	1*
24. अरुणाचल प्रदेश	शून्य	42	24	15	21
25. चण्डीगढ़	—	—	—	—	—
26. दिल्ली	शून्य	10	10	7	—
27. दादर तथा नागर हवेली	—	—	—	—	—
28. गोआ, दमण तथा दीव	1	शून्य	शून्य	शून्य	—
29. लक्ष द्वीप	—	—	—	—	—
30. मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	2
31. पांडिचेरी	शून्य	7	5	4	23
जोड़	5534	7054	7640	5757	8728

* आंशिक करवेज शामिल है।

** वास/हेमलिट भी शामिल हैं।

विवरण-2

उड़ीसा—त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूप

क्र० सं०	जिले का नाम	त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष के दौरान खोदे गए नलकूप की संख्या—					(82-83) के दौरान 30-9-82 के अन्त तक पूर्ण किए गए नलकूपों की संख्या	योग
		1972 से 1974 तक	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 10
1.	कटक	440	222	318	700	355	1521	314
2.	पुरी	324	112	137	202	245	628	309
3.	बलसौर	266	321	406	467	377	795	180
4.	गंजम	30	134	92	19	128	359	216
5.	फूलबनी	—	133	102	3	42	88	29
6.	सम्बलपुर	34	66	125	85	467	287	68
7.	बालनगीर	39	117	135	92	152	240	88
8.	कालाहाण्डी	34	118	153	34	30	184	68
9.	सुन्दरगढ़	81	90	109	52	120	152	31
10.	कन्जोर	80	85	46	20	143	339	148
11.	बीनकेनाल	72	111	143	58	104	228	40
12.	कोरापट	44	79	68	85	14	198	83
13.	मयूरभंज	76	70	42	18	—	150	68
	योग	1520	1658	1876	1835	2177	5167	1642

खुदाई करके बनाये जाने वाले कुओं (डगवेल) की स्थापना

2380. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1981-82 में विभिन्न राज्यों में खुदाई करके बनाये जाने वाले कुल कितने कुओं की स्थापना करने का विचार है ;

(ख) क्या विभिन्न योजनाओं के अधीन विभिन्न राज्यों में खुदाई करके बनाए जाने वाले कुओं की खुदाई का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वह 1981-82 में पूरा हो गया था ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) 1982-83 में निर्धारित लक्ष्य पूरा करने में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) पेय जल पूर्ति राज्य का विषय है। तथापि, पता लगाए गए समस्याग्रस्त ग्रामों को स्वच्छ पेय जल मुहैया करने के लिए राज्य सरकारों के संसाधनों की प्रतिपूर्ति के लिए केन्द्रीय सहायता दी जाती है। स्वच्छ पेय जल की व्यवस्था स्वच्छ कुओं, नलकूपों, नल द्वारा पानी की सप्लाई आदि जैसी उपयुक्त प्रणाली के माध्यम से की जा सकती है। योजना की प्रगति का प्रबोधन लाभान्वित समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या के आधार पर किया जाता है और न कि उस प्रणाली के आधार से जिसके द्वारा ग्रामों को लाभान्वित किया जाता है। तदनुसार वर्ष 1981-82 के लिए कुओं के आधार पर कोई लक्ष्य नहीं रखा गया है। तथापि, वर्ष 1981-82 के दौरान विभिन्न राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के 29,837 समस्याग्रस्त ग्रामों को पेय जल की सुविधाएं प्रदान की गई थीं।

(घ) योजना आयोग द्वारा घोषित वर्ष 1982-83 के दौरान समस्याग्रस्त ग्रामों को लाभान्वित करने का लक्ष्य 35,292 था। प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, अगस्त, 1982 के अन्त तक 11,824 ग्रामों को लाभान्वित किया गया है।

अन्तरण कृषि के कारण पहाड़ी ढलान की भूमि को क्षति

2381. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अन्तरण कृषि के कारण पहाड़ी ढलान की अनेक क्षेत्र हैक्टार भूमि को प्रति वर्ष क्षति हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो 'पीडू' अथवा जीत अन्तरण कृषि के कारण गत दो वर्ष में उड़ीसा राज्य में कुल कितने एकड़ भूमि पर उसका प्रभाव पड़ा है ;

(ग) क्या अन्तरण कृषि रोकने और भूमि की रक्षा के लिए सरकार का विचार कोई वृहत् कार्यक्रम आरम्भ करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए उड़ीसा को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) सरकार को झूम खेती से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी है। किसी एक वर्ष में इस प्रकार से कुल लगभग दस लाख हैक्टार क्षेत्र को क्षति पहुंचने का अनुमान है, जिसमें से उड़ीसा में लगभग 5.29 लाख हैक्टार क्षेत्र को क्षति पहुंचती है। झूम खेती (जिसका स्थानीय नाम पीडू है) द्वारा प्रभावित होने वाले क्षेत्र का वार्षिक अनुमान नहीं लगाया जाता है। गत दो वर्षों के दौरान उड़ीसा के सम्बन्ध में ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) तथा (घ) केन्द्रीय सरकार की शत प्रतिशत वित्तीय सहायता से झूम खेती के नियन्त्रण के लिए 1977-78 में मार्गदर्शी परियोजना के रूप में केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजना शुरू की गई थी। उड़ीसा राज्य को भी इस योजना में शामिल किया गया था तथा 31-3-79 तक इस योजना के तहत निर्मुक्त की गई 53.726 लाख रुपये की कुल धनराशि में से उड़ीसा को 20.596 लाख रुपये निर्मुक्त किए गए थे। राष्ट्रीय विकास परिषद् के निर्णय के अनुसार 1-4-1979 से योजना के तहत राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता को बन्द कर दिया गया है तथा राज्यों से अपने स्वयं के स्रोत से झूम खेती की समस्या हल करने की आशा की जाती है।

विशेषज्ञों के लिए ड्राई फार्मिंग टेक्नालाजी में प्रशिक्षण कार्यक्रम

2382. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने विशेषज्ञों के लिए ड्राई फार्मिंग टेक्नोलोजी में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था की है ;

(ख) क्या विशेषज्ञों को विभिन्न राज्यों में कृषि विश्व विद्यालयों के माध्यम से इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाएगा ; और

(ग) विशेषज्ञों को ड्राई लैण्ड फार्मिंग में दिए जाने वाले प्रस्तावित प्रशिक्षण का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य कृषि विभाग में कार्यरत विषय वस्तु विशेषज्ञ तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को, हैदराबाद स्थित अखिल भारतीय बारानी खेती समन्वित अनुसंधान परियोजना, जिसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक विशिष्ठ संस्थान माना जाता है, के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(ग) वर्ष 1982-83 के दौरान, बारानी खेती से संबंधित 6 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव है। इनका ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

क्र० सं०	स्थान	तारीख	अवधि	भाग लेने वालों की संख्या
1.	अखिल भारतीय बारानी खेती समन्वित अनुसंधान परियोजना, हैदराबाद	10 मई से 14 मई तक	5 दिन	12
2.	—तदैव—	17 मई से 29 मई तक	13 दिन	17
3.	अखिल भारतीय बारानी खेती समन्वित अनुसंधान परियोजना, महात्मा फूले कृषि विश्वविद्यालय सोलापुर (महाराष्ट्र)	1 जून से 12 जून तक	13 दिन	15
4.	अखिल भारतीय बारानी खेती समन्वित अनुसंधान परियोजना, उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भुवनेश्वर	2 जून से 8 जून तक	7 दिन	17
5.	अखिल भारतीय बारानी खेती समन्वित अनुसंधान परियोजना, कृषि महा-विद्यालय, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, इन्दौर	अभी निश्चित की जानी है	13 दिन	30*
6.	विस्तार शिक्षा संस्थान, आनन्द (गुजरात)	1 नवम्बर से 10 नवम्बर तक	10 दिन	32*

*भाग लेने के लिए प्रस्तावित संख्या

निर्माण और आवास मंत्रालय के राज्य मंत्री द्वारा दूरदर्शन पर दिया गया आश्वासन

2383. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माण और आवास मंत्रालय के राज्य मंत्री ने हाल में दूरदर्शन में एक साक्षातकार में दिल्ली के नागरिक की समस्याओं के बारे में कहा है कि दिए गए आश्वासनों को पूरा करने में वरीयता दी जाएगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या मूल पाठ की एक प्रतिलिपि सभा पटल पर रखी जाएगी ;

(ग) क्या सरकार उन अनधिकृत और पुनर्वास कालोनियों में रह रहे लाखों लोगों की समस्याओं को उच्च वरीयता देगी ; और

(घ) यदि हां, तो इन दो क्षेत्रों के विकास पर कुल कितनी अनुमानित धनराशि खर्च होगी और चालू वित्त वर्ष में कितनी धनराशि खर्च की जा रही है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। दूरदर्शन के आजकल कार्यक्रम में निर्माण और आवास राज्य मंत्री के प्रश्नोत्तर की विषयवस्तु जिसे दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र ने 22-9-82 को "आजकल" शीर्षक से हिन्दी के वर्तमान मामले कार्यक्रम में प्रसारित किया था, की एक प्रतिलिपि संलग्न है, उक्त साक्षात्कार में आमतौर पर दिल्ली के नागरिकों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं तथा उनको सुलझाने में दी जा रही प्राथमिकताओं पर विवरण दिया गया। **[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 5523/82]**

(घ) नियमित की गई अधिकृत कालोनियों तथा दिल्ली में पुनर्वास कालोनियों में अतिरिक्त सुविधाओं के प्रावधानों के लिए विस्तृत परियोजना आकलन दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली प्रशासन द्वारा तैयार किए गए हैं। परियोजना प्रक्रियाधीन हैं।

राज्यों को सूखा राहत

2384. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान सूखे से प्रभावित राज्यों को राज्य-वार, कितनी सूखा-राहत दी गई थी ; और

(ख) राज्य-वार कितनी-कितनी राहत के लिए अनुरोध किया गया था ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1980-81 तथा 1981-82 के दौरान सूखे से प्रभावित राज्यों द्वारा मांगी गई तथा उनको दी गई राज्य-वार सूखा राहत को प्रदर्शित करने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्यों के नाम	1980-81				1981-82			
		मानसून पूर्व		मानसून के बाद		मानसून पूर्व		मानसून के बाद	
		मांगी गई धनराशि	स्वीकृत व्यय की अधिकतम सीमा	मांगी गई धनराशि	स्वीकृत व्यय की अधिकतम सीमा	मांगी गई धनराशि	स्वीकृत व्यय की अधिकतम सीमा	मांगी गई धनराशि	स्वीकृत व्यय की अधिकतम सीमा
1.	आंध्र प्रदेश	67.67	19.64	159.33	23.33	98.00	26.25	—	
2.	बिहार	92.89	24.82	—	—	—	—	—	
3.	गुजरात	42.98	6.12	—	—	—	—	—	
4.	हरियाणा	—	—	38.97	4.02	62.66	4.00	54.97	4.25
5.	हिमाचल प्रदेश	18.80	10.01	—	—	—	—	10.26	2.65
6.	कर्नाटक	—	—	205.21	6.65	50.05	13.81	—	—
7.	मध्य प्रदेश	94.95	47.90	—	—	—	—	—	—
8.	महाराष्ट्र	—	—	28.62	16.25	—	—	—	—
9.	उड़ीसा	56.68	17.66	—	—	—	—	—	—
10.	राजस्थान	59.46	20.10	61.38	20.20	156.26	48.298	268.41	39.53
11.	उत्तर प्रदेश	122.23	47.52	—	—	—	—	—	—
12.	तमिलनाडु	—	—	—	—	160.68	49.77	—	—
13.	त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	4.15	0.946
14.	पश्चिम बंगाल	—	—	—	—	—	—	59.07	18.18

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कालोनियों को नियमित किया जाना

2385. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाण्डव नगर के 'ई०' 'एफ०' और 'पी०' ब्लाक, जनता गार्डन, 'पी०' ब्लाक पांडव नगर, प्रताप नगर, आचार्य निकेतन और शास्त्री नगर को ऐसी कालोनियों की सूची में नहीं रखा गया है जिन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण का नियमित करने का विचार है जबकि इन कालोनियों के निवासियों ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को विकास प्रभार की पहली किस्त अदा कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन कालोनियों को नियमित करने का है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) यद्यपि, इन कालोनियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कालोनियों की पहले वाली सूची में शामिल किया गया था परन्तु इनके नाम उस समय हटा दिए गए जब दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली नगर निगम द्वारा सरकारी नीति के अनुसार अनुमोदित की जाने वाली अनधिकृत कालोनियों की सूची संशोधित की गई । तथापि, दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि यमुनापार क्षेत्र में अनधिकृत कालोनियों की संशोधित सूची की समीक्षा की जा रही है । अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण के सम्बन्ध में दिल्ली के उप राज्यपाल द्वारा नियुक्त की गई तकनीकी समिति द्वारा अब 612 अनधिकृत कालोनियों की सूची की जांच का कार्य किया जा रहा है और इस मामले पर उचित कार्यवाही तब की जाएगी जब यह समिति अपनी जांच पूरी कर लेगी ।

निम्न आय वर्ग और मध्य आय वर्ग के आबंटतियों को डी० डी० ए० द्वारा मांग पत्र जारी करना

2386. **श्री दया राम शाक्य** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने लगभग 5000 उन व्यक्तियों को मांगपत्र जारी किये हैं, जिन्हें निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के फ्लैट आवंटित किए गए हैं, जिसमें उनसे सितम्बर तक हजारों रुपये जमा कराने को कहा गया है जबकि आवंटित फ्लैटों का निर्माण अभी तक पूरा नहीं हुआ है और ना ही उनका निर्माण जून-जुलाई, 1983 तक पूरा होने की कोई सम्भावना है ; और-

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं, जबकि अधिकांश लोग ऋण लेने के बाद धनराशि का भुगतान करेंगे उन्हें मकानों का कब्जा अभी नहीं मिलेगा ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

अरावली पहाड़ियों के वनों का काटा जाना

2387. **श्री गुलाम मोहम्मद खां** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अरावली पहाड़ियों में पेड़ों के बड़े पैमाने पर गिराये जाने तथा क्षेत्रों की हरियाली को समाप्त किये जाने की जानकारी है ;

(ख) क्या अरावली पहाड़ियों पर वन लगाये जाने की एक योजना तैयार की जा रही है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि एस० आई० डी० ए० ने इस कार्यक्रम के लिए सहायता दी है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरे क्या हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं । तथापि, सरकार को इस बात की जानकारी है कि पशुओं द्वारा अत्याधिक चराई करने तथा कोंपलों को चरने और लोगों का जलावन लकड़ी, छोटी इमारती लकड़ी आदि की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए पेड़ों पर अधिक निर्भर रहने जैसे अत्याधिक जीवीय कारकों के कारण अरावली की पहाड़ियों की बनस्पति निरन्तर कम होती जा रही है ।

(घ) हरियाणा राज्य में अरावली की पहाड़ियों में पुनः वनस्पति रोपण करने की एक योजना तैयार की जा रही है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) उपरोक्त (ग) को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न ही नहीं होता ।

मणिखेरा मोहिनी सागर सिंचाई योजना

2388. **श्री सुभाष यादव** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में मणिखेरा मोहिनी नगर सागर सिंचाई परियोजना के लिए केन्द्रीय सरकार की अनुमति मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा योजना को मंजूरी दे दी गई है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) माननीय सदस्य संभवतः सिन्ध नदी परियोजना सोपान-दो का उल्लेख कर रहे हैं जो एक बहुप्रयोजनी परियोजना है, जिसमें मोहिनीसागर जलाशय बनाने के लिए मरहीखेड़ा गांव के निकट सिन्ध नदी पर एक बांध का निर्माण करना परिकल्पित है । इस स्कीम की परियोजना रिपोर्ट तकनीकी परीक्षण एवं योजना आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार से 1978 में केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त हुई थी ।

(ख) चूंकि यह परियोजना एक बृहत स्कीम है, जिसमें अन्य बातों के साथ, जल विद्युत का उत्पादन परिकल्पित है, इसलिए इसकी जांच केन्द्रीय जल आयोग और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में की गई थी । उनकी टिप्पणियों के अंशतः उत्तर हाल में प्राप्त हुए हैं जिन पर आगे

स्पष्टीकरण मांगे गए हैं, जबकि अन्य टिप्पणियों के उत्तर की राज्य से अभी तक प्रतीक्षा की जा रही है।

परियोजना की स्वीकृति, राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय जल आयोग और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा भेजी गई टिप्पणियों/स्पष्टीकरणों के शीघ्रता से उत्तरों को भेजे जाने तथा इसके तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता एवं लागत प्रभावकारिता के सिद्ध हो जाने पर निर्भर करेगी।

कू-बबूल का गेहूं की फसल पर प्रभाव

2389. **श्री सुभाष यादव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'इंडियन' एक्सप्रेस' दिनांक 23 सितम्बर, 1982 में छपे उस समाचार को देखा है जिसमें कहा गया है कि देश में चाय, ईंधन तथा टिम्बर की जरूरतों को पूरा करने के विचार से उष्ण कटिबंधी अमेरीका से आयात किये गये विजातीय किस्म के पौधे कू-बबूल से गेहुं की फसल में फ्यूजेरियम सेमिटेक्टम नामक खतरनाक फंगी रोग लग सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) (क) जी हां, श्रीमान्। इंडियन एक्सप्रेस में दिनांक 23 सितम्बर, 1982 को प्रकाशित प्रेस रिपोर्ट (समाचार) को देखा गया है। प्रकाशित सूचना की भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों द्वारा की गयी समीक्षा के अनुसार **फ्यूजेरियम सेमिटेक्टम** एक साधारण किस्म की फफूंद है जो विश्व के उष्णकटिबन्धीय और उपोष्णकटिबन्धीय क्षेत्रों में सैप्रोफाइट के रूप में पाई जाती है न कि पौधों के रोगजनक के रूप में। यह फफूंद रोगी पौधों के हिस्से में संदूषित के रूप लगती है। न कि किसी रोग के आकस्मिक कारक के रूप में। भारत में यह रोग दलहनी फसलों जैसे सोयाबीन और चना (चीकपी) जैसी फसलों में पायी जाती है। सैप्रोफाइट के रूप में इसे विभिन्न प्रकार के आधारभूत तत्वों से जिसमें गेहूं के बीज, मक्का आदि शामिल हैं, पृथक किया जा सकता है। फिर भी, इससे गेहूं जैसे अनाजों में कभी भी कोई बीमारी पैदा नहीं होती। हमारे वर्तमान ज्ञान के अनुसार, इस बात की आशंका की **फ्यूजेरियम सेमिटेक्टन** जो गूम्मेसिस के साथ कू बबूल (**ल्युसेइना ल्युसेसिफला**) में पाया जाता है "घास या गेहूं" के लिए संभवतः खतरा पैदा कर सकता है, सही नहीं है।

(ख) कू-बबूल में गूम्भोसिस के साथ फफूंद का संसर्ग किस तरह का है इस पर भारतीय वैज्ञानिक नजर रखे हुए हैं।

गांवों में सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करना

2390. **श्री जैनुल बशर :** क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करें गे कि :

(क) क्या गांवों में सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करने की कोई योजना उनके मंत्रालय केविचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या ऐसी किसी योजना पर पहले विचार करके उसे छोड़ दिया गया है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) (क) से (ग) : कुछ राज्यों में कुछ पाइलट परियोजनाओं के सिवाय ग्रामीण स्वच्छता पर अभी तक बहुत कम ध्यान दिया गया है। ग्रामीण स्वच्छता राज्य का विषय है तथा योजनाएं राज्यों द्वारा बनायी तथा कार्यान्वित की जानी होती हैं। इस विषय के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की कोई योजना नहीं है। फरवरी, 1982 में राज्य प्रतिनिधियों के साथ हुए सम्मेलन में अन्तर्राष्ट्रीय पेय जल पूर्ति तथा स्वच्छता दशक (अप्रैल, 1981 से मार्च, 1991 तक) के दौरान 25 प्रतिशत ग्रामीण जन संख्या को सुलभ शौचालयों को मुहैया कराने का वास्तविक लक्ष्य स्वीकार किया गया था। ग्रामीण स्वच्छता के लिए यूनिसेफ से भी सहायता उपलब्ध होने की सम्भावना है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली का सुन्दर बनाया जाना

2391. **श्री अमल दत्त : क्या निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि एशियाई खेलों के सम्बन्ध में दिल्ली विकास प्राधिकरण के सुन्दरता अभियान के कारण नेहरू प्लैस के समीप छोटी-छोटी झुग्गियों के हजारों निवासियों को अपने घरों को छोड़ना पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रया है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) (क) तथा (ख) : दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि 7-9-82 को दिल्ली परिवहन निगम के लिए नाडेल प्वाइन्ट के विकास हेतु नेहरू प्लैस कम्प्लेक्स में अपेक्षित भूमि से कुछ अनधिवासियों को हटाया गया है न कि एशियाई खेलों के सौन्दर्यकरण अभियान के कारण। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कहा है कि सुल्तानपुरी में 101 व्यक्तियों को वैकल्पिक स्थल आबंटित किए गए हैं।

स्ववित्त पोषण योजना के अन्तर्गत साकेत में बनाए गए फ्लैटों की लागत में वृद्धि

2393. **डा० बसंत कुमार पंडित :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने साकेत, दक्षिणी दिल्ली में पहली स्ववित्त पोषण योजना के अन्तर्गत बनाए गए फ्लैटों के मूल्यों में अब वृद्धि कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो पूर्व घोषित मूल्यों के विपरीत अन्तिम किस्म में वृद्धि करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या डी० डी० ए० फ्लैटों के आबंटियों ने सरकार से एक कमरे और तीन कमरों के फ्लैटों के अन्तिम मूल्यों को घोषित करने के बारे में अनुरोध किया है ;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या क्या निर्णय किया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस समय क्या स्थिति है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि रिहायशी एककों की लागत उनके तैयार हो जाने पर या जब वे पूर्ण होने वाले हों, पर निकाली जाती है ? प्रथा स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत साकेत, साऊथ दिल्ली में बनाए गए रिहायशी एककों के बारे में निर्धारित विक्रय कीमत को दिल्ली विकास प्राधिकरण ने संशोधित नहीं किया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) इस बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे ।

(घ) तथा (ङ) यह मामला न्यायाधीन है ।

स्ववित्त पोषण योजना के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्तियों को फ्लैटों का आबंटन

2394. **डा० वसन्त कुमार पंडित:** क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डी० डी० ए० की द्वितीय स्ववित्त पोषण योजना के अन्तर्गत व्यक्तियों को 'ड्रा' निकलने के 15 महीने के अन्दर फ्लैटों का कब्जा देने का वादा किया गया था, यदि हां, तो इस ड्रा में कितने व्यक्तियों को सफलता मिली ;

(ख) क्या उन व्यक्तियों को फ्लैटों का कब्जा दे दिया गया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि डी० डी० ए० फ्लैटों का कब्जा देने में विलंब इसलिए किया जा रहा है कि उन व्यक्तियों से फ्लैटों के बढ़े हुए मूल्य लिए जा सके; और

(घ) उन्हें कब तक कब्जा दिए जाने की सम्भावना है और उन फ्लैटो के कितने मूल्य बढ़ने का अनुमान है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

विश्व बैंक से सिंचाई परियोजना के लिए ऋण

2395. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक भारत की सिंचाई के लिए ऋण देने पर सहमत हो गयाहै ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) विश्व बैंक, भारत में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के लिए ऋण सहायता प्रदान कर रहा है । उन परियोजनाओं की, जिनके लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त हुई है और जो इस समय ऐसी सहायता प्राप्त कर रही है, राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

विश्व बैंक से ऋण सहायता प्राप्त कर रही परियोजनाएं

क्रम सं०	परियोजना तथा राज्य का नाम	ऋण की राशि (मिलियम डालर)	करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख	करार के समाप्त होने की तारीख
1	2	3	4	5
	आंध्र प्रदेश			
1.	नागार्जुनसागर परियोजना	145.00	10-6-1976	30-6-1985
	बिहार			
2.	स्वर्णरेखा सिंचाई परियीजना (बिहार तथा उड़ीसा)	126.00*	—	—
	गुजरात			
3.	गुजरात सिंचाई परियोजना	85.00	17-7-1978	30-6-1984
4.	दूसरी गुजरात सिंचाई परियोजना	175.00	12-5-1980	30-4-1986
	हरियाणा			
5.	हरियाणा सिंचाई परियोजना	111.00	16-8-1978	31-8-1983
	कर्नाटक			
6.	कर्नाटक सिंचाई परियोजना	117.64	12-5-1978	31-3-1984
7.	कर्नाटक टैंक सिंचाई परियोजना	54.00	26-3-1981	31-3-1986
	केरल			
8.	कल्लाडा सिंचाई और वृक्ष फसल विकास परियोजना	60.00 अ० वि० संघ 20.00 अं० पु० तथा वि० बैंक	6-7-1982	31-3-1987
	महाराष्ट्र			
9.	महाराष्ट्र सिंचाई परियोजना (जयकवाडी)	70.00	11-10-1977	31-3-1983

1	2	3	4	5
10.	महाराष्ट्र सिंचाई परियोजना-दो	210.00	14-4-1980	31-12-1985
	उड़ीसा			
11.	उड़ीसा सिंचाई परियोजना	58.00	11-10-1977	31-10-1983
12.	महानदी बराज परियोजना	83.00	5-12-1980	31-3-1987
	पंजाब			
13.	पंजाब सिंचाई परियोजना	129.00	30-3-1979	30-6-1985
	तमिलनाडु			
14.	पेरियार वैगई सिंचाई परियोजना	23.00	30-6-1977	31-3-1983
	मध्यप्रदेश			
15.	मध्य प्रदेश मध्यम सिंचाई परियोजना	140-00	26-3-1981	31-3-1987
16.	मध्य प्रदेश बृहद सिंचाई परियोजना	220.00	24-2-1982	26-6-1987
17.	चम्बल (मध्य प्रदेश) सिंचाई-दो	31.00	7-9-1982	31-12-1986
	राजस्थान			
18.	राजस्थान नहर कमान क्षेत्र विकास परियोजना	83.00	31-7-1974	30-6-1983
	उत्तर प्रदेश			
19.	उत्तर प्रदेश सरकारी नलकूप परियोजना	18.00	12-5-1980	31-3-1983

* यह परियोजना 17-9-82 को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है, करार पर शीघ्र ही हस्ताक्षर किए जाने की प्रत्याशा है।

वे परियोजनाएं जिनके लिए पहले ही विश्व बैंक से सहायता प्राप्त हो चुकी है

क्रम सं०	परियोजना तथा राज्य का नाम	अधिकरण	ऋण की राशि (मिलियन डालर)
	आंध्र प्रदेश		
1.	पोचम्पाद परियोजना	अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई० डी० ए०)	39.00
2.	गोदावरी बराज परियोजना	—तदेव—	45.00
	बिहार		
3.	सोन बराज परियोजना	—तदेव—	15.00
	गुजरात		
4.	शत्रुन्जी परियोजना	—तदेव—	3.40
5.	कडाना परियोजना	—तदेव—	35.00
	मध्य प्रदेश		
6.	चम्बल कमान क्षेत्र विकास परियोजना	—तदेव—	24.00
	महाराष्ट्र		
7.	पूर्णा परियोजना	—तदेव—	13.00
	उड़ीसा		
8.	सालन्दी परियोजना	—तदेव—	7.50
	पंजाब		
9.	बाढ़ सुरक्षा एवं जल-निकास परियोजना	—तदेव—	10.00
	राजस्थान		
10.	चम्बल कमान क्षेत्र विकास	—तदेव—	52.00
	उत्तर प्रदेश		
11.	उत्तर प्रदेश नलकूप परियोजना	—तदेव—	6.00

एशियाड 82 के सम्बन्ध में विदेशों का दौरा करने वाले अधिकारी

2396. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाड 1982 के संबंध में किन किन अधिकारियों द्वारा अब तक विदेशों का दौरा किया जा चुका है, उनके पद क्या हैं और उनको क्या काम सौंपा गया है ;

(ख) उन पर कितना व्यय किया गया ; और

(ग) ऐसे अधिकारियों के नाम क्या हैं जिनके एशियाड 1982 के सम्बन्ध में अभी भी दौरे पर जाने की संभावना है ?

पूर्ति मंत्रालय के तथा खेल विभाग के राज्य मंत्री (श्री बूटासिंह) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा में दाल उत्पादन कार्यक्रम

2397. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने विभिन्न राज्यों में दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए निश्चित रणनीति अपनाई है ;

(ख) यदि हां, तो दालों के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ाने के लिए उड़ीसा राज्य में कौन सी रणनीति अपनाई गई है ; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान दालों के उत्पादन में राज्य में हुई प्रगति के बारे में ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, हां।

(ख) उड़ीसा राज्य में दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अपनायी गयी नीति निम्न प्रकार है :—

(1) सिंचित सस्य पद्धति में दलहन फसलें शुरू करना ;

(2) (क) रबी मौसम में अवशेष नमी का उपयोग करके चावल की परती में उड़द, मूंग आदि की अल्पावधि तथा (ख) ग्रीष्म मौसम में तिलहन, गन्ना, आलू और गेहूं के बाद सिंचाई के साथ अतिरिक्त क्षेत्र लाना ;

(3) सिंचित और असिंचित परिस्थितियों के अन्तर्गत सोयाबीन, बाजरा, कपास, गन्ना और मूंगफली के साथ अरहर की अन्तवर्ती फसल ;

(4) दलहन के उन्नत बीजों में वृद्धि व उपयोग ;

(5) वनस्पति रक्षण उपायों को अपनाना ;

(6) फास्फेटयुक्त उर्वरकों तथा रिजोबियल कल्चर का उपयोग ;

(7) कटाई के बाद उन्नत प्रौद्योगिकी ;

(8) दलहनों की मूल्य निर्धारण एवं विपणन सम्बन्धी नीतियों सहित सार्वजनिक नीतियां ; और

(9) सिंचित और वर्षा पर आधारित रहने वाले क्षेत्रों में विभिन्न खण्डों में "दलहन फसल ग्राम" का आयोजन करना ताकि उपलब्ध जानकारी पर आधारित दलहन फसलों के उत्पादन, खरीद और विपणन से सम्बन्धि एक समेकित पद्धति का संवर्द्धन किया जा सके ।

(ग) गत दो वर्षों के दौरान दलहन उत्पादन के क्षेत्र में राज्य में की गयी प्रगति का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

(1) विभिन्न दलहन फसलों का क्षेत्र और उत्पादन नीचे दिया गया है :—

क्षेत्र हजार हैक्टार में
उत्पादन हजार मीटरी टन में

फसल	1980-81		1981-82	
	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन
चना	50.0	26.2	40.9	21.6
अरहर	81.8	42.6	100.4	52.1
अन्य खरीफ दलहन	235.6	112.4	263.3	136.3
अन्य रबी दलहन	1358.1	704.7	1358.1	651.0 (अनुमानित)
योग	1725.5	886.1	1762.7	861.0

(2) ग्रीष्मकालीन मूंग का क्षेत्र और उत्पादन नीचे दिया गया है :—

क्षेत्र हजार हैक्टार में
उत्पादन हजार मीटरी टन में

वर्ष	क्षेत्र	उत्पादन
1981	56.9	31.3
1982	89.0	44.0

(3) दलहन की अल्पावधि किस्मों के शीघ्र प्रसार के लिए मिनीकिट विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1981-82 के दौरान 7316 मिनीकिट तथा खरीफ वर्ष 1982-83 के दौरान

48050 मिनीकिट वितरित किये गये जबकि वर्ष के दौरान कुल 74900 मिनीकिट वितरित करने का लक्ष्य था ।

राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय खोलना

2398. **श्री वृद्धि चन्द जैन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय खोलने के बारे में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) इस प्रस्ताव को अब तक अंन्तिम रूप न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय खोलने से सम्बन्धित मामले पर राजस्थान के मुख्य मंत्री, कृषि उत्पादन आयुक्त और कुलपति को राजी करने का प्रयास कर रही है । यह समझा जाता है कि, कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित अंतिम निर्णय में अधिक देर होने के कारण उदयपुर विश्वविद्यालय कृषि संकाय के लिए एक पृथक शैक्षणिक परिषद की स्थापना की बात सोच रहा है ।

(ख) अभी तक प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है क्योंकि भारत सरकार और राजस्थान सरकार के बीच इससे संबंधित सभी विभिन्न मामलों पर सहमति के लिए अभी भी विचार-विमर्श किया जा रहा है ।

राजस्थान से लूनी नदी के बाढ़ से बचाव की योजना

2399. **श्री वृद्धि चन्द जैन** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने लूनी नदी के बाढ़ के जल से अब तक प्रभावित हुए क्षेत्र के बचाव के लिए एक बृहत योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सदन के सभा पटल पर रखी जाएगी ;

(ग) उस पर कितना वार्षिक खर्च आयेगा और उसमें केन्द्र का कितना हिस्सा होगा ; और

(घ) बृहत योजना के अन्तर्गत शुरू किए गए और पूरा किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) राजस्थान सरकार द्वारा लूनी बेसिन की मास्टर योजना अभी तैयार की जा रही है ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते : ।

गांधी सागर बांध के अन्तर्गत आये क्षेत्रों के उपयोग के बारे में राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में समझौता

2400. **श्री वृद्धि चन्द जैन** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गांधी सागर बांध के अन्तर्गत आये क्षेत्रों के उपयोग के बारे में राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच किसी भूमि का समझौता हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो क्या समझौते की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी ;

(ग) क्या यह सच है कि गांधी सागर बांध के अन्तर्गत आई भूमि पर अनेक छोटे बांधों का निर्माण किया गया था ; जिससे राजस्थान सरकार को गांधी सागर, राना प्रताप सागर और जवाहर सागर के अपने पानी के हिस्से से वंचित रहना पड़ा है ;

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार का विचार मध्य प्रदेश सरकार को अनियमित बांधों का निर्माण बन्द करने हेतु किस ढंग से राजी करने का है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, गांधीसागर बांध के अन्तर्गत जलमग्न होने वाले क्षेत्रों के उपयोग के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को किसी ऐसे करार की जानकारी नहीं है ।

(ग) और (घ) चम्बल के जल के उपयोग के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारों के बीच कोई औपचारिक करार नहीं है । राजस्थान सरकार ने केन्द्र को सूचित किया था कि मध्य प्रदेश सरकार गांधीसागर जलाशय के जलग्रहण-क्षेत्र में चम्बल बेसिन के ऊपरी भागों में कई सिंचाई स्कीमों का निर्माण कर रही है जिसके परिणामस्वरूप गांधीसागर जलाशय में जल का अन्तर्वाह कम हो जाएगा और उसके कारण उनके राज्य को होने वाले सिंचाई तथा विद्युत सम्बन्धी लाभों पर प्रभाव पड़ेगा । इस मामले पर सिंचाई मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के साथ पत्र-व्यवहार किया गया था । इसी बीच, राजस्थान सरकार ने फरवरी 1981 में सूचित किया था कि वे इस मामले को मध्य प्रदेश सरकार के साथ द्विपक्षीय आधार पर हल करेंगे ।

राजस्थान के मुख्य मंत्री से मई, 1982 में एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि मध्य प्रदेश सरकार को कहा जाना चाहिए कि वे इस मामले का समाधान कर लिए जाने तक, ऊपरी भागों में किसी नयी सिंचाई स्कीम को हाथ में लेना बन्द कर दें । केन्द्रीय सिंचाई मंत्री ने 8-6-1982 को मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री को एक पत्र लिखा है जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि इस मामले को दोनों राज्य सरकारों के बीच सौहार्दपूर्ण ढंग से हल कर लिया जाए । इस मामले में राजस्थान सरकार से और कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

सिल्चर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्टस एसोसियेशन स्टेडियम, सिल्चर का निर्माण

2401. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय की जानकारी है कि सिल्चर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्टस एसोसियेशन स्टेडियम, सिल्चर (आसाम) अपूर्ण अवस्था में है ;

(ख) केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा उक्त स्टेडियम के लिए कितनी राशि आबंटित की गई थी ;

(ग) डिस्ट्रिक्ट स्पोर्टस एसोसियेशन, सिल्चर द्वारा कितना धन जुटाया गया; और

(घ) सरकार का इस स्टेडियम को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

पूर्ति मंत्रालय के तथा खेल विभाग के राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जिला खेल संघ, सिल्चर ने अप्रैल, 1981 में एक सूचना भेजी थी जिसके अनुसार स्टेडियम अभी तक पूरा नहीं था। इस सम्बन्ध में खेल विभाग को और कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त स्टेडियम के सम्बन्ध मे केन्द्रीय सरकार ने 50,000/- रुपये का अधिकतम अनुदान संस्वीकृत किया, जो राज्य खेल परिषदों इत्यादि को वित्तीय सहायता की केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत उस समय अनुमत्य था और फरवरी 1978 में इसे पूरी तरह से अवमुक्त किया गया था। असम राज्य सरकार द्वारा भी 50,000/- रु० के बराबर ही राशि संस्वीकृत की गई थी। जैसा कि पहले ही बताया गया है, उक्त स्टेडियम के बारे में अप्रैल, 1981 के बाद और कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए जिला खेल संघ, सिल्चर द्वारा इसके निर्माण हेतु अंशदान सम्बन्धी सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) स्टेडियम को पूरा करने हेतु आवश्यक बकाया राशि जिला खेल संघ, सिल्चर द्वारा, उनके मूल आवेदन पत्र के अनुसार, पूरी की जानी है।

देवली गांव में राहत कार्य

2402. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा के देवली गांव के लगभग 100 हरिजन परिवारों को तीन दिन तक खाने के लिए कुछ नहीं मिला क्योंकि उनका गांव बाढ़ में डूब गया था और कोई राहत सामग्री उन तक नहीं पहुंची थी और उन्हें अपना गांव छोड़ना पड़ा था क्योंकि सवर्ण जाति के लोगों ने उनसे राहत मिली सारी सामग्री छीन ली थी ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) जी, नहीं। राज्य सरकार के अनुसार पुरी जिले में काकतपुर तहसील के देवली गांव में 35 जनसंख्या के सिर्फ सात परिवार हैं और इन सात परिवारों में से यह छह परिवार अनुसूचित जातियों/हरिजनों के हैं। राज्य सरकार ने सूचना दी है कि इस गांव में बाढ़ का पानी 31-8-1982 को आया और उसी दिन दोपहर बाद प्रभावित व्यक्तियों को राहत दी गई थी।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं होता।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की मुर्गी पालन परियोजना और उस पर व्यय

2403. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं और छठी योजना अवधि में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की मुर्गी पालन परियोजना पर प्रत्येक अनुसंधान केन्द्र में वर्ष-वार भोजन पर कुल कितना खर्च हुआ और उनसे कुल कितनी वास्तविक राजस्व प्राप्ति हुई ;

(ख) पांचवीं और छठी योजना में केन्द्र-वार प्रतिवर्ष कितनी वयस्क मुर्गियां थीं तथा उसमें अनुपात में कितने अंडे और/अथवा मांस का उत्पादन हुआ और बिक्री कितने मूल्य की हुई ;

(ग) क्या सरकार का विचार वाणिज्यिक मुर्गियों के स्टाक का आयात बढ़ाने का है ; और

(घ) क्या सरकार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अन्तर्गत प्रत्येक केन्द्र के कार्य से संतुष्ट है और प्रत्येक केन्द्र के कार्य पर प्रारम्भ से कितना खर्च हुआ है और अतिरिक्त कितना व्यय करने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) पांचवीं और छठी योजना की अवधि में एककवार और वर्ष-वार राजस्व प्राप्तियों का विवरण 'क' और 'ख' में दी गयी है ।

आहार पर कितना खर्च हुआ इसकी जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा-समय लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा समय लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) व्यावसायिक मुर्गियों के आयात की नीति हर वर्ष कृषि मंत्रालय के सुझावों के आधार पर वाणिज्य मंत्रालय द्वारा तय की जाती है । 1983-84 में मुर्गियों के आयात भारत सरकार द्वारा यथा समय लिए जाने वाले निर्णय पर निर्भर करता है ।

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा गठित एक मूल्यांकन समिति ने प्रत्येक एकक के कार्य का मूल्यांकन किया है और उसे सन्तोषप्रद पाया है । समिति ने छठी योजना के दौरान सभी केन्द्रों को जारी रखने की सिफारिश की है ।

कार्यों पर खर्च की जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह यथा-समय लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

विवरण-क

मुर्गी प्रजनन पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसन्धान प्रायोजना की वर्ष वार और एककबार खर्च की गई निधि

केन्द्र का नाम	1973-74	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82
हैदराबाद	900429रु०	791947रु०	876924रु०	978156रु०	1000687रु०	924362रु०	944130रु०	1162780रु०	1208535 रु०
जबलपुर	657178 "	513128 "	779325 "	1098920 "	786185 "	816399 "	918971 "	984677 "	1174403 "
मथुरा	743269 "	790514 "	789890 "	830360 "	912788 "	1108627 "	997381 "	1178500 "	1073075 "
अगरतला	——	——	——	——	38000 "	95000 "	348000 "	656229 "	1272667 "
मन्नूथी	——	——	——	142240 "	455046 "	1162137 "	581021 "	620000 "	945049 "
बंगलौर	470000 "	222981 "	484512 "	636280 "	373933 "	622194 "	531566 "	578897 "	602125 "
मद्रास	313848 "	397155 "	472680 "	302902 "	508798 "	621149 "	556724 "	716137 "	577643 "
भुवनेवर	240434 "	340264 "	372419 "	620929 "	637409 "	608757 "	455180 "	633562 "	618359 "
अकोला	——	——	——	——	——	402960 "	139039 "	319056 "	417348 "
सिक्किम	——	——	——	311972 "	563349 "	367569 "	786661 "	321831 "	320138 "
आनन्द	——	——	——	——	88342 "	154849 "	152589 "	451792 "	224051 "
लुधियाना	——	——	——	——	436219 "	239681 "	282025 "	650360 "	296000 "

विवरण-ख

मुर्गी प्रजनन पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसन्धान प्रायोजना के अन्तर्गत वर्षवार और एकक वार रिलीज की गई प्राप्तियां

केन्द्र का नाम	1973-74	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82
हैदराबाद	204100 रु०	214773 रु०	481119 रु०	384889 रु०	488320 रु०	469471 रु०	349478 रु०	269942 रु०	460921 रु०
जबलपुर	133319 „	155441 „	179013 „	244511 „	200838 „	266572 „	349302 „	310450 „	333605 „
मथुरा	161212 „	151980 „	289051 „	390633 „	376073 „	295697 „	233656 „	189072 „	423588 „
अगरतला	——	——	——	——	——	——	——	——	11989 „
मन्नूथी	——	——	——	——	——	30804 „	176302 „	191633 „	585044 „
बंगलौर	26978 „	53843 „	78455 „	150500 „	205758 „	229817 „	282195 „	286337 „	242200 „
मद्रास	65396 „	76373 „	96280 „	100106 „	214108 „	231413 „	152733 „	231966 „	159147 „
भुवनेश्वर	——	——	——	110769 „	87968 „	106013 „	120745 „	90488 „	127306 „
अकोला	——	——	——	——	——	229817 „	282195 „	286336 „	83922 „
सिक्किम	——	——	——	——	1349 „	28468 „	338802 „	42121 „	100000 „
आनन्द	——	——	——	——	——	50623 „	32262 „	103966 „	137992 „
लुधियाना	——	——	——	——	55527 „	58150 „	77103 „	126479 „	113325 „

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ऊंट के संबंध में अनुसंधान योजना

2404. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सऊदी नरेश द्वारा प्रधान मंत्री को उपहार में दिए गए भारतीय ऊंट की कार्यक्षमता की कोई जानकारी नहीं है ;

(ख) क्या ऊंट के संबंध में अनुसंधान के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की धन-राशि में से वित्त दिया गया है और यदि हां, तो कितनी राशि खर्च की गई और योजना की कार्या-वधि कितनी थी और उसके क्या निष्कर्ष निकले ;

(ग) क्या यह भी सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का बीकानेर में पहले ही से एक ऊंट प्रजनन केन्द्र है ;

(घ) वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान भा० कृ० अ० प० द्वारा बीकानेर केन्द्र पर कितनी धनराशि व्यय की गई और उसके क्या परिणाम निकले ;

(ङ) क्या जुलाई 1982 में जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति सरकार से अनुमोदित थी और समाचार-पत्रों को दी गई सूचना अनुमोदित थी ; और

(च) प्रधान मंत्री को उपहार में दिए ऊंट के ऊंट सुधार के लिए गुणदोषों की कब तक पुष्टि हो जाएगी और कौन-सी जानकारी पहले ही एकत्र कर ली गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं, श्रीमान । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को इस बात की जानकारी है कि भेंट स्वरूप प्राप्त किए गए दोनों ऊंट भारत में आने के बाद ठीक कार्य कर रहे हैं ।

(ख) भारतीय ऊंटों के सर्वेक्षण के नाम से एक योजना पंजाब तत्कालीन पेप्सू, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बम्बई, मध्य प्रदेश, कच्छ, सौराष्ट्र और अजमेर में सन् 1954 से 1956 तक चली । इसका मुख्यालय जोधपुर में था । ऊंट विकास के नाम से दूसरी योजना बीकानेर (राजस्थान) स्थित ऊंट प्रजनन फार्म पर सन् 1959 से 1965 तक चली । इस योजना पर 4 लाख 15 हजार रुपये खच किए गए थे और इस योजना में बीकानेरी ऊंट की कार्यक्षमता पर कुछ जानकारी प्राप्त हो सकी है ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ङ) कोई प्रेस रिलीज नहीं जारी की गई ।

(च) चूंकि दोनों अरबी ऊंट अनुसंधान के लिए नहीं मंगाए गए हैं, इसलिए ऊंट नस्ल सुधार के लिए उनकी श्रेष्ठता को सुनिश्चित करना संभव नहीं होगा ।

भूमिगत जल संसाधनों को काम में लाना

2405. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के अनुसार इस समय कितने प्रतिशत भूमिगत जल का उपयोग किया जा रहा है ;

(ख) क्या सरकार के पास बकाया भूमिगत जल संसाधनों को उपयोग करने के बारे में कोई निश्चित योजना है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए छठी पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) वर्तमान अनुमानों के अनुसार, भूमिगत जल संसाधनों से अन्ततः सृजनीय सिंचाई क्षमता 40 मिलियन हैक्टेयर है, जिसमें से मार्च, 1982 के अन्त तक 24.5 मिलियन हैक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की जा चुकी है, जो 60.12% है।

(ख) और (ग) जल एक राज्य-विषय है, इसलिए भूमिगत जल विकास के कार्यक्रमों को राज्यों द्वारा खुदाई कुओं, बेधन कुओं, निस्यंदक बिन्दुओं और उथले नलकूपों आदि के निर्माण के जरिए, गैर सरकारी क्षेत्र में कृषकों द्वारा स्वयं बैंकों से ऋण सहायता प्राप्त करके और सरकार द्वारा लघु और सीमान्त कृषकों के लिए राज-सहायता के जरिए कार्यान्वित किया जा रहा है। केवल उच्च क्षमता वाले गहरे नलकूपों अर्थात् सरकारी नलकूपों की स्कीम सरकारी विभागों अथवा निगमों द्वारा स्वयं हाथ में ली जाती है। छठी योजना में निम्नलिखित भौतिक और वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं :—

	भूतल जल	भूमिगत जल	जोड़
(क)—भौतिक (1) सिंचाई क्षमता (मिलियन हैक्टेयर में)	1.0	7.0	8.0
(2) (यूनिट लाख की संख्या में)			
(एक) खुदाई कुएं		12.0	
(दो) गैर-सरकारी उथले नलकूप		12.0	
(तीन) सरकारी नलकूप		0.15	
(चार) पम्पसेटों का ऊर्जन		25.00	
(ख)—वित्तीय (करोड़ रुपयों में)			
(एक) योजना सेक्टर में परिव्यय			

(I) राज्य योजना	1741.30	
(II) केन्द्रीय सेक्टर	70.00	
	.....*	भूमिगत जल
	जोड़ : 1 8 11.30*	सहित, कुल लघु सिंचाई कार्यक्रम के लिए
(दो) संस्थागत निवेश	1700**	(**मुख्यतः भूमिगत जल के विकास के लिए)

दिल्ली को सुन्दर बनाना

2406. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में दिल्ली को सुन्दर बनाने पर वर्ष-वार कितनी धनराशि खर्च की गई है ;

(ख) पिछले तीन वर्षों में दिल्ली में पानी की सप्लाई बढ़ाने पर वर्ष-वार कितनी धनराशि खर्च की गई है ; और

(ग) जब देश के अनेक भागों में पेय जल और चिकित्सा की सुविधायें नहीं हैं तथा उनको सूखे की गम्भीर स्थिति का सामना करना पड़ रहा है तो कुछ शहरों को सुन्दर बनाने पर किए जाने वाले खर्च का औचित्य क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जाएगी ।

सरकारी आवास के आबंटन के लिए अन्तः पूल व्यवस्था

2407. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री सरकारी आवास के अन्तः मूल आवंटन की व्यवस्था के बारे में 26 जुलाई, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2625 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिसमें अन्तः पूल समायोजन अपेक्षित है और वर्ष 1981 तथा 1982 में अलग-अलग कितने ऐसे आवेदन-पत्र अपने स्वयं के विभागीय पूल वाले कार्यालयों में लम्बित थे ;

(ख) उन विभागों द्वारा भिन्न पूल वाले सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को तदर्थ आधार पर क्वार्टरों के आबंटन के लिए क्या प्रयास किए गए हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) क्योंकि माता-पिता के सेवा-निवृत्त होने पर पात्र आश्रितों के लिए तदर्थ आधार पर आवंटन की रियायत में अन्तर्पूल व्यवस्था का प्रावधान नहीं है इसलिए इससे सम्बन्धित मामलों के कोई सांख्यकीय आंकड़े नहीं रखे गए हैं।

(ख) तथा (ग) सरकारी कर्मचारियों के आश्रितो को तदर्थ आबंटन की रियायत राष्ट्रीय परिषद् (जे० सी० एम०) की सिफारिशों पर आधारित है जिनसे अन्तर्पूल की व्यवस्था की सिफारिश नहीं की है। तथापि, उस संदर्भ के आधार पर जो कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग से प्राप्त हुआ था। अन्तर्पूल व्यवस्था करने के प्रश्न पर भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के परामर्श से जांच की गई तथा उनमें से कई विभागों ने उस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण गोदामों का निर्माण

2408. **श्री गुलाम रसूल कोचक :**
श्री एस० बी० सिदनाल :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार पर इस बात के लिए जोर दिया गया है कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में समुचित भंडारण के लिए प्रत्येक जिले में खाद्यान्न भंडारण गोदामों का निर्माण बढ़ाए ;

(ख) यदि हां, तो राज्य भंडागार निगम और केन्द्रीय भंडागार निगम के अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशकों का कोई सम्मेलन 15 सितम्बर, 1982 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो क्या सम्मेलनों में खाद्यान्न भण्डारण के निर्माण पर भी चर्चा की गई थी ; और

(घ) यदि हां, तो अन्य किन-किन विषयों पर चर्चा की गई और क्या निर्णय लिए गए ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) सहकारी समितियों और अन्य एजेन्सियों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त क्षमता का निर्माण करवाने की व्यवस्था है ताकि भण्डारण के लिए बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा किया जा सके।

(ख) सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन और स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशनों के अध्यक्षों और प्रबन्ध निदेशकों का एक सम्मेलन नई दिल्ली में 14 और 15 सितम्बर, 1982 को हुआ था।

(ग) जी, हां।

(घ) कुछेक महत्वपूर्ण मदों पर लिए गए मोटे-मोटे निष्कर्ष बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

कुछेक महत्वपूर्ण मदों पर स्थूल निष्कर्ष :

(1) विविधीकरण की आवश्यकता थी और निगमों को पहले पहल अधिनियम के अधीन उन्हें सौंपे गए कार्यों के ढांचे के अन्दर अपनी गतिविधियों का विस्तार और उनका विविधीकरण करना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए यदि आवश्यक है तो अधिनियम में संशोधन करने पर यथा समय में विचार किया जाए।

(2) किसान विस्तार सेवा योजना को कुछ और क्षेत्रों में लागू करने की आवश्यकता है।

(3) प्रशिक्षण संबंधी सुविधाओं में सुधार लाने के लिए सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन और स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशनों को मिलकर एक प्रशिक्षण संस्थान खोलने की आवश्यकता थीं।

(4) निर्माण संबंधी गतिविधियों को सक्रिय किया जाना चाहिएं ताकि योजनाबद्ध लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

(5) स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशनों को सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन द्वारा अपनाए गए डिजाइन और विनिर्दिष्टियों में स्थानीय जरूरतों के अनुकूल यथा आवश्यक उपयुक्त परिवर्तन कर वेयरहाउसों का निर्माण करवाना चाहिए।

काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत बिहार में आरम्भ की गई योजनाओं की संख्या

2409. **श्री राम विलास पासवान:** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछले दो वर्षों में बिहार राज्य में आरम्भ की गई योजनाओं के नाम और संख्या क्या है; और

(ख) क्या समाज के कमजोर वर्गों को खाद्यान्न भलीभांति वितरित किया गया है और यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) काम के बदले अनाज कार्यक्रम का स्थान अब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ने ले लिया है। अब बाद वाला कार्यक्रम ही चल रहा है केन्द्रीय सरकार के स्तर पर योजना वार ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत मजदूरों को उनकी मजदूरी के रूप में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति एक किलोग्राम खाद्यान्न दिए जाने अपेक्षित है बिहार सरकार से प्राप्त हुई रिपोर्टों से पता चलता है कि उपयोग में लाए गए खाद्यान्नों की मात्रा प्रतिदिन प्रति व्यक्ति एक किलोग्राम के आधार पर अपेक्षित न्यूनतम मात्रा से काफी कम थी और बहुत से मामलों में मजदूरी

का सम्पूर्ण भुगतान नकदी में किया गया था। इस बात को राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है और उन्हें मजदूरों को मजदूरी के रूप में खाद्यान्नों का वितरण निरपवाद रूप से निर्धारित दर पर करने की सलाह दी गई है।

पंत विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का प्रतिनिधि मंडल

2410. **श्री चित्त महाटा:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंत विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने विश्वविद्यालय की समस्याओं के संबंध में प्रधान मंत्री और केन्द्र सरकार के उद्योग मंत्री से हाल ही में भेंट की थी; और

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा बताई गई समस्याएं क्या हैं और उन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां, श्रीमान्। पंत विश्वविद्यालय अध्यापक संघ का एक शिष्टमण्डल उद्योग मंत्री और प्रधान मंत्री से दिनांक 19-9-82 को विश्वविद्यालय की समस्याओं के संबंध में मिला था।

(ख) इस शिष्टमण्डल ने विश्वविद्यालय के डा० राम नारायण, सहायक प्रोफेसर, जीव-रसायन विभाग द्वारा की गयी कथित आत्महत्या के कारणों का पता लगाने के लिए जांच कराने का निवेदन किया। इस मामले को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, जो पंत विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी हैं, भेजा गया। सूचना मिली है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक मजिस्ट्रेट द्वारा जांच के आदेश पहले ही दे दिये थे तथा इसकी न्यायिक जांच कराने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार के विचाराधीन है।

भारतीय गांवों में पेय जल

2411. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 622 करोड़ रुपये खर्च करने के बावजूद केवल 10 प्रतिशत भारतीय गांवों को पेयजल मिल पाया है ("सूर्या" सितम्बर, 1982); और

(ख) क्या ऊर्जा संकट को देखते हुए सरकार का देश में प्रत्येक गांव में हैंडपम्प लगाने का कार्यक्रम है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) 1971 की जनगणना के अनुसार 5.76 लाख ग्रामों में से 2.31 लाख ग्रामों को राज्य सरकारों द्वारा "समस्याग्रस्त ग्रामों" के रूप में घोषित किया गया है जहां 1-4-80 की स्थिति के अनुसार अभी भी स्वच्छ पेय जल मुहैया कराया जाना है।

(ख) सीमित वित्तीय संसाधनों और पहचान में आये अधिक से अधिक समस्याग्रस्त ग्रामों

को लाभान्वित करने के उद्देश्य से राज्य सरकारों पर जोर दिया गया है कि जहां कहीं भी व्यवहार्य हो, हैण्ड पम्पों लगाने जैसे कम लागत के हल ढूंढ निकाले जायं।

जल प्रदाय और मल व्ययन विभाग में दैनिक मजूरी पर काम करने वाले व्यक्ति

2412. **श्री निहाल सिंह** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली नगर निगम के जल प्रदाय और मल व्ययन विभाग में 240 दिन से अधिक समय से कार्य कर रहे पम्प-चालकों, वेलदारों और फिटरों की अलग-अलग संख्या क्या है; और

(ख) उन्हें स्थायी बनाने के लिए क्या माप दण्ड अपनाया गया है और अथवा अपनाया जा रहा है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली प्रशासन के बाढ़ नियंत्रण संबंध में कार्यरत ड्राफ्ट्समैनों को ऊंचे वेतनमान देने की स्वीकृति

2413. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने उनके मंत्रालय से अपने बाढ़ नियंत्रण संबंध में कार्यरत ड्राफ्टसमैन ग्रेड-I, II और III को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के बराबर ऊंचे वेतनमान देने के लिए स्वीकृति मांगी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या स्वीकृति दे दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो स्वीकृति देने में हो रहे विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) दिल्ली प्रशासन के सरकारी कर्मचारियों को ऊंचे वेतनमान स्वीकृति करने से संबंधित मामले इस मंत्रालय के अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आते हैं। दिल्ली प्रशासन को यह सलाह दी गई है कि वे इस मामले को अपने वित्त विभाग तथा अन्य उपयुक्त प्राधिकरणों के साथ उठाएं।

गुजरात में सूखा

2414: **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में 18,000 गांवों में से 5,000 गांव सूखे की चपेट में हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा इस स्थिति पर काबू पाने के लिए किये गये उपायों का ब्यौरा क्या है ? और

(ग) राज्य सरकार को दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) गुजरात सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, कृषि की अलाभकारी परिस्थिति या अलाभ की परिस्थिति या अर्द्ध अभाव की परिस्थिति के कारण लगभग 8000—12000 गांव प्रभावित हुए हैं या प्रभावित होने की सम्भावना है।

(ख) राज्य सरकार के अनुसार, जुलाई, 1982 के मध्य तक कम वर्षा हुई और उसके बाद जो वर्षा हुई वह असमान और अनियमित थी। जिसके फलस्वरूप कृषि की अलाभकर परिस्थिति पैदा हुई। जहां तक उठाये गये कदमों का संबंद्ध है, राज्य सरकार राहत रोजगार तथा जरूरतमन्द क्षेत्रों आदि में टैंकरों द्वारा पानी की सप्लाई की व्यवस्था कर रही है। राज्य सरकार ने चारा तकावी, नकद अनुदान, बीज तकावी आदि को मंजूर करने के लिए भी आदेश जारी कर दिये हैं।

(ग) राज्य सरकार से केन्द्रीय सहायता के लिये कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, राज्य सरकार के पास चालू वर्ष के दौरान 9.56 करोड़ रुपये की सीमान्त धनराशि उपलब्ध है जिसमें से राहत सम्बन्धी व्यय पूरा किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 1.325 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम किस्त के रूप में (जिसमें 6100 मीटरी टन खाद्यान्न भी शामिल है) 2.80 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसके अलावा, भारत सरकार ने खरीफ 1982 के दौरान कृषि आदानों के लिए अल्पावधि ऋण के रूप में 8.50 करोड़ रुपये तथा रबी, 1982 के लिए 2.00 करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं।

गोवा में निर्माणाधीन परियोजनाएं

2415. **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी वर्ष "चोगम" के पश्चात् आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रमण्डलीय राज्याध्यक्षों के सम्मेलन के लिए, उनकी आवास व्यय (रिट्रीट) को ध्यान में रखते हुए गोवा में निर्माण हेतु कौन सी परियोजनायें सोची गई हैं ;

(ख) उनके निर्माण में क्या प्रगति हुई हैं ; और

(ग) इन विभिन्न परियोजनाओं के लिए आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) जहां तक निर्माण और आवास मंत्रालय का सम्बन्ध है, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने "केन्डोलिम—अगुदा में जल पूर्ति का सुधार" नामक एक योजना इस मंत्रालय की तकनीकी स्वीकृति के लिए भेजी थी।

यह योजना तकनीकी रूप से जांची गई तथा गोवा प्रशासन से इस योजना को संशोधित करने का अनुरोध किया गया था।

गोवा प्रशासन इस योजना के लिए अपेक्षित निधियों को उपलब्ध कराने के लिए योजना आयोग से सम्पर्क स्थापित किए हुए है।

ट्रैक्टरों की बिक्री

2416. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1982 के प्रथम आठ महीनों के दौरान, ट्रैक्टरों की बिक्री कम हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) ट्रैक्टरों की बिक्री में कमी हो जाने के कारण प्रभावित हुई ट्रैक्टर बिक्री इकाइयों के नाम क्या हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (ग) ट्रैक्टरों की बिक्री के महीने-वार आंकड़े उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति दर्शाते हैं तथा कृषि के ट्रैक्टरों का विनिर्माण करने वाली सभी यूनिटों के सम्बन्ध में 1982 के प्रथम 8 महीनों में ट्रैक्टरों की कुल बिक्री 1981 के इसी अवधि के दौरान की बिक्री की तुलना में कम बताई गई है, परन्तु यह अन्तर 1980 में तथा 1979 में इसी अवधि में हुई बिक्री की तुलना में बहुत अधिक नहीं है। ट्रैक्टरों की बिक्री अनेक बातों से प्रभावित होती है, जैसे कि मूल्य में वृद्धि, वास्तविक मांग में कमी, निर्धारित मूल्यों पर मांग एवं पूर्ति का वास्तविक सामंजस्य, वर्षा, फसल संभाव्यताएं, ऋण की उपलब्धि, बिक्री के बाद सेवा, बिक्री संवर्धन प्रयास आदि ; अर्थव्यवस्था पर मुद्रा स्फीति के दबाव को रोकने के लिए 1981 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किए गए ऋण प्रतिबन्ध उपायों में इस वर्ष अप्रैल से दी गई छूट से बैंकों की मुद्रा प्रसार में काफी अधिक सुधार हुआ है तथा बैंकों को सलाह दी गई है कि वे उत्पादक उद्देश्यों के लिए सभी यथार्थ ऋण मांग को पूरा करें तथा ट्रैक्टरों की खरीद करने के लिए ऋण के आवेदन पत्रों को निपटाने में शीघ्र कार्रवाही करें।

मायापुरी और नांगल राया जैन रोड के बीच की अप्रयुक्त बंजर भूमि

2417. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मायापुरी और नांगल राया जैन रोड रिहायशी ब्लाक के बीच बंजर भूमि की एक लम्बी और संकरी पट्टी पड़ी हुई है जिसमें जंगली घास उग आई है और जहां पर लोग दोनों समय दैनिक चर्या से निवृत्त होते हैं जिससे वहां पर अस्वास्थ्यकर स्थिति पैदा हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो सामने की और निर्माणाधीन ऊपरी पुल के कारण उपलब्ध न होने पर दुकानदारों के लिए आवश्यक वस्तुयें लाने के लिए वाहनों के लिए रास्ता छोड़कर इसके आस-पास के निवासियों को स्वास्थ्य वातावरण देने हेतु इसे एक पार्क में विकसित नहीं करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि हां, तो पर्यावरण स्थितियों को सुधारने और वहां पर चल रही अस्वास्थ्यकर स्थिति को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि यह कहना सत्य नहीं है कि इस भूमि का कोई उपयोग नहीं हो रहा है ।

(ख) तथा (ग) यह क्षेत्र 22 एकड़ के लगभग है जिसमें से 18 एकड़ भूमि पर एक उद्यान बनाया गया है, जिसमें पेड़ भी लगाये गए हैं। शेष क्षेत्र विकासाधीन है । कालोनी के साथ-साथ आने जाने के लिए रास्ता छोड़ने के पश्चात् भूमि पर बाड़ लगाई गई है ।

भीकाजी कामा बाजार, नई दिल्ली में दमकल केन्द्र

2418. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** भीकाजी कामा बाजार, नई दिल्ली में दमकल केन्द्र स्थापित करने के बारे में 14 सितम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4105 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दमकल केन्द्र स्थापित करने का कार्य शुरू हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

ई० ई० सी० के उत्पादों के आयात के लिए सारणीकरण एजेन्सी के रूप में डेरी बोर्ड

2419. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सभी विकास बोर्डों को यह अनुमति देने का है कि वे सभी मामलों को अपनी इच्छानुसार निपटें जैसाकि डेरी बोर्ड में होता है ;

(ख) क्या सरकार का विचार ई० ई० सी० के उत्पादों के आयात के लिए डेरी बोर्ड को सरणीकरण एजेन्सी के रूप में नियुक्त करने तथा उनको अभी हाल ही में पाकिस्तान, साऊदी अरब, नेपाल, फिलीपीन के रूप में मिली सफलता को ध्यान में रखकर उनका "ग्लोबल बेसिस" पर निपटान की योजना बनाने का है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार विदेशी मुद्रा में हो रही कमी को ध्यान में रखकर इस कार्य के लिए विदेशी मुद्रा में न्यूनतम फीस निर्धारित करने का है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (ग) इस प्रकार के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

कृषि मूल्य आयोग में किसानों का प्रतिनिधित्व और कृषि मूल्य आयोग के ढांचे के प्रबन्ध में किसानों के बीच असन्तोष

2420. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि मूल्य आयोग के ढांचे और कार्यचालन पर किसानों के बीच में काफी असन्तोष व्याप्त है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या किसानों को वेहतर प्रतिनिधित्व देकर आयोग का पुर्नगठन किया जाएगा और कृषि वस्तुओं के मूल्य निर्धारण करने के मानदण्डों की पुनरीक्षा की जाएगी ताकि यातायात प्रभारों और किसानों के जीवन यापन लागत सहित कृषि उत्पादों की लागत और मूल्यों में सम्पर्क स्थापित किया जा सके ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, नहीं। कृषि मूल्य आयोग की संरचना तथा उसकी कार्यप्रणाली के बारे में किसानों में कोई व्यापक असन्तोष नहीं है। यद्यपि समय-समय पर कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए, जिनमें कृषि मूल्य आयोग में किसानों का वेहतर प्रतिनिधित्व होने का सुझाव दिया गया है।

(ख) कृषि मूल्य आयोग को पुनर्गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यह राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों के आधार पर पुनर्गठित किया गया था और इसमें किसानों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य होता है। 1980 में लागू संशोधित विचारार्थ विषयों के अनुसार, आयोग मूल्य नीति पर अपनी सिफारिशों का निरुपण करते समय, अन्य बातों के साथ-साथ उत्पादन लागत, आदान मूल्यों में परिवर्तन, गांव से खरीद केन्द्र/मण्डी/परिसंकरण केन्द्र तक उपज की परिवहन लागत तथा कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तों में हुए परिवर्तनों को ध्यान में रखता है।

सूखे की संभावना वाले तथा रेगिस्तानी क्षेत्रों का विकास

2421. **श्री कुंभा राम आर्य** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूखे की संभावना वाले तथा रेगिस्तानी क्षेत्रों के विकास सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति के प्रतिवेदन में क्या-क्या सिफारिशें की गई हैं ; और

(ख) इन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम से संबन्धित कार्य दल की मुख्य सिफारिशें नीचे दी गई हैं :—

1. सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम के बीच वर्तमान परस्पर व्यापन, जिनके मोटे तौर पर उद्देश्य एक जैसे हैं, को ससाप्त किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में (कच्छ को छोड़कर जहां सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम को चलाया जाना चाहिए) मरुभूमि विकास कार्यक्रम को एक अकेले कार्यक्रम के रूप में चलाया जाना चाहिए।

2. सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के निम्नलिखित उद्देश्य होने चाहिए :

(क) क्षेत्र के भू-जल-जलवायु स्रोत के आधार पर अधिक उत्पादन वाली शुष्क भूमि खेती को बढ़ावा देना ;

(ख) क्षेत्र के जल संसाधनों का विकास और उनका उत्पादन के लिए उपयोग ;

(ग) भू तथा नमी संरक्षण जिसमें भूमि के उपयोग की उचित पद्धतियों को बढ़ावा देना शामिल है ;

(घ) वनरोपण जिसमें फार्म वानिकी भी शामिल है ; और

(ङ) चारागाह तथा चारा संसाधनों के विकास सहित पशुधन विकास ;

3. प्रत्येक क्षेत्र की जल खपत निर्धारित करने हेतु नियमित रूप से अन्तर-क्षेत्रीय अध्ययन किए जाने चाहिए तथा अधिक उत्पादी फसल पद्धति के लिए एक कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए। इस प्रकार की प्रत्येक पद्धति में अनुसंधान तथा विस्तार प्रयासों में एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिए।

4. चारागाह क्षेत्रों की उत्पादकता में वृद्धि करने तथा चारागाह वाले क्षेत्र की कमी को रोकने पर अधिक बल दिए जाने की आवश्यकता है।

5. सार्वजनिक भूमि पर वनरोपण करने के अलावा, व्यक्तिगत सीमान्त तथा उप-सीमान्त भूमि में वनरोपण के विकास पर अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। ठंडे मरुक्षेत्र में वानिकी अनुसंधान को बढ़ाया जाना चाहिए।

6. रेगिस्तानी क्षेत्रों में रेत के टीलों को जमाना महत्वपूर्ण है। जहां बालू वाले क्षेत्र निजी स्वामित्व में हैं, वहां सरकार द्वारा भूमि अर्जित की जानी चाहिए।

7. डेयरी विकास के लिए सहायता अधिमानतः निम्न स्तरीय गतिविधियों से सम्बन्धित होनी चाहिए तथा फ्रीसेसिंग परिवहन तथा विपणन के लिए सहायता कम की जानी चाहिए।

8. वर्षा के पानी का संचयन करने तथा इसका अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। खात कूपों के लिए उत्पादन दिया जाता रहना चाहिए।

9. सिंचाई संभाव्यता के उपयोग को बढ़ाया जाना चाहिए ।

10. भू-संरक्षण को एक प्राथमिकता वाले कार्यक्रम के रूप में जारी रखा जाना चाहिए लेकिन परियोजना निधियों का ऋणों के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए ।

11. ग्रामीण क्षेत्र में अलग-अलग विकास कार्यक्रमों के बीच घनिष्ट सम्पर्क होना चाहिए ।

12. विभिन्न क्षेत्रों में सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए ।

13. इनका नियमित मूल्यांकन किया जाना चाहिए—(क) विभिन्न परियोजनाओं में विशिष्ट कार्यक्रम गतिविधियां, और (ख) राज्य सरकार द्वारा एक परियोजना में सम्पूर्ण कार्यक्रम । राज्य स्तर पर कार्यान्वयन पर नियमित रूप से निगरानी रखी जानी चाहिए तथा विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों की जांच करने के प्रयास किए जाने चाहिए । राज्य सरकारों को अलग-अलग परियोजना क्षेत्रों के लिए योजनाएं तैयार करने हेतु सम्बद्ध क्षेत्र के अनुभवी कार्मिकों के दल गठित करने चाहिए तथा कार्यान्वयन के ब्यौरे भी तैयार किए जाने चाहिए ।

14. मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आबंटन भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार होने चाहिए । तथापि, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रति खण्ड 15 लाख रुपये की दर से आबंटन जारी रखे जाएं । व्यय को केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच बराबर-बराबर के आधार पर किया जाना जारी रखा जाना चाहिए ।

(ख) सरकार ने कार्यदल की रिपोर्ट पर विचार कर लिया है और इसकी मुख्य सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ।

ग्राम पंचायतों को सांविधिक मान्यता

2422. **श्री कुंभा राम आर्य** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्राम पंचायतों, तहसील समितियों और जिलापरिषदों और लोगों को अपनी समस्याएं स्वयं हल करने और अपने कार्यकलाप स्वयं करने के दृष्टिकोण से उनको सांविधिक मान्यता देने के मार्ग में क्या-क्या बाधाएं हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार पंचायत राज्य की स्थापना के लिए सांविधिक प्राविधान बनाने का है ताकि लोग अपनी समस्याएं हल करने और अपने कार्य-कलाप स्वयं करने में सक्षम हो सकें ;

(ग) यदि हां, तो कब तक ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) पंचायती

राज राज्य का विषय होने के कारण भारत सरकार केवल व्यापक नीति सम्बन्धी मामले ही देखती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) राज्य सरकारें पंचायती राज निकायों की शक्तियों तथा कार्यों के बारे में कानून बनाती है। कुछेक राज्य विधानों में न्याय पंचायतों के लिए भी व्यवस्था है।

भूमि की चकबन्दी

2423. **श्री कुंभा राम आर्य** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन राज्यों में चकबन्दी का कार्य पूरा हो गया है, उनके नाम क्या हैं ;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें चकबन्दी का कार्य पूरा नहीं हुआ है ;

(ग) उन तीन राज्यों के नाम क्या हैं जो चकबन्दी के मामले में और राज्यों की तुलना में बहुत पीछे हैं और

(घ) इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) व (ख) पंजाब तथा हरियाणा में चकबन्दी का कार्य पूरा हो चुका है। उत्तर प्रदेश में लगभग 90 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है। बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचलप्रदेश, कर्नाटक तथा मध्य प्रदेश में यह कार्य प्रगति पर है।

(ग) व (घ) कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में यह कार्य अपेक्षाकृत धीमा चल रहा है क्योंकि यह स्वैच्छिक कार्य है।

सिंचाई परियोजनाओं का आधुनिकीकरण

2424. **श्री चित्त बसु** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 50 सिंचाई परियोजनाओं का आधुनिकीकरण करने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो परियोजनाओं के नाम क्या हैं और आधुनिकीकरण योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस उद्देश्य के लिए कितने नये पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी; और

(घ) उनसे कितना अतिरिक्त लाभ होगा ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) अब तक राज्य सरकारों द्वारा 36 आधुनिकीकरण स्कीमें तैयार की गई हैं तथा केन्द्रीय जल आयोग को भेजी गई हैं।

(ख) से (घ) विस्तृत सूचना को दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

आधुनिकीकरण स्कीमों का ब्यौरा

क्रम संख्या	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	लागत, रुपये में	लाभ, हजार हैक्टेयर में
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	कृष्णा डेल्टा प्रणाली का आधुनिकीकरण	29171.00	18.09
2.	बिहार	कर्मनासा सिंचाई स्कीम का आधुनिकीकरण	704.00	12.55
3.	तदैव	दुर्गावती नहर की आधुनिकीकरण स्कीम	1246.00	1757
4.	तदैव	कांची सिंचाई स्कीम का पुनिकरण	485.57	16.19
5.	तदैव	सोन नहर आधुनिकीकरण स्कीम	33918.40	433.82
6.	तदैव	कमला सिंचाई स्कीम का आधुनिकीकरण	1149.00	25.95
7.	तदैव	खुदिया जलाशय स्कीम	296.14	0.60
8.	गुजरात	खारीकट नहर प्रणाली (अहमदाबाद) का आधुनिकीकरण	547.423	1.80
9.	तदैव	शभुंजी (पोली थाना) (भावनगर) का आधुनिकीकरण	1343.70	0.20 (नगण्य)
10.	तदैव	फतेवाड़ी नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण (अहमदाबाद)	1350.65	9.70

1	2	3	4	5
11.	तदैव	मच्छु-I (राजकोट) का आधुनिकीकरण	580.04	2.60
12.	गुजरात	उकई ककरापार (सूरत) का आधुनिकीकरण	7125.48	52.857
13.	तदैव	दन्तीवाड़ा जलाशय परियोजना (सांभरकाठा और मेहसाना) का आधुनिकीकरण	1952.91	4.90
14.	तदैव	भादर परियोजना (राजकोट) का आधुनिकीकरण	1015.00	4.62
15.	हरियाणा	वर्तमान चैनलो-सोपान-I का आधुनिकीकरण	7711.00	96.377
16.	तदैव	वर्तमान चैनलों सोपान-II का आधुनिकीकरण	8978.00	116.140
17.	कर्नाटक	तुंगभद्रा परियोजना (बेलेरी) का वर्तमान सिंचाई प्रणाली का आधुनिकीकरण	1877.35	6.00
18.	तदैव	तुंगभद्रा बोर्ड की (कर्नाटक) में बेलेरी जिला और आंध्र प्रदेश में अनंतपुर) की तुंगभद्रा परियोजना की दक्षिण तट की उच्च स्तरीय नहर का सुधार	158.57	6.475
19.	कर्नाटक	तुंगभद्रा बोर्ड (कर्नाटक) (कर्नाटक में बेलेरी और आंध्र प्रदेश में करजूल जिले) की तुंगभद्रा परियोजना की दक्षिण तट		

1	2	3	4	5
		की विद्युत नहर और उच्चस्तरीय नहर का सुधार	415.65	8.498
20.	पंजाब	पंजाब सिंचाई परियोजना सोपान-II) चैनलों आदि का पक्का करना)	36448	493.550
21.	तदैव	चैनलों, वितरणियों और माइनरों को पक्का करने के लिए पंजाब सिंचाई परियोजना सोपान-I	15203	236.437
22.	तदैव	शाह नाहर नहर प्रणाली का विस्तार और सुधार	1062.79	641.87
23.	तदैव	फरीदकोट वितरण प्रणाली को पक्का करना	80.72	1.462
24.	राजस्थान	मालवा सिंचाई का आधुनिकीकरण	258.84	0.641
25.	तदैव	गुडहा सिंचाई का आधुनिकीकरण	225.50	4.488
26.	तदैव	पारवती नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण	184.04	6.995
27.	तदैव	मोरेल सिंचाई का आधुनिकीकरण	1000.00	11.230
28.	राजस्थान	जयसमन्द का आधुनिकीकरण	625.00	8.349
29.	तदैव	गम्बजीरी नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण	449.80	5.050
30.	तमिलनाडु	कावेरी डेल्टा (थन्जवर) का आधुनिकीकरण	4200.00	176.00

1	2	3	4	5
31.	तदैव	पैरियार-वैगई का आधुनिकीकरण	4104.00	26.00
32.	तदैव	नर्मदानार चैनल और कोडयार प्रणाली की इसकी शाखाओं का आधुनिकीकरण	280.00	0.93
33.	उत्तर प्रदेश	अपर गंगा नहर का आधुनिकीकरण	1167.00	51.40
34.	तदैव	घाघरा नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण	780.54	शून्य
35.	पं० बंगाल	दा० घा० नि० आधुनिकीकरण स्कीम सोपान-I	1570.00	82.77
36.	तदैव	कंसावती जलाशय परियोजना का आधुनिकीकरण	28.55	32.37
		जोड़ :	167,093.38	1614.39
		अर्थात्	1670 करोड़ रु०	1.61 मि० हैक्टेयर

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया खर्च

2425. **डा० ए० य० आजमी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निम्नलिखित में प्रत्येक पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा पांचवीं योजना में वास्तव में कितना व्यय किया गया और छठी योजना में उनके लिए परिव्यय कितना है :

भा० कृ० अ० प० संस्थान, समन्वित परियोजनाएं शिक्षा और विश्व बैंक/विदेशों में सहायता प्राप्त परियोजनाएं :

(ख) उक्त श्रेणियों के अन्तर्गत प्रस्तावित राशि में से मध्य योजना अवधि तक कितनी प्रत्येक योजना बजट की राशि का उपयोग किया गया ;

(ग) पांचवीं योजना में भवनों, उपकरणों, वेतन और भत्तों और आकस्मिक फुटकर व्यय पर प्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत वास्तविक व्यय का प्रतिशत क्या है ;

(घ) छठी योजना में प्रत्येक श्रेणी में स्वीकृत और उपशीर्षवार व्यय की गई राशि का प्रतिशत क्या है ; और

(ङ) प्रत्येक भा० कृ० अ० प० संस्थान के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग/राज्य सार्वजनिक विभागों के पास कितनी राशि जमा की गई जो 1-4-1982 से बकाया थी और जिसके कारण कार्य अधूरा पड़ा था और 1-4-1980 को ऐसी ही राशि का संस्थानवार ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन्) : (क) राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों, मुख्यालयों और प्रकाशन सहित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों, प्रायोजना निदेशालयों सहित समन्वित प्रायोजनाओं, कृषि शिक्षा और विदेशी सहायता प्राप्त प्रायोजनाओं सहित विश्व बैंक के वर्गों के अन्तर्गत दिनांक 30-9-82 तक छठी पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित परिव्यय और पांचवीं योजना (1974-78) के दौरान किए गए वास्तविक खर्च को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) विगत सभी योजनाओं के सम्बन्ध में मांगी गई तुलनात्मक सूचना को इन योजनाओं के अभिलेखों से पुनः प्राप्त करना संभव नहीं है, क्योंकि अब समय बहुत बीत चुका है।

(ग) और (घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में लेखों का हिसाब रखते समय समन्वित प्रायोजनाओं, शिक्षा और विदेशी सहायता प्राप्त प्रायोजनाओं के सम्बन्ध में विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत किए गए खर्च का विस्तृत ब्यौरा नहीं दर्शाया जाता है। इसलिए यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ङ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और जैसे ही यह उपलब्ध होगी, सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

दिनांक 30-9-82 तक के परिव्यय का ब्यौरा और वर्ष 1974 से 1978 तक के वास्तविक खर्च को दर्शाने वाला विवरण

(राशि लाखों में)

	30-9-82 तक परिव्यय	पांचवीं योजना के चार वर्षों (1974 से 1978) का वास्तविक खर्च
1. राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों, मुख्यालयों और प्रकाशनों सहित संस्थायें	12359.50	4338.56

1	2	3	4
2.	प्रायोजना निदेशालय और समन्वित प्रायोजनाएं	8069.54	2460.82
3.	कृषि शिक्षा	7231.01	3748.73
4.	विश्व बैंक और विदेशी सहायता प्राप्त प्रायोजनाएं	5117.67	23.79
	जोड़ :	32777.72	10571.90

एशियाड के प्रतीक का डिजाइन

2426. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एशियाड के प्रतीक (अप्पू) का डिजाइन एफ० डी० स्टुआर्ट एण्ड कम्पनी के माध्यम से बम्बई के श्री प्रदीप पावले द्वारा प्रस्तुत किया गया था, यदि हां, तो इसके लिए श्री पावले और मैसर्स एफ० डी० स्टुआर्ट एण्ड कम्पनी को कितनी धनराशि दी गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि अनुमोदित प्रतीक (ट्रेड मार्क) को श्री राजेन्द्रनाथ सरकार के नाम उनके आमुख सहित प्रकाशित किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और श्री सरकार को कितनी धनराशि दी गई है ; और

(घ) इस डिजाइन का असली निर्माता कौन है और क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच की है ?

पूर्ति मंत्रालय के तथा खेल विभाग के राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 1982 के एशियाई खेलों की विशेष आयोजन समिति द्वारा अनुमोदित एशियाड के प्रतीक (अप्पू) का डिजाइन मैसर्स एफ० डी० स्टुआर्ट द्वारा तैयार किया गया था और इसके लिए उन्हें समिति द्वारा 25,000 रुपये दिए गए थे।

(ख) 1982 के एशियाई खेलों की विशेष आयोजन समिति के किसी भी सरकारी प्रकाशन में ऐसा कोई नाम नहीं दर्शाया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) विशेष आयोजन समिति ने यह डिजाइन मैसर्स एफ० डी० स्टुआर्ट से प्राप्त किया था। सरकार ने इसकी कोई जांच नहीं की है।

निर्यात आदेश स्वीकार करने में विलम्ब के विषय में नाइजरसीड निर्यातकों की नेफेड के खिलाफ शिकायतें

2427. **डा० बसन्त कुमार पण्डित** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन फेडरेशन (नेफेड) के खिलाफ नाइजरसीड निर्यातकों ने गम्भीर शिकायतें की हैं जिसमें व्यापार क्षेत्र के लिए निर्यात हेतु प्रस्तावों को स्वीकार करने में विलम्ब करने का आरोप लगाया गया है ;

(ख) क्या वाणिज्य मंत्रालय के नियंत्रणाधीन निर्यात व्यापार नियंत्रण ने 3 जुलाई के सार्वजनिक नोटिस संख्या 85/82 द्वारा इस विषय में स्थिति स्पष्ट कर दी थी ;

(ग) नेफेड द्वारा व्यापार नोटिस जारी करने में विलम्ब के कारण क्या हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि नेफेड के पास नाइजरसीड का अनबिका विशाल भण्डार है जिसमें 0.5 प्रतिशत की सीमा तक विदेशी माल मिश्रित है ;

(ङ) क्या नाइजरसीड निर्यात करने में नेफेड को एकाधिकार प्राप्त है जबकि व्यापार क्षेत्रों द्वारा निर्यात की अधिक संभावनाएं हैं ; और

(च) क्या मंत्रालय ने उक्त स्थिति को सुलझाने के लिए कोई कदम उठाए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) से (ग) रामतिल के निर्यात करने के इच्छुक निजी व्यापारियों से भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसमें रामतिल के निर्यात करने के लिए दिए गए प्रस्तावों को स्वीकार करने में विलम्ब करने का आरोप लगाया गया है। नेफेड ने स्पष्ट किया है कि रामतिल का व्यापार करने वाली एजेंसी के रूप में नेफेड को नियुक्त किए जाने के पश्चात निजी व्यापार को प्रथम बार जिन्स के निर्यात से सम्बद्ध किया जा रहा था। अतः सरकार के परामर्श से रामतिल के निर्यात में निजी व्यापार को सम्बद्ध करने के लिए विस्तृत कार्यपद्धति का निर्धारण किया जाना था।

(घ) नेफेड के पास आदिवासियों को लाभकारी मूल्य देकर आदिवासी सहकारी विकास निगम के माध्यम से आदिवासियों से सीधे खरीदे गए रामतिल का स्टाक है। आमतौर पर रामतिल के स्टाक में कुछ दूसरे पदार्थ होते हैं। निर्यात करने से पूर्व इस स्टाक को और साफ करने की जरूरत होती है।

(ङ) राम तिल के निर्यात में अब निजी व्यापार भी शामिल है, अतः नेफेड का एकाधिकार नहीं है। रामतिल के निर्यात के उद्देश्य न केवल अधिकतम विदेशी मुद्रा का अर्जन होना चाहिए, अपितु उत्पादनों के लिए बेहतर मूल्य सुनिश्चित करना भी होना चाहिए। नेफेड को 1978-79 से रामतिल का निर्यात करने वाली एजेंसी नियुक्त किया गया था। तब से रामतिल के निर्यात में भारत का कार्य निष्पादन निर्यात एजेंसी नियुक्त करने से पूर्व की तुलना में, निर्यात की गई

मात्रा तथा प्रति यूनिट प्राप्ति दोनों में ही बेहतर रहा, जो निम्नलिखित सारणी में देखा जा सकता है :

क्रम सं०	वर्ष (वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक)	निर्यात की गई मात्रा (मीटरी टन)	प्रति यूनिट मूल्य प्राप्ति (पोत पर्यन्त नि शुल्क) प्रति मीटरी टन
1	2	3	4
1.	1974-75	5133	3478 व्यापार द्वारा
2.	1975-76	12014	2750 व्यापार द्वारा
3.	1976-77	9441	2613 व्यापार द्वारा
4.	1977-78	3736	4694 व्यापार द्वारा
5.	1978-79	6469	8795 नेफेड द्वारा
6.	1979-80	5087	7536 नेफेड द्वारा
7.	1980-81	7620	7423 नेफेड द्वारा
8.	1981-82	8843	10150 नेफेड द्वारा

रामतिल मुख्यतया आदिवासी उत्पाद होता है । निर्यात एजेंसी नियुक्त किए जाने से पूर्व आदिवासियों को दिया जाने वाला औसत मूल्य लगभग 175 रुपये प्रति क्विंटल होता था, जबकि नेफेड ने 1981-82 फसल मौसम के दौरान आदिवासियों को 450 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य दिया है ।

(च) जी, हां ।

ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी को जोड़ा जाना तथा गंगा जल का बटवारा

2428. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**
श्री हरीश रावत :

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रह्मपुत्र-गंगा को जोड़े जाने संबन्धी भारत के बंगलादेश सरकार को किये गए प्रस्ताव तथा गंगा जल के बटवारे के समझौते की स्थिति क्या है ;

(ख) क्या बंगलादेश के मुख्य मार्शल-ला प्रशासक की हमारे देश की यात्रा के दौरान इस संबन्ध में कोई नये कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) जल की कमी वाले मौसम के दौरान, फरक्का में गंगा नदी में प्राकृतिक प्रवाह भारत की पूरी आवश्यकताओं और निचली और बंगलादेश में उचित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस प्रयोजन के लिए, भारत सरकार फरक्का के स्थान पर प्रवाह में वृद्धि करने के लिए प्रयत्न करती रही है और भारत ने ब्रह्मपुत्र-लिंक नहर परियोजना का प्रस्ताव किया है।

बंगलादेश सरकार की मंत्रिपरिषद् के अध्यक्ष, लेफ्टिनेन्ट जनरल एच० एम० इरशाद की 6 तथा 7 अक्तूबर, 1982 की यात्रा और प्रधानमंत्री के साथ हुई उनकी बैठकों के अनुसरण में, भारत-बंगलादेश के एक समझौता ज्ञापन पर भारत तथा बंगलादेश के विदेश मंत्रियों द्वारा 7 अक्तूबर, 1982 को हस्ताक्षर किए गए थे। इसके अनुसार, दोनों नेताओं ने इस बात को स्वीकार किया कि फरक्का में उपलब्ध गंगा के अपर्याप्त जल प्रवाह की मूलभूत समस्या के समाधान के लिए दोनों देशों की ओर से कुछ त्याग किया जाना अपेक्षित है और कि फरक्का में उपलब्ध जल के व एक उचित बटवारे के बारे में समझौता करना आवश्यक है। वे इस बात पर सहमत हुए कि इसका दीर्घकालिक समाधान फरक्का में उपलब्ध प्रवाह में वृद्धि करने से हो सकता है और इस उद्देश्य के लिए, उन्होंने उन स्कीमों, जिन्हें इष्टतम समाधान तय करने के उद्देश्य से किसी भी तत्काल कार्यान्वयन के लिए किसी पक्ष द्वारा प्रस्तावित किया गया था, की आर्थिक तथा तकनीकी व्यवहार्यता के अध्ययन शीघ्रतापूर्वक करने के लिए अपने-अपने संबंधित विशेषज्ञों को निदेश दिए थे। यह निर्णय किया गया कि संयुक्त नदी आयोग पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन पूरा करेगा और 18 महीनों के अन्दर इष्टतम समाधान के बारे में निर्णय लेगा, जिसके अंत में दोनों सरकारें संयुक्त नदी आयोग द्वारा सम्मत आवर्धन प्रस्ताव को तुरन्त क्रियान्वित करेंगी। इस बीच, दोनों नेता आगामी दो शुष्क ऋतुओं के लिए फरक्का में उपलब्ध प्रवाह के बटवारे के लिए जल छोड़े जाने, और इस प्रयोजन के लिए संयुक्त निरीक्षण तथा मानीटरिंग के प्रबन्ध करने के लिए सहमत हो गए थे। इस बारे में भी सहमति हुई थी कि आगामी दो शुष्क ऋतुओं में से किसी एक ऋतु के दौरान असाधारणरूप से कम प्रवाह होने के मामले में, दोनों सरकारें तत्काल परामर्श करेंगी और यह निर्णय करेंगी कि दोनों में से किसी भी देश पर पड़ने वाले भार को किस प्रकार न्यूनतम किया जाए।

इस बात पर भी सहमति हुई थी कि आवर्धन के लिए इष्टतम समाधान पर निर्णय को दृष्टि में रखकर, जिसे पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन के पश्चात् क्रियान्वित किया जाएगा, आवर्धन संबंधी पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन के पूर्ण हो जाने के तुरन्त बाद, जल के बटवारे के बारे में एक और तथा अन्तिम करार किया जाएगा।

डेरी बोर्ड की वाणिज्यिक गतिविधियाँ

2429. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि डेरी बोर्ड और डी० सी० एम० एम० एफ०

ने जिनका चेयरमैन एक ही व्यक्ति है एक काटन-टैक्सटाइल मिल का अधिग्रहण किया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या डेरी बोर्ड, जो एक पंजीकृत सोसाइटी है, वाणिज्यिक गतिविधियां करने के लिये प्रतिबन्धित है और इन्हीं कारणों से सरकार ने वर्ष 1969 में डेरी निगम की स्थापना की थी ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अथवा जी० सी० एम० एम० एफ० ने कोई कपड़ा मिल का अधिग्रहण नहीं किया है ।

(ख) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, बोर्ड के संगम की नियमावली में दिए गए प्रावधानों के अनुसार कार्य कर रहा है ।

भारतीय डेरी निगम की स्थापना मुख्यत: उपहार में मिले दुग्धउत्पादों के संभाल, भंडारण तथा सार्वजनिक क्षेत्र की डेरियों को बिक्री करने, सृजित निधियों की संभाल तथा परियोजना के विकासात्मक कार्यक्रमों का समन्वय करने से सम्बन्धित विभिन्न कार्यकलाप शुरू करने के लिए की गई थी, ताकि विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा दिया गया स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण और बटर आयल से सृजित निधियों से दुग्ध विपणन तथा डेरी विकास को प्रोत्साहन मिल सके ।

वास्तु शिल्प विज्ञान का कार्यकरण

2430. **श्री डूमर लाल बैठा : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वास्तुकला विज्ञान राज्यों, साथ ही साथ केन्द्र के विभिन्न विभागों के सिविल इंजीनियरों के नियन्त्रण में कार्य कर रहा है जिससे इसके स्वावलम्बी और स्वतन्त्र कार्यकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ;

(ख) क्या कुल कार्यभार के 1.75% पर आधारित वास्तुशिल्प संस्थाओं के स्वीकृत नियमों का भी पालन नहीं किया जाता है जिसका परिणाम होता है कि डिजाइन या तो ज्यादा विचार किए बिना बनाए जाते हैं अथवा पुरानी किस्म के डिजाइन तैयार किए जाते हैं ;

(ग) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में महानिदेशक (निर्माण) के आदेशों के अनुसार सभी वरिष्ठ वास्तु शिल्पकारों को मुख्य अभियन्ताओं के अन्तर्गत रखा जाता है ;

(घ) यदि वास्तुशिल्प को एक स्वतंत्र विभाग बनाया जाता है तो क्या इसमें कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार वास्तु शिल्प विज्ञान को एक स्वतन्त्र निकाय बनाने पर विचार करेगी यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

डी० डी० ए० के विकास डिवीजन संख्या पांच में कनिष्ठ अभियन्ताओं की नियुक्ति

2431. **श्री गुलाम रसूल कोचक** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के विकास डिवीजन संख्या पांच ने कुछ कनिष्ठ अभियन्ताओं की नियुक्तियों में कुछ अनियमितताएं की गई हैं ;

(ख) ऐसे कनिष्ठ अभियन्ताओं का ब्यौरा क्या है और डी० डी० ए० में उनकी नियुक्ति कब से की गई है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन कनिष्ठ अभियन्ताओं ने डी० डी० ए० द्वारा उनको गलत वेतन भुगतान करने के कारण एक लाख रुपये की धनराशि डुबा दी है ;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है और किस सीमा तक ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इसका खण्डन किया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इसका भी खण्डन किया है ।

(घ) तथा (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

एशियाई खेलों संबंधी परियोजनाओं पर खर्च की गई धनराशि

2432. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या खेल मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में एशियाई खेलों के संबंध में उपरि पुलों के निर्माण, सड़कों को चौड़ा करने, खेल गांव, स्टेडियम का निर्माण करने पुरानों की मरम्मत करने तथा नये स्टेडियम बनाने तथा आधार भूत ढांचे जैसे विभिन्न निर्माण कार्यों पर अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च हुई है ;

(ख) क्या इस पूरे खर्च की लेखा परीक्षा पहले ही हो चुकी है अथवा खर्च के बाद की जायेगी ; और

(ग) भंडारों में चोरी अथवा हेराफेरी होने, कर्मचारियों और ठेकेदारों द्वारा धोखा-धड़ी करने जैसे विभिन्न मार्गों से अनुमानत: कितनी धनराशि का नुकसान हुआ है तथा प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

पूर्ति मंत्रालय के तथा खेल विभाग के राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) एशियाड परियोजनाओं पर खेल विभाग द्वारा 30 सितम्बर, 1982 तक दर्ज किया गया कुल खर्च 40.12 करोड़ रुपये है जिसमें एशियाड स्टेडियमों के निर्माण/नवीनीकरण पर 32.09 करोड़ रुपये शामिल हैं।

जहां तक गैर-एशियाड परियोजनाओं जैसे ओवर ब्रिजों, होटलों, सीरी फोर्ट के समीप आवासीय फ्लैटों के निर्माण और सड़कों को चौड़ा करने आदि का सम्बन्ध है, ये सम्बंधित एजेंसियों के सामान्य विकास कार्यक्रम हैं जिनमें से कुछ को समय से पहले किया गया है ताकि एशियाड के लिए उनका लाभ भी मिल सके।

(ख) एशियाड परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रभारी एजेंसियों ने सूचित किया है कि वे खर्च से सम्बन्धित लेखा परीक्षा की अपनी सामान्य प्रक्रिया ही अपना रही हैं जो उनके सामान्य कार्यकरण के लिए निर्धारित विभिन्न संहिताओं और प्रक्रियाओं के अंतर्गत अन्यथा लागू होती हैं। हर एजेंसी की लेखा परीक्षा प्रणाली अलग-अलग है। कुछ मामलों में पूर्व-लेखा परीक्षा और उत्तर-लेखा परीक्षा दोनों ही होती हैं जबकि अन्य मामलों में केवल उत्तर-लेखा परीक्षा ही होती है।

(ग) भंडारों से चोरी अथवा अधिकारियों/ठेकेदारों द्वारा धोखा-धड़ी का कोई मामला खेल विभाग के ध्यान में नहीं आया है।

हरिजनों द्वारा मल को सिर पर ढोये जाने को रोकने हेतु कानून

2433. श्री मूलचन्द डागा : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में हजारों हरिजनों द्वारा मल की अपने सिर पर ढुलाई की जाती है और सरकार ने इस प्रथा को रोकने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रथा को अब तक क्यों नहीं समाप्त किया गया और क्या इस बारे में कोई कानून बनाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रथा को समाप्त करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) यह सच है कि देश के कई शहरी क्षेत्रों में मानव मल को मनुष्यों द्वारा उठाया जाता है। फरवरी, 1982 में नई दिल्ली में हुई स्थानीय शासन व नगर विकास की केन्द्रीय परिषद् की बैठक, जिसमें राज्य सरकारों के मंत्री स्तर के प्रतिनिधि थे, में एक संकल्प पारित किया गया था कि शुष्क शौचालयों को सुलभ शौचालयों में परिवर्तित करने तथा मानव मल को मनुष्यों द्वारा उठाये जाने की कुप्रथा को समाप्त करने का एक कार्यक्रम अपनाया जाना चाहिए।

(ख) और (ग) : इस सम्बन्ध में आगे की कार्यवाही राज्य सरकारों द्वारा की जाती है; जहां आवश्यक हो पालिका अधिनियमों को संशोधित किया जाना है। विद्यमान शुष्क शौचालयोंको सुलभ शौचालयों में बदलने का एक चरणबद्ध कार्यक्रम भी बनाया जाना है। क्योंकि सुविधाजनक मल-

निर्यास योजनाएं बहुत ही खर्चीली हैं इसलिए केन्द्रीय सरकार ने निम्न लागत के जलवाही शौचालयों की शुरूआत करने के लिए चयनित कस्बों में व्यवहार्यता अध्ययन तैयार करने के लिए यू० एन० डी० पी० की सहायता को शामिल किया है जिससे कि शुष्क शौचालयों के परिवर्तन तथा मानव मल को मनुष्यों द्वारा उठाये जाने की प्रथा को समाप्त करने की प्रक्रिया में तेजी आयेगी।

पश्चिमी तट पर समुद्र से भूमि कटाव

2434. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पिछले दशक में समुद्री ज्वार भाटों से पश्चिम तट के बड़े पैमाने पर हुए कटाव की जानकारी है जिसके कारण भूमि को लम्बी पट्टी खार भूमि में परिवर्तित हो गई है अथवा दलदल से भर गई है ;

(ख) क्या पश्चिमी तट पर उनके महत्वपूर्ण बारहमासी पत्तनों में भारी मात्रा में गाद जमा हो गई है और वर्ष के अधिकांश भाग में वे कार्य योग्य नहीं रहते हैं ;

(ग) क्या सरकार को गुजरात, महाराष्ट्र, गोआ और केरल जैसे पश्चिमी तट के राज्यों से समुद्र से भूमिकटाव रोकने के लिए उपाय करने और वित्तीय सहायता की मांग करने वाले प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य के प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या पश्चिमी समुद्र तट पर भूमि कटाव, ज्वार भाटे और भूमि विकास योजनाओं के बारे में समुद्रीय अध्ययन किये गये हैं ;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(छ) तटीय भूमि कटाव को रोकने और सभी वर्तमान पत्तनों को बाहरमासी बनाने और भूमि सुधार की प्रमुख योजनाओं के पारवर्ती परिणाम के बारे में इस समय कौनसी योजनायें चालू हैं ; और

(ज) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) केरल सरकार द्वारा अपने समुद्र-तट पर बड़े पैमाने पर कटाव होने की सूचना दी गई है। कर्नाटक सरकार ने भी अपने समुद्र-तट पर कटाव होने की सूचना दी है, जिससे उत्तर और दक्षिण कन्नाडा जिले प्रभावित हुए हैं। गुजरात और महाराष्ट्र की सरकारों ने भी कुछ स्थानिक समुद्र कटाव समस्याओं की सूचना दी है।

(ख) पश्चिमी समुद्र-तट पर कोचीन, नव मंगलौर, मारमगांव, बम्बई तथा काण्डला, के 5 बड़े पत्तनों में से, बम्बई पत्तन पर कुछ गाद जमा हो जाने की सूचना मिली है जिसे नियंत्रित किया जा रहा है और उसका पत्तन के कार्यकरण पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। काण्डला की संकरी

खाड़ी के भागों में घटित रहे कुछ परिवर्तनों के कारण, काण्डला पत्तन की सम्पर्क चैनल में भारी मात्रा में गाद भर जाने की सूचना मिली है और कच्छ की खाड़ी में भारी गाद-जमाव होने से जहाजों के लिए अनुमेय वातप्रवाह पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। काण्डला पत्तन की गाद जमाव की समस्या का केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान, पुणे द्वारा अध्ययन किया जा रहा है।

(ग) और (घ) सरकार, समुद्र-कटाव रोधी निर्माण-कार्यों के कार्यान्वयन के लिए केरल सरकार को 1972-73 से कुछ ऋण सहायता प्रदान कर रही है। कर्णाटक सरकार ने भी 1982-83 के लिए कुछ केन्द्रीय सहायता की मांग की है।

(ङ) और (च) समुद्री-कटाव के सम्बन्ध में केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधानशाला, पुणे द्वारा कुछ अध्ययन किए गए हैं जिसमें समुद्र के दोनों तटों के साथ-साथ कुछ विशिष्ट स्थलों हेतु समुद्री-लहरों संबंधी अल्प प्रेक्षण करना शामिल है।

(छ) और (ज) समुद्री-कटाव से बड़े पत्तनों पर कोई गंभीर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तथापि, स्थानीय समस्याओं पर ध्यान दिया जा रहा है।

गन्दी बस्तियों में रहने वाले बच्चों के कल्याण की योजना

2435. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन और दिल्ली प्रशासन ने मिलकर राजधानी की गन्दी बस्तियों के रहने वाले बच्चों के कल्याण के लिए एक योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के अधीन क्या-क्या कार्यक्रम कार्यान्वित करने का विचार है ; और

(ग) 1982-83 के लिए तथा उससे आगे के वर्षों के लिये किए गये वित्तीय नियतन और निर्धारित लक्ष्य सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

शकरपुर पुनर्वास कालोनी

2436. **श्री डूमर लाल बैठा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शकरपुर पुनर्वास कालोनी का हाल ही में निरिक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो निरीक्षण का उद्देश्य क्या था ; और

(ग) कालोनी के निवासियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने सूचित किया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने सितम्बर, 1982 के दूसरे सप्ताह के दौरान शकरपुर पुनर्वास कालोनी का निरिक्षण किया था और उपराज्यपाल के निदेशानुसार सड़कों के दोषपूर्ण प्रकाश प्वाइन्टों को ठीक किया जा चुका है तथा वे सन्तोषजनक रूप से कार्य कर रहें हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह भी बताया है कि निदेशक (स्लम तथा जे० जे०) ने निर्मित स्टालों के आबंटन के सम्बन्ध में हाल ही में कालोनी का निरिक्षण किया था तथा उन्होंने आबंटियों की इच्छानुसार आबंटित स्टालों के कुछ पुनः समायोजन के बारे में मौके पर आदेश पारित किए।

चम्बल घाटी विकास परियोजना के लिए विश्व बैंक की सहायता

2437. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या विश्व बैंक ने चम्बल घाटी विकास परियोजना के क्रियान्वयन के लिए ऋण या सहायता के रूप में धन दिया है ; और

(ख) उस निर्माण कार्य का ब्यौरा क्या है जिस पर यह धन-राशि खर्च की जायेगी ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई०डी० ए०) ने जो विश्व बैंक से संबद्ध है, राजस्थान में चम्बल कमान क्षेत्र विकास परियोजना के लिए 52 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण सहायता दी थी जिसके लिए करार जून, 1982 में पहले ही समाप्त हो चुका है। इस परियोजना में सम्मिलित मुख्य घटक ये है—नहर को पक्का करना, नहर की क्षमता संबंधी निर्माण-कार्य, नियन्त्रण संरचनाएं, जलीय घासपात का नियंत्रण, सड़कें, वनरोपण तथा खेत पर (आन फार्म) विकास कार्य। इस परियोजना के दूसरे सोपान के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से ऋण सहायता प्राप्त करने के लिए इस समय विचार-विमर्श किया जा रहा है।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा मध्य प्रदेश में चम्बल कमान क्षेत्र विकास परियोजना के लिए सितम्बर, 1975 में 24.0 मिलियन डालर की ऋण सहायता दी गई थी। मध्य प्रदेश में चम्बल कमान क्षेत्र विकास परियोजना के सोपान-दो के लिए 31 मिलियन डालर की ऋण सहायता हेतु एक ऋण करार पर हाल में, 7-9-1982 को हस्ताक्षर किए गए हैं। यह सहायता इस परियोजना क्षेत्र में सिंचाई के विकास के लिए 4 वर्ष की समय अवधि के लिए होगी जिसमें मुख्यतः निम्नलिखित सम्मिलित हैं :—

(1) परियोजना के सोपान-एक के अन्तर्गत आरंभ किए गए कार्य, जिनमें नहर जल-वहन

और जल-निकास प्रणालियों का सुधार, सड़क व्यवस्था का विस्तार, तंग घाटी-कटाव को रोकना शामिल है ; और

(2) भूतल और भूमिगत जल के संयुक्त उपयोग के लिए एक प्रणाली का निर्माण करना।

श्री एम० एम० लारेन्स : (इदुक्की) : मैंने केरल राज्य में एंग्लो-इंडियन समुदाय के व्याख्यों को नाम निर्देशित करने के लिए एक स्थगन प्रस्ताव दिया था। इसे चार-पांच महीने हो चुके हैं। संविधान में इसकी व्यवस्था है। केरल सरकार अल्प संख्यक एंग्लों-इण्डियन समुदाय के अधिकार का अतिक्रमण कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम तथ्यों का पता लगा रहे हैं।

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : महोदय, हमने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था। कुछेक राज्यों जैसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अकाल की स्थिति है।

उपाध्यक्ष महोदय : हमने इस बारे में दो दिन चर्चा कर ली है क्या अभी भी आप संतुष्ट नहीं हैं ?

श्री रशीद मसूद : यह बहुत ही गंभीर बात है इस सभा की कार्यवाही को स्थगित करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे अफसोस है ; ऐसा नहीं हो सकता।

श्री सी० टी० दण्डपाणि (पोल्लाची) : मैंने 'कावेरी जल' के सम्बंध में एक स्थगन प्रस्ताव दिया था। हमें, और आपको भी, कावेरी से जल चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे इसमें शामिल मत कीजिए।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : आप तंजाबूर के हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें ध्यानाकर्षण नोटिस भी प्राप्त हुआ है। यह अध्यक्ष महोदय के विचाराधीन है।

* **श्री सी० टी० दण्डपाणि** : महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में सीमित संख्या में सदस्य ही भाग ले सकते हैं। मैं आपका ध्यान.....

उपाध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं है। जहां तक ध्यानाकर्षण का .....

श्री सी० टी० दण्डपाणि : वे केन्द्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। कर्नाटक सरकार पानी नहीं छोड़ रही है। केन्द्र सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और एक बैठक.....

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि वह एक मिनट से अधिक बोला तो वह कार्यवाही वृतांन्त में नहीं जायेगा ।

प्रो० मधु-दण्डवते (राजापुर) : महोदय, मैं एक प्रश्न उठा रहा हूं जो कृषि मंत्री द्वारा इस सभा में दिए गए बयान से उत्पन्न होता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपने कोई स्थगन प्रस्ताव दिया है ?

प्रो० मधु-दण्डवते : मैंने दिया है । नोटिस दिए बिना मैं कभी नहीं बोलता हूं । महोदय, कृषि मंत्री ने इस सभा में, देश में सूखे की स्थिति पर चर्चा के दौरान पहले ही बताया है कि भूख से मृत्यु का विशेष रूप से बिहार में, एक भी मामला नहीं हुआ है । उन्होंने श्री राम विलास पासवान के चुनाव क्षेत्र का जिक्र किया है । महोदय कल इस बारे में प्रमुख खबर छपी है और आज भी यह दोहराई गई है कि बिहार में भूख से सौ मौतें हुई हैं ।

कृषि और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : सभी खबरें गलत हैं ।

श्री तपेश्वर सिंह (बिक्रम गंज) : सरासर गलत हैं ।

प्रो० मधु-दण्डवते : अगर यह गलत है तो मुझे खुशी होगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात स्पष्ट कर दी है । हमें इस बारे में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्राप्त हुआ था और हम तथ्यों का पता लगा रहे हैं । मैंने आपको बता दिया है । मुझे आपके अन्य सहयोगियों को भी समय देना चाहिए ।

प्रो० मधु दण्डवते : लेकिन मेरा वाक्य पूरा हो जाना चाहिए वरना रिकार्ड सही नह होगा । मैं यह कह रहा हूं कि क्योंकि समाचार-पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि बिहार में भूख से सौ मृत्य हुई हैं । यह बहुत ही गंभीर बात है और इसी के आधार पर मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा है । कृपया आप ऐसा आदेश दीजिए कि सरकार इस मामले की जांच करे और स्थिति स्पष्ट करे । यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ।

उपाध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव पर स्वीकृति नहीं दी गई है । ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, जिसकी सूचना मिली है, के बारे में हम तथ्यों का पता लगा रहे हैं ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष जी, मेरा यही कहना है कि संथाल परगना और छोटा नागपुर में 100 से अधिक लोग भूख से मरे हैं और इस सदन के·····

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही बता दिया है कि ध्यानाकर्षण के बारे में विचार हो रहा है । हम तथ्यों का पता लगा रहे हैं ।

श्री रामावतार शास्त्री : इस सदन के सदस्य श्री शिबु सोरेन ने अखबारों में बयान दिया है कि उन्होंने भूख से मर रहे लोगों के जलूस का नेतृत्व किया । यह बहुत संगीन मामला है···

उपाध्यक्ष महोदय : हम तथ्यों का पता लगा रहे हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : जब तक आप असर्टेन करेंगे तब तक मामला बिगड़ जाएगा। यह बहुत बड़ा सवाल है।

डा० कृपासिन्धु भोई (सम्बलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध···

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपने कोई स्थगन प्रस्ताव दिया है ?

डा० कृपासिंधु भोई : मैंने ध्यानाकर्षण दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण पर हम जवाब नहीं देते। आप कृपया अध्यक्ष महोदय को उनके चेम्बर में मिल लें।

डा० कृपासिंधु भोई : बात यह है कि समाचारपत्रों में यह खबर छपी हैं कि भूख से 100 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने इसके बारे में कहा है।

डा० कृपासिंधु भोई : महोदय, मैं इसे स्पष्ट करता हूं। भारत के अब तक 'भूख से मृत्यु' की कोई परिभाषा नहीं है। इसलिए हमें यह देखना·····इस सभा को यह निश्चय करना·····

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उनकी बात सुनने दीजिए। वह भी भूख से हुई मौतों के सम्बन्ध में बात कर रहे हैं।

डा० कृपा सिन्धु भोई : इस सभा को यह निश्चय करना चाहिए अन्यथा, विश्व में यह बदनामी होगी कि भारत में भूख से मृत्यु हो रही है। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय से यह अनुरोध करता हूं कि सबसे पहले हमें भूख से मृत्यु को परिभाषित करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यह विषय बहुत व्यापक है आप इसे क्यों उठा रहे हैं।

डा० कृपा सिन्धु भोई : और यह भी नहीं मालूम कि·····

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों द्वारा दी गई ध्यानाकर्षण सूचना के संदर्भ में हमने इस विषय पर तथ्यात्मक नोट मांगा है।

अब श्री गंगवार आप क्या चाहते हैं ?

एक माननीय सदस्य : आपको अपना निर्णय देना होगा।

प्रो० मधु दण्डवते : जब जीवन समाप्त हो जाता है, तो उसे 'मृत्यु' कहते हैं। उन्हें यह बता दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे तो आपका डर है। आप उस निर्णय पर आपत्ति कर सकते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गंगवार, आप क्या चाहते हैं ?

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : कावेरी विवाद पर तो आपने कह दिया कि कालिंग अटेंशन अन्डर कन्सीडरेशन है। दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसके बारे में मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, कि मिजोरम के चीफ मिनिस्टर ने सैन्ट्रल गवर्नमेंट पर चार्ज लगाया है, बयान दिया है कि सैन्ट्रल गवर्नमेंट वहां पर विद्रोह और अशांति फैला रही है। यह बहुत गम्भीर सवाल है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : गंगवार जी, हमें ध्यानाकर्षण प्राप्त हुआ है। हम तथ्यों का पता लगा रहे हैं। अब, श्री हरिकेश बहादुर बोलेंगे। मैं इसे दो मिनट में पूरा कर लूंगा।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : यह बहुत ही गंभीर मामला है। बहुत गंभीर आरोप है। मैंने एक स्थगन प्रस्ताव भी दिया है। केन्द्र सरकार द्वारा बगावत को बढ़ावा दिया जा रहा है। मिजोरम के मुख्य मंत्री ने यह कहा है। समाचारपत्रों में भी यह प्रकाशित··· ** (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह रिकार्ड नहीं होगा। रिकार्ड नहीं करिए। (व्यवधान)

श्री हरिकेश बहादुर : यह कार्यवाही वृत्तान्त में क्यों नहीं जायेगा ? मैंने वही बात कही है जो श्री गंगवार ने कही है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्या चाहते हैं ?

श्री हरिकेश बहादुर : जब भी मैं कोई मामला उठाता हूं आप कह देते हैं 'यह रिकार्ड नहीं होगा।'

उपाध्यक्ष महोदय : नाराज मत होइये। आप मेरे बेटे की तरह हैं। जब भी आप बहुत नाराज होते हैं तो मैं समझ लेता हूं कि मेरा बेटा बहुत नाराज हो रहा है। इसलिए, मैं आपको यह सुझाव देता हूं : आप एक जवान आदमी हैं। आपको सार्वजनिक जीवन में आगे आना है। नाराज मत होइये। भावुक भी नहीं। वरना, आप अपना विवेक खो देंगे और आप मुझे समझा भी नहीं सकेंगे। यह मेरी सलाह है। अब के बाद जब भी आप बोलें मेरी इस सलाह का ध्यान रखें। खुशी-खुशी आपको ऐसा करना चाहिए। हां, अब बोलिए आप क्या चाहते हैं, लेकिन खुशी-खुशी···

श्री हरिकेश बहादुर : महोदय, यह समाचारपत्रों में छपा है।

उपाध्यक्ष महोदय : किसी भी सरकार द्वारा समाचारपत्रों की रिपोर्ट को विश्वसनीय नहीं माना जाता।

श्री हरिकेश बहादुर : कृपया सरकार से कहें कि वह तथ्यों का पता लगाएं।

उपाध्यक्ष महोदय : हम तथ्यों का पता लगा रहे हैं।

** कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री हरिकेश बहादुर : नेशनल हेरल्ड के कर्मचारियों को उनका वेतन नहीं मिल रहा। इसके लिए ध्यानाकर्षण है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम तथ्यों का पता लगा रहे हैं। अब श्री पासवान बोलेंगे।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष जी, जिन 100 लोगों के मरने का समाचार है, यहां पर माननीय मंत्री भीष्म नारायण सिंह जी बैठे हुए हैं, कमला कुमारी जी बैठी हुई हैं, ये दोनों उठकर बोले कि यह जो मेरी कान्सटीटूएंसी का मामला है, वह गलत है। वहां पर 100 लोग भूख से मर गए और 5 लाख लोग बिहार से बाहर गए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : हम तथ्यों का पता लगा रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान : मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है। इस सरकार को इस सभा में एक वक्तव्य देने दीजिए। उन्हें हां अथवा नहीं कहने दीजिए। मैं यह चाहता हूं कि तथ्यों का पता लगाया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : हम तथ्यों का पता लगा रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान : आप किस प्रकार तथ्यों का पता लगा रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया विस्तार में न जाएं।

श्री राम विलास पासवान : क्षमा कीजिए ; आप किस प्रकार तथ्यों का पता लगा रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : सम्बद्ध सरकारों से, और किस से हम तथ्यों का पता लगा सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यदि समाचारपत्रों में कोई खबर छपी हो तो पहले हमें सम्बद्ध राज्य सरकार से, चाहे वह पं० बंगाल में हुआ हो या किसी अन्य राज्य में, उसके विषय में पूछना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : मैं श्री पासवान का समर्थन करता हूं।

श्री राम विलास पासवान : मेरे कहने का मतलब यह है कि बिहार में लोग भूखे मर रहे हैं। दक्षिणी बिहार और छोटा नागपुर के इलाके सबसे ज्यादा सूखे के ग्रिप में हैं। केन्द्रीय सरकार बिहार राज्य को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित करे।

उपाध्यक्ष महोदय : हम तथ्यों का पता लगा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : बिहार के कुछ जिलों में जनता भूख से मर रही है। मैंने एक स्थगन प्रस्ताव पेश किया है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप सभी इसी तरह खड़े होकर बोलते रहे तो मुझे आज की कार्यसूची की अगली मद लेनी पड़ेगी। जो भी श्री पासवान ने कहा है उसे मैंने नोट कर लिया है और हम तथ्यों का पता लगा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : भीष्म नारायण जी बिहार राज्य के हैं। आज बिहार में भुख-मरी की स्थिति चल रही है इसलिए आप बिहार राज्य को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित करवाइए या बिहार सरकार को डिसमिस कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय अध्यक्ष महोदय उन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श करने की अनुमति देते रहे हैं जिन पर आप विचार करना चाहते हैं और पिछले दो वर्षों से इस सभा में उन पर विचार-विमर्श हो रहा है। आपको इस मुद्दे पर जोर देने की जरूरत नहीं है और अध्यक्ष महोदय जानते हैं इस सभा में किन-किन विषयों पर विचार-विमर्श किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैंने श्री बी० डी० सिंह को बोलने की अनुमति दी है।

श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर) : उपाध्यक्ष जी, पिछले कई दिनों से बिहार में संथाल परगना में भुखमरी की बात उठ रही है। अखबार में भी है कि सौ लोगों से ज्यादा वहां पर भूख से मरे हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हम तथ्यों का पता लगा रहे हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामावतार शास्त्री, 'शून्य काल' के दौरान आप हमेशा कुछ न कुछ बोलते हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं एक के बाद एक सदस्य को बोलने की अनुमति दे रहा हूं। परन्तु आप सब एक साथ खड़े हो जाते हैं।

श्री ए० के० बालन (ओट्टापालम) : केरल राज्य सरकार ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,15 और 29 का उल्लंघन किया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राज्य विधान सभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्तियों का कोई भी प्रतिनिधि नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम तथ्यों का पता लगा रहे हैं।

श्री ए० के० बालन : इसके बारे में आपका क्या विनिर्णय है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम तथ्यों का पता लगा रहे हैं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : उपाध्यक्ष जी, एशियाड 1982 के आरम्भ होने में अब मुश्किल से एक महीना रह गया है। कल जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में पुलिस द्वारा लाठी-चार्ज किया गया। ला ऐंड आर्डर की कोई स्थिति नहीं है और न ही कोई कन्ट्रोल है। अतः इस सदन में इस विषय पर चर्चा की जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपने कोई स्थगन प्रस्ताव रखा है ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं दी गई ।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष जी, मैंने आपके पास कालिक अटेंशन मोशन भेजा है । कल के हिन्दुस्तान टाइम्स में और आज के भी अखबारों में यहां के एक मशहूर हकीम जी और इनकम टैक्स आफिसर्स के बारे में एक स्कैंडल की खबर छपी है । इसमें बड़े-बड़े अधिकारियों के इन्वाल्व होने की बात लिखी गई है । इसके बारे में भी इस सदन में चर्चा की जानी चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस मिला है । हम तथ्यों का पता लगा रहे हैं ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : महोदय, सौ आदिवासी भूख से मर गए हैं । यह केन्द्र का विषय है और इस पर स्थगन प्रस्ताव की अनुमति दी जानी चाहिए । कल नेहरू स्टेडियम में हुई घटना पर भी मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है । जब वह केवल एक ही स्टेडियम में ठीक से व्यवस्था नहीं कर पाए, तो एशियाई खेलों के समय एक साथ 12 स्टेडियमों की व्यवस्था कैसे हो पाएगी ? मैं चाहता हूं कि आप मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार करें ।

उपाध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव की तो स्वीकृति नहीं दी गई है और आपके दूसरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में तथ्यों का पता लगाया जा रहा है । (व्यवधान)

श्री धनिक लाल मंडल (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार के अकाल की चर्चा हो रही है, भूख से मृत्यु की चर्चा हो रही है । सबसे बड़ी शर्म की बात मैं आपको यह बता रहा हूं कि वहां के काफी आदमी हरियाणा और पंजाब में रोजी-रोटी कमाने के लिए जा रहे हैं, तो उनको जेल में बन्द करके रख दिया जाता है । मैंने 20 हजार मजदूरों को पटियाला जिले में देखा है, जिनके टिकट फाड़कर जेल में बन्द कर दिया गया है । क्यों वहां उनको अकाली कैदियों की सेवा करनी थी । (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति क्यों नहीं देते हैं ? (व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जिन्होंने यह मुद्दा उठाया है मैं उन सभी को बता चुका हूं कि हम सरकार से तथ्यों का पता लगा रहे हैं । इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न करें ।

अब मैं अगली मद लेता हूं ।

---

* *कार्यवाही वृत्तांत* में सम्मिलित नहीं किया गया ।

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

वाटर एण्ड पावर कंसलटेंसी सर्विसिज (इंडिया) लि०, नई दिल्ली, के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक रिपोर्ट

सिंचाई मंत्री (श्री केदार पांडे) : मैं कम्पनी अधिनियम, 195[illegible] की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

(1) (एक) वाटर एण्ड पावर कंसलटेंसी सर्विसिज (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) वाटर एण्ड पावर कंसलटेंसी सर्विसिज (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली, का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए बिलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए सं० एल० टी०-5510/82]

दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम, के अन्तर्गत अधिसूचना

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : मैं दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अंतर्गत दिल्ली प्राधिकरण, आयुक्त (आयोजना) (भर्ती) विनिमय, 1982 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 23 सितम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 9(52)/79-पी० बी० आई० में प्रकाशित हुए थे, सभापटल पर रखता हूं । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए सं० एल० टी०-5511/82]

नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की 20-12-80 से 30-6-80 तक की अवधि की वार्षिक रिपोर्ट और समीक्षा

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, नई दिल्ली के 20 दिसम्बर, 1980 से 30 जून, 1981 तक की अवधि के लिये वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(2) (एक) नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, नई दिल्ली के 20 दिसम्बर, 1980 से 30 जून,

1981 तक की अवधि के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा और (दो) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 5512/82]

पशु कल्याण बोर्ड, मद्रास की 1-4-80 से 31-3-81 तक की अवधि की वार्षिक रिपोर्ट और समीक्षा

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) पशु कल्याण बोर्ड, मद्रास का 1 अप्रैल, 1980 से 31 मार्च, 1981 तक की अवधि के लिए वार्षिक प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
(दो) पशु कल्याण बोर्ड, मद्रास, के 1 अप्रैल, 1980 से 31 मार्च, 1981 तक की अवधि के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ;

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी०-5513/82]

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना तथा नेशनल फैडरेशन आफ कोआपरेटिव शुगर फैक्टरीज लि०, नई दिल्ली, की 1980-81 की वार्षिक रिपोर्ट और समीक्षा

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं :

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3की उपधारा (6) के अंतर्गत गेहूं बेसन आटा मिल (लाइसेंस देना तथा नियंत्रण) (दूसरा संशोधन) आदेश, 1982 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 20 अक्तूबर, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 832 में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 5514/82]

(2) निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) नेशनल फैडरेशन आफ कोआपरेटिव शूगर फैक्टरीज लिमिटेड, नई दिल्ली, का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
(दो) नेशनल फैडरेशन आफ कोआपरेटिव शूगर फैक्टरीज लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०-5515/82]

राज्य सभा से संदेश

सचिव :—महोदय, मैं राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देना चाहता हूं :

(एक) "राज्य सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंहिता संबंधी नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसार मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 16 अक्टूबर, 1982 की अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 11 अक्टूबर 1982 को पारित औषधि तथा प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक, 1982 से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।"

(दो) "राज्य सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संहिता संबंधी नियमों के नियम 127के उपबंधों के अनुसार मुझे लोकसभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 16 अक्टूबर, 1982 को अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 12 अक्टूबर, 1982 को पारित सड़क परिवहन निगम (संशोधन) विधेयक, 1982 से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।"

(तीन) राज्य सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संहिता संबंधी नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसार मुझे लोकसभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 16 अक्टूबर, 1982 को अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 4 अक्टूबर, 1982 को पारित पूर्व-विन्यास (संशोधन) विधेयक, 1982 से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।"

(चार) "राज्य सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संहिता संबंधी नियमों के नियम 186के उप-नियम (6)के उपबंधों के अनुसार मुझे लोक सभा द्वारा 4 अक्टूबर, 1982 को पारित तथा राज्य सभा की सिफारिश के लिए भेजा गया भारत की आकस्मिकतानिधि (संशोधन) विधेयक, 1982 लौटाने का निदेश हुआ है तथा इस विधेयक के संबंध में राज्य सभा को लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

(पांच) "राज्य सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंहिता संबंधी नियमों के नियम 186के उपनियम (6) के उपबंधों के अनुसार मुझे लोक सभा द्वारा 5 अक्टूबर, 1982 को पारित तथा राज्य सभा की सिफारिश के लिए भेजा गया सीमाशुल्क टैरिफ (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1982 लौटाने का निदेश हुआ है तथा इस विधेयक के संबंध में राज्य सभा को लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

दसवां प्रतिवेदन

श्री पी० वी० जी० राजू (बोबिली) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का दसवां प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

———

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

देश के विभिन्न भागों में बिजली की अपर्याप्त और अनियमित सप्लाई का समाचार

श्री मोहम्मद असरार अहमद (बदांयू) : महोदय मैं ऊर्जा मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं और अनुरोध करता हूं कि वह इस संबंध में एक वक्तव्य दें :

> "राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और गुजरात सहित देश के विभिन्न भागों में गत कुछ सप्ताहों के दौरान बिजली की कथित अपर्याप्त और अनियमित सप्लाई होने के कारण फसलों को हुई क्षति और औद्योगिक उत्पादन में आई गिरावट तथा इस स्थिति को सुधारने के लिये सरकार द्वारा की गई कार्यवाही" (व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं करें। केवल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और मंत्री का उत्तर ही कार्यवाही वृतांत में दर्ज किया जायेगा । मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता ।

श्री धनिक लाल मंडल (झंझारपुर) व्यवस्था के प्रश्न पर महोदय..... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जब सभा में किसी भी विषय पर विचार नहीं किया जा रहा हो, तो नियमानुसार व्यवस्था का प्रश्न उठाने के लिए आपको मुझ से अनुमति लेनी होगी । मैं इन सभी व्यवस्था के प्रश्नों के लिए अनुमति नहीं दूंगा । इस समय सभा में किसी विषय पर चर्चा नहीं की जा रही है । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वस्तुतः शून्य काल में माननीय सदस्य ने पहले ही कई मुद्दे उठाए थे और मैंने सभी का उत्तर दिया था । और यदि विपक्षी सदस्य इसी तरह से सहयोग दे रहें हों तो मुझे खेद है, इस बारे में मैं क्या कह सकता हूं । (व्यवधान)

प्रो० मधु-दंडवते (राजापुर) : महोदय, जिसके बारे में आपने आश्वस्त किया है, उसे फिर

---

* *कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।*

से दुहराएं, उन्होंने सुना नहीं है। आपने पहले ही कहा था कि हमने मामले की जांच के लिए कहा था, और यदि आवश्यक हो, तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मंजूर किया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही कह चुका हूं। प्रोफेसर महोदय यदि आप कार्यवाही का अध्ययन करें तो आपको पता लगेगा कि जिस किसी सदस्य ने वह मामला उठाया, उन सभी को मैंने कहा था कि हम तथ्यों का पता लगा रहे हैं और यह सबके लिए प्रस्तुत किया जा चुका है।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) हम वाक आउट करते हैं।

12..22 **(श्री धनिक लाल मंडल और श्री राम विलास पासवान सभा से बहार चले गए)**

उपाध्यक्ष महोदय : इस मामले की भी जांच की जाएगी। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह कोई तरीका नहीं है, आप क्या चाहते हैं ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय मुझे सिर्फ एक मिनट चाहिए अकाल अत्यधिक चिंताजनक बात है और जब हम स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसा हम पूरी गम्भीरता चिंतातुर होकर करते हैं, और हम चाहते हैं कि सरकार मामले की केवल पुष्टि ही न करें वरन् उसके प्रति चिंतित भी हो और सभा को आश्वस्त करे कि वह तथ्यों का पता लगाएगी तथा शीघ्रतिशीघ्र सभा को बताएगी कि ऐसी कोई बात नहीं है और यदि ऐसी कोई बात हो भी, तो सरकार अपने द्वारा किए जाने वाले उपायों के प्रति सभा को आश्वस्त करे।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने जो भी कहा है उसे सरकार ने सुन लिया है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अजीब बात है, कि यदि कोई माननीय सदस्य कोई विषय उठाते हैं, तो तुरंत ही न जाने क्यों सभी माननीय सदस्य चाहते हैं कि उसे दोहराया जाए। यह मेरी समझ में नहीं आता इसीलिए श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती ने जो मुद्दा उठाया है उसे सरकार ने सुना है और उसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित कर लिया गया है। इसलिए हम अब अगले विषय पर चर्चा करेंगे। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो कोई तरीका नहीं है। मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। इस तरह से तो हम सभा की कार्यवाही नहीं चला सकते। और भूख से मृत्यु के बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम तथ्यों का पता लगाएंगे। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको पहले ही अनुमति दे चुका हूं। (व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, मैं सरकार की निन्दा करना चाहता हूं। लोग देश में भूख से मर रहे हैं। और आप लोग उत्पादकता आदि की बातें कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मसूद और श्री हरिकेश बहादुर आप मुझसे बात कर सकते हैं।

**कार्यवाही वृत्तांत में समिलित नहीं किया गया।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : लोग भूख से मर रहे हैं। इस बात पर हम सरकार की निन्दा करते हैं। भूख से मौत क्यों होती है ? श्री भीष्म नारायण सिंह जी आपको भी तो कुछ कहना चाहिए। हम सरकार की निन्दा करना चाहते हैं। संसदीय कार्यों के मंत्री होने के कारण आप भी उत्तरदायी हैं। वे आगे क्यों नहीं आते हैं ? आप भी अखबार पढ़ते हैं। यह केवल विरोधी पक्ष का ही कर्तव्य नहीं वरन आपका भी कर्त्तव्य है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही अनुमति दे चुका हूं। कृपया बैठ जाइए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस तरह से मैं सभा की कार्यवाही कैसे चला पाऊंगा। (व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : वे बोलते ही जा रहे हैं। वे जो कुछ भी कह रहे हैं उन्हें रिकार्ड में दर्ज नहीं किया जाए। (व्यवधान)**

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : महोदय, मैं आपकी कार्यवाही के बारे में अनुरोध करना चाहता हूं। यदि आप कार्य सूची देखें तो मालूम होगा कि अनेक महत्वपूर्ण कार्यों पर चर्चा की जानी है। यदि सभा मध्यान्ह भोजन के लिये स्थगित न हो तो काफी तेजी से कार्य किया जा सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा भोजनावकश न करने के पक्ष में है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

प्रो० मधु दंडवते : (राजापुर) महोदय वे भोजनावकाश रद्द करने के लिए कह रहे हैं भोजन नहीं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं इस प्रस्ताव से सहमत हूं, और बिहार के भूख से पीड़ित लोगों के प्रति सहानुभूति स्वरूप मैं आज भोजन भी छोड़ने को तैयार हूं।

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : माननीय सदस्यों ने देश के कुछ भागों में विद्युत की अपर्याप्त तथा अनियमित सप्लाई तथा कृषि और उद्योग पर पड़ने वाले इसके कुप्रभाव के बारे में ध्यान आकर्षित किया है। माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई उद्विग्नता को मैं भली भांति समझता हूं तथा मैं चालू वर्ष के दौरान विद्युत सेक्टर के कार्य निष्पादन तथा वर्तमान स्थिति और विद्युत उपलब्धता को अधिकतम करने के लिए किए जा रहे उपायों का संक्षिप्त विवरण देने का प्रयास करूंगा।

2. माननीय सदस्यों को सूचित करते हुए मुझे प्रसन्नता है कि इस वर्ष अप्रैल से विद्युत उत्पादन व्यावहारिक रूप में लक्ष्य के अनुसार हो रहा है। अप्रैल से सितम्बर तक संचयी उत्पादन 65.6 मिलियन यूनिट के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में 65.2 मिलियन यूनिट हुआ है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान हुए उत्पादन की तुलना में विद्युत उत्पादन में 7.8% की वृद्धि हुई है। यह तथ्य उत्साहवर्धक है कि ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन में सुधार की जो प्रवृत्ति पिछले

* *कार्यवाही* वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

वर्ष थी उसे इस वर्ष भी बनाए रखा जा रहा है। अप्रैल और सितम्बर के बीच ताप विद्युत उत्पादन पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान हुए उत्पादन की तुलना में 12.7% अधिक रहा है। संयंत्र भार अनुपात के रूप में यह 48.3% रहा है जबकि इसकी तुलना में वर्ष 1980-81 में संयंत्र भार अनुपात 44.6% था और वर्ष 1981-82 के दौरान 46.8% था। मैं माननीय सदस्यों को बहुत अधिक आंकड़े देकर परेशान नहीं करना चाहता परन्तु एक अन्य पैरामीटर है जिसे मैं उनके सामने रखना चाहता हूं। अप्रैल-सितम्बर, 1982 के दौरान देश में ऊर्जा की समग्र कमी कम होकर 8% रह गई है। इसकी तुलना में 1980-81 में यह कमी 12.6% थी और 1981-82 के दौरान 10.9% थी।

3. माननीय सदस्य अभी बताए गए कुछ तथ्यों से यह देखेंगे कि विद्युत उत्पादन में नियमित रूप से वृद्धि की प्रवृत्ति बनाए रखी जा रही है। तथापि यह सच है कि देश के सभी क्षेत्रों में स्थिति एक जैसी नहीं है। इस वर्ष के प्रथम छः महीनों के दौरान दक्षिणी क्षेत्र में काफी आरामदेह स्थिति रही है। वहां पर इस अवधि के अधिकांश भाग में कोई विद्युत कटौतियां या अन्य प्रतिबन्ध लागू नहीं किए गए थे। देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में भी विद्युत की कोई कमी नहीं है। उत्तरी क्षेत्र में यद्यपि वर्ष के पहले छः महीनों के दौरान विद्युत उत्पादन में 12% की वृद्धि हुई है तथापि कमजोर मानसून होने के कारण कृषि के लिए विद्युत सप्लाई की मांग में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप विद्युत कटौतियां और प्रतिबन्ध लगाना अनिवार्य हो गया। यह कमियां अस्थायी हैं जो कि कमजोर मानसून होने तथा कृषि आवश्यकताओं के लिए मांग में अस्थायी वृद्धि हो जाने के कारण हैं। स्थिति में अब सुधार हो रहा है। राज्यवार स्थिति इस प्रकार है, पंजाब और हरियाणा में ट्यूबवेलों को प्रतिदिन औसतन 10-12 घंटे विद्युत सप्लाई की गई लेकिन ऐसा करने के लिए बड़े उद्योगों पर विद्युत की कटौतियां लागू करनी पड़ी। उत्तर प्रदेश में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष विद्युत सप्लाई की स्थिति काफी अच्छी है तथा राज्य कृषि पम्प सेटों को 8 घंटे विद्युत सप्लाई करने में समर्थ रहा है। केवल भारों को अलग-अलग करके तथा कुछ उद्योगों पर विद्युत सप्लाई के कुछ प्रतिबन्धों को छोड़कर औद्योगिक उपभोक्ताओं की अधिकांश आवश्यकताएं पूरी की गई हैं।

4. पिछले कई महीनों से राजस्थान कठिन समय से गुजर रहा है। मार्च से जबकि परमाणु विद्युत केन्द्र की दोनों यूनिटों का प्रचालन बन्द हो गया था, तबसे राज्य ने विद्युत की कमी का सामना किया है। कुछ राहत देने के लिए राजस्थान को दिल्ली तथा अन्य पड़ोसी प्रणालियों से लगभग 100 मेगावाट की सहायता दी गई थी। तथापि कृषि कार्य के लिए अधिकतम विद्युत सप्लाई करने के लिए राज्य को औद्योगिक उपभोक्ताओं पर विद्युत कटौतियां लगानी पड़ी। अपर्याप्त वर्षा के कारण चम्बल जल विद्युत प्रणाली के जल भंडार की स्थिति पर भी कुप्रभाव पड़ा है। दो सप्ताह पूर्व परमाणु विद्युत केन्द्र के दूसरे यूनिट के चालू हो जाने से स्थिति में कुछ सुधार हुआ है।

5. पश्चिमी क्षेत्र जहां पर मुख्य रूप में ताप विद्युत विद्यमान है, वहां पर सामान्यतः कार्य निष्पादन का ऊंचा स्तर बनाए रखा गया है। यद्यपि, इस क्षेत्र में वर्ष की प्रथम छमाई के दौरान

विद्युत उत्पादन में अप्रैल-सितम्बर, 1981 की अवधि की तुलना में 8.3% की वृद्धि हुई है। तथापि, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश की यूनिटों में विभिन्न प्रकार की बन्दियों के कारण कुछ अवधियों के दौरान समस्याएं रही हैं।

6. पूर्वी क्षेत्र में, उड़ीसा में वर्षा न होने के कारण स्थिति और बिगड़ गई। दामोदर घाटी निगम प्रणाली के जलाशयों में जल का भण्डार भी कम रहा है।

7. पिछले दो सप्ताहों के दौरान जैसी कि सम्भावना थी कृषि के लिए विद्युत मांग में कमी आई है। इससे देश के अधिकांश भागों में विद्युत की सप्लाई और मांग के बीच का अन्तर कम हो गया है। गुजरात में भी विद्युत की अस्थायी कमी है।

8. यद्यपि इस वर्ष अपर्याप्त मानसून के कारण जल विद्युत उत्पादन पर भी बुरा असर पड़ा है, मुझे पूरा विश्वास है कि ताप विद्युत उत्पादन में सुधार लाने से तथा नई क्षमता के जोड़े जाने से, जिसकी व्यवस्था की गई है, आने वाले महीनों में विद्युत की स्थिति में और सुधार होगा। हमने ताप विद्युत केन्द्रों के लिए उत्पादन के ऊंचे लक्ष्य रखे हैं तथा हम इन केन्द्रों को कोयला सप्लाई करने सहित, इनकी भलीभांति मानीटरिंग कर रहे हैं। पिछले कुछ सप्ताहों के दौरान कुछ उत्पादन यूनिटों में आई अस्थाई बाधाओं को दूर करने के लिए भी कार्यवाही की गई है। हमारे पास चालू वर्ष के दौरान 3500 मेगावाट की नई उत्पादन क्षमता जोड़ने का एक शानदार कार्यक्रम है। यद्यपि, इनका पूर्ण रूप से प्रभाव अगले वर्ष ही दिखाई देगा फिर भी कुछ यूनिटें चालू वर्ष में ही विद्युत उपलब्ध कराने में सहायक होंगी। माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि विद्युत परियोजनाओं के निर्माण कार्य की लम्बी अवधि को देखते हुए विद्युत सप्लाई में सुधार आवश्यक रूप से एक क्रमिक प्रक्रिया है। कृषि और उद्योग दोनों के लिए एक निवेश के रूप में विद्युत के महत्व को हम भली भांति समझते हैं और मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाता हूं कि हम विद्युत सप्लाई का यथा-संभव उच्च स्तर बनाए रखने का पूरा प्रयास करेंगे।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (बदायूं) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मंत्री जी ने एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से बयान दिया है जो कि किसी भी सूरत में सही नहीं कहा जा सकता। मंत्री जी तो कभी गांव में, किसी इन्डस्ट्रीयल जगह पर नहीं गए होंगे। मैं यह जानना चाहता था इनसे शायद यह सब चीजें इकट्ठा करके लायेंगे। गालियां, हम सड़कों पर खायेंगे, कारखानों में खायेंगे, मालूम नहीं कहां-कहां खायेंगे और यहां कह दिया कि सब चीज ठीक है तो मैंने जो मोशन दिया था वह एडमिट ही नहीं होना चाहिए था। मैं यह कहना चाहूंगा कि कोई भी स्टेटिसटिक्स हों, जितनी भी इसमें होती हैं, मैं इस हाऊस में चैलेंज करने के लिए तैयार हूं कि कभी भी सही नहीं होती हैं और इस तरीके से हमें गुमराह नहीं किया जा सकता क्योंकि हम जगह-जगह पर जाते हैं और देखते हैं।

मंत्री जी यह बतायें कि कितनी चोरी की गई बिजली की, बिजली की चोरी है और कमी हमारे ऊपर पड़ रही है। काश्तकार से आप मिनिमम चार्जेस लेते हैं और पूरी सप्लाई नहीं देते, उसका क्या रिबेट मिलता है काश्तकार को। इसी तरह से कारखानों में जब बिजली देते हैं, वहां पर आपके बड़े-बड़े पांच-पांच, छह-छह हजार की तन्खवाह वाले पैसा लेकर बिजली की चोरी

कराते हैं। वहां पर देखिए कि कितने कारखानें वाकई बन्द हुए हैं, कितनों की कम मिली, कितनों को नहीं मिली। मालूम हुआ इतना इन्क्रीज हुआ और फलां जगह से इन्क्रीज हुआ, कैसे मानिटरींग किया।

मंत्री जी यह बता दें कि किसके मानिटरिंग से यह चीजें हुईं क्योंकि साऊथर्न एरिया में और नार्थ-इस्ट एरिया में सब ठीक है। कभी यह देखा है कि कितने ट्यूबवैल बन्द हैं। जितने यूनिट इसमें दिखाए गए हैं क्या उसका बिलिंग हुआ है? मैं गारन्टी से कह सकता हूं कि कभी भी बिलिंग यूनिट के हिसाब से नहीं हुआ। मगर, कार्ड पर दिखला दिया कि इतने यूनिट का हमारा प्रॉडक्शन हुआ क्योंकि हमने बिजली दी और आइन्दा भी होता रहेगा। बजट सैशन, मानसून सैशन और इस सैशन में भी बिजली के सिलसिले में बहुत सी चर्चाएं हुई। उन चर्चाओं के होते हुए भी यह गलत तरीके से स्टेटमेंट दिया जाता है तो मुल्क का काम कैसे चलेगा?

मंत्री जी यह कहते कि ये-ये हमारी कमियां हैं और इन-इन तरीकों से हम इनको दूर करेंगे तो कुछ सन्तोष होता और हम भी समझते कि कुछ उम्मीद है कि बिजली ठीक से मिलने लगेगी। यह तो ऐसे ही है जैसे गैस का मामला चल रहा है। उसी तरह से पावर का भी चल रहा है। न पावर ठीक है और न गैस। किसी जगह ठीक है तो वह हमें बताएं और समझाएं।

क्या आपने कोई मानिटरिंग की व्यवस्था की है या यह पता लगाने की कोशिश की गई है कि बिजली की जो चोरी आज हो रही है वह चाहे इंडस्ट्रीज के द्वारा हो रही हो या ट्यूबवैल्ज के जरिये से और चाहे दूसरे तरीकों से वह कितनी हो रही है? क्या आपने यह पता लगाया है कि डिमांड कितनी है और कितनी आप मीट कर रहे हैं। अभी उन्होंने कहा कि डिमांड तो कम हो गई है। हम उसको मीट कर रहे हैं। लेकिन हम समझते हैं कि डिमांड मीट नहीं हो रही है। इसका मतलब यह है कि या तो हमारा सवाल गलत है या आप गलत हैं। अब कैसे मालूम पड़े कि कौन गलत है।

क्या मंत्री महोदय ने यह जानने की कोशिश की है कि जहां जहां ट्यूबवैल लगे हैं वे काम भी कर रहे हैं या नहीं या उनको बिजली भी मिल रही है या नहीं? उत्तर प्रदेश की तो मैं कह सकता अगर आप ज्यादा सख्ती करेंगे तो उसका नतीजा उलटा होगा। मैं एक एस० ई० से बात कर रहा था। बीच में ही लाइट चली गई और रैफ्रिज्रेटर ही खराब हो गया। वह जल गया। मैं यू० पी० में चेयरमैन पी० ए० सी० का था। वहां पर मैंने देखा है कि जो भी फिगर्ज दिए गए, जो भी स्टेटिसटिक्स दिए गए सब कागजों पर ही थे। हम आडिट आवजैकशन पर विचार कर रहे थे और हमने पाया कि जो जानकारी दी गई कोई सही नहीं थी। क्या मंत्री महोदय ने जानने की कोशिश की है कि जहां कहा जाता है कि ट्यूबवैल्ज को आठ-आठ और दस-दस घंटे बिजली दी जाती है वहां आध घंटा भी उनको बिजली नहीं दी जाती है और पैसा पूरा ले लिया जाता है, बिल पूरी बिजली के भेज दिए जाते हैं। बिजली मिले या न मिले किसान को बिजली का पैसा देना पड़ता है। किसी भी पार्टी की सरकार रही हो कम से कम उत्तर प्रदेश में तो शायद कभी भी सिंचाई के लिए आठ घंटे बिजली सप्लाई नहीं हुई है। वहां के मुख्य मंत्री से भी मेरी बात हुई है, पावर मिनिस्टर से भी हुई है। उन्होंने माना है कि किसान को तकलीफ है। हमारे मंत्री जी यहां

कहते हैं कि आइंदा कमी बिलकुल नहीं रहेगी। किस आधार पर वह ऐसा कहते हैं ? सौ आदमियों के मरने का मामला यहां उठा था। जिनकी सिंचाई के बगैर खेती मर गई है उनको आप कैसे सन्तोष दे सकेंगे ? क्या उनको मंत्री महोदय कम्पेंसेशन देंगे ? जो भूखों मरेंगे, उनका क्या होगा ?

क्या मंत्री महोदय तैयार हैं कि इस हाउस की एक कमेटी बना दी जाए जो देखे कि जो स्टेटिसटिक्स दिए जाते हैं वे कहां तक सही हैं और कहां तक गलत ? अगर ऐसा किया जाए तो सही तस्वीर हमारे सामने आ सकती है। मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं हूं।

मंत्री महोदय ने कोई स्टेटिसटिक्स नहीं दिए हैं जिनसे पता चले कि कितने ट्रांस्फार्मर चाहे इण्डस्ट्री से ताल्लुख रखते हों या ट्यूबवैल्स से जले हैं और कितने दिनों में जले हैं। क्या उनको यह भी पता है कि कह दिया जाता है कि सामान नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, ट्रांस्फार्मर नहीं है ? क्या वह बतायेंगे कि इन चीजों की कमी कितनी है और क्या कारण है कि इस कमी को दूर नहीं किया जाता है ?

किसानों को रात को बिजली दी जाती है और वह भी आध घंटे और एक घंटे के लिए और साथ ही साथ एमरजेंसी कट जिसको कहा जाता है लगाया जाता है। एमरजेंसी एक दो तीन दिन के लिए हो सकती है रोज रोज के लिए नहीं। आप तो कहते हैं कि हम बिजली के साधन बहुत पैदा कर रहे हैं लेकिन हम लोग तो बिजली के लिए तरस रहे हैं।

श्री पी० शिव शंकर : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिन्ता और मनोव्यथा व्यक्त की है, उससे मैं पूरी तरह सहमत हूं। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि डेनमार्क में सब कुछ सन्तोषजनक है।

एक माननीय सदस्य : उन्होंने कहा था कि वक्तव्य सही नहीं है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद : लेकिन यह तो भारत है।

श्री पी० शिव शंकर : डेनमार्क राज्य से मेरा अर्थ बिजली से है···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह अंग्रेजी की कहावत मात्र है, जिसका कि उन्होंने जिक्र किया था।

श्री मोहम्मद असरार अहमद : हम भारत में हैं, डेनमार्क में नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : हम उनसे किसी भारतीय मुहावरे का प्रयोग करने को कहेंगे।

श्री पी० शिवशंकर : महोदय, माफ कीजिएगा मैं माननीय, सदस्य की इस बात से सहमत नहीं हूं कि जो आंकड़े मैंने दिए हैं वे गलत हैं। मेरे माननीय मित्र ने बहुत मुख्य वक्तव्य दिया है किन्तु मैंने जो यह वक्तव्य दिया है वह आंकड़ों पर आधारित है, और यदि मेरे माननीय मित्र ऐसा कोई मामला पेश करें जिस के बारे में मैंने गलत आंकड़े दिए हों, तो मैं निश्चित रूप से उनकी जांच करूंगा, किन्तु उनकी इस अतिश्योक्तिपूर्ण टिप्पणी को मैं स्वीकार नहीं कर सकता कि मैंने जो भी आंकड़े प्रस्तुत किए हैं वे सभी गलत हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शिव शंकर, कृपया हिन्दी में बोलिए, तब वो शांत रहेंगे।

श्री पी० शिव शंकर : महोदय, मुझे उनकी प्रशंसा करने दीजिए क्योंकि वे मुझसे बेहतर अंग्रेजी बोलते और समझते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे मालूम है ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद : आपकी बात मैं नहीं मानूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : जब आप 12 मिनट तक बोलते रहे, तब तो उन्होंने टोका नहीं था ।

श्री पी० शिव शंकर : आप सुन लीजिए । जब आप कह रहे थे मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो सुनता रहा । आपके गुस्से की दाद देता हूं । लेकिन आपकी उम्र इतनी बड़ी है कि आप हमको आराम से बोलने का मौका दीजिए ।

श्री पी० शिवशंकर : मेरे माननीय सदस्य ने विद्युत की सप्लाई के दौरान चोरी किए जाने का जिक्र किया है तथा उन्होंने बड़े उद्योगपतियों द्वारा इस तरह के घृणित कार्यों को किए जाने का भी हवाला दिया है, उन्होंने कृषि क्षेत्र के भी कुछ लोगों द्वारा इस तरह का कार्य किए जाने के संदर्भ में बताया है । महोदय, बात यह है कि हम ट्रांसमिशन लाइनों की उचित निगरानी के लिए विद्युत बोर्डों को आवश्यक अनुदेश दे देते हैं । हम उन्हें समय-समय पर अनुपालनार्थ मार्ग-निर्देश भी देते रहते हैं । मैं यह नहीं कहता कि बिजली की चोरी नहीं की जा रही है ; मैं ऐसी बात नहीं कह रहा हूं, पर जहां तक इन चोरियों का पता लगाना संभव है, विद्युत बोर्ड तथा उनके अधिकारियों को इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं ।

जहां तक निगरानी का प्रश्न है यह कार्य स्थानीय अधिकारियों द्वारा किया जाता है पर उन्हें इस तरह की गड़बड़ी के मामलों के विरुद्ध कतिपय उपाय करने यहां तक कि बिजली सप्लाई बन्द करने तक के सख्त अनुदेश दिए गए हैं । वस्तुतः विद्युत सप्लाई अधिनियम के सन्दर्भ में जो कानून तथा नियम बनाए गए है उनमें यदा-कदा होने वाली इन खामियों को ठीक करने की व्यवस्था है ।

मेरे माननीय मित्र ने मांग तथा पूर्ति स्थिति के सम्बन्ध में पूछा है । मेरा अनुमान है कि उन्होंने यह अप्रैल व सितम्बर, 1982-83 की इस अवधि के संदर्भ में ऊर्जा की मांग तथा पूर्ति स्थिति के सम्बन्ध में ही पूछा है । अब स्थिति यह है कि इस अवधि में मांग की स्थिति 66,701 यूनिट तथा पूर्ति-स्थिति 61,352 यूनिट थी । अतः इसमें थोड़ी सी कमी आई । पर जैसा कि मैंने अपने मुख्य वक्तव्य में बताया कि 1979-80 में पूर्ति में कमी 16% रही । अब यह घट कर 8% रह गई है । यह स्वयं एक उपलब्धि है । पर सब जगह ऐसी ही स्थिति नहीं है । कुछ क्षेत्रीय असन्तुलन हो गया है । मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि कतिपय स्थानों में पूर्ति का प्रतिशत अधिक रहा । मैंने पूर्ति अधिक न किए जाने के कारणों का उल्लेख किया है । मैंने उन्हें अपने मुख्य वक्तव्य में दिया हैं । उन्हें दोबारा बताने की कोई जरूरत नहीं है ।

मेरे माननीय मित्र ने उत्तर प्रदेश के कृषि क्षेत्र में विद्युत सप्लाई के सन्दर्भ में विशेष रूप से पूछा था । मार्ग-निर्देशों के अनुसार कृषि ऐसा क्षेत्र है जिसे विद्युत सप्लाई के बारे में सर्वाधिक प्राथमिकता दिए जाने को कहा गया है । मेरे माननीय मित्र के इस कथन के बावजूद कि इस क्षेत्र में

विद्युत सप्लाई का कृषि क्षेत्र पर 8 घंटे प्रतिदिन की दर से प्रभाव पड़ा है, जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है उसे भी मैं सही मानता हूं।

मेरे माननीय मित्र ने क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में यह पूछा है, कि क्या भारत सरकार विद्युत सप्लाई न कर पाने पर क्षति-पूर्ति करने को तैयार है, मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई सवाल पैदा हो सकता है। मेरे विचार से उनका सुझाव व्यावहारिक नहीं है। मैंने निगरानी किए जाने की बात कही है। अगर वे यह कहते कि इतना प्रभावशाली नहीं है तो यह बात सम्भवतः सही होती, पर मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि हम इस कार्य के लिए कोई भी कसर नहीं उठाकर रखेंगे। मैंने अपने मुख्य वक्तव्य में यही आश्वासन दिया था, जिस पर मैं दृढ़ हूं।

श्री वृद्धि चन्द जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर मंत्री जी ने जो बयान दिया है, उसमें भी यह स्पष्ट किया गया है कि विद्युत की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति अच्छी नहीं है। मंत्री महोदय ने इसको स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। इसके साथ, मैं सदन को यह जानकारी देना चाहता हूं कि राजस्थान में करीब पिछले 4-5 सालों से सूखा पड़ता आ रहा है और वहां की स्थिति अत्यन्त गम्भीर है। सूखे ने स्थिति को भयंकर से भयंकरतम कर दिया है। यदि बिजली की स्थिति में कुछ सुधार होता तो हमें फैमीन से लड़ने में सुविधा मिलती और हम फैमीन की समस्या काफी हद तक हल कर पाते। राजस्थान गवर्नमेंट को उससे कुछ सहायता मिलती। परन्तु आज वह स्थिति भी नहीं है।

केवल राजस्थान में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में स्थिति आज यह है कि हम अपनी आवश्यकता के अनुसार बिजली का उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी हमारी आवश्यकता से 8% कम बिजली पैदा होती है। परन्तु राजस्थान में स्थिति यह है कि 1981-82 में आवश्यकता के अनुसार 23.6% बिजली की कमी थी और 1982-83 में जैसी स्थिति की अपेक्षा की जा रही है, उसके अनुसार लगभग 40% की हम एक्सपैक्टेशन करते हैं, कमी होगी, वह स्थिति हमारे लिए बड़ी नाजुक स्थिति होगी। ऐसी अवस्था में राजस्थान कृषि उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन में किस प्रकार आगे चले, हमारे सामने यह प्रश्न उत्पन्न हो गया है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि सतपुड़ा में जो हमारा शेयर है सतपुड़ा में हमारा शेयर 125 मेगावाट है। इस सम्बन्ध में एनर्जी सेक्रेटरी ने 2 अगस्त, 1982 को एक बैठक बुलाई, जिसमें हमारे अधिकारी और मध्य प्रदेश के अधिकारी उपस्थित थे। उस वक्त हमारे लिए 50 मेगावाट बिजली की सहमति दी गई थी, लेकिन वह भी हमें प्राप्त नहीं हुई है। मंत्री महोदय अपने प्रभाव को काम में लाएं और मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के मुख्य मंत्रियों को बुला कर इस मामले का सालूशन निकालें, ताकि 125 मेगावाट का हमारा शेयर हमें मिल सके। इस सम्बन्ध में हम केन्द्र सरकार की सहायता चाहते हैं।

अणु बिजलीघर की प्रथम इकाई 4 मार्च से बिल्कुल बन्द है। पहले भी वह बार-बार बन्द होती थी, करीब 300 बार बन्द रही और उससे हमको बहुत ही कम लाभ हुआ। दूसरी इकाई हमने कंट्री में ही तैयार की है, उसकी भी वही स्थिति है। वह 4 सितम्बर को बन्द हो गई थी। उसने चार दिन पहले कार्य शुरू किया है। वह अब चालू है या नहीं, यह भी पता नहीं है। दूसरी इकाई की क्षमता 200 मेगावाट की है, लेकिन वह 60 मेगावाट पावर दे रही है। मैं जानना

चाहता हूं कि प्रथम इकाई का कार्य कब शुरू होगा। क्या दूसरी इकाई का फाल्ट्स ठीक कर दी गई है और क्या वह अच्छी तरह से चल सकेगी ?

सिंगरौली में हमारा हिस्सा 8.8 परसेंट है। उसका एक थर्मल प्लांट आपरेशन में आया है। उससे हमें 17 मेगावाट बिजली मिलनी चाहिए। उसमें भी 8 से 10 मेगावाट प्राप्त हो सकी है। जैसी कि सूचना है, दूसरा सेट अक्तूबर में आपरेशन में आ रहा है। उससे भी हमें 17 मेगावाट बिजली मिलनी चाहिए। इस प्रकार हमारा हिस्सा 34 मेगावाट हो जाता है। इस बिजली को प्राप्त करने के लिए हमने आगरा से भरतपुर तक 220 के० वी० लाईन का निर्माण तीव्र गति से शुरू कर दिया है और अक्तूबर में वह पूरी हो जाएगी। वह 34 मेगावाट का हमारा हिस्सा हमें प्राप्त हो, क्या इसके लिए मंत्री महोदय हमारी मदद कर रहे हैं ?

सिंगरौली में 50 परसेंट सैंट्रल गवर्नमेंट का रिजर्व है। आज हम भयंकर कठिनाई में हैं। हमारा औद्योगिक उत्पादन ठप्प हो गया है। स्थिति यह है कि उद्योग के लिए बिजली में 60 परसेंट की कटौती है और कृषि के लिए सिर्फ 6 घंटे से 8 घंटे तक बिजली मिल रही है। ऐसा भी समय आता है कि केवल 4 घंटे बिजली मिलती है। बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्र में 2 घंटे के लिए भी बिजली प्राप्त नहीं होती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब वहां पर इस प्रकार की संकट की स्थिति है तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट के पास सिंगरौली में जो 50 परसेन्ट रिजर्व है, उसमें से कुछ पावर देकर इस संकट को दूर करने का प्रयास करेंगे ?

एशियाई खेलों के कारण भी राज्यों में पावर की कटौती की गई है। राजस्थान को 80 लाख यूनिट प्रति दिन जो पावर मिल रही थी, उसके स्थान पर 60 लाख यूनिट मिल रही है। इस कटौती से भी संकट और बढ़ेगा। मैं जानना चाहूंगा इस संकट को दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार अपने पास से तथा पड़ोसी राज्यों से सहायता लेकर राजस्थान को किस प्रकार से मदद करेगी ?

नेशनल ग्रिड के सम्बन्ध में राज्याध्यक्ष कमेटी की जो रेकमेंडेशन है उसके सम्बन्ध में क्या प्रोग्रेस हुई है—यह भी मैं जानना चाहूंगा। क्या राज्यों के मिनिस्टर्स की कांफ्रेन्स बुलाकर आप इस सम्बन्ध में जल्दी से जल्दी कार्यवाही करेंगे ? राज्याध्यक्ष कमेटी ने 45 परसेन्ट एलैक्ट्रिसिटी सेन्ट्रल गवर्नमेंट को रखने की भी सिफारिश की है ताकि सेन्ट्रल गवर्नमेंट संकटग्रस्त राज्यों की सहायता कर सके। पावर एक कानकरेन्ट सब्जेक्ट है। मैं जानना चाहता हूं इस सम्बन्ध में सेन्टर ने क्या कदम उठाए हैं और बैकवर्ड स्टेट्स की संकट में किस प्रकार से मदद की जाएगी ?

अन्त में मेरा निवेदन है कि मालाना लिगनाइट प्लान्ट को अभी प्लानिंग कमीशन से क्लियरेन्स नहीं मिला है इसलिए छठी योजना में उसको नहीं लिया गया है। हमारे यहां लिगनाइट के बहुत से भण्डार निकले हैं, उनका प्रिलिमिनरी सर्वे भी हो गया है लेकिन डिटेल्ड सर्वे और एक्सप्लोरेशन के लिए राज्य सरकार ने आपसे सहायता मांगी है। उसके बाद पावर हाउस बनाने के लिए भी आपसे सहायता मांगी है। मैं जानना चाहूंगा इस सम्बन्ध में आप क्या सहायता देने जा रहे हैं ?

श्री पी० शिवशंकर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय मित्र ने एक प्रश्न पूछने के दौरान राजस्थान में सम्पूर्ण ऊर्जा संरचना के सन्दर्भ में परस्पर विरोधी बातें कही हैं। जहां तक राजस्थान का सम्बन्ध है मैंने इसमें आने वाली कठिनाइयों को स्पष्ट किया है तथा यह बताया है कि मार्च से परमाणु ऊर्जा स्टेशन के दोनों यूनिट राज्य में विद्युत की कमी के परिणामस्वरूप बन्द हो गए, मैंने यह भी कहा है कि राजस्थान को दिल्ली तथा अन्य पड़ोसी राज्यों से 100 मे० वा० की सहायता प्रदान की गई जिससे राज्य की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके इस कठिनाई के कारण मैंने पहले ही कहा है कि कृषि क्षेत्र को अधिकतम विद्युत सप्लाई प्रदान करने के लिए राज्य को औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत की कटौती करनी पड़ी।

(डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी पीठासीन हुईं)

एक पहलू जिसके संबन्ध में मैंने पहले भी कहा है कि जहां तक परमाणु ऊर्जा सेशन के संदर्भ में स्थिति का सम्बन्ध है, इसमें दूसरी यूनिट के फिर से चालू होने के कारण कुछ सुधार हुआ है।

जहां तक पहली यूनिट का प्रश्न है, यह कब चालू हो सकेगी इसके सम्बन्ध में स्पष्ट कहना मेरे लिए संभव नहीं क्योंकि परमाणु ऊर्जा विभाग से मुझे इसके सम्बन्ध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है।

जहां तक·····? का प्रश्न है सिंगरौली विद्युत स्टेशन राजस्थान इस स्टेशन से सहायता प्राप्त कर रहा है, इस स्टेशन से दूसरी विद्युत शक्ति का भाग राजस्थान को सप्लाई करने की व्यवस्था की गई है।

मेरे मित्र ने सतपुड़ा के सन्दर्भ में प्रश्न किया है, सतपुड़ा के सन्दर्भ में राजस्थान के मुख्य-मंत्री से विवरण मांगा गया है। इस पर सोचनीय स्तर पर एक बैठक भी की गई। इस बैठक में जो मेरे सचिव ने बुलाई थी, यह निर्णय दिया गया कि सतपुड़ा से राजस्थान को 50 मे० वा० की विद्युत सप्लाई की जाए जिसका भाग 125 मे० वा० का है न कि 34 का, जैसा कि मेरे मित्र ने बताया है, वास्तविक सप्लाई मध्य प्रदेश में विद्युत की भारी कमी के कारण केवल 30.35 मे० वा० है, यह बात सतपुड़ा के सन्दर्भ में है।

मेरे मित्र ने यह प्रश्न किया है कि क्या भारत सरकार के सिंगरौली में आरक्षित विद्युत की सप्लाई राजस्थान को की जा सकती है। इस पर मैं विचार करूंगा। इस समय हमें एशियाड के लिए भी सप्लाई करनी है। मैंने इसी उद्देश्य से आयोजित बैठक में इसे वैकल्पिक साधन के रूप में रखा है। पर मैं इस सुझाव पर आज न सही एक-दो सप्ताहों में ही विचार करूंगा।

मैंने पहले बताया है कि हमने कठिन परिस्थिति के कारण राजस्थान के लिए विभिन्न स्रोतों से विद्युत सप्लाई प्रदान की है। मैंने स्थिति स्पष्ट कर कहा है कि राजस्थान के लिए 100 मे० वा० की विद्युत सप्लाई न केवल बदरपुर तथा सिंगरौली ताप-विद्युत स्टेशन से बल्कि कुछ अन्य स्थानों से भी प्रदान की गई है। यह अभी कुछ दिनों बाद होने वाले एशियाड के कारण किया गया है।

मेरे मित्र ने राष्ट्रीय ग्रिड के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया है। यह बात संसद में पहले ही स्पष्ट की जा चुकी है हम राष्ट्रीय ग्रिड बनाने की दिशा में अपने प्रथम प्रयास के रूप में क्षेत्रीय ग्रिड बनाएंगे व राष्ट्रीय ग्रिड का निर्माण धीरे-धीरे होगा। राष्ट्रीय ग्रिड की धारणा को सभी राज्यों ने स्वीकार कर लिया है। अतः इस धारणा को धीरे-धीरे क्रियान्वित करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

मेरे माननीय मित्र ने पालना लिग्नाइट परियोजना के बारे में प्रश्न पूछा है, यह बीकानेर जिले में लिग्नाइट की स्थानीय खदानों पर आधारित है, प्रस्तावित विद्युत उत्पादन 120 मे० वा० है, इसे के० वि० प्रा० (सी० ई० ए०) ने स्वीकार कर लिया है, पर योजना आयोग ने राजस्थान संयन्त्र को खदान तथा विद्युत उत्पादन के लिए वित्त की कमी के कारण राशि-निवेश की स्वीकृति प्रदान नहीं की है। इस पहलू पर विचार किया जा रहा है।

विद्युत स्थिति में सुधार के सम्बन्ध में सामान्य रूप से किए गए उपायों के संदर्भ में मेरे मित्र ने एक सामान्य प्रश्न किया था। इस सदन में किसी अन्य सन्दर्भ में मैं 1981-82 में चालू यूनिटों का ब्यौरा प्रस्तुत कर चुका हूं।

ये सभी ब्यौरे उन यूनिटों के बारे में दे दिए गए हैं जो यूनिटें की जानी हैं और जो चल रही हैं। मैं इनकी जांच-पड़ताल करूंगा। जहां तक मुझे याद है हम ये ब्यौरे प्रस्तुत कर चुके हैं। यदि हमने इन्हें प्रस्तुत नहीं किया है, तो मैं उन्हें भी सभा के पटल पर रखूंगा। इन सभी ब्यौरों को पढ़कर सुनाना मेरे लिए सम्भव नहीं होगा, क्योंकि यह एक बहुत व्यापक प्रश्न है जो कि मेरे मित्र ने पूछा है। इसमें समय लगेगा और यह बेहतर होगा कि मैं इसे सभा के पटल पर ही रखूं।

ये व्यापक प्रश्न जोकि मेरे मित्र ने पूछे हैं और मुझे विश्वास है कि मैंने उन्हें अपने उत्तरों से संतुष्ट कर दिया है।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) पठानकोट से कांडला तक बरास्ता बीकानेर, जैसलमेर तथा बाड़मेर, एक नई रेल लाइन बिछाने की आवश्यकता

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : पठानकोट को बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर से गुजरने वाली रेल लाइन के द्वारा से कांडला के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। इस परियोजना की क्रियान्विति के लिए अनिवार्य कारण इस प्रकार हैं :—

1. यह सामरिक महत्व दृष्टि से सामरिक महत्व वाली होगी। जैसलमेर और बाड़मेर में थल सेना यूनिटों का मुख्यालय है और पोखरन के निकट फील्ड चांदमारी क्षेत्र है। बाड़मेर से सात मील की दूरी पर जैसलमेर और उत्तरलई में हवाई अड्डे हैं।

2. यह राजस्थान नहर के निर्माण के लिए अपेक्षित सीमेंट कोयला और अन्य निर्माण सामग्री के पहुंचाने के लिए द्रुतगामी परिवहन व्यवस्था प्रदान करेगा।

3. इस नहर द्वारा सिंचाई किए जाने वाली भूमि से पैदा होने वाले तीस लाख टन अनाज को इस रेल लाइन द्वारा आसानी से ढ़ोया जा सकता है।

4. इससे खनिज, चूने के पत्थर, जिकसम नमक और पीले पत्थर की खोज करने के लिए इस रेगिस्तानी क्षेत्र में आसानी से पहुंचा जा सकेगा। जैसलमेर जिले में गैस और तेल की खोज की जा रही है।

5. उत्तरी भारत से यातायात का आसान साधन प्रदान करने से कांडला पत्तन से होने वाले आयात और निर्यात में वृद्धि होगी।

पठानकोट और गंगानगर सूरतगढ़ फार्म पहले से ही बड़ी लाइन से जुड़े हुए हैं। सूरतगढ़ से बीकानेर तक के रेलवे खण्ड को रक्षा विभाग द्वारा मन्जूरी दी जा चुकी है और यह निर्माणाधीन है। रेल प्रशासन को इस खण्ड के निर्माण कार्य में तेजी लानी चाहिए और इसके बाद बीकानेर-जैसलमेर खण्ड का सर्वेक्षण करना चाहिए। पठानकोट-कांडला लाइन के शेष खण्ड का सर्वेक्षण और निर्माण कार्य सातवीं पंच वर्षीय योजना के आरम्भ में शुरू किया जाना चाहिए।

(दो) पीलीभीत, उत्तर प्रदेश को जाने वाली सड़क के रेलवे फाटक पर एक उर्पार पुल बनाने की आवश्यकता

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : मान्यवर, पीलीभीत (उत्तरप्रदेश) नगर में प्रवेश के निमित्त एकमेव मार्ग पर एन० ई० आर० के रेलवे क्रासिंग पर पीलीभीत स्टेशन के दक्षिण की ओर कोई ओवर ब्रिज नहीं बना है। इस क्रासिंग पर बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, पुरनपूर, पिथौरागढ़, अलमोड़ा आदि अनेक स्थानों से ट्रक, बस मोटर आदि का भारी यातायात रहता है। ओवर ब्रिज न होने से यातायात व परिवहन के इन साधनों को एक घंटे से भी अधिक उस समय खड़ा रहना पड़ता है जब रेल के आगमन के कारण रेलवे क्रासिंग बन्द हो जाता है। परिणामस्वरूप आवागमन में भारी कठिनाई तथा देरी होती है। पहाड़ी क्षेत्र से जुड़ा होने के कारण यहां बस व ट्रक ही यातायात व माल ढोने के बड़े साधन हैं।

मैं माननीय रेल मंत्री से आग्रहपूर्वक मांग करता हूं कि वे उक्त स्थान पर ओवरब्रिज बनाने का आदेश देने की कृपा करें।

(तीन) अनिवार्य तथा निशुल्क प्राथमिक शिक्षा की नीति को लागू करना

श्री भीखा भाई (बांसवाड़ा) : इस वर्ष शिक्षक दिवस पर प्राथमिक शिक्षा को व्यापक बनाने के लिए राष्ट्रीय अभियान की घोषणा की गई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में राष्ट्र के सर्वांगीण विकास हेतु प्राथमिक शिक्षा को सबके लिए अनिवार्य बनाने पर जोर दिया, भारतीय संविधान में सबको निःशुल्क शिक्षा देने व उसे अनिवार्य करने के निर्देश हैं व उसी को लक्ष्य करके

उसके इस ज्ञान के प्रकाश को पूरे देश में फैलाने के लिए ज्ञान दीप प्रज्जवलित करने का आह्वान किया गया।

देश में शायद ही ऐसे लोग होंगे जो अपने बच्चों को शिक्षा दिलाना नहीं चाहते और इस दृष्टि से इस अभियान को सफलता मिलने में कोई सन्देश नहीं हो सकता। आकांक्षाओं के आधार पर तो देश में अब तक अधिकांश लोग शिक्षित हो चुके होते। परन्तु आकांक्षाएं भी सब कुछ नहीं हैं। वे एक सीमा तक सामाजिक व आर्थिक बाध्यता से ग्रसित हैं। देश की बड़ी आबादी गरीबी की सीमारेखा से नीचे जीवन-यापन कर रही है तथा इसमें प्रतिवर्ष वृद्धि होती जा रही है। इन लोगों में बड़ी संख्या में पूरा परिवार कृषि और अन्य क्षेत्रों में काम में लगा रहता है। उनमें यह सामर्थ्य नहीं होती कि वे अपने संरक्षण में पलने वाले बच्चों की नियमित आवश्यकता की पूर्ति कर सके। वे यह भी ध्यान नहीं दे सकते कि उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं या नहीं ?

कोई भी अभियान नारों से ही नहीं चल सकता। उसके लिए आवश्यक उपकरण और निष्ठावान कार्यकर्ता भी चाहिए। फिर इस समय न तो पर्याप्त स्कूल हैं और न उन शालाओं के लिए शिक्षक उपलब्ध हैं। उनको निष्ठावान बनाने के लिए सामान्य सुख सुविधाओं का भी अभाव है।

1990 तक सभी को शिक्षित करने का लक्ष्य तो महान है परन्तु इस महान लक्ष्य की चुनौती का सामना करने के लिए महान उद्देश्य से प्रेरित लोगों को आगे लाना होगा। समाज में उनके कार्यों को उचित सम्मान देना होगा किसी भी अभियान की सफलता, उसको अधिक से अधिक सामाजिक रूप से सम्बद्ध करने से ही हो सकती है।

(चार) लौह अयस्क की ढुलाई की लागत कम करने के लिए जरवपुरा—बांसपानी रेल लाइन का शीघ्र निर्माण करने की आवश्यकता

श्री ए० सी० दास * (जयपुर) : पारादीप पत्तन के माध्यम से लौह अयस्क के निर्यात में तेजी से कमी होने के कारण उड़ीसा में बहुत चिन्ताजनक स्थिति उत्पन्न हो गई है। उड़ीसा में खनिज सम्पदा बहुत अधिक है और यह राज्य मुख्य रूप से इस पत्तन के माध्यम से उच्च ग्रेड लौह अयस्क का निर्यात करता है। परन्तु यह बहुत ही खेद की बात है कि पिछले कुछ वर्षों से लौह अयस्क के निर्यात में कमी आई है। इसके कारण स्पष्ट ही हैं।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम बांसपानी-बारबिल क्षेत्र से लौह अयस्क खरीदता है और उसे पारादीप पत्तन में ले जाता है। इसके लिए केवल ट्रक ही परिवहन का साधन हैं क्योंकि बांसपानी और पारादीप के बीच पर्याप्त रेल परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस कार्य के लिए खनिज तथा धातु व्यापार निगम को परिवहन प्रभार की अधिक लागत वहन करनी पड़ती है। पारादीप में वैगन ट्रिपलर नहीं लगाया गया है। इस समय लदान कार्य संतोषजनक ढंग से नहीं हो

* उड़िया के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

रहा है और निर्यात शुल्क की दर भी बहुत अधिक है। यह दर खनिज तथा धातु व्यापार निगम के लिए अनुकूल और लाभकारी नहीं है। इन सब बातों का और खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा खान मालिकों से लौह अयस्क के क्रय में कमी होने से उड़ीसा में लौह अयस्क के खनन व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और इससे कुछ खानें बन्द हो गई हैं और उत्पादन घट गया है। हजारों मजदूर, जिनमें अधिकतर जनजातीय लोग हैं, बेरोजगार हो गए हैं। जब तक निर्यात शुल्क कम करने के लिए तत्काल कदम नहीं उठाए जाते तब तक एम० एम० टी० सी० को और नुकसान उठाना पड़ेगा। पारादीप पत्तन में वर्तमान सुविधाओं में पर्याप्त सुधार करना पड़ेगा। लदान कार्य में वृद्धि की जानी चाहिए। वाणिज्य मंत्रालय को रेल मंत्रालय के साथ तालमेल रखना चाहिए ताकि जरवपुरा-बांसपानी लाइन के निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किया जा सके। केवल इसीसे परिवहन लागत में कमी की जा सकती है। मैं वाणिज्य मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे इस मामले की ओर ध्यान दें और पारादीप पत्तन के माध्यम से लौह अयस्क का निर्यात बढ़ाने में हर सम्भव सहायता करें।

(पांच) दालों का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता

श्री बी० डी० सिंह (फुलमुर) : ऐसा प्रतीत होता है कि देश में दालों के उत्पादन पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। भारत की अधिकांश जनसंख्या शाकाहारी है और प्रधानतया दाल ही उसके प्रोटीन का स्रोत है। इसे पुअर मैंन्स ईटस कहा जाता है। दालों में 20 से 25% तक प्रोटीन पाया जाता है। यह चिन्ता का विषय है कि देश में प्रति व्यक्ति दालों की उपलब्धि दिनों-दिन कम होती जा रही है। दालों की उपलब्धि, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में 68 ग्राम थी, पांचवीं पंचवर्षीय योजना काल में घटकर 44 ग्राम रह गई है। दाल आज गरीबों के पहुंच के बाहर हो गई है। इसकी कीमतों में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है। खरीफ की स्थिति को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि ये कीमतें निरन्तर बढ़ती ही जाएंगी। अतएव उत्पादन वृद्धि की ओर ध्यान देने के साथ ही साथ इस बात का प्रयास आवश्यक है कि दालें गरीबों को उचित मूल्य पर उपलब्ध हो सकें।

दुर्भाग्यवश हमारे यहां दालों का अधिकांश क्षेत्रफल असिंचित है। इस क्षेत्रफल का मात्र लगभग 10 प्रतिशत क्षेत्र ही सिंचित है। अपरंच गत तीन दशाब्दियों के दौरान दालों का क्षेत्रफल लगभग समान ही रहा है। उसकी वृद्धि के लिए प्रभावकारी प्रयास नहीं किया गया। यद्यपि बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत भी इसे सम्मिलित किया गया है और भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् द्वारा भी इस सम्बन्ध में काफी कुछ कहा जाता रहा है, परन्तु वास्तविकता यह है कि दालों की उत्पादन वृद्धि पर अभी तक कोई अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। इस बात की नितान्त आवश्यकता है कि दालों की उन्नतिशील जातियों तथा उनकी खेती के तरीकों का प्रचार-प्रसार तेजी से हो। अधिक से अधिक क्षेत्र सिंचाई के अन्तर्गत लाया जाय। दाल की फसलें प्रायः कीटों की शिकार हो जाती हैं। अतएव कीटनाशक दवाओं का प्रचार-प्रसार तथा उचित दर पर किसानों को उनकी उपलब्धि बहुत जरूरी है। दालों की आपूर्ति कम होने से व्यापारी मूल्य वृद्धि करके अनुचित लाभ उठाते हैं। अतएव उसके विपणन पर भी सरकार को उचित ध्यान देना चाहिए।

मैं माननीय कृषि मंत्री जी से साग्रह निवेदन करूंगा कि वे व्यक्तिगत रुचि लेकर एक तात्कालिक सुनिश्चित नीति-निर्धारण करें और समयबद्ध कार्यक्रम चलाकर दालों के उत्पादन में वृद्धि करके उसके विपणन की समुचित व्यवस्था करें, जिससे देश के नागरिक लाभान्वित हो सकें।

(छः) कोटा स्थित ताप विद्युत संयंत्र के कार्यकरण की जांच करने की मांग

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : सभापति महोदया, कोटा (राजस्थान) में निर्माणाधीन थर्मल परियोजना, यन्त्रों की खराब सप्लाई के कारण अनिश्चित काल तक व्यवसायिक उत्पादन नहीं कर पावेगी। थर्मल परियोजना की प्रथम इकाई ने धुंआ उगलना पुनः बन्द कर दिया है, जबकि टरबाइन की गति पूर्ण चल रही थी। लेकिन प्लांट का इन्टरलाक स्वचलित व्यवस्था के काम न करने के कारण यह गति खतरे की स्थिति की ओर बढ़ गयी, जिसके कारण प्लांट शट डाउन कर देना पड़ा।

दुबारा पुनः बायलर में अग्नि प्रवेश कर टरबाइन को गति प्रदान की गयी, परन्तु टरबाइन के नीचे लगे कन्डेन्सर में से पानी खींचकर व वायलर में आने वाली स्ट्रीम की गति प्रदान करने वाले फीडिंग पम्प में पुनः गड़बड़ हो जाने से इसे रोक दिया गया। इन्टरलाक व्यवस्था में गड़बड़ी का प्रमुख कारण डीज़ल टैंक के इन्जैक्टर का कार्य न करना तथा फीडिंग पम्प की गड़बड़ी भी प्रमुख कारण है।

पहली इकाई व दूसरी इकाई के लिए संयुक्त रूप से बनाया गया कोयला फीडिंग प्लांट अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है, जिसमें काफी समय लगने की संभावना है ;

थर्मल को प्रथम इकाई की वर्तमान परीक्षणों की स्थिति में आ रही कठिनाईयों को देखते हुए, यह कह पाना कठिन है कि उक्त इकाई व्यवसायी विद्युत उत्पादन कब तक कर पावेगी।

राजस्थान व देश में वर्तमान बिजली संकट को देखते हुए, मैं ऊर्जा मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे कोटा थर्मल में आ रही खराबी को उच्च स्तर जांच करावें व इस सम्बन्ध में सदन में वक्तव्य दें।

(सात) तमिलनाडु में एल० पी० जी० के वितरण हेतु एजेन्सी का आवंटन

श्री ए० सेनापति गौंडर (पलानी) सभापति महोदया, नियम 377 के अधीन मैं लोक महत्व का मामला सभा के सामने लाना चाहता हूं।

पलानी चुनाव क्षेत्र जो कि तमिलनाडु में है, जहां ओड्डम चतरम् धरमपुरम् वेल्लाक्कोइल, चेन्नीपलई कांगयम जैसे व्यापारिक केन्द्र और पलानी, जहां भगवान कार्तिकेय मुख्य देवता हैं, जैसे धार्मिक स्थान हैं। पलानी तिरुपति जैसा ही है। आंध्रप्रदेश, कर्नाटक और केरल से लाखों तीर्थ यात्री इस स्थान के दर्शन करने आते हैं और वे मुख्य रूप से चौल्ट्रियों मेंठहरते हैं। होटल वालों को तीर्थयात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था करने हेतु ईंधन के लिए शरारती तत्वों द्वारा गैरकानूनी ढंग से काटे गए वृक्षों की लकड़ी को खरीदना पड़ता है क्योंकि यहां कूकिंग गैस की सुविधा नहीं है, और मिट्टी के तेल की सप्लाई भी बहुत कम होती है। ये जंगल पलानी से दस मील

की दूरी के भीतर हैं। इससे पारस्थिकी संतुलन में गडबड़ी पैदा हो गई है। एक लाख लोगों से भी अधिक लोगों को अपने दैनिक भोजन पकाने के लिए लकड़ी ही जलानी पड़ती है। मुझे डर है कि इससे सरकार की राष्ट्रीय वन नीति जिसका उद्देश्य जंगल, वन्य पशुओं और हरे पेड़-पौधों की रक्षा करना है, में गड़बड़ी होगी।

माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार ने हमेशा सभी लोगों के जीवन स्तर सुधारने का प्रयास किया है। इसका एक तरीका कूकिंग गैस, एल० पी० जी० कनैक्शन और मिट्टी के तेल की सप्लाई व्यवस्था करना है।

मैं समझता हूं कि कोयम्बटूर और सलेम में दो एल० पी० जी० बोटलिंग संयंत्र हैं जिनका विस्तार किया जायेगा। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उपरोक्त स्थानों पर एल० पी० जी० आवंटन वितरण एजेंसियां आवंटित की जाएं, विशेषकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कम से कम आठ मास पहले पलानी में एजेंसियों के लिए साक्षात्कार लिये गए हैं। मिट्टी के तेल की सप्लाई भी जारी रखी जाए।

———

केन्द्रीय उत्पाद्-शुल्क विधि (संशोधन और विधि मान्यकरण) अध्यादेश 1982 (1982 का अध्यादेश संख्या 1) के निरनुमोदन सम्बन्धी सांविधिक संकल्प तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विधि (संशोधन और विधि मान्यकरण) विधेयक

सभापति महोदया : अब सभा मद 10 और, 11 जो कि सांविधिक संकल्प है पर विचार करेगी।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : महोदया, मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत सरता हूं :

> "यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 24 सितम्बर 1982 को प्रख्यापित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विधि (संशोधन और विधिमान्य करण) अध्यादेश, 1982 (1982 का अध्यादेश सं० 1) का निरनुमोदन करती है।"

महोदया, यह अध्यादेश आधारित है और दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के कारण लाया गया है और उसी पर आधारित ऐसा ही हमें 'अगस्त, 1982 को वित्त मंत्री के वक्तव्य में बताया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय 6 अगस्त, 1982 को दिया गया था। यह बात समझ में नहीं आती कि केन्द्रीय सरकार ने उच्चतम न्यायालय के पास जाकर इसका समाधान कराना उचित क्यों नहीं समझा क्योंकि यहां यह मामला उच्च न्यायालय द्वारा उठाया गया है, जैसाकि मंत्री महोदय के वक्तव्य से कहा गया है कि यदि किसी उत्पाद शुल्क में कोई आंशिक छूट दी जाती है तो ऐसे शुल्कों की समस्त रेंज अन्य अधिनियमनों संबंधी रेंजों पर भी प्रभाव पड़ेगा और उन्हें एकत्र नहीं किया जा सकता और उन राशियों को पार्टियों को वापिस देना पड़ेगा। मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में बिलकुल सही कहा है कि वे वसूल की जा चुंकी राशि वापस करने से उपभोक्ताओं को

कोई लाभ नहीं होगा। केवल बड़े व्यापारियों को जिन्होंने यह शुल्क पहले से ही उपभोक्ता से ले लिया है, लाभ होगा। परन्तु विचारणीय बात यह है कि इस सभा की बैठक 4 अक्तूबर से हो रही है और इस सन्बन्ध में अधिसूचना पहले ही जारी कर दी गई है और राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश 24 सितम्बर को प्रख्यापित किया गया है। पहली बात तो यह है सरकार उच्चतम न्यायालय के पास जा सकती थी ताकि इसे सुलझाया जाता क्योंकि यह केवल इस मामले पर ही लागू नहीं होता बल्कि अन्य अधिनियमनों में देश के अन्य-अन्य मामलों में भी लागू होगा जिनमें सरकार को विशेष उप-कर या शुल्कों में आंशिक रूप से छूट देने की मनाही होगी, क्योंकि आंशिक छूट के कारण सरकार अन्य मामलों में भी कोई उत्पाद शुल्क या उप-कर वसूल नहीं कर पायेगी। यह एक बड़ी समस्या थी और इसी समस्या का उच्चतम न्यायालय में समाधान किया, जाना चाहिए था। मंत्री महोदय के वक्तव्य में इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया है। दूसरी बात यह है कि यदि सरकार ने उच्चतम न्यायालय में जाना उचित न समझा हो। फिर भी 4 अक्तूबर से सभा की बंठक होनी थी। सरकार पहले ही दिन ही इस विधेयक को ला सकती थी। सरकार द्वारा इस विधायी कार्य विशेष को वरीयता दी जा सकती थी। केवल लगभग 6, 7 या 8 दिन के लिए इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत थी। इस अध्यादेश को प्रख्यापित करने में इतनी जल्दी करने की मेरी बात समझ में नहीं आती।

सभापति महोदया, एक प्रकार से यह सभा की ही अवमानना है। सभा को 4 तारीख से समवेत होना था। यह अधिसूचना उससे कुछ ही पहले जारी की गई थी। माननीय सदस्य प्रश्न रखने लगे थे। परन्तु सरकार इस अध्यादेश को ले आयी। इसलिए, मैं फिर कहता हूं कि यह सभा की अवमानना है। मंत्री महोदय के वक्तव्य में इस सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं है। उन्होंने यह नहीं बताया है कि उन 6 या 7 या 8 दिनों में इससे क्या हानि हो जानी थी। मंत्री महोदय विधेयक ला सकते थे और उसे दोनों सभाओं द्वारा पारित कर दिया गया होता। सरकार को इस से कोई डर नहीं हैं। उचित या अनुचित ढंग से उनका सभा में भारी बहुमत है। उनका राज्य सभा में भी बहुमत है। इसलिए, इस विधेयक को पारित करवाने में कोई कठिनाई नहीं है।

प्रतिपक्षी सदस्यों को भी सरकार के कुछ प्रस्तावों पर कोई आपत्ति नहीं होगी। परन्तु सरकार वह तरीका अपनाना पसन्द नहीं करती। इसके बजाय, सरकार ने जल्दबाजी की और अध्यादेश जारी कर दिया। यह मेरी प्राथमिक और मूल आपत्ति है।

इसलिए मैं चाहता हूं कि सदन इस अध्यादेश को अस्वीकृत करे। मैं संसद सत्र की पूर्व संध्या पर अध्यादेश प्रख्यापित करने की पद्धति पर अपनी असहमति रिकार्ड करना चाहता हूं। संसद का सत्र बुलाया जा चुका है। हमारे पास संमन पहुंच चुके हैं। अधिसूचना जारी की जा चुकी है। सदस्यगण तैयारियां कर रहे हैं। उस समय आप अध्यादेश जारी करते हैं। यह एक आदत बन चुकी है जिसे दूर करने का हमें प्रयास करना चाहिए। संसदीय लोकतन्त्र और संसद की प्रभुसत्ता के हित में तथा संसद को अपेक्षित सम्मान देने तथा कार्य सम्पन्न करके सदन के सामने आने की प्रक्रिया होने के लिए इस आदत को अवश्य ही छोड़ना होगा। आपने इस अध्यादेश को सदन में प्रस्तुत किया है। मंत्री जी के वक्तव्य में इस बात का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया गया

है। पहली बात यह है कि इस अध्यादेश की कोई जल्दी नहीं थी क्योंकि संसद का सत्र 4 अक्तूबर से होने जा रहा है। दूसरे आप सदन की उपेक्षा कर ऐसा कर रहे हैं। अध्यादेश प्रख्यापित करने के पश्चात् आप कार्य सम्पन्न करके सदन के सामने आएंगे। यदि इस अध्यादेश को पारित नहीं किया गया होता तो वास्तव में क्या नुकसान हो जाता ? इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। ब्रिटिशवासियों ने 1944 में एक कानून बनाया था। इस कानून का नाम था 'उत्पाद शुल्क एवं नमक अधिनियम' नमक को भी इस कानून के अन्तर्गत ले लिया गया था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त भी काफी समय तक हम कहा करते थे कि हालांकि प्रत्येक वस्तु की कीमतें बढ़ी हैं परन्तु नमक के मूल्यों में बहुत अधिक वृद्धि नहीं हुई है। परन्तु अब ऐसा कहा जा सकता है। यह एक अत्यन्त संवेदनशील विषय है। नमक बहुत ही आवश्यक वस्तु है। नमक के बिना देश का निर्धनतम व्यक्ति भी नहीं रह सकता। प्रत्येक व्यक्ति को इसकी आवश्यकता होती है। इसीलिए महात्मा गांधी ने ब्रिटिश पूंजी पतियों, तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध इस मामले को उठाया। देश में इस प्रकार का उत्साह था। ब्रिटिश सरकार के कर सम्बन्धी कानूनों की अवहेलना करने के लिए लोगों ने बन्जर भूमि में भी नमक बनाने का काम शुरू कर दिया। आशा थी कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद नमक पर से उत्पाद शुल्क पूर्णतया हटा दिया जाएगा। परन्तु अब तक ऐसा नहीं किया गया है। इसकी बजाय नमक पर उत्पाद शुल्क बढ़ता जा रहा है। अब आप यह कहने का साहस नहीं कर सकते कि नमक जैसी आवश्यक वस्तु भी सस्ती है अथवा सस्ती हो जाएगी। मेरा उनसे अनुरोध है कि मेरे इन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाए। सरकार को जन सामान्य का थोड़ा-बहुत ध्यान रखना चाहिए। अतः नमक पर से सभी प्रकार के उत्पाद शुल्क हटा दिए जाने चाहिए ताकि जनसामान्य को यह सस्ते से सस्ते मूल्य पर सुलभ हो सके। मैं अपने वक्तव्य में पहले ही इस बात का उल्लेख कर चुका हूं कि नियन्त्रित कपड़े को सस्ता करने के लिए दूसरी प्रकार के कपड़ों के उत्पाद शुल्क में वृद्धि करना अनिवार्य है। सरकार को देश की लगभग 105 कपड़ा मिलों का अधिग्रहण करना पड़ा। इसलिए नहीं कि सरकार उन्हें अपने अधिकार में लेना चाहती थी बल्कि इसलिए कि मिल मालिकों ने उन मिलों को रुग्ण मिलें घोषित करके अनेक वर्षों तक उसी अवस्था में रखा। कपड़ा मजदूर कई महीनों तक बेकार रहे और कपड़े का उत्पादन रुक गया। अतः राष्ट्रीय कपड़ा निगम की सभी राष्ट्रीयकृत मिलों को रुग्ण मिलें घोषित कर दिया गया। इन मिलों का राष्ट्रीयकरण करते समय एक नीति अपनाई गई थी कि केवल यही मिलें ही सस्ती किस्म का कपड़ा तैयार करेंगी क्योंकि गैर सरकारी मिल मालिकों एवं पूंजीपतियों को मूल्यों में वृद्धि की पूरी स्वतन्त्रता देनी पड़ती थी। सरकारी क्षेत्र के साथ यह भेदभाव किया गया था जबकि क्षेत्र ने गैर-सरकारी इस क्षेत्र की भारी हानि की थी जोकि राष्ट्र के लिए अहितकर है। उनका राष्ट्रीयकरण करके उन्हें अनुप्राणित किया गया है ताकि वे पूर्ववत्त कार्य कर सकें।

महोदय, हम लोगों को नियन्त्रित कपड़ा सुलभ कराने की स्थिति में भी नहीं हैं। देश के अधिकांश भागों में यह कपड़ा बहुत ही कम सुलभ है। गैर-सरकारी मिल मालिकों पर उत्पाद-शुल्क का भार क्यों नहीं डाला जा सकता ? मंत्री जी ने वक्तव्य में कहा है कि नियंत्रित कपड़े के मूल्यों को नियन्त्रण में रखने के लिए कपड़े पर उत्पाद शुल्क लगाना पड़ता है परन्तु इसका भार फिर भी उपभोक्ता पर ही पड़ता है। यहां तक कि उत्पाद शुल्क विषयक समूची नीति बदल दी गई है। जब इस चीज पर कर लगाया जाता है तो इसका प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ता है। हमारे जैसे

देश में जहां आर्थिक असमानता व्याप्त है, जहां अधिकांश जनता निर्धनता की रेखा से नीचे है, कुछेक सौ व्यक्ति निरन्तर धनी बनते जा रहे हैं। देश का समूचा लाभ उनके पास पहुंचता है। सरकार की नीति है कि अमीर-गरीब सभी लोगों पर कर लगाया जाए। यह अन्याय है। यहां यह नीति अपनाई जानी चाहिए—धनी व्यक्ति, अरबपतियों पर कर लगाया जाए और जन सामान्य को करों से छूट दी जाए। परन्तु कराधान नीति एवं उत्पाद शुल्क नीति के द्वारा ही जनसामान्य पर कर लगाये जाते हैं। यह नितांत अन्यायपूर्ण है। बुनियादी बात यह है कि जन साधारण के हित में उत्पाद शुल्क नीति में परिवर्तन किया जाना चाहिए तथा हमारे देश के और संसदीय लोकतन्त्र की प्रभुसम्पन्नता के हित में सत्र की पूर्वसन्धा पर, सत्र बुलाने सम्बन्धी अधिसूचना जारी करने एवं सांसदों को सूचना भेजने के बाद अध्यादेश जारी करने की आदत को छोड़ना चाहिए।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : वैसे तो सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन इस वक्त यहां दो मंत्री हैं और एक सदस्य उस तरफ बैठे हैं। यदि ऐसे ही सब चले जायेंगे···लंच रखा नहीं है···

सभापति महोदया : लंच तो आज खत्म है···

श्री राम विलास पासवान : लेकिन ट्रेजरी बैन्चेज को कुछ लोग तो जमा कर रखने चाहिए ···कुछ कोरम तो होना चाहिए···

सभापति महोदया : कोरम तो होना चाहिए। कोरम की घण्टी बजाइयेगा···

श्री राम विलास पासवान : तो भी कोरम पूरा नहीं होगा। हम लोग कोरम का सवाल नहीं उठाते हैं। अगर इसमें हम लोगों की भी जिम्मेदारी है, तो हम लोग बैठे हुए हैं। सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा है।

एक माननीय सदस्य : आपकी तरफ केवल चार सदस्य बैठे हुए हैं।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : सभापति महोदया, हम मानते हैं कि आप असमर्थ हैं परन्तु आपका ध्यान इस ओर दिलाना अत्यावश्यक है। उनका उद्देश्य इस सरकार को सत्ता में रखना है न कि सदन की कार्यवाही चलाना एवं उसमें भाग लेना।

श्री राम विलास पासवान : इस बिल को पास करवा लीजिए, लेकिन इसका क्या यूज है? हाउस में सिर्फ दो मिनिस्टर हैं और चार मेम्बर हैं। यह पार्लियामेंट है!

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : अध्यादेश स्वयं में एक ढोंग है तथा जिस तरीके से इस विधेयक को पास किया जा रहा है वह भी एक ढोंग है।

श्री भोगेन्द्र झा : यह एक दिल्लगी लगती है।

श्री राम विलास विलास : आप कोरम करवा दीजिए। इसका कोई मतलब या सेन्स नहीं है। इससे अच्छा है कि लंच आवर रखा जाए।

सभापति महोदया : अगर आप चाहते हैं, तो मैं कोरम की घण्टी बजाने के लिये कह देती हूं आप लोगों की अण्डरस्टैंडिंग है कि लंच आवर में वह नहीं बजानी चाहिए।

श्री राम विलास पासवान : अंडरस्टैंडिंग यह नहीं है कि सिर्फ मंत्री ही रहें। अब रहने दीजिये।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिरामा राव) : सभापति महोदया, श्री भोगेन्द्र झा ने कहा है कि संसद का सत्र शुरू होने से एक सप्ताह पूर्व ही अध्यादेश जारी नहीं किया जाना चाहिए था। मैं उनकी सूचनार्थ यह कहूंगा कि पिछले एक वर्ष में इस अध्यादेश के सिवाय कोई अन्य अध्यादेश जारी नहीं किया गया है। केवल यही एक अध्यादेश जारी किया गया है। यह इसलिए जारी किया गया क्योंकि ऐसा करना अत्यन्त महत्वपूर्ण था। यदि हम यह अध्यादेश जारी न करते तो हमें प्रतिदिन करोड़ों रुपये की हानि होती। हम इतनी हानि सहन नहीं कर सकते। हमारे लिए प्रतिदिन का महत्व है।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : महोदया, कम से कम आप मंत्री जी से केन्द्रीय कक्ष में छुट्टी मना रहे अपने सदस्यों को बुलाने के लिए तो कहें। शायद, वे इन्हें अकेला छोड़ने की मनःस्थिति में हैं।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : आप तो यहां विद्यमान हैं।

सभापति महोदया : यह दोनों पक्षों की जिम्मेदारी है।

मंत्री जी आपको प्रस्ताव पेश करना है।

श्री पट्टाभिरामा राव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से सम्बन्धित विधियों का संशोधन करने और ऐसी विधियों के अधीन संगृहीत उत्पाद शुल्कों के विधिमान्यकरण के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

माननीय सदस्यों को उद्देश्यों एवं कारणों सम्बन्धी वक्तव्य तथा विधेयक की धाराओं से यह ज्ञात हो गया होगा कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के विभिन्न प्रकार के अतिरिक्त शुल्कों का निर्धारण करने के बारे में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से उत्पन्न नाजुक एवं जटिल स्थिति से निबटने के लिए इसे पुनः स्थापित किया गया है।

माननीय सदस्य इस बात से अवगत होंगे कि सरकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं नमक अधिनियम 1944 के अन्तर्गत लगाए गए मूल उत्पाद शुल्क के अलावा विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के उत्पाद शुल्क एकत्र करती रही है। इन शुल्कों में, उदाहरणार्थ चीनी, तम्बाकू, कपड़ों पर बिक्री कर के बजाय लगने वाले अतिरिक्त उत्पाद शुल्क जो अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्त्व की वस्तुएं) अधिनियम, 1957 के उपबन्धों के अन्तर्गत समग्र रूप में राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को दे दिए जाते हैं, विशेष रेशों, सूती धागों, कपड़ों आदि सम्बन्धी अतिरिक्त उत्पाद शुल्क जिनका प्रयोजन अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कपड़ा एवं कपड़े से तैयार वस्तुएं) अधिनियम 1978 के तहत नियंत्रित कपड़ा तैयार करने में आर्थिक सहायता देना है ; केन्द्रीय राजस्व

बढ़ाने के प्रयोजनार्थ वित्त अधिनियमों के अन्तर्गत विशेष उत्पाद शुल्क तथा जिससे प्राप्त राशि केन्द्र और राज्यों में बांट ली जाती है ; और विभिन्न वस्तुओं जैसे कपड़ा, बीड़ी, कागज इत्यादि पर उपकर (जिन्हें उत्पाद शुल्क के रूप में लगाया एवं एकत्र किया जाता है) भी शामिल हैं।

उत्पादों पर लगने वाले उत्पादशुल्क की अधिकतम दरें विभिन्न अधिनियमों में दी गई हैं तथा केन्द्रीय सरकार को उत्पादन पर ऐसे किसी भी शुल्क को पूर्णतः अथवा अंशतः छूट देने की शक्ति दी गई हैं। इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पादशुल्क और नमक अधिनियम 1944 के अन्तर्गत लगने वाले मूल उत्पाद शुल्क अथवा अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत लगने वाले अतिरिक्त शुल्कों/विशेष शुल्कों से उत्पादशुल्क लगने योग्य उत्पादनों को छूट देने के लिए एक विशेष प्रक्रिया का पालन करते हुए अधिसूचनाएं जारी करती रही है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभी हाल ही में दिए गए एक निर्णय में कहा था कि किसी भी उत्पाद पर उत्पाद शुल्क लेने का प्रावधान करने वाली अधिसूचना में ही उत्पाद शुल्क की प्राकृति का निर्दिष्ट उल्लेख न रहने पर छुट अधिसूचना के अन्तर्गत दी गई छूट विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत ऐसे उत्पादों पर लागू सभी प्रकार के शुल्कों पर लागू होगी चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाता हो।

इस प्रकार उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय द्वारा शुल्क लगाने तथा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लेने की काफी पुरानी तथा परखी गई प्रथा को रद्द कर दिया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय से केवल भविष्य में अतिरिक्त शुल्कों के लगाये जाने तथा उनकी वसूली पर प्रभाव पड़ेगा वरन काफी लम्बे समय के दौरान किए गए कर निर्धारणों पर भी प्रभाव पड़ेगा।

वास्तव में इस निर्णय की घोषणा के बाद विभिन्न निर्माताओं ने अपनी याचिकाएं दाखिल कर दी हैं जिनमें यही मुद्दे उठाए गए हैं।

यद्यपि इससे राजस्व पर पड़ने वाले प्रभाव का स्पष्ट अनुमान लगाना सम्भव नहीं है, मोटे तौर पर यह अनुमान लगाया गया है कि वित्तीय वर्ष 1982-83 के दौरान 400 करोड़ रु० का घाटा हो सकता है। यदि दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को इस समय प्रभावी सभी अधिरचनाओं पर लागू किया जाये। यह निर्णय पिछले कई वर्षों में वसूल किए गए विशेष। अतिरिक्त शुल्क को भी प्रभावित करेगा। इसलिए राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव उससे कहीं अधिक होगा जितना कि मैंने बताया है।

मैं राजस्व वसूली की प्रवृत्ति से पहले ही कुछ चिन्तित हूं क्योंकि उसमें कुछ आर्थिक कारणों से कमी आ रही है। इसलिए दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय से स्थिति और खराब हो जाएगी।

माननीय सदस्य जानते हैं कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क योजना कैसे चलती है। चूंकि यह एक अप्रत्यक्ष कर है अतः इसे निर्माताओं से वसूला जाता है, जो कि इसे अपने थोक ग्राहकों पर डाल देते हैं तथा वे उसे परचून विक्रेताओं पर डाल देते हैं जिससे अन्ततः वह उपभोक्ताओं पर आ जाता है। इस प्रकार इस कड़ी में अन्ततः इस शुल्क का भार उपभोक्ताओं पर ही पड़ता है।

जो मुद्दा मैं माननीय सदस्यों के समक्ष रखना चाहता हूं वह यह कि उन सभी मामलों में जहां दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप कर की वापसी करनी पड़ सकती है, उपभोक्ता पहले ही इस भार को सहन कर चुका है निर्माताओं को शुल्क की वापसी का अर्थ उपभोक्ताओं को कोई राहत मिले बिना निर्माताओं को दैवी लाभ मिलना होगा। माननीय सदस्य मुझसे सहमत होंगे कि सरकार यह नहीं देख सकती कि यह पैसा निर्माताओं की जेबों में चला जाए।

इसके अतिरिक्त, दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय ने उत्पादन कर लगाने योग्य माल पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की सम्पूर्ण योजना को अनिश्चिता की स्थिति में डाल दिया है।

इसलिए यह अनिवार्य हो गया है कि विभिन्न अधिरचनाओं के माध्यमों से दी गई छूटों से उत्पन्न स्थिति को तत्काल सुधारा जाए और स्पष्ट किया जाए तथा शुल्क लगाने की दीर्घकालीन योजना के आधार पर-किए गए पिछले सभी निर्धारणों को वैध किया जाए। इसी प्रयोजन के लिए राष्ट्रपति द्वारा 24 सितम्बर, 1982 को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कानून (संशोधन और वैधीकरण) अध्यादेश, 1982 प्रख्यापित किया गया था।

वर्तमान विधेयक द्वारा इस अध्यादेश को प्रतिस्थापित किया जा रहा है। विधेयक के वैधीकरण उपबन्धों द्वारा पिछले सभी शुल्कों, निर्धारणों और वसूलियों को कानूनी जामा पहनाया जा रहा है।

कुछ माननीय सदस्यों की यह आशंका हो सकती है कि इस विधेयक द्वारा 1944 से ही शुल्क लगाये जाने की व्यवस्था होगी। मैं उनके डर को समाप्त करना चाहता हूं। इस विधेयक द्वारा पिछली तारीख से कोई शुल्क लगाने का विचार नहीं है। इसके द्वारा केवल पहले से वसूल किए गए शुल्क को वैध बनाना है जो कि पहले ही उपभोक्ता वहन कर चुके हैं। वे निर्धारिती जिन्होंने किसी स्थगन आदेश / न्यायालयों के निर्णयों के कारण अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं किया होगा, उन्हें अदा न किया गया शुल्क अदा करना पड़ेगा क्योंकि यह विधेयक इस निर्णय और उससे सम्बन्धित स्थगन आदेशों से उत्पन्न हुई स्थिति को दूर करने के लिए ही है।

महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से सम्बन्धित कानूनों में संशोधन करने वाले और ऐसे कानूनों के अन्तर्गत वसूल किए गए उत्पाद शुल्क को वैध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

श्री भोगेन्द्र झा : अध्यादेश के बारे में, उठाई गई आपत्तियों पर मंत्री महोदय ने एक शब्द भी नहीं बोला है।

सभापति महोदया : जब वह अपना भाषण देंगे तब वह उनके बारे में बोलेंगे।

श्री पट्टाभिरामा राव : उस समय मैं सभी मुद्दों पर बोलूंगा।

सभापति महोदया : वह इन सभी बातों को स्पष्ट करेंगे। अब श्री अमल दत्त।

श्री अमल दत्त : (डायमंड हार्बर) : सभापति महोदया, माननीय मंत्री ने सदन को इस विधेयक को शीघ्र अधिनियमित करने अथवा कुछ समय पहले 24 सितम्बर, को अध्यादेश जारी करने की आवश्यकता समझाने का प्रयत्न किया है। उन्होंने यह कहा है कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय जो इस विधेयक के साथ संलग्न उद्देश्यों तथा कारणों के अनुसार 6 अगस्त को दिया गया था। से सरकार को प्रतिदिन करोड़ों रु० का नुकसान हो रहा है। वित्त मंत्री, श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा अधिप्रमाणित जो वक्तव्य पहले परिचालित किया गया था उसमें यह बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 1982-83 में इस निर्णय के कारण 400 करोड़ रु० का घाटा हो सकता है।

न तो यहां पर मंत्री द्वारा और न ही वित्त मंत्री के वक्तव्य में यह बताया गया है कि क्या यह अनुमान देश भर में उत्पादन शुल्क की वसूली पर आधारित है अथवा केवल दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र अथवा राज्य तक ही सीमित है। जैसा कि सब जानते हैं अथवा मंत्री को ज्ञान होना चाहिए, उच्च न्यायालय का निर्णय उसके अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र तक ही लागू होता है। मैं नहीं जानता, क्योंकि जैसाकि मैंने पहले कहा था इसे स्पष्ट नहीं किया गया है कि क्या एक वर्ष में 400 करोड़ रु० का घाटा जैसा कि श्री प्रणव मुखर्जी के वक्तव्य में बताया गया है, अथवा इस सदन में माननीय मंत्री द्वारा दिया गया यह वक्तव्य कि सरकार को प्रतिदिन करोड़ों रुपये का घाटा हो रहा है ; भारत भर में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की वसूली, में होने वाले घाटे पर आधारित है। अत: यह सही अनुमान नहीं है। अनुमान का सम्पूर्ण आधार ही काल्पनिक है।

यह मेरा पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा यह है कि चूंकि यह निर्णय 6 अगस्त को दिया गया था, तो सरकार उस दिन से लेकर 24 सितम्बर तक क्या करती रही—केवल कुर्सी पर पीठ लगाये बैठी रही और राजस्व का घाटा होता रहा ? सरकार के पास बहुत बड़ा विधि विभाग है ; और मेरा यह सौभाग्य अथवा दुर्भाग्य रहा है कि मैंने उस मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट का अध्ययन किया है जो गर्व के साथ कहता है कि उनके अधीन 4 विभाग हैं और वे करोंड़ों रुपये व्यय करते हैं। सरकार विधि अधिकारियों के माध्यम से विधि विभाग द्वारा उच्चतम न्यायालय में अपील क्यों नहीं दायर करवा सकी ? यह मुद्दा श्री भोगेन्द्र झा ने अपना संकल्प रखते हुए उठाया था और मैं इस कारण इस पर जोर दे रहा हूं कि आखिरकार 16 अथवा 18 उच्च न्यायालय इस देश में हैं। वे सभी संविधियों अथवा संविधिक अधिसूचनाओं की अपनी-अपनी व्याख्या दे सकते हैं।

प्रत्येक उस मामले में जबकि किसी उच्च न्यायालय द्वारा किसी अधिसूचना की व्याख्या सरकार की व्याख्या से भिन्न की जायेगी तो क्या सरकार कानून में संशोधन करेगी ? अथवा क्या सरकार उच्चतम न्यायालय में जायेगी, जो कि इस देश का उच्चतम न्यायिक प्राधिकरण है, ताकि वह उस कानून के बारे में अपना निर्णय दे और केवल तभी, यदि आवश्यक हुआ तो और यदि विधि विभाग ऐसा करने का परामर्श दे। अधिनियम को संशोधित करवाने और जहां तक पिछले अधिनियम के उपबन्धों का सम्बन्ध है वैध कानून बनाने लिये के आगे आए, उक्त मैं समझता हूं कि सरकार की यह बहुत खराब नीति है, कि वह इस जैसे महत्वपूर्ण मामले में उच्चतम न्यायालय में नहीं गई, जिसमें कि सरकार ने यह स्वीकार किया है कि उसे 400 करोड़ रुपये का घाटा होने वाला है,

ताकि इस विधि का निर्णय हो जाये । इस प्रकार की अधिसूचनायें केवल उत्पाद शुल्क कानून तक ही सीमित नहीं हैं, इसी प्रकार की अधिसूचनायें सभी कर कानूनों, सीमाशुल्क अधिनियम, आयकर अधिनियम और अन्य कर अधिनियमों में भी जारी की जाती हैं । अतः वे बार-बार इसी प्रकार के संशोधन लाते रहेंगे क्योंकि लोग दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर अदालतों में जाते रहेंगे । यदि वे उत्पाद शुल्क कानून के अन्तर्गत जारी अधिसूचना के बारे में किसी स्पष्टीकरण हेतु किसी अदालत में नहीं जा सकते, तो भी वे किन्हीं अन्य कानूनों के सम्बन्ध में वैसा करेंगे जब तक वह निर्णय कायम रहने दिया जाता है ।

माननीय मंत्री जी को यह विशेष रूप से स्पष्ट करना चाहिए था क्योंकि यह मुद्दा श्री भोगेन्द्र झा ने अपना संकल्प रखते समय उठाया था कि सरकार उच्चतम न्यायालय में क्यों नहीं गई ? इस तथ्य के बावजूद कि श्री प्रणव मुखर्जी ने हमें एक लिखित वक्तव्य दिया है जो शनिवार को परिचालित किया गया था हम अंधेरे में हैं और मंत्री महोदय ने अपने लम्बे लिखित वक्तव्य के बावजूद यह नहीं बताया है कि क्या सरकार उच्चतम न्यायालय में जायेगी अथवा नहीं जायेगी ताकि दिल्ली उच्च न्यायालय का यह निर्णय प्रभावी न रहने दिया जाये । निस्सन्देह सरकार को उच्च न्यायालय को किसी भी ऐसे निर्णय जिससे सरकार को राजस्व की हानि हो, के विरुद्ध अंतिम न्यायालय तक लड़ना चाहिए और सरकार ने यह नहीं बताया है कि वह ऐसा करेगी अथवा नहीं ।

सभापति महोदया, क्या आप मुझे थोड़ा सा समय और देंगी ?

सभापति महोदया : केवल एक घंटा आवंटित किया गया है ।

श्री अमल दत्त : केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम काफी महत्वपूर्ण अधिनियम है । राजस्व की कुल राशि जो सरकार वर्ष 1982-83 में वसूल करने का अनुमान रखती है, का 75 प्रतिशत उत्पादशुल्क और सीमाशुल्क से ही प्राप्त होता है ।

सरकार को इस वर्ष कुल कर राजस्व के रूप में 17,000 करोड़ रुपये के एकत्र करने की आशा है और सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क दोनों मिलकर 13,000 करोड़ रुपये के लगभग हो जाते हैं । और प्रत्यक्ष कर, अर्थात आयकर, सम्पदा शुल्क, धन-कर, निगम कर, आदि, जिनका व्यक्तिगत कर योग्य तत्वों पर प्रभाव होता है, और जिनमें उच्च आय वाले व्यक्ति भी शामिल हैं, केवल 4,000 करोड़ रुपये के हैं । अतः, सरकार के कुल राजस्व का यह 75 प्रतिशत इस समय अप्रत्यक्ष करों से आता है । यदि अब किसी भी कराधान के सिद्धान्त से कराधान द्वारा समानता की स्थापना की जाती है, तो इसकी पूरी तरह स्थापना नहीं की जा सकती और समानता की स्थापना हेतु तब तक प्रयास नहीं किया जा सकता है जब तक कि प्रत्यक्ष कर उन लोगों से, जिनके पास बहुत अधिक धन है, धन ले लेने की प्रगतिशील भूमिका नहीं निभा ली जाती है और इसके बाद सरकार इसे उन लोगों को वितरित नहीं कर देती है जिनके पास धन नहीं है और अप्रत्यक्ष कर स्वरूप से प्रतिगामी होते हैं क्योंकि उनका भार जनता के निम्न आय वर्ग समूह पर पड़ता है । सरकार ने बिलकुल ऐसा ही किया है। 1978-79 और 1982-83 के बीच तुलना करने से पता चलता है कि अप्रत्यक्ष कर कुल सरकारी राजस्व के प्रति 70 प्रतिशत से बढ़कर 75 प्रतिशत हो

गये हैं। इससे यह पता चलता है कि सरकार समाजवादी पद्धति की ओर अग्रसर होने की अपनी घोषित नीति के विरुद्ध नीतियों का पालन कर रही है।

सरकार किसी उत्पादन शुल्क को लगाते समय किसी ऐसी उद्घोषित नीति का पालन नहीं करती है कि किन-किन वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क लगाया जाना है। जिन पर उत्पादन शुल्क लगाये जाने योग्य 140 मदें हैं जिनमें 7 को छूट दी गई है।

हम यह नहीं जानते हैं कि उन्हें छूट क्यों दी गई है। शायद सरकार ने उन्हें छूट इसलिए दी है क्योंकि इस बात की जोरदार मांग की गई है।

जहां तक कर से पूर्व माल का सम्बन्ध है, उत्पादन में जोड़े गए मूल्य और कराधान की दर के बीच कोई सम्बन्ध नहीं है। यह एक ऐसा कर है जो कि उत्पादित माल पर लगाया जाता है। यह उत्पादन की प्रक्रिया ही है जिस पर कर लगाया जाता है। किन्तु सरकार केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अथवा किसी अन्य उत्पादन शुल्क को लगाते समय उत्पादन में जोड़ गए मूल्य की पूरी तरह अवहेलना कर देती है और उत्पादित माल के मूल्य के आधार पर कर लगा देती है।

उदाहरण के तौर पर चाय जैसी एक अर्ध कृषि वस्तु को ही लीजिये। सरकार ने चाय पर उत्पादन शुल्क लगाया है और उत्पादन शुल्क की वसूली कम नहीं है। यह प्रति वर्ष 60 करोड़ रुपये से अधिक होती है जबकि सरकार उसका एक अंश भी चाय उद्योग के विकास पर खर्च नहीं करती है। यह एक कृषि उत्पाद है।

इसके उत्पादन में बहुत ही कम मूल्य को जोड़ा जाता है। यह एक श्रम प्रधान उत्पाद है। बाग से बाहर चाय के कुल मूल्य में से 60 से 65 प्रतिशत बाग के श्रमिकों के लिए होता है। उन्हें बहुत ही कम वेतन दिया जाता है। इसके बावजूद सरकार ने चाय पर कर लगा दिया है। इसके अतिरिक्त कुछ निश्चित मूल्य क्षेत्र के अन्तर्गत तथा कुछ मूल्य क्षेत्र से ऊपर चाय में भी अन्तर होता है। माल का जितना ही मूल्य ऊंचा होता है, उतना ही यथा मूल्य शुल्क अधिक होता है। किन्तु सरकार को किसी कर को लगाने से पूर्व यह भी देखना चाहिए कि किसी विशेष उत्पाद का वह मूल्य कितना है जिसे जोड़ा जा रहा है और उसकी उत्पादन लागत कितनी है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। दूअर्स चाय अथवा असम चाय की तुलना में दार्जलिंग चाय पर अधिक शुल्क है, हालांकि तथ्य यह है कि दूअर्स अथवा असम चाय पर उत्पादन की लागत कम है। अत:, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क को लगाने के लिये सरकार की कोई नीति नहीं है। इस उत्पादन शुल्क को लगाते समय सरकार यह सुनिश्चित नहीं करती है कि जनता के अधिक निर्बल वर्गों, श्रम प्रधान उद्योग पर कुप्रभाव न पड़े और इस कराधान का भार उन लोगों पर पड़े जो इसका भुगतान करने में समर्थ हों और यथा मूल्य शुल्क की व्यवस्था इस प्रकार से की गई हो कि यह केवल उन उत्पा-

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

दित मदों पर हीं लगे, जहां उत्पादन करने में मूल्य को जोड़ा गया हो, वह अधिक हो। अत: मैं इस विशेष संशोधन का, जिसे लाने का प्रयास किया गया है, सर्वप्रथम इस कारण से विरोध करता हूं कि सरकार उच्चतम न्यायालय में नहीं जा रही है, दूसरा इसलिए कि इसने उच्च न्यायालय के

निर्णय के आधार पर संशोधन पेश किया है और तीसरा इसलिए कि उसने इस सभा को बुलाने के सम्मन जारी करने के पश्चात केवल 24 सितम्बर को ही यह अध्यादेश प्रख्यापित किया था और जबकि सभा के समवेत होने में कुछ ही दिन रह गये थे। वास्तव में ऐसी कोई शीघ्रता भी नहीं थी। जब सरकार 6 अगस्त से 24 सितम्बर तक प्रतीक्षा कर सकती थी, वह इस विधेयक को सभा के समक्ष पेश करने के लिए निश्चित रूप से और दस दिन या इससे अधिक समय तक 4 अक्तूबर तक प्रतीक्षा कर सकती थी। अतः, हम सभी कारणों से, विशेषकर कि ऐसे सभी मामलों में सरकार द्वारा पालन की जा रही नीति के कारण से, जो कि एक मनमानी नीति है, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री गिरधारी लाल व्यास को आज बोलने का पहले अवसर दे रहा हूं क्योंकि गत बार मैंने उन्हें अवसर नहीं दिया था।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : आप मुझे बोलने का अवसर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि और कोई बोलने वाला नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक आरक्षित वक्ता हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : केन्द्रिय उत्पाद-शुल्क विधि (संशोधन और विधि-मान्यकरण) विधेयक 1982 का मैं समर्थन करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो उत्पाद शुल्क के सम्बन्ध में जो बिल यहां पर प्रस्तुत किया गया है और उसमें कोर्ट के डिसीजन की वजह से जो इन्कम का लॉस सरकार को हो रहा है, उसको विधि मान्य बनाने के लिए सरकार ने यह बिल प्रस्तुत किया है। दूसरा, हमारा यह भी ध्येय है कि ऐसे आइटम्स पर बिक्री कर समाप्त करके और इस प्रकार से व्यवस्था लाने की बात हम बहुत अरसे से सोचते आए हैं और उसी प्रकार से कुछ सामान के ऊपर बिक्री कर के बजाय उत्पाद शुल्क और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क इन्होंने इस सम्बन्ध में लगाने की बात कही है। उसकी वसूली में बहुत बड़ी सहूलियत आयेगी और उस सहूलियत के हिसाब से यह उत्पाद शुल्क जो है, इसकी व्यवस्था की है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और जैसा हमारे जैन साहब कह रहे हैं कि इसके सम्बन्ध में और वस्तुओं के ऊपर भी इस प्रकार से उत्पाद शुल्क लगा दिया जाए तो जो बिक्री कर में तकलीफें लोगों को आती हैं और जिस प्रकार की धांधलेबाजी और गड़बड़ है, वह सब की सब समाप्त हो जाएगी। हमारी सरकार ने इस सम्बन्ध में एक कमेटी बनाई है और वह कमेटी सारे पाइन्ट्स पर बहुत गम्भीरता से विचार कर रही है कि बिक्री कर को समाप्त करके, कैसे ऐसी व्यवस्था की जाए जिसकी वजह से इसकी वसूली में जो विकृतियां घुस गई हैं, उनको समाप्त करके हम लोगों को सहूलियत दे सकें और सरकार की आमदनी भी किसी प्रकार से कम नहीं हो सके।

स्टेट गवर्मेंट्स, उनकी वसूली के सम्बन्ध में, उनकी आमदनी के बारे में अलग-अलग राय रखती हैं। हरेक स्टेट को आज जो बिक्री कर से जितना फायदा हो रहा है, उसको वे लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं और अभी भी इस प्रकार का कोई फार्मूला हमारी सरकार ने इवाल्व नहीं किया है

-0

जिसकी वजह से यह बताया जा सके कि हमारे स्टेट्स को इस उत्पादन कर से भी उसी प्रकार का फायदा मिल सकेगा जिस प्रकार की बिक्री कर से उन सरकारों को होता है। इस सम्बन्ध में जब तक कोई निर्णय नहीं लिया जायेगा तब तक सारी व्यवस्था ठीक प्रकार से बैठ नहीं पाएगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने यह सुझाव इसलिए रख रहा हूं कि स्टेट गवर्मेन्ट की तरफ से जो बिक्री कर वसूल होता है, उसकी वसूली में भी लम्बी प्रक्रिया है, उसमें कठिनाईयां भी बहुत हैं। जो कागजात भरे जाते हैं और उसके हिसाब-किताब पेश करने की जो व्यवस्था है उसमें भी लोगों को बहुत बड़ी तकलीफ होती है। साधारण ट्रेडर के सामने भी इस प्रकार की भयंकर तकलीफें हैं। जो इन्सपैक्टोरेट और अधिकारी इसकी वसूली के सम्बन्ध में मुकर्रर किए हुए हैं, उनसे लोगों को बहुत तकलीफ होती है।

इस सारी कठिनाइयों को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम दूसरी आइटम्ज पर भी इस प्रकार का उत्पाद शुल्क वसूल करें। इससे आमदनी भी बढ़ेगी और जो प्रक्रिया की कठिनाइयां हैं वे भी दूर होंगी और लोगों को राहत भी मिलेगी। निश्चय ही इस तरह की व्यवस्था करने की सख्त जरूरत है। आपने उत्पाद शुक्ल लगाया और उसके खिलाफ कुछ कम्पनियों ने हाई कोर्ट में जाकर इसके खिलाफ जो याचिका पेश की और उस कारण से जिस प्रकार की कठिनाई सामने आकर खड़ी हो गई है उसको रेग्युलराइज करने के लिए सरकार जो बिल लाई है उसका जो माननीय सदस्य विरोध कर रहे हैं मैं समझता हूं कि वह राजनीतिक कारणों से कर रहे हैं। इस बिल का विरोध करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए ताकि वसूली में भी सहूलियत हो और आम नागरिक को तथा दूसरे लोगों के ऊपर भी कोई विशेष भार न पड़े। आज देखा जाता है कि सैल्स टैक्स का जो पैसा है वह सरकारी खजाने में जाता भी नहीं है, व्यापारी उसको अपने पास रख लेते हैं और सरकारी अधिकारी जो हैं वे अनेक प्रकार से उनको तंग भी करते हैं। आप ऐसी प्रक्रिया अपनाएं ताकि लोगों को सहूलियत मिले। अगर उत्पाद शुल्क की व्यवस्था करदी जाए तो बहुत लाभ होगा। इसमें विरोध का सवाल ही नहीं है। जो विरोध करते हैं उन्होंने कोई कनक्रीट सुझाव नहीं दिए हैं। इस बिल का जो विरोध कर रहे हैं वे राजनीतिक दुर्भावना के कारण कर रहे हैं। इस बिल के विरोध का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। आपको चाहिए कि आप गम्भीरता से सोचें कि इन आइटम्ज के अलावा और भी क्या कोई आइटम्ज हैं जिन पर उत्पाद शुल्क लगाया जा सकता है। इससे वसूली में सहूलियत होगी और रोजमर्रा जो कीमतें बढ़ती हैं, रोजमर्रा राज्य सरकारें सेल्ज टैक्स बढ़ा देती हैं, जब भी बजट सैशन आता है हर आइटम पर बढ़ा देती हैं, किसी पर एक प्रतिशत, किसी पर दो और किसी पर तीन प्रतिशत, और रोज जो इस तरह से आमदनी बढ़ाने की बात करती हैं और व्यापारी उससे भी अधिक, चौगुना लोगों से वसूल करते हैं और यह जो रातदिन की प्रक्रिया बन जाती है, वह भी नहीं। उत्पाद शुल्क उत्पादन के स्थान पर ही लग जाए तो उससे बड़ी सहूलित होगी।

यह बहुत अच्छा बिल है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : दिल्ली उच्चन्यायालय के छः अगस्त 1982 के निर्णय के प्रभाव को रोकने के लिए जो कि मोदी रबड़ लिमिटेड बनाम भारत सरकार हुआ था, यह छोटा सा विधेयक लाया गया है। इसका जो विषय वस्तु है उससे किसी को कोई बहुत बड़ा विरोध नहीं हो सकता है। परन्तु इस अवसर पर मैं कुछ बातों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

आज हमारी नीति आयात के सिलसिले में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों के मामले में बराबर बदलती रहती है। कभी किन्हीं चीजों के शुल्क में कमी कर दी जाती है, कभी छूट दे दी जाती है। स्पष्ट जो नीति होनी चाहिये, जो कुछ समय तक चल सके, होनी चाहिये, वैसा नहीं होता है। मैं आपका ध्यान बीड़ी, चाय तथा तम्बाकू जैसी चीजों की तरफ दिलाना चाहता हूं—जिनका इस्तेमाल आम लोग करते हैं। जिसे लोग इस्तेमाल करते हैं, इनमें बीड़ी एक घरेलू उद्योग के रूप में भी देश में प्रचलित है और एक बहुत बड़ा उद्योग है जिसमें लाखों लोग श्रमिक के रूप में लगे हुए हैं। घरेलू उद्योग पर बहुत दिनों से यह मांग उठायी जा रही है बीड़ी के कारखाने वालों की तरफ से कि जिसमें लंगोट लगा होता है, ऐक्साइज ड्यूटी आप लगाते हैं, तो खुली हुई बीड़ी पर छूट मिलनी चाहिये और जो पैकिट वाली बीड़ी है जिस पर लंगोट लगा होता है उस पर भले ही अधिक उत्पादन शुल्क हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो बीड़ी उद्योग चौपट हो जायेगा। इस बारे में कई बार सदन में प्रश्न भी उठाये गये हैं। मैं कहना चाहता हूं कि गरीब आदमी के इस्तेमाल की चीजें जैसे नमक है वह भी महंगा होता चला जा रहा है। उसके शुल्क के लिये भी कोई स्पष्ट नियम नहीं बनाये हैं, और जो देर तक चलें ऐसे नियम भी नहीं हैं। नतीजा यह है कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की वजह से बहुत सी चीजें बहुत महंगी हो जाती हैं। मैं माननीय व्यास जी की इस राय से सहमत हूं और इस अवसर पर यह कहना चाहूंगा कि देश के अन्दर बिक्री कर के स्थान पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के रूप में कोई शुल्क लगाया जाय तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं कोई व्यापारियों की वकालत नहीं करता। लेकिन हम जब बिक्री कर की वसूली करते हैं तो उसमें काफी बंगलिंग का खतरा रहता है और बंगलिंग होती भी रहती है। आपने सैंकड़ों मामले इस प्रकार के सुने होंगे कि दिल्ली से सामान बाहर जाता है और दूसरी जगह उस पर ज्यादा टैक्स न पड़ने पाये, दो, दो बार टैक्स न लगे, इसलिये बोर्डर पार करते करते 10, 15, 20 रु० ट्रक रिश्वत देकर लोग माल ले जाते हैं और 6, 6 घंटे तक वहां ट्रकें खड़ी रहती हैं, पुलिस वाले घेरे रहते हैं, चैक करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। अगर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क लग जाय, बिक्री कर की जगह तो फिर इस चैकिंग की जरूरत नहीं रहेगी।

आज हालत यह है कि व्यापारी दोहरे खाते रखते हैं, रखने पर मजबूर हैं और सैल्स टैक्स अफसर के यहां रिश्वत पहुंचाते पहुंचाते परेशान हैं, और इतनी डिस्क्रीशनरी पावर्स सैल्स टैक्स अफसर को हैं कि जहां एक लाख रु० पैनाल्टी पड़नी चाहिये वह चाहे तो 10, 12 हजार लगाकर मामला रफा दफा कर सकता है, और इसलिये सौदा होता रहता है। बिक्री कर अधिकारी की अदालत आज कल के जमाने में सिवाय लेन देन का सौदा करने के और कोई काम नहीं रह गया है। कोई न्याय की बात नहीं होती है, लिखा कुछ नहीं जाता है, जो सौदा तय हो जाता है उस

हिसाब से लिखा जाता है । दो, तीन बार सैल्स टैक्स लगेगा तो कीमतें बढ़ेंगी और आम आदमी पर उसका पूरा बोझ पड़ेगा । और इस तरह से काले धन को भी यह जन्म देता है ।

इस सम्बन्ध में जैसा बताया गया एक कमेटी बनाई गई है, लेकिन अभी उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला । इसी बिक्री कर की वजह से जो रेवेन्यू आता है उससे 4, 5 गुना आमदनी हो जाय यदि इसकी प्रक्रिया का कुछ सरलीकरण कर दिया जाए और उसके स्थान पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क लगाकर स्टेट्स में बैठा दिया जाए तो मेरे विचार में अधिक अच्छा रहेगा ।

वैसे तो इस अवसर पर विरोध करने का कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है । मैं सिर्फ इसलिए इस संशोधन विधेयक पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं कि सरकार को अविलम्ब या तो कोई गाइड-लाइन्स बनानी चाहिए या कोई सैन्ट्रल एक्ट ऐसा बनाना चाहिए जिससे तमाम देश के अंदर बिक्री कर के नियम एक से बनें । उसकी प्रक्रिया सरल कर दी जाए ।

एक वस्तु पर एक स्टेट में 5 प्रतिशत कर की व्यवस्था है, दूसरी स्टेट में उस पर साढ़े सात प्रतिशत कर लगता है और तीसरी स्टेट में उस पर 10 प्रतिशत टैक्स लिया जाता है । अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग प्रकार से टैक्सेशन की प्रणाली है, और वे अपने तरीके से बिक्री कर वसूल करती हैं । इसका नतीजा यह होता है कि जब वह वस्तु दो राज्यों में जाती है तो उसके दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं । इसीलिए इस त्रुटि को दूर करने के लिए व्यापारी को परेशानी और उपभोक्ता की परेशानी को हल करने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और आमदनी को चार गुनी पांच गुनी बढ़ा देने के लिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस अवसर पर बिक्री कर को समाप्त करके केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जैसी कोई वस्तु लागू करे और उससे जितने राजस्व को प्राप्ति हो, उसका बंटवारा राज्यों में कर दिया जाए । यदि नहीं, तो सैल्स टैक्स यूनीफार्म तरीके से सारे देश में, सभी राज्यों में लिया जाए और सब जगह उसका प्रभाव एक सा हो । उसकी प्रक्रिया इतनी सरल कर दी जाए कि जिससे कर-वंचना बच जाए । इन्हीं शब्दों के साथ, श्रीमन्, मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमसे पहले कई वक्ताओं ने कहा है.....

उपाध्यक्ष महोदय : आपको छोटे से छोटा भाषण देना चाहिये ।

श्री रामविलास पासवान : और आपका और मंत्री जी का ध्यान इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों की ओर खींचा है । मैं भी आपका ध्यान उसी ओर ले जाते हुए "उद्देश्यों और कारणों का कथन" के अंत में जो कुछ कहा गया है, वह बतलाना चाहता हूं—

> "दिल्ली उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के अनुसरण में अनेक याचिकाएं फाइल की जा रही हैं और न्यायालय अधिसूचनाओं में विनिर्दिष्ट रियायती दरों के आधिक्य में उत्पाद-शुल्ल के संग्रहण के लिए रोक-आदेश मंजूर कर रहा है । राजस्व की भारी रकम की हानि की संभावना को ध्यान में रखते हुए यह अत्यावश्यक हो गया है कि विधि द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से पूर्वोक्त आशय को

स्पष्ट कर दिया जाए और विधिमान्यकरण सम्बन्धी आवश्यक उपबंध किए जाएं। तदनुसार राष्ट्रपति ने 24 सितम्बर, 1982 को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क विधि (संशोधन और विधि मान्यकरण) अध्यादेश, 1982 प्रख्यापित किया।"

इसमें दो बातें मुख्य हैं। पहली बात तो यह है कि जैसा हमारे साथी भोगेन्द्र झा जी ने आपका ध्यान खींचा और यह बात बार-बार इस पार्लियामेंट में आ रही है कि जब पार्लियामेंट का सैशन खुलने को हो तो उसके पहले आप कोई आर्डिनेंस वगैरह निकालने की बात मत करिए। इसके सम्बन्ध में स्पीकर साहब की भी रुलिंग है और चेयर की भी यही रुलिंग हमेशा से रही है। जब पार्लियामेंट का सैशन होने को हो, तो आर्डिनेंस की बजाए पार्लियामेंट के द्वारा ही उसको पास करवाया जाए। क्योंकि इससे लोगों में भ्रम उत्पन्न होता है। यह आवश्यक नहीं कि हर चीज के लिए आर्डिनेंस ही आये।

इस विधेयक को लाने के पीछे कई कारण बताये गए हैं, जैसे कुछ वस्तुओं पर अन्य उत्पाद-शुल्क लगाया जाना, कुछ पर डायरैक्ट टैक्सेज लगाया जाना और कुछ पर इन्डायरैक्ट टैक्सेज लगाया जाना। आज मैं उस बहस में ज्यादा नहीं जाना चाहता। लेकिन उसके स्थान पर मैं कहना चाहता हूं कि हमारा सीधा-साधा मत यह है कि धनी आदमी पर यदि कोई टैक्स लगाया जाता है तो आप उसे तुरन्त लगा दीजिए। यदि गरीब पर वह टैक्स लगाया जाता है तो आप गरीब को आगे परेशान मत करिए। आपको जो 13 हजार करोड़ रुपये अभी एक्साइज डयूटी के नाम पर टैक्स के रूप में मिल रहे हैं, 4 हजार करोड़ रुपये डायरैक्ट टैक्सेज के तौर पर मिलते हैं, आपके कुल टैक्सेज का 75 प्रतिशत भार हिन्दुस्तान की गरीब जनता को सहन करना पड़ता है। घुमा-फिराकर वह गरीब ही बीच में मारा जा रहा है। हमारे जैसा आदमी इसलिए इस बात का हिमायती रहा है कि आम जनता को कुछ न कुछ राहत मिलनी चाहिए। इस देश में कुछ मुट्ठी भर लोग ही ऐसे हैं, जो खूब कमा रहे हैं, कुछ ब्लैकमनी के रूप में कमा रहे हैं, कुछ दूसरी मनी के रूप में कमा रहे हैं, यदि उनसे आपको कोई टैक्स वसूल करना हो, तो आप बेशक कीजिए, लेकिन आम जनता को आप राहत देने के बारे में सोचिए।

आप इस बारे में कोई कदम अवश्य उठाएं। इस चर्चा में सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट में सरकार की हार क्यों हुई। मैं इस प्रश्न में नहीं जाना चाहता कि सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं गई। आपके विभाग में हजारों रुपये तनख्वाह पाने वाले अधिकारी हैं। इसके बावजूद कानून में इस प्रकार के लूप-होल्ज क्यों रह जाते हैं, जिसके कारण हाई कोर्ट सरकार के खिलाफ स्ट्रिक्चर्ज पास करता है ?

सबसे विचारणीय बात यह है कि आम आदमियों के लिए जो सामान्य कानून बनाए जाते हैं, उनके बारे में हमें यह शंका होने लगी है कि आपके यहां जो लोग कानून के निर्माता हैं, वे नीयत साफ न होने के कारण कानून में कुछ न कुछ छोड़ देते हैं, जिससे आम आदमी और गरीब का विश्वास कानून पर से उठ जाता है। आप तो गवर्नमेंट हैं, आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लड़ सकते हैं, और अगर वहां काम न बने, तो आप यह बिल लेकर पार्लियामेंट में आ सकते हैं कि 400 करोड़ रुपये का नुकसान होने का खतरा है, इसलिए यह टैक्स का प्रावधान भूतलक्षी प्रभाव

से, विद रेट्रोस्पेक्टिव इफैक्ट, लागू होगा। लेकिन जब आपकी जगह कोई गरीब आदमी कानून के चक्कर में पड़ता है, तो उसे कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

मेरा आग्रह यह है कि टैक्सिज इस ढंग से लगाए जाएं कि गरीब लोगों पर उनका भार कम से कम पड़े और शक्तिशाली अमीर लोगों पर करों का अधिक भार पड़े। इसके साथ ही साथ कानून इस तरीके से बनाए जाएं कि बड़े-बड़े लोग उसकी पकड़ से निकल न सकें।

इस विधेयक से गवर्नमेंट की मशीनरी की फेल्युर साबित हुई है, क्योंकि गवर्नमेंट हाई कोर्ट में हार गई है। जहां तक नमक पर इनडायरैक्ट टैक्स या एक्साइज ड्यूटी लगाने का सम्बन्ध है, जिसको लेकर इतना बड़ा सत्याग्रह हुआ था, या जनता क्लाथ अथवा कैरोसीन आयल पर एक्साइज ड्यूटी लगाने का प्रश्न है, हम लोग उसका हमेशा विरोध करते रहेंगे। बुद्धिमत्ता इसी में है कि जो आम आदमी से सम्बन्धित जीवनोपयोगी वस्तुएं हैं, कम से कम उन पर एक्साइज ड्यूटी न लगाई जाए। बड़े लोगों से सम्बन्धित चीजों पर एक्साइज ड्यूटी इस तरह लगाई जाए कि वे लोग उससे बच न सकें। आज वे लोग कोर्ट के माध्यम से अपना बचाव कर रहे हैं और अरबों रुपये उनके पास जा रहे हैं। यह नहीं होना चाहिए।

श्री चन्द्रपाल सिंह (अमरोहा) : उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क विधि (संशोधन और विधि मान्यकरण) विधेयक के बारे में कई वक्ताओं ने अपने विचार प्रकट किए हैं। मेरा कहना यह है कि उत्पाद-शुल्क के बारे में संशोधन करने के लिए समय-समय पर छोटे-छोटे बिल लाना ज्यादा अच्छा नहीं लगता। जब सरकार को कोई नुकसान होने की सम्भावना होती है, या कोई मामला कोर्ट में जाता है, तभी वह इस बारे में कोई कदम उठाती है। मैं समझता हूं कि सेल्ज टैक्स और एक्साइज ड्यूटी आदि के बारे में एक व्यापक और पूर्ण कानून बनाने के लिए एक कमेटी गठित करनी चाहिए, ताकि एकरूपता लाई जा सके और छोटे बड़े के भेद को खत्म किया जा सके।

आज स्थिति यह है कि हम छोटे लोगों पर बहुत टैक्स लगाते हैं और बड़े लोगों से टैक्स वसूल नहीं कर पाते हैं। टैक्स वसूल करने वाले अधिकारियों का ताम-झाम देखकर आप ताज्जुब करेंगे। अगर सरकारी अधिकारियों के भ्रष्टाचार का बोलबाला देखना है, तो इस विभाग में देखिए। सैकड़ों गुना पैसे वे दबा लेते हैं। वह सरकार के पास तक नहीं पहुंचता है। इसके लिए भी प्रबन्ध किया जाना चाहिए। इस प्रकार से यहां पर संशोधन लाने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। बेसिक मुद्दा यही है कि आज जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसको दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। यह प्रयास तभी हो सकता है जबकि इसमें एकरूपता लाई जाए। जैसा कि गंगवार जी ने भी यहां पर कहा है, इस सम्बन्ध में कोई व्यापक बिल यहां पर लाना चाहिए। आज तो अधिकारियों को असीमित अधिकार मिले हुए हैं, वे जैसा भी चाहें कर दें। इसलिए मेरी भी आपसे प्रार्थना है कि आप इसके लिए कोई व्यापक बिल यहां पर प्रस्तुत करें। जल्दी-जल्दी में इस प्रकार से संशोधन लाने से नुकसान होता है। अतः आपको पहले से पूरी तैयारी करके व्यापक बिल यहां पर लाना चाहिए।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा क्योंकि उन्होंने कहा कि करों के सम्बन्ध में उन्होंने कमेटी के माध्यम से गहन अध्ययन किया है और यह अच्छी बात है। आज सारे देश में उत्पादन और वितरण में करों के सम्बन्ध में भयंकर भ्रष्टाचार चल रहा है। इस सम्बन्ध में सरकार को कोई क्लियरकट व्यू लेना चाहिए। आज प्रति दिन काम में आने वाली जो जनोपयोगी वस्तुयें हैं उन पर उत्पादन कर और बिक्रय कर, दोनों ही लगते हैं। हर राज्य में और केन्द्र में भी कर लगते हैं और एक ही चीज पर दो-तीन दफा कर लगने से उस वस्तु का दाम कई गुना बढ़ जाता है। इसके अलावा सरकार करों का संग्रहण भी ठीक प्रकार से नहीं करती है। सरकारी मशीनरी और व्यवसायी वर्ग के साठ-गांठ से भ्रष्टाचार पनप रहा है। इस प्रकार करों की चोरी जोरों से हो रही है। दूसरी और करोड़ों-अरबों रुपया एक्साइज और बिक्री कर का बकाया है। अभीतक इस देश में सरकार इस बात में स्पष्ट नहीं हो सकी है कि किन वस्तुओं पर कैसा कराधान होना चाहिए और उसके संग्रहण की पद्धति क्या होनी चाहिए। यही कारण है कि भयानक चोर-दरवाजे बने हुए हैं जिसमें अधिकारियों को भी भ्रष्ट होना पड़ता है और व्यापारियों को भी। आज की स्थिति में बिना भ्रष्टाचार के न तो कोई व्यापारी अपना व्यापार ही चला सकता है और न सरकारी मशीनरी ही ठीक प्रकार से चल सकती है।

हाईकोर्ट का जो निर्णय हुआ, रबड़ के सम्बन्ध में, उसके बाद आप इसमें संशोधन कर रहे हैं। यह अच्छी बात है लेकिन जो रबड़ कम्पनियां हैं उनपर 80 लाख कर बकाया है। उसकी वसूसी नहीं हो रही है। टोबैको कंपनियां इंडिया में जो हैं चार और उनकी जो सब्सीडियरी कम्पनियों में, उनपर भी करोड़ों रुपये का एक्साइज कर का बकाया है। सरकार इस बात की स्टडी नहीं कर पाई है जो इसमें कमजोरियां और लूपहोल्स हैं उनको किस तरह से दूर किया जाए। उदाहरण के लिए एक सिग्रेट की डिब्बी पर एक रुपया लिखा रहता है।

भारत की जो चार बड़ी-बड़ी टोबैको कम्पनी हैं, उनकी पैदावार पर 72 पैसे एक्साइज कर लगता है। कम्पनी प्राइज, कन्ज्यूमर प्राइज, डिस्ट्रीब्यूशर प्राइज और रिटेल प्राइज—इन चारों में अन्तर है। हम लोग प्रति डिब्बी एक रुपया जनता से लेते हैं, उनको बहुत कम में देते हैं। इससे भी हम लोगों को सबक लेना चाहिए कि व्यवसायी वर्ग जो है, वह सरकार को झांसा देता है। इससे लगता है कि सरकार और उनकी मिलीभगत है। इससे राष्ट्र को क्षति होती है। अभी तक अरबों रुपया उत्पादन कर, बिक्री करके रूप में बाकी है। इस तरह से कर के बीच बड़ा संघर्ष हो रहा है। यह उचित होता कि जितने भी कल-कारखाने हैं, जितनी भी वस्तुयें पैदा होती हैं, उनका उत्पादन कर फैक्ट्री में लगाया जाए ताकि उसके बाद तो दुकानदार द्वारा, होलसेल द्वारा और रिटेलर द्वारा जो टैक्स लगता है, वह बच सके। दाम बढ़ता जाता है। सेल्स टैक्स को तो समाप्त ही कर देना चाहिए। उत्पादन जो होता है, उस पर उत्पादन कर वहीं पर लगाया जाए। उसकी पूरी जांच पड़ताल की जाए और मशीनरी राइट की जाए, ताकि वहां पर भ्रष्टाचार न चल सके और जनता को राहत मिल सके।

इस दिशा में और भी विचार करके सम्पूर्ण तरीके से काम्प्रिहैंसिव बिल लाना चाहिए। ड्यूटी के डिसीजन पर आप यह अमेंडमेंट ला रहे हैं अगर उसमें और भी डिसीजन आने वाले हैं, तो अच्छा नहीं है कि बार-बार एक-एक अमेंडमेंट के लिए आप बिल लायें। इसके लिए आप एक

कमेटी बनाकर, जिसमें अर्थ-शास्त्री, विशेषज्ञ और बड़े-बड़े व्यवसायी और जनता के प्रतिनिधी हों, इसमें इस पर चिन्तन मनन करना चाहिए। ताकि जनता को लाभ मिल सकें।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिरामा राव) : उपाध्यक्ष महोदय जी, मैं सभी सात सदस्यों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इस विधान के सम्बन्ध में चर्चा में भाग लिया है। श्री भोगेन्द्र झा सबसे पहले बोले और उन्होंने यह कहा था कि इस अध्यादेश की विशेष तौर से उस समय घोषणा करने की आवश्यकता नहीं थी जबकि संसद की बैठक इसी महीने हो रही थी। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया था कि हमें इसमें जल्दी नहीं करनी चाहिए थी, इसके बजाय हमें उच्चतम न्यायालय में अपील करनी चाहिए थी। मैं उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह सरकार गत एक वर्ष में कोई दूसरा अध्यादेश नहीं लाई है, यह केवल एक ही अध्यादेश था जो पिछले महीने निकाला गया था और यह भी इसलिए इसे निकालना अत्यन्त आवश्यक हो गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को देखते हुए प्रति दिन करोड़ों रुपये के नुकसान का प्रश्न था।

श्री बापूसाहिब परुलेकर (रत्नगिरी) : आपने 6 अगस्त से 27 सितम्बर तक प्रतीक्षा की थी।

श्री पट्टाभिरामा राव : प्रश्न यह नहीं है। हमने कोई समय बरबाद नहीं किया। हमने उच्चतम न्यायालय में अपील करने की अनुमति मांगी थी। हमने उच्चतम न्यायालय में अपील कर दी है। इसी बीच दुर्भाग्यवश देश भर के व्यापारी निर्माता स्थगन आदेश लेने के लिये न्यायालय में जा रहे थे और इस प्रकार हमें भारी नुकसान हो रहा था, यद्यपि इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार केवल इस संघ राज्य क्षेत्र तक ही सीमित था। प्रश्न यह है कि हम न तो समय देना चाहते थे और न यही चाहते थे कि वे इस प्रकार न्यायालय में जायें और उन याचिकाओं के लिए स्थगन प्राप्त करें जिन्हें व दायर कर रहे थे।

श्री अमल दत्त : आपका 400 करोड़ रुपये का अनुमान केवल दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के आधार पर है अथवा पूरे भारत पर ?

श्री पट्टाभिरामा राव : वह सम्पूर्ण भारत के लिए है।

अमल दत्त : तब यह संगत नहीं है।

श्री पट्टाभिरामा राव : क्यों ?

श्री अमल दत्त : क्योंकि, जैसाकि मैंने कहा था, दिल्ली उच्च न्यायालय का प्राधिकार केवल दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र तक है।

श्री पट्टाभिरामा राव : अन्य स्थानों के व्यापारी भी यहां आ रहे हैं और याचिकाएं दायर कर रहे हैं। मैं आपको यही बता रहा हूं। अतः प्रत्येक व्यापारी यह सोचता है कि उसे यही याचिका दायर कराने का अधिकार है और तब वह याचिका दायर करा रहे हैं और स्थगन ले रहे हैं। इस तरह हमें भारी नुकसान हो रहा है।

श्री अमल दत्त : क्या आपने मंत्री महोदय के विवरण को देखा है ? इसमें कहा गया है कि कुछ ही रिट याचिकाएं दायर की गयी हैं ।

श्री पट्टाभिरामा राव : कुछ ही या अधिक यह प्रश्न नहीं है । लेकिन उनकी संख्या काफी है । प्रश्न यह है ; चाहे कुछ ही हो अथवा अधिक आय का नुकसान बहुत अधिक है आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि···

श्री अमल दत्त : उच्चतम न्यायालय ने आपको अभी तक अनुमति नहीं दी ।

श्री पट्टाभिरामा राव : यह प्रश्न नहीं है । लेकिन प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है ।

श्री अमल दत्त : मैं प्रक्रिया को जानता हूं ।

श्री पट्टाभिरामा राव : इसे विधि मंत्रालय को भेजा गया है और उन्होंने हमें सलाह दी है । तथापि हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते । प्रतिदिन हमें भारी नुकसान हो रहा है । जैसाकि मैंने कहा है । उच्चतम न्यायालय के निर्णय तक प्रतीक्षा करना सम्भव नहीं है ।

श्री अमल दत्त : मैंने बताया है कि 6 अगस्त से 24 सितम्बर तक प्रतीक्षा की गई है । मेरा विशिष्ट प्रश्न है कि क्या वे उच्चतम न्यायालय में गये हैं । आपने उच्चतम न्यायालय में प्रार्थना पत्र कब दिया था ? आपको अब तक अनुमति क्यों नहीं मिली ? आप इस प्रश्न को स्पष्ट करें । आप इस प्रकार विधेयक पास कराने इस सदन में आते हैं लेकिन आपके पास कोई विशिष्ट ब्यौरा नहीं है । आपको 24 सितम्बर को उच्चतम न्यायालय में जाना चाहिए था । आप कब गये ?

श्री पट्टाभिरामा राव : उस पूरी प्रक्रिया में समय लगता है । कृपया मेरी बात सुनिये ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप उसकी बात क्यों नहीं सुनते ? वह केवल आपको ही उत्तर नहीं दे रहे हैं बल्कि सभी सदस्यों को उत्तर दे रहे हैं । उन्हें अपना उत्तर पूरा कर लेने दीजिए और यदि आप कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं तो मैं आपको इसकी अनुमति दूंगा ।

श्री पट्टाभिरामा राव : मैं उल्लेख कर रहा हूं और मेरा ख्याल है कि श्री झा तथा कुछ अन्य सदस्यों ने उस प्रश्न को उठाया था कि उच्चतम न्यायालय में एक अपील दायर की जानी चाहिए । हमें प्रतिदिन भारी हानि होती है जिसे हम वहन नहीं कर सकते । श्रीमन, चूंकि आप यह जानकारी चाहते थे, मैंने इसे अभी प्राप्त किया है । उच्च न्यायालय के निर्णय से लेकर 125 अधिक रिटें दायर की गयी हैं और स्थगन आदेश लिये गये हैं, जिसमें करोड़ों रुपये फंसे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : 125—क्या आप संतुष्ट नहीं हैं ? क्या यह संख्या कम है ।

श्री बापू साहिब परूलेकर : प्रश्न यह है कि सरकार ने अनुमति के लिए प्रार्थना पत्र कब ा था ? विद्वान मित्र यही पूछ रहे थे । वह उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं ?

श्री पट्टाभिरामा राव : हमें सबसे पहले अनुमति प्राप्त करनी चाहिए । जब तक हम ति नहीं प्राप्त करते···

श्री बापू साहिब पल्लेकर : आपने अनुमति के लिए कब आवेदन दिया था ?

श्री पट्टाभिरामा राव : आवेदन देने का प्रश्न नहीं है। मेरी बात सुनिए—इनके लिए एक प्रक्रिया को पूरी करनी पड़ती है और उसमें समय लगता है। इसके बजाय (व्यवधान)। आप मुझे अपनी बात कहने की अनुमति क्यों नहीं देते ? मैंने आपकी बात बहुत शान्ति से सुनी है ...।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बाद में स्पष्टीकरणों के बारे में पूछ सकते हैं। इनको अपना उत्तर पूरा कर लेने दीजिए।

श्री पट्टाभिरामा राव : यदि आप उस सब के लिए प्रयास करते हैं तो इसमें अधिक समय लगेगा, और जैसाकि मैंने उल्लेख किया है प्रतिदिन हमें करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है। फिर इसी बीच इतनी अधिक रिटें दायर हुई हैं। अतः अध्यादेश जारी करना और फिर सभा के समक्ष आना ही सर्वोत्तम उपाय था। अन्यथा हमें नुकसान होता। श्री अग्रवाल जो आप पहले वित्त मंत्री रह चुके हैं। आप यह जानते हैं कि इसका अभिप्राय क्या है ?

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) मैंने इसलिए विधेयक का विरोध नहीं किया था। लेकिन मैं अध्यादेश जारी करने की प्रवृत्ति का विरोध करता हूं।

श्री पट्टाभिराम राव : कोई अन्य तरीका नहीं है। दिल्ली उच्च न्यायालय के इस फैसले से हमें करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा था, तो क्या हमें प्रतीक्षा करनी थी और हमें चुपचाप तथा धैर्य पूर्वक यह देखना था कि हमें कितने रुपयों का नुकसान हो रहा है। क्या यह ठीक है ? तो यह राजस्व कहा जा रहा है ? क्या यह उपभोक्ताओं की बजाय निर्माताओं की जेबों में जा रहा है। आप इसे पसंद करते हैं ? क्या यह समाजवादी पद्धित है जिसे आप प्रोत्साहन देना चाहते हैं। वस्तुतः नहीं, मुझे विश्वास है कि आप इसके समर्थक नहीं होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि मेरी सूचना सही है तो व्यवसायियों ने इसे पहले जनता से वसूल कर लिया है। जो कुछ मैंने कहा, क्या यह सही है ?

श्री पट्टाभिरामा राव : हां, श्रीमन, उन्होंने वसूल किया है और इसे उपभोक्ता को नहीं दिया है। यही सारी समस्या है जिस राजस्व को अब हम प्राप्त कर रहे हैं उसे उपभोक्ताओं को नहीं दिया जा सकता है। अतः जब तक हमने यह अध्यादेश नहीं निकाला और इसे रोका नहीं तब तक राजस्व को आगे और वसूल करने जाना सम्भव नहीं था।

एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जिसे श्री व्यास सहित कुछ मित्रों ने उठाया था वह बिक्री कर के बारे में है। उन्होंने कहा था कि बिक्री कर के बजाय केन्द्रीय उत्पादन लेवी क्यों नहीं। आप यह भली भांति जानते हैं कि बिक्री कर एक राज्य का विषय है। जब तक राज्य इसके परिवर्तन की अनुमति नहीं देते। यह सम्भव नहीं हैं। हां, अब चूंकि उन्होंने तम्बाकू, चीनी तथा तीन वस्तुओं के लिए अपनी स्वीकृत दे दी हैं इसलिए केन्द्रीय उत्पादन शुल्क लगाया गया है। लेकिन फिर अड़चन आ गयी है। सम्पूर्ण लाभ राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों को जायेगा। केन्द्रीय सरकार को राजस्व नहीं मिलेगा।

इसलिए पंडित कमलापति त्रिपाठी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जो इस प्रश्न पर विचार करेगी और उनसे रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद हम इस पर विचार करेंगे तथा यह देखेंगे कि हम उस मामले में किस तरह अच्छे से अच्छा सुधार कर सकते हैं अथवा हम कैसे अधिक वस्तुओं को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के अन्तर्गत ला सकते हैं। मेरे अधिकांश मित्र संसद की बैठक से पहले अध्यादेश के जारी करने के बारे में ही बातें करते रहे हैं। मैंने इसके बारे में बतला दिया है। मेरे विचार से श्री दत्ता चाय पर कर लगाने के बारे में कह रहे थे। वस्तुतः चाय पर यह कर चाय के गुण के अनुसार लगाया गया था। यह ऐसा नहीं है कि सब जगह एक ही वस्तु पर कर लगाया गया है। (व्यवधान) केवल मूल्य पर नहीं बल्कि गुण पर। मूल्य गुण के अनुरूप होता है।

श्री अमल दत्त : क्या आप दार्जिलिंग चाय में लगने वाली अधिक उत्पादन लागत पर विचार नहीं कर रहे हैं ? यही मेरा विशिष्ट प्रश्न था।

श्री पट्टाभिरामा राव : इन सभी पर विचार किया गया होगा। लेकिन किसी भी तरह वह विषय इस विधेयक के क्षेत्र में नहीं आता है। वह एक पृथक मामला है। तथापि मैं आपको उत्तर दे रहा हूं।

कुल मिलाकर माननीय सदस्यों ने स्थिति की गम्भीरता को समझा है और यद्यपि वे कहते हैं कि संसद की बैठक से पहले अध्यादेश जारी नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन जैसा कि मैंने स्पष्टीकरण दिया था हमें करोड़ों रुपयों का नुकसान हो रहा था, और इसलिए हमें अध्यादेश जारी करना पड़ा था और कोई रास्ता नहीं था। अतः इसकी गहराई में जाकर सभा का और अधिक समय लेने की बजाय, मैं सभा से इस विधेयक को स्वीकार करने का अनुरोध करता हूं।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : माननीय मंत्री महोदय ने कुछ प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश की है और उन्होंने कुछ बुनियादी प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है। उन्होंने सभा को यह जानकारी नहीं दी कि 6 अगस्त और 24 सितम्बर जबकि अध्यादेश जारी किया गया था, के बीच वास्तव में कितने रुपयों का नुकसान हुआ था। इस मामले पर पहले विचार क्यों नहीं किया गया और क्या उसके लिए कोई राजनीतिक अथवा प्रशासनिक स्तर पर जिम्मेदारी तथा दायित्व निर्धारित किया गया है। लेकिन देश उसे जानना चाहेगा। इसके परिणामस्वरूप, 24 सितम्बर से 4 अक्तूबर तक जब सभा की बैठक शुरू हुई, यदि वे अध्यादेश जारी न करके इस सभा की प्रतीक्षा करते तो उनको कितनी धनराशि का नुकसान होता ?

अगर वे यह कहते हैं कि 6 अगस्त से 24 सितम्बर तक यह हानि हुई, तो इस अवधि में देश को कितना नुकसान हुआ ? देश को 24 सितम्बर से 4 अक्तूबर तक वास्तव में कितना नुकसान हुआ ? मैं समझता हूं कि 24 सितम्बर से 4 अक्तूबर तक जो नुकसान हुआ वह इतना नहीं था कि उसके लिए 24 सितम्बर को अध्यादेश घोषित करने की जरूरत पड़े जबकि 4 अक्तूबर को संसद की बैठक होनी थी, इसीलिए ऐसा प्रश्न उठा है। उपभोक्ताओं से उद्योगपतियों या थोक विक्रेताओं या बड़े व्यापारियों द्वारा कर वसूल किया गया और यह अभी भी वहां पड़ा है। सदन में से कोई भी व्यक्ति इन बड़े ठगों का समर्थन नहीं करेगा वरन हम उपभोक्ताओं का ही समर्थन करेंगे। इसमें

कोई आशंका नहीं है यहां मुख्य बात यह है कि आपने संसद की उपेक्षा की है तथा सदन की कोई महत्ता नहीं समझी है—आपने सदन का आदर नहीं किया है, अब सदन के समक्ष यह निर्विवाद तथ्य है। आपने अध्यादेश घोषित किया है जो अच्छी बात नहीं है। आपकी यह प्रथा ही गलत है। आप ऐसी प्रथा बना रहे हैं जो कि हमारे लोकतंत्र के लिए हमारी संसदीय प्रणाली के लिए बहुत बुरी है। इसीलिए मैंने यह अस्वीकृति प्रस्ताव रखा है।

दूसरी बात इस प्रकार है। जब उत्पाद शुल्क पर विचार किया जा रहा था और सरकार उपभोक्ताओं का पक्ष ले रही थी तो मैंने माननीय मंत्री जी से कुछ संन्तोषजनक उत्तर मांगे थे। उदाहरणार्थ नमक का प्रश्न आज भी उठ रहा है। नमक के मुद्दे में हमने स्वतंत्रता-संग्राम में भाग लिया था। जब गांधी जी ने नमक जैसा छोटा मुद्दा चुना तो उस समय कई बुद्धिजीवियों ने यह तर्क किया कि इतने छोटे मुद्दे को क्यों चुना गया है। यह मुद्दा प्रत्येक व्यक्ति से सम्बन्धित था चाहे वह गरीब हो या अमीर, इसलिए यह मुद्दा उठाया गया।

आज सरकार आम आदमी की बात करती है। यह नमक पर कर छूट नहीं करती है। आप नमक तक को सस्ता नहीं बता सकते हैं। क्या सरकार अभी यह घोषणा करने का साहस जुटा सकती है कि वह सम्पूर्ण देश में नमक पर से उत्पाद शुल्क की छूट देने संबंधी कोई संशोधन विधेयक बाद में प्रस्तुत करेगी जिससे सम्पूर्ण विश्व को यह पता हो जाएगा कि इस में नमक पर उत्पाद शुल्क से छूट मिल गई है। महोदय, मंत्री जी ने चुप्पी साध ली है उन्होंने अपने वक्तव्य में कतिपय बातें कही हैं और सरकार की ओर से यह तर्क दिया है कि कंट्रोल का कपड़ा सस्ता करने के लिए उन्हें कपड़े की अन्य किस्मों पर उत्पाद कर वसूल करना होगा। महोदय, मैंने यह मुद्दा उठाया था और मैं इसे फिर उठा रहा हूं। सरकार ऐसी नीति का पालन कर रही है जिससे सार्वजनिक क्षेत्र दण्ड भुगत रहा है। वस्त्र-मिलों की श्रेणी में मेरे अनुमान से उन्होंने 103 मिलों का राष्ट्रीयकरण किया है, ये कई वर्षों से बुरी हालत में होने के बाद ही सरकार के नियंत्रण में ली गई हैं। मिल मालिकों ने इन्हें बन्द कर अन्य मिलें खोल ली हैं। कामगार बेरोजगार हो गए हैं तथा उत्पादन में अवरोध उत्पन्न हो गया है, ऐसी हालत में इन मिलों को सरकार के नियन्त्रण में ले लिया गया तथा यह बोझ राष्ट्रीय वस्त्र निगम पर आ पड़ा। निजी क्षेत्र के ठगों को लोगों को लूटने की छूट मिलती रही, ऐसी अवस्था में क्या वे कपड़े की अन्य किस्मों पर उत्पाद शुल्क न लगने की बजाए कपड़े की बहुत महंगी किस्मों पर ही यह शुल्क लगाकर इस नीति को आम आदमी के पक्ष में परिवर्तित कर रहे हैं? पर आम आदमी के लिए बना कपड़ा-कंट्रोल का कपड़ा उपलब्ध नहीं है। आम आदमी को कपड़ा नहीं मिल रहा है। ये प्रसंगानुकूल प्रश्न है। यदि इन सब बातों का ध्यान रखा जाए तो सत्र की पूर्व सन्ध्या में अध्यादेश की घोषणा करना मेरे विचार से गलत है। अतः मैंने सदन के समक्ष राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश पर अस्वीकृति प्रस्ताव रखा है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री भोगेन्द्र झा का प्रस्ताव सदन में मतदान हेतु के लिए प्रस्तुत करता हूं। प्रश्न यह है कि :

> "यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 24 सितम्बर 1982 को प्रख्यापित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विधि (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 1982 (1982 की अध्यादेश सं० 1) का निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से सम्बन्धित विधियों का संशोधन करने और ऐसी विधियों के अधीन संगृहीत उत्पाद-शुल्कों के विधिमान्यकरण के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन में विधेयक पर खण्डवार विचार किया जायेगा प्रश्न यह है :

"खण्ड 2 तथा 3 विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2 तथा 3 विधेयक में जोड़ दिये गए ।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र में तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गए ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिरामा राव) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

श्री टी० आर० शमन्ना (बंगलौर दक्षिण) : महोदय इस विधेयक पर बहुत बहस हो चुकी है और मंत्री ने भी अपना उत्तर दे दिया है । मेरे विचार से विश्व के किसी भी देश में हमारे भारत के बराबर कर यथा-सम्पदा शुल्क, विशेष उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, केन्द्रीय बिक्री कर आदि नहीं है और राज्यों में भी विभिन्न प्रकार के कर जैसे— चुंगी तथा कई उप-कर जैसे शिक्षा उप-कर आदि हैं । इन करों से वसूल राशि प्रत्येक राज्य में अलग-अलग है ।

महोदय, हाल ही में मैं जर्मनी गया था और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वहां मुश्किल से तीन या चार कर लगाए गए हैं और वे भी स्रोतों के आधार पर, यदि थोड़े से कर लगाए जाएं तो बहुत सा खर्च बचाया जा सकेगा तथा कर दाताओं की बहुत सी चिन्ताएं दूर हो जाएंगी । जितने अधिक कर वसूल करने के तरीके आप अपनाएंगे उतना ही करदाता को सरकार से धोखा करने की सीख मिलेगी । कराधान का मूल सिद्धान्त इसका साधारण मितव्ययी तथा सरलता से वसूल किया जा सकने वाला होता है । महोदय, यहां 1944 से संरक्षण हेतु अधिनियम में संशोधन करने जा रहे हैं और इसमें यह कहा गया है कि :

"महत्वपूर्ण समय पर लागू ।"

अत: यह इसके 100 वर्ष पुराना होने पर भी इसपर लागू हो सकता है महोदय, सरकार पास कई कानूनी विशेषज्ञ हैं और उचित छानबीन के बाद बनाए गए विधानों पर ऐसी चीजें लन्न नहीं हो सकती । फिर, मंत्री ने यह कहा है कि यह प्रथम अध्यादेश है । यह इस सत्र के

लिए प्रथम अध्यादेश होता है, पर इससे पहले भी कई अध्यादेश पारित किए जा चुके हैं। गुंडूराव की सरकार ने एक वर्ष में 39 अध्यादेश पारित किए।

उपाध्यक्ष महोदय : इस बात का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है आप अपने दल के सदस्यों से वहां इसका विरोध करने को कह सकते हैं;

श्री टी० आर० शमन्ना : महोदय, मेरा सुझाव है कि इसकी उचित छानबीन होनी चाहिए, लोगों को परेशान न किया जाए तथा कर दाताओं पर भी उतना कर लगाया जाए जितना वे वहन कर सकें। मेरे विचार से भारत सरकार आगे से ऐसी अनियमितताएं नहीं होने देगी तथा जो कर लागू किए जाएं वे बहुत ही सीधे-सादे तथा उपयोगी होने चाहिए।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष जी, इस विधेयक के जरिए अगर बड़े लोगों पर, पैसे वालों पर, पूंजीपतियों पर उत्पाद शुल्क ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाता तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती। लेकिन सरकार बुनियादी तौर पर जनता पक्षीय नहीं है, आम जनता का पक्ष नहीं लेती है, बल्कि उन पर चोट करती है और बड़े पूंजीपतियों का पक्ष लेती है। इसकी यह नीति है। यही वजह है कि नमक पर भी शुल्क बढ़ रहा है, या उस पर लगेगा। मोटे कपड़े पर भी लगेगा, बीड़ी और चाय पर भी आपने कर लगाया है। तो मैं केवल दो बातों की चर्चा करना चाहता हूं।

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : उपाध्यक्ष जी, इनको डबल पेंशन मिलनी शुरू हो गई है, संसद से भी और स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी की भी।

श्री रामावतार शास्त्री : संसद की तो अभी नहीं मिलती है, जब मेम्बर नहीं रहेंगे तब मिलेगी भाई।

उपाध्यक्ष महोदय : वह ये जानना चाहते हैं कि क्या आप दुगनी पेंशन ले रहे हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : उन्हें यह पता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपको नहीं मिल रही है ?

श्री रामावतार शास्त्री : मैं कैसे ले सकता हूं ? मुझे एक ही मिली है।

उपाध्यक्ष महोदय : वे अब संसद सदस्य हैं, अतः उन्हें एक ही मिलनी है।

आचार्य भगवान देव : हमेशा यह मांग करते रहे हैं कि यह बढ़ाई जाय, अधिक दी जाय। डबल पेंशन के हमेशा हिमायती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शास्त्री द्वारा किया गया त्याग महान है। मैं जानता हूं कि वे कई वर्ष जेल में रहे हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : मुझे सरकार ने मजबूर किया बोलने के लिए, नमक और मोटे कपड़े को शामिल करके। नमक सत्याग्रह याद रखिये, मेरी राजनीतिक पैदाइश 1930 में नमक सत्याग्रह से ही हुई। नमक सत्याग्रह गांधी जी ने चलाया, पूरे देश को इकताबद्ध किया और उनकी

मांग थी कि गरीब से गरीब और अमीर से अमीर नमक सब कोई इस्तेमाल करता है। इतनी उपयोगिता शायद और किसी चीज की नहीं है। इसलिये उन्होंने कहा कि गरीबों पर टैक्स लगाना नमक के जरिये गलत है, और उन्होंने नमक सत्याग्रह बहुत बड़े पैमाने पर हिन्दुस्तान में शुरू किया। यह सरकार महात्मा गांधी की अनुचर अपने को बताती है, उनका अनुसरण करने वाली बताती है। लेकिन उनके द्वारा जिस कर का विरोध किया गया उस कर को लगाती भी है। यह अजीब विडम्बना है। तो इस तरह से कम से कम नमक पर तो टैक्स नहीं लगाना चाहिये, और पर लगायें।

आचार्य भगवान देव : उपाध्यक्ष जी, आजादी की जो लड़ाई लड़ी गई वह पेंशन के लिये नहीं लड़ी गई।

उपाध्यक्ष महोदय : जब महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया तो यहां विदेशी सरकार थी, अब वही बात नहीं है, यहां एक राष्ट्रीय सरकार है। अब समस्त कर देश के लोगों को ही मिलता है। पहले यह इंग्लैंड जाता था।

श्री रामावतार शास्त्री : मेरा कहना यह है कि गरीब लोगों को इससे नुकसान हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : उस समय परिस्थितियां भिन्न थी, अब यह लोगों को मिल रहा है।

श्री रामावतार शास्त्री : तो नमक को तो कर से बिल्कुल मुक्त रखिये और गांधी जी की शिक्षा पर चलिये। विदेशी सरकार हो या देशी सरकार, नमक का इस्तेमाल गरीब करता है जिसको आज खाने को नहीं मिल रहा है वह भी मार में नमक मिला कर पी लेता है। तो इसका तो हम कभी समर्थन नहीं कर सकते हैं कि नमक पर उत्पाद शुल्क आप लगायें।

ठीक उसी तरह से मोटा कपड़ा। अजीब तरीका है, यानी जो कपड़ा सरकार बनाये जनता के लिये उस पर टैक्स लगा दीजिये, और जो बड़े-बड़े पूंजीपति टाटा, बिड़ला, डालमिया आदि बनायें, निजी मिल मालिक बनायें उन पर उत्पाद शुल्क उतना नहीं लगाइये, कम लगाइये या तुलना में उसको कम कीजिए। इसलिए हम समझते हैं कि गरीब लोग जिस कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, खासकर आपका कन्ट्रोल्ड क्लाथ होता है, पहले तो वह आसानी से मिलता नहीं है क्योंकि आज भी मेरे पास पटना से चिट्ठियां आ रही हैं कि हम लोग दुकानदार हैं और हमारे पास कपड़ा नहीं है, फिर आप इस विधेयक के जरिये उस पर टैक्स बढ़ाना चाहते हैं तो आप उस पर टैक्स मत बढ़ाइये। एक तरफ तो आप बीस सूत्री प्रोग्राम के अन्तर्गत मोटा कपड़ा गरीबों को देना चाहते हैं, फिर उस पर टैक्स बढ़ाना चाहते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप मोटे कपड़े को इससे छूट दीजिये।

जहां तक फैन्सी कपड़े की बात है, यहां से भगवान देव जी चले गये, यदि उनकी तरह कोई फैंसी कपड़े पहनें, तो उन पर आप अधिक टैक्स लगा दीजिये, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन

गरीब जिस कपड़े का इस्तेमाल करता है, उस कपड़े पर इस तरह का शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

इसलिए मैं आपका ध्यान दो बातों की तरफ विशेष रूप से दिलाना चाहता हूं और सरकार से चाहूंगा कि जैसा अग्रवाल जी ने कहा कि नमक पर शुल्क नहीं लगाया जा रहा है, मैं जानना चाहूंगा कि सचमुच में क्या आपने नमक को छोड़ दिया है। यदि छोड़ दिया है, तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा। यदि नहीं छोड़ा है और आप नमक पर भी उत्पाद शुल्क लेना चाहते हैं तो मैं उसका विरोध करता हूं। नमक और मोटे कपड़े को आप छोड़िए। फिलहाल तो हम चाय पर भी छोड़ने के लिए कहेंगे, लेकिन इन दो चीजों पर विशेष रूप से, एक तो नमक और दूसरा राशन की दुकानों से मिलने वाला कन्ट्रोल्ड कपड़ा। वैसे राव साहब हमारे पुराने दोस्त हैं, एक कमेटी में हम दोनों थे। इसलिए उनसे निवेदन करने का मेरा अधिकार है कि आप इन दोनों चीजों को उत्पाद शुल्क से मुक्त करने पर विचार कीजिए। धनी लोगों पर कर खूब लगाइये, हम समर्थन करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अमल दत्त आप इस विधेयक पर हुए वाद विवाद में पहले ही भाग ले चुके हैं। मैं आपको विशेष स्थिति में कुछ स्पष्टीकरण मांगने हेतु अनुमति दे रहा हूं। आप भाषण नहीं दे सकते। कृपया अपने मुद्दे रखें।

श्री अमल दत्त : यह इस तरीके से नहीं हो सकता है···

उपाध्यक्ष महोदय : आप भाषण नहीं दे सकते। आप भाषण पहले ही दे चुके हैं। अगर मैं आपको आज ऐसा करने की अनुमति दे दूं तो आपको यह भी नहीं भूलना चाहिए कि मुझे ऐसी अनुमति सब सदस्यों को भी देनी पड़ेगी, कृपया अपने स्पष्टीकरण मांगें।

श्री अमल दत्त : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने भाषण में एक बात यह कही थी कि देश में इन चार वर्षों में अप्रत्यक्ष कर 70 से बढ़कर 75% हो गए हैं, जिसका अर्थ है कि सरकार अप्रत्यक्ष करों के माध्यम से लोगों में असमानता को बढ़ावा दे रही है, मुझे पता नहीं कि योग्य मंत्री जी ने इस बात पर गौर किया है या नहीं पर उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया है, मुझे आशा है कि वे अब इसका उत्तर देंगे।

मेरा दूसरा स्पष्टीकरण उस मामले पर है जिससे अध्यादेश जारी किया गया तथा अब सदन के समक्ष वह विधेयक लाया जा रहा है। विशेष छुट्टी के लिए आवेदन पत्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के पास किस तारीख से दायर किया था। मेरे लिए यह जानना बड़ा महत्वपूर्ण है कि यह इस अध्यादेश की घोषणा से पहले किया गया या बाद में।

इसी सन्दर्भ में यह बताया गया है कि 125 लेख याचिकाएं दायर की गई थी, इन 125 लेख याचिकाओं में कितना धन अन्तर्गस्त था ? इस बात को स्पष्ट नहीं किया गया है। सरकार किस आधार पर 400 करोड़ रु० के आंकड़ों पर पहुंची है ?

मैं इन बातों पर मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहता हूं। फिर, तीसरे···

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक और भाषण दे रहे हैं। यह संभव नहीं है, आप सदन का इस तरह समय नहीं ले सकते हैं, इस विधेयक के लिए कुल एक घंटा निश्चित किया गया है।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस चर्चा में ज्यादा समय नहीं लूंगा। अध्यादेश अस्वीकार करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर मैंने भी हस्ताक्षर किए हैं। जहां तक इस विधेयक के तीसरे चरण का सम्बन्ध है, मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं।

इस विधेयक पर होने वाली बहस में हिस्सा लेते हुए, मेरे सहयोगी श्री रामावतार शास्त्री ने यह बात कही थी कि नमक पर कोई उत्पाद शुल्क नहीं होना चाहिए। उनकी जानकारी के लिए, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि नमक पर किसी प्रकार का कोई उत्पाद शुल्क नहीं है, परन्तु वित्त विधेयक के माध्यम से ही नमक को शुल्क की लेवी से छूट दी जाती है। हर सरकार की यही नीति रही है, चाहे वह कांग्रेस सरकार हो या जनता सरकार, कि नमक पर कोई शुल्क न लगाया जाए। यदि यही स्थिति है और यही स्थिति जारी रहती है तो मैं एक सुझाव देना चाहूंगा। कोई भी दल सत्ता में आए, कोई भी दल नमक पर उत्पाद शुल्क लगाने का समर्थन नहीं करेगा। अब सरकार एक व्यापक उत्पाद कानून लाने का विचार कर रही है। इस समय, इस बारे में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 है। मेरा सुझाव है कि जब सरकार एक व्यापक उत्पाद शुल्क विधेयक पेश करे तो 'नमक' शब्द का हमेशा से लोप कर दिया जाये। यह इसलिए कि भविष्य में कोई भी सरकार उन्मत्त हो सकती है और नमक पर उत्पाद शुल्क लगा सकती है क्योंकि कानून रूप से उत्पाद शुल्क लगाने की व्यवस्था है। केवल वित्त विधेयक के माध्यम से ही नमक पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाता और यही घोषणा हर वर्ष की जाती है। परन्तु भविष्य के सम्बन्ध में देश वासियों का यह इरादा स्पष्ट हो जाना चाहिए कि चाहे कोई भी सरकार सत्ता में आए, परन्तु वह नमक पर कोई उत्पाद शुल्क नहीं लगा सकेगी। यही व्यापक उत्पाद शुल्क विधेयक ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम होना चाहिए, न कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम।

1979 से, जब मैं सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क का प्रभारी मंत्री था मुझे याद है कि हम सदन में और इसके बाहर उद्घोषणा करते रहे हैं कि सदन में एक व्यापक उत्पाद शुल्क विधेयक पेश करेंगे। उत्पाद शुल्क कानून में मुश्किल से 10-12 धाराएं हैं, और सारा प्रशासन नियमों द्वारा नियन्त्रित है। विभागों द्वारा बार-बार नियमों में परिवर्तन किए जाते हैं, केवल सदन के सभापटल पर नियमों की एक प्रति रखी जाती है। नियमों में आमतौर पर कोई संशोधन और परिवर्तन नहीं किये जाते। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जहां तक इस व्यापक उत्पाद शुल्क नियम का सम्बन्ध है आप जितनी जल्दी भी यह विधान पेश करें उतना ही बेहतर है। यदि आप इसे अब पेश नहीं कर सकते तो इसे कम से कम बजट सत्र में तो पेश कर ही दें, क्योंकि हम गत चार वर्षों से सदन में यह घोषणाएं करते रहे हैं कि हम एक ऐसा विधान पेश करेंगे। और इस सम्बन्ध में मैंने इस विधान का प्रारूप तैयार करने के लिए कर्मचारियों की स्वीकृति भी दे दी थी। परन्तु दुर्भाग्यवश गत चार-पांच वर्षों से इसे पेश नहीं किया गया।

अब, अन्तिम और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात कहूंगा। मुझे इस विभाग के कार्यचालन का बहुत अनुभव है। यह विभाग भारत की संचित निधि में, भारत सरकार के कुल राजस्व के 75%

का योगदान देता है । सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क राजस्व भारत से कुल राजस्व में 75 प्रतिशत राशि आती है । परन्तु दुर्भाग्य से, केन्द्रीय स्तर पर ऐसा कोई तन्त्र नहीं है जो यह पता लगा सके कि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन पड़े मामलों की क्या स्थिति है, और इसके दावे बहुत ऊंचे हैं । यदि एक मामले में भी स्थगन आदेश दे दिया जाता है, तो सैकड़ों याचिकाएं दायर कर दी जाती हैं, क्योंकि कोई फर्म भी सरकार को उत्पाद शुल्क नहीं देना चाहती । यदि स्थगन आदेश दे दिए जाते हैं तो करोड़ों रुपया रुक जाएगा । इसलिए सदन में कोई भी सदस्य इस बात का समर्थन नहीं करेगा कि बड़े-बड़े धोखेबाज इसका लाभ उठाएं ।

लोक-लेखा समिति ने जोरदार सिफारिश की थी कि इन निर्माताओं को प्राप्त होने वाले इस वर्ष और गत वर्ष के आकस्मिक लाभ राज्यों द्वारा जब्त कर लिए जाने चाहिएं और निर्माताओं को आकस्मिक लाभ उठाने का मौका नहीं दिया जाना चाहिये इन आकस्मिक लाभों के संबन्ध में लोक लेखा समिति की पुरजोर सिफारिश है । ये लोग उपभोक्ताओं से यह कहकर उत्पाद शुल्क ले लेते हैं कि यह उत्पाद शुल्क लगेगा और उनको यह पता होता है कि वह उत्पाद शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए । वे उत्पाद शुल्क लेते रहते हैं और एक साल या इसके बाद वे इसे वापस करने के लिये प्रार्थना-पत्र दायर कर देते हैं या न्यायालय में चले जाते हैं कि कानून के अंतर्गत शुल्क नहीं लगना चाहिए, यह शुल्क उनको वापस दिया जाना चाहिए और उच्च न्यायालय करोड़ों रुपये वापस करने की अनुमति दे देता है ।

बम्बई बिक्री कर अधिनियम में एक उपबन्ध है कि यदि हमने शुल्क ले लिया है जो कानून की दृष्टि से, नहीं लिया जाना चाहिए, परन्तु क्योंकि आपने उपभोक्ता से ले लिया है, और क्योंकि यह धनराशि उपभोक्ता को वापस नहीं की जा सकती इसलिए यह धनराशि राज्य सरकार को मिलनी चाहिए जोकि लोगों के कल्याण के लिए कार्य करती है । मैं समझता हूं कि जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है सदन मेरी बात से सहमत होगा कि इन निर्माताओं द्वारा वसूल की गई धनराशि जो शुल्क के रूप में नहीं लगाई गई थी और जिसे उपभोक्ताओं को वापस नहीं किया जा सकता, वह कल्याण निधि में जानी चाहिए, जोकि भारत की संचित निधि है और न कि इन निर्माताओं को दी जानी चाहिए । इसलिए इस संबन्ध में आपको कानून में उपयुक्त संशोधन करना चाहिए ।

और अन्त में, आपको एक अभियोजन निदेशालय स्थापित करना चाहिए । सरकार को अशर्फियां लुटीं और कोयले पर मोहर वाली कहावत पर अमल नहीं करना चाहिए । इन मामलों में करोड़ों रुपया रुका पड़ा है, परन्तु केन्द्रीय स्तर पर, माननीय मंत्री जी और यहां तक कि मैं भी, हम इस स्थति में नहीं हैं कि यह पता लगा सकें कि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में कितने मामले विचाराधीन पड़े हैं और उन मामलों में कौन मुकद्दमा चला रहा है या सरकार की ओर से कौन पैरवी कर रहा है । वकीलों का स्तर बहुत ही घटिया है । उनके वेतन बहुत कम हैं । वे विधि मंत्रालय के नियन्त्रणाधीन हैं और वित्त मंत्रालय को इससे कोई लेना-देना नहीं है । और जब सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क समाहर्ता इन वकीलों के पैनल के पास जाते हैं तो वे कहते हैं कि आप मुझे एक सुनवाई का मुश्किल से 50/रु० या 100/रुपया देंगे जबकि निजी मामलों में मैं एक

हजार रुपया या दो हजार रुपया लेता हूं। वे विभागीय मामलों की परवाह नहीं करते। इसलिए वित्त मंत्रालय को ही कोई उपयुक्त तरीका निकालना है ताकि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन पड़े विभिन्न मुकद्दमेबाजी वाले मामलों में सरकार के हितों की रक्षा की जा सके और अनुपस्थिति का लाभ उठाकर उन पक्षों द्वारा स्थगन आदेश न ले लिए जाएं, तथा स्थगन आदेशों को शीघ्र रद्द कराया जा सके, और मुकद्दमेबाजी में सरकार का करोड़ों रुपये का राजस्व रुका न रहे। मुझे ऐसे बहुत मामलों की जानकारी है। टाटा टेल्को के एक ही मामले में 25 करोड़ रुपये से भी अधिक धनराशि रुकी पड़ी है। स्थगन आदेश ले लिए गए हैं; एक भी मामले में उत्पाद शुल्क वसूल नहीं किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अग्रवाल, उच्च न्यायालयों में और उच्चतम न्यायालय में भी कोई बकाया मामला नहीं होना चाहिए।

श्री सतीश अग्रवाल : महोदय, वह एक अलग बात है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह अलग मामला हो सकता है परन्तु पांच छह वर्षों तक ऐसे मामले उच्चतम न्यायायय में नहीं आते।

श्री सतीश अग्रवाल : यह देखना सरकार का काम है कि वह राजस्व सम्बन्धी मामलों को निपटाने के लिए कुछ जज निर्धारित कर सकती है या नहीं। जहां तक आपके विभाग का सम्बन्ध है और यह आपके अधिकार में और क्षेत्राधिकार में है कि एक अलग अभियोजन निदेशालय बनाया जाए और उसके सम्बन्ध में पहले से प्रस्ताव भी है, तथा यह निदेशालय खोला जाना था। परन्तु यह खोला नहीं जा सका। मैं समझता हूं कि केंद्रीकृत समन्वय या सूचना सम्बन्धी आंकड़ों और पद्धति के लिए 10 लाख रुपये खर्च करना उचित है ताकि यह निगरानी की जा सके कि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में मामलों की उचित रूप से पैरवी हो; और स्थगन आदेश आसानी से न दिये जायें और स्थगन आदेश रद्द किए जायें, उपयुक्त प्रतिभूतियां प्रस्तुत की जायें। मैं उन मामलों में विस्तार से नहीं जाना चाहता जिनमें मकान की प्रतिभूतियां प्रस्तुत की गई हों और बाद में जब विभाग वसूली के लिए गया, तो पता चला कि वह व्यक्ति वहां नहीं है और इसी तरह की बातें होती हैं। इसलिए, यह अभियोजन विभाग बनाया जाना चाहिए जिसके प्रस्ताव पहले से ही फाइलों में हैं। आप यह देखें कि इसकी स्थापना यथा शीघ्र की जाये। इन विचारों और सुझावों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं अध्यादेश का विरोध करता हूं, विधेयक का नहीं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिरामा राव) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इन तीन विपक्षी मित्रों, जिन्होंने अभी-अभी बोला है, का सम्बन्ध है, मैं पहले वक्ता श्री शमन्ना के बारे में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं समझता, क्योंकि उन्होंने अपने राज्य को ध्यान में रखकर बोला है। इसलिए, उन्होंने जो कुछ कहा मैं उसका उत्तर नहीं दे सकता उनको उत्तर देने का मेरा विचार नहीं है।

परन्तु जहां तक मेरे मित्र सर्वश्री शास्त्री और अग्रवाल का सम्बन्ध है, मैं यह कहूंगा कि श्री अग्रवाल ने ही मेरी ओर से जवाब दे दिया है कि नमक पर कोई उत्पाद शुल्क नहीं है। मैं

उनको और अन्य मित्रों को, जो नमक पर उत्पाद शुल्क के बारे में बोले हैं, बताना चाहता हूं कि नमक पर किसी प्रकार का कोई उत्पाद शुल्क नहीं लगाया जाता। परन्तु एक बात यह है कि 1944 के अधिनियम का नाम 'केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम है, हम इस नाम से 'नमक' शब्द हटाने का प्रयास कर रहे हैं और भविष्य में यह केवल केन्द्रीय उत्पाद शुल्क होगा। परन्तु इसे करने में बहुत सी औपचारिकताएं पूरी की जानी हैं। (व्यवधान)

श्री पट्टाभिरामा राव : केवल एक मिनट आप चुप रहिए। मेरे बोलने में रुकावट मत डालिए।

उपाध्यक्ष महोदय : जब कभी कोई मंत्री या कोई सदस्य उत्तर दे रहा हो या बोल रहा हो, जब वह बोलना बन्द कर दे, तब आप बोलिए। वे अभी बोल रहे हैं, आप उन्हें बोलने दीजिए।

श्री पट्टाभिरामा राव : वास्तव में पद्धतियों का पालन करना पड़ता है क्योंकि नमक का सम्बन्ध वाणिज्य मंत्रालय से है। इसलिए, हम अब इस विधेयक को जल्दी ही तैयार कर रहे हैं और इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। हम इसके नाम में भी संशोधन कर रहे हैं। "नमक" शब्द को हटा दिया जाएगा और इसके बाद इसका नाम केवल केन्द्रीय उत्पाद शुल्क होगा। जहां तक श्री अग्रवाल के अन्य बात का सम्बन्ध है, अर्थात, एक व्यापक विधेयक लाया जाना है, वास्तव में विधेयक तैयार है और इसे कभी भी पुरःस्थापित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी बात अभियोजन निदेशालय के सम्बन्ध में है। यह अच्छा प्रस्ताव है। मैं भी एक वकील हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से चाहता हूं कि ऐसा निदेशालय स्थापित किया जाये। फिर भी, मैं कोई आश्वासन नहीं दे रहा हूं मैं यह बता रहा हूं कि मैं इस विचार का स्वागत करता हूं, परन्तु हमें इसकी गहराई से जांच करनी है और यह देखना है कि अभियोजन निदेशालय के सम्बन्ध में सबसे अच्छा कदम क्या उठाया जा सकता है। हम इसकी अवश्य जांच करेंगे, क्योंकि हम राज्यों में करोड़ों रुपये का नुकसान उठा रहे हैं। हम इसकी अवश्य जांच करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दत्ता को कुछ तारीखों के बारे में जानना है।

श्री पट्टाभिरामा राव : श्री दत्ता उच्चतम न्यायालय में की गई अपील विशेष अपील की तारीख के सम्बन्ध में जानना चाहते हैं। हमने विशेष स्वीकृति मांगी है। इसमें समय लगेगा। हम इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखना चाहते थे। इसलिए हमने अध्यादेश भी जारी किया। उच्चतम न्यायालय में अपील करने से बात नहीं बनेगी (व्यवधान) इससे केवल इस मामले में देरी होगी और व्यापारियों को लाभ होगा व्यापारियों ने भी याचिकायें दाखिल कर रखी हैं और स्थगन आदेश भी मिल गए हैं। हमें बहुत अधिक नुकसान होगा। इसलिए, हमें राजस्व बचाने के लिए अध्यादेश जारी करना पड़ा था।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

———

आवश्यक सेवा (असम) अधिनियम के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना के अनुमोदन सम्बन्धी सांविधिक संकल्प तथा अनुदानों की अनुपूरक मांगें (असम 1982-1983)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगला मद लेंगे अर्थात सांविधिक संकल्प । हम मद संख्या 12 और 13 पर एक साथ चर्चा करेंगे ।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बैय्या) : महोदय, मैं निम्नलिखित संकल्प पेश करता हूं :

> "कि आवश्यक सेवा अधिनियम 1981 (1981 का 40) द्वारा यथा-संशोधित आवश्यक सेवा (असम) अधिनियम, 1980 (1980 का 41) की धारा 2 की उपधारा (2) के अनुसरण में, यह सभा असम सरकार, राजनीति (क) विभाग की 30 सितम्बर, 1982 की अधिसूचना संख्या पी० एल० ए० 906/82/125 को जारी किये जाने का अनुमोदन करती है, जिसके द्वारा आवश्यक सेवा (असम) अधिनियम, 1980 (1980 का 41) के प्रयोजनार्थ असम राज्य के अन्दर निम्नलिखित सेवायें आवश्यक सेवायें घोषित की गई हैं :
>
> (एक) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 10) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथाघोषित आवश्यक वस्तुओं का कारबार करने वाले किसी ऐसे स्थापन या किसी ऐसी दुकान, जिसे 22 जून, 1982 के असम व्यापार वस्तु (अनुज्ञापन और नियंत्रण) आदेश 1982, और असम उच्च-गति डीजल तेल (वितरण और नियंत्रण) आदेश, 1981 तथा असम, धान और चावल उपापन (अनुज्ञापन और उद्ग्रहण) आदेश, 1981 के अधीन अनुज्ञापन दिया गया है, की सभी सेवाएं ।
>
> (दो) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथाघोषित आवश्यक वस्तुओं और असम सार्वजनिक वस्तु वितरण, आदेश 1982 के अधीन अनुज्ञप्त आवश्यक वस्तुओं का कारवार करने वाले थोक और खुदरा विक्रेताओं समेत नियुक्त व्यापारियों के किसी स्थापन अथवा दुकान में सभी सेवाएं ।"

जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि अखिल असम छात्र संघ और अखिल असम गण संग्राम परिषद 1979 के अन्त से असम में विदेशियों का पता लगाकर उन्हें वहां से हटाने की मांग को लेकर असम में सम्पूर्ण ब्रह्मपुत्र घाटी में आंदोलन चला रहे हैं । अपनी मांगों को मनवाने हेतु वे असम बंद, असहयोग, काला दिवस, प्रदर्शन और रैलियां, सड़क और रेलमार्ग पर बाधा । जनता म्यू आदि का आह्वान निरन्तर कर रहे हैं । इन कार्यक्रमों से न केवल सरकारी कार्यालयों के

चलने में गम्भीर बाधा पहुंचती है अपितु इससे आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में भी बाधा पड़ती है। इन परिस्थितियों में परचून व थोक व्यापार के नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों को अपनी दुकानें बन्द करने को बाध्य होना पड़ता है जिसके परिणाम स्वरूप अस्थिरता आ जाती है और कुछ बेईमान व्यक्ति इस स्थिति का लाभ उठाकर राज्य में वस्तुओं की नकली कमी की स्थिति बना देते हैं। आंदोलन अब भी चल रहा है और प्राइवेट व्यापार के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में निरन्तर बाधा पहुंच रही है जिससे राज्य सरकार की आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की योजना पर प्रभाव पड़ रहा है। अतः दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में हड़तालों पर प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता है। राज्य सरकार का विचार है कि उक्त सेवाओं से सम्बन्धित दुकानों, प्रतिष्ठानों आदि, आवश्यक वस्तुओं उच्च गति डीजल तेल आदि का व्यापार करने वाली दुकानों आदि में हड़ताल से समुदाय के जीवन के लिए जरूरी सेवाओं तथा वस्तुओं की आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित होती है। इसलिए उन्होंने आवश्यक सेवा अधिनियम, 1981 द्वारा यथासंशोधित आवश्यक सेवा (असम) अधिनियम, 1980 की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के उप-खंड 5 के अन्तर्गत इन सेवाओं को आवश्यक सेवा घोषित किया है। राज्य सरकार ने यथा अधिसूचित आवश्यक सेवाओं में हड़तालों पर प्रतिबन्ध लगाने के आदेश भी 30 सितम्बर 1982 को जारी किए हैं। मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि असम सरकार द्वारा जारी की गई अधिरचना को स्वीकृति देने के इस संकल्प को वह स्वीकार करे। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर सत्यसाधन चक्रवर्ती। माननीय सदस्यो, इन दोनों मदों के लिए एक घण्टा नियत किया गया है। इसलिए, मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे यथासम्भव थोड़ा समय लें।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सांविधिक संकल्प का घोर विरोध करता हूं और मैं असम में आवश्यक सेवायें बनाए रखने सम्बन्धी अधिनियम को लागू करने का विरोध करता हूं।

जब इस पर इस सदन में चर्चा हुई थी तब सम्पूर्ण विरोधी पक्ष ने सरकार को यह स्पष्ट कर दिया था कि ऐसी परिस्थितियों में शरारती लोगों से निपटने के लिए देश में विद्यमान वर्तमान साधारण कानून पर्याप्त हैं और ऐसे व्यक्तियों से निपटने हेतु किसी असाधारण कानून की आवश्यकता नहीं है। हमने इस बात पर जोर भी दिया था कि कोई भी कानून जिससे भारतीय नागरिकों के मूलभूत अधिकारों का हनन होता हो वह अलोकतांत्रिक और मूल रूप से अधिकारवादी है। यह हमारे संविधान की भावना के प्रतिकूल है। दुर्भाग्यवश, यद्यपि असम में स्थिति असाधारण रूप से खराब है, मुझे ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता कि सरकार देश के साधारण कानून पर विश्वास क्यों नहीं कर रही है, जो कि इस स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त हैं।

यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि असम में पिछले 3 वर्षों से ऐसी स्थिति है कि वहां पर आम आदमी अपने को असुरक्षित महसूस करता है। आन्दोलनकारी कुछ बाहरी ताकतों अथवा बाहरी एजेंसियों के साथ मिलकर वहां पर ऐसी स्थिति पैदा करने में सफल हुए हैं कि सभी अल्पसंख्यक वर्ग धार्मिक, भाषायी, जातीय और सांस्कृतिक अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं।

आंदोलनकारी नागरिकता के निर्धारण के बारे में केन्द्रीय सरकार के अधिकार को चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने स्वयं ही भारत के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में से विदेशी लोगों का पता लगाने का अधिकार प्राप्त कर लिया है। उन्होंने न केवल स्वयं यह अधिकार ही प्राप्त किया है अपितु वे इसे क्रियान्वित करने का प्रयास भी कर रहे हैं। नागरिकता के मामले में निर्णय लेना केन्द्रीय सरकार का दायित्व है। किन्तु जब कुछ लोग छद्मवेश में असली लोगों की सांस्कृतिक के संरक्षण के लिए दोस्त बनकर यह करते हैं तो दुर्भाग्यवश, मैंने पाया है कि हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो उनसे सहानुभूति रखते हैं। केन्द्रीय सरकार इस प्रकार के आंदोलन को पिछले 3 वर्षों में कठोरता से दबाने में असफल रही है। असम में लगभग एक समानान्तर सरकार कार्य कर रही है। सम्पूर्ण राज्य तन्त्र अब आंदोलनकारियों के साथ है। केन्द्र सरकार की इस कमजोर नीति के कारण वे इतने निडर हो गए हैं कि वे जनता कर्फ्यू लगा रहे हैं। 15 अगस्त को, जब हमारे दल के लोग देश की अखण्डता और एकता के लिए लड़ रहे थे तो उन पर हमला किया गया और उनमें से कुछ मारे गए।

मैं इस सरकार से एक मूल प्रश्न पूछना चाहता हूं। हमारे संविधान की प्रस्तावना कहती है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्त्तव्य बन्धुता को प्रोत्साहन देना, स्वतन्त्रता, समानता और बन्धुता का यह विचार अथवा नारा फ्रांस की क्रान्ति के दौरान उठाया गया था। हमारे संविधान की प्रस्तावना में बन्धुता को विशेषकर इसलिए रखा गया क्योंकि हमारे देश में साम्प्रदायिक ताकतें, जातिवाद, विघटनकारी तत्त्व और पृथकवादी ताकतें विद्यमान हैं। असम में कुछ लोगों ने जनता के किसी वर्ग की अज्ञानता का लाभ उठाते हुए ऐसी स्थिति पैदा कर दी है। यह दुर्भाग्य की बात है कि केन्द्रीय सरकार इस स्थिति से कठोरता से नहीं निपट रही है।

मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं कि हमारे देश में क्या हो रहा है। काश्मीर में उन्होंने पुनर्वास विधेयक पारित किया है। वे पाकिस्तान से लोगों को बुलाकर वहां बसाना चाहते हैं। वे यह निर्धारित कर रहे हैं कि कौन भारत का नागरिक होगा और कौन नहीं। असम में कुछ लोग यह निर्धारित कर रहे हैं कि कौन भारत में रहेगा और कौन भारत में नहीं रहेगा। क्या यह हमारी एकता, अखंडता और बन्धुता को चुनौती नहीं है? मैं समझता हूं कि ऐसा है। केन्द्रीय सरकार को इस समस्या को हल करना चाहिए। अन्य सभी प्रश्नों पर हम में मतभेद हो सकते हैं। किन्तु राज्य और जनता की सुरक्षा एकता और अखण्डता के प्रश्न पर किसी प्रकार की रियायत अनिश्चितता और ढील नहीं दी जानी चाहिए। आज हमने अपने देश में पाया है कि भारतीय लोगों की एकता के इस विचार को चुनौती दी जाती है।

सभी व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु, असम एक बहुभाषी राज्य है। अधिसंख्यक भाषायी वर्ग अल्पसंख्यक भाषायी वर्ग और अन्य सांस्कृतिक, धार्मिक और जातीय वर्गों को बाहर निकालने का प्रयास कर रहा है।

आप इसे कब तक सहन करेंगे। आपने इसे तीन वर्षों से सहन किया है।

मैं जानता हूं कि इस सदन के अन्दर तथा बाहर ऐसे व्यक्ति हैं जिनको असम आन्दोलन कारण यह विश्वास है कि आन्दोलनकारियों की मांग में कुछ तत्व है। मैं इस सभा के अमूल्य

समय में से अधिक समय नहीं लूंगा लेकिन एक बात का हवाला दूंगा। मैं वर्ष 1980 में असम सरकार द्वारा जारी किये गये एक प्रेस-टिप्पण का उद्धरण दे रहा हूं, जो असम के एक "असम ट्रिबून" नामक समाचार पत्र में 3 मार्च को प्रकाशित हुआ था :

> "जहां तक पहले पूर्वी पाकिस्तान के अल्पसंख्यक जाति के सदस्यों, जो वर्ष 1971 से पहले असम में प्रवासित हो गये थे, का सम्बन्ध है वर्ष 1969 तक निर्धारित किये गये। ऐसे नीति निर्णय हैं जिनके अनुसार उन्हें भारतीय नागरिक पंजीकृत किया जा सकता है बशर्ते कि वे नागरिकता नियमों के नियम 9 में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों। इन शरणार्थियों को सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिये नागरिक स्वीकार कर लिया गया है।"

यह असम सरकार की वर्ष 1980 की घोषणा है कि पूर्वी पाकिस्तान के इन शरणार्थियों को सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए भारत का नागरिक स्वीकार कर लिया गया है।

(श्री सोमनाथ चटर्जी पीठासीन हुए)

पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया आश्वासन क्या था ? उन्होंने कहा :

> "इसमें कोई सन्देह नहीं है कि वस्तुतः जो विस्थापित व्यक्ति भारत में बसने के लिए आये हैं उन्हें नागरिकता प्राप्त होनी चाहिये। यदि, इस सम्बन्ध में कानून समुचित नहीं है तो कानून में सुधार किया जाना चाहिये।"

यह स्पष्ट है कि जो शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान से आये हैं, उन्हें भारत का नागरिक स्वीकार कर लिया गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी नीति घोषणा है। 3 मार्च, 19 80 को "असम ट्रिबून" में प्रकाशित सरकार का वक्तव्य भी है :

"आन्दोलनकारियों का विषय क्या है ? वे अब उन्हें विदेशी घोषित करने तथा भारत से बाहर भेजने का प्रयास कर रहे हैं।"

> "मैं फिर लोक सभा प्रश्न का हवाला देता हूं जिसका 10 अगस्त, 1972 को उत्तर दिया था शीर्षक है : "पूर्वी राज्यों में बांगलादेश के शरणार्थी" प्रश्न संख्या 1606 है जो निम्न प्रकार है :
>
> क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :
>
> (क) क्या असम मेघालय तथा त्रिपुरा में अब भी भारी संख्या में बांगलादेश के शरणार्थी हैं ;
>
> (ख) यदि हां, तो इस प्रकार के शरणार्थियों की राज्यवार संख्या क्या है ; और
>
> (ग) उन्हें बांगलादेश भेजने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है।"

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री श्री आ० के० खाडिलकर द्वारा दिया गया उत्तर इस प्रकार है :

(क) "नहीं, श्रीमन, असम, मेघालय तथा त्रिपुरा के सभी शिविर शरणार्थियों को बांगलादेश वापस भेज दिया गया है।"

यह उत्तर वर्ष 1972 में दिया गया था :

"जहां तक गैर-शिविर शरणार्थियों का संबंध है जो अपने मित्रों सम्बन्धियों के साथ रह रहे थे, उनमें से अधिकांश स्वतः ही बांगलादेश लौट गये हैं। जब कभी एक-दो मामलों का पता लगता है उन पर राज्य सरकार द्वारा विदेशी अधिनियम, 1946 के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।"

अत: वर्ष 1972 में भारत सरकार का यह कहना था कि बांगला देश के जो शरणार्थी शिविरों में ठहरे हुए थे, वापिस जा चुके हैं। और जो लोग बांगला देश से यहां आये थे और अपने मित्रों के साथ ठहरे हुए थे वे भी चले गये हैं, यदि कोई इक्के-दुक्के मामले हैं तो सरकार पता लगा रही थी और उन्हें वापस भेज रही है। तब आन्दोलनकारियों के इस नारे में कि यहां लाखों विदेशी हैं, इसका महत्व क्या है ? तथा वे व्यक्ति कौन हैं ? वे भारत के नागरिक हैं; वे पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थी हैं जिन्हें हमारे देश में भारत का नागरिक स्वीकार कर लिया गया है। और उन्हें भारत में रहने के लिये सभी अधिकार तथा विशेषाधिकार प्राप्त हैं।

श्रीमन, यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये बातें हमारे देश में हो रही हैं। इसका समाधान क्या है ? इसे कैसे हल किया जाये ? सर्व प्रथम सत्ताधारी पार्टी को असम की जनता को संगठित करने की कार्यवाही करना चाहिए थी। मुझे विश्वास नहीं है कि असम की अधिसंख्य जनता आन्दोलनकारियों की मांगों का समर्थन करती है। यह एक आन्दोलन है जिसे प्रमुख रूप से नौकरशाही, पुलिस तथा सिविल कर्मचारियों ने चलाया है और सम्पूर्ण सरकारी तंत्र का इस आन्दोलन को मजबूत बनाने के लिये उपयोग किया गया है।

मेरा दृढ़ विश्वास है कि असम में लाखों ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी सही विचारधारा है जो प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं जो पहल करने योग्य हैं। यदि वामपंथी मोर्चा ही नहीं बल्कि सत्ताधारी कांग्रेस (आई) पार्टी भी अविघटनकारी तत्वों के विरुद्ध लड़ने के लिये असम की जनता को जागरूक करने का प्रयास करती, जिनका कुछ विदेशी एजेंसियों से सम्बन्ध है तो समस्या का समाधान हो गया होता। लेकिन ऐसा करने के बजाय केन्द्रीय सरकार उनसे बातें करती जा रही है और यह विचार प्रकट किया गया है कि विरोधी दलों द्वारा यह मान लिया गया है कि विभाजन वर्ष 1971 होगा, तथापि आन्दोलनकारियों को खुश करने के लिये यह 1965 अथवा इसके निकटवर्ती कोई वर्ष हो सकता है। मैं यह कहता हूं कि यह एक खतरनाक निर्णय है, खतरनाक इसलिये है कि क्योंकि इसके परिणाम क्या होंगे ? यदि आज आन्दोलनकारी असम से भारतीय नागरिकों के कम से कम एक भाग को निकालने में सफल हो जाते हैं तो भारत में अन्य स्थानों पर इसके क्या परिणाम होंगे ? क्या हमारी एकता और मातृत्व बना रहेगा ? क्या भारतीय राष्ट्र बना रहेगा ?

मेरी पार्टी राष्ट्रीय एकता में दृढ़ विश्वास रखती है लेकिन हम यह भी विश्वास करते हैं के भारत एक बहुराष्ट्रीय राज्य है और राज्यों को स्वायत्तता होनी चाहिए कि जनता की लोक-

तांत्रिक भावनाओं को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। लेकिन राज्यों की स्वायत्तता का समर्थन करते हुए हम यह भी विश्वास करते हैं कि जहां तक केन्द्रीय विषयों का सम्बन्ध है केन्द्रीय सरकार को मजबूत होना चाहिए और हमारे राष्ट्र को बहुत ही संगठित और मजबूत होना चाहिए जिसमें राज्यों को भी पूरी स्वायत्तता होनी चाहिए। तब तरीका क्या है।

मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि असम में चुनाव होने चाहिए। जनता को अपनी बात कहने, अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति होनी चाहिए। लेकिन चुनाव कराने से पहले अनुकूल स्थिति होनी चाहिए ताकि जनता जाकर आसानी से वोट दे सके। यह एक पहली शर्त है। लोकतंत्र एक मजाक बन जाता है और जब राज्य तंत्र वोट डालने जाने वाली जनता की रक्षा करने में असफल हो जाता है तब लोकतंत्र मजाक बन जाता है और उसका पतन आरम्भ हो जाता है। असम में आन्दोलन की स्थिति यह है कि आन्दोलनकारी यह कहकर धमकी दे रहे हैं कि "यदि आप चुनाव करवाते हैं तो हम अव्यवस्था पैदा कर देंगे और आप यह देखेंगे कि कोई चुनाव नहीं हो सकते हैं। चुनाव अवश्य होने चाहिए। इस सभा में तीन वर्षों से असम का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। क्या आप यह प्रस्ताव रखते हैं कि असम विधान सभा बिना प्रतिनिधियों के ही रहे, कब तक ? यदि वहां अव्यवस्था है, तो इसका दृढ़ता से मुकाबला किया जाना चाहिए। यदि असम प्रशासन आन्दोलनकारियों का पक्ष लेता है तो केन्द्रीय सरकार को उन व्यक्तियों "का दृढ़ता से मुकाबला करना चाहिए जो असम आन्दोलनकारियों का पक्ष ले रहे हैं। यह आन्दोलन क्या मोड़ लेगा ? जनता का एक वर्ग सम्पूर्ण राज्य पर कब्जा कर लेगा और सम्पूर्ण देश को फिरौती देनी होगी। वे असम में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को चलने नहीं देंगे। हम इस स्थिति को सहन नहीं करेंगे। हम उन्हें अपनी मनमानी करने की अनुमति नहीं देंगे। अतः चुनाव कराने से पहले मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूं कि वहां ऐसी स्थिति पैदा की जाये जिससे असम की जनता, सभी मतदाता अपनी राय व्यक्त कर सकें। वे अपने प्रतिनिधि चुन सकें। यदि वहां भयभीत करने का कोई प्रयास किया जाता है तो केन्द्रीय सरकार को यह देखना चाहिए कि इसे रोक दिया गया है।

यह पहली शर्त है। चुनाव कराने से पहले यह केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है क्योंकि अब असम में राष्ट्रपति शासन है। कानून और व्यवस्था बनाये रखने की आपकी जिम्मेदारी है। असम की जनता के दिमाग में सुरक्षा पैदा करना आपकी जिम्मेदारी है। मुझे यह पता नहीं है कि आपका उद्देश्य क्या है। यदि आपके प्रयासों का एक मात्र उद्देश्य केवल यही देखना है कि आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो मेरे विचार से आप देश के लिये अच्छी सेवा नहीं करेंगे और आप देश की एकता के विनाश करने में सहायक होंगे। आपको कुछ दृढ़ सिद्धांतों पर चलना चाहिए और जहां तक इन बेसिक प्रश्नों का संबंध है, कोई समझौता नहीं होगा। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह सभी लोकतंत्र में विश्वास करने वाले व्यक्तियों का कर्तव्य होना चाहिए, कम से कम विघटनकारी तत्वों से लड़ने के लिये उन सभी व्यक्तियों, जिनके दिलों में एकता और अखंडता की भावना होती है या कर्तव्य होना चाहिए। मैंने आपको बता दिया है और मैंने आपका ध्यान पुनर्वास विधेयक के सम्बन्ध में कश्मीर में जो कुछ घटनाएं हो रही है पंजाब में जो कुछ घटनाएं घट रहीं है और देश के अन्य भागों में जो कुछ हो रहा है उनकी ओर दिलाया है।

यह समय है जब हमें इन सभी बातों को नोट करना चाहिए। यह समय है जब हमें कार्य

करना चाहिए । आधारभूत सिद्धांतों के मामले में किसी प्रकार का समझौता करना, भविष्य में देश के हित में नहीं होगा । इसलिये मेरी यह मांग है कि केन्द्रीय सरकार को असम में चुनाव कराने चाहिए। केन्द्रीय सरकार को वहां ऐसी स्थितियां पैदा करनी चाहिए ताकि विशेषतौर पर भाषाई धार्मिक, जातीय, तथा सांस्कृतिक अल्पसंख्यक ग्रुपों के व्यक्ति जाकर अपना वोट डाल सकें । वे सुरक्षित महसूस करें ।

वे बिना किसी भयभीत किये जाने के खतरे अथवा किसी विशेष दिशा में चलने के लिये मजबूर न किये जायें और मतदान केन्द्रों पर जाकर अपना वोट डाल सकें । इसलिये मैं फिर केन्द्रीय सरकार सत्ताधारी पार्टी से निवेदन करता हूं। असम में मेरी पार्टी पृथकवादियों, विघटनकारी तत्वों से लड़ रही है और हमारे बहुत से कामरेड मर गये हैं । मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह निष्कासन असम में चलता रहा है । आन्दोलनकारियों ने असम से लोगों को निकालने का अपना कार्यक्रम कार्यान्वित करना शुरू कर दिया है जब असम में राष्ट्रपति शासन है वहां क्या हो रहा है ? मंत्री महोदय मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि स्थिति की गंभीरता तथा राज्य सरकार तंत्र के स्पष्ट रूप से पक्षपाती वर्गों पर मामलों को फैसले के लिए छोड़ने के खतरे की सराहना करते हुए तत्कालीन राज्यपाल तथा उसके सलाहकारों ने यह फैसला किया था कि जिला उपविभागीय प्राधिकारियों द्वारा राज्य सरकार की अनुमति के बिना कोई निष्कासन नहीं किया जायेगा ।

इस संबंध में सरकारी नीति को सभी उप आयुक्तों एस० डी० ओ० तथा फैसला अधिकारियों को सरकारी परिपत्र संख्या आर० एस० एस० 550/76/ पी० टी०/113-5 दिनांक 3 अप्रैल 1980 द्वारा बता दिया गया था । श्रीमती अनवाश तैमूर के शासन काल में कांग्रेस (आई) शासनकाल में वही नीति लागू रही । लेकिन जिला उपविभागीय प्राधिकारियों द्वारा निष्कासन से पूर्व सरकार से अनुमति की शर्त को राष्ट्रपति शासन के दौरान 22 नवम्बर 1981 को परिपत्र संख्या 707/79/ पी० टी०-II125 द्वारा वापस ले लिया गया था और निम्न स्तर के अधिकारियों को इससे छूट दी गयी थी । अत: निम्न स्तर पर अधिकारियों ने भारतीय नागरिकों का निष्कासन शुरू किया और 9000 से अधिक परिवारों जिनमें अधिकांश परिवार पिछड़ी जाति अनुसूचित जातियों के हैं । उन सभी को निष्कासित कर दिया गया है । आप इसके बारे में क्या कर रहे हैं । आपने पहले परिपत्र को वापस क्यों ले लिया है । आपने निम्न स्तर के अधिकारियों को स्वतंत्र क्यों रखा है ?

क्या यह इस कारण से है कि आपको कुछ गलत समझौते करने हैं ? क्या यह इस कारण से है कि आप आन्दोलनकारियों के कुछ अंश को अलग करना चाहते हैं ताकि आप वहां सरकार बना सके ? अन्यथा, आपके पहले परिपत्र को वापस लेने तथा निम्न स्तर पर अधिकारियों को स्वतंत्र करने का कारण क्या है जो आन्दोलनकारियों से मिले हुए हैं ।

महोदय, मैं सरकार से इस निष्कासन को रोकने के लिए अनुरोध करूंगा ताकि अल्प संख्यक दायों के लोग वहां सुरक्षा से रह सके । महोदय, मैं सभा को यह महसूस करने के लिये निवेदन गा कि इन परिवारों के साथ क्या घटित हो रहा है जिन्हें निष्कासित किया गया है । वे कहां

जायेंगे ? क्या वे बंगला देश जायेंगे क्योंकि वे भारत के नागरिक हैं ? ये लोग कहां जायेंगे । आपने इस बात का निर्णय करना है । आपने इस निष्कासन को तुरन्त अभी ही रोकना है । आपको एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करनी चाहिए जिसके द्वारा चुनाव हो सकें ।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) समापति महोदय, मैं एक सूचना के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि मैं अभी एनेक्सी गया था, तो वहां से डाक्टर जा रहे थे स्पीकर को देखने के लिए; क्योंकि स्पीकर साहब बीमार हैं । क्या आप बता सकेंगे कि क्या अध्यक्ष इसीलिए नहीं आए कि वह बीमार हैं । अगर बीमार हैं, तो क्या तकलीफ है ? आखिर स्पीकर इस हाउस का संरक्षक होता है । उसकी बीमारी की इत्तिला सबको होनी चाहिए, काना-फूसी नहीं ।

सभापति महोदय : श्री बागड़ी, हम सभी को यह आशा करनी चाहिए कि वे शीघ्र स्वस्थ हो जायेंगे और हमारे बीच आने में समर्थ हो जायेंगे ।

श्री मनीराम बागड़ी : लेकिन हाउस को बताना चाहिए था न ?

सभापति महोदय : मुझे यह बताया गया है कि उनकी थोड़ी तबीयत खराब है । अतः हमें यह आशा करनी चाहिए कि वह बिल्कुल ठीक हो जायेंगे ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : आज प्रातः यह बताया गया था कि वह बीमार थे ।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, माननीय गृह मंत्री ने जो स्टैचुटरी रेजोल्यूशन रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं । आसाम में जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, उनमें लोगों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण करना नितान्त आवश्यक है । अगर यह व्यवस्था न की गई, तो वहां पर हालात और ज्यादा बदतर होंगे । इसलिए एसेंशल सर्विसिज मेनटेनेंस (आसाम) एक्ट, 1980 को लागू करते हुए, जो सार्वजनिक वितरण की चीजें हैं, जैसे डीजल, खाने का सामान, अनाज, शक्कर, कपड़ा आदि, वह अगर ठीक प्रकार से असम के लोगों में वितरित नहीं होंगी तो उनको संतोष नहीं मिलेगा । हमारे कम्युनिस्ट भाइयों ने यहां पर इस रेजोल्यूशन को, मेन्टिनेन्स आफ एसेंशियल सर्विसेज ऐक्ट का विरोध किया है और यह कहा कि इसको बिना लागू किए ही अन्य कानूनों के जरिए से यह किया जा सकता है । लेकिन वे इस बात को नहीं समझते कि आज वहां पर जो हालात हैं, उनमें अगर इस कानून को लागू न किया जाए तो वहां पर वितरण व्यवस्था नहीं चल सकेगी । उन्होंने पहले मेन्टिनेन्स आफ एसेंशियल सर्विसेज बिल का विरोध किया था इसलिए अब जब भी कभी इसका हवाला भी दिया जाए, चाहे असम के सम्बन्ध में या किसी अन्य राज्य के सम्बन्ध में, तो उनकी ओर से इसका विरोध होना लाजमी हो जाता है । उन्होंने अपना फर्ज समझ लिया है कि इस नाम के आते ही इसका विरोध किया जाए ।

प्रोफेसर साहब ने यहां पर अभी कई बातें ठीक भी कही है । असम का मामला किस तरह से सुलझाया जाए, उसके सम्बन्ध में सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट कैसे काम करे—इस बारे में उन्होंने अच्छे सुझाव दिए हैं लेकिन इस बिल को देखते ही उनका दिमाग गड़बड़ हो गया और वे इसका विरोध करने लगे । आज जबकि असम में रोज ही बन्द और हड़तालें की जाती है तब किस तरह से सार्व-

जनिक वितरण व्यवस्था तथा अन्य कानूनों को लागू किया जाए—यह बात प्रोफेसर साहब ने नहीं बताई। उन्होंने यह बात कही कि वहां पर उनके कार्य-कर्ताओं को कत्ल किया जा रहा है, अन्याय किया जा रहा है। जब आप अपनी पार्टी के लिए ही कह रहे हैं कि अन्याय किया जा रहा है तब आप बतायें कि एसेंशियल सर्विसेज को किस तरह से मेन्टेन किया जा सकता है ? इसलिए इस कानून की बड़ी आवश्यकता है ताकि वहां पर आवश्यक वस्तुओं का वितरण सही प्रकार से किया जा सके। गवर्नर ने जो आदेश निकाले हैं उसके अतिरिक्त और कोई उपाय ही नहीं है जिसके जरिए से इन सर्विसेज को मेन्टेन किया जा सके। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि खाली विरोध कर देना एक बात है और सहयोग करना दूसरी बात है। ऐसी हालत में मंत्री महोदय यहां पर जो स्टैंट्यूटरी रेजोल्यूशन लाए हैं वह स्टेट के लिए बड़ा आवश्यक है क्योंकि इसके जरिए से लोगों तक आवश्यक वस्तुयें पहुंचाने में मदद मिलेगी। वहां पर जो बन्द और हड़तालें होती हैं उनके चलते वितरण व्यवस्था भी ठप्प हो जाती है और लोगों का एक जगह से दूसरी जगह तक जाना भी मुश्किल हो जाता है। आप सोच सकते हैं कि बिना आवश्यक वस्तुओं के जनता किस प्रकार से अपना जीवन-यापन कर सकती है ?

जहां तक आज असम की वर्तमान स्थिति और उसको हल करने का सम्बन्ध है, उसके बारे में मैं अधिक कहना आवश्यक नहीं समझता क्योंकि हमें अपनी सरकार और श्रीमती इन्दिरा गांधी पर पूरा भरोसा है। हमें पूरा यकीन है कि वे असम की समस्या भी हल करेंगी, कशमीर की समस्या भी हल करेंगी और पंजाब की समस्या भी हल करेंगी। उनमें इसका पूरा सामर्थ्य है। लेकिन अभी जो मुद्दा हमारे सामने है और जो बिल हमारे सामने पेश किया गया है, इसके संबंध में मैं फिर कहना चाहता हूं कि इस कानून की नितान्त आवश्यकता है और इसका मैं पूरा समर्थन करता हूं।

श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर) : सभापति जी, इस सदन में प्रायः प्रत्येक सत्र में असम के सम्बन्ध में चर्चाएं हुई हैं। इस बात पर सभी ने प्रायः खेद व्यक्त किया है कि असम में जो लम्बी अवधि से आन्दोलन चल रहा है, उसका अभी तक समाधान नहीं निकल पाया है। इधर विगत दो महीनों में भी कई वार्तायें हो चुकी हैं और संभवतः इस दिशा में कोई हल निकालने की प्रगति भी हुई है और इसी संदर्भ में 6-7 नवम्बर को वार्ता होने जा रही है। हम लोग ऐसी उम्मीद करेंगे कि कोई न कोई हल उसका अवश्य निकलेगा।

मान्यवर, यह आन्दोलन जो असम की प्रगति के लिए बड़ा ही बाधक रहा है, उसमें असम प्रदेश और देश ने काफी हानि उठाई है। इस आन्दोलन में करीब-करीब चार सौ लोगों की जानें गई हैं और पैट्रोलियम तथा फर्टिलाइजर क्षेत्रों में लगभग 1300 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। हमारे रेलवेज ने भी करीब करीब 35 करोड़ रुपये का नुकसान उठाया है। असम राज्य को भी रिवेन्यु को लेकर करीब-करीब 50 करोड़ रु० का नुकसान हुआ है। इसके अतिरिक्त जो कई प्रोजैक्ट असम में चल रहे थे, उनमें विलम्ब हुआ है। जिससे लागत में वृद्धि हुई है। उसको पूरा करने में कठिनाई होगी। इसीलिए यह बहुत आवश्यक है कि असम में शान्ति-व्यवस्था कायम हो। सामान्य स्थिति असम में पैदा हो। लगभग साल भर पहले इसी असम के मसले को लेकर चर्चा हुई थी। उस समय मैंने भी एक राय दी थी कि 1965 को आधार वर्ष मान लिया जाय। उस समय

असम के गवर्नर श्री एल० पी० सिंह थे। उनके अनुसार 1965 को आधार वर्ष मानकर असम की विदेशियों की समस्या का समाधान होना चाहिए। क्योंकि आन्दोलनकारी 1961 का वर्ष मानते हैं और सरकार 1971। यह खुशी की बात है कि सरकार ने 1965 वर्ष को आधार मान कर अपनी सहमति कर दी है, किसी न किसी प्रकार इसका फैसला हो जाना चाहिए।

ऐसी संवैधानिक अनिवार्यता है कि असम में 18 मार्च तक चुनाव हो जाने चाहिए। इस लिए यह भी आवश्यक है कि चुनाव से पहले वहां की स्थिति समान्य हो जाए और सब लोग शान्ति से उसमें भाग लें। इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री जी से दो बातें जानना चाहता हूं। क्योंकि 18 मार्च तक चुनाव हो जाने चाहिए तो क्या इस बात को सरकार ने तय कर लिया है कि 18 मार्च तक चुनाव करा देंगे। यदि 18 मार्च तक चुनाव नहीं हुए तो संविधान में संशोधन की आवश्यकता पड़ जाएगी। दूसरी चीज़ यह जैसा कि मुझे समाचार मिला है कि सरकार यह भी सोच रही है कि जहां पर चुनाव हो सकते हैं, जिन क्षेत्रों में वहां चुनाव कराए जायें और जहां चुनाव नहीं हो सकते हैं, अगर वहां से आन्दोलन वापिस नहीं होता है या समझौता नहीं होता है, तो वहां के चुनाव छोड़ दिए जायें। इस बारे में मैं आपको इण्डियन एक्सप्रैस की एक खबर का हवाला देना चाहता हूं :

> "यह अब प्रायः निश्चित है कि असम विधान सभा के लिए चुनाव आगामी वर्ष मार्च में होंगे चाहे अभी भी केन्द्र ने अन्तिम निर्णय नहीं लिया है। शुरू के कार्य पूरे कर लेने के पश्चात राज्य प्रशासन आश्वस्त लगता है कि चाहे आन्दोलनकारी उनका विरोध भी करें तो भी वह अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव करालेंगे।"

इस तरह की दो-तीन स्थितियां हैं जो कि चुनाव के सम्बन्ध में हैं। आशा है माननीय मंत्री जी इनका स्पष्टीकरण करेंगे।

मान्यवर, जहां तक असम के आर्थिक विकास का प्रश्न है, यह महसूस किया जाता है कि हमारे देश का जो उत्तर-पूर्वी क्षेत्र है, उसके आर्थिक विकास की ओर पहले अधिक ध्यान नहीं दिया गया। इस वजह से वहां के लोग असन्तुष्ट हैं। हम सभी जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए विद्युत की पूर्ति की बड़ी आवश्यकता होती है क्योंकि बिजली पर बहुत से उद्योग धन्धे और खेती आदि सभी चीजें आधारित होती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जहां तक विद्युत की आपूर्ति का प्रश्न है, असम में बहुत कम हुई है गत 30 मार्च, 1982 को लोक सभा के एक अनस्टार्ड क्वेश्चन 5984 के उत्तर में यह बताया गया था कि किस-किस राज्य में कितने-कितने प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण हुआ है। उस प्रश्न के उत्तर से यह पता चलता है कि ये जो उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के सूबे हैं, उनके गांवों में सबसे कम विद्युतीकरण हुआ।

असम में 26.9 प्रतिशत, मनिपुर में 17.1 प्रतिशत मेघालय, में 16.7 प्रतिशत, सिक्किम में 15.5 त्रिपुरा में 21.8 प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण हुआ है। इन राज्यों से ज्यादा बिहार में 33 प्रतिशत, यू० पी० में 38 प्रतिशत और उड़ीसा में भी 40 प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण

हुआ है। इन उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों से सभी जगह ज्यादा विद्युतीकरण हुआ है लेकिन इन क्षेत्रों के गांवों में बहुत कम हुआ है।

मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहूंगा कि असम में हमारे पास काफी प्राकृतिक साधन है। गैस को ही ले लें। असम में इतनी गैस निकलती है कि हम उसके ही पूरे उपयोग से असम का कायाकल्प कर सकते हैं। लेकिन उस गैस का हम पूरा उपयोग नहीं कर पाते। वहां पर प्रदेश में जो एसोसियेटिड नेचुरल गैस है जो कि तेल के साथ निकलती है, उसमें से करीब चार करोड़ रुपये की गैस सालाना नष्ट हो रही हैं। उसका हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। 3.3 क्यूनिक मिलियन मीटर एसोसियेटिड नेचुरल गैस प्रति दिन वहां निकलती है जिसकी एक-तिहाई गैस हम उड़ा दे रहे हैं, उसका हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं।

इसको इस्तेमाल न करने का मुख्य कारण है कि कामरूम उर्वरक कारखाने की तीसरी ईकाई के प्रारम्भ होने में विलम्ब हो रहा है। दूसरे आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा कम्प्रेसर यूनिट्स के प्रारंभ होने में बहुत विलम्ब हो रहा है। हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन को जो मात्रा उपलब्ध कराई गई थी, उसका भी उपयोग वह नहीं कर पा रहे हैं। असम राज्य विद्युत परिषद् को जो मात्रा उपलब्ध कराई गई थी, उसका भी उपयोग नहीं हो रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि मंत्री जी इससे सम्बन्धित मंत्रालयों से बातचीत करके जो वहां ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है, उसको ठीक करने को कोशिश करें। वहां पर जो नेचुरल गैस प्राप्त हो रही है, उसका अगर पूरा उपयोग किया जाए तो उससे न केवल असम के लोगों को बल्कि पूरे देश के लोगों को लाभ होगा।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि वहां जो गैस का मामला है, उसके बारे में वहां के अधिकारियों ने भी यह कहा है, जिसको मैं कोट करना चाहूंगा :

> "बोंगई गांव पालिस्टर कपड़े से अधिक यह गैस असम के रूप को परिवर्तन करने में समर्थ है किन्तु जहां सरकार की रुचि नहीं वहां गैर-सरकारी उद्यमी परिवहन एवं संभार सम्बन्धी समस्याओं के कारण ठीक प्रकार से प्रोत्साहित नहीं होते हैं।"

यह बहुत बड़ी बात है और इस गैस के प्रयोग पर ध्यान दिया जाना चाहिए। परिवहन इत्यादि की जो समस्याएं हैं, इनकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए, इम्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाना चाहिए। दो-तीन साल, जबसे आन्दोलन शुरू हुआ है तबसे यह महसूस किया जा रहा है कि सरकार ज्यादा ध्यान देने का प्रयास कर रही है। मुख्य बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यही है कि किसी न किसी तरह से यह आन्दोलन मामला चुनाव के पहले हल हो जाना चाहिए और सामान्य स्थिति पैदा की जानी चाहिए, जिससे वहां चुनाव हो सकें।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि चुनाव के कोड आफ कंडक्ट में कहा गया है कि चुनाव के पहले सरकार किसी भी प्रकार का प्रलोभन न दे। सरकार कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने के बारे में सोच रही हैं। उनकी जो उचित मांगें हैं, उनके खिलाफ मैं नहीं हूं, लेकिन चुनाव के तुरंत पहले वेतन वृद्धि नहीं की जानी चाहिए।

पिछले 9 अक्तूबर को—9-10-82 को दिसपुर में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई जिससे स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में यह भी निर्णय किया गया कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन कर दिया जाये।

तो यह इलेक्शन को दृष्टिकोण में रखकर नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि चुनाव के कोड आफ कंडक्ट के खिलाफ है।

श्री रवीन्द्र वर्मा (बम्बई उत्तर) : हम अपने माननीय मित्र, श्री वेंकट सुब्बय्या द्वारा पेश किये गये एक सांविधिक संकल्प तथा अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर विचार कर रहे हैं।

भाग्य की यह विचित्र विडम्बना है कि असम से सम्बन्धित संकल्प और अनुपूरक मांगें तथा बजट एक साथ मिल गये हैं और उन्हें एक अथवा दो घंटे में निपटा दिया गया। यह बड़ी दुखद बात है कि हम एक ऐसे राज्य की समस्याओं पर क्या कर रहे हैं जहां गत तीन वर्षों से अशान्ति रही है। यह खेद की बात है कि गत तीन वर्षों से असम में अधिकांश समय कोई लोक प्रिय सरकार नहीं रही है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के कारण वहां कोई लोकप्रिय सरकार नहीं बन सकी और वहां इस समय कोई विधान सभा नहीं हैं। मैं इस प्रश्न के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता कि किस प्रकार विधान सभा को भंग किया गया। इस सभा में उसके बारे में पहले चर्चा हो चुकी है। किन्तु यह स्पष्ट है कि जब तक इस राज्य में लोकप्रिय सरकार नहीं बन जाती है, तब तक राज्य की समस्याओं, राज्य की ज्वलन्त समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया जा सकता। मैं कलकत्ता दक्षिण से अपने मित्र की इस बात से सहमत हूं कि इन समस्याओं का समाधान तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि वहां कोई लोकप्रिय सरकार नहीं बन जाती है और तब तक वहां लोकप्रिय सरकार नहीं बन सकती जब तक कि वहां चुनाव नहीं होते हैं। मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं कि चुनाव अनिवार्य हैं। चुनाव अवश्य ही होने चाहिए। किन्तु महोदय चुनाव केवल मतदाताओं की सूची के आधार पर हो सकते हैं जिनमें उन लोगों को शामिल न किया गया हो जो मतदान करने के अधिकारी नहीं हैं। किसी चुनाव में पहला पग मतदाता सूचियों की शुद्धता को सुनिश्चित करना है कि अतः चुनाव की दिशा में कार्य करते हुए मतदाता सूचियों में संशोधन तथा उन्हें अन्तिम रूप देते समय यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि किसी भी व्यक्ति को जिसे मतदान करने का अधिकार है, अपने मतदान के अधिकार से वंचित न किया जायें और किसी भी व्यक्ति को, जिसे मतदान करने का अधिकार नहीं है, किसी भी व्यक्ति को, जो इस देश का नागरिक नहीं है, घुस पैठ करने में समर्थन बनाया जाये और उसे मतदाता सूची में अपना नाम रखने न दिया जाये। इस बात के दो पक्ष हैं जो मिल कर स्वतंत्र और निस्पक्ष चुनावों के लिए प्रथम आवश्यकता है। महोदय, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाओं का प्रश्न है। इसके अतिरिक्त आवश्यक सेवा बनाये रखना अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें भी हैं। पूर्व अवसरों पर मैंने इस अधिनियम का हवाला भारतीय संविधिक ग्रन्थ में सबसे काले अधिनियम के रूप में किया है। मैं इस अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाओं अथवा इस अधिनियम के स्वरूप के बारे में बता कर सभा का समय नष्ट नहीं करूंगा। यह एक ऐसा अधिनियम है जिसके बारे में लोकतंत्र में विश्वास करने वाली किसी भी सरकार को शर्म आनी चाहिए।

किन्तु महोदय, आवश्यक सेवायें बनाये रखने सम्बन्धी अधिनियम तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत सरकार द्वारा कुछ अधिसूचनायें जारी की गई हैं ताकि किसी स्थिति का सामना किया जा सके। अर्थात् एक गम्भीर स्थिति जिससे राज्य में सामान्य जीवन में गतिरोध उत्पन्न हो गया है। मैं अपने मित्र श्री वेंकट सुब्बय्या से सहमत हूं कि आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई को सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य है। किन्तु मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या इस सभा के समक्ष उनकी शुद्ध अन्तःकरण में उनका अनुभव उन्हें यह दावा करने का अधिकार देता है कि यह कानून इस उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त है, संविधिक ग्रन्थ में पर्याप्त कानून हैं ? आपने अतीत में घोषणायें की हैं। आपने धारा 144 को प्रख्यापित किया है। आप ने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी हैं जिनमें असम में वस्तुतः करफ्यू लग रहा है जोकि जनता करफ्यू न होकर सरकारी करफ्यू रहा है और वास्तविक रूप से वहां केन्द्रीय आरक्षण पुलिस का शासन रहा है। मैं ऐसा केन्द्रीय आरक्षण पुलिस के लिए नहीं कह रहा हूं किन्तु आप वहां सामान्य स्थिति को स्थापित नहीं कर सके। अतः, यह स्पष्ट है कि जब इतने विशाल आन्दोलन का सामना किया जा रहा है, जो जनता की निष्ठाओं तथा भावनाओं के साथ सम्बन्धित है और जिसे निन्दकों के होते हुए भी जनता का समर्थन प्राप्त है, तो संविधियों की अपेक्षा अन्य बातों पर, बड़े-बड़े डंडों की अपेक्षा अन्य बातों पर निर्भर रहना आवश्यक है। इस परिस्थिति में राजनीतिक समस्या का, जिनसे वर्तमान स्थिति पैदा हुई है, समाधान अवश्य ही ढूंढ़ा जाना चाहिए। आपने इस समस्या का समाधान इसकी जड़ से ही करना है।

अब दुर्भाग्यवश कलकत्ता (दक्षिण) से मेरे माननीय मित्र ने इस आन्दोलन का उल्लेख एक ऐसे आन्दोलन के रूप में किया है जिसका सम्पर्क विदेशियों के साथ है अथवा वह विदेशी प्रभाव में है और उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि इस आन्दोलन के नेता इस निर्णय करने के स्वयं अपने अधिकार का दावा अथवा झूठा दावा करना चाहते हैं कि कौन भारत का नागरिक होगा और कौन नहीं होगा और इसके अतिरिक्त उस निर्णय को लागू करने के लिए स्वयं ही उसे कार्यान्वित करना चाहते हैं। मैं कलकत्ता (दक्षिण) से अपने माननीय मित्र तथा जाधवपुर से अपने माननीय मित्र का बहुत अधिक सम्मान करता हूं। मैं चर्चा में किसी भावुकता अथवा विवाद को नहीं लाना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि वह एक अच्छी जानकारी प्राप्त व्यक्ति हैं और वह एक बहुत ही अच्छे इरादे वाले व्यक्ति हैं। अतः मुझे भय है कि जो कुछ उन्होंने कहा है, वह अनभिज्ञता का सूचक मात्र है जो इस आन्दोलन के वास्तविक उद्देश्यों तथा इस आन्दोलन का नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों के वास्तविक रवैये के बारे में व्याप्त है।

यहां मुझे हाल ही में हुई त्रिपक्षीय वार्ताओं तथा अनौपचारिक विचारविमर्शों का अवश्य ही उल्लेख करना चाहिए जो कि इस आन्दोलन के नेताओं तथा सरकार के बीच हुए थे। इनसे बड़ी आशायें पैदा हो गई हैं और यह पहली बार कि अनेक व्यक्ति जिन्हें सन्देह था, यह महसूस करने लगे हैं कि बातचीत के द्वारा कोई समाधान हो सकता है। स्थिति ऐसे चरण पर नहीं पहुंची है जहां कोई यह कह सके कि किसी दस्तावेज को टाईप, मुहरबन्द किया जा सकता है तथा उस पर हस्ताक्षर किये जा सकते हैं तथा उसे जारी किया जा सकता है। वास्तव में दोनों पक्षों ने बार-बार यह स्पष्ट किया है जो भी समझौता हुआ है, वह समस्याओं से सम्बन्धित सभी बकाया बातों के बारे

में किया जा रहा प्रतिबंधित समझौता है। अतः मैं सभा में किसी प्रकार का विचार व्यक्त नहीं करना चाहता कि किसी ने कोई प्रतिबन्धित समझौता पेश किया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए भी कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप जिसे त्रिपक्षीय वार्ताओं में तथा अनौपचारिक विचार विमर्शों में भी शामिल होने का विशेषाधिकार प्राप्त है और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने विचारों के पारस्परिक प्रभावों को ध्यान से देखा तथा सुना है और कुछ सीमा तक उनके पारस्परिक प्रभावों तथा समझौते के क्षेत्रों की मूल क्रिया में अंशदान भी दिया है, मैं यह महसूस करता हूं कि जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वह समझौता होने की दशा में बहुत ही कम प्रगति है। जिसके लिए आशावादिता तथा उसी तरह के और प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। महोदय, कलकत्ता (दक्षिण) के अपने माननीय मित्र द्वारा व्यक्त किए गए सन्देहों को ध्यान में रखते हुए मैं यह महसूस करता हूं कि सभा को यह बताना मेरा कर्त्तव्य है कि वह समझौता कहां तक हो पाया है जिसके बारे में सहमति हो पाई है। मुझे विश्वास है कि इससे संदेह का वह कोहरा जो लोगों के दिमाग में व्याप्त प्रतीत होता है, दूर हो जाएगा। बेशक आप और मैं जानते हैं कि पूर्वोत्तर में पर्याप्त सन्देह व्याप्त है।

विचार विमर्श से यह स्पष्ट हो गया है कि इस आन्दोलन में ऐसी प्रक्रिया के बारे में विचारा नहीं गया है जिसमें राज्य के प्रत्येक निवासी को जांच पड़ताल करानी होगी जैसा कि जनगणना के दौरान करानी होती है कि मतदाता सूचियों से नामों का पता लगाने तथा विलोप करने, विदेशियों को इधर-उधर भेजने तथा निर्वासित करने की समस्या को चरणों में समाधान किया जा सकता है कि इन सभी समस्याओं को एक साथ निपटाने पर अब और जोर नहीं दिया जाएगा; कि पता लगाने और विलोप करने के काम को इधर-उधर भेजने तथा निर्वासित करने के काम से पृथक किया जा सकता है जिसमें अधिक समय लग सकता है ; और इसके परिणाम स्वरूप माननीय कारणों से सम्बन्धित समस्यायें पैदा हो जाती हैं ; कि पहली प्राथमिकता इस बात को सुनिश्चित करने के कार्य को दी जा सकती है कि मतदाता सूची में विदेशियों के नाम नहीं हैं; कि इससे सरकार यह सुनिश्चित करने में समर्थ हो जाएगी कि चुनावों को मार्च 1983 से पूर्व कराने के सांविधानिक दायित्व पूरा कर दिया जाए; कि अतः नामों का पता लगाने तथा विलोप करने के काम को तुरन्त प्राथमिकता मिलेगी और उसे (1) राष्ट्रीय सूची अथवा आधार के रूप में 1977 की मतदाता सूचियों को स्वीकार करके (2) किसी भी नागरिक अथवा नागरिकों के समूह वर्ग को सूची में किसी नाम के रखे जाने तथा उसे शामिल करने के विरुद्ध शिकायत करने की अनुमति दे करके ; (3) यह सुनिश्चित करके घुसपैठियों को, विशेष कर स्थानीय घुसपैठियों को, जहां घुसपैठियों ने अपने आपको एक ऐसे क्षेत्र में संस्थापित कर लिया है जिससे नागरिकों के लिए उनका पता लगाना तथा उन्हें खोज निकालना कठिन हो जाता है, को खोज निकालने तथा पता लगाने हेतु प्रभावशाली, कारगर तथा सुस्पष्ट पगों को उठाने के लिए विदेशी अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त जिम्मेदारी को पूरा करने की जिम्मेदारी को सरकार अपनी ओर से पूरा करे।

अब मैं कलकत्ता (दक्षिण) के अपने माननीय मित्र का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि केवल मात्र संदेह के आधार पर या आरोपों के आधार मनमाने ढंग से नामों को सूची से हटाया या उसमें शामिल करने से रोका नहीं जा सकता है ; कि एक ऐसा न्यायिक

प्राधिकरण / अर्ध न्यायिक प्राधिकरण या न्यायाधिकरण होगा, जो शिकायतों की जांच पड़ताल करेगा तथा अपना निर्णय देगा ; कि इस न्यायाधिकरण या प्राधिकरण को पूरी कानूनी शक्तियां दी जानी चाहिए ; कि जांच पड़ताल के काम को शीघ्रतापूर्वक करने के लिए ऐसे न्यायाधिकरण काफी संख्या में होने चाहिए ; कि न समाप्त होने वाले विलम्बों को दूर करने के लिए अपीलों की संख्या को सीमित किया जाना चाहिए ; कि उन व्यक्तियों को, जिनके दर्जे के बारे में सन्देह व्यक्त किया गया, अपना मामला प्रस्तुत करने और समर्थन में साक्ष्य को प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिए ; कि न्यायाधिकरण के समक्ष उन व्यक्तियों के, जिनके दर्जे के बारे में सन्देह है, द्वारा अपने समर्थन में दिए गए साक्ष्यों सहित उत्तर तथा प्रशासन के सम्बन्धित विभाग द्वारा दी गई रिपोर्ट भी होनी चाहिए ? कि यह रिपोर्ट एक सहमत प्रश्नावली के आधार पर होनी चाहिए ; कि न्यायाधिकरणों तथा अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष शिकायतों के निपटान के लिए समय-सीमा निर्धारित की जानी चाहिए ; कि यदि समग्र रूप से इस बारे में समझौता हो जाए, तो 1951 और 1961 के बीच आने वाले जो व्यक्ति पाये जायें, उन्हें स्वीकार अथवा नियमित किया जा सकता है ; के बाद अंतर्राष्ट्रीय किया गया था, कि जिन व्यक्तियों ने वर्ष 1971 के पश्चात् प्रवेश किया था, जब बंगला देश बन जाने के बाद नए अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया था। पता लगाया जाना चाहिए तथा मतदाता सूचियों से उनके नामों का विलोप किया जाना चाहिए; कि असम से इन आप्रवासियों के बेमेल भार को वहन करने की आशा नहीं की जा सकती है और अनिवार्य रूप से उसे मुआवजा दिया जाना चाहिए तथा उसकी रक्षा की जानी चाहिए ; कि असम की सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए सांविधानिक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए और इन सांविधानिक, प्रशासनिक और अन्य सुरक्षाओं को परिभाषित करने के लिए एक सक्षम निकाय गठित किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय (श्री सोमनाथ चटर्जी) : उन्हें निर्वासित करके कहां भेजा जाएगा ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : यह एक अलग प्रश्न है।

सभापति महोदय : क्या किसी प्रकार की चर्चा-परिचर्चा हुई थी या कोई करार हुआ था ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : महोदय, मैं करार की बातों के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं। सभी पर विचार-विमर्श नहीं किया गया है किन्तु काफी चर्चा की जा चुकी है और आशन्वित करने वाली बात यह है कि कई बातों में समझौता ठोस रूप ले रहा है।

इससे यह स्पष्ट हो गया है कि मतभेद केवल उन्हीं लोगों के बारे में ही रह गया है, जिन्होंने 1961 और 19-1 के बीच असम में प्रवेश किया था।

यहां तक कि और आगे प्रयास करने से ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि जिन बातों में मतभेद है, उन्हें अब और कम नहीं किया जा सकता है। इस श्रेणी के अनेक लोगों ने नागरिकता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिए हैं और विवादास्पद स्थिति से उभरने का तरीका भी ढूंढ़ लिया गया है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि दोनों पक्ष समग्रतः समझौते के लिए सहमत हो गए हैं, कई ऐसे मामले जो चट्टान की तरह अडिग दिखाई दे रहे थे, और जिस कारण विचार विमर्श में घपले-

बाजी का डर था उनसे बचाकर वार्ता को आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त हुई है, जिससे इस आशा के लिए समुचित आधार मिलता है कि वार्ता समाधान प्राप्त करने के लिए सदभाव और समुचित सतत प्रयास से प्रक्रिया के माध्यम से कोई न कोई रास्ता निकाला जा सकेगा।

एक बार तो ऐसा लगा कि 1965 के परिपत्र सम्बन्धी प्रश्न पर वार्ता भंग हो जाएगी किंतु इस कठिनाई से पार पाने के लिए भी रास्ता खोज लिया गया। एक अन्य मुद्दे पर ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उस प्रश्नावली में की जाने वाली प्रविष्टियों और उनके स्वरूप के प्रश्न पर ही वार्ता भंग हो जाएगी जिसे संदिग्ध नागरिकता वालों की जांच के लिए लागू किया जाना था। तथापि बाद में हम एक नई प्रश्नावली तैयार करने में सफल हुए जिस पर सभी सहमत थे और वह बाधा भी पार कर ली गई, इसके बावजूद एक अन्य मुद्दे पर ऐसा प्रतीत हुआ मानों अन्य राज्यों अर्थात असम के अलावा अन्य राज्यों द्वारा जो नागरिकता प्रमाण-पत्र जारी किए जाते हैं उसी के प्रश्न पर वार्ता अटक जाएगी किंतु वार्ता के दौरान हमें रास्ता मिल गया और संदिग्ध प्रमाण-पत्रों के बारे में की गई शिकायतों की शीघ्रातिशीघ्र छान-बीन की व्यवस्था के लिए नागरिकता अधिनियम की धारा 10 को लागू किया गया था। ये संदिग्ध प्रमाण-पत्र वे हैं जो विस्तृत या सही जानकारी प्रस्तुत किए बिना ही प्राप्त कर लिए गए हैं और उक्त धारा को लागू करने से ऐसे प्रमाण पत्र को अवैध करार देने की व्यवस्था हो गई है और इसके कारण अन्य परिणाम भी भुगतने होंगे, जिसमें अभियुक्तियुक्त आधार पर प्राप्त प्रतिष्ठा खोना भी शामिल है।

मैं उदाहरणों की जो एक लम्बी सूची इसीलिए पेश नहीं कर रहा कि यह बताया जा सके हमने कितनी समस्याएं हल कर ली हैं बल्कि इसीलिए पेश कर रहा हूं ताकि यह बताया जा सके कि बातचीत के विभिन्न रास्तों और प्रक्रियाओं से किस तरह हम अलंघ्य प्रतीत होने वाली बाधाओं को भी पार कर सके हैं और लगभग पूरी तरह से सहमत हो जाने की स्थिति तक पहुंच सके हैं।

इसके माध्यम से मैं यह नहीं कहना चाहता कि मतभेद का जो मुद्दा है बल्कि मुझे ये कहना चाहिए कि मतभेद का जो मुख्य मुद्दा है जिसका समाधान नहीं हो सका है वह एक असाधारण बात नहीं है या उसके लिए कोई रास्ता खोजना आसान है। किंतु मुझे विश्वास है कि प्रयास किए जाने हैं। हम बातचीत के अलावा किसी अन्य मार्ग से समाधान नहीं कर सकते हैं।

संक्षेप में मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसमें रुचि लेंगे—जो मतभेद हैं वह उनसे सम्बद्ध है जिन्होंने 1961 और 1971 के बीच असम में प्रवेश किया था। इनमें से भी जैसा कि मैंने पहले बताया था उनके बारे में सहमति सम्भव है, जो असम या किसी अन्य राज्यों से नागरिकता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर चुके हैं।

अतः मतभेद अब केवल उन्हीं के बारे में है जिन्होंने इस अवधि के दौरान प्रवेश तो किया था, किंतु नागरिकता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया था, किंतु फिर भी वे दावा करते हैं कि सूची में उनका नाम दर्ज होना चाहिए क्योंकि अप्रयासी (असम से निष्कासन) अधिनियम 1950 की धारा 2 के परन्तुक और नागरिकता अधिनियम की धारा 5 के कारण वे नागरिकता के पात्र हैं।

सरकार की राय है कि केवल न्यायिक प्राधिकरण ही इस दावे को रद्द कर सकता है और ऐसे मामले में न्यायिक प्रक्रिया की मंजूरी के बिना ही कार्यपालिका दावे को समाप्त नहीं कर सकती है । यह एक खास कानूनी मुद्दा है । इस आंदोलन के नेतागण ये उल्लेख करते हैं कि ये लोग जो विदेश से असम में आ गए हैं इन्होंने दो दशकों से प्रमाण-पत्र नहीं प्राप्त किए हैं ।

उनमें से जो नागरिकता के अधिकार का दावा करते हैं वे ऐसा आप्रवासी (असम से निष्कासन) अधिनियम 1958 की धारा 2 के परंतुक तथा नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5 के अंतर्गत करते हैं ।

यहां मैं कलकत्ता दक्षिण से निर्वाचित अपने मित्र श्री राय का हवाला दूंगा । आंदोलन के नेता यह तर्क देते हैं कि 1950 के अधिनियम की धारा 2 के परन्तुक के संरक्षण के बारे में सभी आप्रवासियों द्वारा दावा किया जाना संदेह जनक है, क्योंकि इसके अन्तर्गत केवल वही लोग आते हैं, जिन्होंने देश में अव्यवस्था के कारण भारत या असम में प्रवेश किया था । जो इस संरक्षण का दावा करते हैं उन्हें भी परंतुक स्वत: नागरिकता नहीं प्रदान कर देता है, यह उन लोगों को बाहर निकाले जाने से बचाना भर ही है, और ठहरने का अधिकार भी देता है, ताकि वे नागरिकता अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत नागरिकता के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर सकें ।

महोदय, आप्रवासी (असम से निष्कासन) विधेयक, 1950 की योजना का काम है, अबंधित आप्रवासियों को बाहर निकाल देना । ऐसा अधिनियम पास किया गया है और इसे केवल असम पर ही लागू किया गया पूर्वी बंगाल तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान जो अब बंगलादेश है के निकटवर्ती अन्य राज्यों पर नहीं, इसी बात से स्पष्ट है कि संसद असम की असुरक्षित स्थिति तथा असम में आप्रवासन घुसपैठ से होने वाले भावी खतरों के प्रति सजग थी । इस समस्या के समाधान के समय इसे याद रखना संसद का विशेष दायित्व है ।

आंदोलन के नेता कहते हैं कि उन्हें भारतीय नागरिकता दिए जाने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है । उन्हें इस बात पर आपत्ति है कि उनकी असम में रिहायश को नागरिकता से जोड़ा जाए । वे इस बात का उल्लेख करते हैं कि विभाजन के बाद लाखों ऐसे आप्रवासी असम ने स्वीकार किए हैं, और वे 1951-61 की अवधि के कुछ लाख और अप्रवासियों को भी स्वीकार कर सकता है । किंतु यदि 1961 से सीमा पार करने वाले सभी आप्रवासी को नागरिकता दे दी दी जाएगी और असम में रहने की अनुमति दे दी जाएगी, तो इससे कई दुष्परिणाम सामने आएंगे और असम की सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखना भी असंभव हो जाएगा । इसके लिए वे त्रिपुरा का उदाहरण देते हैं । वे इस बात का उल्लेख करते हैं कि अविवेकपूर्ण माताधिकार प्रदान किए जाने से जिस खतरे की संभावना है उसे आर्थिक मुआवजे देकर दूर नहीं किया जा सकता है ।

यह स्पष्ट है कि प्रश्न नाजुक और मुश्किल है । कुछ सुझाव दिए गए हैं । जिसमें एक यह भी है कि जब तक यह निर्णय नहीं किया जाता है कि असम पर कितना अनुपातिक भार डाला जाए जिसे कि वह अपनी सांस्कृतिक पहचान पर आंच लाए बिना वहन कर सके तब तक इसी प्रश्न को विचाराधीन रखा जाए । इसी संदर्भ में असम की पहचान की रक्षा के लिए संवैधानिक उपायों को परिभाजित किए जाने के प्रश्न की इन दिनों जांच की जा रही है। कुछ ऐसे व्यावहारिक

सुझाव भी प्रस्तुत हुए हैं कि चूंकि अंतिम आंतरिक गड़बड़ी 1965 में हुई थी जबकि बंग्लादेश बना था अतः 1950 के अधिनियम में जिस परंतुक की व्यवस्था की गई है उसे तभी पूरा किया जा सकता है जबकि 1965 या 1966 को उसमें शामिल न किया जाए । हालांकि मैं और आगे ब्यौरों और संभावनाओं को बताने का लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूं, फिर मैं अपने पर नियंत्रण रखूंगा । मुख्य समस्या यह है कि ऐसा कोई उपाय किया जाये जिससे चुनाव आयोजित किये जाने से पहले ही विदेशियों का पता लगा कर सूची में से हटाया जाना सुनिश्चित किया जा सके और साथ ही असम को उसकी सांस्कृतिक पहचान संबन्धी रक्षोपायों के प्रति भी आश्वस्त किया जा सके ।

मैं कहना चाहता हूं कि सरकार और आंदोलन के नेता दोनों ही काफी निकट आए हैं । चर्चा के अंतिम दौर में अत्यधिक सौहार्द्रपूर्ण रुख के कारण ही यह संभव हुआ है और इसीलिए मैं सरकार और आंदोलन दोनों के ही प्रतिनिधियों को अंतिम दौर में दिखाई गई अत्यधिक सौहार्द्रता के कारण शुभकामनाएं देता हूं । जब इतनी उपलब्धि हो गई है, और करार के इतने मुद्दों पर परस्पर सहमति व्यक्त कर दी गई है और केवल एक या दो मुद्दों पर ही असहमति सीमित हो गई है । बड़े खेद की बात है यदि सरकार और आंदोलन के नेता उसी भाषा में बात करने लगें जिसमें कि वे करार के विभिन्न विषयों से अवगत होने से पहले बात कर रहे थे, यदि दोनों नए सिरे से बात करने लगते हैं और एक कहता है कि 1961 और 1971 के बीच प्रवेश करने वालों में से किसी को भी मतदान अधिकार नामंजूर नहीं किया जाएगा और दूसरा कहे कि 1961 और 1971 के बीच प्रवेश करने वालों में से किसी को भी मताधिकार नहीं दिया जाएगा । जबकि सच तो यह है कि ऐसी किसी भी दुराव-छिपाव की स्थिति को मंजूर नहीं किया जा सकता है ।

इसीलिए सरकार और आंदोलन के नेताओं दोनों से ही सादर निवेदन है कि यह गति बन्द करने की भाषा है प्रगति की नहीं । मैं उनसे अपील करता हूं कि एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश न करें परन्तु वापस आकर बातचीत को बढ़ाने की दिशा पर विचार करें । कुछ ऐसे लक्षण और ध्वनियां हैं जो मेरी राय में खतरनाक हैं । यह एक बहुत बड़ी जासदी होगी—जिससे बचा जा सकता है यदि समझौते के इतने नजदीक आ जाने के बाद असम और पूरे राष्ट्र के प्रति किया गया वादा जो स्वत्व और भावावेश युक्त इतने महत्व की प्रधान राष्ट्रीय समस्या के मैत्री पूर्ण वार्ता के माध्यम से समाधान के बारे में था, उसे ही तोड़ दिया जाए ।

मैं जानता हूं कि मेरा समय खत्म हो गया है । इसीलिए मैं राज्य के पिछड़ेपन आदि जैसे अन्य प्रश्न की चर्चा नहीं करूंगा । मुझे खुशी है कि आपने मुझे बताया कि मैंने जहां से बात शुरू की थी वहीं पहुंच गया हूं । किंतु बातचीत के दौर में ऐसा नहीं होना चाहिए । मुझे आशा है कि समझदार सलाहकार सरकार का और आंदोलन के नेताओं का साथ देते रहेंगे, और बातचीत के माध्यम से समाधान प्राप्त हो सकेगा, ताकि 1980 में उठने वाली समस्या से बचा जा सके, मतदाता सूची की पुनरीक्षा की जा सके और चुनाव हो सके तथा राज्य में लोकप्रिय सरकार कायम की जा सके ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, गृह राज्य मंत्री, श्री वेंकटसुब्बय्या, ने जिस सांविधिक संकल्प को सदन के सामने प्रस्तुत किया है, मैं उसका विरोध करता हूं । इस संकल्प के जरिये वह किसानों और मजदूरों के पापुलर आंदोलन को दबाने की मंशा रखते हैं ।

इसके बारे में बहुत सारी बातें इस सदन में बार-बार कही जा चुकी हैं। अगर वास्तव में इन्होंने चोरबाजारियों के खिलाफ, गल्ला चोरों के खिलाफ या देश की एकता को तोड़ने वालों के खिलाफ इस व्यवस्था का इस्तेमाल किया है तो मैं जानना चाहूंगा कि स्थिति क्या है। हम लोग इसीलिए इस संकल्प का विरोध करते हैं कि इसका अंतिम उद्देश्य जनतांत्रिक आंदोलनों, किसानों-मजदूरों के आंदोलनों का दमन करना है। तो पहली बात मैं यह कहना चाहता था।

दूसरी बात यह है कि असम पिछले तीन वर्षों से अशांत है। वहां विदेशी नागरिकता के सवाल को लेकर आंदोलन चालू है। इस आंदोलन में ऐसे लोगों की प्रमुखता है जिन्होंने अपनी आंखों से देश की एकता को ओझल कर दिया है। अगर वे देश की एकता और जनतन्त्र को पसंद करते तो जाहिर बात है इस मसले का समाधान बहुत पहले हो गया होता। सरकार भी ढीला-ढाली करती है और जो इस आंदोलन के नेता हैं उनकी नीयत यह है कि जो वर्षों से हमारे देश के नागरिक हैं (जिनको वे विदेशी कहते हैं) उनको यहां से निकाल दिया जाए। उनका यह दृष्टिकोण सही नहीं है और मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता हूं। यह ठीक है कि अगर कोई विवाद है तो उसका हल आपस में बैठ कर निकाला जाना चाहिए जिससे कि तमाम आबादी को संतुष्टि हो सके।

जो वर्षों से इस देश के नागरिक बन चुके हैं, जिनकी नागरिकता को इस देश के नेताओं ने स्वीकार किया है, उनको ओझल करके हम इस सवाल का हल नहीं निकाल सकते। सबसे बड़ी बात तो यह है कि देश की एकता, से प्रभुता को हमें अपने सामने रखना होगा। साथ ही हमें यह भी देखना होगा कि इस आंदोलन के दौरान हमारे देश के दुश्मन, हमारे देश की एकता को तोड़ने वाले, कोई फायदा न उठा सकें। इसलिए द्विपक्षीय या त्रिपक्षीय वार्ताएं, जो समय-समय पर चलती हैं, उनको जल्दी से जल्दी किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचाया जाना चाहिए ताकि मार्च में जो चुनाव होने की बात है वह चुनाव हो सकें। यदि आज जैसी स्थिति ही बनी रहती है तो चुनाव कराना कठिन हो जायेगा। मैं कहना चाहता हूं कि असम में जो शक्तियां जनतन्त्र, समाजवाद और धर्म-निरपेक्षता में विश्वास करने वाली हैं, वह चाहे सी० पी० आई०, सी० पी० एम० या अन्य वाम-पक्षी दल हों, वे अपनी जान की बाजी लगाकर, इस आंदोलन में जो गलत तत्व हैं, उनके प्रति जनता को सजग करते रहे हैं। उनकी इसमें एक बड़ी भूमिका रही है और उनके दर्जनों कार्य-कर्ताओं को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। लेकिन देश की एकता सबसे बड़ी चीज है और इसको ध्यान में रखते हुए इस समस्या का हल निकाला जाना चाहिए।

आखिरी बात मैं बजट के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। इस बजट में जमींदारी उन्मूलन की बात कही गई है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि असम के अन्दर सरकार ने हदबन्दी से कितनी जमीन निकाली है और उसमें से कितनी जमीन का बंटवारा किया गया है।

इस आन्दोलन के मूल में वहां का पिछड़ापन है। अगर सबको वहां पर नौकरी मिल जाती, वहां के लोग आर्थिक रूप से सम्पन्न होते, खुशहाल होते, गरीबी नहीं रहती तो जाहिर बात कि इस आन्दोलन के करने वालों को, जनता को अपने पक्ष में लेकर गलत रास्ते पर ले जाने का मौका नहीं मिलता। मूल में पिछड़ापन है, पिछड़ेपन में जमीन का सवाल जुड़ा हुआ है। मैं

सरकार से यह जानना चाहता हूं कि हदबन्दी की स्थिति क्या है, कितनी जमीन आपने निकाली और उनमें से कितनी बेजमीन खेत मजदूरों को दी ?

मैं बाढ़ के सिलसिले में कहना चाहता हूं, क्योंकि वहां पर ब्रह्मपुत्र में बाढ़ आती है जिसकी वजह से बहुत नुकसान होता है। करोड़ों-करोड़ों रुपयों का नुकसान होता है। सरकार को यहां से भी सहायता देनी पड़ती है और वहां की सम्पत्ति नष्ट होती है। इस बाढ़ के सिलसिले में, उसके नाम पर आपने पैसा मांगा है, जल्दी से जल्दी योजना पूरी करें, ताकि असम को ब्रह्मपुत्र नदी या दूसरी सहायक नदियों की बाढ़ से बचाया जा सके। कई जिले उससे बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। इस चीज से उनकी रक्षा की जा सके।

अभी कुछ दिनों पहले, जो हमारे अस्थायी गृह मंत्री थे, श्री वेंकटरामण जी, उनको असम में वहां के अल्पसंख्यकों की तरफ से एक ज्ञापन दिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि उस ज्ञापन में किन बातों की चर्चा की गई है ? उन बातों के सिलसिले में सरकार ने क्या सोचा है, उनकी क्या मान्यताएं हैं और क्या सरकार यह समझती है कि वे सही हैं ? यदि सरकार का कोई दृष्टिकोण कुछ बन पाया है, तो वे भी बताएं ?

इसी तरह से कटाव का सवाल बाढ़ से जुड़ा हुआ है। दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए। पिछड़ेपन का सवाल है, सड़कों का सवाल है, रेल गाड़ियों के सिलसिले में, बड़ी लाइनों के सिलसिले में—इन सब बातों की तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए ताकि वहां के लोग यह समझें कि भारत सरकार पिछड़े हुए राज्य की प्रगति में दिलचस्पी ले रही है। वे सब मिल करके फूटवादी शक्ति, जो देश की एकता को तोड़ना चाहती है, चाहे वे देशी हों या विदेशी, उनके खिलाफ डट कर मुकाबला कर सकें। इसके लिए जरूरी है कि वहां विकास की तरफ सरकार का ध्यान ज्यादा से ज्यादा जाए और वहां के नौजवानों को काम मिले। जोतने वाले किसानों को जमीन मिले, उद्योग-धन्धे बड़े पैमाने पर खोले जाएं, ताकि असम का विकास हो। हम इस तरह की फूटपरस्त शक्तियों से अपने देश की रक्षा और असम की हिफाजत कर सकें।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : मान्यवर, असम आन्दोलनकारियों के साथ त्रिपक्षीय वार्ता का पांचवां दौर समाप्त हो गया है। यह वार्ता भी अनिर्णित रही, कोई नतीजा नहीं निकला और अब फिर नवम्बर में वार्ता होने जा रही है।

जैसा अन्य माननीय सदस्यों ने कहा है, उसको मैं दोहराऊंगा नहीं। बगैर संविधान में परिवर्तन किये, अब आप अवधि नहीं बढ़ा सकते हैं। आपको विधान सभा के चुनाव कराने ही पड़ेंगे। इसलिए मान्यवर एक तो यह स्पष्ट किया जाए कि आप चुनाव कराने के बारे में क्या करने जा रहे हैं ? जहां तक आपका सम्बन्ध है कि वहां चुनाव कराने के बारे में तो अभी 16 अक्तूबर के हिन्दुस्तान टाइम्स में निकला है—

> * "असम के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया है कि उन्हें केन्द्र या चुनाव आयुक्त में किसी से भी चुनाव सम्बन्धी अवस्था के लिए कोई निदेश नहीं मिले हैं।"

*मूल अंग्रेजी का हिन्दी रूपान्तर।

यह अभी परसों निकला है। तो आप इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि क्या आपने वहां चुनाव की तैयारी करने के लिए कोई डाइरेक्टिव्ज भेजे हैं या नहीं ?

दूसरी बात श्रीमन् यह है कि पांच आदमियों का जो डेलीगेशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिला था उस डेलीगेशन को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह बताया था जैसा कि अभी मैंने उल्लेख किया है। इस पर डेलीगेशन के लोगों ने कहा कि जब तक विदेशी नागरिकों का मसला तय नहीं हो जाएगा वहां चुनाव नहीं होंगे। अब यह स्थिति है, इसका आप स्पष्टीकरण करें।

मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि जब दोनों तरफ की बात क्लीयर है, आपका स्टेण्ड भी क्लीयर है और असम के आन्दोलनकारियों का स्टेण्ड भी क्लीयर है तो फिर इतनी देर वार्ता क्यों चलती रही और किस सबब से चलती रही ? सरकार 1965 के उन निर्देशों से पीछे कैसे जाए जिसमें कि उसने उन लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का आश्वासन दिया था और ऐसे लोग 1977 की मतदाता सूची में करीब दस लाख हैं। उधर एजीटेटर्स कह रहे हैं कि हम इन दस लाख लोगों को मतदान नहीं करने देंगे। इससे क्या हल निकला ? अब अगर यह बात मान ली जाए कि आप हर विधान सभा क्षेत्र में पहुंचाने के लिए न्यायाधिकरणों की नियुक्ति कर देंगे, मगर इसमें बहुत समय लगेगा क्योंकि इसमें अपील का भी प्रावधान है। चुनाव तक उनकी कैसे पहचान हो पायेगी और विदेशी नागरिकों को कैसे तय किया जा सकेगा, यह एक बड़ा भारी प्रश्न है।

वहां हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। वहां जून मास में हुए विस्फोट में 21 व्यक्ति मरे। रेल की पटरियां हटाने और उन पर विस्फोटक पदार्थ रखने की घटनाएं बढ़ गई हैं। शस्त्रों और गोलाबारूद की चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं। नागरिकों व अधिकारियों से रुपये भी ऐंठने की घटनाएं बहुत हुई हैं। मिजोरम के उग्रवादियों ने भी असम के उग्रवादियों से कंधा मिला लिया है। इस समय वहां ऐसी स्थिति है।

मैं उन बातों को नहीं दोहरा रहा हूं जो पहले कही जा चुकी हैं। आप बराबर कहते रहे कि जनता पार्टी की सरकार ने कुछ नहीं किया। आपको क्या अब बीमारी है कि आप इस प्रकार से टोक रहे हैं। (व्यवधान) अगर आपको यह अच्छा लगता है तो मैं बैठ जाता हूं। श्रीमन् मैं इसको अपना अपमान समझता हूं कि इस तरह से हंस-हंस कर जो कुछ यह कर रहे हैं।

(व्यवधान)

सवाल यह है कि जनवरी 1980 से बैठे हुए हैं। पौने तीन साल पूरे हो गए, तो इस दिशा में कोई प्रयास क्यों नहीं किए गए ?

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप शीघ्र समस्या का हल ढूंढ़ें। चुनाव जल्दी से जल्दी कराएं। वहां पर प्रतिनिधि सरकार बननी चाहिए और किसी हालत में भी चुनाव नहीं रुकने चाहिएं, यह आश्वासन आप इस सदन को दें।

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय चक्रवर्ती जी और श्री वर्मा जी का भाषण मैं सुन रहा था। मुझे प्रसन्नता है कि त्रिपक्षीय वार्ता जो आसाम के विषय में चल रही है, उसमें काफी प्रगति हुई है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब इस समय आपको बोलने से कोई नहीं रोक सकता। एक लाभ तो है ही कि अब आपको लोकदल की ओर से दो बार बोलने का अवसर मिलेगा। हां-हां, जारी रखिए।

प्रो० अजित कुमार मेहता : मैं कह रहा था कि वार्ता की प्रगति पर मुझे प्रसन्नता है, लेकिन पूरी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे मन में यह भावना हो कि शरणार्थियों की समस्या, चाहे उसका कोई भी कानूनी आधार हो, इस बात पर निर्भर करती है कि जब हम यह सोचें कि यह समस्या केवल आसाम की अपनी समस्या नहीं है। यह राष्ट्र की समस्या है और इसमें राष्ट्र का उतना ही योगदान होना चाहिए, अकेले आसाम के ऊपर ही सारा भार नहीं डाला जाना चाहिए।

मुझे बड़ा दुख होता है इस सदन में बार-बार आसाम के बजट को देखकर और खास करके जब आसाम का कोई प्रतिनिधि इस सभा में नहीं है। महाशय, मुझे अमरीका की स्वतन्त्रता की लड़ाई के पूर्व की घटनाएं याद आती हैं। जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में अमरीकी उपनिवेष पर कर लगाए गए थे तो अमरीकी जनता ने एक स्वर से उसका विरोध करते हुए कहा कि जिस सदन में उसका कोई प्रतिनिधि नहीं है, इसलिए उस सदन को उन पर कर लगाने का कोई अधिकार नहीं है। क्या हम इस स्थिति में वैसी समानता नहीं पाते हैं। यहां पर आसाम का कोई प्रतिनिधि नहीं है, जिस भू-भाग का कोई प्रतिनिधि नहीं है, उस भू-भाग के बारे में बजट पारित कर रहे हैं। इसीलिए इस समस्या का समाधान शीघ्रातिशीघ्र निकाला जाना चाहिए, इसी में सबकी भलाई है।

उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर अभी जो राजनीतिक स्थिति है, उसमें बहुत कुछ जिम्मेदारी वहां के आर्थिक पिछड़ेपन की है। आसाम पूर्वोत्तर का सबसे अविकसित राज्य है और इस राज्य में पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोयला और चूना पत्थर जैसे खनिज प्रचुर मात्रा में हैं, परन्तु इन खनिजों से जो राज्य को आय होती है, वह बहुत नगण्य है। खनिज सम्पदा से होने वाली आय कुल आय का केवल 4·7 प्रतिशत है।

इसी से सोचा जा सकता है कि आसाम कितना पिछड़ा हुआ है। पूर्वोत्तर में आसाम तथा और राज्यों में शिक्षा संस्थानों का जाल सा बिछा हुआ है, इसका श्रेय सरकार को नहीं है। इन शिक्षा संस्थानों से जो युवक पढ़ाई समाप्त करके बाहर निकलते हैं, उनके सामने रोजगार की समस्या विषम रूप से खड़ी हो जाती है और रोजगार के साधनों के अभाव में जो आर्थिक तंगी उन्हें होती है उसकी कड़वाहट उनके मानस को विद्रोही बना देती है। इन्हें सहानुभूति मिलती है वहां की जनता से, जिसका आर्थिक अवस्था में उत्तरोत्तर ह्रास हुआ है। इस आर्थिक ह्रास का कारण यह है कि वहां की जमीन एक फसल वाली है और पहले कुटीर उद्योगों के कारण उनकी आर्थिक अवस्था सामान्य ढंग से अच्छी रहा करती थी।

स्वतन्त्रता के बाद जब भारतीय बाजार व्यवस्था से आसाम का सम्पर्क हुआ तो कुटीर उद्योगों के उत्पादन प्रतियोगिता में ठहर नहीं सके और उसका परिणाम यह हुआ कि हथकरघा उद्योग और कुटीर उद्योग अब बहुत सीमित हो गया। हालत यह है कि उद्योग तो जीवित हैं किन्तु अपने व्यवहार के लिए उनका बाजार में कोई स्थान नहीं है, कोई मांग नहीं है। इस स्थिति से मान्यवर बचा जा सकता था। इस स्थिति से बचने के लिए वैसे उद्योगों के लिए अन्यत्र बाजार खोजा जा सकता था और कुटीर उद्योग में काम आने वाले उपकरणों में सुधार करके उन्हें अधिक उत्पादन करने वाला बनाया जा सकता था। कम से कम उन उद्योगों को संरक्षण दिया जाता तो हालत इतनी नहीं बिगड़ती। हम यह नहीं कहते कि केन्द्र ने धनराशि नहीं दी। लेकिन उसने धनराशि देकर के अपने दायित्व का पालन करना मान लिया। यह नहीं देखा कि जो धनराशि आसाम को आबंटित होती है, उपका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि वहां दुरुपयोग हुआ और इसकी वजह से वहां एक नव धनाढ्य वर्ग पैदा हो गया जिसका काम था ठेकेदारी और तिजारत। स्थिति यह है कि यह नव धनाढ्य वर्ग ही आन्दोलन को प्रोत्साहन देता है क्योंकि उन्हें डर है कि सही समस्या पर अगर लोगों का ध्यान गया तो लड़ाई शोषित और शोषकों के बीच में रहेगी तो इससे भुलावा देकर के अब लड़ाई स्थानीय और बाहरी लोगों के बीच में रह गई है। आजादी के बाद के वर्षों में भी इस क्षेत्र की उपेक्षा होती रही है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जो थोड़ी लम्बाई की सड़कें हैं, वे भी बरसात के दिनों में चट्टानों के फिसलने से अवरुद्ध रहती हैं। इसका एक मुख्य कारण और कहा जा सकता है कि वहां के लोग देश की मुख्य राजनीतिक धारा से कटे हुए रहे।

श्री रामावतार शास्त्री : स्वतन्त्रता संग्राम में उनका बड़ा योगदान रहा है।

श्री अजित कुमार मेहता : अंग्रेजों ने उस इलाके पर ध्यान नहीं दिया और जो राजस्व दिया तो केवल उन इलाकों पर जहां से राजस्व प्राप्ति की आशा थी। प्राप्त किया। उसको वहां खर्च नहीं किया जिसका नतीजा यह हुआ कि बाकी इलाकों से वह इलाका अलग थलग रहा अछूता रहा। इस तरह से वहां के लोगों का देश के अन्य भागों से बहुत ज्यादा सम्पर्क नहीं हो पाया। इन सब समस्याओं का समाधान आवश्यक है। वहां पर संचार साधनों को इतना विकसिक किया जाना चाहिए कि उस इलाके का देश के अन्य भागों से सम्पर्क हो सके तथा वहां पर ऐसे संवेदनशील पदाधिकारी प्रशासन में नियुक्त किए जाएं जो वहां की समस्याओं को कानूनी कठघड़े से बाहर निकाल कर देखें और वहां के लोगों से संवाद स्थापित कर सकें।

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : उपाध्यक्ष महोदय, महोदय सबसे गरीब लोगों को अनिवार्य वस्तुओं—जिन्हें वास्तव में इन वस्तुओं की आवश्यकता है, के उचित वितरण के लिए कुछेक सेवाओं को अनिवार्य सेवाएं घोषित करने के सम्बन्ध में जब मैंने इस सभा में यह संकल्प प्रस्तुत किया था, तो मैंने यह आशा की थी कि इसका क्षेत्र सीमित होगा। सामान्यतया जब भी असम पर कोई चर्चा होती है तो चाहे यह संकल्प हो अधिसूचना हो, अथवा अनुपूरक मांगें, जिन समस्त समस्याओं पर विचार किया गया है, सामने आएंगी।

मेरे माननीय मित्र श्री रवीन्द्र वर्मा मुझे मालूम नहीं वह बंबई दक्षिण से हैं अथवा उत्तर से या पश्चिम से, कहां का प्रतिनिधित्व वे करते हैं ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैं आपको बताता हूं—बम्बई उत्तर

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : माननीय सदस्य बम्बई उत्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं। सदस्यों के बारे में बात करने की सही संसदीय पद्धति यही है हमारी समस्या यह है कि हम इस बात का पता नहीं लगा पाते कि किस चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व वह करते हैं। इसीलिए हम नाम से पुकारते हैं। मुझे आशा है कि नाम लिए जाने को वह बुरा नहीं मानेंगे। मोटे तौर पर उन द्वारा दो सुझाव जबरन दिए गए हैं। पहला, असम की समस्या का समाधान संतोषजनक रूप से किया जाए और दूसरा, असम एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य राज्यों के आर्थिक विकास पर अधिक ध्यान दिया जाए।

मेरे माननीय मित्र श्री सत्य साधन चक्रवर्ती जिन्होंने यह चर्चा आरम्भ की थी, ने असम की वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में बहुत से प्रश्न उठाए थे। उन्होंने बताया था कि आन्दोलन कारियों के देश से बाहर की कुछ एजेंसियों से संपर्क हैं तथा काफी मात्रा में लोगों को बेदखल किया गया है 1980 में असम सरकार द्वारा यह जो शर्त रखी गई थी कि जब कभी भी बेदखल किया जाएगा उसके लिए सर्वोच्च अधिकारियों के आदेश प्राप्त होंगे, को समाप्त कर दिया गया है तथा लगभग 9000 परिवारों को बेदखल किया गया है। उन्होंने यह सुझाव दिया था कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मार्च, 1983 में चुनाव कराए जाएं तथा लोकप्रिय सरकार स्थापित की जाए।

नवीनतम स्थिति यह है कि राज्य सरकार को यह सलाह दी गई है कि इस समस्या के सभी पहलुओं की विचाराधीन जांच तथा बेदखली को स्थगित रखा जाए ताकि लोगों को हो रही कठिनाईयों को दूर किया जा सके। तदनुसार, पहले ही बेदखली को रोक दिया गया है। महोदय, आन्दोलनकारियों के एजेंसियों अथवा बाहर की ताकतों से संपर्क होने की बात पर मैं माननीय सदस्य से सहमत नहीं हूं। मेरे मित्र श्री रवीद्र वर्मा द्वारा वह स्पष्ट कर दी गई हैं। अच्छा होगा अगर हम इस प्रश्न पर न जाएं तथा मामले को और जटिल न बनाएं।

जहां तक भाषायी और धार्मिक अल्पसंख्यकों के संरक्षण का संबंध है, इसलिए, यह उचित होगा अगर मैं जो कुछ हमारी प्रधानमंत्री द्वारा एक बार कहा गया है, उसे उद्धृत करूं :

> "जहां तक असम के लोगों का सम्बन्ध है, यह बहुत ही जटिल, नाजुक और भावनात्मक मामला है तथा जाहिर है, जो कुछ भी होता है हमारा भी उससे सम्बन्ध है। जब हम उनसे बात चीत कर रहे हैं तो सरकार इस बारे में कठोर एवं जल्दी बाजी में कोई रवैया नहीं अपना सकती। हम यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अन्य लोगों अर्थात अल्पसंख्यकों और असम में रहने वाले बाकी लोगों को नुकसान पहुंचाए बिना हम उन्हें कितना अपना सकते हैं। साथ ही साथ देश पर इसका व्यापक रूप से कुल मिलाकर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर भी हमें विचार करना है।"

प्रधान मंत्री द्वारा इस सभा के समक्ष एवं अन्य कई अवसरों पर स्पष्ट रूप से यह कहा गया है। हमारी बातचीत के दौरान, जिसमें श्री रवीन्द्र वर्मा द्वारा प्रमुख हिस्सा लिया था, हमारे पिछले गृह मंत्री श्री वेंकटरामन ने और वर्तमान गृह मंत्री श्री सेठी ने यह एकदम स्पष्ट कर दिया था।

श्री रवीन्द्र वर्मा द्वारा बहुत से मुद्दे पेश किए गए जो कि 1961 और 1971 के बीच पता लगाने के लिए बहुत ही नाजुक मसला है।

श्री रवीन्द्र वर्मा : जवाब की उम्मीद नहीं करता।

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : महोदय, यह बहुत ही नाजुक मसले हैं तथा बहुत ही शीघ्र हम बातचीत का एक अन्य दौर करेंगे। तथा श्री रवीन्द्र द्वारा जो भूमिका अदा की गई उसकी मैं अवश्य प्रशंसा करूंगा। एक बात मैं यहां अवश्य ही बताऊंगा कि असम स्टूडेंट यूनियन और गण संग्राम परिषद के नेताओं के बीच अत्यधिक घनिष्ठता एवं मेल-मिलाप है। सरकार और असम आन्दोलन के नेताओं के बीच बहुत ही स्पष्ट और खुली बातचीत हुई तथा विपक्षी दल के जिन प्रतिनिधियों ने इस विचार विमर्श में भाग लिया, उन्होंने बहुत ही रचनात्मक और उपयोगी भूमिका निभाई। ताकि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सके कि इस विवादास्पद और अत्यधिक जटिल समस्या का समाधान इस प्रकार से हो कि सभी उससे संतुष्ट हों।

महोदय, मैं इन मामलों में नहीं जाना चाहता क्योंकि प्राधिकरणों के गठित किए जाने, राष्ट्रीय मतदाता सूची बनाने एवं विदेशी होने अथवा न होने, आप्रवासी निष्काष्न अधिनियम और दूसरे परन्तु—ऐसे मामले हैं जिन पर चर्चा की गई है और हमें आशा है कि दोनों पक्षों की सद-भावनाओं से कोई संतोषजनक समाधान मिल पाएगा। हम उचित समाधान ढूंढ़ निकालेंगे।

महोदय, मैं चुनावों के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा क्योंकि हमारे बहुत से मित्रों ने बताया है कि लोक सभा में असम के कोई प्रतिनिधि नहीं हैं, वहां कोई लोकप्रिय सरकार नहीं है तथा विधान सभा भी नहीं है। इसलिए महोदय, 1983 में कहां चुनाव कराने की सांविधिक रूप से आवश्यकता है, लेकिन, फिर भी हम इन नेताओं से बात-चीत कर रहे हैं और इस स्थिति में मेरे द्वारा उस बारे में कुछ भी कहना उचित नहीं होगा और मैं यह चाहता हूं कि संबद्ध लोग वहां सदभावना बनाए रखें तथा हम कोई संतोषजनक हल ढूंढ़ सकें।

बहुत से लोगों ने यह आरोप लगाया है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र और असम की अवहेलना की जा रही है। मैं इस माननीय सभा को यह बताना चाहूंगा कि विकास के क्षेत्र में असम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। असम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों को विशेष श्रेणी में लाया गया है। छठी पंचवर्षीय योजना में पांच राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए लगभग 2400 करोड़ रु० का परिव्यय रखा गया है। इसके अलावा छठी योजना में पूर्वोत्तर परिषद के लिए 240 करोड़ रुपये का प्रावधान है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रति व्यक्ति परिव्यय 1393 रुपये है जबकि अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में यह राशि 872 रुपये है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में केन्द्रीय सहायता कुल व्यय के 80% से भी अधिक है जबकि अन्य राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए

यह 29 प्रतिशत है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता 1205 रुपये है जबकि अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में यह 257 रुपये है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए अप्रैल 1980 में मंत्रियों की एक समिति का गठन किया गया जैसा कि मैंने आपको बताया है छठी पंचवर्षीय योजना में 5 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए लगभग 2400 करोड़ रुपये का परिव्यय है।

छठी योजना में किए गए प्रावधानों का विस्तृत विवरण इस प्रकार है :

(करोड़ रु० में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1980-85	1980-82	1982-83
1 असम	1115	210.00	258
2 अरुणाचल प्रदेश	212	36.90	44
3 मणिपुर	240	43.00	48
4 मेघालय	235	46.55	51.20
5 मिजोरम	130	23.00	29.00
6 नागालैंड	210	38.00	42.58
7 त्रिपुरा	245	45.00	50.00

जहां तक प्रति व्यक्ति का सम्बन्ध है, मैंने पहले ही बताया है कि इसके अलावा उन्हें 340 करोड़ रुपये मिल रहे हैं।

तीव्र आर्थिक विकास के लिए सामान्य हालात पूर्वापेक्षित हैं। हमारे आर्थिक विकास कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए सामान्य जीवन एक पूर्व-शर्त है। आन्दोलन होने के कारण दुर्भाग्यवश जो कुछ भी हम कार्यान्वित करना चाहते थे, हमारे पूरे इरादे और प्रयास होने के बावजूद भी किया नहीं जा सका। मैं इस माननीय सदन को बताऊंगा कि इस आन्दोलन के दौरान हमारे तेल और अन्य सामाग्रियों की काफी हानि हुई। मैं ये आंकड़े उद्धृत करके इस सभा के धैर्य को समाप्त नहीं करना चाहता लेकिन माननीय सदस्य हमसे इस बात पर सहमत होंगे कि सामान्य जीवन स्थापित किया जाए एवं संतोषजनक हल ढूंढ़ा जाए। सौहार्द्र पूर्ण सम्बन्ध स्थापित किए जाएं। एक प्रमुख और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इस देश के नागरिक हैं उन्हें मत सूची में मत देने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। हमारी सरकार लगातार यह रवैया अपना रही है कि जो इस देश के नागरिक नहीं हैं, वे वोट देने के पात्र नहीं हैं। इसलिए, नागरिक कौन है ? यही प्रश्न है जिस पर बातचीत की जा रही है। इसलिए, हमें शान्तिपूर्ण हल ढूंढ़ना है। इस सभा में श्री वर्मा ने बहुत से सुझाव दिए हैं। वह बहुत ही महत्वपूर्ण और रचनात्मक भूमिका अदा करते रहे हैं। हमें आशा है कि बातचीत के अगले दौर में, जो कि जल्दी ही होगा, हम संतोषजनक हल ढूंढ़ सकेंगे। सरकार इस देश की अखंडता, एकता और प्रभुसत्ता बनाए रखने के

लिए दृढ़ संकल्प है। हमारा यह प्रयास रहेगा कि भड़काने वाली प्रवृत्तियों को दबाया जाए। सरकार बार-बार विरोधी पार्टियों से सहयोग की मांग कर रही है ताकि हमारी प्रभुसत्ता और अखंडता बनी रहे।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती ने भी कशमीर रिसेटलमेंट बिल अकाली आन्दोलन आदि का जिक्र किया था। मैं इस मामले में नहीं जाना चाहता क्योंकि आज ही मैंने दि ट्रिब्यून में यह देखा था कि मुख्य मंत्री श्री बसु कुछ हद तक अपना सीमित समर्थन अकाली आन्दोलन को दे रहे हैं। मुझे नहीं मालूम यह सही है अथवा गलत, यह समाचार पत्र में था, मैं गलत भी हो सकता हूं।

श्री समर मुखर्जी : वह स्वायत्तता की बात है।

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : वह आनन्दपुर साहिब रेजोल्यूशन आदि की बात कर रहे हैं। जो कुछ भी यह है। मैं अपनी कम्यूनिस्ट पार्टी के मित्रों द्वारा—सी० पी० आई० और सी० पी० एम० दोनों व्यक्त भावनाओं से पूरी तरह सहमत हूं और उनका आदर करता हूं। राष्ट्र की अखंडता और प्रभुसत्ता बनाए रखने में वह हमारे साथ हैं। इन सभी वार्ताओं में उन्होंने जो भूमिका अदा की है, वह मुझसे अपरिचित नहीं हैं। हम उनका और सभी दलों का हार्दिक सहयोग चाहते हैं, ताकि सभी संबद्ध लोगों के लिए संतोषजनक हल मिल सके। साथ-ही-साथ सरकार ने बार-बार कहा है कि असम का सांस्कृतिक रूप बनाए रखा जाएगा, उसकी रक्षा की जाएगी तथा ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा जिससे असम के सांस्कृतिक रूप को नुकसान पहुंचे लेकिन असम हमारे देश का अखंड हिस्सा है। इसलिए हममें से प्रत्येक को—कुछ भी मिलता क्यों न हों—संतोषजनक समाधान ढूंढ़ने की कोशिश करनी चाहिए एवं यह देखना चाहिए कि हमारे देश की प्रभुसत्ता और अखंडता की रक्षा की जा रही है।

इन शब्दों के साथ मैं सभा की स्वीकृति के लिए इस संकल्प की सराहना करता हूं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिरामा राव) : महोदय, मेरे सहयोगी गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री वेंकट सुब्बय्या ने अभी जो कहा उसमें मैं कुछ और जोड़ना चाहूंगा।

श्री बी० डी० सिंह ने असम में ग्रामीण विद्युतीकरण की कमी का जिक्र किया है। राज्य के 21,995 गांवों में से 1979-80 के अन्त तक 4226 गांवों में बिजली पहुंच गई थी। छठी योजना (1980-85) में 6,000 अन्य गांवों में 57.86 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है। वर्ष 1980-81 के दौरान 1,400 गांवों में बिजली पहुचाई गई और 1981-82 में 1,162 अन्य गांवों में बिजली पहुंचाई गई। वर्ष 1982-83 में 1,050 गांवों को बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

मेरे मित्र श्री रामावतार शास्त्री भूमि सुधारों में की गई उन्नति के बारे में जानना चाहते । भूमि परिसीमन अधिनियम के अन्तर्गत अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण और वितरण का एक ार्यक्रम शुरू किया गया है। अब तक 5.81 लाख एकड़ भूमि को अतिरिक्त घोषित किया जा चुका और इसमें से 3.19 लाख एकड़ भूमि को 2.56 लाख परिवारों में बांटा जा चुका है। उन्होंने वे लाइनों के निर्माण का भी जिक्र किया है। नए बोंगाई गांव से गौहाटी (157 कि० मी०)

की बड़ी लाइन पर भी शीघ्र ही काम शुरू किया जाने की आशा है। इस काम की अनुमानित लागत 50 करोड़ रुपये है। गौहाटी से डिब्रूगढ़ तक मीटर गेज को बड़ी लाइन में बदलने की सौ करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की एक योजना पर सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। जोगीपाड़ा पर ब्रह्मपुत्र के ऊपर एक पुल बनाने की योजना भी शुरू की जा रही है।

माननीय सदस्य, श्री रामाअवतार शास्त्री ने भी बाढ़ नियन्त्रण उपायों की आवश्यकता का जिक्र किया है। राज्य बजट में बाढ़ नियंत्रण के लिए चार करोड़ रुपये की व्यवस्था है। इसके अलावा केन्द्रीय क्षेत्र की योजना में भी 9 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है। बाढ़ नियंत्रण उपायों को भी बढ़ाए जाने की आशा है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाएगा। अब मैं सांविधिक प्रस्ताव को मतदान के लिए रखता हूं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, उन्होंने श्री ज्योति बसु का जिक्र किया था और समाचार पत्र से भी उद्धरण दिए थे·····(व्यवधान) यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। मैं अपने दल के विचार स्पष्ट करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने अपना उत्तर दे दिया है और मैं उसे सभा में मतदान के लिए रख रहा हूं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं इस भ्रम को दूर करना चाहता हूं। जहां तक अकालियों की राज्य के लिए अधिक शक्तियों की मांग है उसका हम समर्थन करते हैं। जहां तक अन्य मांगों का सम्बन्ध है हमारे मुख्य मंत्री उसका समर्थन नहीं करते हैं। इस सम्बन्ध में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री पी० वेंकट सुब्बय्या द्वारा प्रस्तुत किए गए सांविधिक प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि आवश्यक सेवा अधिनियम 1981 (1981 का 40) द्वारा यथा संशोधित आवश्यकसेवा (असम) अधिनियम, 1980 (1980 का 41) की धारा 2 की उपधारा (2) के अनुसरण में, यह सभा असम सरकार, राजनीति (क) विभाग की 30 सितम्बर, 1982 की अधिसूचना संख्या पी० एल ए० 906/82/125 को जारी किये जाने का अनुमोदन करती है, जिसके द्वारा आवश्यक सेवा (असम) अधिनियम, 1980 (1980 का 41) के प्रयोजनार्थ असम राज्य के अन्दर निम्नलिखित सेवाएं आवश्यक सेवाएं घोषित की गई हैं :—

(एक) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 10) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथाघोषित आवश्यक वस्तुओं

का कारबार करने वाले किसी स्थापन या किसी ऐसी दुकान, जिसे 22 जून, 1982 के असम व्यापार वस्तु (अनुज्ञापन और नियंत्रण) आदेश 1982, और असम उच्च-गति डीजल तेल (वितरण और नियंत्रण) आदेश, 1981 तथा असम, धान और चावल उपापन (अनुज्ञापन और उद्ग्रहण) आदेश, 1981 के अधीन अनुज्ञापन दिया गया है, की सभी सेवाएं ।

(दो) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथाघोषित आवश्यक वस्तुओं और असम सार्वजनिक वस्तु वितरण, आदेश 1982 के अधीन अनुज्ञप्त आवश्यक वस्तुओं का कारबार करने वाले थोक और खुदरा विक्रेताओं समेत नियुक्त व्यापारियों के किसी स्थापन अथवा दुकान में सभी सेवाएं ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं (असम की) वर्ष 1982-83 की अनुदान की अनुपूरक मांगों को मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं ।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ दो में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अवधिक संबंधित अनुपूरक राशियां असम राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाए—

मांग संख्या 6, 16, 18, 21, 25, 26, 30, 37, 41, 55, 61 और 65 ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए मांग की रकम	
1	2	3	4
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
6	भू-राजस्व और भूमि की अधिकतम सीमा	20,00,000	...
16	जिला प्रशासन	6,50,000	...
18	पुलिस	1,42,00,000	...

1	2	3	4
21	प्रशानिक और कार्योपलक्षी इमारतें	...	1,21,000
25	अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि	1,09,000	...
26	प्रशासनिक प्रशिक्षण	3,00,000	...
30	राज्य लाटरियां	5,00,000	...
37	रिहायशी इमारतें	...	87,000
41	नागरिक पूर्ति	4,06,000	...
55	कृषि	9,00,000	...
61	वन	35,00,000	...
65	कुटीर उद्योग	5,82,000	...

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

असम विनियोग (संख्या 3) विधेयक

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिरामा राव) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वर्ष 1982-83 की सेवाओं के लिए असम राज्य की संचितनिधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि वित्तीय वर्ष 1982-83 की सेवाओं के लिए असम राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री पट्टाभिरामा राव : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिरामा राव) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं—

"कि वित्तीय वर्ष 1982-83 की सेवाओं के लिए असम राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1982-83 की सेवाओं के लिए असम राज्य की संचित निधि में से कतिपय और सभी राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खंडों पर विचार करेंगे।

प्रश्न यह है :—

"कि खंड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री पट्टाभिरामा राव : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

———

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, 5.30 बजे आधे घंटे की चर्चा पर विचार होना है। इसे शुरू करने के लिए मैं सभा की अनुमति चाहता हूं।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

आधे घंटे की चर्चा भारतीय खाद्य निगम को हुई भारी हानि

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : मोहतरम डिप्टी सरकार साहब जो सवाल 11 तारीख को पूछा गया था···

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा सुझाव है कि हम दस मिनट के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों पर विचार कर लें। तब तक माननीय मंत्री भी आ जायेंगे।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : पार्लियामेन्टरी अफेअर्स मिनिस्टर ने यह कहा था कि सको कल लिया जायेगा। हम लोगों ने कुछ कट मोशन्स भी दिये हैं। उनको भी लिया जाना।

0

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को यहां अवश्य होना चाहिये। यह आधे घंटे की चर्चा है। सम्बन्धित मंत्री को यहां अवश्य होना चाहिये। मैं यह कह रहा हूं।

श्री रशीद मसूद : वह यहां उपस्थित क्यों नहीं हैं। वह इसके जिम्मेवार हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री 5.30 पर आ जाएंगे। वह चल चुके हैं।

माननीय मंत्री जरूर आएंगे। आप जारी रहिए।

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब, जब 11 अक्टूबर को यह सवाल पूछा गया था जिस पर कि अब हम आधा घंटे की चर्चा कर रहे हैं तो उस सवाल के जवाब को आप देखें तो आपको अन्दाजा हो जाएगा कि इस सवाल का जो उत्तर दिया गया है उसमें उस सारे मामले को नजरअन्दाज कर दिया गया है जिस मामले को लेकर यह सवाल पूछा गया था। उसको छूआ तक नहीं गया।

रीजंस पूछे गए थे कि पिछले पांच साल में एफ० सी० आई० को जो लास हो रहा है उसके क्या रीजंस हैं ? जवाब में जो रीजंस दिये गए हैं वे सब्सीडी और रेलवे को डेमरेज के दिए गए हैं। लेकिन इन दोनों वजूहात के अलावा दूसरी वजूहात भी हैं जिनके कारण एफ० सी० आई० को नुकसान हो रहा है।

मैं समझता हूं कि उस तरफ के मेरे दोस्त खफा नहीं होंगे अगर मैं यह कहूं कि 1980 से एक ट्रेड हो गया है कि जो सवाल हमारी तरफ से पूछे जाते हैं और जिनसे हम कुछ मसले सरकार के सामने लाना चाहते हैं उनको ठीक तरह से रिप्लाई नहीं किया जाता। उनके इवेसिव रिप्लाई दिए जाते हैं। इस तरह से हम लोग हिन्दुस्तान की जनता के सही मामलात को आपके सामने नहीं रख पाते।

यह जो सवाल पूछा गया था और जिसका जवाब दिया गया कि सब्सीडी और डेमरेज की वजह से नुकसान होता है। इनकी वजह से तो नुकसान होता है लेकिन उसमें नुकसान होने की और दूसरी वजूहात भी हैं।

आप देखेंगे कि इसकी मेन वजूहात यह है कि कारपोरेशन के पिछले दो साल से कोई चेअरमेन नहीं हैं। दो साल के बाद आपने उसका एक चेअरमेन अपोइंट किया था। अब उसको गवर्नर बना दिया गया है। इस तरह से आपकी यह कारपोरेशन यतीम हो गई है, कोई आदमी उसको देखने वाला नहीं है।

इससे भी ताज्जुब की बात यह है कि उसके बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स में 12 मेम्बर्स होते हैं। उनमें से 6 एक्स ओफिशियां मेम्बर होते हैं और 6 मेम्बर्स पब्लिक के होते हैं जिनको कि गवर्नमेंट अपोइंट करती हैं। उन 6 मेम्बरों को अभी तक वहां अपोइंट नहीं किया गया है। यानी पब्लिक का कोई नुमाइन्दा उसमें नहीं है। सारे गवर्नमेंट आफिशियल्स हैं और उस बोर्ड में 6 का ही कोरम है। आपने इन 6 गवर्नमेंट आफिशियल्स को इसलिए रखा हुआ है कि आपका कोरम पूरा हो सके और आपको पब्लिक के नुमाइन्दों की जरूरत न पड़े। यही वजह है कि एफ० सी० आई० में नुक्सान हो रहा है। कोई देखने वाला नहीं है।

पंजाब में जो नुकसान हुआ, उसके क्या वजूहात हैं ? नुकसान डेमरेज या सब्सीडी की वजह से नहीं होता है। आपका नुक्सान होता है आप जो स्टोरेज करते हैं गेहूं का, उसमें आपका गेहूं सड़ता है, उससे नुक्सान होता है। दूसरा नुक्सान होता है आपके यहां से चोरी होती है। तीसरे आपके यहां से जैसे अभी अमरीका से गेहूं आया, उसको उतारने के सिलसिले में गैर-कानूनी तरीका अपनाया गया, उसमें नुक्सान होता है। जहां से खरीदा जाता है, उस खरीद में नुक्कान होता है।

पिछले दिनों पंजाब के अटरी स्टेशन पर आपका कुछ अनाज चोरी हुआ। कुछ आफिशियल्स को आपने भेजा इन्क्वायरी करवाने के लिए। लेकिन आफिशियल्स ने आकर रिपोर्ट दी कि रेलवे अथारिटीज ने हमारे साथ कुछ कोआपरेट नहीं किया और उन्होंने कहा कि यहां पर आर०पी०एफ० वगैरह है और रेलवे के एरिया में है, लिहाजा आप नहीं देख सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी अफसोस की बात है वह यह नहीं है कि रेलवे की अथारिटीज की वजह से आपको नुक्सान हुआ, बल्कि यह हुआ है जहां आप लदान करते हैं वहां आपका लदान उतने बैग्स का होता ही नहीं, जितने कागज में दिखा दिए। नतीजा यह है कि आपको इतना बड़ा नुक्सान भुगतना पड़ा। मोहतरिम राव साहब ने इसी साल मार्च में बताया था कि आफिशियल्स के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। आज तक मालूम नहीं हुआ कि क्या एक्शन लिया गया। मैंने यह एक छोटी सी मिसाल दी है, ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए।

दूसरा आपके यहां शक्ति नगर और नारायणा, दिल्ली में आपके स्टोर हैं। उनमें सिर्फ 1980 में 40 लाख का नुक्सान हुआ। उसके लिए किन-किन आफिसर्स को सजाएं दी हैं। क्या आपने इसकी इन्क्वायरी कराई है। कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार पाए गए।

माफ करना, सबसे अफसोसनाक बात यह है कि राव साहब ने यह समझ लिया है कि हम और वे दोनों अलग-अलग हैं और हमें अलग-अलग मुख्तलिफ डायरेक्शन्स में चलना है। अपोजीशन चाहे कंस्ट्रेक्टिव सजेशन्स भी दे, तब भी उनको नहीं सुनना है। (व्यवधान)

मैं कह रहा था कि जब यह एटीट्यूड रहेगा कि हम लोग अनियमितताओं को बताएं और यह समझकर कि यह अपोजीशन की तरफ से आया है, उन चीजों को नजरअंदाज कर दिया जाए तो आप ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे।

पिछले साल जब अमरीका से गेहूं आया और मद्रास में जब गेहूं उतरा तो आप पहले जो मेनुअल लेबर के जरिए से उतरवाते थे उससे न उतरवाकर मेकेनाइज्ड तरीका अपनाया गया, जिसमें 10 रुपये प्रति टन पोर्ट के लेबर बोर्ड को देना पड़ा। जब आप मेनुअल लेबर से उतरवाते थे तो 3000 टन रोज उतरता था, लेकिन जब मेकेनाइज्ड तरीके से उतारना शुरू किया तो एक हजार टन रोज उतार पाए। नतीजा यह हुआ कि एक करोड़ चालीस लाख रुपए का आपको नुक्सान हो गया।

मैं समझता हूं कि इसके लिए आपने जरूर किसी न किसी को जिम्मेदार ठहराया होगा और अगर ठहराया है तो मैं पूछना चाहूंगा कि वे कौन लोग हैं और क्या इस सिलसिले में कोई इन्क्वारी की गई है ?

इसी तरह से जम्मू-कश्मीर में पिछले साल, बल्कि इसी साल समझ लीजिए जो गेहूं का गुजरा है, उसमें एक करोड़ रुपये का लास हुआ। आपने कहा कि वहां पर रेलवे अथारिटीज ने कोआपरेट नहीं किया, इसलिए नुक्सान हुआ है। गवर्नमेंट की ज्वाइंट रेसपांसबिलिटी होती है। रेलवे वालों पर आप इल्जाम लगाते रहें और रेलवे वाले आप पर इल्जाम लगाते रहें और नुक्सान इस मुल्क की जनता का होता रहा।

अगर आप और रेलवे, एक ही मिनिस्ट्री में रहने वाले लोग तालमेल करके नहीं चल सकते हैं तो इस मुल्क को कैसे चलाने का ख्वाब देखते हैं। यही एक सबसे बड़ी वजह है, जिसकी वजह से हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि शायद कोई गवर्मेन्ट ही नहीं है, कोई तालमेल नहीं है। हमेशा दूसरों के कन्धे पर चलाने की बात होती है। रेलवे वाले कहते हैं एफ० सी० आई० ने किया है और एफ० सी० आई० वाले कहते हैं रेलवे ने किया है। नतीजा यह है कि कोई हल निकलने वाला नहीं है।

गांधी धाम गुजरात में ऑडिटर और कम्पट्रोलर जनरल की रिपोर्ट आई थी, उसमें उन्होंने बताया है कि 13 करोड़ 29 लाख का लॉस आपको हुआ है, वहां पर जो आपका गेहूं का स्टोर था। उसकी वजह इस रिपोर्ट में यह बताई गई है कि आपने जमीन के ऊपर गेहूं को रखा है, बारिश और धूप के अन्दर वह खुला रहा जिसकी वजह से 19 करोड़ 10 लाख का जो अनाज वहां पर था उसमें 13 करोड़ 29 लाख का नुकसान आपको हुआ। उस समय आपको रिस्पांसिबिलीटी फिक्स करनी चाहिए थी। इसकी रिस्पांसिबिलिटी आपने किस पर फिक्स की है।

दूसरा मामला है सब्सीडी का। आपका 200 करोड़ रुपया वर्किंग कैपिटल जो आपने इनिशियली प्रोवाइड किया और आप जो ट्रांजैक्शन करते हैं वह करीब साढ़े छः-सात करोड़ का। नतीजा यह है कि बाकी जो है सब आपको लोन लेना पड़ता है। जब आप खरीदते हैं तो उसको स्टोर किया जाता है यानी एक तरह से मनी ब्लाक हो जाता है। पिछले साल का सूद मुझे मालूम है, इस साल कुछ ज्यादा हो गया। इस साल सात सौ करोड़ रुपये का आपका सबसिडी बड़ा हुआ है। पिछले साल जो सबसिडी आप देते थे, उसका आधा भाग बैंक में चला जाता था। करीब 186 पाइंट कुछ करोड़ का सूद आपका बैंक को चला जाता था। यह इतना बड़ा आपके जरिए चलाया हुआ परचेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सेन्टर है। इसको अगर आप दो सौ करोड़ रुपये की धनराशि से चलायेंगे तो मैं समझता हूं कि उसमें इतना जो जा रहा है 186 करोड़ रुपया, इन्टरेस्ट का जायेगा और आपका नुकसान पूरा नहीं होगा। पहले तो दो सौ, ढाई सौ, शायद अब तीन सौ करोड़ रुपये का हो गया होगा इन्टरेस्ट, बैंक को जाता है।

दूसरी बात जैसा आपने बताया कि आप सबसिडी देते हैं, यह बात सही है। सबसिडी देनी चाहिए क्योंकि कन्ज्यूमर बहुत गरीब है, उन लोगों को बहुत जरूरत है। कहीं-कहीं तिकोना सिस्टम है, उसकी वजह से सबसिडी का फायदा कंज्यूमर को पहुंच रहा है या नहीं। आपकी और स्टेट की अलग-अलग एजेंसियां हैं। जिस रेट पर स्टेट को देते हैं, स्टेट कुछ नहीं करती। प्रोक्योर आप करते हैं, स्टोर आप करते हैं और वो एक इन्सपैक्टर बैठा देती है।

स्टैट एजेंसीज फिर से अपना खर्चा ट्रांस्पोर्ट वगैरह का लगाकर जोकि 13-14 रुपये बैठता है फी क्विंटल कीमत बढ़ा देती है। कहीं पर 182 पर मिल रहा है और कहीं पर 174 या 176 पर। आपका रेट सब जगह ज्यादा है। दिल्ली में 165 है। लेकिन कंज्यूमर को कोई फायदा नहीं हो रहा है। कंज्यूमर को उसी प्राइस पर मिल रहा है। अगर आप सबसिडी न भी देते तब भी मिलता। आपकी जो इकोनोमिक कास्ट है उससे ज्यादा कीमत पर उसको अब भी मिल रहा है। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार की मिसालें आपके सामने हैं।

रोलर फ्लोर मिल्ज को आप देते हैं सबसिडाइज्ड रेट्स पर और उसपर भी आपको लास हो रहा है। यह जो आप उनको गेहूं देते हैं इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है कि किस तरह वे बेचेंगी और कहां बेचेंगी, किस रेट पर बेचेंगी। एक्ट में प्रोवाइडिड है कि खुद की आपको रोलर मिल्ज लगानी चाहियें। अगर किसी वजह से आप नहीं लगा पाते हैं तो इन पर आपका पूरा कंट्रोल तो होना चाहिए। प्राइवेट आदमी को जो मुनाफा इस वजह से हो रहा है उसको भी तो आपको देखना चाहिये। पांच छः रुपये का बैग भी आप उनको दे देते हैं, साथ में। यह जो सोर्स है इसको भी आप देख सकते हैं और इससे अपने लास को कम कर सकते हैं।

गनी बैग्ज वाला स्कैंडल आपने पढ़ा होगा। आप तो खूब पढ़ते हैं। राइस मिल ओनर्स के साथ क्या हो रहा है। वी० और सी० बैग होते हैं। सी० बैग सप्लाई करके वी० की प्राइस ली जाती है। यह क्यों ? कौन रोकेगा इसको ?

बोर्ड आफ डायरेक्टर्ज को आप देखें। छः नुमाइंदे होते हैं और सारे के सारे असफर होते हैं। चित्त भी मेरा पट भी मेरा, अंटा मेरे बाप का। कोई रुकावट नहीं है। चेयरमैन आपका मुस्तकिल होना चाहिए। डायरेक्टर आप एप्वाइंट करें। आपने श्री रामचन्द्रन को एप्वाइंट किया था और अब उनको गवर्नर बना दिया है। फिर यह कारपोरेशन यतीम हो गया है।

परचैजिंग सैंटर जो आपके हैं वहां क्या होता है। वहां भी आपको नुकसान होता है। जिन को आप वहां खरीदने के लिए भेजते हैं 140 रुपये या किसी भी कीमत पर तीन चार किलो पर क्विंटल वे वैसे ही ज्यादा ले लेते हैं। उसके बाद जो एक और तरीका वे अपनाते हैं वह रिजैक्ट करने वाला है। जब वे रिजैक्ट कर देते हैं तो बेचारा किसान बड़ा परेशान होता है, वह खुशामद करता है। फिर वे उससे 138-139 में खरीद लेते हैं और वहीं मंडी में जो आढ़ती होता है उसको एजेंट बना लेते हैं। आप इसकी इनक्वायरी करवाएं। मैंने 1978 में एक केस आपको पकड़ कर दिया था। बाद में उस केस में उस आदमी को ससपैंड भी किया गया। मुझे पता नहीं बाद में क्या हुआ। 138-139 के भाव पर किसान का जो गेहूं खरीदा जाता है उसको 142 के भाव पर आपके ही सैंटर में बाद में ले लिया जाता है। ये जो तीन चार रुपये हैं जो या तो आपको बचने चाहिए थे या जाने चाहिए थे किसान को, आप में से किसी को नहीं मिलते हैं। इसको भी आपको देखना चाहिये।

अब आप चोरी के मामले को लें। आपको याद होगा कि पिछले साल 4 जुलाई को 81 [illegible]ज ले जाता हुआ एक ट्रक पकड़ा गया था। यह आपके स्टोर से ले जाया जा रहा था। किन [illegible] के खिलाफ आपने एकशन लिया ? क्या कोई मजीद आपने इनक्वायरी की ? यह एक छोटी

सी मिसाल है जो मैंने दी है । जो नहीं पकड़ा गया वह लौस में गया आपको । और जो पकड़ा गया वह चोरी आप कह देते हैं । तो इनको रोकें ।

दूसरे यह कि आपके यहां सिविल इंजीनियरिंग महकमा है और इंजीनियर्स भी हैं । लेकिन उसके बावजूद भी आप सी० पी० डब्लू० डी० को कांट्रेक्ट देते हैं इमारतें बनाने के लिये । ऐसा क्यों ? आपका यह महकमा फिर किसलिए है ? क्या यह सारा पैसा बेकार नहीं कर रहे हैं ?

तीसरे आपने कहा कि नुकसान के लिये कंट्रेक्टर्स पर मुकदमे चलायेंगे । कोई भी साल आपका ऐसा नहीं है जिसमें 1.5 करोड़ से ज्यादा डेमरेज में खर्च न हुआ हो । आप कांट्रेक्टर को 14 दिन की जेल करा देंगे, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते । कांस्ट्रेक्टर भी मजे में और आफिसर्स भी मजे में । लेकिन सफर करेगी कारपोरेशन । तो आप बतायें कितने कांट्रेक्टर्स के खिलाफ आपने केसेज चलाये हैं और कितनों में कामयाबी हुई है, और क्या करने का इरादा है ?

दूसरे यह कि आपके डिपार्टमेंट की बात नहीं है, बल्कि सभी जगह करप्शन बढ़ गया है क्योंकि वकील प्राइममिनिस्टर के करप्शन इंटरनेशनल फिनामनन है । आपके चीफ विजिलेंस अफसर के खिलाफ यह शिकायत है कि उसने हाउस रेंट अलाउन्स गलत और झूठी रसीद के ऊपर लिया है । क्या यह बात सही है ? और अगर है तो उसके खिलाफ क्या ऐक्शन आपने लिया है ? चीफ विजिलेंस अफसर का काम करप्शन रोकने का है । क्या ऐसा आदमी करप्शन रोक सकता है जिसका कैरेक्टर खुद ऐसा हो ? अभी इनको ऐक्सटेंशन मिला है, आप बतायें कि क्या इन्होंने अपनी डेट आफ बर्थ में कोई गड़बड़ी की है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : मैडम चैयरमेन, माननीय रशीद मसूद साहब ने आधा घंटे का जो डिस्कशन आप से मांगा वह इस बिना पर था कि एक सवाल इन्होंने किया था उसके जबाब से इन्हें तसल्ली नहीं हुई ।

श्री रशीद मसूद : उसी का जबाब पूछा है ।

राव वीरेन्द्र सिंह : लेकिन आपने उस सवाल से बाहर पूछा । जो स्पेसिफिक केसेज उन्होंने बताये कि फलां जगह चोरी हुई तो उसका क्या हुआ ? फलां जगह अनाज गल, सड़ गया उसका क्या हुआ ? इसके लिये आप अलग से सवाल करेंगे तो पूरी जानकारी हासिल करके दूंगा । इन सारे सवालात का जवाब इस वक्त मुमकिन नहीं है । कौन-कौन से आदमी हैं, किनके खिलाफ मुकदमे चले, किसको सजा मिली, कौन बरी हो गये, इन तमाम सवालात के लिये आप अलग से पूछेंगे तो मैं जानकारी दूंगा । कारपोरेशन आटोनामस है, सरकार का काम उसको पालिसी देना है । और कहीं अगर शिकायत हो तो उसकी जांच कराना यह हमारा काम है । सी० ओ० पी० यू० भी उसके हिसाब किताब की जांच पड़ताल हमेशा करती रहती है ।

श्री रशीद मसूद : अपोइंटमेंट हुआ चेयरमैन का ?

राव वीरेन्द्र सिंह : अब वह गवर्नर हो गये तो आपको खुशी होनी चाहिये । अच्छा काम ही किया होगा जो गवर्नर बने । और अच्छे चेयरमैन को तलाश किया जायेगा तो यह तो आप मानेंगे

जैसी यह अहम कारपोरेशन है। कोई भी कारपोरेशन है, उसमें बड़ा तलाश करके, सोच समझ कर चेयरमैन बनाना चाहिए। योंही पकड़ कर यदि किसी को चेयरमैन बना देंगे, 24 घंटे में, तो आपको ज्यादा शिकायतें होंगी। फिर सरकारी अफसरों की जितनी जिम्मेदारी होती है, नान सरकारी अफसरों की उससे कम जिम्मेदारियां तो होती नहीं है। यदि कोई आफिसर्स उसके अंदर थे, काम कर रहे थे तो वे भी पूरी तरह सरकार के सामने जवाबदेह थे। हर मामले में उनकी जिम्मेदारी भी उतनी ही थी, जितनी सरकारी आफिसर की होती है। उनको भी पकड़ा जा सकता है, उनको सजा भी दी जा सकती है। इसलिए आपने जो सवाल किया था, मैंने उसका जवाब दे दिया। वैसे मैं उस रोज हाजिर नहीं था, कहीं बाहर गया हुआ था लेकिन मेरे साथी ने आपको उत्तर दिया था।

श्री रशीद मसूद : सारी गड़बड़ तो उसी से हुई है·····

राव वीरेन्द्र सिंह : लेकिन बात तो सिर्फ समझने और समझाने की थी। गड़बड़ कोई नहीं हुई थी लेकिन जो सवाल आपने किया था, उनको देखते हुए किसी को भी यह पता नहीं लगा कि आप पूछना क्या चाहते हैं। आपने पूछा कि एफ० सी० आई० को इतना भारी घाटा क्यों पड़ता है, क्यों इतना नुकसान होता है। इसलिए नुकसान में सब कुछ शामिल हो जाता है।

श्री रसीद मसूद : उसके रीजन्स क्या हैं, क्यों घाटा होता है···

राव वीरेन्द्र सिंह : जो बात आपने पूछी थी, उसका उत्तर आपको दे दिया गया। उसका मतलब हम यह समझें कि भारत सरकार एफ० सी० आई० को कितना पैसा घाटे के लिए देती है·····

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : आप मतलब ही गलत समझ गए·····

राव वीरेन्द्र सिंह : उसका उत्तर हमने दे दिया कि लगभग 700 करोड़ रुपये हम देते हैं। अब उससे कुछ कम भी हो सकता है, थोड़ा ऊपर भी हो सकता है। इतनी सबसिडी आप बजट में मंजूर करते हैं जो रकम एफ० सी० आई० को दी जाती है। फिर एफ० सी० आई० कोई कामर्शियल आर्गेनाईजेशन नहीं है, जिसमें किसी तरह के घाटे का सवाल पैदा हो। एफ० सी० आई० तो एक सर्विस आर्गेनाईजेशन है जो अनाज को एक बार जमा करके फिर तकसीम करता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और बाकी सरकार के काम करता है। यह आपने खुद माना है कि जब कोई चीज सबसीडाइज्ड रेट पर देनी पड़ेगी तो उसमें घाटा पड़ेगा। वह घाटा बर्दाश्त करने के लिए भी यह पार्लियामेंट मंजूरी देती है, आप भी उसकी इजाजत देते हैं।

जहां तक आपका प्रश्न है कि इसकी जो कास्ट है, उसको कुछ घटाया जाए ताकि सबसिडी की अमाउन्ट कम हो जाए और भारत सरकार की तरफ से एफ० सी आई० जितनी अनाज की इस्पर्समेंट करती है वह कुछ कम हो जाए, तो आपकी वह बात बिल्कुल माकूल है। आपकी यह बात बिल्कुल ठीक है कि सरकार को और एफ० सी० आई० को हमेशा यह कोशिश करनी चाहिए इसकी कास्ट ज्यादा न बढ़े। वैसे मैं आप को कई बार बता चुका हूं कि किस-किस मद पर कितनी कास्ट ऊपर से लग जाती है। एफ० सी० आई० जो अनाज ईश्यू करती है, उस पर

भारत सरकार को एक क्विंटल पर लगभग एवरेज 40 रुपये का घाटा उठाना पड़ता है। यदि आप यह कहें कि यह एफ० सी० आई० की बदइन्तजामी की वजह से होता है, तो आपकी वह धारणा बिल्कुल गलत है।

श्री रशीद मसूद : फिर आप हमें समझाइये कि घाटा इतना कैसे होता है···

राव वीरेन्द्र सिंह : यदि आप उन सब चीजों को अलग-अलग ब्रेक-अप जानना चाहें तो मैं आपको ब्रेक-अप दे सकता हूं। अनाज की प्रोक्योरमेंट के बाद मण्डी चार्जेज देने पड़ते हैं, सेल्स टैक्स, स्टोरेज चार्जेज, इन्टरैस्ट चार्जेज देने पड़ते हैं और उसके बाद मण्डी की लेवर चार्जेज, हैंडलिंग और फार्वर्डिंग चार्जेज लगते हैं आर कुछ इन्टरनल मूवमेंट भी होती है। फिर वहां की लोकल इस्टैब्लिशमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के चार्जेज भी लगते हैं, जहां प्रोक्योरमेंट की जाती है। फिर कुछ दूसरे चार्जेज भी होते हैं। यदि इन सारे चार्जेज को मिलाकर एक क्विंटल व्हीट पर आप एवरेज खर्च निकालें तो यह 21 रुपया 31 पैसे आता है। यदि आप इन खर्चों में कमी लाना चाहते हैं तो स्टेटस को कहिए कि वे डयूटी न लें, आप हमें फ्री लेवर सप्लाई कीजिए, गोदाम हमें फ्री दिलवा दीजिए, पैसा वगैर इन्टरैस्ट के दिलवा दीजिए, तो फिर इतने ऊपर के खर्च नहीं आयेंगे। इसलिए यह तो समझने की बात है क्योंकि ये चार्जेज ऐसे हैं जिनको कोई घटा नहीं सकता है। यह तो जरूर देने पड़ते हैं। इसीलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपके साथियों को भी बता रहा हूं, क्योंकि आपने कहा कि ऊपर का खर्च बहुत ज्यादा है, ऐसी बात नहीं है। इसलिए हमें बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा।

यह गेहूं पर खर्चा आता है। पैडी पर कुछ कम आता है, 16.69 रुपये और राइस पर इससे भी कम आता है 10.05 रुपये पर क्वींटल।

श्री रशीद मसूद : मैंने बतलाया था कि कहां कहां ऐसा नुकसान हो रहा है जिसको कि आप रोक सकते हैं। उसको आप बतलाइये।

राव वीरेन्द्र सिंह : आपकी जितनी बात सही है उसको तो मैं मानता हूं। आपने कहा था ब्रेक-अप बताइये तो मैं वह बता रहा हूं। नहीं जानना चाहते हैं तो छोड़ देता हूं।

मैं हाउस की तसल्ली के लिए अर्ज करना चाहता हूं कि यह तो प्रोक्योमेंट कास्ट है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट भी होती है। इसमें ट्रांसिट भी सारे मुल्क में कहां से कहां करना पड़ता है और सारे देश में एक रेट पर इश्यु करना पड़ता है। इतना लम्बा-चौड़ा मुल्क है। फिर स्टोरेज भी साल भर की चलती है। 15-20 मिलियन टन अनाज की देख-भाल करना, दवाई छिड़कना, उसकी चौकीदारी करना, गोदाम का किराया, फ्रेट, रेलवे और रोड ट्रांसपोर्ट के गोडाउन्स के चार्जेज, इन्ट्रेस्ट चार्जेज और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज, यह सारी बातें होती हैं। एफ० सी० आई० के एक क्विंटल पर एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज 2 रुपये 13 पैसे होते हैं। यह किस हद तक घटाया जा सकता है, इसके बारे में आप कह सकते हैं। इसको घटाने की कोशिश सरकार को हमेशा करनी चाहिए।

श्री रशीद मसूद : यह सब चीजें तो ठीक हैं लेकिन अमरीका से जो गेहूं आपके पास आया उसके अनलोडिंग में 1 करोड़ 40 लाख का लास हुआ क्या यह सही नहीं है ?

राव वीरेन्द्र सिंह : इसको रोका नहीं जा सकता तो कम जरूर किया जा सकता है।

(व्यवधान)

इसमें कुछ लासेज ऐसे हैं जो गल्ले के सड़ने से, कीड़ा लगने से या खराब हो जाने से होता है चूहों के खाने से भी लास होता है और इन्सान भी चुरा लेते हैं। इस तरह से मौसम, बारिश, कीड़े वगैरह से गेहूं और चावल में मिलाकर साल भर में छः करोड़ का नुकसान होता है।

जो बाकी के लासेज हैं उसमें हम लगातार कोशिश करते रहते हैं कि उनको घटाया जाए। मैंने पिछले साल एफ० सी० आई० को डायरेक्शन दिया था कि स्टोरेज और ट्रांजिट पर अगर एक परसेन्ट से ज्यादा का लास होगा (1 परसेन्ट गेहूं पर और 1.45 परसेन्ट चावल पर) तो उसको भारत सरकार रिइम्बर्स नहीं करेगी। हमारे लिहाज से यह लास काफी ज्यादा है। और जितनी चोरी होती है वह दो किस्म की है। आपने चार किस्म की चोरियां बताई हैं लेकिन मैं मोटी-मोटी दो कैटेगरीज बताता हूं। एक तो चोरी ऐसी होती है जिसमें पकड़ हो सकती है, यानी गोदाम पर हमला हो गया और चोरी हो गई। चोर को पकड़ लिया या नहीं भी पड़का और उसकी इंक्वायरी की गई। इस प्रकार की चोरी से 1980-81 में 1 करोड़ 35 लाख रुपये का नुकसान हुआ। इसमें कुछ लोग पकड़े भी गए जिनपर मुकदमे चल रहे हैं या डिपार्टमेंटल कार्यवाही की जा रही है। अभी कुछ समय पहले हमने यहां पर जो संशोधन पेश किया था उसको आपने मंजूर किया है कि एफ० सी० आई० के मुलाजिमों को दूसरी बार नोटिस देने की जरूरत नहीं है। अगर वे पकड़े जाते हैं तो उनको एक बार ही चार्जशीट देकर उनकी छुट्टी कर दी जाए। लेकिन फिर वे लोग आपके पास पहुंचेंगे।...

(व्यवधान)

श्री रशीद मसूद : पहली बार आप हमसे इत्तफाक करते हैं।

राव वीरेन्द्र सिंह : आप तो पहले ही चले गये थे। मैंने बहुत सी चीजों से इत्तफाक किया था।

तो इस तरह से जो चोरियां होती हैं उनको रोकने के लिए विजिलेन्स को सख्त किया जा सकता है। हमारे पास अभी स्टाफ की भी कमी है। मैं एफ० सी० आई० के आफिसर्स से पूछ रहा था कि विजिलेन्स का स्टाफ आप क्यों नहीं बढ़ाते। अभी कुछ आफिसर्स यहां और कुछ रीजनल आफिसेज में हैं वे क्या काम करेंगे ? लेकिन डिस्ट्रिक्ट में अगर हम ज्यादा स्टाफ लगा दें तो हो सकता है वे एफ० सी० आई० के सेट-अप का एक अंग बन जायें। मैं इस बात को सोच रहा था कि अच्छे आदमियों को, फौजियों को, चोरी पकड़ने के काम पर लगाया जाए। मैंने इसके लिए एफ० सी० आई० को सुझाव दिया है और मैं कोशिश करूंगा कि कुछ विजिलेंस की सख्ती बढ़े।

लेकिन जैसा मैंने बताया कि ट्रांसिट और स्टोरेज के जो लासेज हैं, वह करीब सौ करोड़ के करीब हैं। आप चाहें तो मैं इसकी तलफसी बता सकता हूं। ये लासेज भी अब घट रहे हैं। 1980-81 में 14.56 मिलियन टन (फुडग्रेन, शुंगर, फर्टिलाइजर) की मूवमेंट थी। 14.56 मिलियन टन जो डैमरेज हमने घटाया वह भी लास था। वह होते-होते 1.1 परसेंट पर आया। डैमरेज का लास एफ० सी० आई० को देना पड़ता है। उससे पहले साल 1.16 परसेंट था, लेकिन अब

1.1 परसेंट पर आ गया है। उसी तरह से दूसरी चीजों में भी लासेस घटाने की कोशिश कर रहे हैं। टौअल क्वांटिटी पिछले सालों में मूव हुई है, उसका ब्यौरा आपको मैंने दे दिया था। उसमें 1.98 परसेंट ट्रांसिट में शार्टेज थी और 0.82 परसेंट स्टोरेज में लास हुआ।

ये फिगर्ज 1980-81 के हैं। इससे पहले क्वान्टिटी कुछ कम थी, उसी हिसाब से कम लास हुआ। डेमरैज से लास होने की कई वजूहात हैं। मसलन एक रेक किसी स्टेशन पर जाता है। उस रेक में 75 वैगन हैं। रेलवे के कायदे के मुताबिक उस रेक को अनलोड करने के लिए 5 घंटे से 10 घंटे तक मिलते हैं। एक वैगन को खाली करने के लिए एक मिनट में शायद 30 वैग अनलोड करने पड़ते हैं। अगर 30 वैग फ्री मिनट अन-लोड न किए जाएं, तो वह वैगन खाली नहीं होता है। बाज दफा एक वैगन भी अगर अनलोड होने से रह जाता है, तो डेमरेज पूरे रेक का देना पड़ता है। गवर्नमेंट का पैसा एक जगह से आता है और दूसरी जगह चला जाता है—वह गवर्नमेंट के अन्दर ही रहता है।

इसमें रेलवे वाले क्या करें ? उनके कायदे बने हुए हैं। मैं कैसे कहूं कि वह डेमरेज चार्ज न करें ? जो कायदा वह दूसरों के साथ रखते हैं, कार्पोरेशन के साथ भी वही कायदा रखना पड़ता है—और रखना चाहिए, वर्ना कार्पोरेशन और ढीली हो जाएगी। इस कायदे की वजह से ही ये बातें माननीय सदस्यों की निगाह में आ जाती हैं। मैंने बताया है कि गोदाम और ट्रांसिट में इस तरह लासिज हुए हैं।

स्टोरेज में सन् 1980-81 के अन्दर 2 लाख 82 हजार टन का लॉस हुआ था। ट्रांसिट के अन्दर 3 लाख 76 हजार टन का लॉस हुआ है। ये लॉसेज कहां होते हैं, यह बहुत सी जगहों पर होते हैं। चोरी बेशुमार होती है। जहां से पर्चेज शुरू होती है, वहीं से चोरी शुरू हो जाती है। खुरपा मार कर बोरियों से निकाल लेते हैं। मंडियों में काफी दिनों तक पड़ा रहता है। उस जगह पर विजिलेंस बहुत जरूरी है। गोदामों में रखते वक्त चोरी हो जाती है, लोडिंग करते वक्त हो जाती है। कई केसेस ऐसे पकड़ गए हैं कि वेगनों के अन्दर बोरियां रखकर सील कर दिया जाता है और डैस्टिनेशन पर पहुंचने पर सील टूटी मिलती हैं। लॉस भी होता है। इस बारे में रेलवे मिनिस्ट्री से भी बात-चीत की है। कहा है कि रेलवे की जिम्मेदारी और एफ० सी० आई० की साथ में जिम्मेदारी हो। ताकि रेलवे यह न कह सके कि एफ० सी० आई० की वजह से हो गया और एफ० सी० आई० यह न कह सके, रेलवे की वजह से चोरी हो गई। सील करके दोनों डिपार्टमेंट के लोगों के दस्तखत होने चाहिए, ताकि रेलवे की भी पूरी जिम्मेदारी हो जाए। मैं यह तो मानता हूं कि चोरियां होती हैं, वरना इतना जबरदस्त लॉस क्यों होता।

कुछ लॉसेज ऐसे होते हैं, जैसे चावल है। वह छः परसेंट सूखने की वजह से घट जाता है। इस पर आप बहस करें कि साढ़े नहीं पांच परसेंट घटना चाहिए या चार परसेंट घटना चाहिए। मैं इतना काबिल नहीं हूं लेकिन मुक्तलिफ कमेटी ने जांच की है, एक्सपेर्ट ने देखा है कि चावल सूखने से काफी कम हो जाता है। जो घट जाता है, वह लॉस भी इसके अन्दर है। जैसा मैंने बताया है कि गेहूं एक ऐसी चीज है, जिसका हमारी निगाह में नुकसान नहीं होना चाहिए। गेहूं कहीं पर नमी से उसका वजन बढ़ भी जाता है। वह बराबर चलना चाहिए, लेकिन उसमें भी हमारे

कुछ दोस्त ऐसे हैं कि चोरी कर जाते हैं और कहते हैं कि सूखने से कम हो गया। इसके लिए भी मैंने डिपार्टमेंट और एफ० सी० आई० को कहा है कि इसमें सख्ती से जांच करें और निगाह रखें कि गेहूं जैसी चीज़ क्यों कम हो जाती है। गेहूं अगर कहीं नार्थ ईस्टर्न रीजन में जाता है, तो वहां बारिश ज्यादा होने की वजह से बढ़ना चाहिए। लेकिन वहां भी गोदामों में रखा-रखा सूख जाता है। दूसरे इसमें धांधली चलती है, उस पर काफी गुंजाइश है, इसको इम्प्रूव करने की। मैं आपकी सारी बातों से मुत्तफिक हूं। कोशिश कर रहा हूं कि एफ० सी० आई० के काम को बेहतर बनाया जाए। आफिसरों को फवक्तन-फवक्तन हिदायतें दी जाती हैं। मैं तो इस बात को कहने में भी नहीं हिचकिचाता हूं कि यदि इस प्रकार आपका सहयोग मिलता रहेगा, तो मैंने कहा है कि एक-एक करके सबको डिसमिस करूंगा। उनको नोटिस दे देकर छुट्टी करूंगा, तीन महीने की तनख्वाह वे ले जाएंगे। लेकिन गन्दगी तो निकलेगी। लेकिन आपके साथी कुछ उधर बैठे हैं, वहां पर यूनियनें सताना शुरू कर देती हैं। जितना ज्यादा इम्पालायमेंट किसी कारपोरेशन में होगा, उसकी यूनियनें उतनी ही ज्यादा मजबूत होगी। यही मुसीबत टेलीफोन वालों के सामने आ रही है। गनी खां चौधरी जी को भी इसी मुसीबत का सामना करना पड़ता होगा। एफ० सी० आई० में भी कई बार हड़तालें हुई हैं, जिसकी वजह से काम रुका है। इसलिए यूनियनों के साथ निपटने के लिए भी आपका हमें सहयोग चाहिए। यदि सी० पी० एम० के लोग बैठे हुए होते, तो मैं उनसे कहता कि आप रशीद मसूद साहब का भाषण सुन लें।

श्री हरिकेश बहादुर : ऊपर के बड़े अफसरों को ठीक करिए, तो ठीक हो जाएगा।

राव वीरेन्द्र सिंह : बड़े अफसरों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए हमारे पास काफी अख्तियारात हैं।

सही बात यह है कि नीचे के एम्पलाईज के खिलाफ कार्यवाही करने में दिक्कत पड़ती है। लेवर कोर्ट्स हैं, कंसीलियेशन का मामला है, कहीं लेवर इंस्पेक्टर आ जाते हैं, कहीं काम बन्द हो जाता है, अनाज नहीं भेजा जाता है। हम चाहते हैं कि गन्दे आदमियों को ट्रांस्फर कर दिया जाए लेकिन उस पर भी झगड़े शुरू हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि किसी अच्छे आदमी को वहां लगाया जाए, प्रमोशन देकर लगाया जाए या डाइरेक्ट रिक्रूट करके लगाया जाए लेकिन लोग करने नहीं देते। ये सारी मुसीबतें हैं जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। डेमोक्रेसी में ऐसे मामलों में जो गवर्नमेंट को कठिनाइयां होती हैं उनको आपको एप्रीशियेट करना चाहिए। सरकार की तरफ से अपनी कोई कमी नहीं है, न कोई कोताही है। हम इन चीजों से नावाकिफ नहीं हैं, हम बहुत सी चीजों से वाकिफ हैं। लेकिन किस तरह से आहिस्ता-आहिस्ता ठीक किया जा सकता है, उसमें आपके सहयोग और आपकी इन्फर्मेशन का भी हम पूरा फायदा उठाएंगे। आज की जो बहस हुई है उसका भी हम फायदा उठाएंगे।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : सभापति महोदया, सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री जी को इस बात की दाद देना चाहता हूं जो उन्होंने बड़ी चतुराई से 11 अक्तूबर को प्रश्न का उत्तर दिया। सवाल यह था :

"क्या सरकार को मालूम है कि भारतीय खाद्य निगम को पिछले पांच वर्षों से काफी अधिक हानि हो रही है।"

इन्होंने सीधे यह कहा कि यह कोई व्यापारिक संस्थान नहीं है जिसमें लॉस होते हों। जब उनसे पूछा गया तो बराबर बताते गए कि ये ये लॉस हैं। मेरा मतलब है कि हमारी बात उनको अब समझ में आई। उस वक्त तो वे कन्नी काट गए। यह व्यापारिक संस्थान नहीं है। यह नो प्राफिट, नो लॉस पर चलने वाला संस्थान है। यह खाने के लिए काम करता है इसके मायने यही हैं कि इस संस्थान मे वह लाभ नहीं हो सकता है जो कि एक व्यापारिक संस्थान में हो सकता है।

अब ये जबाव दे रहे हैं कि ये लॉस है। अब लॉस को ही तो नुकसान कहेंगे। अब यह नुकसान चाहे धोखाधड़ी से हो, चाहे चोरी से हो। जो भी यह लॉस होता है उसको नुकसान ही तो कहेंगे। आपने घटिया डिग्री का चावल और गेहूं खरीद लिया, उससे आपको लॉस हुआ तो उसको भी नुकसान कहेंगे। इस सब को और क्या कह सकते हैं? इसके लिए कोई और शब्द तो है नहीं।

हमारा मतलब यह भी है कि जो इसमें अधिक खर्चा हो रहा है वह नहीं होना चाहिए। जो गलत तरीके से व्यय हो रहा है, उसको रोक कर करोड़ों रुपये बचाये जा सकते हैं। यह हमारा मतलब है। आपने अपने बयान में कहा कि पांच साल में 8 करोड़ 36 लाख रुपये का डेमरेज दिया। अगर आप इतना डेमरेज देकर परसेन्टेज से खुश होना चाहते हैं तो बात दूसरी है। यह डेमरेज कम से कम होना चाहिए था। डेमरेज रेलवे की लापरवाही से तो नहीं दिया जाता है, अपनी लापरवाही से दिया जाता है। अगर रेलवे के स्टेशन पर माल आकर खड़ा हो गया है और डिब्बों से माल नहीं उतारा गया है तो रेलवे को डेमरेज देना पड़ेगा। इसमें तो रेलवे की लापरवाही हो सकती है कि माल स्टेशन पर पड़ा है और वह डिब्बों में लादा नहीं जा रहा है जिसके कारण वह खराब हो रहा है।

वहां वह रेलवे की वजह से हमारा नुकसान हुआ, लेकिन यह प्योर डेमरेज छुड़ाने वाले की ड्यूटी है जो देर से छुड़ाने के लिए जाएगा, उसको डेमरेज देना होगा। आप एक परसेंट, डेढ़ परसेंट की बात कर रहे हैं। आप 16.12.81 का ट्रिब्यून देखिए। इसमें बताया गया है लास इन ट्रांजिट 1978-79 में 28.68 करोड़, 1979-80 में 41.40 करोड़, 1980-81 में 59 करोड़। यह तीन साल का खाली ट्रांजिट का लास है व्हीट, राइस और सुगर का। यह बात मैंने क्यों कही है? आप देखिए—

"सड़क और रेल से खाद्यान्न के ट्रांजिट में होने वाले कुछेक नुकसान से बचा नहीं जा सकता जिसके कारण मौसम की अनिश्चितता, खुले वैगनों का इस्तेमाल और चोरी है। लेकिन इस कारण से भारतीय खाद्य निगम को जो नुकसान हुआ है, वह निन्दाजनक है।"

उनका कहना है कि यह जो रेलवे की वजह से नुकसान हुआ कहीं ट्रांजिट में तो उसको भी आपको रेलवे देती है, आपका नुकसान कवर कर देती है। कहीं अगर आपकी सौ बोरी चोरी

हो गई हैं तो आप क्लेम कर दीजिए, पूरा पैसा आपको मिल जाएगा। इसमें मिला है आपको—

"रेलवे ने वर्ष 1979-80 और 1980-81 में क्रमशः 25 लाख रु० और 18 लाख रु० मुआवजे के तौर पर दिए हैं,"

इसका मतलब यह है कि 25 लाख रुपया रेलवे से आपको मिला है, उसने 25 लाख का आपका नुकसान माना है, बाकी ट्रांजिट में चोरी है, करोड़ों रुपये की, जो मैंने आपको बताई है। 28.60 करोड़ में से मिला 25 लाख। बाकी नुकसान सब चोरी का है। मैंने तीन साल की बात आपको बता दी। ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, नहीं तो देर लगेगी। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं—

हिन्दुस्तान टाइम्स दिनांक 14-2-81 :

"भारतीय खाद्य निगम के कुछ अधिकारियों सहित गेहूं की चोरी के लिए 14 बन्दी बनाए गए। उन्होंने 4 लाख रु० का गेंहूं अमृतसर के समीप पट्टी रेलवे स्टेशन और रूपनगर के गोदाम से चुराया।"

पेट्रियाट 12-3-81 "रैकेट इन व्हीट एण्ड राइस" इसमें राज्य सभा में आपने एडमिट किया है कि लाखों रुपये का नुकसान इन लोगों ने किया, जिसके लिए 15 एफ० सी० आई० के और मार्कफैड के आफिसर्स को अरेस्ट किया गया।

टाइम्स आफ इंडिया 7-7-81 :

"जम्मू और काश्मीर खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग और भारतीय खाद्य निगम में चावल की घटिया किस्म को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है।"

हिन्दुस्तान टाइम्स 15-7-81 :

"क्षेत्रीय खाद्य निगम के एक भूत पूर्व वरिष्ठ अधिकारी को, 6.28 करोड़ रु० मूल्य के 35000 टन चावल की शाहजहांपुर में कथित खरीद के लिए ससपेंड किया गया।

पूरनपुर मेरी कांस्टीट्वेंसी में है, दो साल तक वहां खुले में आपका गेहूं पड़ा रहा। जब मैंने यहां शोर मचाया तब उसके बाद उठा। इस तरह से नुकसान हुआ। बीसलपुर में हजारों बोरी चावल प्राइवेट गोदामों में बंद कर दिया। ढाई साल तक नहीं उठाया। जब मैंने 377 में मामला उठाया तब आपने गोदाम खाली करवाए। आप जानते हैं कि प्राइवेट गोदाम कैसे होते हैं, सब खराब हो गया। इस तरह के नुकसान की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

इंडियन एक्सप्रेस के 8.4.82 के दिल्ली संस्करण में यह बताया गया है :

"भारतीय खाद्य निगम के 6 अधिकारियों को निलंबित किया गया एवं उदयपुर छोड़ने के निदेश दिए गए।"

दिल्ली के 1.5.82 के स्टेट्समैन में बताया गया है :

"जम्मू में 1 करोड़ रु० मूल्य का गेहूं खराब हुआ ।"

18.7.82 को दि ट्रिब्यून, चंडीगढ़ में बताया गया है :

"भारतीय खाद्य निगम में गनी बैग स्कैंडल" "बी" की बजाय "सी" बैग का प्रयोग किया गया । डेढ़ लाख रु० महीने की हानि हुई आपको इसमें ।"

21.7.82 को दि हिन्दुस्तान टाइम्स में यह छपा था :

"गेहूं की धोखा-धड़ी का पता चला । गेहूं के बहुत बड़े स्टाक को नष्ट करने के संबंध में संगठित रूप से धोखा-धड़ी ।"

2.8.82 के दि पेट्रिआट दिल्ली में कहा गया है :

"भा० खा० निगम के भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ मामला रोक दिया गया । केन्द्रीय सतर्कता आयोग का अपवाद ।"

जो गड़बड़ी करने वाला अफसर था उसका केस क्लोज कर दिया ।

31.8.82 को दि इंडियन एक्सप्रेस में कहा गया है :

"13 करोड़ रु० मूल्य का गेहूं नष्ट हो गया ।"

यह गेहूं—5.08 लाख टन, गांधी धाम कंप्लेक्स में भंडार किया गया था ।

यह रिपोर्ट भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की है ।

14.8.82 के दि टाइम्स आफ इंडिया में यह छपा है :

"भारतीय खाद्य निगम के गोदाम के चावल के सैंपल में मिलावट पाई गई ।"

ये हैडिंग्स मैंने सुना दी हैं । यह सब बताने का मतलब यह है कि श्रीमन् यह व्यापारिक संस्थान नहीं है । लेकिन जिस तरीके से व्यापारी अपनी दुकान में बैठकर बंगलिंग करता है, ब्लैक मार्किटिंग करता है, वैसे ही एफ० सी० आई० कर रहा है यानी उसके आफिसर्स कर रहे हैं। आप कह देंगे कि हमारा कारोबार बहुत लम्बा है, इधर से उधर ले जाते हैं, कुछ न कुछ तो होगा ही । हमारा देश गरीब है जिसमें कि महंगाई बढ़ती जा रही है, टैक्स हम रोज लगाते जा रहे हैं इसलिए हमें आप जैसे आदमी से यह उम्मीद है कि इसे आप सही करके ही मानेंगे और अगले साल हमें कुछ अच्छा देखने को मिलेगा । आप इसको देखें कि इसको रोकने का उपाय क्या करेंगे । क्या कोई विजीलैंस बैठायेंगे, कुछ अफसरों को बढ़ायेंगे उनको प्रोमोशन देंगे, घटिया अफसरों को निकालेंगे तो आप इसमें क्या निर्णय लेंगे ? पिछले महीने 10 करोड़ का गेहूं खराब हो गया ।

राव वीरेन्द्र सिंह : आप तजवीज दीजिए, उसको देखकर बतायेंगे ।

श्री हरीश कुमार गंगवार : आपके विचार इस संबंध में जानना चाहता हूं कि आप इसमें क्या करना चाहते हैं, एफ० सी० आई० के इस लौस को रोकने के लिए। देश का काश्तकार खून और पसीना बहाकर अनाज पैदा करता है।

मैं इन सब बातों में आपसे स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि आप इसके लिए क्या करेंगे ?

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : माननीय गंगवार जी ने जो कहा है उससे मैं सहमत हूं। मैं आशा करता हूं कि इस भ्रष्ट संस्था में मंत्रीजी कुछ सुधार करेंगे। अपने कार्यकाल में कृषि मंत्री अगर इस एक संस्था में सुधार कर दें तो यह उनकी देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।

एफ० सी० आई० लापरवाही और भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा बन चुका है। जो कुछ कहा जा रहा है उससे हर व्यक्ति इसी निष्कर्ष पर पहुंचे बिना नहीं रह सकता है कि यह लापरवाही और भ्रष्टाचार का अड्डा है। एक अखबार निकलता है दिल्ली से वीक्ली या फोर्टनाइट्ली जिसका नाम है "प्रचंड"। यह 12 अगस्त 1982 का अखबार है। मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि इसको वह पढ़ लें तो उनको पता चल जाएगा कि कितना भ्रष्टाचार इस संस्था में है। आपके वरिष्ठ अधिकारी भी पढ़ें तो उनको भी इसका पता चल जाएगा। इसको मैं अपने एक पत्र के साथ आपको भेजने ही वाला हूं। इसको मैंने इसी वास्ते रोके रखा था कि चर्चा हो जाए और मैं आपको बताऊं कि क्या कुछ इसमें निकला है। अब एक दो दिन में इसको मैं आपके पास भेज दूंगा। इसमें हैडिंग ही यह निकला है "सफेदपोस डकैतों का चारागाह—भारतीय खाद्य निगम" कितना इसमें भ्रष्टाचार है इसका विवरण आपको इसमें मिल जाएगा। इस निगम के जो भूतपूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर थे उन्होंने कई मामलों में जांच के आदेश दिए थे किन्तु उनके अधीनस्थ कर्मचारियों ने भ्रष्टाचारी तत्वों से हाथ मिलाकर उन मामलों को प्रकाश में नहीं आने दिया। यह आरोप भी इसमें लगाया गया है। बहुत से भ्रष्ट लोगों के खिलाफ जांच कराई जा रही थी, जिसे रोक दिया गया। ऐसा क्यों हुआ, यह आप बतायें।

इसमें यह भी निकला है कि जबलपुर में चावल और गेहूं की खरीद करने वाले अनेक अधिकारियों के खिलाफ आरोप लगाए गए थे। उनकी जांच होनी चाहिए।

यहां हमारे एक माननीय सदस्य ने बोलते हुए पीछे कहा था कि एफ० सी० आई० न रह करके यह फ्राड कार्पोरेशन आफ इंडिया हो गया है। मेरे साथ वह बात इसके बारे में कर रहे थे। मैंने उनसे कहा था कि आप इस बात को यहां कहिये। उन्होंने कही भी थी।

गोदामों की हालत यह है कि चावल और गेहूं का सड़ना आम बात हो गई है। पंजाब में तरनतारन में इस तरह की बात हुई है। जो सड़ा हुआ गेहूं या चावल होता है उसे अच्छे चावल में या गेहूं में मिला कर लोगों को खाने के लिए बेच दिया जाता है। जिस गेहूं को या चावल को जानवर भी नहीं खाते हैं उसको आदमियों के खाने के लिए एफ० सी० आई० के लोग दे देते हैं। इस प्रकार से वह देश के लोगों के प्रति, गरीब लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं, यह उनकी देश भक्ति का, देश प्रेम का नमूना है। राजनीतिज्ञों को तो सभी कहते हैं कि

भ्रष्ट हैं। राजनीतिज्ञों द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जाता है वह सारे देश के सामने आ जाता है, उसकी हर कोई आलोचना भी कर लेता है, उसको देख भी लेता है, लेकिन इन लोगों का इतना चारित्रिक पतन हो चुका है, इतना नैतिक ह्रास हो चुका है कि गरीब लोगों को सड़ा हुआ गेहूं और चावल राशन में देते हैं।

मंडला जिले के गोदाम में एक हजार बोरी चीनी रखने की क्षमता है किंतु 2500 बोरी चीनी रखने की क्षमता दिखाकर संबन्धित ठेकेदार को पैसा दिया जाता है, गोदाम का किराया दिया जाता है उस व्यक्ति को जिससे यह गोदाम किराए पर लिया गया है। उसका उल्लेख भी इस अखबार में है।

मण्डला जिले में डिंडोरी तहसील मुख्यालय में खाद्य निगम का बहुचर्चित घोटाला कांड मशहूर है। चार लाख रुपये कीमत की 518 बोरी चीनी चोरी करके खुले बाजार में बेच दी गई।

इस प्रकार की चोरबाजारी, भ्रष्टाचार, एफ० सी० आई० के बड़े-बड़े अधिकारियों की सहमति के बगैर नहीं हो सकती है। छोटे कर्मचारियों का जहां तक संबन्ध है वे तो छोटी-मोटी गलती कर देते होंगे। वे यूनियन बना कर तमाम परेशानी भी पैदा कर देते होंगे जिसकी बात आप अभी कह रहे थे। किन्तु वे ज्यादा गड़बड़ी नहीं करते हैं। छोटी मोटी ही करते हैं। लेकिन बड़े अधिकारी उनको कुचलने के लिए तरह-तरह की साजिशें करते हैं। बड़े-बड़े घोटाले, डकैतियां, चोरबाजारी जो चल रही है इनमें जब तक वरिष्ठ अधिकारी संलग्न न हों, तब तक यह काम नहीं हो सकता है।

मसूद साहब ने कहा कि कोई चीफ विजिलेंस अफसर एफ० सी० आई० के हैं और उन्होंने गलत रसीदें दिखा कर हाउस रेंट एलाउंस ले लिया। यह बड़े-बड़े अफसरों की हालत है। इस सब की जांच होनी चाहिए और उचित कार्यवाई होनी चाहिये। पी० यू० सी० ने जो आपको रिपोर्ट दिया था, मंत्री जी से विशेष रूप से अनुरोध है कि उसके बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालें कि उस बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है। सम्भवतः वह 22वीं रिपोर्ट है। उसमें कई बातें कमेटी ने सुझाई थीं और इस आर्गेनाइजेशन की बहुत सी खामियों का भी पर्दाफास किया था। मैं उस समिति का सदस्य था इसलिए उसके बारे में अधिक नहीं कहूंगा, लेकिन आप उस रिपोर्ट को अवश्य देखें और बतायें कि उस रिपोर्ट पर सरकार क्या ठोस कदम उठा रही है ताकि भ्रष्टाचार और कमियों को दूर किया जा सके। यही जानकारी मैं चाहता हूं।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, मेरे साथियों ने बहुत से प्रश्न पूछ लिए हैं इसलिए मैं नहीं चाहता कि उनको दोहराऊं। यह बात तो अवश्य है कि खाद्य निगम हमारे देश की बड़ी सेवा कर रहा है। आज अगर खाद्य निगम नहीं होता तो वफर स्टाक रखना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का चलना असंभव था। इसलिए यह संस्था अच्छी सेवा कर रही है और उद्देश्य भी अच्छा है। जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं यह हर विभाग में होते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि एफ० सी० आई० में ही भ्रष्टाचार है और दूसरे विभागों में नहीं है।

18-26 (उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

पी० डब्ल्यू० डी० में भी है । परन्तु हमें देखना है, क्योंकि यह महत्वपूर्ण विभाग है जिसके बारे में आपने भी कहा कि ट्रांसिट में 3 लाख टन अनाज का लौस हो जाता है और स्टोरिंग में 2 लाख टन अनाज का लोस हो जाता है । इतने बड़े लौस को हमें कम करना चाहिए । मुझे विश्वास है कि आप इस बारे में अवश्य ठोस कदम उठायेंगे । विशेषतौर से मुझे यह कहना है कि जिस समय प्रोक्यौर करते हैं उस समय किसानों का, जो बेचारे गरीब किसान बेचने के लिए अपना अनाज लाते हैं, शोषण किया जाता है वह मैं आपको बताना चाहता हूं । यद्यपि आपने सपोर्ट प्राइस 142 रु० फिक्स की है परन्तु उनको वह नहीं मिलती क्योंकि उनको ऐसी स्थिति में डाल देते हैं, उनसे डायरेक्ट नहीं खरीदते हैं बल्कि महाजनों के जरिये खरीदते हैं जो एफ० सी० आई० के एजेन्ट होते हैं । और महाजन 142 रु० की जगह उन गरीब किसानों को 130 रु० या 132 रु० का भाव ही देते हैं जिससे किसानों को सपोर्ट प्राइस का लाभ नहीं पहुंचता है । किसानों को 142 रु० दाम मिलें इस बारे में आप क्या कर रहे हैं ? यह जो प्रश्न उठा था, जनता पार्टी के समय में भी और श्री आर० आर० मोरारका, जो लोक सभा के सदस्य थे, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनी थी, उसने कोई विशेष कार्य नहीं किया और अपना शासन आ गया । जब आप खुद महसूस करते हैं भ्रष्टाचार हो रहा है, नुकसान अधिक हो रहा है ।

आप खुद यह महसूस करते हैं कि इसके लिए विजिलैंस की व्यवस्था होनी चाहिए । बिजिलैंस के काम के लिए जितने अधिकारी होने चाहिएं, उतने अधिकारी नहीं हैं । इसलिए उचित मात्रा में बिजिलैंस विभाग को मजबूत करने की आवश्यकता है । इसलिए मैं समझता हूं कि किसी योग्य और अनुभवी व्यक्ति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाना चाहिए और वह समिति पूरी तरह से इस मामले में जांच करे कि प्रोक्योरमैंट के मामले में, ट्रांसपोर्ट के मामले में, स्टोरेज के मामले में, डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में और अन्य मामलों में लॉसेज को कैसे रोका जा सकता है । तभी हमें जो प्रतिवर्ष इतना लॉस पहुंच रहा है, इसको रोका जा सकता है ।

आप कहते हैं कि वह लॉस लगभग 1.2 प्रतिशत होता है, लेकिन यह 1.2 प्रतिशत ही करोड़ों रुपयों में हो जाता है । इसलिए आप 1.2 प्रतिशत लॉस मान कर ही सैटिस्फाई नहीं हो सकते । यह आपकी कोई उपलब्धि नहीं है क्योंकि 1.2 प्रतिशत करोड़ों रुपये में चला जाता है । यदि करोड़ों रुपये में हमारा हर साल लॉस हो, पिलफरेज हो, चोरियां हो जाएं, डैमरेज हो जाए और फिर आप 1.2 प्रतिशत लॉस मान कर कुछ न करें, यह मैं समझता हूं ठीक नहीं है । आपको पूरी प्रीकौशनरी मैजर्स उठाने चाहिएं । आखिर एक करोड़ रुपया साल का डैमरेज क्यों होता है । यदि आप किसी व्यापारी को देखें तो वह किसी भी सूरत में एक पैसे का भी डैमरेज नहीं होने देता । जब व्यापारी एक पैसे का भी बर्दाश्त नहीं कर सकता और दूसरी तरफ हम करोड़ों रुपये साल का डैमरेज करते चले जाएं, मैं पूछना चाहता हूं कि इसके लिए कौन रिस्पौंसिवल है । उन अधिकारियों या लोगों के विरुद्ध आपने क्या कार्यवाही की है, कौन से ठोस कदम उठाये हैं, जिनसे हम सैटिस्फाइड हो सकें । यही मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं ।

यहां पर करप्शन आदि की बात भी की गई है, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता ।

लेकिन विशेष तौर पर यह अवश्य कहना चाहता हूं कि जब गेहूं की प्रोक्योरमैंट की जाती है, तब आपने ए० ग्रेड, बी० ग्रेड और सी० ग्रेड बना रखे हैं, लेकिन उसके अन्दर बड़ी भारी गड़बड़ होती है। आपके लोग इसमें बड़ी गड़बड़ी मचाते हैं। जिस गेहूं को वे लेते हैं और उनको कुछ मिलता है, उस गेहूं को वे थर्ड ग्रेड का होते हुए भी फर्स्ट ग्रेड कर देते हैं जब कि जो किसान पैसा नहीं देता है, ईमानदार होता है, तो उसके फस्ट ग्रेड गेहूं को भी थर्ड ग्रेड करार दिया जाता है। इस तरह की आज किसानों के सामने स्थिति पैदा हो रही है। वे अपनी समझ के मुताबिक ही फर्स्ट, सैकेण्ड और थर्ड बनाते हैं और उसी के हिसाब से चलते हैं। मैं नहीं समझता कि आप थर्ड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड को अलग-अलग कैसे रखते हैं। आप तो सब को मिला देते हैं, और उस मिले हुए गेहूं को ही आगे दे दिया जाता है। उससे ग्रेडस आदि का कोई पता पड़ता नहीं और उनकी गड़बड़ का भी पता नहीं चल पाता। इसी कारण मैं चाहता हूं कि आप गेहूं को ग्रेड वाइज स्टोर करें इस मामले में आपके एक्सपर्ट बहुत ही गड़बड़ करते है, जिसके कारण किसानों को लॉस पहुंचाते हैं। क्यों ग्रेड के हिसाब से तो आपके गोदामों में गेहूं रखा नहीं जाता है, उसमें तो आप सबको एक साथ मिला देते हैं। फिर दूसरे गेहूं, जो कि कैसे भी मार्केट का या ग्रेड का हो, सबको मिला दिया जाता है और ऐसे ही आगे दे दिया जाता है, चाहे उसमें कंकर हों, पत्थर मिले हों, उसको कोई नहीं देखता यह ऐसी स्थिति है, जिसमें सुधार लाने की आवश्यकता है।

अब आखीरी प्वाइंट मैं वेट या तौल के बारे में उठाना चाहता हूं। आपके लोग जो गेहूं देते हैं, वे तोल कर पूरा भी नहीं देते हैं। उन लोगों को जो रिटेलर्स होते हैं, कभी पूरा गेहूं नहीं मिलता। फिर जब लेने की बारी आती है तो तौलकर ज्यादा लेते हैं परन्तु जब देने की बारी आती है तो कम तोल देते हैं। इस तरह भी वे गड़बड़ी करते हैं इसलिए मैं समझता हूं कि यह मामला इतना संगीन है कि इस सम्बन्ध में अवश्य ही किसी समिति का गठन किया जाना आवश्यक है। वह समिति बैठकर निर्णय करेगी, आपको अच्छे सुझाव देगी और आप अच्छे कदम उठाकर इस लॉस से बच सकेंगे, जो लॉस हमारे यहां हर साल करोड़ों रुपये में होता है। फिर इतना खर्च नहीं होगा इस कमैटी को बनाने में, जब कि तुलना में हमारा लाभ कहीं ज्यादा होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि मंत्री जी अपने उत्तर में स्पष्टीकरण दें। यही मैं आपसे जानना चाहता हूं।

राव वीरेन्द्र सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, कुछ बातों का जवाब तो मैं पहले ही तफसील से दे चुका हूं। मैं मान चुका हूं कि जितना नुक्सान होता है चोरी से या डेमरेज से, जो अनाज खराब होता है, सड़ता-गलता है, मेरी निगाह में भी वह काफी ज्यादा है और इसको जरूर कम करना चाहिए। जैसा कि मैंने अर्ज किया है, उसके लिए हम कुछ उपाय करने की कोशिश कर रहे हैं। उपाय यही हो सकता है कि आफिसर्ज पर और जिम्मेदारी डाली जाए और सख्ती की जाए, अगर हम किसी को पकड़ सकें, तो उसे सजा दी जाए। श्री हरिकेश बहादुर ने ठीक कहा है। जो छोटे लेवल के कर्मचारी हैं, उनके पीछे तो सरकार नहीं भागती। मेरा भी कायदा यही है कि बड़ी मछली अगर पकड़ में आ जाए, तो उसे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम सीनियर आफिसर्ज को ठीक चला सकेंगे, तो वे अपने मातहतों को ठीक चलायेंगे।

जहां तक मेरी कोशिश का ताल्लुक है, मैं इस तलाश में हूं। कुछ आफिसर्ज तो तब्दील हो गए हैं, कुछ नए आए हैं। मैं खुद भी अपने तरीके से मालूम करता रहता हूं कि कौन आफिसर

कैसा है। जहां कहीं खरीद के मामले में, या क्वालिटी कन्ट्रोल के मामले में, एफ० सी० आई० के हैडक्वार्टर में, या रिजनल आफिसिज में या जोनल आफिसिज में अफसरों का निकम्मापन मेरी नजर में आया, तो कम से कम इतना तो हम जरूर कर देंगे कि उनकी रिपोर्ट खराब करके, उनको दुम मरोड़ कर वापस भेज देंगे। मुझे उम्मीद है कि अगर हम इस तरह से काम चलायेंगे, और मुझे हाउस का पूरा समर्थन मिला, तो कोई वजह नहीं है कि एफ० सी० आई० का काम बेहतर न हो सके।

एफ० सी० आई० की बहुत बदनामी होती रहती है। उनमें से बहुत सी ऐसी बातें हैं, जिनके बारे में माननीय सदस्य शायद पूरी जानकारी नहीं ले पाते, इसलिए उनको कुछ खयाल हो जाता है। लेकिन जो बातें वे खराबी, नुक्सान और करप्शन की कहते हैं, उन पर हम पूरा ध्यान देते हैं। अगर वे इस बारे में हमें केसिज बताएंगे, तो हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे और जांच भी करवायेंगे।

कहा गया है कि कोई एनक्वायरी ठप्प कर दी गई है। मैं तो यह कोशिश करता हूं कि कहीं कोई गुंजाइश मिले, तो मैं एनक्वारी कराऊं। इसलिए कोई एनक्वायरी बन्द कराने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। मेरे इल्म में यह बात नहीं है। अगर मेरे इल्म में कोई बात आई, तो उसकी देखभाल की जाएगी।

श्री गंगवार ने कहा कि सबस्टैंडर्ड गेहूं खरीदा जाता है। इसमें भी कहीं-कहीं मैलप्रैक्टिसिज होती हैं, इससे इन्कार नहीं करता। उसमें एफ० सी० आई० ही जिम्मेदार नहीं होती है। उसमें स्टेट्स की एजेन्सीज भी है। व्यापारी भी मिले होते हैं। स्टेट्स की एजेन्सीज और एफ० सी० आई० भी मिल जाते हैं मंडियों में। मैं आपको खुली दावत देता हूं कि अगर किसी मंडी से कोई शिकायत हो, तो आप चुपके से मुझे खबर दिया करें, हम छापा मार कर पकड़ लिया करेंगे।

जब यह नई मिनिस्ट्री बनी थी, तो पहले साल हमने यही किया था। हिन्दुस्तान की मंडियों में जो कर्मचारी थे, मैंने जोनवाइज और रिजनवाइज उनकी लिस्ट अपने पास मंगा कर रखी, ताकि अगर किसी एम० पी० या किसी आम आदमी से इत्तिला मिल जाए, तो फौरन उस कर्मचारी को पकड़ लिया जाए। मैं हर साल मंडी-वाइज लिस्ट मंगा कर रखता हूं। हम निगाह रखते हैं। सीनियर आफिसर्ज पर और ज्यादा निगाह रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस बहस के बाद वे कुछ चाक-चौबन्द हो जायेंगे। अगर नहीं होंगे, तो मार खायेंगे।

श्री गंगवार ने पंजाब के किसी बैग स्कैंडल के बारे में कहा कि अच्छी क्वालिटी के बैग में वावल, पैंडी देते थे और पुराने बैग में वापस कर देते थे। श्री भाटिया ने भी यहां यह सवाल ठाया था और उसका जवाब दिया गया था। जहां तक मुझे मालूम हुआ है, इस बारे में सीनियर जनल मैनेजर से पूछा गया था और उसने यह सवाल होने के बावजूद कहा कि मेरे इल्म में ऐसी ई बात नहीं है। उसके बाद हमने विजिलेंस की एनक्वायरी करने के लिए आर्डर्ज किए। अगर जिलेंस की एनक्वायरी में पाया गया कि सीनियर रिजनल मैनेजर की रिपोर्ट गलत थी, या ा कोई चीज छिपाने की कोशिश की, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायगी। अगर हमें

मालूम हो गया कि विजिलेंस वालों ने भी हमें सही रिपोर्ट नहीं दी,-तो चाहे मुझे जाकर देखना पड़े, असलियत निकाल कर कुसूरवारों को सजा दी जाएगी।

जहां तक आज बातचीत से मुझे पता लगा है, पब्लिक अंडरटेकिंग्ज कमेटी की रिपोर्ट में कोई ऐसी खास चीजें तो नहीं हैं, जिन पर उतावलेपन से एकदम कोई कार्यवाही करने की जरूरत हो। लेकिन जो सुझाव हैं, हम उन पर पूरा गौर कर रहे हैं। हम उस रिपोर्ट के मुताबिक कार्यवाही करेंगे। अगर बेहतरी के लिए पार्लियामेंट की किसी कमेटी की कोई रिपोर्ट आएगी, या पार्लियामेंट के मेम्बरों की तरफ से कोई सुझाव आएगा, तो हम उस पर पूरा ध्यान देंगे।

जैन साहब ने कुछ बातें कही हैं। मैं मानता हूं कि लासिज ज्यादा हैं और इन्तजाम बेहतर होना चाहिए। अगर ट्रांसिट में और गोदामों में सैकड़ों करोड़ों रुपया का नुकसान हो जाए, तो उससे देश की हानि होती है और हमारा अनाज भी कम होता है। मैं तो यह समझता हूं कि अगर करप्शन को पनपने या फैलने दिया जाए, तो माली तौर पर जो नुक्सान होता है, वह इतना बुरा नहीं होता, मगर एडमिनिस्ट्रेशन के खराब होने से देश को ज्यादा देर का नुक्सान होता है जिसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने 1 लाख रुपये से अधिक के विलम्ब शुल्क की बात भी की है।

राव वीरेन्द्र सिंह : मैंने यह स्वीकार किया है कि यह 1 करोड़ रुपये से अधिक है। वास्तव में, वर्ष 1980-81 के लिए यह राशि लगभग 1.62 करोड़ रुपये है। यह 108 करोड़ रुपये था जो आंकड़े मैंने पहले दिए थे ; यह खाद्यान्न के ट्रांजिट और भंडारण में हुए नुकसान के थे। मैं मानता हूं यह बहुत बड़ा नुससान है, इसे कम होना चाहिए।

श्री रशीद मसूद ने जो तीन पायंट्स उठाए थे। मैं पीछे उनका जबाव नहीं दे सका। एक तो उन्होंने कहा था कि रोलर फ्लौर मिल्ज को सब्सीडाइज्ड रेट पर जो अनाज दिया जाता है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। यह बात ठीक नहीं है। कन्ट्रोल है मैदे और सूजी पर। उनकी कीमतें स्टेट गवर्नमेंट तय करती है, हम नहीं करते। जब हम इस्यू करते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट का अख्तियार है कि वह अपनी स्टेट में कीमतों को कन्ट्रोल करे—वह मैदे और सूजी की कीमत इस तरह से कन्ट्रोल करे कि जो आटा और चोकर बचता है, उसको बेचकर, अगर मुनाफा कम रहता है, उसको पूरा कर लिया करे।

मैंने सुना है कि कहीं कोर्ट आर्डज होने से यह कायदा नहीं चलता है। एक केस मेरी निगाह में आया है कि वैस्ट बंगाल की किसी मिल को अनाज मिलता रहा और हाई कोर्ट ने कह दिया कि इसे स्टेट गवर्नमेंट कन्ट्रोल नहीं कर सकती। मैं देख-भाल कर रहा हूं कि स्टेट गवर्नमेंट ने अपील करने के लिए क्या कदम उठाए, अगर वह मिल नाजायज फायदा उठाती चली जा रही है, तो उसे कैसे रोका जाए। हम इन बातों पर निगाह रखने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं-कहीं खराबियां हो जाती हैं। कहीं सरकारी वकील भी मिल जाते हैं और स्टेट सरकारें भी रियायतें बरतती होंगी। ये सब चीजें मैल-प्रैक्टिस में शामिल हैं। जहां तक सरकार निगाह रख सकती है, उसके बावजूद भी कहीं-कहीं खराबियां बाकी रह जाती हैं।

कन्स्ट्रक्शन के काम के लिए आपने जिक्र किया कि सी० पी० डब्ल्यू० डी० क्यों करे। एफ० सी० आई० क्यों न करें। एफ० सी० आई० का जितना मौजूदा काम है, पांच हजार करोड़ का उसका ट्रर्नओवर है···

श्री रशीद मसूद : आपके यहां इन्जीनियर्स हैं ?

राव वीरेन्द्र सिंह : इन्जीनियर्स भी हैं। एफ० सी० आई० अपने गोदाम बनाने के लिए अपने इन्जीनियर्स रखती हैं। लेकिन सी० पी० डब्ल्यू० डी० वाला काम भी अगर एफ० सी० आई० को सौंप दिया जाए, तो दोनों मिल कर क्या बन जाएंगे, मैं समझता हूं कि आपको इस पर ज्यादा बहस करनी पड़ेगी। (व्यवधान) सरकार का कायदा है। सी० पी० डब्ल्यू० डी० एक सेंट्रल एजेंसी है। जो भी सरकारी काम होते हैं, बिल्डिंग और सिविल वर्क के वे सी० पी० डब्ल्यू० डी० के जरिए कराये जाते हैं। उनके पास इसके लिए एक्सपर्टर्स हैं। अब अगर हर कार्पोरेशन को आप इजाजत दे दीजिये कि वे अपना-अपना काम अलग-अलग कर लें तो मैं समझता हूं कि यह पॉलिसी का मामला होगा। जहां कहीं सी० पी० डब्ल्यू० डी० के काम में देरी होती है, तो वर्कस एण्ड हाउसिंग मिनिस्टरी से इजाजत लेकर हम कोशिश करते हैं कि डिपार्टमेंटली जल्दी काम करा लिया जाए। लेकिन वे कई बार इस बात को नहीं मानते हैं, क्योंकि पॉलिसी का मामला है। इस मामले में मैं मजबूर हूं कि एफ० सी० आई० को कन्स्ट्रक्शन के लिए एक अलग महकमा खोलने की इजाजत दे दी जाए।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : समिति के गठन के बारे में।

राव वीरेन्द्र सिंह : आप समिति के गठन के बारे में क्यों कह रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से आप अपने उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, परन्तु सदस्य आपके उत्तर से संतुष्ट हैं।

राव वीरेन्द्र सिंह : मैं एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं, जैसा कि माननीय सदस्यों का ख्याल है कि एफ० सी० आई० से जिस कीमत पर अनाज इशू होता है, उसके ऊपर राज्य सरकारों रिटेल में फेयर प्राइस शाप्स पर ज्यादा कीमत चार्ज करती है। यह बात आपकी बिल्कुल सही है। मैंने हाउस में भी कहा है, जब यह बात मेरे ध्यान में आई, तो मैंने इन्स्ट्रक्शन दी हैं कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट अपने ओवर-हैड चार्जेज का हिसाब लगा कर एफ० सी० आई० की कीमत के ऊपर दस रुपये से ज्यादा वसूल करेगी कन्ज्यूमर से, तो उससे हम से इजाजत लेनी पड़ेगी। लेकिन अब भी कुछ स्टेट्स इस बात को नहीं मानती है। अगर कहीं पर 1 रु०77 पैसे में एक किलो चावल मिलता है, तो कहीं पर यह भी सुनने में आया है कि तीन रुपये या सवा तीन रुपये तक चार्ज किया जाता है। स्टेट के अन्दर यह एक तरीका बन गया है, एफ० सी० आई० के इशु प्राइस के ऊपर वे अपने रिवेन्यू को बढ़ाएं, उससे पैसा कमायें, यह कन्ज्यूमर के हित की बात नहीं है। यह सरकार की पालिसी नहीं है, इसको हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आप साहेबान से भी मैं कहूंगा कि आप अपने इलाकों में भी यह पता करें कि एफ० सी० आई० की जितनी प्राइस हमने रक्खी हुई हैं, उसको कितना बढ़ा-चढ़ा कर फेयर प्राइस शाप्स पर लोगों को अनाज, गेहूं व चावल आदि, मिलता

है । कहीं पर ज्यादा कीमत हो तो आप रोकिए और हमें इत्तिला दीजिए । हम उसको बन्द करने की कोशिश करेंगे । इसमें स्टेट के कोआपरेशन की भी हमें आवश्यकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका मंत्रालय भी देश की विभिन्न उचित दर दुकानों की जांच कर सकता है कि वहां पर किस दाम में सामान बिक रहा है ।

राव वीरेन्द्र सिंह : हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह किस दाम पर बिक रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसकी जांच कर सकते हैं ।

राव वीरेन्द्र सिंह : हमने पिछले वर्ष निदेश जारी किए हैं परन्तु उनके क्रियान्वयन से तथा देश के विभिन्न भागों में लिए जा रहे मूल्यों से मैं संतुष्ट नहीं हूं । यह उपभोक्ताओं के हित में नहीं है तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राज्य राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकते ।

18.49 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार 19 अक्तूबर, 1982/27 आश्विन, 1904 शक के ग्यारह बजे मध्याह्न पूर्व तक के लिए स्थगित हुई ।

———

मित्तल प्रिण्टर्स, K-13 नवीन शाहदरा, दिल्ली-110032